पंचदश माला, खंड 3, अंक 19

मंगलवार, 28 जुलाई, 2009
6 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes &
Parliament Library
Room No.
Block 'G'
Acc. No. 77
Dated 7 APRIL

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 19, मंगलवार, 28 जुलाई, 2009/6 श्रावण, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 343	7–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 344 से 360	25–80
अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 से 3383	80–515
सभा पटल पर रखे गए पत्र	516–527
राज्य सभा से संदेश	527–529
मंत्री द्वारा वक्तव्य	530–532
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण स्थल पर 12.7.2009 को हुई दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट	530–532
श्री एस. जयपाल रेड्डी	530–532
रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009	532
सदस्य द्वारा निवेदन	532–534
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे 18 खंभों में दिखाई देने वाली दरारों के बारे में	532–534
नियम 377 के अधीन मामले	535–546
(एक) आयकर अधिनियम की धारा 115खखग की समीक्षा और आशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	536
(दो) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री दत्ता मेघा	536–537
(तीन) उत्तराखंड के उन सभी किसानों, जो पात्रता का मानदंड पूरा करते हैं, को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	537
(चार) पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री जगदीश ठाकोर	538
(पांच) झालावाड़-उज्जैन और देवास-भोपाल सेक्टरों पर रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	538

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(छह) छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

डॉ. चरण दास महंत 538–539

(सात) केरल के कोल्लम जिले के पट्टानापुरम तालुक में रबड़ पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 539–540

(आठ) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जबलपुर-नागपुर चार लेन वाली सड़क पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री के.डी. देशमुख 540

(नौ) मध्य प्रदेश में खजुराहो, पन्ना और सतना को जोड़ने हेतु रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 540

(दस) उत्तर प्रदेश के मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य एक अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 541

(ग्यारह) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 541–542

(बारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 542

(तेरह) उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से होने वाले मृदा अपरदन को रोके जाने की आवश्यकता

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 543

(चौदह) बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेय जल प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री भूदेव चौधरी 543

(पन्द्रह) तमिलनाडु में धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिलों में लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 543–544

(सोलह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुलीन बिहारी बासके 544

(सत्रह) न्यायालयों में लंबित अत्यधिक मामलों के निपटान के लिए न्यायाधीशों की रिक्तियां भरे जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 544–545

विषय	कॉलम

(अठारह) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र नागपाल 545

(उन्नीस) भारत निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 545-546

नियम 193 के अधीन चर्चा 546-714

देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति 546-714

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 547-554

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 554-559

श्री रेवती रमन सिंह 559-563

श्री गोपीनाथ मुंडे 563-571

श्री टी.आर. बालू 571-576

श्री बसुदेव आचार्य 576-580

श्री दारा सिंह चौहान 580-583

श्री अर्जुन चरण सेठी 583-586

श्री आनंदराव अडसुल 586-589

डॉ. एम. तम्बिदुरई 589-593

श्री निशिकांत दुबे 593-596

डॉ. चरण दास महन्त 597-598

श्री बृजभूषण शरण सिंह 599-600

श्री रमेश राठौड़ 600-602

श्री पी. लिंगम 602-604

डॉ. भोला सिंह 605-607

श्री पबन सिंह घाटोवार 607-610

श्री महेश्वर हज़ारी 610-611

श्री जगदानंद सिंह 611-614

योगी आदित्यनाथ 614-616

श्री अधीर चौधरी 616-617

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 618-619

विषय **कॉलम**

श्री राधा मोहन सिंह 619–621

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 621–622

श्री नरहरि महतो 623–624

श्री दुष्यंत सिंह 624–627

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 627–629

श्रीमती अन्नू टन्डन 629–632

श्री रमाशंकर राजभर 632–634

श्रीमती जयाप्रदा 634–635

श्री मदन लाल शर्मा 635–637

श्री गणेश सिंह 637–641

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 641–642

श्री अर्जुन राम मेघवाल 643–647

श्री विश्व मोहन कुमार 647–648

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 648–649

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा 650–656

डॉ. थोकचोम मैन्या 656–658

श्री आर.के. सिंह पटेल 658–659

श्री हरीश चौधरी 659–661

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 661–663

श्री बदरुद्दीन अजमल 663–667

श्री पी.के. बिजू 667–670

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 670–671

श्री शरद पवार 671–714

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 715

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 716–720

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 721–722

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 721–722

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 28 जुलाई, 2009/6 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, हमने महंगाई पर तुरंत चर्चा करने हेतु प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 341, श्री संजय तकाम।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप शांत रहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूं, कृपया आप शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, हमने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया है। आप तुरंत नोटिस को टेकअप कीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आपने जो एडजोर्नमेंट नोटिस दिया है। वह हम अलाऊ नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, महोदया। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप 193 के तहत नोटिस दे दीजिए। आप नियम 193 के तहत प्राइज राइज पर चर्चा कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार हमारे देश की जनता की परवाह नहीं करती है। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप नियम 193 के तहत प्राइज राइज पर चर्चा कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जी नहीं, हमने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस की अनुमति नहीं दे रही हूं। कृपया प्रश्नकाल जारी रहने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार हमारे देश की जनता की परवाह नहीं करती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, जैसाकि आपने टिप्पणी की है, इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न अवसरों पर यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। सरकार आपके द्वारा निर्धारित किसी भी समय पर एक संरचनात्मक चर्चा के लिए तैयार है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम आज स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

आज ही चर्चा होनी चाहिए, अंडर एडजोर्नमेंट चर्चा होनी चाहिए। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। यह समस्या जनता से संबंधित है। आज हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल को आप स्थगित करके हमने महंगाई के ऊपर जो एडजोर्नमेंट नोटिस दिया है, उसे तत्काल टेकअप कीजिए। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री ए. सम्पत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इस पर मैंने पहले ही अपना विनिश्चय सुना दिया है। इस पर अध्यक्ष का विनिश्चय आपके सामने है। मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दे दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो, हम इस पर चर्चा को लेंगे। कृपया प्रश्नकाल को जारी रखने दीजिए।

प्रश्न संख्या 341। श्री संजय तकाम।

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया स्थगन प्रस्ताव संबंधी हमारे नोटिस को ले लीजिए और महंगाई पर चर्चा के लिए अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, यदि आप निर्धारित करें तो यहां तक कि कल भी हम इसको ले सकते हैं। यदि वे सभा की कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं तो वह एक अलग मामला है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदया पिछले दिनों तीन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, किसी में भी इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। आज क्या एकदम महंगाई बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदया: आप लोग कृपया वापस अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए; मुझे कुछ कहना है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय, श्री ए. सम्पत और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य जी, मैं इस पर डिसकशन के लिए मना नहीं कर रही हूं। आप जितनी जल्दी नियम 193 पर नोटिस दे देंगे, उतनी जल्दी यथाशीघ्र....

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। हम आज ही इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 193 पर करीबन 15 दिन से नोटिस दे रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपके स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष का विनिश्चय पहले ही आ चुका है। उस पर आगे और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने बताया है कि नियम 193 के अधीन इस पर मैं यथाशीघ्र चर्चा की अनुमति दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, महोदया। हम आज ही इस पर चर्चा चाहते हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, वे सूखे की स्थिति पर एक चर्चा करना चाहते थे, आज उस पर चर्चा की जा सकती थी। अब वे मूल्य वृद्धि पर आज चर्चा करना चाहते हैं। महोदया आप कृपया इसके पीछे इनकी मंशा को देखिए। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमने मूल्य वृद्धि पर तुरंत चर्चा करने हेतु प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: वे दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस पर पहले ही अपना विनिश्चय दे दिया है। वे सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, हम इंतजार नहीं कर सकते। आप कृपया हमारे स्थगन प्रस्ताव संबंधी नोटिस को तुरन्त ले लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय पहले ही आ चुका है।

अब, श्री तकाम संजय, कृपया आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: केवल श्री संजय तकाम की बात ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, उनके अनुरोध पर ही सूखे पर चर्चा आज के लिए निर्धारित की गई थी; उनके अनुरोध पर ही प्रधानमंत्री की यात्रा पर चर्चा कल के लिए निर्धारित की गई थी। वे जब चाहे, हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर वे यह चर्चा कल लेना चाहते हैं तो, मूल्य वृद्धि पर हम कल चर्चा कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

महोदया, कार्य मंत्रणा समिति की तीन बैठकें हो चुकी है, तथा हम उसका उल्लेख नहीं कर पाये हैं। लेकिन उन्होंने उस बैठक में भी यह मुद्दा नहीं उठाया था। एकाएक वे यहां पर यह मुद्दा उठा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, हमने प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: जब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यहां पर उपस्थित हैं तो संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य क्यों दे रहे है। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आगे बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य: यह मूल्य वृद्धि के बारे में है और संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं *...(व्यवधान)* जब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यहां उपस्थित हैं तो उन्हें ही उत्तर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करती है और उसे समझती है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, हम इस मुद्दे पर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का स्पष्टीकरण मांगते हैं न कि संसदीय कार्य मंत्री से। यह मूल्य वृद्धि का मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोलने की अनुमति दें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया जब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यहां उपस्थित है तो उन्हें उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: जब बैठक में मामले पर चर्चा हुई थी तब यह निर्णय लिया गया था।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करती है और उसे समझती है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं हम इस विषय पर किसी भी समय ब्यौरेवार चर्चा के लिए तैयार है। यह कल प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् मध्याह्न 12.00 बजे हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, हमें संबंधित मंत्री से उत्तर चाहिये।

श्री पवन कुमार बंसल: वे उत्तर देंगे। वे चर्चा में भाग लेंगे और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं तो उत्तर उनके द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया यह क्या हो रहा है *...(व्यवधान)* संबंधित मंत्री वाद-विवाद में भाग लेंगे और वाद-विवाद का उत्तर देंगे। जैसा कि मैंने कहा है इसे कल प्रश्न काल के तत्काल पश्चात् लिया जाएगा। हमने अन्य कार्यों का नियतन

कर लिया है और उसका नियतन उनकी इच्छा के अनुसार किया गया है। उसे स्थगित कर दिया जाए और इस मुद्दे को कल प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात् लिया जाए।

अध्यक्ष महोदया: जी हां, हम इसे कल प्रश्न काल के पश्चात् ले सकते है।

श्री बसुदेव आचार्य: परंतु महोदया, जब संबंधित मंत्री उपस्थित हैं तो उत्तर उनके द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल को जारी रखा जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: जब हमने मुद्दे को उठाया तो मंत्री द्वारा सभा को यह बताना चाहिए कि सरकार की आकस्मिकता योजना क्या है ...*(व्यवधान)* कुछ भी नहीं कहा गया।

अध्यक्ष महोदया: इसका निर्णय आपके परामर्श से लिया गया था। अब हम उसी पर चर्चा करें। माननीय मंत्री पहले ही यह वक्तव्य दे चुके हैं कि इसे कल प्रश्नकाल के तुरंत बाद लिया जाएगा। हम इस विषय पर नियम 193 के अधीन ब्यौरेवार चर्चा करेंगे और माननीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

अब प्रश्न काल को जारी रखा जाए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 341, श्री संजय तकाम।

पूर्वोत्तर में अलगाववाद

***341. श्री संजय तकाम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक अलगाववादी समूह सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो अरुणाचल प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इन समूहों के साथ शांति वार्ता/बातचीत की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी गुट निम्नलिखित हैं:- असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा); नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट आफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी); यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यूपीडीएस) इसके विखण्डित गुट कारबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) दीमा हलाम दाओगाह और इसके विखण्डित गुट डीएचडी-जे, मणिपुर में 23 गुट नृजातीय रूप से विभाजित हैं अर्थात् मैतेई, कुकी, नागा आदि जिनमें शामिल हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) रिवाल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट (यूएनएलएफ), पीपुल्स रिवाल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (प्रीपाक), कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.), कांग्लेई याओल कान्ना लुप (केवाईकेएल) और मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट (एमपीएलएफ), मेघालय में अचिक नेशनल वालुण्टरीयर काउन्सिल (एएनवीसी) और हन्नीवैट्रप नेशनल लिबरेशन काउन्सिल (एचएनएलसी), नागालैण्ड में नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (आई/एम) और नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड(के) तथा त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट आफ त्रिपुरा तथा आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)।

अरुणाचल प्रदेश खासकर तिरप और चांगलांग जिलों में सक्रिय प्रमुख बिप्लवकारी गुट हैं:- नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (आई/एम) और नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड(के)। राज्य में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा) भी सक्रिय है।

(ग) राज्य सरकारें जो क्षेत्र में सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं, के प्रयासों को केन्द्रीय सरकार द्वारा, घमकी आकलन आधार पर संवेदनशील संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैय्या कराने और विद्रोह विरोधी तीव्र अभियान चलाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकारियों की सहायतार्थ अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैयारी करके, सीमा पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर सतर्कता एवं चौकसी करके, आसूचना भागीदारी करके, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देकर, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं तथा उग्रवाद विरोधी अभियानों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता का प्रावधान करके, इण्डिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों का

गठन करने के लिए राज्यों को सहायता देकर, बढ़ावा दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्र में हालात की आवधिक समीक्षा करने और सतत आधार पर जरूरी अन्य प्रयास करने के लिए राज्य सरकार के साथ सघन एवं सतत समन्वय बनाए हुए हैं।

(घ) और (ङ) हिंसा तथा देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ सतत विद्रोही विरोधी अभियान चलाने में राज्य सरकार के प्रयासों के सम्पूरक के रूप में कार्य करते हुए सरकार किसी भी गुट के साथ वार्ता करने के लिए इच्छुक है बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग कर दें और भारत के संविधान के दायरे के अंतर्गत वार्ता करने के लिए आगे आएं।

सरकार ने नागालैंड में नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह) [एनएससीएन/आईएम] और नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (खापलांग) (एनएससीएन/के] के साथ युद्धविराम व्यवस्था की है। नागालैण्ड में केवल एनएससीएन/आईएम प्रखण्ड के साथ ही शान्ति वार्ताएं चल रही हैं।

अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार ने असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यूपीडीएस), दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट आफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी) के साथ, मणिपुर में कुकी नेशनल आर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रण्ट तथा मेघालय में अचिक नेशनल वालण्टीयर काउन्सिल (एएनवीसी) के साथ अभियानों का निलम्बन (एसओएस)/युद्धविराम व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय तकाम जी अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछे।

श्री संजय तकाम: अध्यक्ष महोदया पूर्वोत्तर में कार्यरत सभी भूमिगत तत्व अरुणाचल प्रदेश में अपवाद स्वरूप अरुणाचल के तिरप और चांगलांग जिलों में कुछ गांवों को छोड़कर पूर्वोत्तर के उन राज्यों में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। धमकियां, जबरन वसूली, और अपहरण की घटनाएं अरुणाचल में आम बात बन चुकी है जहां स्थानीय भूमिगत तत्व आगे नहीं आए है। परंतु अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय सभी संगठन पूर्वोत्तर के इसके पड़ोसी राज्यों से है।

मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार युद्ध विराम समझौते के अनुसार मौलिक नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने और उपाय करने जा रही है?

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदया, हम तिराप और चांगलांग की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। उल्फा अरुणाचल प्रदेश राज्य का उपयोग ट्रांजिट मार्ग के रूप में करता है और एनएससीएन/आईएम और एनएससीएन/के तिराप और चांगलांग जिलों में प्रभाव के क्षेत्र हैं।

गृह सचिव ने मार्च और अप्रैल, 2009 में राज्य सरकार के साथ स्थिति की समीक्षा की थी। हमने भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया है। सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैयार किए है। यह सच है कि एनएससीएन/आईएम और एनएससीएन/के जिनके साथ युद्ध विराम समझौता किया गया है इस करार को नियमित रूप से ही तोड़ते आ रहे है। हमने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है। हमने युद्धविराम मॉनिटरिंग समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे उल्लंघन न हों और कुछ मामलों में जहां गंभीर उल्लंघन किया गया है हमने उन्हें पीछे हटने के लिए या सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया है। परंतु मैं इस बात से सहमत हूं कि युद्ध विराम समझौते के बावजूद नियमित रूप से इसका उल्लंघन किया जाता है और हम इन उल्लंघनों पर गंभीर है।

श्री संजय तकाम: अध्यक्ष महोदया, 'शांति द्वीप' अर्थात् अरुणाचल प्रदेश में 23 दिसम्बर, 2007 को राजनीतिक और भूमिगत हत्याएं हुई। एक भूतपूर्व संसद सदस्य श्री वांग्चा राजकुमार की उनके गृह नगर में हत्या कर दी गई थी। राजकुमार की हत्या उनके गृह नगर में कर दी गई थी। राज्य सरकार ने 8 जनवरी, 2008 को यह सिफारिश की थी यह अपने आप में पहली ऐसी राजनैतिक हत्या है जिसमें कुछेक तत्व संलिप्त हैं जो अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति से संबंधित नहीं है। राज्य सरकार ने 8 जनवरी, 2008 को सी.बी.आई. से जांच कराने की सिफारिश की थी। अध्यक्ष महोदया, 17 मई 2008 को सी.बी.आई. ने इस विशेष सनसनीखेज मामले की जांच शुरू कर दी थी। अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न में, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जांच के परिणाम आ गए है। पूर्व संसद सदस्य की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सी.बी.आई. जांच की स्थिति क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मेरी जानकारी में, यह मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। यह विशेष प्रश्न कार्मिक मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये क्योंकि सी.बी.आई. प्रशासनिक दृष्टि से उन्हीं को रिपोर्ट करती है।

श्री पबन सिंह घाटोवार: पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 13 विद्रोही ग्रुप संचालित हो रहे है। बहुत सारे विद्रोही ग्रुपों का संचालन पड़ोसी देशों की सहायता से किया जा रहा है। मैं कई देशों के नाम बता सकता हूं। ऐसा बताया जाता है कि उनके कैम्प भी चल रहे है। वे अपनी इच्छानुसार आते है तथा वे सभी कार्यों को अंजाम देकर वापस चले जाते है। मैं यह जानना चाहता हूं कि

क्या भारत सरकार ने इन पड़ोसी देशों के साथ इस मामले को उठाया है कि वे हमारे देश में विद्रोही गतिविधि उत्पन्न करने के लिए हमारी भूमि का उपयोग करना बंद कर दे।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले को पड़ोसी देशों के साथ उठाया था। हम पड़ोसी देशों के साथ इस मामले को उठाते रहते हैं। लेकिन हमें सीमित सफलता मिली है। हम पड़ोसी देशों के साथ इन मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे। बांग्लादेश में नई सरकार है तथा हमारा अनुमान है कि बांग्लादेश की नई सरकार का पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में हमारी चिन्ताओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: माननीय गृह मंत्री इस सम्माननीय सभा को यह जानकारी देंगे की क्या ये बड़ी आतंकवादी इकाइयां, जैसाकि मेरे मित्र ने सभा को बताया है कि उनको पड़ोसी देशों से सक्रिय सहायता प्राप्त हो रही है जिसकी सरकार को भी जानकारी है।

श्री पी. चिदम्बरम: इन विद्रोही ग्रुपों के बहुत सारे नेता पड़ोसी देशों में पनाह लेते है। वहां पर सुरक्षित स्थान हैं। वे पड़ोसी मुल्को का इस्तेमाल भारत में हथियार आदि लाने के लिए करते हैं. इस प्रकार उनमें से कई एक पड़ोसी मुल्को से ये गतिविधियां संचालित करते हैं।

खाद्य तेल के आयात में वृद्धि

***342. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए आयातित खाद्य तेलों का आरक्षित भंडार सृजित करने और तिलहनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेल के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	खाद्य तेल का आयात
2005-06	42.88
2006-07	42.69
2007-08	49.03
2008-09 (फरवरी, 2009 तक)	62.03

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेल के आयात के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमत है। चूंकि खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए खाद्य तेलों का आयात प्राइवेट प्रचालकों द्वारा वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) आयातित खाद्य तेलों का रिजर्व स्टाक सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने देश में खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न पग उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) तिलहन, दाल, पाम तेल और मक्का की एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए 14 प्रमुक तिलहन उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत प्रजनन बीज को खरीदने, फाउंडेशन बीज का उत्पादन करने, प्रमाणित बीज का उत्पादन तथा वितरण करने, सीड मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, विडिसाइड्स जिपसम/पाइराइट/लाइम/डोलोमाइट का वितरण करने, स्प्रिंकलर सेटों तथा वाटर कैरिंग पाइपों का वितरण करने, प्रशिक्षण, प्रचार करने आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(2) प्रमुख तिलहनों का अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके किसानों को प्रोत्साहन देना।

(3) अधिक पैदावार वाली उन्नत किस्मों और उत्पादन का विकास करने और तिलहन की संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान करना।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के तेलवार आयात का विवरण

मद का प्रकार	मात्रा टन में			
	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल, 2008-फरवरी, 2009
1	2	3	4	5
सोयाबीन क्रूड तेल डब्ल्यू/एन डिगम्ड	1619594	1198264	1120218	638903
खाद्य श्रेणी का सोयाबीन तेल	13757	9169	7911	540
खाद्य श्रेणी के अतिरिक्त सोयाबीन तेल	17781	8917	10763	118
डियोडराइज्ड (सलाद तेल)	31	9	0	0
खाद्य श्रेणी का रिफाइण्ड मूंगफली तेल	0	0	0	0
अन्य	3	0	1	0
अन्य मूंगफली तेल	0	0	0	8
क्रूड पाम तेल और उसके अवयव	1959920	2541629	3276662	4032291
रिफाइंड ब्लीच्ड डियोड्रेज्ड पाम तेल	97	15318	14074	11090
रिफाइंड ब्लीच्ड डियोड्रेज्ड पामोलीन	269797	68751	160468	1119309
अन्य रिफाइंड पाम तेल	219370	140684	63696	9236
सूरजमुखी बीज तेल क्रूड	67834	108867	87086	217260
सेफ्लावर बीज तेल (कार्डी बीज क्रूड तेल)	0	0	0	2506
सूरजमुखी तेल खाद्य श्रेणी	3045	32582	154	7294
खाद्य श्रेणी सफोला तेल	0	0	3	0
नारियल (कोपरा) क्रूड तेल और अवयव	1106	46	8119	2998
नारियल (कोपरा) रिफाइंड तेल और अवयव	2963	14050	0	11911
क्रूड पाम केरनल तेल	108768	126478	147030	134158
रिफाइंड पाम केरनल तेल और उसके अवयव	899	973	292	763
रिफाइंड बाबासु तेल और उसके अवयव, खाद्य श्रेणी	0	0	0	0
रिफाइंड बाबासु तेल और उसके अयव, खाद्य श्रेणी के अतिरिक्त	0	0	0	0
क्रूड रेप तेल	0	21	0	8970

1	2	3	4	5
खाद्य श्रेणी का रिफाइंड रेपसीड तेल	1	1	1	0
अन्य क्रूड लो एरुक एसिड रेप कोल्जा तेल	0	0	0	1164
क्रूड के अतिरिक्त अन्य लो एरुक एसिड रेप कोल्जा तेल	0	3	0	0
क्रूड कोल्जा तेल	0	2	0	0
क्रूड सरसों तेल	0	0	0	39
खाद्य श्रेणी का रिफाइंड सरसों तेल	31	6	0	0
क्रूडनेस के अतिरिक्त अन्य रेप कोल्जा सरसों तेल	73	7	45	0
खाद्य श्रेणी के क्रूड के अतिरिक्त सीसेम तेल और उसके अवयव	25	43	38	59
खाद्य श्रेणी के निर्धारित वनस्पति तेल अर्थात् मेंगो केरनल, महुआ, चावल की भूसी का तेल	3013	3555	6826	3785
खाद्य श्रेणी का मूंगफली तेल	0	0	0	182
कुल जोड़	4288109	4269375	4903388	6202584

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह प्रश्न मूल्य वृद्धि से संबंधित है। यह कृषि मंत्री से संबंधित है। यह मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रश्न है। वक्तव्य चौंकाने वाला है। इसे सभी सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया है। इस वक्तव्य के अनुसार, महोदया, यह कहा गया है कि वर्ष 2005-06 में खाद्य तेल का आयात 42.88 लाख टन था तथा यह वर्ष 2008-09 में फरवरी 2009 तक 62.03 लाख टन हो गया है। मेरे अनुमान तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार खाद्य तेल के आयात में 86 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अत: यह प्रश्न उठता है कि खाद्य तेल का इतना अंधाधुंध और असामान्य आयात क्यों किया गया है। ऐसा कमी की वजह से किया गया है अथवा इसका कोई और कारण हो सकता है। परन्तु मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात में इस तरह की असामान्य वृद्धि के बावजूद, मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दिल्ली तथा अन्य सभी जगहों में खाद्य तेल 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जा रहा है।

उद्योग द्वारा प्रश्न को उठाया जा रहा है, हमारे जैसे वामपंथी के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। यह केवल उद्योग द्वारा उठाया जा रहा है। उद्योग यह कह रहे हैं कि इतना असामान्य आयात कमी से संबंधित नहीं है। बल्कि सरकार ने आयात शुल्क को कम करके शून्य कर दिया है और इसी वजह से इतना भारी आयात लापरवाही में किया गया है।

अत: माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार से आयात करके, सरकार किसकी मदद कर रही है? क्या इसका कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या उद्योग पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है? ऐसा कहा जा रहा है खाद्य तेलों के आयात से हमारे स्वदेशी उद्योग जैसे कि पाम आयाल और नारियल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार से लाभकारी है तथा क्या यह साबित हो चुका है कि यह पूरी तरह से अलाभकारी है और क्या इसने देश के स्वदेशी उद्योगों को प्रभावित किया है।

श्री शरद पवार: महोदया, सरकार इन वस्तुओं का आयात करके बहुत खुश नहीं है। परन्तु मुख्य रूप से, दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती है। वास्तव में, यदि हम कुल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, तो तिलहन का उत्पादन भी बढ़ रहा है। परन्तु मांग कुल उत्पादन से अधिक है। यदि हम वर्ष 2004-05 में तिलहन उत्पादन देखें तो वह 243.54 लाख टन रहा था। अगले ही वर्ष यह 279 लाख टन था। 243.54 लाख टन से यह बढ़कर 279 लाख टन हो गया था। वर्ष 2006-2007 में यह कम होकर 242 लाख टन हो गया। गत वर्ष पुन: यह 242 लाख टन से बढ़कर 297 लाख टन हो गया। इसलिए बढ़ोत्तरी हो रही है। परन्तु देश में अत्यधिक मांग है, जनता के पूरे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। उनके खानपान की आदतें बदल रही है। इसी वजह से मांग बढ़ी है।

यदि उपलब्धता मांग की तुलना में कम होती है तो क़ीमतें निश्चित रूप से बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में, मांग तथा उपलब्धता के मध्य जो भी अंतर है, हमें उस अंतर को पाटना होता है। या तो हमें यहां पर परिश्रम करके उत्पादन में सुधार करना है- यह एक तरीका है- तथा दूसरा हाल फिलहाल में उचित मूल्य पर आयात की अनुमति दे दें। घरेलू उत्पादन के लिए, हमने कई योजनाएं आरंभ की है। हमने एक विशेष स्कीम को 14 राज्यों में आरंभ किया है जहां पर आवश्यक तिलहन का उत्पादन होता है। इन 14 राज्यों में भारत सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न किस्मों के बीजों की आपूर्ति कर रही है और बीजों पर राजसहायता प्रदान कर रही है तथा उन्हें बहुत सारे अन्य कृषि उपकरण और अन्य सुविधाएं दे रही है। इसी कारण हमारे उत्पादन में सुधार हो रहा है। यह एक वजह है।

परन्तु अभी भी यदि मांग अधिक है। हमें देखना है कि अंतर को किस प्रकार से पूरा करेंगे। तथा उसी कारण से हमने कच्चे तेल पर शुल्क कम करके जीरो परसेंट करने का निर्णय लिया था। हमने कच्चे तेल पर इसलिए शुल्क को कम किया था क्योंकि कच्चे तेल का आयात कर उसे यहां पर प्रसंस्कृत किया जा सके। इस प्रकार से हम घरेलू उद्योगों की क्षमता का भी उपयोग कर सकते है। इसलिए हमने कच्चे तेल पर कोई शुल्क नहीं लगाया है तथा हम आयात को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि यह देश में उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने एक स्कीम आरम्भ की है जिसमें भारत सरकार 15 रुपये प्रति लीटर की राजसहायता प्रदान करा रही है। कुछेक राज्यों ने उस स्कीम को आरम्भ कर दिया है।

आंध्र प्रदेश ने उस स्कीम का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है। कुछेक राज्य ऐसे भी है जिन्होंने पहल शुरू कर दी है।

यदि हम खाद्य तेल विशेषकर सोयाबीन तथा अन्य की समस्त मूल्य स्थिति का अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक तौर पर गत एक माह या उससे थोड़े अधिक समय के भीतर कीमतों में कमी आई है। लेकिन, मैं अभी भी खुश नहीं हूं। अंततः, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और किस प्रकार आयात को कम कर पाएंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह कोई मुद्दा भी नहीं है। सफलता पलभर में हासिल नहीं की जा सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक लगातार कार्य करना पड़ता है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, माननीय मंत्री अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं- यह सही है कि मांग और आपूर्ति की समस्या है। भारत में पिछले छह अथवा सात वर्षों से मांग और आपूर्ति की समस्या चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदया, कृपया आंकड़ों को देखिए। पिछले पांच-छह वर्षों से मांग-आपूर्ति की समस्या चल रही है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केवल मांग-आपूर्ति की समस्या है बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि सरकार देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम आयात पर निर्भर न हों क्योंकि आयात पर निर्भरता का मतलब है विदेशी मुद्रा का अभाव और इससे हमारे घरेलू उद्योग भी प्रभावित होंगे।

श्री शरद पवार ने छह वर्षों से भी अधिक समय से कृषि मंत्रालय का दायित्व सम्भाला है। अतः कृषि मंत्री के रूप में उन्हें यह स्पष्टीकरण देना होगा कि इस अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हुई। अतः मेरा उनसे यह सीधा सवाल है कि घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने और ऐसा परिवेश बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे देश आयात पर अश्रित न रहे और इस विषय पर विचार करते हुए क्या सरकार इस संबंध में बिना और विलम्ब किए तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को पुनः चालू करने पर विचार करेगी और क्या इस मिशन को सरकार वित्त पोषित करेगी तथा मांग-आपूर्ति समस्या का मूक-दर्शक न बनकर सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री शरद पवारः महोदया, सरकार इस समस्या की मूक दर्शक नहीं है। जैसाकि मैंने कहा कि हमने तिलहनों संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित योजना शुरू की है जिसे 14 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है जहां प्रजनक बीज की खरीद के लिए हम वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, एक और बात है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवारः परन्तु यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें उत्तर देने दीजिए। आपने एक विस्तृत प्रश्न पूछा है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, देश में जमाखोरी की गहरी आशंका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री शरद पवारः मूलतः, प्रजनक बीज खरीदने, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिट, पौध संरक्षी रसायन, पौध संरक्षी उपकरण, खर-पतवार नाशक,

जिप्सम के वितरण और कई अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह एक ऐसी योजना है जिसे आज सरकार कार्यान्वित कर रही है।

इसका प्रभाव भी है। यदि हम तिलहनों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो यह पाएंगे कि वर्ष 2002-03 में देश में तिलहनों का कुल उत्पादन 148 लाख टन था। जोकि वर्ष 2004-05 में 243 लाख टन हो गया और वर्ष 2005-06 में 279 लाख टन हो गया। वर्ष 2006-07 में यह 242 लाख टन हो गया। वर्ष 2007-08 में 297 लाख टन हो गया। इस वर्ष इसका लगभग 288 लाख टन का उत्पादन होने का अनुमान है। इसमें एक वर्ष में निश्चित रूप से गिरावट आई है परन्तु यदि हम पांच वर्ष के आंकड़ों को देखें तो यह पाएंगे कि कम से कम चार वर्षों में इसके उत्पादन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और साथ-साथ इसकी खपत और मांग में कमोबेश सुधार तो हुआ है।

उदाहरण के लिए वर्ष 2004-05 में हमारे देश में इसकी खपत 117.89 लाख टन रही; अगले वर्ष में खपत 126 लाख टन; वर्ष 2007-08 में 142 लाख टन और 2008-09 में 151 लाख टन रही। अत: प्रत्येक वर्ष में मांग और खपत में बढ़ोत्तरी हुई और हमारे उत्पादन में भी सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी उत्पादन और खपत के बीच अंतर है। इसके लिए दो समाधान हैं। पहला तो यह कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। दूसरा तो यह कि फिलहाल-उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसका आयात किया जाए और आयात किए जाने की स्थिति में हमें यह देखना होगा कि इस पर कोई शुल्क न लगे। अंतत: यह किसानों, नागरिकों और आम उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा।

अध्यक्ष महोदया: श्री चन्द्रकांत खैरे-उपस्थित नहीं।

श्री पी.टी. थॉमस।

श्री पी.टी. थॉमस: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान पॉम तेल जैसे खाद्य तेल की आयात के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिससे केरल में नारियल तेल उद्योग पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रस्तावित आसियान समझौते में भी केरल के किसानों पर कुप्रभाव पड़ने की आशंका है जो कि एक गम्भीर मामला है, गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या केरल में नारियल उत्पादकों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई सुरक्षोपाय किए जाने हैं? मेरा प्रश्न यही है।

श्री शरद पवार: जैसाकि मैंने कहा कि हम आयात कर रहे हैं, और पॉम के कच्चे तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं है। परन्तु नारियल तेल पर अत्यधिक शुल्क लगा है। इसलिए हम नारियल तेल के आयात को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इतना ही नहीं हम सोया तेल का आयात करते हैं, परन्तु हम केरल में स्थित किसी भी पत्तन से पॉम तेल की आयात की अनुमति नहीं देते हैं। यह इसलिए है क्योंकि हम नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इसी कारण से नारियल तेल के लिए प्रशुल्क दर पृथक है जो कि आयात के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। दूसरे हम उस विशिष्ट क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

जहां तक आसियान के प्रश्न का संबंध है, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अंतत: हमें इस मामले में थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा कि हम आसियान देशों को कितना निर्यात करने जा रहे हैं और आसियान देशों से कितना आयात किया जा रहा है। यदि आसियान देशों से अधिक आयात किया जाएगा, तो संभवत: हमें कुछ क्षेत्रों में परेशानी भी उठानी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, पॉम तेल का आयात......के माध्यम से किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: बहुत-बहुत धन्यवाद। चार दिन के बाद आपने हमें बोलने का मौका दे ही दिया।

अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है, यह सही है, दूसरी तरफ जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ रही है-जनसंख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है, थोड़ी कम बढ़ रही है।

दूसरी गंभीर बात यह है कि तीन फीसदी उपजाऊ जमीन प्रति वर्ष कम होती जा रही है-कहीं अस्पताल के निर्माण में, कहीं कारखाने इत्यादि में। इसी प्रकार बहुत सारे मकान बन रहे हैं और शहर भी बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार कम से कम तीन से चार फीसदी जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उत्पादन कुछ बढ़ा है लेकिन आपने देश में दीर्घकालीन हित में क्या उपाय किये हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में उत्पादन घटेगा, उस परिस्थिति से निपटने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं, क्या विचार है और क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पूछा गया प्रश्न एक व्यापक प्रश्न है जिसमें जनसंख्या वृद्धि से लेकर भूमि उपलब्धता के विषय शामिल हैं।

[हिन्दी]

यह बात सच है कि हमारे देश में दिन पर दिन जमीन पर आबादी का प्रैशर बढ़ रहा है। इस देश के 82 प्रतिशत किसान दो हैक्टेयर के अंदर वाले हैं। दिन पर दिन जमीन कम हो रही है, जमीन पर बोझ बढ़ रहा है।

ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव निकालना होगा। किसान परिवार के सभी लोगों को खेती ही करनी चाहिए, इस स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। इनके लिए कोई नये रास्ते तलाशने की हमें कोशिश करनी होगी। जमीन का प्रेशर हमें कम करना होगा। खेती किस तरह से वायबल होगी, इस पर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन यह ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में हो जाए। जिस तरह से देश की ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है, जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है, इससे जमीन का प्रेशर कम होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब हमें आजादी मिली, तब 80 प्रतिशत लोग खेती करते थे, आज 61 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। खेती से अन्य क्षेत्रों की ओर जाने की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई है, कई लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम जमीन का प्रेशर कम नहीं करेंगे और लोगों के लिए खेती लाभकारी नहीं होगी, तब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे और यह समस्या हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम सभी को मिलकर सोचना होगा और आगे का रास्ता ढूंढना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 343 श्रीमती विजया चक्रवर्ती–उपस्थित नहीं।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ।

...(व्यवधान)

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

***343. [+] डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**
श्रीमती विजया चक्रवर्ती:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के अलावा कोई अन्य सुविधाएं प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को राज्यों में अलग-अलग दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की दरों में समानता लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के अंतर्गत पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के अलावा निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जा रही हैं:-

* स्वतंत्रता सेनानी एवं विधवा को एक साथी के साथ आजीवन रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए सी स्लीपर)।
* केन्द्र सरकार ने सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा। स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को सीजीएचएस की सुविधा भी दी गई है।
* केवल आधा किराया भुगतान करने पर अवस्थापन प्रभार के बिना टेलीफोन कनेक्शन, बशर्ते कि व्यवहार्य हो।
* स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल (विवेकाधीन कोटा के समग्र 5% के अंतर्गत) रिहायशी आवास/स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसका विधुर/विधवा को भी मृत्यु के छह माह पश्चात की अवधि तक रिहायश धारित करने की अनुमति; और
* उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिनकी देखभाल करने वाला अपना कोई नहीं है, दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी गृह स्थापित किया गया है।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पूर्व अण्डमान स्वतत्रता सेनानी निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त करने के भी हकदार हैं:-

* साल में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की एक बार अपने एक परिवार के साथ यात्रा करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी विधवा को मुफ्त समुद्री यात्रा।

* साल में एक बार अपने एक साथी के साथ अण्डमान निकोबार आने के लिए स्वतंत्रता सेनानी को मुफ्त हवाई यात्रा।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य पेंशन की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं। इनका विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

डॉ. के.एस. राव: महोदया, खाद्य तेल के आयात से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, मैं डॉ. मन्दा जगन्नाथ को प्रश्न 343 से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए पहले ही कह चुकी हूं।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ: अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों तथा नि:स्वार्थ संघर्ष के कारण ही आज हम एक स्वच्छंद और स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं। महोदया, स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के पश्चात् भी हैदराबाद लिब्रेशन मुवमेंट के स्वतंत्रता सेनानी वर्षों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तथा अन्य स्वीकृत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् 60 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश से जुड़े इस प्रकार के कितने मामले अभी तक लंबित हैं और सरकार ने इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य स्वीकृत सुविधायें विशेषकर उनको जिन्हें यह स्वीकृत नहीं की गई है, दिये जाने हेतु मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: जहां तक हैदराबाद लिब्रेशन मूवमेंट का सवाल है, जैसा कि सभा को विदित है, हमने एक समिति, दूसरी समिति तथा अब तीसरी समिति गठित की है। पहली दो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 10,500 लोगों को पेंशन दी गई है। मुझे बताया गया है कि संभवत: अन्य 4,000 मामले लंबित हैं। मैं समिति से गत सप्ताह ही मिला हूं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे लोग अत्यधिक उम्रदराज हैं अत: उनके मामले को गंभीरता से लेते हुए 4,000 मामलों में शीघ्रता से सिफारिश की जाए। उन्होंने अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करने का वादा किया है। मुझे लगता है, गत बैठक में उन लोगों ने 400 मामले निपटाये हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे यथाशीघ्र प्रक्रिया को पूरा करें।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ: महोदया, वर्ष 1997-98 में सी.एच. राजेश्वर राव समिति ने 13,500 मामलों की सिफारिश की। उस पर सरकार ने 15,000 व्यक्तियों को पेंशन देने की सहमति दी। महोदया, आप आकलन कर सकती हैं कि 1997-98 से कितना समय बीत चुका है। इस बीच, कल एक माननीय सदस्य बता रहे थे जिस व्यक्ति के नाम से ही उन्होंने सिफारिश की थी उसकी कल मृत्यु हो गई। यह अत्यधिक पुराना लंबित मामला है जिस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पेंशन स्वीकृत करने के लिए कोई अंतिम तिथि तय की है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं बताना चाहूंगा कि वह अंतिम तिथि कल है। लेकिन मैं वह कर नहीं सकता। समिति नियुक्त की गई है जिसमें काफी बुर्जुग, प्रख्यात तथा जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं। वे दिल्ली आये, यहां बैठक की, वे मुझ से मिले और मैंने इस समिति से अनुरोध किया है कि वह लंबित लगभग 4,000 मामलों को निपटाये और हमें उनकी सिफारिश सौंपे। लगभग 10,500 व्यक्तियों को पेंशन दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के अलावा कोई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है? मैं चार-पांच साल से कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मंत्रालय के पास पेंशन के तेइस आवेदन लंबित है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया संक्षेप में अपनी बात करेंगे। प्रश्न काल समाप्त हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: इसके बारे में उन्हें जल्दी पेंशन देने के लिए क्या उपाय करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यह तो संभव नहीं है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन का नया मामला प्रथम बार वर्ष 2008 अथवा 2009 में दाखिल किया जाएगा। यह संभव नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा मामला बिल्कुल नहीं हो सकता। इनमें से

अधिकांश मामलों के आवेदन वर्षों पहले दिये गए थे। वे या तो स्वीकृत होते या अस्वीकृत हो जाते। अस्वीकृत आवेदनों की पुन: समीक्षा हो सकती थी। ऐसे बहुत कम मामले होंगे जब लोगों ने वर्ष 2009 में पहली बार आवेदन किये हों क्योंकि स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी। आज की तारीख में हमारे पास कोई नये मामले नहीं हैं। लेकिन जब भी मेरे या मेरे साथी मंत्रियों के पास कोई आवेदन आया है, हम उसका शीघ्र निपटान करने तथा कुछ दिनों के भीतर ही फाइल मंत्री महोदय को पुन: प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं। अगर वे हमें उन 23 मामलों के बारे में बतायें तो मैं निश्चित रूप से इस बारे में जवाब दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की गुणवत्ता

***344. श्री नरहरि महतो:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का वितरण गुणवत्ता नियंत्रण जांच के अध्यधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) खरीदारी के दौरान और भंडारण के दौरान नियमित अंतरालों पर खाद्यान्नों की विहित पद्धति और विनिर्दिष्टियों के अनुसार गुण नियंत्रण जांच की जाती है।

(2) राज्य सरकारों को स्टाक जारी करते समय उन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का उठान करने से पूर्व निरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी खाद्यान्नों के नमूने उचित दर दुकानों पर प्रदर्शन करने हेतु राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए और सील किए जाते हैं।

(3) केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित दर दुकानों की औचक जांच करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें:

(1) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया गुणवत्ता के आयातित गेहूं की आपूर्ति के बारे में माननीय संसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा महाजन से दिसम्बर, 2006 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इन्दौर में उचित दर दुकान से नमूना लिया गया और उसे नगर निगम की शाखा प्रयोगशाला में जांचा गया तथा यह पाया गया कि वह पी.एफ.ए. मानदंडों के अनुरूप था।

(2) आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता संगठन, जिला-अजमेर (राजस्थान) से दिसम्बर, 2006 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने कार्मिकों द्वारा सत्यापन के बाद जारी किया गया आयातित लाल गेहूं भारत सरकार की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे आयातित गेहूं की गुणवत्ता के बारे में महाराष्ट्र सरकार से अक्तूबर, 2006 और अप्रैल, 2007 में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार ने यह सूचित किया कि मुम्बई और पुणे में उचित दर दुकानों से उनके द्वारा दिए गए कुछ आयातित गेहूं के नमूनों को मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं पाया गया। महाराष्ट्र में जारी किए गए खराब लाल गेहूं के वितरण के बारे में पूर्व संसद सदस्य डा. किरीट सोमैया ने भी दो शिकायतें की थीं। आयातित गेहूं के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के कार्मिकों द्वारा संयुक्त

रूप से भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडारण डिपो, जीएम बोरिवली और भिवांडी से लिए गए और महाराष्ट्र सरकार राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे में उसका विश्लेषण किया गया था। ये नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप तथा मानवीय उपभोग के लिए उचित पाए गए।

(4) जुलाई, 2007 में आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को यह सूचित किया कि उचित दर दुकान के डीलरों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनके द्वारा जारी किए गए गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की थी। जांच के बाद यह पाया गया कि जारी किए गए गेहूं के स्टाक निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप थे। शिकायत भारतीय गेहूं की तुलना में आयातित गेहूं को प्राथमिकता दिए जाने से संबंधित थी।

(5) गुजरात में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए जा रहे घटिया खाद्यान्नों के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नवम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 में किसी स्थान का उल्लेख किए बिना दो शिकायतें की थीं। भारतीय खाद्य निगम को यह अनुदेश जारी किए गए कि वे गुजरात राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अच्छी किस्म के खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(6) आल बंगाल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पश्चिम बंगाल को की गई शिकायत की एक प्रति मई, 2009 में प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया किस्म के गेहूं के स्टाक जारी किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता के गेहूं की आपूर्ति की जाए।

(7) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम डिपो से घटिया किस्म के गेहूं की आपूर्ति के बारे में श्री जयकिशन, माननीय विधायक, दिल्ली से जून, 2009 में एक शिकायत प्राप्त हुई। मामले की जांच की गई। जांच के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम से यह कहा गया कि वे तत्काल उपचारात्मक कदम उठाएं और उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना

***345. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चालू योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह कार्य योजना देश में आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। गृह मंत्रालय की कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ आसूचना तंत्र को चुस्त बनाने की पहलें; केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान और परिचालनात्मक समन्वय करना; बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) के पदनामित सदस्यों, पहचान किए गए 30 महत्वपूर्ण अवस्थानों में एमएसी और सहायक बहु-एजेंसी केन्द्रों (एसएमएसी) और एसएमएसी और राज्य विशेष शाखाओं के बीच आनलाइन, समर्पित और सुरक्षित संबंध स्थापित करना ताकि सुरक्षा, आधारभूत संरचना की तैयारी और उन्नयन के स्तर में वृद्धि की जा सके, राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करना, सुदृढ़ बनाना; राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र स्थापित करना; स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सुदृढ़ बनाना; हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) में स्पेशल टैक्टिकल विंग का सृजन करना; विद्रोह रोधी और आतंकवाद विरोधी विद्यालय स्थापित करना; हथियारों और अस्त्र-शस्त्रों आदि का शीघ्र प्रापण करना शामिल है।

(घ) मंत्रालय की कार्य योजना का उद्देश्य, देश में पुलिस और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरों से कारगर ढंग से निपटा जा सके।

यूथ हॉस्टल

***346. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:**
श्री एन. चेलुवराया स्वामी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूथ हॉस्टल की स्थापना के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितने यूथ हॉस्टल स्थापित किए गए और इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा राज्य-वार इसकी स्थापना कहां-कहां हुई है;

(घ) क्या सरकार का कर्नाटक सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक यूथ हॉस्टल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या विभिन्न राज्यों में यूथ हॉस्टलों की स्थापना के प्रस्ताव लंबित हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन यूथ हॉस्टलों को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में छह (06) युवा हॉस्टल निर्मित किए गए हैं। इन युवा हॉस्टलों की विस्तृत सूचना इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	निर्मित युवा हॉस्टलों की सं.	राज्य	युवा हॉस्टल का स्थान	जारी की गई कुल राशि (राशि रु. में)
1.	2006-07	1	हरियाणा	रेवाड़ी	1,04,00,000/-
2.	2007-08	2	कर्नाटक	सोगालू	64,20,000/-
			मध्य प्रदेश	खजुराहो	92,40,000/-
3.	2008-09	3	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	1,46,42,000/-
			तमिलनाडु	उटी	1,05,00,000/-
			उत्तराखंड	बद्रीनाथ	1,79,00,000/-
4.	2009-10 (अब तक)	शून्य	-	-	-

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने के कार्य में प्रगति

***347. श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 27000 किमी. खंड को चार लेन का बनाए जाने के लिए प्रयास शुरू किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली से रामपुर, मुरादाबाद, बरेली आदि होते हुए लखनऊ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-24 सहित राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) प्रस्तावित कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली से लखनऊ तक रारा-24 को चार लेन का बनाए जाने के कार्य की प्रगति सहित चार लेन बनाए जाने के कार्यक्रम, उनकी प्रगति का विवरण और कार्य पूरा किए जाने की संभावित तिथि संलग्न विवरण में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

I. चार लेन का बनाए जाने के कार्यक्रम और उनकी प्रगति का विवरण

परियोजना	कुल लंबाई (किमी.)	पूरी की गई लंबाई (किमी.)	कार्यान्वयनाधीन लंबाई (किमी.)	पूरा किए जाने की संभावित तिथि
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-I	7,498	7,226	116	दिसंबर 2010
(एनएचडीपी) चरण-II	6,647	3,192	2,703	दिसंबर, 2010
(एनएचडीपी) चरण-III	12,109	890	2,038	दिसंबर, 2013
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना (एसएआरडीपी-एनई)	924	–	–	दिसंबर, 2015
जोड़	27,178	11,308	4,907	

II. दिल्ली से लखनऊ तक रारा-24 को चार लेन का बनाए जाने के कार्य की प्रगति का विवरण

खंड	वर्तमान प्रगति (जून, 2009 तक)	पूरा किए जाने की संभावना तिथि
दिल्ली से हापुड़	पहले से ही चार लेन का है	
हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर	39.03%	दिसंबर, 2010
गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद	91.24%	अगस्त, 2009
मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत विद्यमान खंड नामत: मुरादाबाद से बरेली (लंबाई-112 किमी.) और बरेली से सीतापुर (लंबाई-152 किमी.) को चार लेन का बनाने की दो परियोजनाएं है। इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। निविदाएं पहले ही निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (पथकर) आधार पर आमंत्रित की गई हैं जिन्हें 17.8.2009 को प्राप्त किया जाना है।	चूंकि परियोजना को सौंपने के कार्य को अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है इसलिए इस स्तर पर कार्य पूरा किए जाने की प्रस्तावित तिथि बता पाना संभव नहीं है।
सीतापुर से लखनऊ	30%	जून, 2010

सस्ती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण

***348. श्री प्रबोध पांडा:**
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस समय कार्यान्वित की जा रही मौजूदा खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एकल योजना में विलय करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना को वित्त-पोषित करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को किस प्रकार वित्त-पोषित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (छ) प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों सहित विभिन्न पहलुओं को निश्चित करने के काम पर फिलहाल विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रथम परामर्श 10 जून, 2009 को किया गया था। इसके आधार पर अब तक 17 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ 11 जून और 1 जुलाई, 2009 को परामर्श किया गया था। उनके विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रस्तावित कानून के फ्रेम वर्क की चल रही जांच में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित मौजूदा खाद्य आधारति स्कीमों के एकीकरण के पहलू भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य

***349. श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री राजू शेट्टी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने हाल ही में गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य/न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अगस्त, 2008 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में चीनी मौसम 2009-10 के लिए चीनी उत्पादकों के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर इस शर्त के अध्यधीन निर्धारित करने की सिफारिश की है कि रिकवरी में उक्त स्तर से अधिक के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि हेतु 1.39 रुपये का प्रीमियम देय होगा।

(ग) और (घ) सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद चीनी उत्पादकों के लिए चीनी मौसम 2009-10 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर 107.76 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर इस शर्त के अध्यधीन निर्धारित किया है कि रिकवरी में उक्त स्तर से अधिक के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि हेतु 1.13 रुपये का प्रीमियम देय होगा। यह निर्णय निम्नलिखित पर आधारित था:-

(1) उत्पादन की लागत;

(2) उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत; और

(3) खाद्यान्न क्षेत्र का गन्ने के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनुपातिक विपथन रोकने के लिए, जो देस की खाद्य सुरक्षा प्रभावित कर सकता है।

यह वह न्यूनतम मूल्य है जो किसी भी किसान को चीनी कारखाने में उसके द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए मिलेगा। चीनी कारखाना यदि चाहे तो 9.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी के लिए प्रीमियम सहित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा कर सकता है।

(ङ) पिछले तीन चीनी मौसम और वर्तमान मौसम के दौरान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत सांविधिक न्यूनतम मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

चीनी मौसम	9 प्रतिशत मूल रिकवरी से संबद्ध कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत सांविधिक न्यूनतम मूल्य	9 प्रतिशत मूल रिकवरी से संबद्ध सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य
2005-06	79.50	79.50
2006-07	80.25	80.25
2007-08	81.18	81.18
2008-09	81.18 (अगस्त, 2007 में प्रस्तुत कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार)	81.18
2008-09	27.3.2008 को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में 125+केन्द्र सरकार द्वारा अदा किया जाने वाले बोनस के रूप में 30 रुपये	अस्वीकृत

(च) और (छ) चीनी मौसम 2009-10 के लिए 25.6.2009 को गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने के बाद इसे बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना

***350. श्री भक्त चरण दासः**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में निर्धन परिवारों में से सर्वाधिक निर्धन परिवारों को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्न योजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है तथा उनकी मासिक हकदारी कितनी है और उन्हें किस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ग) उक्त स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा आवंटित की गई तथा कितनी मात्रा उठाई गई;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त स्कीम का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्यान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में निर्धनतम पर केन्द्रित करने के लिए दिसम्बर, 2000 से अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल इस स्कीम के अधीन लगभग 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार कवर किए जा रहे हैं। उनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 2008-09 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को 12 राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समवर्ती मूल्यांकन करने का काम सौंपा था। मूल्यांकन के अनुसार 9 राज्यों में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को उनकी 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की पात्रता के आसपास खाद्यान्न मिल रहे थे, जबकि अन्य तीन राज्यों में कम खाद्यान्न मिल रहे थे। इन आकलन रिपोर्टों को अंत्योदय अन्न योजना सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

विवरण I

अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों की पहचान की स्थिति

30.6.2009 की स्थिति के अनुसार
(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार ग.रे.नी. परिवारों की संख्या	अं.अं.यो. परिवारों की अनुमानित संख्या					अं.अं.यो. की पहचान और जारी राशनकार्ड				
			आरंभिक	पहला विस्तार	दूसरा विस्तार	तीसरा विस्तार	जोड़	आरंभिक विस्तार	पहला विस्तार	दूसरा विस्तार	तीसरा विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380
3.	असम	18.36	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040
4.	बिहार	65.23	10.000	5.003	4.802	5.205	25.010	10.000	5.003	4.802	4.480	24.285
5.	छत्तीसगढ़	18.75	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189
6.	दिल्ली	4.09	0.626	0.315	0.301	0.326	1.568	0.626	0.315	0.301	0.26	1.502
7.	गोवा	0.48	0.073	0.037	0.035	0.039	0.184	0.073	0.037	0.035		0.145
8.	गुजरात	21.20	3.250	1.626	1.561	1.691	8.128	3.250	1.626	1.561	1.661	8.098
9.	हरियाणा	7.89	1.209	0.606	0.581	0.629	3.025	1.209	0.606	0.581	0.528	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	1.129	0.564	0.542	0.587	2.822	1.129	0.564	0.542	0.322	2.557
12.	झारखंड	23.94	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179
13.	कर्नाटक	31.29	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997
14.	केरल	15.54	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816
16.	महाराष्ट्र	65.34	10.017	5.011	4.810	5.215	25.053	10.017	5.011	4.810	4.801	24.639
17.	मणिपुर	1.66	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636
18.	मेघालय	1.83	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702
19.	मिजोरम	0.68	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	नागालैंड	1.24	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475
21.	उड़ीसा	32.98	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645
22.	पंजाब	4.68	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794
23.	राजस्थान	24.31	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321
24.	सिक्किम	0.43	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165
25.	तमिलनाडु	48.63	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646	7.455	3.730	3.580	38.81	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945
28.	उत्तराखंड	4.98	0.763	0.382	0.367	0.397	1.909	0.763	0.382	0.367		1.512
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	7.939	3.973	3.813	4.132	19.857	7.939	3.973	2.887		14.799
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.043	0.021	0.021	0.022	0.107	0.043				0.043
31.	चंडीगढ़	0.23	0.035	0.018	0.017	0.018	0.088	0.015				0.015
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.028	0.013	0.013	0.015	0.069	0.028	0.013	0.011		0.052
33.	दमन और दीव	0.04	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012
35.	पुदुचेरी	0.84	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322
	कुल	652.03	99.946	50.021	48.001	52.030	249.998	99.926	49.982	47.035	45.806	242.749

विवरण II

अंत्योदय अन्न योजना के तहत वर्ष 2008-09 में चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	654.288	644.569
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.972	15.860
3.	असम	295.692	295.009
4.	बिहार	1,019.988	772.495
5.	छत्तीसगढ़	301.944	301.944
6.	दिल्ली	63.084	53.161
7.	गोवा	6.108	5.356
8.	गुजरात	340.080	340.753
9.	हरियाणा	122.820	112.235
10.	हिमाचल प्रदेश	82.740	83.703
11.	जम्मू और कश्मीर	107.388	111.223

1	2	3	4
12.	झारखंड	385.536	367.101
13.	कर्नाटक	503.892	503.729
14.	केरल	250.260	250.585
15.	मध्यप्रदेश	664.260	655.125
16.	महाराष्ट्र	1,034.880	902.623
17.	मणिपुर	26.724	22.905
18.	मेघालय	29.484	29.739
19.	मिजोरम	10.986	10.070
20.	नागालैंड	19.968	21.246
21.	उड़ीसा	531.120	531.950
22.	पंजाब	75.360	46.533
23.	राजस्थान	391.488	377.563
24.	सिक्किम	6.936	6.936
25.	तमिलनाडु	783.144	827.174
26.	त्रिपुरा	47.520	48.879
27.	उत्तर प्रदेश	1,719.480	1,608.775
28.	उत्तराखंड	63.516	55.065
29.	पश्चिम बंगाल	621.684	512.809
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.800	1.449
31.	चंडीगढ़	0.822	0.526
32.	दादरा और नगर हवेली	2.196	2.196
33.	दमन और दीव	0.636	0.100
34.	लक्षद्वीप	0.492	0.492
35.	पुदुचेरी	13.548	4.759
	कुल	10,195.770	9,524.637

[हिन्दी]

भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध

***351. श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया में दिखाए जा रहे भ्रामक और छद्म विज्ञापनों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार संगत कानूनों में संशोधन करके ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (निजी टीवी चैनलों) में भ्रामक और छद्म विज्ञापनों को प्रसारित किए जाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारतीय प्रैस परिषद (पी.सी.आई.), जोकि भारतीय प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है, द्वारा भ्रामक और छद्म विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा केबल टीवी नियमों के अनुसार, केबल और उपग्रह टीवी चैनलों पर मदिरा और तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, केबल नियमों के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन भी निषिद्ध हैं जिनसे जनता द्वारा यह निष्कर्ष निकालने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद में कोई विशेष गुण या विशेषता है जिसे प्रमाणित करना कठिन हो। इसके अलावा, उक्त नियमों के अनुसार, विज्ञापन के क्षेत्र में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा यथा अंगीकृत, स्व-विनियमन संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाएगा तथा इसमें यह भी प्रावधान है कि विज्ञापन न तो तथ्यों को विरूपित करेगा और न ही उपभोक्ता को गुमराह करेगा।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, प्रिंट मीडिया की विषय-वस्तु पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तथापि, भारतीय प्रैस परिषद स्व-प्रेरणा से अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसे विज्ञापनों का अनुवीक्षण करती है और संज्ञान लेती है जिनके बारे में वह प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो कि उनसे पत्रकारिता व्यवसाय संबंधी आचरण का उल्लंघन हुआ है। तदनुसार, प्रैस को स्व-विनियमन अपनाने के लिए राजी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रैस परिषद समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापनों के प्रकाशन आदि के संबंध में उनका मार्गदर्शन करने की बाबत निदेश/अपील जारी करती रही है। भारतीय प्रैस परिषद ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 13 (2)/(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण संबंधी मानदण्ड बनाए हैं।

विवरण

गत 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रामक और सरोगेट विज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति। टीवी चैनलों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (09.07.2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
		वर्ष 2006-07	
1.	संस्कार चैनल	18.11.2005 को 'डी केयर प्लस' (आयुर्वेदिक) के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
2.	आस्था	01.01.2005 को 'हाइको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
3.	आई टीवी	30.09.2005 को 'हाइको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
4.	एएक्सएन	08.11.2005 को 'योको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
5.	जी पंजाबी	02.11.2005 को 'हर्बल स्लिम टी' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
6.	सोनी टीवी	30.09.2005 को 'हाइको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
7.	आज तक	1.10.2005 को 'ओकेए गुड हाइट डिवाइस' और 01.10.2005 को 'ओएसएस लुरिवो हाइट इंक्रीज डिवाइस' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
8.	आज तक	पंचमुखी रुद्राक्ष के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 12.11.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
9.	राष्ट्रीय सहारा	'पंचमुखी रुद्राक्ष' के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 12.11.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
10.	ईटीवी बांग्ला	30 मार्च से 8 अप्रैल 2006 तक व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल

1	2	3	4
11.	ईटीवी कन्नड़	30 मार्च से 8 अप्रैल 2006 तक व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
12.	ईटीवी मराठी	30 मार्च से 8 अप्रैल 2006 तक व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
13.	एचबीओ	31 मार्च से 2006 तक व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
14.	एमटीवी	30 मार्च से 31 मार्च 2006 को व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
15.	स्टार प्लस	30 मार्च और 31 मार्च 2006 को व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
16.	स्टार वर्ल्ड	30 मार्च और 31 मार्च 2006 को व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
17.	नेशनल ज्योग्राफिक	मार्च के महीने में और अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में सीग्राम्स 100 पाइपर प्योर म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
18.	स्टार गोल्ड	मार्च के महीने में और अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में सीग्राम्स 100 पाइपर प्योर म्यूजिक, हेवार्ड्स 5000 सोडा और रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
19.	चैनल (वी)	अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में सीग्राम्स फ्लिंग विकेड के विज्ञान प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
20.	सहारा वन	अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
21.	स्टार मूवीज	अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में सीग्राम्स फ्लिंग विकेड रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
22.	सहारा वन	अप्रैल 2006 के पहले सप्ताह में रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	

1	2	3	4
23.	जी स्पोर्ट्स	18.04.2006 को सायं 5.00 बजे किंगफिशर मिनरल वाटर, हेवार्ड्स 5000 सोडा और रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/ जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
24.	चैनल (वी)	सीग्राम्स फ्लिंग विकेड, सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
25.	स्टार मूवीज	सीग्राम्स फ्लिंग विकेड, रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर और व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
26.	नेशनल ज्योग्राफिक	सीग्राम्स 100 पाइपर्स प्योर म्यूजिक और व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
27.	स्टार गोल्ड	सीग्राम्स 100 पाइपर्स प्योर म्यूजिक, सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू, हेवार्ड्स 5000 सोडा और रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
28.	स्टार वन	रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर और व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/ जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
29.	एनीमल प्लानेट	रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर और व्हाइट मिसचीफ होलीडेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
30.	सहारा वन	रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर, व्हाइट मिसचीफ होलीडेज और किंगफिशर मिनरल वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
31.	सीएनबीसी टीवी 18	7 और 8 अप्रैल 2006 को किंगफिशर मिनरल वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
32.	नेशनल ज्योग्राफिक	सीग्राम्स 100 पाइपर्स प्योर म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	

1	2	3	4
33.	राज टीवी	7 अप्रैल 2006 को सेंड पाइपर एनए माल्ट बिवेरेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	
34.	आज तक	1 से 7 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
35.	चैनल 7 न्यूज	1 से 8 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
36.	हैडलाइंस टुडे	1 से 8 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
37.	सहारा समय	1 से 8 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
38.	स्टार न्यूज	1 से 8 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/ जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
39.	तेज टीवी (टीवी टुडे)	1 से 7 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
40.	ईटीसी म्यूजिक	28.03.2006 को बैग पाइपर सोडा और सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
41.	एनडीटीवी 24×7	24 से 28 अप्रैल 2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
42.	जी स्पोर्ट्स	23/24/28.04.2006 को किंगफिशर मिनरल वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
43.	एफटीवी	20.05.2006 को सीग्राम्स फि्लंग विकेड के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
44.	ईटीवी बांग्ला	10.03.2006 से 16.03.2006 तक बैगपाइपर मिनरल वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
45.	स्टार प्लस	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा और बैगपाइपर क्लब सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	

1	2	3	4
46.	सेट मैक्स चैनल	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा और बैगपाइपर क्लब सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
47.	हिस्ट्री	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा और बैगपाइपर क्लब सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
48.	स्टार गोल्ड	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा और बैगपाइपर क्लब सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
49	इन केबल नेट (इंडसइंड मीडिया)	10.03.2006 से 16.03.2006 तक माणिकचंद आक्सीरिच, माणिकचंद गुटका और माणिकचंद चाय के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
50.	एनडीटीवी 24×7	10.03.2006 से 16.03.2006 तक रॉयल चैलेंज गेम्स के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
51.	चैनल (वी)	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
52.	एचबीओ	10.03.2006 से 16.03.2006 तक मैक डोवल्स नं. 1 सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
53.	स्टार वर्ल्ड	23.04.2006 से 28.04.2006 तक रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर और सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
54.	स्टार मूवीज	24.04.2006 से 28.04.2006 तक रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
55.	स्टार गोल्ड	23.04.2006 से 28.04.2006 तक रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर और सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
56.	स्टार आनंद	06.05.2006 से 11.05.2006 तक रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
57.	एनडीटीवी प्रोफिट	17.05.2006 से 20.05.2006 तक मैक डोवल्स सिग्नेचर सक्सेस के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
58.	एनडीटीवी 24×7	17.05.2006 से 20.05.2006 तक मैक डोवल्स सिग्नेचर सक्सेस और 07.05.2006 से 14.05.2006 तक रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	

1	2	3	4
59.	एनडीटीवी इंडिया	17.05.2006 से 20.05.2006 तक रायल स्टैग मेगा म्यूजिक और 16.05.2006 से 20.05.2006 तक हेवार्ड्स 5000 सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
60.	सहारा टीवी	01.05.2006 से 03.05.2006 तक सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
61.	एसएस म्यूजिक	05.05.2006 से 13.05.2006 और 15.05.2006 से 19.05.2006 के बीच सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
62.	तेज टीवी	06.05.2006 से 13.05.2006 के बीच रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	केबल टीवी नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के जारी होने से पहले जिसके द्वारा कतिपय शर्तें पूरी करने पर एल्कोहल और तंबाकू उत्पादों के ब्रांड एक्सटेंशन के विज्ञापन की अनुमति दी गई थी, अधिकांश प्रसारक सरोगेट फार्म के स्वरूप में विज्ञापन प्रसारित करते हुए पाए गए थे। अत: इन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में क्षमायाचना का स्क्रोल चलाने के आदेश देते हुए चेतावनी भी जारी की गई थी। तथापि सभी प्रसारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने और 09.08.2006 को केबल टीवी नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए गए आदेशों/जारी किए जाने वाले आदेशों के प्रचालनों पर स्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। **मामला बंद कर दिया गया।**
63.	आज तक	06.05.2006 से 13.05.2006 के बीच रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
64.	हेडलाइन्स टुडे	06.05.2006 से 13.05.2006 के बीच रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
65.	चैनल 7	01.05.2006 से 04.05.2006 के बीच सीग्राम्स इंपीरियल ब्ल्यू के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
66.	सीएनएन आईबीएन	30.04.2006 और 01.05.2006 से 07.05.2006 के बीच रायल चैलेंज प्रीमियम स्पार्कलिंग वाटर तथा 18.05.2006 से 20.05.2006 के बीच मैकडोवल्स सिग्नेचर सक्सेस और 16.05.2006 से 20.05.2006 के बीच हेवार्ड्स 5000 सोडा के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
67.	टाइम्स नाउ	10.05.2006 से 10.05.2006 के बीच रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
68.	राज टीवी	07.05.2006 से 19.05.2006 के बीच सेंड पाइपर एन ए माल्ट बिवेरेज के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	
69.	स्टार न्यूज	06.05.2006 से 19.05.2006 के बीच रायल स्टैग मेगा म्यूजिक के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	

1	2	3	4
70.	सीएनबीसी आवाज चैनल	मार्टलेक व्हिस्की के विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	चैनल को दिनांक 24.09.2007 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
		वर्ष 2007-2008	
1.	जी मराठी	गोदरेज फेयर ग्लो साबुन के विज्ञापन के लिए	कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया और मामला बंद कर दिया गया।
		वर्ष 2008-2009	
		शून्य	
		वर्ष 2009-2010	
1.	इंडिया टीवी	रजनीगंधा पान मसाला उत्पाद का विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	उत्तर की जांच की जा रही है।

प्रिंट मीडिया

2006-2007

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	डा. ओ.पी. अग्निहोत्री, लखनऊ	संपादक, रोजगार संग्रह हिंदी सप्ताहिक, आगरा	अनधिकृत विज्ञापन का प्रकाशन	वर्ष 2006-07 में निर्णय दिया गया। परिषद ने भविष्य में प्रतिवादी को बचने की चेतावनी दी गई।
2.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन, छत्तीसगढ़	संपादक, रोजगार समाचार, नई दिल्ली	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	वर्ष 2006-07 में निर्णय दिया गया। प्रतिवादी ने निजी संस्थानों, जिसमें प्रवेश की सूचना भी शामिल है, के विज्ञापन प्रकाशित न करने का निर्णय लिया। इसलिए मामला समाप्त कर दिया गया।
			2008-2009	
3.	श्री दिलीप टी. मेहता, वड़ोदरा	संपादक, संदेश वड़ोदरा	भ्रामक एवं गलत विज्ञापन का प्रकाशन	दिनांक 14.10.2008 को प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	श्री हरदेव शर्मा, दिल्ली	विभिन्न समाचार पत्र	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	चूंकि शिकायतकर्ता ने सीधे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, मुंबई को भी शिकायत की है, इसलिए उन्हें दिनांक 23.10.2008 को एक पत्र जारी किया गया है तथा उनसे अनुरोध

1	2	3	4	5
				किया गया कि वे मामले में एएससीआई के समक्ष अपनी शिकायत संबंधी स्थिति से अवगत कराए। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	श्रीमती कैलाश रानी, श्री भवानी प्रसाद एवं अन्य, भटिंडा	संपादक, पंजाब केसरी, जालंधर	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	शिकायतकर्ता से परिषद के दिनांक 13.3.2009 एवं 22.7.2009 के पत्रों के तहत अनुरोध किया गया था कि वे प्रैस परिषद (जांच-प्रक्रिया) विनियमन, 1979 की मूल अपेक्षा का पालन करें। उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	श्री परविंदर सिंह, पंजाब	संपादक, ट्रिब्यून, चंडीगढ़	भ्रामक विज्ञापन/जनसूचना का प्रकाशन	शिकायतकर्ता से परिषद के दिनांक 19.2.2009 के पत्र के तहत अनुरोध किया गया था कि वे प्रैस परिषद (जांच-प्रक्रिया) विनियमन, 1979 की मूल अपेक्षा का पालन करें। अभी तक उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		2009-2010		
7.	श्री बेंजामिन जी. मकवान, गुजरात	संपादक, गुजरात समाचार	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	शिकायतकर्ता से परिषद के दिनांक 15.4.2009 के पत्र के तहत अनुरोध किया गया था कि वे प्रैस परिषद (जांच-प्रक्रिया) विनियमन, 1979 की मूल अपेक्षा का पालन करें। अभी तक उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अतिविशिष्ट संदर्भ	संपादक, नमस्कार, एयर इंडिया की इनफ्लाइट पत्रिका	मदिरा उत्पादों के नकली विज्ञापन का प्रकाशन	प्रतिवादी संपादक को दिनांक 18.6.2009 की टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी का लिखित बयान दिनांक 30.7.2009 को प्राप्त हो गया था। यह मामला विचाराधीन है।

छोटे और सीमांत किसानों को सहायता

***352. श्री संजय सिंह चौहान:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने प्रतिशत ग्रामीण लोग कृषि के माध्यम से अपनी जीविका उपार्जित करते हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और सीमांत किसानों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 30.99 करोड़ ग्रामीण कामगारों में से 16.19 करोड़

कामगार जिनमें 10.14 करोड़ किसान तथा 6.05 करोड़ खेतीहर मजदूर निहित हैं जो ग्रामीण कामगारों का 52.24% है, कृषि से अपनी जीविका उपार्जित करते हैं।

(ख) से (ङ) कृषि जनगणना 2000-01 के अनुसार, छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या 1995-96 में 9.28 करोड़ से बढ़कर 2000-01 में 9.81 करोड़ हो गयी है जो 5.71% की वृद्धि दर्शाती है। तत्संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

आकार वर्ग (हैक्टेयर में)	1995-96 में छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या (करोड़ में)	2000-01 में छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या (करोड़ में)
छोटे किसान	2.16	2.27
सीमांत किसान	7.12	7.54
कुल (छोटे तथा सीमांत)	9.28	9.81

सरकार किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान, रियायतें प्रदान करती है जिसमें विशेष जोर विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वृहत प्रबंधन, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से छोटे तथा सीमांत किसानों की जोत भूमि पर दिया गया है। केन्द्र सरकार बीजों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, मशीनरी, फसल बीमा पर प्रीमियम एवं उर्वरक आदि पर राजसहायता भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

***353. श्री राजनाथ सिंह:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना स्कीम चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह स्कीम देश में उद्यमिता के विकास में कितनी सफल रही है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में पथ प्रदर्शन सहायता प्रदान करना है। यह पथ प्रदर्शन सहायता सूचीबद्ध प्रमुख एजेंसियों अर्थात् उद्यमी मित्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए उद्यमी मित्रों को सरकार पथ प्रदर्शन प्रभार के रूप में सहायता प्रदान करती है।

(ग) दिनांक 7 फरवरी 2008 को इसके शुभारंभ के बाद इस योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर 14 सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। अभी तक इस योजना के अधीन 209 संस्थाओं को उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमी मित्रों के प्रमुख कर्मियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु आयोजित किए गए हैं। इन उद्यमी मित्रों ने अभी तक 2318 प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यमों की स्थापना एवं पथ प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत किया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन

***354. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में केबल सेवाओं के पुनर्गठन के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों के अनुसरण में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 25.7.2008 को अपनी सिफारिशें सरकार के प्रस्तुत कर दी हैं। ट्राई ने मौजूदा विधिक प्रावधानों और विनियामक ढांचे में परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिनमें जिला स्तर, राज्य स्तर एवं देश स्तर पर लाइसेंसिंग, लाइसेंस शुल्क व प्रशासनिक उपकर का अधिरोपण, पात्रता-शर्तों में परिवर्तन तथा लाइसेंस को जारी करने, नवीकृत करने, समाप्त करने व निलंबित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पैन, पहचान प्रमाण, आय एवं सेवा कर विवरणी आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज, सेवा गुणवत्ता, संबोधनीयता,

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ये सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) 'केबल सेवाओं के पुनर्गठन' के संबंध में ट्राई की सिफारिशों के मद्देनजर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

***355. श्री महेश जोशी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठेकेदारों/कनसेशनेयरों आदि जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है, के रखरखाव कार्य के स्तर से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित एवं उपयोग की गई;

(घ) क्या मानसून मौसम के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इसके ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा किया जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण सामान्यत: संतोषजनक होता है और यह अनुरक्षण कार्य, ठेकेदारों/रियायतग्राहियों द्वारा ठेके/रियायत करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के एक हिस्से के रूप में किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में जारी की गई निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) मानसून की ऋतु के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की स्थिति में रहने हेतु आवश्यक निवारक/पूर्व-सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में शामिल हैं-निर्बाध जल-प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आर-पार नालियों का निरीक्षण करना, नालों की सफाई करना, पुस्तों की मरम्मत करना, यह सुनिश्चित करना की सड़कों पर कोई भी सामग्री/खुदाई की मिट्टी छोटे न दी जाए, जिला प्रशासन के साथ संपर्क/समन्वय बढ़ाना, खुदाई के कामों का उचित सीमांकन करना आदि।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों और ठेकेदारों को जारी की गई निधि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधि
1.	2006-07	234.87
2.	2007-08	442.36
3.	2008-09	521.05
4.	2009-10 (जून, 2009 तक)	156.08

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

***356. श्री अर्जुन मेघवाल:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-वार और राज्य-वार मरे और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी दुर्घटना पीड़ितों और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजा दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल

संख्या संबंधी आंकड़े बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वर्ष 2007 (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) में कमी आई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का हिस्सा भी 29% से 30.4% के बीच अत्यल्प बढ़ोत्तरी के साथ लगभग एक समान रहा है। तथापि, यह मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय करता आ रहा है। मोटर यान नियमावली, 1988 में सड़क दुर्घटना पीड़ित/आश्रितों के लिए मुआवजे का प्रावधान दोनों मामलों में है अर्थात् 'हिट एंड रन' मामले में भी और जहां दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान कर ली गई है, वहां भी।

एक विवरण संलग्न है जिसमें विस्तृत बिंदु-वार उत्तर दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2007 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की सूचित संख्या में, वर्ष 2006 में दिए गए आंकड़ों की तुलना में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत 29 से 30.4 के बीच अत्यल्प बढ़ोत्तरी के साथ लगभग एक समान रहा है। वर्ष 2004 से 2007 (उपलब्ध नवीनतम आंकड़े) के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेस वे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, मारे गए व्यक्तियों की संख्या और घायल व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़े एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट के अनुसार तैयार किए गए फार्मेट में मंत्रालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। इस फार्मेट में, सड़क दुर्घटनाओं के विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग वार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों/आश्रितों के लिए मुआवजे का निम्नानुसार प्रावधान है:

(1) हिट-एंड-रन मामलों में मुआवजा:-

मृत्यु होने पर	25,000 रुपए
गंभीर रूप से घायल	12,500 रुपए

(2) 'कोई चूक नहीं सिद्धांत' आधार पर मुआवजा

'कोई चूक नहीं सिद्धांत' (अर्थात् जहां पीड़ित अथवा उसके वारिस/उत्तराधिकारियों को ऐसे मुआवजे का दावा करने के लिए दुर्घटना करने वाले मोटर वाहन के चालक की लापरवाही को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है) के संबंध में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित संरचित मुआवजा सूत्र के अनुसार है। यह मुआवजा राशि, पीड़ित की आयु और वार्षिक आय पर निर्भर करती है। स्थायी रूप से विकलांगता और मृत्यु के संबंध में अधिकतम मुआवजा राशि क्रमशः 7,20,000/- रु. और 4,80,000/- रु. (यह व्यय जो दुर्घटना का शिकार व्यक्ति जीवित होने पर, अपने भरण पोषण पर करता, पर विचार करते हुए 1/3 की कटौती के बाद) है। इस प्रकार निर्धारित की गई धनराशि में कतिपय सामान्य क्षतियों जैसे अंतिम संस्कार संबंधी व्यय, जीवनसाथी (पति अथवा पत्नी) की हानि; चिकित्सा व्यय, दुःख और पीड़ा (चोट के मामले में) आदि जोड़ दिए जाते हैं।

(3) 'चूक सिद्धांत' आधार पर मुआवजा

मोटर यान अधिनियम, 1988 में, दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की गलती/लापरवाही के सिद्धांत के आधार पर मुआवजे का आवेदन पत्र, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अथवा सिविल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे मामलों में एमएसीटी अथवा न्यायालय, मामले के गुण दोष के आधार पर मुआवजा घोषित करते हैं।

(4) बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजे का भुगतान, कंपनियों द्वारा जारी पालिसियों के अंतर्गत दर्ज किए गए दावों के संबंध में किया जाता है। तथापि, 'हिट एंड रन' संबंधी दावों के संबंध में कुछ मुआवजों का भुगतान, सांत्वना क्षतिपूर्ति योजना, 1989 के माध्यम से किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियों की ओर से, उक्त कंपनियों द्वारा जारी बीमा पालिसियों के अंतर्गत दर्ज दावों के संबंध में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आदि के माध्यम से अदा की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

2006-07	2007-08	2008-09
3741.10	3865.17	3975.2

(ङ) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की होती है। तथापि, इस मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन प्रणाली का प्रयोग करके राजमार्ग

यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(3) मंत्रालय द्वारा योजनागत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(5) देश में चालन प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(6) दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रचार अभियान।

(7) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(8) वाहनों के सुरक्षा मानकों को कठोर बनाना।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(10) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन का बनाया और सुधारा जा रहा है।

अनुबंध

वर्ष 2004-2007 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं, उनमें मारे गए व्यक्तियों और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या				राष्ट्रीय राजमार्गों पर मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या				राष्ट्रीय राजमार्गों पर घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12179	9799	15188	13040	3423	3284	5034	4370	14812	13787	19494	17263
2.	अरुणाचल प्रदेश	99	17	109	67	67	7	55	23	209	36	136	110
3.	असम	2377	2533	2758	2334	870	1041	1199	983	2603	3285	3143	3351
4.	बिहार	967	1688	2695	3159	592	749	1198	1555	712	951	1630	2306
5.	छत्तीसगढ़	3726	4167	4608	3421	631	814	749	790	3634	3778	2620	3058
6.	गोवा	1395	1254	1225	1398	142	112	113	143	1049	879	1028	1179
7.	गुजरात	7480	7846	7030	7253	1631	1474	1661	1812	7613	7173	7051	7445
8.	हरियाणा	3219	3217	3492	4042	1321	1309	1615	1765	3001	3051	3171	3571
9.	हिमाचल प्रदेश	1076	1178	1086	1947	280	296	354	585	1878	1891	1925	2955
10.	जम्मू और कश्मीर	2401	2035	2013	2385	350	306	377	404	3045	2915	3346	4390
11.	झारखंड	1761	1739	1849	1718	856	847	592	746	1549	1032	1083	898
12.	कर्नाटक	11363	13106	13212	13310	2425	2467	2828	2921	14560	17697	17334	16704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	11102	11585	10619	11000	1196	1216	1309	1453	14081	12954	12162	13369
14.	मध्य प्रदेश	8158	6420	11216	10468	1475	1005	1697	1857	9106	6327	12294	10706
15.	महाराष्ट्र	14713	13643	14448	13563	3135	3193	3567	3148	12336	11186	13613	11440
16.	मणिपुर	250	391	310	307	53	102	100	63	580	966	609	582
17.	मेघालय	272	244	294	153	87	73	110	77	234	403	182	258
18.	मिजोरम	40	43	32	23	36	19	22	12	71	31	40	18
19.	नागालैंड	43	90	98	121	36	18	40	49	21	99	130	99
20.	उड़ीसा	3639	3305	3589	3699	1353	1051	1322	1389	4818	4294	4235	5082
21.	पंजाब	1620	1884	1811	2240	1047	1217	1140	1346	1545	1805	1372	1828
22.	राजस्थान	7735	7728	7960	8218	2672	2734	3028	3059	10972	10258	9999	10240
23.	सिक्किम	42	41	51	38	16	16	20	12	71	106	68	40
24.	तमिलनाडु	19797	17695	17763	19910	4158	3659	3982	4430	21240	23720	21173	24330
25.	त्रिपुरा	279	307	383	445	77	103	92	124	496	552	677	760
26.	उत्तराखंड	561	623	647	788	425	492	510	504	929	836	877	1045
27.	उत्तर प्रदेश	6520	9156	7892	8105	3860	5040	4492	4580	4496	6219	5552	5939
28.	पश्चिम बंगाल	5590	6296	5082	4343	2113	2365	1951	2026	5657	7555	5287	4607
	संघ राज्य क्षेत्र												
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	15	0	0	0	0	0	0	0	33	27	0
2.	चंडीगढ़	38	67	86	99	22	28	29	45	21	53	98	132
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	–	0	0	0	–	0	0
4.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	1046	1057	1826	956	276	274	518	286	975	895	1566	800
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0
7.	पुदुचेरी	777	825	786	372	98	128	116	55	826	815	885	375
	जोड़	130265	129994	140158	138922	34723	35439	39820	40612	143140	145582	152807	154880

*एक्सप्रेस मार्गों सहित

[अनुवाद]

बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्रों हेतु सर्वेक्षण

***357. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के नागरिकों विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र/विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना हेतु कितनी वित्तीय आवश्यकता होगी;

(ग) क्या ऐसे कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी प्रायोगिक परियोजना का 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चयनित क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया गया था। इस परियोजना के तहत 28.62 लाख व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 12.88 लाख पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी किए गए हैं और शेष को राष्ट्रीय पहचान संख्याक दिया गया है। प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य 31.3.2009 को समाप्त हो चुका है।

प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर सरकार ने 2011 की जनगणना के साथ देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की फोटो और उनकी अंगुली की छाप के साथ प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं संबंधी ब्यौरे एकत्रित किए जाएंगे। तथापि, 9 समुद्री राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी के तटीय गांवों के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य 2009-10 के दौरान किया जाएगा। यह निर्णय 26/11 की घटना के बाद तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से लिया गया है। प्रथम चरण में 3331 तटीय गांवों में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए इस योजना को 80.78 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया है। नगरों/शहरों सहित शेष तटीय क्षेत्रों को 2011 की जनगणना के साथ कवर किया जाएगा।

तटीय क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान पत्र दिए जाने की योजना है। तथापि, देश के शेष हिस्सों में सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

***358. श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खादी-उत्पादों की बिक्री का राज्यवार विवरण क्या है;

(ख) क्या खादी उत्पादों की बिक्री में गिरावट सहित इस क्षेत्र के विकास में आ रही कोई बाधाएं सरकार की जानकारी में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खादी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई पैकेज तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी बिक्री का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2001-02 तक कारीगरों द्वारा परंपरागत चरखों का उपयोग करने के कारण हुई कम उत्पादन क्षमता एवं आय-अर्जन में कमी की वजह से खादी क्षेत्र में रोजगार की कमी थी। खादी संस्थाओं/उत्पादकों द्वारा उत्पादन और बिक्री की योजना विशेषकर उत्पादों की गुणवत्ता एवं विपणन के पहलू पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, अविक्रित माल के इकट्ठा होने के कारण कार्यशील पूंजी की दयनीय स्थिति, खादी संस्थाओं को स्वीकार्य रिबेट प्राप्ति में देरी, कताई और बुनाई गतिविधियों एवं 'स्टोरेज'

के लिए पर्याप्त जगह की कमी आदि के परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 से 2001-02 के दौरान खादी एवं खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में कमी आयी। हालांकि खादी के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'केवीआईसी' के माध्यम से उठाये गये कदमों से खादी उत्पादन एवं बिक्री में वर्ष 2002-03 से निरंतर वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी के उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (मूल्य: रु. करोड़ में)	बिक्री (मूल्य: रु. करोड़ में)
2006-07	491.52	663.19
2007-08	543.39	724.39
2008-09*	565.12	854.78

*अनंतिम

खादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'केवीआईसी' के माध्यम से वर्ष 2008-09 में दो नयी योजनाओं को आरंभ किया। प्रथमत: बेहतर कार्य-वातावरण प्रदान करने के लिए वर्कशेड निर्माण में सहायता देने हेतु **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना** और द्वितीयत: अप्रचलित और पुरानी मशीनरी व उपकरणों के प्रतिस्थापन द्वारा खादी उद्योग को लाभदायक-उत्पादन व अधिक बाजारोन्मुखी बनाने के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए 200 खादी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए **''खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की योजना''**। इसके अलावा जुलाई 2009 में एक और नयी योजना **''वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाना एवं विपणन ढांचे को सहायता''** का अनुमोदन किया गया है जिसमें चयनित 30 खादी बिक्री केंद्रों का नवीकरण करना एवं वर्तमान चयनित 100 कमजोर संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।

इनके साथ-साथ खादी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिसमें केवीआईसी/राज्य और संघशासित प्रदेशों के केवीआईबी बोर्ड के साथ पंजीकृत संस्थाओं को उनकी आवश्यकतानुसार 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज-दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए, 'ब्याज उपदान पात्रता प्रमाण पत्र योजना', खादी उत्पादों के विकसित डिजाइन एवं पैकेजिंग हेतु उत्पाद विकास, डिजाइन-इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (प्रोडिप) योजना, खादी, ग्रामोद्योगी एवं कॅयर क्षेत्र के क्लस्टरों के विकास के लिए परंपरागत उद्योग पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना, राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु खादी संस्थाओं को सहायता देना आदि सम्मिलित है।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने तीन वर्षों के लिए **व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम** के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 150 मिलियन डालर के वित्तीय-सहयोग का प्रबंध किया है जिसके अंतर्गत खादी क्षेत्र में सुधार के साथ खादी की संपोषणीयता को स्वावलंबी बनाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त खादी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के लिए भारत सरकार के आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की संविदा दर प्रणाली के अंतर्गत कई खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को शामिल किया गया है तथा मुंबई, पटना, कोलकाता, बैंगलोर, भोपाल और नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों में सरकारी आपूर्ति-गतिविधियां संचालित की जाती है।

विवरण

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान खादी की राज्यवार बिक्री

(बिक्री: मूल्य रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	61.55	58.55	69.09
2.	दिल्ली	1700.84	2130.27	2513.72
3.	हरियाणा	3692.56	3784.67	4465.91
4.	हिमाचल प्रदेश	974.43	755.85	891.90

1	2	3	4	5
5.	जम्मू और कश्मीर	898.43	1565.02	1846.72
6.	पंजाब	1177.06	1225.64	1446.26
7.	राजस्थान	3727.09	4776.41	5636.16
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	1244.85	1322.66	1560.74
10.	झारखंड	887.57	916.04	1080.93
11.	उड़ीसा	260.01	252.31	297.73
12.	पश्चिम बंगाल	2415.40	2697.45	3182.99
13.	अरुणाचल प्रदेश	14.05	14.57	17.19
14.	असम	424.12	455.68	537.70
15.	मणिपुर	62.03	65.60	77.41
16.	मेघालय	5.58	5.81	6.86
17.	मिजोरम	3.35	3.52	4.15
18.	नागालैंड	74.48	78.47	92.59
19.	सिक्किम	8.70	9.02	10.64
20.	त्रिपुरा	48.55	55.32	65.28
21.	आंध्र प्रदेश	935.73	1116.24	1317.16
22.	कर्नाटक	3596.62	3842.60	4534.27
23.	केरल	3443.35	3866.00	4561.88
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
25.	पुदुचेरी	1141.56	83.64	98.70
26.	तमिलनाडु	7470.80	8439.20	9852.06
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
28.	गोवा	0.00	49.57	58.49
29.	गुजरात	4247.01	4431.66	5229.36
30.	महाराष्ट्र	1283.74	1360.63	1605.54
31.	छत्तीसगढ़	678.66	787.45	929.19

1	2	3	4	5
32.	मध्य प्रदेश	1643.46	1778.43	2098.55
33.	उत्तराखंड	1887.83	2367.44	2793.58
34.	उत्तर प्रदेश	22309.43	24233.69	28595.75
	योग	66318.84	72439.41	85478.50

*अनंतिम

टिप्पणी: वर्ष 2009-10 के लिए बिक्री-लक्ष्यांक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

आई.ए.ए.एस.टी.डी. की सिफारिशें

***359. श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल एसेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साईंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी) ने खाद्य संकट के समाधान के रूप में आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के प्रति सचेत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) इंटरनेशनल एसेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साईंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी) जिसमें कृषि विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसकेएसटी) की प्रासंगिकता, गुणवत्ता तथा प्रभावशीलता आकलन के लिए एक बहु-पणधारी (मल्टी स्टेकहोल्डर) ब्यूरो द्वारा वर्ष 2005-2007 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नई पहल आरंभ की गई। इन्होंने अपनी विश्लेषण रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी ने सामान्य रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो बड़े तथा छोटे किसानों के लिए नियमित रूप से प्रासंगिक है और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियों से होने वाली किसी भी प्रगति को हासिल करने का मूल आधार है।

जहां तक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का संबंध है उन्होंने सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत के बारे में अवगत कराया है।

(ख) सरकार इस पर सहमत है कि फसल सुधार के साथ अनेक वांछनीय विशिष्टताओं जैसे सूखा और लवणीयता प्रतिरोधिता तथा पोषण गुणवत्ता के साथ इसे पुष्टीकरण हेतु पारम्परिक प्रजनन के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी एक उपयोगी वैज्ञानिक विधि है। सरकार ने सुरक्षा संबंधी चिंताजनक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक सख्त विनियमन ढांचा स्थापित किया है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

***360. श्री हर्ष वर्धन:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में उत्तर प्रदेश सहित उन जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं खोले गये हैं; और

(ग) इन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र कब तक खोल दिए जाएंगें?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने के लिए बनाए गए मानदण्डों के अनुसार मेजबान संस्थान लगभग 20 हैक्टेयर अच्छी क्वालिटी वाली उपजाऊ भूमि प्रदान करेगा, जो जिले के मध्य भाग में स्थित हो, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, नजदीक हो, ऋणभार से मुक्त तथा मार्टगेज योग्य हो और पीने के पानी तथा सिंचाई के लिए जलापूर्ति के स्थाई स्रोत सहित अन्य सभी यथोचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक विशेषज्ञ दल विभिन्न स्थलों का दौरा करता है और संबंधित गुणावगुण के आधार पर यह दल परिषद से जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए सिफारिश करता है।

(ख) 11वीं योजना के अंत तक देश में 667 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है और अब तक 568 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। देश में 99 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना अभी की जानी है जिसमें उत्तर प्रदेश के पांच कृषि विज्ञान केन्द्र भी शामिल हैं। उन जिलों की राज्यवार सूची, जहां अभी कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 11वीं योजना के दौरान शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने पर विचार किया जा रहा है बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

विवरण

11वीं योजना के दौरान अभी स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	हाल ही में बनाए गए जिलों में स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र	जिले में स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र	10वीं योजना अनुमोदित जिले तथा 11वीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केंद्र
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उत्तरी तथा मध्य अंडमान (मायाबंदर) (1)		निकोबार (1)
2.	आंध्र प्रदेश		अनंतपुर, कुरनूल, गुंटूर, प्रकासम, महबूबनगर, पूर्वी गोदावरी, नालगोंडा, चित्तूर, वारंगल, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, करीम नगर (12)	
3.	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव (1)		दिबांग घाटी, कुरंग, कुमेय, चांगलांग (3)
4.	असम	बस्का, चिरांग, उदलगुड़ी (3)		उत्तरी कचार, हेलाकंडी, मोरीगांव (3)
5.	छत्तीसगढ़	नारायणपुर, बीजापुर (2)	रायपुर, सरगुजा (2)	
6.	दादरा और नगर हवेली			सिलवासा (1)
7.	दमन और दीव			दमन, दीव (2)
8.	गुजरात	तापी (1)	कच्छ, बनासकांठा, राजकोट (3)	
9.	हरियाणा	मेवात (1)		पंचकुला (1)
10.	जम्मू और कश्मीर	रेसाइ, संबा, रामबन, किश्तवार, गंदरबल, कुलगम, बंदीपोरा, शोपियां (8)	लेह (1)	
11.	झारखंड	रामगढ़, कुटी (2)		सरायकेला (1)
12.	कर्नाटक	राणानगरा, चिक्काबल्लापुर (2)	गुलबर्ग, बेलगांव (2)	
13.	मध्य प्रदेश			अनूपपुर (1)
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, शोलापुर, पुणे, जलगांव, नासिक, यवतमाल, नांदेड, अमरावती, सतारा, बीड, बुलधाना, औरंगाबाद (12)		

1	2	3	4	5
15.	मेघालय			दक्षिणी गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स (2)
16.	नागालैंड	पारेन, कैफिरे, लाओंग्लेंग (3)		
17.	उड़ीसा		मयूरभंज, गंजम, सुन्दरगढ़ (3)	बोलांगिर (1)
18.	पुदुचेरी			माहे, यानाम (2)
19.	पंजाब	तरनतारन, बरनाला, मोहाली (3)		
20.	राजस्थान	प्रतापगढ़ (1)	बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, जयपुर, जैसलमेर, अलवर, हनुमानगढ़ (9)	
21.	उत्तर प्रदेश		इलाहाबाद, सीतापुर (2)	अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, ज्योतिबा फुले नगर (3)
22.	पश्चिम बंगाल		दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, वर्धमान (3)	पूर्वी मिदनापुर (1)

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां

3179. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को पुलिस के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यक्रमों की बेहतर आयोजना और निगरानी से संबंधित कदम सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। इसलिए अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने/पर्याप्त रूप से सज्जित करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। हालांकि, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) संबंधी एक योजनेतर स्कीम को 1969-70 से कार्यान्वित करता आ रहा है और राज्य सरकारों के संसाधनों में उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को आधुनिक हथियार प्राप्त करने, आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों का निर्माण करने, वाहनों को हासिल करने, सुरक्षा/संचार/न्यायीय उपकरणों, आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें अपनी आकलित अपेक्षाओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करती हैं, जिस पर गृह मंत्रालय की एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार करके अनुमोदन प्रदान किया जाता है और एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं के लिए निधि जारी की जाती है।

(ग) और (घ) राज्यों में राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) की बेहतर आयोजना एवं निगरानी के लिए, समवर्ती लेखा-परीक्षण की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही में किए गए समवर्ती लेखा-परीक्षण की रिपोर्टें जांच एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए गुजरात सहित समस्त राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

वधू-दहन पर उच्चतम न्यायालय की सलाह

3180. **श्री एल. राजगोपालः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सुझाव दिया है कि वधू-दहन के दोषियों को मृत्यु दंड देने हेतु संबंधित कानूनों में संशोधन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देश में वधुओ को जलाने वाले लोगों को मृत्यु दंड देने के लिए संगत कानूनों में संशोधन करने का सुझाव दिया है।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

कृषि भूमि के विकास हेतु निवेश

3181. **श्री राजैया सिरिसिल्ला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कृषि भूमि के विकास हेतु निवेश में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस पर कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कृषि भूमि के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय देश में कृषि भूमि के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जैसे वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), बाढ़ प्रवण परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्र में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आरवीपी और एफपीआर), क्षारीय और अम्लीय मृदा भूमि का विकास और झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना। इन कार्यक्रमों के अधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1621.09 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2072.40 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया।

(घ) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने 7990.00 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से 11वीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन लगभग 7.00 मिलियन हैक्टेयर अवक्रमिक भूमि के विकास का लक्ष्य रखा है।

[हिन्दी]

वड़ोदरा आकाशवाणी केंद्र की प्रसारण सेवा

3182. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वड़ोदरा आकाशवाणी केंद्र का प्रसारण समय घटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त केंद्र से 24 घंटे प्रसारण शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस समय अवसंरचना, निधियों, स्टाफ आदि की समस्याओं के कारण आकाशवाणी वड़ोदरा से 24 घंटे की विशेष सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आकाशवाणी अहमदाबाद-वड़ोदरा के कार्यक्रम डीटीएच सेवा पर 24 घंटे के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

चमरावत्तूर से कुट्टीप्पुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग

3183. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में चमरावत्तूर से कुट्टीप्पुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) चमरावत्तूर से कुट्टीप्पुरम तक नई सड़क के पुनर्संरेखण और निर्माण कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.5.2003 को 1465.80 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए थे। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य दिनांक 26.02.2004 को सौंपा गया था। ठेकेदार के खराब कार्य निष्पादन और असामान्य विलंब के कारण इस कार्य से संबंधित ठेके को समाप्त कर दिया गया। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शेष कार्य की मात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके आगे, केरल सरकार से प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

लीची का उत्पादन

3184. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री नरहरि महतोः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में किन खास इलाकों/राज्यों में लीची का उत्पादन किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लीची उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लीची के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लीची उत्तर बिहार के भागों, झारखण्ड के रांची, हजारी बाग, गुमला और आसपास के क्षेत्रों; उत्तराखण्ड में उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ की घाटी; उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिलों और पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर भागों में 24 परगना में उत्पादित किया जाता है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र, पंजाब के गुरुदासपुर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार लीची उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की हैं, जैसे (1) सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (2) शेष राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इन स्कीमों का उद्देश्य उत्पादन, फल क्वालिटी और कटाई पश्चात प्रबंधन में सुधार करके लीची का समग्र विकास करना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के लिए लीची के निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

1. बुनियादी सुविधाओं की स्थापना जैसे पैकघर, सार्टिंग, ग्रेडिंग उपस्कर, यंत्रीकृत संभाल सुविधाएं, नियंत्रित वायुमण्डलीय भण्डारण।
2. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन।
3. विज्ञापन द्वारा ब्राण्ड प्रचार।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लीची निर्यात का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

लीची का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन

क्षेत्र 000 हैक्टेयर में

उत्पादन 000 एमटी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	28.4	28.8	29.8	30.4	200.1	211.9	223.2	228
2.	पश्चिम बंगाल	8.1	8.1	8.1	8.4	74.9	77.2	77.8	81.2
3.	असम	4.7	4.7	4.8	4.8	34.9	33.3	34	34.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	पंजाब	1.4	1.5	1.5	1.5	13.8	14.6	19.3	19.7
5.	झारखंड	1.4	1.4	3.3	3.3	16.5	16.5	16.5	16.5
6.	उत्तराखण्ड	7.9	8.4	8.8	8.8	13.6	14.4	15.1	15.3
7.	त्रिपुरा	2.3	2.5	2.6	2.6	14.3	14.4	14.4	14.4
8.	उड़ीसा	3.9	3.9	4	4.2	11.9	12.1	12.8	13
9.	हिमाचल प्रदेश	3.5	3.8	3.9	3.9	3.7	2.8	2.5	3.4
10.	उत्तर प्रदेश	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.9	1
11.	अन्य	1.3	1.5	2.1	2.3	7.6	4.6	1.9	1.8
	कुल	63.1	64.9	69.2	70.5	391.8	402.6	418.4	429.2

विवरण II

लीची का निर्यात

(मात्रा: किलोग्राम)
(मूल्य: रुपये)

देश	2005-2006		2006-2007		2007-2008	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नेपाल	143976	1897959	33830	966254	142735	4570687
संयुक्त अरब अमीरात	10400	655038	17300	1268562	16099	1377315
यूके	0	0	30	1043	1220	306062
ब्रहमास	0	0	0	0	840	51096
बहरीन	13830	567464	0	0	420	25484
कनाडा	0	0	0	0	200	12120
ओमान	0	0	0	0	8	504
सउदी अरब	1100	33750	0	0	0	0
वियतनाम सो रिप.	28000	1727616	0	0	0	0
जर्मनी	650	7513	0	0	0	0
कुवैत	0	0	675	6682	0	0
बंग्लादेश	520880	4475114	1609300	14192045	0	0
कुल	718836	9364454	1661135	16434586	161522	6343268

डाटा स्रोत: कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा)

भ्रष्टाचार में आव्रजन अधिकारियों की संलिप्तता

3185. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात आव्रजन अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की विमानपत्तन-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आव्रजन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और अमृतसर नामक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आव्रजन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी से संबंधित नौ शिकायतें जानकारी में आई थीं। इन शिकायतों का हवाई अड्डावार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

हवाई अड्डे का नाम	शिकायतों की संख्या
दिल्ली	3
मुम्बई	3
कोलकाता	3
चेन्नै	शून्य
अमृतसर	शून्य

(ग) इन सभी शिकायतों की जांच की गई और निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई:-

(1) चार अधिकारियों को निलम्बित किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई।

(2) दो अधिकारियों को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

(3) एक अधिकारी के विरुद्ध जांच को शिकायतकर्ता द्वारा सहयोग प्राप्त न होने के कारण बंद कर दिया गया परन्तु अधिकारी को उसके पश्चात् उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

(4) एक अधिकारी पर उसके दुर्व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया हालांकि उसके खिलाफ लगाए गए अवैध परितोषण के आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सका।

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) आव्रजन काउण्टरों पर और आव्रजन क्षेत्र के निकास द्वार पर फीडबैक प्रपत्र दिए गए हैं।

(2) फोरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स (एफआरआरओ) के ई-मेल आईडी को विभिन्न मीडिया के जरिए प्रकाशित किया गया है।

(3) आव्रजन अधिकारियों को साप्ताहिक बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों के दौरान नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है।

(4) आव्रजन कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(5) रात्रिकालीन एवं व्यस्ततम समय पर एफआरआरओ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

अमरनाथ तीर्थयात्रा

3186. श्री राकेश सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम के संबंध में भक्तों को अग्रिम सूचना उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भक्तों पर लाठीचार्ज की किसी घटना की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। पहलगांव के साथ-साथ बलताल मार्गों (सेक्टर-वार) के लिए दिन में दो बार अर्थात् आईएसटी 0610 बजे और

1810 बजे मौसम के बारे में सलाह देने के लिए विशेष बुलेटिन/पूर्वानुमान/चेतावनी जारी किए जाने हेतु व्यवस्था की गई है। यात्रा अधिकारियों और यात्रियों के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान/चेतावनी प्रसारित किए जाने के लिए आधार शिविर पहलगांव और बलताल में मौसम संबंधी अस्थाई सलाहकार शिविर स्थापित किए जाने के अतिरिक्त एनडब्ल्यू सेक्टर में यात्रा मार्ग को वरीयता देने के लिए विस्तारित पैमाने पर हर घंटे उपग्रह प्रतिबिंब उपलब्ध कराये जाते हैं और आईएमडी वेबसाइट (www.imd.gov.in) के साथ-साथ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली की वेबसाइट wman@amssdelhi.gov.in में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मौसम संबंधी विशेष सलाहकारी बुलेटिन/पूर्वानुमान/चेतावनी को वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता है और श्राइन क्षेत्र अर्थात् पवित्र गुफा, बलताल, शेषनाग और पंजतरिणी के सभी शिविरों में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

(ग) श्री अमरनाथजी यात्रा, 2009 के दौरान यात्रियों पर लाठी चार्ज किए जाने की कोई घटना नहीं घटी है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालयों की समीक्षा

3187. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में उपभोक्ता न्यायालयों/मंचों का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और इन न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उपभोक्ता न्यायालयों में निष्पादन/कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) यह कार्य नियमित आधार पर किया जा रहा है।

(ख) देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की आवधिक (मासिक और तिमाही) रिपोर्टों के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और तदनुसार सुधार के उपायों का सुझाव दिया जाता है। मामले को समय-समय पर संबंधित मुख्य सचिवों के साथ सचिव स्तर पर भी उठाया जाता है। देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिवों और राज्य आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलनों में भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप 1.7.2009 की स्थिति के अनुसार देश में सभी उपभोक्ता मंचों में दायर कुल 32,17,323 मामलों में से 28,53,025 मामलों (88.68 प्रतिशत) को निपटा दिया गया है।

(ग) ऐसे कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां उपभोक्ता मंचों द्वारा मामलों का निपटान राष्ट्रीय और औसत से कम है और भारी संख्या में मामले अनिर्णीत हैं।

(घ) मामलों के निपटान में विलम्ब उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष/सदस्यों के पद रिक्त होने, सहायक कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त आधार-ढांचा आदि सहित अपर्याप्त सुविधाओं के कारण होता है।

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा देश में उपभोक्ता अदालतों के कार्य निष्पादन/कार्यकरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र उनके आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देश भर में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए 'कन्फोनेट' स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(2) मामलों के तेजी से निपटान में उपभोक्ता मंचों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से अनेक उपबंध बनाए गए थे जिसमें उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष के किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्षता कर सकने, राष्ट्रीय आयोग की सर्किट पीठें स्थापित करने तथा उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष/सदस्यों की पुन: नियुक्ति करने की व्यवस्था शामिल है।

(3) केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अध्यक्ष और सदस्यों की संभावित रिक्तियों को भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई

करने का अनुरोध करती रही है। जब भी आवश्यक हो आस-पड़ोस के मंचों को एक-साथ मिलाया जा सकता है। उपभोक्ता मंचों में पीठें भी स्थापित की जा सकती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी का प्रभाव

3188. डॉ. के.एस. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों के भण्डारण स्थान की कमी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी का इनकी उपलब्धता तथा कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण देश में चावल तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है। 2008-09 में 805.8 लाख टन गेहूं तथा 991.5 लाख टन चावल का अब तक का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

रबी विपणन मौसम 2009-10 में गेहूं तथा खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में चावल की रिकार्ड खरीदारी के कारण भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों को भंडारण स्थान की कमी महसूस हुई है। भंडारण क्षमता की कमी की समस्या को हल करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त भंडारण स्थान किराए पर लेना, मंडियों से खपत वाले राज्यों में सीधे प्रेषण करना तथा गेहूं को कवर और प्लिंथ (कैप) भंडार में स्टाक करना शामिल है।

देश में उत्पादन अधिक होने तथा केंद्रीय पूल में गेहूं तथा चावल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण 2008-09 और 2009-10 में गेहूं तथा चावल के खुला बाजार मूल्य स्थिर रहे हैं।

धान का उत्पादन

3189. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल सहित देश में धान की वार्षिक पैदावार कितनी है;

(ख) क्या धान की कृषि भूमि घट रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य में धान के कृषि क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अल्पवृष्टि तथा कम भण्डारण के कारण धान उत्पादन की मात्रा कम रही है;

(ङ) गत तीन वर्षों में केरल सहित देश में किसानों को राज्य-वार कितना घाटा हुआ है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के दौरान केरल राज्य में धान के उत्पादन की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर धान का अनुमानित उत्पादन निम्न सारणी में दिया गया है:

(मिलियन टन)

वर्ष	धान का उत्पादन	
	अखिल भारत	केरल
2005-06	137.69	0.94
2006-07	140.03	0.95
2007-08	145.04	0.79

(ख) और (ग) गत कुछ वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर धान के अधीन क्षेत्र व्याप्ति में गिरावट नहीं आई है। तथापि, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान केरल राज्य में धान के क्षेत्र में कुछ गिरावट आई है। वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान केरल राज्य की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर धान के अधीन क्षेत्र व्याप्ति के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:-

(लाख हैक्टेयर)

वर्ष	धान/चावल का क्षेत्र	
	अखिल भारत	केरल
2005-06	436.60	2.76
2006-07	438.14	2.64
2007-08	439.14	2.29
2008-09*	453.52	2.34

*चौथे अग्रिम अनुमा

(घ) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान समग्र रूप से देश में औसत वर्षा सामान्य रही है तथा अखिल भारतीय स्तर पर चावल का कुल उत्पादन बढ़ता रहा है। केरल सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में राज्य में सूखा जैसी स्थिति नहीं थी। 2008-09 के दौरान, राज्य के सभी 13 जिलों में कम वर्षा हुई तथा कुछ जिलों में धान की फसल प्रभावित हुई। तथापि, राज्य में धान की समग्र उत्पादकता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा एवं 2008-09 के दौरान धान का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कुछ अधिक रहा है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान धान के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना केरल सहित देश में 14 राज्यों में क्रियान्वयन के अधीन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल का उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात् 2011-12 तक देश में चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन तक की वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त, चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एक केन्द्रीय प्रायोजित "एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम" देश के गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण

धान का राज्यवार उत्पादन अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पाद (हजार टन)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	17556.0	17808.0	19986.0	21310.5
अरुणाचल प्रदेश	219.3	219.3	237.2	#
असम	5328.8	4374.0	4978.5	5662.5
बिहार	5243.3	7484.0	6627.2	8503.1
छत्तीसगढ़	7517.4	7562.1	8139.9	6587.7
गोवा	221.0	195.5	182.4	#
गुजरात	1947.0	2085.0	2211.0	1935.0
हरियाणा	4815.0	5056.5	5419.5	4947.0
हिमाचल प्रदेश	168.2	185.3	182.3	178.7
जम्मू और कश्मीर	835.2	831.0	842.0	845.2
झारखंड	2337.0	4451.7	5004.6	4957.3
कर्नाटक	8616.0	5169.0	5575.5	5535.0
केरल	944.9	946.5	792.8	883.5
मध्य प्रदेश	2484.5	2052.6	2192.9	2339.6
महाराष्ट्र	4042.5	3853.5	4494.0	3466.5
मणिपुर	579.2	579.2	609.3	#

1	2	3	4	5
मेघालय	227.9	300.3	300.0	#
मिजोरम	148.8	44.3	23.6	#
नागालैंड	394.7	395.3	435.9	#
उड़ीसा	10288.5	10237.1	11311.1	10143.0
पंजाब	15289.5	15207.0	15733.5	16500.0
राजस्थान	229.5	254.7	389.4	361.6
सिक्किम	32.3	32.3	34.4	#
तमिलनाडु	7830.0	9915.9	7560.3	7801.4
त्रिपुरा	829.4	930.8	936.9	#
उत्तर प्रदेश	16700.6	16686.0	17670.0	19611.0
उत्तराखंड	885.0	834.0	889.5	870.0
पश्चिम बंगाल	21766.2	22118.9	22079.3	23331.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.1	46.1	32.9	#
दादरा और नगर हवेली	35.6	35.6	35.6	#
दिल्ली	36.0	46.7	47.1	#
दमन और दीव	5.6	5.6	5.3	#
पुदुचेरी	89.9	89.9	80.1	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	2961.0
अखिल भारत	137690.1	140033.0	145039.4	148730.6

*चौथे अग्रिम अनुमान
#अन्य में सम्मिलित
एन.ए.-लागू नहीं

राष्ट्रीय राजमार्ग-92 का विकास

3190. श्री अशोक अर्गल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्वालियर, भिंड और इटावा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-92 की मरम्मत, विस्तार और सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग-92 के चार लेन में उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-92 पर यमुना तथा चम्बल नदी पर नये पुल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) ग्वालियर-भिंड-मध्य प्रदेश सीमा का खंड, पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाने के लिए राष्ट्रीय

राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4क में शामिल किया गया है जिसका साध्यता अध्ययन प्रगति पर है और वर्तमान में इस खंड को 4 लेन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य में (1) किमी. 36/00 से किमी. 48/00 में 2 लेन चौड़ीकरण (2) किमी. 60/00 से किमी. 78/00 में उत्थापन/सुदृढ़ीकरण के 2 प्रस्तावों को वार्षिक योजना 2009-10 में शामिल किया गया है तथापि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खेलों के लिए धनराशि

3191. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीमिंग पूलों के निर्माण सहित उक्त खेलों की तैयारी हेतु चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) केन्द्र सरकार ने केरल में आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की है।

(ख) और (ग) 35वें राष्ट्रीय खेलों की अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने का दायित्व केरल राज्य सरकार का है।

कपास उत्पादन

3192. श्री संजय धोत्रे:
श्री दानवे राव साहेब पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2005-06 से 2007-08 तथा चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कपास के अनुमानित उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान कपास के अनुमानित उत्पादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। 21 जुलाई, 2009 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008-09 के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन गत वर्ष के दौरान इसके उत्पादन की तुलना में कुछ कम है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के दौरान कपास के राज्यवार उत्पादन का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (170 किलोग्राम की प्रत्येक हजार गांठे)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2108.00	2181.00	3491.00	3572.00
असम	0.60	0.60	0.60	1.00
छत्तीसगढ़	0.40	0.20	0.10	0.01
गुजरात	6772.00	8787.00	8276.00	7616.00
हरियाणा	1499.00	1814.00	1885.00	1858.00

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.10	0.20	0.12
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	0.01
कर्नाटक	554.00	610.00	778.00	912.00
केरल	3.50	2.00	1.70	1.45
मध्य प्रदेश	745.10	828.60	864.80	856.10
महाराष्ट्र	3160.00	4618.00	7015.00	4943.00
मेघालय	7.80	7.70	6.50	#
मिजोरम	0.20	5.20	0.60	#
नागालैंड	1.70	0.20	0.30	#
उड़ीसा	144.80	107.90	124.70	146.56
पंजाब	2395.00	2678.00	2355.00	2285.00
राजस्थान	880.50	746.80	862.20	725.71
तमिलनाडु	213.30	220.90	200.70	205.42
त्रिपुरा	1.60	1.60	1.50	#
उत्तर प्रदेश	5.20	7.00	6.80	1.00
पश्चिम बंगाल	6.00	14.70	13.20	24.00
पुदुचेरी	0.30	0.30	0.20	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	9.0
अखिल भारत	18499.00	22631.80	25884.10	23156.38

*चौथे अग्रिम अनुमान
#अन्य में सम्मिलित
एन.ए.–लागू नहीं

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3193. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु देश के कतिपय जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चयनित जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत इन जिलों में शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) 454 जिलों को कवर करते हुए देश के सभी 28 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्ष में लगभग 480 करोड़ रुपए के व्यय से इन जिलों में 6.14 लाख हैक्टेयर का विकास किया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत क्रियाकलाप जैसे जल बहाव के नियंत्रण उपाय, स्व-स्थाने नमी संरक्षण, निकासी मार्ग का उपचार, जल संचयन, वन रोपण, चरागाह विकास, बागवानी विकास, कृषि प्रणाली का सुधार, कृषि उत्पादन प्रणालियों और सूक्ष्म उद्यमों के जरिए आजीविका समर्थन के क्रियाकलाप, स्थान विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान एनडब्ल्यूडीपीआरए के अंतर्गत कवर किए गए जिले

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	अदीलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्पे, पूर्वी गोदावरी, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मेहबूबनगर, मेढक, नलगौण्डा, नैल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापटनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	पपुमपारे, एल/सुबनसिरी, के/कुमे, यू/सुबनसिरी, पश्चिमी सियांग, पूर्वी सियांग, यू/दिबांग वैली, एल/दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, टिराप, चांगलांग, यू/सियांग, तवांग, पूर्वी केमांग, पश्चिमी केमांग
3.	असम	21	डिब्रुगढ़, तिनसुकिया, सिवासागर, जोरहाट, गोलघाट, नागांव, मोगांव, कामरूप, गोलपाडा, धूबन, कोकराझार, बोंगाईगांव, बारपेटा, नलबारी, दरांग, सोनितपुर, एन. लखीमपुर, धेमाजी, काचर, हैलाखण्डी, करीमगंज
4.	बिहार	7	बंका, जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद
5.	छत्तीसगढ़	18	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनादगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, झांझगीर, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, अंबिकापुर, कोरिया, जगदलपुर, नारायणपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर
6.	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा
7.	गुजरात	25	भावनगर, पोरबंदर, जुनागढ़, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, कच्छ, राजकोट, जामनगर, तापी, सूरत, वल्साड़, नवसारी, दांग, बरूच, बड़ोदरा, नर्मदा, अहमदाबाद, मेहसाना, बांसकाठा, पाटन, गांधीनगर, खेडा, पंचमहल, दाहेद, साबरकांठा
8.	हरियाणा	4	पंचकुला, अंबाला, भिवानी, महेन्द्रगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	9	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन
10.	जम्मू और कश्मीर	9	जम्मू, कथुआ, डोंडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामुला, बान्दीपुरा
11.	झारखण्ड	10	पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, पलामु, बोकारो, चतरा
12.	कर्नाटक	18	बंगलौर, रामानगराम, कोलार, चिक्काल्लापुर, चित्रदुर्गा, दावनगिरी, तुमकुर, शिमोगा, मैसूर, मण्डया, हासन, चिकमंगलूर, उदुपी, दक्षिणकन्नड़, चामराजनगर, काडागू, बेलगाम, बीजापुर, बालकोट, गंडक, हवरी, धरवाड़, उत्तर कन्नड़, गुलबर्गा, रायचुर, कोप्पल, बेल्लारी, बीदर

1	2	3	4
13.	केरल	14	तिरुवंतपुरम, कोल्लम, अल्लापुझा, पथनचिठ्ठा, इडुक्की, कोयट्टम, एर्नाकुलम, त्रिचुर, पालाक्काड, मालापुरम, कोजीकोड, वायनाड कन्नुर, कासरगोड़
14.	मध्य प्रदेश	50	अलीराजपुर, अनुपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, सिंगरौली, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टिकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा
15.	महाराष्ट्र	33	थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुले, नन्दुरबार, जलगांव, अहमदनगर, पुना, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जैना, बीड़ लातूर, उसमानाबाद, नान्देड़, परबनी, हिंगोली, बुलढाना, अकोला, वासिम, अरमावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भण्डारा, गोंदिया, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली
16.	मणिपुर	10	इम्फाल वेस्ट, इम्फाल पूर्वी, बिशनुपुर, थौबल, सेनापती, सदर हिल्स, चन्देल, उखरूल, तांमलौंग, चुरूचन्दपुर
17.	मेघालय	7	दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, राई भोई, जयंतिया हिल्स
18.	मिजोरम	8	आईजोल, लुंगलेई, सैहा, चम्फाई, कोलासीब, सेरछिप, लंवगतलाई, ममिट
19.	नागालैण्ड	11	कोहिमा, फेक, वोखा, माकोकचुंग, जुनहेबोतो, तुनसांग, मोन, दीमांपुर, किफिरे, लांगलेंग, पेरेन
20.	उड़ीसा	30	कालाहाण्डी, नवापाड़ा, बालनगीर, सुवर्णापुर, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, मल्कागंज, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, धेनंकनाल, अंगुल, क्योंझर, गंजम, गजपती, कन्धमाल, बौध, सम्बलपुर, देवगढ़ बारगढ़, झारसुगड़ा, सुन्दरगढ़
21.	पंजाब	5	गुरुदासपुर, रोपड़, मोहाली, होशियारपुर, एसबीएस नगर
22.	राजस्थान	21	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बेरन, भरतपुर, भीलवाड़ा, बुन्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, जयपुर, झालवाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, एस. माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़
23.	सिक्किम	4	पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम
24.	तमिलनाडु	18	त्रिची, करूर, तिरूनवेली, मदुराई, थुठुकुडी, ठेनी, विल्लुपुरम, इरोड़, धरमपुरी, पादुकोट्टाई, रामनद, सिवगंगई, विरूधनगर, डिण्डुगल, नामक्कल, सेलेम, तिरूमलाई, वेल्लोर
25.	त्रिपुरा	4	दक्षिणी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा, धलई
26.	उत्तराखंड	11	देहरादून, पौडी, चमौली, टेहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, अलमोड़ा, चम्पावत

1	2	3	4
27.	उत्तर प्रदेश	50	सहारनपुर, आगरा, इटावा, औरिया, महोबा, चरखरी, कुल्पाहार, बान्दा, चित्रकुट, बदायूं, बरेली, बाराबंकी, हरदोई, सुल्तानपुर, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, कानपुर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोण्डा, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पडरौना, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, मिर्जापुर, संतरविदासनगर, गाजीपुर, ललितपुर, जालौन, झांसी, मौरानीपुर, हमीरपुर
28.	पश्चिम बंगाल	9	कूचबिहार, जालपाईगुड़ी, दार्जलिंग, नार्थ 24-परगना, दक्षिणी 24-परगना, पश्चिमी मिदनापुर, वीरभूम, बर्दवान, बांकुरा
	कुल	454	

नकली बी.टी. कॉटन बीज

3194. श्री दानवे राव साहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में व्यापारिक तथा बीज कंपनियों द्वारा बेची जा रही नकली बी.टी. कॉटन बीजों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यापारियों/बीज कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती के लिए नौ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। हाल ही में पंजाब को छोड़कर किसी भी बीटी कपास उत्पादक राज्यों से नकली कपास के बीजों की बिक्री की सूचना नहीं मिली है। पंजाब सरकार ने 10 डीलरों के खिलाफ घटिया/नकली बीटी कपास बीज बेचने के लिए अभियोजन चलाया है। सभी बीटी कपास उगाने वाले राज्य अच्छे बीजों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं और किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

3195. श्री पी. बलराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जनजातीय किसानों से संबंधित कोई घटक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 17 राज्यों के 312 अभिज्ञात जिलों में तीन घटकों अर्थात् एनएफएसएम-चावल, 14 राज्यों के 136 अभिज्ञात जिलों में एनएफएसएम-गेहूं, 9 राज्यों के 141 अभिज्ञात जिलों में; और एनएफएसएम-दलहन 14 राज्यों के 171 अभिज्ञात जिलों में के साथ कार्यान्वयनाधीन है।

कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों का कतिपय मानदण्डों के आधार पर अभिज्ञात किया गया है अर्थात् एनएफएसएम-चावल के लिए उन जिलों की पहचान की गई जिसके पास चावल के अंतर्गत 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है; एनएफएसएम-गेहूं के लिए उन राज्यों की जहां गेहूं के तहत सिंचाई कवरेज 50 प्रतिशत से अधिक है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है, पहचान

की गई है। एनएफएसएम-दलहन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा दलहन के अंतर्गत वृहत क्षेत्र के अन्तःफसलन और चावल की परती भूमि की उपयोगिता के माध्यम से क्षेत्र विस्तार की संभाव्यता के आधार पर जिले अभिज्ञात किए गए हैं।

चुने गए जिलों में जनजातीय किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसान एनएफएसएम कार्यक्रम के विभिन्न विशिष्ट घटकों के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस मिशन का लक्ष्य चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि लाने के साथ कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजन करके किसानों का कल्याण करना भी है। एनएफएसएम का कार्यान्वयन अभिज्ञात जिलों के समूचे क्षेत्र में किया जा रहा है जिसमें जनजातीय किसानों सहित सभी किसानों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने भारत सरकार के निर्णयों के अनुसरण में अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के संबंध में प्रावधान किया है जिसमें एससीपी के लिए कुल आबंटन का 16 प्रतिशत और टीएसपी के लिए 8 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा छोटे और सीमांत और महिला किसानों के लिए राज्यों को आबंटित निधि का कम से कम 33 प्रतिशत प्रवाह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए एनएफएसएम के अंतर्गत और कुल निधि आबंटन में से जिलों में उनकी आबादी के लिए यथा अनुपात में निधि आबंटित करने का प्रावधान है। तदनुसार, एक मौसम में 5 हैक्टेयर की सीमा तक मिशन के विभिन्न घटकों के लिए जनजातीय किसानों सहित सभी किसान सहायता पाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

पीएमईजीपी के अंतर्गत विधवाओं को रोजगार

3196. श्रीमती उषा वर्मा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विधवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभान्वित विधवाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या विधवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई अन्य योजना विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार द्वारा (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) कार्यान्वित की जाने वाली एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अगस्त, 2008 में अनुमोदित की गई थी। पीएमईजीपी के तहत विधवाओं सहित कोई भी उद्यमी "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में दी गई परिभाषा अर्थात् (1) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग, जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रु. से अधिक न हो, से संबंधित सामग्रियों के उत्पादन अथवा विनिर्माण, (2) सेवा प्रदान कर रहे उद्योग, जिनका उपस्कर संबंधी निवेश 10 लाख रु. से अधिक न हो; के अनुरूप केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करके "सूक्ष्म उद्यम" स्थापित कर सकते हैं।

पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी स्तर (मार्जिन मनी के रूप में) कुछ विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारिरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सेवाकर्मी, महिलाएं, अल्पसंख्यकों, आदि से संबंधित संभावी उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर उच्चतम स्तरों तक रखा गया है। तदनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए स्वीकृत मार्जिन मनी दर [शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत दर] की तुलना में बढ़ी हुई दरों पर मार्जिन मनी (सब्सिडी) विधवाओं सहित उपरोक्त उल्लिखित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए [शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर] स्वीकृत की गई है। इसके अलावा इन विशेष वर्गों से संबंधित उद्यमियों के मामले में निजी अंशदान की दर सामान्य वर्ग के उद्यमियों के संबंध में परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की तुलना में परियोजना लागत का मात्र 5 प्रतिशत है। विधवाओं सहित महिला उद्यमियों के लिए निजी अंशदान के रूप में (सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की तुलना में) मात्र 5 प्रतिशत का अंशदान अपेक्षित है।

2008-09 में पीएमईजीपी के आरंभ से पहले सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में 01.04.1995 से 31.03.2008 तक खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही थी। आरईजीपी के तहत पात्र उद्यमियों की अधिकतम 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर तथा केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) भी

लेकर ग्रामोद्योग स्थापित करने में सहायता की जाती थी। आरईजीपी के तहत महिला उद्यमी (युद्ध के दौरान हुई विधवाओं सहित) सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए स्वीकृत 25 प्रतिशत की दर की तुलना में 30 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी सहायता हेतु (10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए) पात्र थीं। विधवाओं सहित महिला उद्यमियों के लिए निजी अंशदान के रूप में (सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की तुलना में) मात्र 5 प्रतिशत की राशि का अंशदान करना ही अपेक्षित था।

आरईजीपी को 2008-09 से बंद कर दिया गया है और 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन के लिए 4735 करोड़ रु. (मार्जिन मनी के लिए 4485 करोड़ रु. और बैकवर्ड फारवर्ड संपर्कों के लिए 250 करोड़ रु.) के अनुमानित परिव्यय से पीएमईजीपी नामक एक नई योजना की शुरूआत की गई है।

(ख) पीएमईजीपी अथवा आरईजीपी के तहत लाभान्वित हुईं विधवाओं की संख्या के संबंध में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामोद्योग में आरईजीपी के तहत महिलाओं (विधवाओं सहित) के लिए सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पीएमईजीपी के तहत 2008-09 के दौरान 61,697 परियोजनाओं की स्थापना और 6,16,937 अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद करने का लक्ष्य तय किया गया था तथा केवीआईसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत का लक्ष्य उद्दिष्ट करने की सलाह दी गई थी। 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी के तहत महिलाओं (विधवाओं सहित) के लिए सृजित रोजगार संबंधी राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार अंतिम आंकड़े केवीआईसी द्वारा देश भर से संकलित किए जा रहे आंकड़ों के संकलन के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत (विधवाओं सहित) महिलाओं के लिए सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आरईजीपी के तहत महिलाओं के लिए सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	11	15	22
2.	दिल्ली	35	81	93
3.	हरियाणा	8339	8550	13362
4.	हिमाचल प्रदेश	3857	5160	8718
5.	जम्मू और कश्मीर	5745	7022	9211
6.	पंजाब	5233	10742	12607
7.	राजस्थान	18725	13325	27497
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1412	97	80
9.	बिहार	3596	3721	5337
10.	झारखंड	1180	2199	1494
11.	उड़ीसा	3038	4921	6783

1	2	3	4	5
12.	पश्चिम बंगाल	11579	12923	34836
13.	अरुणाचल प्रदेश	583	635	838
14.	असम	15583	9326	7384
15.	मणिपुर	131	567	243
16.	मेघालय	616	656	1370
17.	मिजोरम	5736	4964	8179
18.	नागालैंड	1743	1013	3382
19.	सिक्किम	550	666	2991
20.	त्रिपुरा	1765	1765	550
21.	आंध्र प्रदेश	20753	18027	56691
22.	कर्नाटक	8524	12798	16027
23.	केरल	9610	9094	9248
24.	लक्षद्वीप	92	0	3
25.	पुदुचेरी	59	258	719
26.	तमिलनाडु	6301	7608	19234
27.	गोवा	252	419	242
28.	गुजरात	5639	4079	4308
29.	महाराष्ट्र	9718	8201	10670
30.	छत्तीसगढ़	5451	5346	4947
31.	मध्य प्रदेश	4828	6738	14585
32.	उत्तराखंड	3440	3307	3972
33.	उत्तर प्रदेश	14240	15424	15329
	कुल	178364	179648	300952

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का लेन परिवर्तन

3197. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से करीम नगर से हैदराबाद सहित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां कहीं भी आवश्यक हो, दो लेन को चार/छह लेन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष 2009-2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आंध्र प्रदेश सहित संपूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार/छह लेन का बनाया जा रहा है। करीम नगर से हैदराबाद सड़क एक राज्यीय राजमार्ग है और इस सड़क को 4/6 लेन बनाने का काम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर उपरिपुलों का निर्माण

3198. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चरण-2 के अंतर्गत मुजफ्फरनगर-मेरठ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर उपरिपुलों तथा सड़कों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है तथा परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विलंब के लिए संबंधित ठेकेदार/कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत ऊपरि पुलों सहित रारा-58 के मुजफ्फर नगर-मेरठ के खंड के निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन स्वीकृति और रेल ऊपरि पुलों के लिए रेलवे से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण विलंब हुआ है। परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए विल्लंगम मुक्त शेष भूमि, रियायतग्राही को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और उक्त बाधा को दूर करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। चूंकि विलंब के मामले, रियायतग्राही के नियंत्रण से बाहर हैं इसलिए रियायतग्राही के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ङ) इस परियोजना को दिसंबर, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

गन्ने की अधिक पैदावार की किस्में

3199. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की अधिक पैदावार वाली किस्में विकसित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ने की ग्यारह किस्में (सीओ-94008, सीओ-99004, सीओ-2001-13, सीओ-2001-15, सीओसी-01061, सीओ-98014, सीओ पन्त-97222, सीओ-एच-119, सीओ-0118, सीओ-0238 तथा सीओएलके-94184) विकसित की गईं जो संबद्ध कंट्रोल किस्मों से अधिक पैदावार देने वाली पायी गई। इन किस्मों को देश में व्यावसायिक खेती के लिए फसल मानकों, अधिसूचना और किस्में जारी करने वाली केन्द्रीय उप-समिति द्वारा जारी एवं अधिसूचित भी किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खनन पट्टे

3200. श्री चंदूलाल साहू: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हों लौह अयस्क का खनन पट्टा दिया गया है तथा वर्तमान में खनन कार्यों में लगे हैं; और

(ख) लौह अयस्क के खनन से ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) वर्तमान में लौह अयस्क के खनन कार्य में कार्यरत हैं। सेल के खनन पट्टे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हैं और एनएमडीसी के खनन पट्टे छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हैं।

(ख) सेल इस्पात संयंत्र में कैप्टिव उपयोग के लिए लौह अयस्क का खनन कर रहा है और यह लौह अयस्क का विक्रय नहीं कर रहा है। तथापि, उपरिव्यय को कवर करने के लिए अल्पमात्रा में लौह अयस्क फाइंस राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को भेजा जाता है। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान कर की कटौती के पश्चात् एनएमडीसी द्वारा लाभ क्रमश: 2320 करोड़ रु., 3251 करोड़ रु. और 4372 करोड़ रु. था।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को पेंशन

3201. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों को पेंशन दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेंशन की राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि की एक योजना, जिसे 1994 में प्रारंभ किया गया था, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आश्वासित मासिक पेंशन के रूप में जीवनपर्यंत सहायता प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत, वे खिलाड़ी जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा-ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हों तथा जिनकी आयु 30 वर्ष हो तथा सक्रिय खेल जीवन से सन्यास ले चुके हों, इस स्कीम के तहत जीवनपर्यंत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। 1 जुलाई, 2008 से पेंशन की दरें संशोधित कर दी गई हैं तथा पेंशन की संशोधित दरें निम्नलिखित हैं:-

1.	ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	10,000/- रु. प्रतिमाह
2.	ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	8,000/- रु. प्रतिमाह
3.	ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में रजत व कांस्य पदक विजेता	7,000/- रु. प्रतिमाह
4.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7,000/- रु. प्रतिमाह
5.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में रजत व कांस्य पदक विजेता	6,000/- रु. प्रतिमाह
6.	पैरा-ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5,000/- रु. प्रतिमाह
7.	पैरा-ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4,000/- रु. प्रतिमाह
8.	पैरा-ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3,000/- रु. प्रतिमाह

पद्म पुरस्कार

3202. श्री रमेश जिगजिणगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ संबंधी ज्ञान के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए मनोनयन तथा दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) पद्म पुरस्कारों को विनियमित करने की विद्यमान नीति और प्रक्रियाओं के संदर्भ में ये पुरस्कार नौ मुख्य क्षेत्रों/विषयों अर्थात् कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरी, व्यापार और उद्योग, औषधि, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा और खेल कूद में दिए जाते हैं। ''प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ संबंधी ज्ञान'' नामक उप-क्षेत्र को उल्लिखित मुख्य क्षेत्रों/विषयों में शामिल किया गया है। उप-क्षेत्रों/विषयों का कोई रिकार्ड रखे जाने की प्रथा नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

3203. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सहित विभिन्न

राज्यों में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों की किलोमीटर में कुल लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार, कार्यान्वयन के अधीन सड़कों की कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन सड़कों की कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबाई (किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1425.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.30
3.	अरुणाचल प्रदेश	167.00
4.	असम	402.41
5.	बिहार	152.88
6.	छत्तीसगढ़	476.80
7.	दिल्ली	87.00
8.	गोवा	43.00
9.	गुजरात	451.91
10.	हरियाणा	194.39
11.	हिमाचल प्रदेश	100.00
12.	जम्मू और कश्मीर	204.00
13.	झारखंड	207.62
14.	कर्नाटक	3010.00
15.	केरल	381.06
16.	मध्य प्रदेश	1200.76
17.	महाराष्ट्र	891.89
18.	मणिपुर	34.14
19.	मिजोरम	59.13
20.	नागालैंड	124.34
21.	उड़ीसा	254.30
22.	पुदुचेरी	9.34
23.	पंजाब	137.00
24.	राजस्थान	746.00
25.	सिक्किम	11.00
26.	तमिलनाडु	773.44
27.	त्रिपुरा	25.60
28.	उत्तर प्रदेश	969.59
29.	उत्तराखंड	153.00
30.	पश्चिम बंगाल	289.54

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा का स्तर

3204. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा के स्तर के संबंध में कोई अध्ययन कराया है/कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर संवर्धित करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षण, अंग्रेजी का शिक्षण, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना, छात्राओं की शिक्षा में संवर्धन के लिए प्रत्येक छात्रा को 200 रु. की राशि प्रदान किया जाना, मध्याह्न का भोजन प्रदान किया जाना, वर्दी, जूते, जुराब, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि प्रदान किया जाना।

कृषि क्षेत्र का सुसंगत विकास

3205. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग जैसी अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र के सुसंगत विकास से संबंधित नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तेजी से औद्योगिकीकृत होती जा रही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हित सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) सरकार ने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) की घोषणा की है। इस नीति दस्तावेज में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में प्राप्त विकास दर में पर ध्यान दिया है। इसलिए, एनपीएफ में घोषित एक प्रमुख लक्ष्य किसानों की निवल आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कृषि की प्रगति इस आय में हुई वृद्धि से मापी जाती है। एनपीएफ कृषि क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास दर में वृद्धि के उपाय किए जाने, किसानों की आय में वृद्धि किये जाने के लिए विभिन्न पहलों की शुरूआत का उल्लेख करता है। इसके बाद कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है जिसने वर्ष 2007 में एनपीएफ के परिचालन के लिए योजना को अंतिम रूप दिया है और इसे अक्तूबर 2008 में सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों में आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया था।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण और पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, व्यापक ऋण पैकेज, ऋण माफी स्कीम, सहकारी ऋण संस्थाओं का सुधार, तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन आदि जैसे अनेक अन्य पहलुओं को भी शुरू किया है।

लघु तथा कुटीर उद्योग

3206. श्री अर्जुन मुंडाः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड सहित देश में निम्न प्रतिव्यक्ति आय तथा अधिक गरीबी वाले राज्यों में बड़ी संख्या में स्वदेशी कौशल परम्परागत उद्योग, ग्रामीण उद्योग, प्रौद्योगिकी तथा कृषि उत्पादों पर आधारित लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समयबद्ध तरीके से इसे कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) निजी तौर पर लघु और कुटीर उद्योग स्थापित नहीं करती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। हालांकि सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी दर वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों सहित देश भर में क्रेडिट, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इन योजनाओं में से एक है, जिसके तहत उद्यमी "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में दी गई परिभाषा अर्थात् (1) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग, जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रु. से अधिक न हो, से संबंधित सामग्रियों के उत्पादन अथवा विनिर्माण, (2) सेवा प्रदान कर रहे उद्योग, जिनका उपकरण संबंधी निवेश 10 लाख रु. से अधिक न हो; के अनुरूप खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के मार्जिन मनी सहायता तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करके "सूक्ष्म उद्यम" स्थापित कर सकते हैं।

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के माध्यम से किया जाता है। झारखंड सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर योजना केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से बैंकों की सहभागिता

से किया जा रहा है। पीएमईजीपी के तहत प्रदत्त स्वीकार्य मार्जिन मनी सब्सिडी सहायता निम्नोक्त है:-

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां क्षेत्र (परियोजना/इकाई स्थल)	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सेवाकर्मी, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि)	05%	25%	35%

(ग) और (घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान पीएमईजीपी के तहत 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रस्तावित अनंतिम लक्ष्य निम्नोक्त हैं:-

वर्ष	अनुमानित रोजगार लक्ष्य (व्यक्तियों की संख्या)
2009-2010	616667
2010-2011	962000
2011-2012	1418833

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु सुरक्षा

3207. श्री अधीर चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी राशि आवंटित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस, राष्ट्रमंडल खेल-2010, दिल्ली का सफल आयोजन किए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं संबंधी सभी आवश्यक तैयारी करती रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

(1) संयुक्त पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में अप्रैल, 2006 में राष्ट्रमंडल खेल सुरक्षा योजना कार्यालय स्थापित किया गया है।

(2) गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 12,612 पद मंजूर किए हैं जिनमें 8213 पदों को राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए विशेष रूप से मंजूर किया गया है। इसमें वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए 426 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल है।

(3) दिल्ली पुलिस ने विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए एक्स-रे स्केनरों, डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टरों (डीएफएमडी), हैंड हैल्ड मैटल डिटेक्टरों (एचएचएमडी), वाहनों, संचार उपकरणों आदि जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों के प्रापण का प्रस्ताव किया है। इसमें 104.93 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल है।

(4) वर्ष 2008-09 के दौरान दिल्ली पुलिस को गश्त लगाने के लिए 1.05 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 200 नई मोटर साइकलें और 7.75 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 130 नए पीसीआर वाहन प्रदान किए गए थे जिनकी बेहतर दृष्टिगोचरता थी और जो शीघ्र गति पकड़ लेते थे ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति और अपराध की स्थिति में समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।

(5) सरकार ने एकल निविदा आधार पर 58 बाजार स्थानों और 27 सीमा जांच चौकियों में ईसीआईएल द्वारा स्थापित की जाने वाली सीसीटीवी प्रणालियों का भी अनुमोदन कर दिया है। दो पायलट परियोजनायें पूरी होने के अंतिम चरण में हैं।

(6) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत दिल्ली पुलिस को हाल में 40.80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

(7) शहर में 302 चौराहों/पारगमन (क्रासिंग) और 204 किमी. कवर करते हुए 87 कोरीडोरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) स्थापित किया जा रहा है। आईटीएस, यातायात प्रकाश प्रबंधन, सीमित यातायात क्षेत्र, पार्किंग प्रबंधन प्रणाली, यातायात उल्लंघन प्रवर्तन प्रणाली, परिवर्तित संदेश संकेत आदि कवर करेगा और आगे कार्रवाई किए जाने तथा मूल्य संवर्धित कार्यों के लिए केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की वीडियो दीवार पर भी उसे प्रदर्शित करेगा। आईटीएस परियोजना का चरण-1, राष्ट्रमंडल खेल (2010) की जरूरतों के अनुसार क्षेत्र विशेष को कवर करेगा।

(8) राष्ट्रमंडल खेल गांव सहित सभी आयोजन स्थलों की निर्माण योजनाओं का पुनरीक्षण, सुरक्षा दृष्टिकोण से दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

(9) गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित आयोजन स्थलों के मालिकों को निर्माणाधीन स्थलों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश, कायान्वयन किए जाने हेतु जारी किए हैं। तदनुसार, कामगारों, सुरक्षा पैरामीटर, ऐक्सेस कंट्रोल आदि का पुलिस द्वारा सत्यापन किए जाने पर आयोजन स्थलों के मालिकों ने कदम उठाए हैं।

(10) समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में शक्तिप्राप्त सुरक्षा समिति (ईएससी) और अपर सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल खेल सुरक्षा समीक्षा समिति (सीडब्ल्यूजीएसआरसी) का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्यार्थियों हेतु स्मार्ट कार्ड

3208. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कार्ड तथा मासिक पास संबंधी योजना को कार्यान्वित करने हेतु धनराशि के अनुरोध से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) मार्च, 2009 में कर्नाटक सरकार से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनईकेआरटीसी) और बंगलौर महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) द्वारा शुरू किए जाने वाले स्मार्ट कार्ड आधारित छात्र पासों और मासिक यात्री पासों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक योजना के प्रारूप को योजना आयोग ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चूंकि इस योजना को अंतिम रूप प्रदान करने में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) जैसे उपयुक्त प्राधिकरण का निर्णय/समुक्ति शामिल है इसलिए उक्त प्रस्तावों पर विचार के लिए किसी निश्चित समय-सीमा के बारें बता पाना अभी संभव नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्गों के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

3209. श्री टी.आर. बालू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़ा वर्गों के कितने अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में हैं तथा पूरे संवर्ग में उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या इस संवर्ग के ऐसे अधिकारियों का प्रतिशत आरक्षण के मानदंडों के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सीधी भर्ती के आईपीएस अधिकारियों की कुल संक्या 251 है। आईपीएस में ओबीसी श्रेणी को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 1994 से 27% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ओबीसी श्रेणी को यह आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा. सं. 6012/2/96-स्था. (रिज.) के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है। सीएसई 1994 से 2007 तक कुल 940 अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई है। इन 940 अधिकारियों में से 251 अधिकारी ओबीसी श्रेणी के हैं।

(ख) संवर्ग में अधिकारियों का प्रतिशत, आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के साथ हिंसा

3210. श्री उमाशंकर सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्य राज्यों से आए तथा अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के साथ हिंसा की अनेक घटनाओं की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश/निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों से आकर अध्ययन कर रहे बाहरी विद्यार्थियों के साथ महाराष्ट्र में और अभी हाल ही में कर्नाटक में हिंसा की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। इन घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई है। विवरण एकत्र किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है और मामलों को दर्ज करने/जांच करने, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने आदि जैसी कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार देश में कानून एवं व्यवस्था की नियमित आधार पर समीक्षा करती है और इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों के साथ सूचना की भागीदारी करने के अलावा उनसे निकट का संपर्क बनाए रखती है। जब भी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र भी भेजे जाते हैं। कई अवसरों पर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर हालात से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों की सहायतार्थ केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करके उन्हें सहायता भी मुहैय्या कराती है।

[अनुवाद]

अनाज एवं दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3211. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी अनाजों तथा दालों के संबंध में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी का रुझान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) मौसम दशाओं में भिन्नताओं के कारण मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव होने के कारण खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2004 से 2008 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों, अनाजों तथा दालों की शुद्ध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(ग्राम प्रति दिन)

वर्ष	मोटे अनाज	दालें	खाद्यान्न
2004	426.9	35.8	462.7
2005	390.9	31.5	422.4
2006	412.8	32.5	445.3
2007	407.4	35.5	442.8
2008 (अनन्तिम)	374.6	41.8	436.0

(ग) उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने तथा खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, सरकार अनेकों कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। 2007-08 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) की समाप्ति तक चावल उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन तथा दालों के उत्पादन में 2 मिलियन टन तक की वृद्धि करना है। 2007-08 में प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देश में कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि करने तथा पैदावार अन्तरों में कमी करने के लिए प्रयत्न किया गया है। सरकार अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों, रोगमुक्त पौध लगाने संबंधी सामग्री, उचित दरों पर संस्थागत ऋणों को पर्याप्त एवं आसान पहुंच, कृषि विपणन मूलभूत सुविधाओं का विकास भी प्रदान करती है। विस्तार क्रियाकलापों के माध्यम से, किसानों को आधुनिक कृषि व्यवसायो को अपनाने संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। देश में किए गए उत्पादन एवं उपलब्धता के अनुसार, सरकार द्वारा समुचित उपाय किए जाते हैं जिसमें आयातों की समीक्षा शामिल है।

सड़क निर्माण कम्पनियों के लिए ऋण

3212. डॉ. के.एस. राव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजमार्ग निर्माण कम्पनियों के पास निधियों की कमी से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत सड़कों के निर्माण में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा छोटी और मध्यम सड़क निर्माण कम्पनियों को वित्तीय राहत देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण दिलाने में सड़क निर्माण कम्पनियों की सहायता करने हेतु कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने, सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और इनके समय पर पूरा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अर्थव्यवस्था में मौजूदा गिरावट और वैश्विक मंदी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को सौंपा जाना प्रभावित हुआ।

(ग) छोटी एवं मझोली सड़क निर्माण कम्पनियों के लिए कोई पृथक नीति नहीं है। तथापि, नकदी प्रवाह की समस्या को कम करने के लिए ठेकेदारों के अनुरोध पर ब्याज-शुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करने, समान धनराशि की बैंक गारंटी पर प्रतिधारण राशि रिलीज करने और अग्रिमों (ब्याज आधार पर) की वसूलों के स्थगन जैसे कुछ उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, वर्ष 2008 के दौरान अनुमोदित और 2009 में अनुमोदित होने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने निर्माण अवधि के दौरान ही संपूर्ण अर्थक्षमता अंतर वित्त पोषण जारी करने और उन परियोजनाओं जिनकी टीपीसी का मूलतः आकलन 2005-06 में किया गया था, के मामले में कुल परियोजना लागत को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने जैसे उपाय किए हैं। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सरकार ने इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कारपोरेशन को करमुक्त बांडों के माध्यम से धन जुटाने के लिए भी अनुमति दे दी है।

संतरा उत्पादकों की सहायता

3213. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि संतरा उत्पादक महाराष्ट्र सहित देश में घटते भू-जल स्तर के चलते समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संतरा उत्पादकों ने बहते पानी के भंडारण हेतु सामुदायिक जल टैंक खोदने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन तथा विपणन राजसहायता राशि तथा सामुदायिक टैंकों हेतु बजट में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) देश में घटते भू-जल स्तर के कारण सामना की जा रही समस्याओं के बारे में सूचना नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के संतरा उत्पादक क्षेत्रों में भू-जल स्तर घट जाने की सूचना दी है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य संतरा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अधीन पोखर कृषि समुदाय के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की मांग की है।

फल फसलों को संरक्षित सिंचाई दिए जाने के लिए, तालाब/पोखर समुदाय संघटक को एनएचएम में शामिल किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण 564 सक्रिय समुदाय टैंक को 864.93 लाख रुपये और 72 नये समुदाय टैंक के लिए 349.92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) स्कीम के अधीन फार्म पोण्ड, जलनिकायों और मालगुजारी टैंक की मरम्मत के लिए 144.00 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। कटाई पश्चात प्रबंधन और विपणन के लिए राज सहायता राशि बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है और सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र सरकार से एनएचएम के अधीन समुदाय टैंकों के बजट आवंटन को 15 प्रतिशत से 33 प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। एनएचएम स्कीम के मुख्य बिन्दु में अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज द्वारा बागवानी के समग्र विकास पर, पौधशालाओं की स्थापना और कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन, जल तालाबों/अलग पोखरों के निर्माण के लिए परिव्यय का 33 प्रतिशत का समायोजन निधि उपार्जित करना व्यावहारिक नहीं है।

इसके अतिरिक्त सरकार की कुछ अन्य स्कीमों जैसे आरकेवीवाई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) और पनधारा विकास स्कीम भी जल कृषि निर्माण के विकास के लिए सहायता दे रही है।

सी.आई.एस.एफ. सुरक्षा सुविधा

3214. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ः**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सीमावर्ती राज्यों और अशांत क्षेत्रों में स्थित सभी बांधों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) सुरक्षा सुविधा मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों स्थित इंडियन मिशनों को सुरक्षा हेतु सी.आई.एस.एफ. मुहैया कराने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में सरकार ने सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों की तैनाती हेतु मानदंड की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती के लिए सरकार द्वारा निर्णीत प्राथमिकताओं के अनुसार देश के सभी बड़े बांध प्राथमिकता-1 के अंतर्गत आते हैं। चूंकि सी.आई.एस.एफ. एक आवश्यकता आधारित बल है इसलिए इसकी तैनाती सी.आई.एस.एफ. को तैनात कराए जाने के इच्छुक संबंधित प्रबंधन द्वारा औपचारिक मांगपत्र प्रस्तुत किए जाने से सीधे ही सम्बद्ध है। संबंधित प्रबंधन से अनुरोध भाखड़ा बांध (पंजाब) और तुंगभद्रा बांध (कर्नाटक) पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के लिए आपेक्षित मानव शक्ति के आकलन का सर्वेक्षण करने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(ग) विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशनों को खतरे की आशंका के आधार पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है जिनमें सी.आई.एस.एफ. भी शामिल है।

(घ) सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों की तैनाती, काठमांडु (नेपाल) और कांस्यूलेट जनरल आफ इंडिया, बीरगंज (नेपाल) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में ड्राईवर की ड्यूटी निष्पादित करने के लिए सी.आई.एस.एफ. के छः कार्मिकों को तैनात किया गया है।

(ङ) और (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य संस्थानों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के विद्यमान मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि सरकार द्वारा हाल ही में प्राईवेट/संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के लिए एक नीति का निर्णय लिया गया है।

फलों और सब्जियों में कीटनाशकों का प्रयोग

3215. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलों और सब्जियों में उच्च मात्रा में कीटनाशकों के अवशिष्ट पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशिष्टों हेतु कोई अनुमत्य सीमा निर्धारित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सुरक्षित खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक प्राधिकरण गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार 'राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की अनुवीक्षण नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति के लिए फल और सब्जियों सहित विभिन्न खाद्य जिन्सों के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। अप्रैल, 2007 से मार्च, 2009 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारक (पीएफए) अधिनियम के तहत विश्लेषित फलों और सब्जियों के मात्र 2.3 प्रतिशत नमूनों में निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत फलों और सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं में विभिन्न कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित किए जाएं और उनके विनिर्माण, उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन किया जाए।

[हिन्दी]

दलहनों का उत्पादन

3216. श्री बाल कुमार पटेलः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री राजनाथ सिंहः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दालों की कीमतों में वृद्धि तथा इनके उत्पादन में सतत कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप दलहनों का उत्पादन कितना बढ़ने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94=100) के अनुसार, 11 जुलाई, 2009 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए दालों के समग्र मूल्य विगत वर्ष की तुलना में 15.91% अत्यधिक थे।

2004-05 से देश में दालों के अनुमानित उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। 2006-07 के दौरान 14.20 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में, 2007-08 के दौरान दालों का उत्पादन 14.76 मिलियन टन तक अनुमानित था। तथापि, 21 जुलाई, 2009 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2008-09 के दौरान दालों का उत्पादन 14.66 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत वर्ष के दौरान उत्पादन की तुलना में कुछ कम है।

(ग) और (घ) दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार 1.04.2004 से 14 मुख्य दाल उत्पादक राज्यों में "एकीकृत तिलहन, दाल, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम)" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है।

आइसोपाम के अतिरिक्त, सरकार ने दालों की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत की है:

(1) 2007-08 में शुरू किए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालों का क्रियान्वयन 14 मुख्य दाल उत्पादक राज्यों के 171 अभिज्ञात जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालों का उद्देश्य 11वीं योजना अर्थात् 2011-12 के अन्त तक देश में दालों के उत्पादन में 2 मिलियन टन तक वृद्धि करना है।

(2) कृषि वृहत प्रबंधन योजना (संशोधित) उन राज्यों के दालों के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है जिन्हें एकीकृत तिलहन, दाल, पाम आयल एवं मक्का योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है।

(3) 2007 के दौरान प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य विकास कार्यक्रम की शुरूआत कर सकते हैं।

जयपुर-आगरा राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

3217. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जयपुर-आगरा राजमार्ग को चार लेनों वाला बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस कार्य को संपन्न किया;

(ग) क्या राजमार्ग के किनारे पौध रोपण करने संबंधी दिशा-निर्देशों/शर्तों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने पेड़ लगाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) सरकार द्वारा इस परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जयपुर से आगरा तक 211.70 किमी. को 4 लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 में कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी तक दौसा से आगरा तक 157 किमी. में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और जयपुर से दौसा तक 45.7 किमी. की शेष लंबाई में कार्य प्रगति पर है।

(ख) जयपुर से आगरा तक 4 लेन बनाने का कार्य 3 पैकेजों में किया जा रहा है। ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वृक्षारोपण कार्य के तेजी से कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के उच्चतर स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

विवरण I

विभिन्न पैकेजों का विवरण

क्र.सं.	खंड का नाम और चैनेज	लंबाई किमी. में	रियायतग्राही का नाम	स्वतंत्र परामर्शदाता का नाम
1.	जयपुर (किमी. 229.40 पर) से (महुआ (किमी. 12.00 पर)	109.4	मैसर्स जयपुर महुआ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	मैसर्स आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड
2.	महुआ (किमी. 120.00 पर) से भरतपुर (किमी. 62.30 पर)	57.70	मैसर्स मधुकोन आगरा-जयपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड	मैसर्स आरवी एसोसिएट्स
3.	भरतपुर (किमी. 62.30 पर) से आगरा (किमी. 17.70 पर)	44.60	मैसर्स ओरियंटल पाथबेज (आगरा) प्राइवेट लिमिटेड	मैसर्स लुई बरगर ग्रुप इनकारपोरेटिड

विवरण II

वृक्षारोपण का ब्यौरा

(आंकड़े संख्या में)

क्र.सं.	खंड का नाम	ऐवन्यू में वृक्षारोपण	
		किया गया प्रावधान	लगाए गए वृक्ष
1.	जयपुर-महुआ	48000	41000
2.	महुआ-भरतपुर	32000	21924
3.	भरतपुर-आगरा	14000	14000

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं

3218. श्री निशिकांत दुबे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के विकास हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) डोनर मंत्रालय अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाएं अनुमोदित करता है। पूर्वोत्तर परिषद भी उत्तर-पूर्वी राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत करता है। तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में विभिन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित परियोजनाओं के नाम तथा स्कीमें विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएलसीपीआर के अंतर्गत विभिन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनुमोदित परियोजनाओं के नाम ''एनएलसीपीआर'' में तथा राज्यवार उप शीर्ष ''ई-अनुमोदित परियोजनाएं'' के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। इन परियोजनाओं में से कुछ का संपूरण अभी लंबित है। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। विलंब के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दीर्घावधि वर्षा ऋतु के कारण लघु कार्यावधि, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी करने में विलंब, कानून तथा व्यवस्था संबंधी समस्याएं तथा तकनीकी तथा व्यवसायिक विशेषज्ञता की सीमितता हैं।

(घ) इसका कार्यान्वयन शीघ्रता से करने के लिए इन परियोजनाओं की उनके शीघ्र पूरा करने हेतु नियमित रूप से निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां समय पर जारी करने तथा मुख्य सचिव के स्तर पर तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

विद्युत क्षेत्र (लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	पासीघाट से मेबो तक उपस्थित 33 केवी लाइन के रिलाइनमेंट समेत सुधार तथा पुनर्निमाण और अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा सिकू नदी पर पुल का निर्माण	246.00	125.00
2.	अरुणाचल प्रदेश के हपोली जिला क्षेत्र (जीरो) में एल.टी. वितरण प्रणाली का संवर्धन तथा सुधार	467.00	350.00
3.	अरुणाचल प्रदेश में निर्जुली में नाहरलागुन विद्युत प्रभाग के अंतर्गत वैद्युत स्थापन का प्रणाली सुधार	500.00	200.00
4.	मेघालय के बिरनीहाट में 33 केवी उमतरू स्विचयार्ड तथा 132 केवी ई.पी.आई.पी.-1 पर कैपेसेटर बैंक की स्थापना	310.29	200.00
5.	सिक्किम के गंगटोक के एम.जी. रोड तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में उपस्थित वितरण प्रणाली का उन्नयन तथा पुनर्निर्माण	451.00	350.00
6.	पूर्वी सिक्किम के पाकयोंग बाजार में एच टी तथा एल वाई विद्युत आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण तथा संवर्धन	228.00	205.00
7.	त्रिपुरा में 1×21 मेगावाट बारामुरा इकाई-5 गैर आधारित विद्युत परियोजना	8000.00	4220.60
8.	खोंसा से चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	498.00	160.00
9.	अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में रागा इलैक्ट्रीकल उप-प्रभाग के तहत प्रणाली सुधार	490.00	250.00
10.	सागली प्रशासनिक ब्लाक, पापुमपारे जिला, अरुणाचल प्रदेश के तहत मेंजियो सर्कल में विद्युत आपूर्ति का सुधार	492.00	250.00
11.	मेलरायत सब स्टेशन (14.5 किमी.) से लुआंगमौल तक 132 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन तथा 132 केवी खाड़ी लुआंगमौल, आइजोल का निर्माण	499.00	60.00
12.	सियालसुक, मिजोरम में 33 केवी सब स्टेशन के साथ सेरचिप सब-स्टेशन से सियालसुक तक 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	497.00	250.00
13.	मेघालय के उरनियाम में 132/33 केवी, 2×20 एमवीए सब-स्टेशन का निर्माण	480.00	80.00
14.	मेघालय के उमियाम में सुमेर नेहू लाइन पर 132/33 केवी, 2×20 एमवीए सब-स्टेशन पर 132 केवी लीलो का निर्माण	494.00	250.00

1	2	3	4
15.	132/33 केवी मेलुरी सब-स्टेशन, नागालैंड का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण	496.00	260.00
16.	दक्षिणी सिक्किम में राबोंग में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में सभी विद्युत तंत्रों के भूमिगत केबल प्रणाली में उपस्थित ओवरहैड एलटी लाइन का पुनर्निर्माण तथा रूपांतरण	495.00	250.00
17.	सिक्किम के गंगटोक के अम्बेडकर रोड, मुंशी कालोनी, भोजी घरी तथा सोनम ग्यातसो मार्ग और अरीथांग क्षेत्रों में उपस्थित वितरण प्रणाली के उन्नयन के साथ भूमिगत केबल प्रणाली में ओवरहैड एचटी तथा एलटी ओवरहैड लाइनों का रूपांतरण	497.00	250.00
18.	पश्चिमी सिक्किम के पेल्लिंग के घने क्षेत्रों में भूमिगत केबल प्रणालियों से संबंधित सेवाओं समेत उपस्थित 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन तथा 440 वोल्ट, एलटी वितरण, ओवरहैड लाइनों का रूपांतरण	476.44	60.00
19.	असम में लुंगनित लघु हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण 1 तथा 2 (2×1.50 मेगावाट)	500.00	150.00
20.	मणिपुर के लैंडेम, हांगबेइ, लामडैंगमेइ और दोलांगखुनो गांवों में 4 नं. 1×10 के.डब्ल्यू. लगाना	94.16	63.56
21.	लखरोह मिनी हाइडेल परियोजना (1×1500 के.डब्ल्यू.), जेनतिया हिल्स, मेघालय	500.00	187.00
22.	अरुणाचल प्रदेश के तामेन में 2×3.15 एमवीए, 33/11 सब-स्टेशन के साथ ओल्ड जीरो से तामेन तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	451.00	318.00
23.	एमईएसईबी के विद्युत स्टेशन की सुरक्षा प्रणाली तथा 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण	485.36	367.00
24.	मेघालय के उमतरू-स्विचयार्ड में चरण-4 से सरूसजाई लाइन (4.08 किमी) तक लीलो 132 केवी डी/सी का निर्माण	350.00	240.00
25.	अजिया (असम) से नांगलबिब्रा (मेघालय), (110 किमी) डी/सी टॉवर पर 132 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	4332.00	2518.00
26.	आइजोल (10 किमी) के लिए एरियल बंच्ड केबल के साथ एल.टी. ओवरहैड लाइन	470.00	345.00
27.	जोखाओसैंग, असम राइफल्स परिसर एरिया, मिजोरम में 2.5 एमवीए, 33/11 केवी सब-स्टेशन का निर्माण	368.00	289.00
28.	सिक्किम के गंगटोक में उपस्थित 3.3 केवी प्रणाली का 11 केवी प्रणाली में उन्नयन तथा रूपांतरण	318.00	286.20
29.	पश्चिमी सिक्किम में गयालशिंग में 66/11 केवी स्विचयार्ड पर 66 केवी बे का विस्तार तथा सारडुंग (यांगथांग) में 66/11 केवी, 1×5 एमवीए सब-स्टेशन का निर्माण	429.11	386.00

1	2	3	4
30.	पूर्वी सिक्किम में रोंगली एचईपी से सुनडुंग तक एक 66 केवी लाइन बे के निर्माण के साथ रोंगली एचईपी में 2×3.5 एमवीए, 3.3/66 केवी स्विचयार्ड सह सब-स्टेशन का डिजाइन, आपूर्ति, विस्तार, जांच, संचालन	426.00	383.00
31.	गंगटोक में रिंग मुख्य तंत्र के भाग के रूप में 11/11 केवी टीएनए सब-स्टेशन के साथ 11 केवी विकास क्षेत्र सब-स्टेशन का अंतर संबंध	102.00	92.00
	कुल	24442.36	13395.36
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण और डब्ल्यू.एस.एम. क्षेत्र			
1.	सेलेम एच.ई. परियोजना	450.00	100.00
2.	गारो हिल्स में गनोल एच.ई.पी.	211.00	40.00
3.	कारबी आंगलांग में अमरिंग एच.ई.पी.	210.00	40.00
4.	मेघालय में माओबलेइ एच.ई.पी.	416.00	20.00
5.	गंगटोक के लिए सेलेप वाटर के फीडर का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	202.32	50.00
6.	सिक्किम के नामची जिले के फेज-2 में जल आपूर्ति योजना	443.50	50.00
7.	मेघालय में 150 मेगावाट की उमंगोट एच.ई.पी.	430.78	130
8.	दक्षिणी सिक्किम के नामची जिले में फेज-1 में वितरण तालाब उपलब्ध कराते हुए जल आपूर्ति	432.76	342.75
9.	मेघालय में मैंदुह लेस्का एच.ई.पी.	293.75	115.00
10.	आई सी डी एस केन्द्रों को जलापूर्ति	293.75	115.00
11.	डोलुंग में डोलुंग नदी पर ए/ई कार्य	344.64	302.50
12.	रानीपुल डब्ल्यू.एस.एस.	393.83	354.45
	कुल	3855.98	1569.36
औद्योगिक क्षेत्र			
1.	यूनिडो-सीबीसीटी चरण 2 परियोजना	293.16	73.29
2.	असम के बर्निहाट में बांस तकनीकी पार्क की स्थापना	418.23	100.00
3.	मेघालय सरकार से सेरीकल्चर विभाग द्वारा मेघालय में कार्यान्वित मुगा विकास के लिए एकीकृत परियोजना	224.00	112.00
4.	सेरांग में बांस तकनीकी पार्क की स्थापना	209.70	150.00
	कुल	1145.09	435.29

1	2	3	4
पर्यटन क्षेत्र			
1.	आइजोल के सिहमुई में पर्यटन केन्द्र/पिकनिक स्थल सह जैविक उद्यान की स्थापना	49.00	40.00
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र			
1.	असम में गुवाहाटी के नेमकेयर अस्पताल में आधुनिक बर्न केयर यूनिट की स्थापना	300.00	90.00
2.	कोहिमा, नागालैंड में बीथल चिकित्सा अनुसंधान सोसायटी का आधुनिकीकरण	375.00	50.00
3.	गुवाहाटी, असम में श्री शंकरदेव नेत्रालय के चरण-1 विस्तार को सहयोग	400.00	400.00
4.	दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र : अलांग	147.11	24.56
5.	दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र : नामची	135.00	43.20
6.	पी एच सी में एक्स-रे ब्लॉक, रसोई तथा गैराज सह सेमीनार कक्ष के निर्माण के लिए सहयोग	284.79	180.00
7.	अगरतला में दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र	160.81	63.73
8.	कुलई में दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र	160.81	63.73
9.	निचले सुबनसिरी में रागा/बोआ सिमला में पीएचसी का उन्नयन	298.72	218.85
10.	जोवई में दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र	80.00	72.00
11.	टूरा में दुर्घटना तथा ट्रामा केन्द्र	80.00	72.00
12.	कम्पलीमेंट्री थेरेपी तथा विकल्प के लिए केन्द्र की स्थापना	41.00	36.90
13.	आइजोल में प्रेसबीटेरियन अस्पताल में 6 बिस्तर वाले आई.सी.यू. के लिए सहयोग	229.52	206.57
14.	दीमापुर के जिओन अस्पताल में उपकरण तथा मशीनरी की खरीद	482.39	434.15
15.	फेक जिले में तोऊफेमा, कोहिमा जिला तथा रूझाझो के दुर्गम क्षेत्रों में 2 संख्या के पी एच सी के निर्माण को सहयोग	131.04	117.94
	कुल	3306.19	2073.63
मानव संसाधन विकास क्षेत्र			
1.	बंदा बहादुर मार्ग, नई दिल्ली में ढाका हाऊसिंग परिसार दिल्ली विश्वविद्यालय में राजीव गांधी कन्या छात्रावास का निर्माण	1400.00	850.00
2.	आई.टी.आई. मिआओ के आवास गृह तथा स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण	86.58	75.00
3.	दिरांग में आच्छादित गैलरी का निर्माण	263.00	202.00

1	2	3	4
4.	सारिहाजान में खेल छात्रावास का निर्माण	59.47	40.00
5.	खेल के मैदान का सुधार	31.62	22.00
6.	कार्यालय सह दरबार हाल का निर्माण	38.59	30.00
7.	खाटला, चरण-1 में खेल परिसर का निर्माण	84.44	73.33
8.	मिमबुंग गांव में खेल के मैदान का निर्माण	14.50	12.00
9.	जसोला, नई दिल्ली में उत्तर-पूर्वी राज्यों की कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना	436.12	333.95
10.	200 सीट क्षमता वाले कन्या छात्रावास का निर्माण	100.00	90.00
11.	खलीहरियाल में कालेज बिल्डिंग तथा स्टाफ क्वाटर्स का विस्तार	100.00	85.00
12.	पांगशा गांव में खेल के मैदान का निर्माण	7.35	5.00
	कुल	2621.67	1818.28
विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र			
1.	मिजोरम में आपदा प्रबंधन प्रणाली	185.00	80.00
2.	सिक्किम के लिए सिक्किम ई-शिक्षा इंफोसिस	444.00	100.00
3.	नागालैंड बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन के साथ माध्यम तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों का आनलाइन सम्पर्क	213.00	130.32
4.	नागालैंड राज्य अंतरिक्ष संबंधी डाटा संरचना तथा नागालैंड की प्राकृतिक हैजार्ड जोनेशन मैपिंग	372.00	85.00
5.	उत्तर-पूर्व भारत में आपदा शमन के लिए आनलाईन/वास्तविक सामयिक सिजमिक तंत्र (नया प्रस्ताव)	170.00	25.00
	कुल	1384.00	420.32
परिवहन तथा संचार क्षेत्र			
1.	कुमिन खोर सड़क (सिक्किम) का निर्माण/सुधार	359.00	300.00
2.	सिलचर-कालेन सड़क का पुनरुद्धार	492.84	300.00
3.	लेंगपुई हवाईअड्डे (मिजोरम) का सुधार	1492.00	1000.00
4.	देवलालैंड, इम्फाल, मणिपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का निर्माण	2640.00	500.00
5.	सोनापुर-उमदेन सड़क (मेघालय)	4260.00	2740
6.	जोट्टे-बालीजन सड़ंक (असम)	1515.00	1250

1	2	3	4
7.	सुमिन खोर सड़क (सिक्किम) का निर्माण/सुधार	359.00	300.00
8.	चीफोबोजोऊ-टोऊफेमा-चेथू (नागालैंड)	488.00	280.00
9.	हरमोती-दोइमुख सड़क का सुधार (अरुणाचल)	491.00	400.00
10.	मोत्तुम तिनाली से मक्तुमघाट (अरुणाचल) तक सड़क का सुधार	471.00	380.00
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग-150 चालफिल्ह (वनजाऊ) पर्यटन केन्द्र (मिजोरम) के बीच विलुप्त सम्पर्क	345.00	200.00
12.	असम के टिम्बर पुल का रूपांतरण		
	(क) धूपदारा-अदोगिरी सड़क	608.77	280.00
	(ख) कुष्णनई-मेदीपथार	904.77	370.00
	(ग) अमिनगांव उत्तरी गुवाहाटी	172.85	100.00
	(घ) रांगसेई-बोरझोरा-बाजेंगदोबा	438.19	200.00
13.	आई एस बी टी जोरहाट (असम)	1137.00	890.00
14.	फटीकरॉय-कालीशहर-धर्मनगर (त्रिपुरा)	5469.00	5365.00
15.	सेप्पा-च्यांगताजो सड़क (अरुणाचल)	9051.00	1800.00
16.	डिगबोई-पेंगेरी-बोरडुमसा सड़क (अरुणाचल)	4943.00	1600.00
17.	डिगबोई-पेंगेरी-बोरडुमसा सड़क (असम)	4289.00	1900.00
18.	पंडित हेमचंद्र गोस्वामी पथ (असम)	3068.00	1900.00
19.	ना अली सड़क (असम)	5280.00	2400.00
20.	तुएनसांग-लांगलेंग-लदाईगढ़ (असम)	1414.00	500.00
21.	तुएनसांग-लांगलेंग-लदाईगढ़ सड़क (नागालैंड)	5150.00	950.00
22.	वोखा-मेरपानी सड़क (असम)	3483.00	1600.00
23.	वोखा-मेरपानी (नागालैंड)	4445.00	3500.00
24.	चूराचांदपुर-सिंगहाट (मणिपुर)	2732.00	2200.00
25.	धर्मनगर-तिलथाई-दामचेरा (त्रिपुरा)	6625.00	2700.00
26.	मेलिंग-फोंग सड़क (सिक्किम) पर 9 किमी. तक रबी खोला नदी के ऊपर 102 मी स्पैन स्टील पुल के साथ सस्पेंसन पुल का स्थानांतरण	497.00	405.00
	कुल	72620.42	36310.00

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई, लंबित परियोजनाओं की सूची

एन ई सी के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाएं (रु. लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	ग्यालसिंग में 66/11 के वी स्विचयार्ड में एक 66 केवी व्यय का विस्तार और पश्चिम सिक्किम में सरदंग में 66/11, 1×5 एमवीए उपकेंद्र का निर्माण	429.11	386.00
2.	मेघालय में 150 मेवा का उपगोट एचईपी	430.78	130.00
3.	दक्षिणी सिक्किम नामची शहर में जलापूर्ति वितरम जलाशय फेज 1 उपलब्ध कराना	432.76	342.75
4.	दोउलिंग में दोउलिंग नदी पर ए/ई कार्य	344.64	302.50
5.	सइरांग में बांस प्रौद्योगिकी पार्क बनाना	209.70	150.00
6.	श्री संकरदेव नेत्रालय, गुवाहाटी, असम, चरण-1 के विस्तार को सहायता	400.00	400.00
7.	दुर्घटना तथा आपात केन्द्र : अलांग	147.11	24.56
8.	दुर्घटना तथा आपात केन्द्र : नामची	135.00	43.20
9.	पी एच सी में एक्सरे ब्लॉक, रसोई तथा गैरेज व सम्मेलन कक्ष के निर्माण के लिए सहायता	284.79	180.00
10.	दुर्घटना तथा आपात केन्द्र : अगरतला	160.81	63.73
11.	दुर्घटना तथा आपात केन्द्र : कुलाय	160.81	63.73
12.	राजीव गांधी कन्या छात्रावास, ढाका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, बंदा बहादुर मार्ग, नई दिल्ली में निर्माण	1400.00	850.00
13.	आई आई टी मियाओ में आवासीय परिसर और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	86.58	75.00
14.	दिरांग में ढकी हुई गैलरी का विकास	263.00	202.00
15.	खेल के मैदान का सुधार	31.62	22.00
16.	कार्यालय-सह-दरबार हॉल का निर्माण	38.59	30.00
17.	खाटला चरण-1 में खेल परिसर का निर्माण	84.44	73.33
18.	मिम्बंग गांव में खेल के मैदान का निर्माण	14.50	12.00
19.	जसोला, नई दिल्ली में उत्तर-पूर्वी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना	436.12	333.95
20.	200 सीटों वाले कन्या छात्रावास का निर्माण	100.00	90.00
	कुल	5590.36	3774.75

1	2	3	4
एन एल सी पी आर के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाएं			
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	सर्वशिक्षा अभियान 2006-07	14.29	14.29
2.	त्वांग जिले में कित्पी में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय	5.21	3.64
3.	अरुणाचल प्रदेश में (जनरल हॉस्पीटल, नाहरलागुन) में स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं से संबंधित अवसंरचना का सुदृढ़ बनाना	4.72	4.12
4.	आर के मिशन हॉस्पीटल, ईटानगर में चिकित्सा उपकरणों का स्तर बढ़ाना	4.08	3.67
5.	आर के मिशन हॉस्पीटल, ईटानगर के लिए "कॉरपस निधि"	22.22	20.00
6.	अरुमाचल प्रदेश में विधान सभा भवन का निर्माण	38.92	5.00
7.	त्वांग मोनेस्ट्री से एनीगोंपा तक रोपवे	3.31	2.04
8.	33 केवी एक्सप्रेस लाइन त्वांग से लुंबा तक 33/11 केवी सहित और 2×1.6 एमवीए उपकेंद्र लुमला में	6.22	5.60
9.	पश्चिमी कामेंग जिले में नाफरा से नाखु और नाचीबन तक सड़क (11 किमी)	7.54	4.26
10.	एन एच 52 'क' सड़क से पप्पू हिल सेटलमेंट तक सड़क का निर्माण (2 किमी)	3.99	1.26
11.	त्वांग जिले में लुमला नगर में जलापूर्ति	4.88	4.27
	असम		
12.	असम के लिए सर्वशिक्षा अभियान (2006-07) (1409)	102.93	102.93
13.	220/132 केवी, 1×50 एमवीए, 132/33 केवी तथा 1×16 एमवीए अगिया उप स्टेशन का निर्माण (1478)	7.39	6.5
14.	कोकराझार में धुबरी-काचुगांव सड़क संपर्क सहित आरसीसी पुल संख्या सं. 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1 तथा 45/1 का निर्माण	5.16	1.63
15.	असम में नीलबागान-होजाई रोड पर संपर्क सहित आरसीसी पुल संख्या 1/1 तथा 4/1 का निर्माण (1399)	1.92	1.71
16.	धेमाजी जिले में पुकिया सिलपाथर सड़क पर संपर्क सहित आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण (1391)	1.37	1.22
17.	नागांव जिले में नागांव-भुरागांव सड़क पर संपर्क सहित आरसीसी पुल सं. 4/1 तथा 15/1 का निर्माण	4.34	3.87
18.	हेलाकांडी जिले में सिल्चर-हेलाकांडी सड़क पर संपर्क सहित आरसीसी पुल सं. 38/1, 43/1, 43/3 तथा 44/2 का निर्माण (1393)	3.53	1.11
19.	गोलपारा जिले में गुरनागर तिकरीकिला सड़क पर संपर्क सहित आरसीसी पुल संख्या 2/2 तथा 4/2 का निर्माण (1390)	3.55	1.11

1	2	3	4
20.	असम जिले में जोगीघोपा बोंगईगांव सड़क पर संपर्क सहित आरसीसी पुल सं. 5/1 भारलकुंडा नदी पर, 7/1 सिस्टर पर बील, 8/1 दुलानी बील, 9/9 डिस्ट्रीब्यूटरी में चंपामती नदी पर 11/1 हिल केनल पर (1401)	7.09	6.32
21.	असम जिले में उदालगुड़ी सड़क पर बेम्बारी अंबागांव सड़क पर लखीमोरासुती नदी पर आरसीसी पुल संख्या 2/3 और भुल्ला नदी पर 3/2 और लखी नदी पर 7/2 का निर्माण	6.33	3.76
22.	बारपेटा जिला असम में डॉक्टर जिना राम दास सड़क पर कलदिया नदी पर संपर्क सहित आरसीसी पुल संख्या 2/4, 6/1 और 8/1 का निर्माण (1405)	5.36	1.70
23.	जोरहाट जिले में जोरहाट मास्टर प्लान के सड़क नेटवर्क प्लान के लिए परियोजना (1425)	4.61	4.03
24.	बारपेटा जिला, असम में पहली से इक्कीसवें किमी तक मानस सैंक्चुरी तक बारपेटा बासलबारी सड़क (1433)	12.36	7.46
25.	ग्रेटर तेजपुर शहर में सड़क और नालियों का सुधार (1479)	25.52	3.48
26.	धुबरी शहर जलापूर्ति स्कीम (1422)	10.27	6.28
27.	ग्रेटर माहुर शहर जलापूर्ति स्कीम, असम	5.12	1.61
28.	उदालगुड़ी पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (1462)	5.34	2.54
29.	भेरगांव पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (1461)	2.46	1.21
30.	उत्तरपर पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (1463)	8.64	4.11
31.	के.के. हांडिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक भवन का निर्माण (1492)	2.38	0.93
32.	दारंग जिले में कारुपेटिया कॉलेज की अवसंरचना विकास यथा कक्षा कक्ष, कंप्यूटर प्रयोगशाला, एसी सहित, टेनिस छात्रावास, विद्युत सुविधा जलापूर्ति स्वच्छता स्थापना का निर्माण (1538)	1.76	0.55
33.	सोनितपुर तथा जोइसिधि, असम में दाखिनडोल लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण (1515)	2.11	0.67
34.	बेलसिरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (1516)	2.17	0.68
35.	असम के धुबरी जिले में मनकाचर में काजू प्रसंस्करण प्लांट (1542)	2.11	1.04
36.	काचर जिले में 132/33 केवी पंचग्राम सब स्टेशन 2×16 एमवीए से 2×25 एमवीए (1590) ट्रांसफार्मर क्षमता का बढ़ाया जाना	4.40	1.39
37.	नागांव जिले में नागांव मोरिकोलोंग नानोई दखिनपथ सड़क का सुधार (1550)	1.99	1.77
38.	जोरहाट जिले के जेबी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल संख्या 4/1 तथा 6/1 (1494)	3.24	1.01

1	2	3	4
39.	भंगरपुर से चंद्रनाथपुर बाबूबाजार होते हुए, सड़क का निर्माण (लं. 5.5 किमी)	2.49	0.80
40.	जोरहाट शहर में सड़कों का सुधार (1553)	2.50	0.96
41.	नजीर खट सोनपुर सड़क को चौड़ा करना तथा उसका विस्तार (लं. 6.00 किमी) (1555)	2.65	2.39
42.	कामरूप जिले में एनएच 37 रामपुर मॉडल सड़क को शुरू करना (1589)	2.25	2.00
43.	सांतिजन श्रीमंत संकरदेव गोवेसोना केंद्र सड़क पर नागांव सड़क पर आरसीसी पुल संख्या 1/1 (1596)	2.81	0.88
44.	हेलाकांडी जिले में स्वपन पुर से रामचंडी सड़क पर मेटलिंग तथा तारकोल बिछाना (1598)	3.80	1.20
45.	काचर जिले में संपर्क और संरक्षण सहित 7 किमी कैथल रोड पर घागरा नदी पर आरसीसी पुल सं. का निर्माण (1601)	2.50	0.79
46.	सिल्चर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण (1493)	4.94	1.40
47.	गोलाघाट शहर में जलापूर्ति स्कीम (1483)	5.05	3.56
48.	सिबसागर शहर में जलापूर्ति स्कीम (1484)	16.39	5.00
	मणिपुर		
49.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में धर्मशाला भवन का निर्माण	2.82	0.86
50.	जिरी बाम उप मण्डल में 50 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण तथा उपकरणों से सुसज्जित करना	15.64	4.93
51.	तामेंग अलांग जिले में 50 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण तथा उपकरणों से सुसज्जित करना	14.37	4.53
52.	सेनापति जिले में 50 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण तथा उपकरणों से सुसज्जित करना	14.26	4.49
53.	उखरुल जिले में 50 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण तथा उपकरणों से सुसज्जित करना	13.97	4.4
54.	चंदेल जिले में 50 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण तथा उपकरणों से सुसज्जित करना	13.16	4.14
55.	लेशांगथेम में थोउबल नदी पर पुल का निर्माण	3.41	2.14
56.	10.75 किमी. मोइरंग-कुंबी सड़क पर खुगा नदी के ऊपर कुंबी पुल का निर्माण	4.32	3.77
57.	आइरोंग आइचिन पर पुल का निर्माण	3.34	1.05
58.	कियामगेई मांग मापा पर इंफाल नदी पर पुल का निर्माण	4.71	4.12
59.	बाबू बाजार पर पुल का निर्माण	2.93	1.84

1	2	3	4
60.	होखा पर थोउबल नदी पर पुल का निर्माण	2.76	1.74
61.	मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में 32 पी एच सीज का निर्माण	5.45	3.3
62.	घाटी में 10 पी एच सीज का निर्माण	7.86	2.42
63.	घाटी क्षेत्र में 18 पीएचसीज का निर्माण	2.57	2.26
64.	हीरोक चिंगदोंगपोक में हिरोक नदी के ऊपर पुल का निर्माण	2.2	1.39
65.	लेमसोंग-खोंगांपट सड़क का सुधार	2.68	0.85
66.	कान्थोजाम जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन (इम्फाल पश्चिमी जिला)	8.86	2.74
67.	पूर्वी उप प्रभाग मुख्यालय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	4.29	1.32
68.	तंगज्वाय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	2.16	0.68
	मेघालय		
69.	केन्टोन मेस्सार, मावलई, शिलांग में ओएम राव मेमोरियल स्कूल की इमारत का निर्माण	2.26	1.42
70.	सर्वशिक्षा अभियान 2006-07	8.59	8.59
71.	आमुसियांग बहुद्देशीय बाजार परिसर, जोवई का निर्माण तथा विकास	20.10	6.33
72.	व्यवसायिक उत्पादन के लिए बिरनीहाट में अदरक प्रसंस्करण संयंत्र की उन्नत सुविधाएं	0.51	0.51
73.	राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर 9 मील तक (गुवाहाटी-शिलांग सड़क) किलिंग-पिलांगकाटा (6 किमी.) पर सड़क की मेटलिंग तथा ब्लैक टॉपिंग सहित सुधार, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण	3.13	1.99
	मिजोरम		
74.	सर्वशिक्षा अभियान (2006-07) (1407)	6.88	6.88
75.	मिजोरम में माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण (1428)	9.69	8.30
76.	मिजोरम में 3 बैली पुलों का निर्माण (1427)	6.49	2.05
77.	सैफल से होरोकी (0-27.5 किमी.) 1449 तक बांस पौधरोपण संपर्क सड़क का निर्माण	13.00	4.09
78.	टुरियल एयरफील्ड से बुकपुई तक (0-40) (1450) प्रस्तावित बांस पौधरोपण क्षेत्रों के लिए बांस पौधरोपण संपर्क सड़क का निर्माण	22.39	7.05
79.	टुरियल एयरफील्ड से बुकपुई चरण-2 (40-84) (1451) तक बांस पौधरोपण संपर्क सड़क का निर्माण	25.13	7.91
80.	आईजोल तथा चंपई में इंडोर स्टेडियम का निर्माण (1418)	11.60	3.55

1	2	3	4
81.	मारा स्वायत्त जिला परिषद में स्कूल भवन का निर्माण	2.12	0.67
82.	मिजोरम में विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण	4.70	2.96
83.	लोंगतलाय से सैहा तक 33 के वीवीडीसी संचारण लाइन का निर्माण (1497)	7.44	2.30
84.	पर्वा से सिमेनासोरा सड़क का उन्नयन (1526)	12.26	7.56
85.	आईजोल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण (1496)	13.05	4.11
	नागालैंड		
86.	सर्वशिक्षा अभियान (2006-07) (1400)	4.63	4.63
87.	पुंगलवा, नागालैण्ड में सैनिक स्कूल के लिए अतिरिक्त सुविधाएं (1467)	2.08	0.91
88.	नागालैण्ड राज्य में 3 आईटीआई का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण (1468)	2.19	1.97
89.	मून जिले में वांगखाओ कॉलेज में लघु आउटडोर स्टेडियम का निर्माण (1398)	0.80	0.70
90.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार की स्थापना (1402)	4.31	2.72
91.	पुंगलवा में सैनिक स्कूल के अतिरिक्त सुविधाएं (फाल्स सीलिंग) (1524)	0.59	0.52
92.	एकीकृत नगोइकी सिंचाई परियोजना (1507)	2.37	1.46
93.	उथले ट्यूबवेल के द्वारा भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग (1621)	0.63	0.20
94.	नागालैण्ड में हेजीडेसा गांव में इन्तांकी नदी पुल तक (6.60 किमी.) तक सड़क का सुधार तथा मोंगलुमुक से जलुकी जांदी गांव तक (6.30 किमी.) सड़क का उन्नयन (1531)	7.27	6.54
95.	फेक से छोजुबा तक सड़क का निर्माण (44.36 किमी.) (1577)	17.47	11.00
96.	चेन ई ए सी मुख्यालय, चेनवत्लेउ गांव में जलापूर्ति का संवर्धन (1547)	3.0	0.86
	सिक्किम		
97.	विभिन्न स्कूलों के लिए स्कूल भवनों का निर्माण तथा वर्षा जल संचयन (1464)	11.47	10.04
98.	बुलबुले में लिलो प्रबंधन के साथ नाथुला तक 132 केवी संचारण लाइन का निर्माण (1403)	31.01	18.16
99.	पूर्वी सिक्किम में ग्रेट रैंगपो के लिए जलापूर्ति का संवर्धन (1063)	17.00	14.85
100.	सोरेन उप प्रभाग के अधीन चकमके तथा रिंगियांग के लिए जलापूर्ति स्कीम (1397)	8.75	7.67
101.	पश्चिमी सिक्किम में रबदेन्से में वर्षा जल संचयन ढांचे का निर्माण	4.62	2.90
102.	पूर्वी सिक्किम में सांग नया बाजार के लिए जलापूर्ति का संवर्धन	2.01	0.62

1	2	3	4
	त्रिपुरा		
103.	सर्वशिक्षा अभियान (2006-07)	10.66	10.66
104.	बोधजंगनगर औद्योगिक राज्य समेत संचरण स्कीम	9.37	6.95
105.	मेलाघर में जलापूर्ति स्कीम	8.86	2.79
106.	बिशालगढ़ में जलापूर्ति स्कीम (1.00 एमजीडी)	7.81	2.46
	कुल	862.21	495.60

कृषि उत्पादों हेतु भाण्डागारण सुविधाएं

3219. श्री सी. शिवासामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों हेतु पर्याप्त भाण्डागारण सुविधा मुहैया कराने के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी भाण्डागारण सुविधाएं निर्मित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सरकार निजी भागीदारी के माध्यम से देश में कृषि उत्पाद के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामले मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संभावित 125 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आपूर्ति के लिए खरीद प्रबंधन/पर्याप्त भंडारण के अनुरक्षण किए जाने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में भूमि लागत रहित, 164.00 करोड़ रुपये की प्राकलित निर्माण के लिए 341 लाख मीट्रिक टन के नए गोदामों को स्थापित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की श्रेणी के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनमें से लिए गए वास्तविक गोदामों की संख्या 11वीं योजना अवधि के दौरान और राज्य सरकारों से समुचित भूमि की उपलब्धता पर निर्भर होगी। निजी उद्यम गोदामों-2008, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति ने देश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी 126.35 लाख मी. टन की क्षमता अनुमोदित की है। विवरण-II संलग्न है।

केन्द्रीय बीज भंडारण निगम खाद्यान्नों के भंडारण के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 1.45 लाख मी. टन अतिरिक्त भंडारण स्थान के निर्माण की प्रक्रिया में है।

कृषि मंत्रालय 1.4.2001 से ग्रामीण गोदामों के निर्माण की वृहत निवेश राजसहायता को भी कार्यान्वित कर रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण, कृषि आदानों इत्यादि के लिए किसानों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध सुविधाओं से युक्त वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करना और वायदा ऋण और विपणन ऋण की सुविधा का सृजन किए जाने द्वारा विपदाग्रस्त विक्रय को बचाना शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों, कृषि स्नातकों, सहकारिता एवं सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी को 25 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न कम्पनियों और सहकारिताओं की सभी अन्य श्रेणियां परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान किए जाने के लिए पात्र हैं। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों तथा उनके सहकारिताओं और महिला किसानों की स्थिति में, 33.33 प्रतिशत की राज सहायता प्रदान की जायेगी। योजना के शुरू किए जाने से 553.80 करोड़ रुपये की पात्र राज सहायता के निर्मुक्त किए जाने सहित 240.87 लाख मी. टन की क्षमता सहित 20689 ग्रामीण गोदाम इस योजना के अंतर्गत 30 जून 2009 तक संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2007-12) गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की प्राथमिकता सूची

क्र.सं.	केंद्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मी. टन)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
I.	**असम क्षेत्र**		
1.	छंगसोरी	50,000 साइडिंग के साथ	रु. 25
2.	हैलाकांडी	5,000	रु. 1.5
3.	करीमगंज	5,000	रु. 1.75
4.	कोकराझार	5,000	रु. 1.75
5.	नवगांव	25,000 साइडिंग के साथ	रु. 17.5
6.	डिब्रूगढ़	25,000 साइडिंग के साथ	रु. 17.5
7.	फकीरागांव	5,000	रु. 1.75
	कुल	1.20 लाख मी. टन	रु. 66.75
II.	**त्रिपुरा**		
1.	नन्दननगर	2,500 विद्यमान परिसर के साथ	रु. 1.25
2.	कुमारघाट	5,000	रु. 3.0
	कुल	7,500	रु. 4.25
III.	**मणिपुर**		
1.	जीरीबाम	7,500	रु. 4.5
2.	सेनापति	5,000	रु. 3.0
3.	चूराचांदपुर	2,500	रु. 1.50
	कुल	15,000	रु. 9.0
IV.	**नागालैंड**		
1.	कोहिमा	5,000	रु. 3.0
2.	दीमापुर	5,000	रु. 3.0
	कुल	10,000 मि.ट.	रु. 6.00
V.	**मेघालय**		
1.	बाघमारा/दक्षिण गारो हिल्स	2,500	रु. 1.50
2.	शिलांग	5,000	रु. 3.0
	कुल	7,500	रु. 4.50
VI.	**जम्मू और कश्मीर**		
1.	श्रीनगर घाटी (रेलवे साइडिंग)	20,000	रु. 12
2.	फुलवामा	2,500	रु. 1.5
3.	उधमपुर	15,000	रु. 9.00
	कुल	37,500 मि.ट.	रु. 22.5
VII.	**हिमाचल प्रदेश**		
1.	किन्नौर	1,670	रु. 1.0
2.	बिलासपुर	5,000	रु. 2.0
3.	मण्डी	5,000	रु. 2.0
4.	नाहन	5,000	रु. 2.0
5.	नगरोता बागवान	5,000	रु. 2.0
6.	शिमला	5,000	रु. 2.0
	कुल	26,670 एमटी	रु. 11.0
VIII.	**सिक्किम**		
1.	जोरहाट	5,000	रु. 3.0
IX.	**झारखंड**		
1.	चक्रधरपुर	15,000	रु. 7.50

1	2	3	4
X.	**बिहार**		
1.	मोहनिया/कैमूर	25,000	रु. 7.25
XI.	**उड़ीसा**		
1.	डूंगरपाली	10,000	रु. 3.0
2.	मानचेश्वर	10,000	रु. 3.0
3.	बारीपेटा	10,000	रु. 3.0
	कुल	30,000 एमटी	रु. 9.00
XII.	**पश्चिम बंगाल**		
1.	जलपाईगुड़ी	10,000	रु. 3.0
XIII.	**छत्तीसगढ़**		
1.	बालोद	10,000	रु. 3.0
2.	अलकतारा	10,000	रु. 3.0
	कुल	20,000	रु. 6.0
XIV.	**महाराष्ट्र**		
1.	भांदरा	10,000	रु. 3.0
XV.	**संघ शासित क्षेत्र**		
1.	लक्षद्वीप	2,500	रु. 1.25
	कुल	2,500	रु. 1.25
	सकल योग	3,41,670	रु. 164.00

विवरण II

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित पीईजी-2008 योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	एचएलसी अनुमोदित मी. टन में क्षमता
1	2	3
1.	केरल	15,000
2.	कर्नाटक	1,00,000
3.	आंध्र प्रदेश	36,000
4.	तमिलनाडु	3,20,000
5.	छत्तीसगढ़	5,000
6.	महाराष्ट्र	99,500
7.	गुजरात	45,000
8.	पश्चिम बंगाल	5,000
9.	झारखंड	1,75,000
10.	बिहार	3,00,000
11.	हरियाणा	38,80,000
12.	पंजाब	71,25,000
13.	हिमाचल प्रदेश	1,42,550
14.	जम्मू और कश्मीर	3,61,690
15.	उत्तराखंड	25,000
	कुल	1,26,34,740

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की उत्पादन दर

3220. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करीब एक दशक पहले देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) की शुरुआत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में यह योजना शुरू-शुरू में दो वर्षों के लिए शुरू की गयी थी तथा किन राज्यों में इस योजना को बाद में आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में फसल की दर निर्धारित की गयी है जिसके आधार पर एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत मुआवजा निर्धारित किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित उत्पादन दर का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है; और

(च) बीमा के प्रयोजन से फसलों की प्रारंभिक सूची में कौन-सी फसलें जोड़ी गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से अब तक देश में कार्यान्वयनाधीन है। यह योजना सभी किसानों-ऋणी और गैर-ऋणी दोनों के लिए उनके जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध है। यह योजना राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है। प्रारंभ के दो वर्षों में 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस स्कीम को चुना। फिलहाल यह योजना 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। इस योजना के अधीन फसलों हेतु उत्पादन दर राज्यवार निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है तथापि अधिसूचित क्षेत्रों में गारंटीकृत उपज का हिसाब लगाया जाता है जिसके आधार पर दावों का परिकलन किया जाता है। गारंटीकृत उपज पिछले 3-5 वर्षों की उपज का चल औसत है और यह अग्रिम रूप से परिकलित किया जाता है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार यदि अधिसूचित क्षेत्र में बीमा कृत फसल की वास्तविक औसत उपज, गारंटीकृत उपज से कम होती है तो बीमा के यूनिट क्षेत्र में उपज की कम दर पर दावे प्रदेय हो जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के कवरेज पर विचार किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें फसल की उपयुक्त मुख्य श्रेणियों में से किसी भी संख्या में फसलों को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्तें किसी अधिसूचित क्षेत्र/फसल में पर्याप्त वर्षों के विगत उपज आंकड़े उपलब्ध हों तथा अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने के लिए राज्यों के पास क्षमता हो। फिलहाल कवर की गई फसलों की सूची अनुबंध में दी गई है।

विवरण

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन कवर की गई फसलें

क्र.सं.	रबी मौसम के अधीन कवर की गई फसलें	खरीफ मौसम के अधीन कवर की गई फसलें
1	2	3
	खाद्य फसलें और तिलहन	**खाद्य फसलें और तिलहन**
	1. एस. धान	1. धान
	2. गेहूं (आई)	2. मक्का
	3. गेहूं (आरएफ)	3. ज्वार
	4. गेहूं (यूआई)	4. बाजरा
	5. ज्वार (आई)	5. लोबिया
	6. ज्वार (यूआई)	6. रागी
	7. ज्वार (आरएफ)	7. मोठ
	8. बाजरा	8. कोरा
	9. मक्का (आई)	9. नवाने
	10. मक्का (आरएफ)	10. सावे
	11. जौ	11. उड़द
	12. तोरिया और सरसों	12. मूंग
	13. अलसी	13. कुलथी
	14. उड़द	14. अरहर
	15. बंगाल ग्राम (आई)	15. मूंगफली
	16. बंगाल ग्राम (आरएफ)	16. तिल
	17. मूंग	17. सूरजमुखी
	18. अरहर	18. सोयाबीन
	19. कुलथी	19. रामतिल
	20. सूरजमुखी (आई)	20. एरंड
	21. सूरजमुखी (आरएफ)	21. कोदोकुट्की
	22. सूरजमुखी	22. ग्वार
	23. तिल	
	24. मूंगफुली	
	25. तारामीरा	
	26. रागी	
	27. मटर	
	28. मसूर	
	वार्षिक वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें	**वार्षिक वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें**
	1. कपास	1. गन्ना
	2. कपास (आरएफ)	2. केला
	3. गन्ना	3. कपास (यूआई)

1	2	3
	4. आलू	4. कपास (आई)
	5. प्याज	5. आलू
	6. अदरक	6. मिर्च
	7. धनिया	7. बैंगन
	8. मिर्च	8. प्याज
	9. तपियोका	9. हल्दी
	10. केला	10. अन्नानास
	11. जीरा	11. टेपिओका
	12. लहसुन	12. पटसन
	13. ईसबगोल	
	14. सौंफ	
	15. मेथी	
	16. बैंगन	
	17. टमाटर	

[अनुवाद]

कपास की मांग

3221. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मंदी की वजह से भारतीय कपास की मांग काफी घटी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कपास उत्पादकों के हित के रक्षार्थ कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। भारतीय कपास की मांग में पिछले कपास मौसम की तुलना में चालू कपास मौसम 2008-09 (अक्तूबर 2008-सितम्बर, 2009) के दौरान कमी आई है।

वस्त्र मंत्रालय में कपास परामर्शी बोर्ड (सीएबी) ने कपास मौसम 2008-09 के लिए कच्ची कपास की 50 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) के निर्यात का अनुमान लगाया है जबकि पिछले वर्ष 85 लाख गांटों के निर्यात का आकलन किया गया था।

(ख) से (घ) कपास उत्पादकों के लाभार्थ कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30.6.2009 से विशेष कृषि ग्राम उपज योजना (वीकेजीयूवाई) विशेष कृषि उत्पादन योजना का विस्तार किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रेरक पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

1. शुल्क जमा पर्चियों (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स) को जारी करना [शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयातों के लिये प्राधिकर देना।] स्कीम- निर्यात भुगतानों की प्राप्ति के लिये प्रतीक्षा किये बिना- निर्यातकों के लिये लोकप्रिय आयात शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम। इसमें प्रतिबंधित मदों के आयात के लिये शुल्क जमा पर्चियों के प्रयोग की भी अनुमति दी जाती है।
2. महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) की डीईपीबी स्कीम 31.3.2009 तक वैध थी जिसे 31.12.2009 तक बढ़ा दिया गया है।
3. लोकप्रिय शुल्क पात्रता पासबुक (डीईपीबी) स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को भुगतान करने के लिए कर वापसी में बढ़ोत्तरी को नवम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया। स्कीम को 2009 तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों हेतु कोटा

3222. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) में जनजातियों की भर्ती हेतु कोई कोटा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भर्ती हेतु निर्धारित कोटे को पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्यवार और बलवार ऐसे कितने कार्मिक भर्ती किए गए;

(ङ) क्या सरकार के पास देश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए भर्ती हेतु एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर जनजातीय लोगों की भर्ती के लिए डीओपीटी के दिनांक 5.7.2005 के का.ज्ञा. सं. 36017/1/2004-स्था (आरईएस) के अनुसार निर्धारित कोटा निम्नलिखित है:-

राज्य	अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत
1	2
आंध्र प्रदेश	7
अरुणाचल प्रदेश	45
असम	12
बिहार	1
छत्तीसगढ़	32
गोवा	0
गुजरात	15
हरियाणा	0
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	11
झारखंड	26
कर्नाटक	7
केरल	1
मध्य प्रदेश	20
महाराष्ट्र	9
मणिपुर	34
मेघालय	44
मिजोरम	45
नागालैंड	45
उड़ीसा	22
पंजाब	0
राजस्थान	13
सिक्किम	21
तमिलनाडु	1
त्रिपुरा	31
उत्तराखंड	3
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8
चंडीगढ़	0
दादरा और नगर हवेली	43
दमन और दीव	9
दिल्ली	7.5
लक्षद्वीप	45
पुदुचेरी	0

(ग) इस आधार पर कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों हेतु पूंजी की आवश्यकता

3223. श्री जगदीश शर्मा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु और मध्यम उद्योगों हेतु अपेक्षित पूंजी निवेश का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान इस क्षेत्र में कितना औसत वार्षिक निवेश अपेक्षित था और कितना निवेश किया गया;

(ग) उक्त आवश्यकता को किन स्रोतों से पूरा किया गया और उनके अंशदान की प्रतिशतता क्या रही; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यमियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार वित्त के विभिन्न स्रोतों के जरिए स्वयं स्थापित किए जाते हैं। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान वार्षिक औसत निवेश अनुमानत: क्रमश: 1.59 लाख रु., 1.60 लाख रु. और 1.61 लाख रु. है। चूंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू है, के तहत मध्यम उद्यम पहली बार परिभाषित किए गए थे, मध्यम उद्यम में पूंजी निवेश के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए अगस्त, 2005 में 'लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज' की घोषणा की है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के क्रेडिट में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए अपने निजी लक्ष्य तय करना शामिल है। सरकार ने क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना, आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2007 में 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज' की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के संवर्धन और विकास तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार कई योजनाएं/कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है जिसमें राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम तथा क्रेडिट, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता/कौशल विकास आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। ये सभी उपाय एमएसएमई के विकास को सुगम बनाने संबंधी व्यवस्थाएं करते हैं और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गखण्डों का चार लेनों वाला बनाया जाना

3224. डॉ. महबूब बेग:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री मधु कोड़ा:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एच.-1ए, एन.एच.-8, एन.एच.-17, एन.एच.-33 और एन.एच.-48 सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न मार्गखण्डों को चार लेनों वाला बनाए जाने के कार्य में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा मार्ग खण्डों को चार लेनों वाला बनाए जाने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ, राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी निधियां आबंटित, जारी और उपयोग की गयी हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) चार लेन बनाने की विलंबित परियोजनाओं का राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, कुछ ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं विलंब के प्रमुख कारण हैं। चार लेन बनाने के कार्य को तीव्र करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा परियोजनाओं की प्रगति पर पर्यवेक्षण/स्वतंत्र परामर्शदाताओं की सहायता से कड़ी निगरानी रखी जाती है और भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं आदि के स्थानांतरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा और मुख्यालय स्तर पर संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

1. (कार्यान्वयन के अधीन) विलंबित परियोजनाओं का ब्योरा: दिनांक 30.06.2009 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी में)	पूर्ण हो चुकी लंबाई (किमी में)	वित्तपोषक	शुरू होने की तारीख	ठेकानुसार कार्य पूरा होने की तारीख	कार्य पूरा होने की तिथि/ संभावित तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	संचयी व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एनएचडीपी चरण 1										
1.	गुंडलापोचमपल्ली से बोमनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)-शेष कार्य	7	23.10	16.20	एनएचएआई	दिस.-2005	दिस.-2006	जुलाई-2009	71.57	105.64
एनएचडीपी चरण 2										
2.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5)	7	74.65	66.40	वार्षिकी	सित.-2006	मार्च-2009	अग.-2009	592.00	801.02
		जोड़	97.75	82.60					663.57	906.66
असम										
एनएचडीपी चरण 2										
3.	गुवाहाटी में नलवाड़ी (एएस-4)	31	28.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2010	175.96	39.49
4.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-7)	31	27.30	0.00	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2010	208.00	48.95
5.	गुवाहाटी से नलवाड़ी (एएस-5)	31	28.00	0.00	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2010	198.16	69.49
6.	लंका से दाबोका (एएस-16)	54	24.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	मार्च-2010	225.00	99.85
7.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-27)	54	21.00	0.00	एनएचएआई	अक्तू.-2009	अप्रैल-2009	दिस.-2010	200.00	36.15
8.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-8)	31	30.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	जून-2010	200.00	119.77
9.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-9)	31	21.50	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	जून-2010	142.00	90.45
10.	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28)	31	5.00	0.00	एनएचएआई	अक्तू.-2006	अप्रैल-2010	दिस.-2010	217.61	54.52
11.	बिजनी से असम/पबं सीमा (एएस-10)	31सी	33.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2008	दिस.-2010	237.80	62.48
12.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-26)	54	23.00	0.00	एनएचएआई	मई-2006	नव.-2008	दिस.-2010	167.64	39.49
13.	बिजनी से असम/पबं सीमा (एएस-12)	31सी	30.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2008	दिस.-2010	230.00	86.29
14.	नगांव बाईपास (एएस-18)	37	23.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	मार्च-2010	230.00	137.07
15.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-20)	37	22.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	दिस.-2010	160.00	48.47
16.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-19)	37	25.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	दिस.-2010	200.00	78.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	दाबोका से नगांव (एएस-17)	36	30.50	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	मार्च-2010	225.00	86.47
18.	लुमडिंग से दाबोका (एएस-15)	54	18.50	0.00	एनएचएआई	फर.-2008	अग.-2010	सित.-2010	130.00	27.22
19.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-24)	54	15.00	0.00	एनएचएआई	मई-2006	नव.-2008	दिस.-2010	155.04	27.96
20.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-25)	54	28.00	0.00	एनएचएआई	अक्त.-2006	अप्रैल-2009	दिस.-2010	199.81	27.54
21.	बिजनी से असम/पबं सीमा (एएस-11)	31सी	30.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2008	दिस.-2010	195.00	64.72
22.	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	37	19.00	0.00	एनएचएआई	सित.-2005	जून-2009	दिस.-2010	245.00	165.00
23.	नगांव से धर्मातुल (एएस-2)	37	25.00	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	दिस.-2010	264.72	75.54
24.	हरनगजो से मैबंग (एएस-23)	54	16.00	0.00	एनएचएआई	अग.-2006	फर.-2009	दिस.-2010	280.00	89.46
25.	हरनगजो से मैबंग (एएस-22)	54	24.00	0.00	एनएचएआई	जन.-2007	जुलाई-2009	दिस.-2010	196.00	23.32
26.	हरनगजो से मैबंग (एएस-21)	54	26.00	0.00	एनएचएआई	जन.-2007	जुलाई-2009	दिस.-2010	212.00	33.72
27.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-6)	31	25.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2009	दिस.-2010	225.00	102.85
28.	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	54	32.00	0.00	एनएचएआई	सित.-2004	सित.-2007	जून-2010	154.57	107.30
		जोड़	629.80	0.00					5274.31	1842.09
बिहार										
एनएचडीपी चरण 1										
29.	पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)	31	28.00	25.56	एनएचएआई	सित.-2001	सित.-2004	मार्च-2010	205.73	240.89
एनएचडीपी चरण 2										
30.	पूर्णिया-फोरबिसगंज (बीआर-1)	57	41.00	36.00	एनएचएआई	नव.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2009	276.00	256.75
31.	पूर्णिया-फोरबिसगंज (बीआर-2)	57	38.00	26.00	एनएचएआई	नव.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2009	310.00	263.65
32.	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	57	40.00	2.00	एनएचएआई	अप्रैल-2006	सित.-2008	दिस.-2010	332.94	124.40
33.	कोटवा से देवापुर-एलएमएनएचपी-10)	28	38.00	1.20	विश्व बैंक	नव.-2005	नव.-2008	दिस.-2010	240.00	91.10
34.	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	28	40.00	12.60	विश्व बैंक	सित.-2005	सित.-2008	दिस.-2010	239.00	109.53
35.	सिमराही से रिंग बंद (मिसिंग लिंक) (बीआर-4)	57	15.00	9.00	एनएचएआई	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	दिस.-2009	100.50	128.29
36.	पहुंचमार्गों सहित कोसी पुल और गाइड बंद और एफलक्स बांड (बीआर-5)	57	10.00	0.00	वार्षिकी	अप्रैल-2007	अप्रैल-2010	जून-2010	418.04	207.53
37.	रिंग बंद से झंझाड़पुर (बीआर-6)	57	45.00	18.00	एनएचएआई	जन.-2006	जून-2008	जून-2010	340.00	308.91
38.	झंझारपुर से दरभंगा(बीआर-7)	57	40.00	0.00	एनएचएआई	अप्रैल-2006	सित.-2008	दिस.-2010	340.00	142.16
39.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-8)	57	40.00	10.20	एनएचएआई	जन-2006	जून-2008	जून-2010	305.00	249.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-9)	57	30.00	22.00	एनएचएआई	जन.-2006	जून-2008	जून-2010	291.80	226.05
41.	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एनएमएनएचपी-12)	28	40.00	6.50	विश्व बैंक	सित.-2005	सित.-2008	दिस.-2010	275.00	130.88
42.	दीवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.09	0.00	विश्व बैंक		समाप्त		300.00	133.50
		जोड़	486.00	169.06					3974.01	2613.31
छत्तीसगढ़										
एनएचडीपी चरण 3										
43.	औरंग-रायपुर	6	45.00	0.00	बीओटी	अप्रैल-2006	जन.-2009	फर.-2010	190.00	172.71
		जोड़	45.00	0.00					190.00	172.71
गुजरात										
एनएचडीपी चरण 3										
44.	गागोधर से गारामोड़ (पैकेज-4)	15, 8ए	90.30	83.00	एडीबी	फर.-2005	नव.-2007	नव.-2009	479.54	390.96
45.	गारामोड़ से बामनबोर (पैकेज-3)	8ए	71.40	70.00	एडीबी	फर.-2005	नव.-2007	जुलाई-2009	380.70	334.72
		जोड़	161.70	153.00					860.24	725.68
हरियाणा										
एनएचडीपी चरण 1										
46.	पंछीगुजरान से कामसपुर (सोनीपत) तक छः लेन बनाना (एनएस-17/एचआर)	1	21.70	21.70	एनएचएआई	जन.-2006	जुलाई-2007	अक्तू.-2010	83.67	99.74
एनएचडीपी चरण 2										
47.	पानीपत से पंझीगुजरान (छः लेन बनाने का कार्य) (एनएस-89/एचआर)	1	20.00	20.00	एनएचएआई	अक्तू.-2006	अक्तू.-2008	अक्तू.-2009	109.00	115.88
		जोड़	41.70	41.70					192.67	215.62
जम्मू-कश्मीर										
एनएचडीपी चरण 1										
48.	गुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जेएंडके)	1ए	17.20	16.00	एनएचएआई	जन.-2002	दिस.-2004	दिस.-2009	110.00	135.13
49.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	1.23	0.00	एनएचएआई	जून-2006	दिस.-2008	दिस.-2009	62.96	0.00
50.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (एनएस-30)	1ए	17.80	11.00	एनएचएआई	अक्तू.-2003	सित.-2008	सित.-2009	60.66	161.72
51.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू-बाइपास) एनएस-33/जेएंडके	1ए	15.00	0.00	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	दिस.-2009	85.34	56.58
52.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जेएंडके)	1ए	33.65	0.00	एनएचएआई	सित.-2005	फर.-2008	दिस.-2009	193.09	81.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जेएंडके)	1ए	19.65	0.60	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	दिस.-2009	97.73	116.14
54.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जेएंडके)	1ए	30.00	0.00	एनएचएआई	सित.-2005	फर.-2008	दिस.-2009	166.27	63.26
		जोड़	134.53	27.60					776.05	614.60
	झारखंड									
	एनएचडीपी चरण 1									
55.	गोरहर-बरवाअड्डा (टीएनएचपी/5-सी)	2	78.75	75.28	विश्व बैंक	सित.-2001	मार्च-2005	अग.-2009	399.75	371.99
		जोड़	78.75	75.28					399.75	371.99
	कर्नाटक									
	एनएचडीपी चरण 1									
56.	नव मंगलौर पत्तन	13, 17 और 48	37.00	12.00	एसपीपी	जून-2005	दिस.-2007	दिस.-2009	196.50	132.44
57.	चित्रदुर्ग बाइपास	4	18.00	18.00	एनएचएआई	अप्रैल-2007	सित.-2008	सित.-2009	104.00	134.61
	एनएचडीपी चरण 2									
58.	आं.प्र./कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव	7	61.38	52.00	वार्षिकी	मार्च-2007	मार्च-2009	अग.-2009	402.80	301.08
	एनएचडीपी चरण 3									
59.	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्टोरनिक सिटी तक उत्थापित राजमार्ग	7	9.98	9.98	बीओटी	जुलाई-2006	जुलाई-2008	सित.-2009	450.00	763.65
60.	रारा-7 के बंगलौर-होसुर खंड को छः लेन का बनाना	7	14.38	11.00	एनएचएआई	अप्रैल-2007	जुलाई-2008	नव.-2009	110.00	92.59
61.	बंगलौर-नीलमंगला	4	19.50	0.00	बीओटी	नव.-2007	जुलाई-2009	नव.-2009	445.00	474.15
		जोड़	160.24	102.98					1708.30	1898.52
	केरल									
	एनएचडीपी चरण 2									
62.	त्रिसूर से अंगामाली (केएल-1)	47	40.00	25.00	बीओटी	सित.-2006	मार्च-2009	दिस.-2009	312.50	471.63
		जोड़	40.00	25.00					312.50	471.63
	मध्य प्रदेश									
	एनएचडीपी चरण 2									
63.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (एडीबी-2/सी-8)	26	54.00	12.00	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2010	251.03	62.13
64.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (एडीबी-2/सी-9)	26	54.70	5.00	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2010	229.91	29.18
65.	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-2/सी-7)	26	42.00	36.03	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	नव.-2009	206.96	51.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	सागर बाइपास (एडीबी-2/सी-5)	26	26.00	6.00	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2010	151.30	83.78
67.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75, 3	42.00	3.00	वार्षिकी	अप्रैल-2007	अक्तू.-2009	अक्तू.-2010	300.93	123.60
68.	लखनादून से एमपी/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	7	49.35	33.00	वार्षिकी	मार्च-2007	सित.-2009	सित.-2010	263.17	192.15
69.	ललितपुर-सागर (एडीबी-2/सी-4)	26	55.00	2.00	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	मई-2010	225.00	123.53
70.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-2/सी-6)	26	44.00	1.00	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2010	203.43	63.28
		जोड़	367.05	98.03					1831.73	729.44
मध्य प्रदेश [1]/राजस्थान [9]										
एनएचडीपी चरण 2										
71.	धौलपुर-मुरैना खंड (चंबल पुल सहित) (एनएस-1/आरजे/एमपी-2)	3	10.00	0.00	एनएचएआई	सित.-2007	सित.-2010	मार्च-2011	232.45	77.48
		जोड़	10.00	0.00					232.45	77.48
मध्य प्रदेश [68.5]/उत्तर प्रदेश [11.5]										
एनएचडीपी चरण 2										
72.	ग्वालियर-झांसी	75	80.00	0.00	वार्षिकी	जून-2007	दिस.-2009	दिस.-2010	604.00	146.98
		जोड़	80.00	0.00					604.00	146.98
महाराष्ट्र										
एनएचडीपी चरण 1										
73.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-2	एसएच 54	14.35	12.00	एसपीपी	नव.-2004	मई-2007	अक्तू.-2009	143.00	120.27
एनएचडीपी चरण 2										
74.	जाम-वाडनेर (एनएस-5/एमएच)	7	30.00	28.61	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2010	145.00	68.18
75.	बोरखेड़ी-जाम (एनएस-22/एमएच)	7	27.40	25.70	एनएचएआई	जून-2005	दिस.-2007	जन.-2010	110.00	105.66
76.	बुटीबोरी आरओबी (एनएस-29/एमएच)	7	1.80	0.00	एनएचएआई	जून-2005	दिस.-2006	दिस.-2009	26.00	25.34
77.	देवधारी-केलापुर (एनएस-61/एमएच)	7	30.00	28.27	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2010	144.00	95.12
78.	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच)	7	29.00	0.00	एनएचएआई		समाप्त		145.00	29.04
79.	केलापुर-पिंपलखाटी (एनएस-62)	7	22.00	0.00	एनएचएआई	मई-2006	नव.-2008	दिस.-2010	117.40	29.83
एनएचडीपी चरण 3										
80.	नागपुर-कोंधली	6	40.00	16.00	बीओटी	जून-2006	दिस.-2008	दिस.-2009	168.00	227.74
81.	धुले-पिंपलगांव	3	118.00	112.00	बीओटी	मार्च-2006	मार्च-2009	दिस.-2009	556.00	531.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	गोंडे-वडापे (थाणे)	3	100.00	74.00	बीओटी	अप्रैल-2006	अप्रैल-2009	मई-2010	579.00	480.24
		जोड़	412.55	296.58					2133.40	1713.22
उड़ीसा										
एनएचडीपी चरण 1										
83.	गंजम-इच्छापुरम (ओआर-8)	5	50.80	30.00	एनएचएआई	जुलाई-2006	नव.-2008	दिस.-2009	263.27	178.23
84.	सुनाखला-गंजम (ओआर-7)	5	55.71	21.20	एनएचएआई		समाप्त		225.00	145.54
		जोड़	106.51	51.20					488.27	323.77
पंजाब										
एनएचडीपी चरण 2										
85.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	1ए	44.00	19.00	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	दिस.-2009	284.00	233.80
एनएचडीपी चरण 3										
86.	जालंधर-अमृतसर	1	49.00	39.35	बीओटी	मई-2006	नव.-2008	अक्तू.-2009	263.00	299.28
		जोड़	93.00	58.35					547.00	533.08
पंजाब [29/हिमाचल प्रदेश [11]										
एनएचडीपी चरण 2										
87.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	1ए	40.00	0.15	एनएचएआई	समाप्त			229.00	79.96
		जोड़	40.00	0.15					229.00	79.96
राजस्थान										
विविध परियोजनाएं										
88.	चित्तौड़गढ़ बाइपास	79, 76	30.00	28.40	एनएचएआई	अग.-2005	अग.-2007	सित.-2009	133.03	235.36
एनएचडीपी चरण 2										
89.	गोगुंडा से उदयपुर (आरजे-3)	76	31.00	30.00	एनएचएआई	जन.-2006	जुलाई-2008	अग.-2009	288.06	294.68
90.	कोटा बाइपास (आरजे-4)	76	25.00	9.00	एनएचएआई	मई-2006	नव.-2008	जून-2010	250.39	119.03
91.	चंबल पुल (आरजे-5)	76	1.40	0.00	एनएचएआई	नव.-2006	फर.-2010	दिस.-2010	281.31	126.78
एनएचडीपी चरण 2										
92.	महुआ-जयपुर	11	108.00	106.00	बीओटी	मार्च-2006	मार्च-2009	अग.-2009	483.00	578.26
		जोड़	195.40	173.40					1435.79	1354.11
तमिलनाडु										
विविध परियोजनाएं										
93.	कांगायाम से कोयम्बतूर (केसी-2)	67,केसी2	55.20	44.20	सप और रामं	अग.-2006	अग.-2008	अग.-2009	0.00	87.94
94.	करूर से कांगायाम (केसी-1)	67,केसी1	59.20	54.57	सप और रामं	अग.-2006	अग.-2008	अग.-2009	0.00	64.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एनएचडीपी चरण 1										
95.	थुम्पीपाड़ी से सलेमर (एनएस-26/टीएन)	7	19.20	18.50	एनएचएआई	सित.-2001	अग.-2003	सित.-2009	82.49	109.55
96.	तुतीकोरीन पत्तन	7ए	47.20	0.00	एसपीपी	फर.-2004	अग.-2006	दिस.-2009	231.20	71.02
97.	चेन्नै-एन्नोर एक्सप्रेस वे	एसआर	9.00	0.00	एसपीपी	समाप्त			45.29	60.61
एनएचडीपी चरण 2										
98.	4 ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुंच मार्ग का सुधार	205, 4 और 45	4.00	0.00	सप और रामं	अप्रैल-2005	अप्रैल-2007	दिस.-2009	210.00	501.89
99.	उलून्डरूपेट-पडलूर (पैकेज-4-बी)	45	93.89	93.30	बीओटी	दिस.-2006	जून-2009	जुलाई-2009	460.00	797.94
100.	पडलूर-त्रिची (पैकेज-4-सी)	45	40.00	34.00	बीओटी	नव.-2006	मई-2009	अक्तू.-2009	320.00	542.14
101.	चेन्नै बाइपास चरण 2	45, 4 और 5	32.00	24.71	एनएचएआई	मई-2005	नव.-2007	दिस.-2009	480.00	604.64
102.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6)	47	53.53	35.10	बीओटी	जुलाई-2006	जन.-2009	दिस.-2009	469.80	662.82
103.	त्रिची बाइपास के अंतिम छोर से तोवरमकुर्ची (पैकेज-6 ए)	45बी	60.95	53.00	एनएचएआई	फर.-2006	अग.2008	नव.-2009	261.00	244.63
104.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-2)	7	41.55	40.50	बीओटी	अग.-2006	फर.-2009	अग.-2009	253.50	333.34
105.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-3)	7	33.48	33.42	बीओटी	जुलाई-2008	जन.-2009	अग.-2009	205.60	323.94
106.	करूर से मदुरै (टीएन-4)	7	68.13	44.56	बीओटी	अक्तू.-2006	अप्रैल-2009	सित.-2009	327.20	437.91
107.	करूर से मदुरै (टीएन-5)	7	53.03	49.00	बीओटी	जुलाई-2006	जन.-2009	सित.-2009	283.50	422.31
108.	मदुरै से मदुरै-तिरूनवेली खंड के किमी 120 तक मदुरै बाइपास सहित एनएस-39)	7	42.00	42.00	एनएचएआई	सित.-2005	अप्रैल-2008	सित.-2009	567.38	371.85
109.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन)	7	39.51	37.05	एनएचएआई	सित.-2005	अप्रैल-2008	सित.-2009	323.36	189.47
110.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन)	7	42.70	33.00	एनएचएआई	सित.-2005	मार्च-2008	सित.-2009	507.49	269.33
111.	मदुरै-तिरूनवेली खंड के किमी 120 से पानागुडी (किमी 203) (एनएस-43)	7	43.00	41.93	एनएचएआई	अक्तू-2005	मई-2008	अग.-2009	423.54	220.35
112.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7)	47	48.51	47.43	बीओटी	जुलाई-2006	जन.-2009	अग.-2009	379.80	453.15
113.	टिंडीवनम-उलून्डरूपेट (पैकेज-6-ए)	45	72.90	72.90	बीओटी	अक्तू.-2006	मार्च-2009	जुलाई-2009	480.00	1130.78
114.	तोवरमकुर्ची से मदुरै (पैकेज-7 बी)	45बी	63.89	49.50	एनएचएआई	फर.-2006	अग.-2008	अक्तू.-2009	263.00	266.06
115.	थोपुरघाट से थुम्पीपाडी (एनएस-25/टीएन)	7	16.60	15.80	एनएचएआई	मई-2005	नव.-2007	सित.-2009	92.54	94.59
116.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन)	7	38.86	34.50	एनएचएआई	सित.-2005	अप्रैल-2008	सित.-2009	474.21	233.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एनएचडीपी चरण 3										
117.	तंजावूर-त्रिची	67	56.00	23.90	बीओटी	दिस.-2006	जून-2009	मार्च-2010	280.00	456.25
		जोड़	1134.32	922.86					7420.90	8950.84
उत्तर प्रदेश										
एनएचडीपी चरण 1										
118.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/1-ए)	2	50.83	50.76	विश्व बैंक	मार्च-2002	मार्च-2005	दिस.-2009	367.49	414.97
119.	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56 ए और बी	22.85	10.75	एनएचएआई	मार्च-2009	अग.-2010	सित.-2010	111.78	0.59
120.	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू/3ए)	25	16.00	15.30	एनएचएआई	दिस.-2003	मई-2005	दिस.-2009	51.28	38.84
121.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-2	2	38.99	38.99	विश्व बैंक	जून-2004	दिस.-2006	जुलाई-2009	440.93	570.21
122.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-3	2	44.71	42.70	विश्व बैंक	नव.-2004	मई-2007	अग.-2009	534.39	605.76
123.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/2-सी)	2	77.00	75.78	विश्व बैंक	मार्च-2001	अक्तू.-2004	दिस.-2009	372.40	380.72
एनएचडीपी चरण 2										
124.	गोरखपुर बाइपास	28	32.60	0.00	वार्षिकी	अप्रैल-2007	अक्तू.-2009	दिस.-2010	600.24	344.58
125.	गंगा पुल से रामादेवी चौराहा (यूपी-6)	25	5.60	0.00	एनएचएआई	दिस.-2005	सित.-2008	दिस.-2010	201.66	38.29
126.	उरईसे झांसी (यूपी-4)	25	66.00	15.75	एडीबी	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2010	451.97	319.16
127.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	49.70	22.00	वार्षिकी	मार्च-2007	सित.-2009	जून-2010	355.06	223.30
128.	ललितपुर सागर (एडीबी-2/सी-3)	26	38.00	4.00	एडीबी	मई-2006	नव.-2008	सित.-2010	198.00	66.84
129.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40.00	15.28	विश्व बैंक	दिस.-2005	दिस.-2008	जून-2010	242.00	248.55
130.	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.12	19.90	विश्व बैंक	दिस.-2005	दिस.-2008	जून-2010	227.00	215.06
131.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	24	56.25	34.00	एनएचएआई	मार्च-2005	सित.-2007	अग.-2009	275.00	239.23
132.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	24	35.00	7.00	एनएचएआई	मार्च-2005	सित.-2007	दिस.-2009	220.00	107.08
133.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2)	28	47.00	30.87	विश्व बैंक	अक्तू.-2005	अक्तू.-2008	जून-2010	217.00	249.25
134.	उरई से झांसी (यूपी-5)	25	50.00	10.47	एडीबी	सित.-2005	मार्च-2008	जून-2010	340.68	166.35
135.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	28	43.70	22.50	विश्व बैंक	अक्तू.-2005	अक्तू.-2008	जून-2010	239.00	228.09
136.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	26	49.30	9.00	वार्षिकी	मार्च-2007	सित.-2009	जून-2010	276.09	173.98
137.	नए आगरा बाइपास को 4 लेन का बनाना (एनएस-1/यूपी-1)	2,3	32.80	0.00	एनएचएआई	अक्तू.-2007	अक्तू.-2010	फर.-2011	348.16	59.69
138.	बारा से उरई	2,25	62.80	37.00	वार्षिकी	अक्तू.-2006	अप्रैल-2009	दिस.-2009	465.00	23.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	28	36.00	22.00	विश्व बैंक	अक्तू-2005	अक्तू-2008	जून-2010	193.00	216.36
140.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	28	41.93	27.44	विश्व बैंक	नव.-2005	नव.-2008	जून-2010	212.00	245.59
141.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	28	29.00	5.00	विश्व बैंक	नव.-2005	नव.-2008	जून-2010	205.00	197.13
142.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44.00	5.50	विश्व बैंक	अक्तू.-2005	अक्तू.-2008	दिस.-2010	227.00	157.03
143.	झांसी बाइपास (यूपी-3)	25	15.00	12.62	एडीबी	नव.-2005	मई-2008	दिस.-2009	158.06	116.68
एनएचडीपी चरण 3										
144.	मेरठ-मुजफ्फरपुर	58	79.00	63.50	बीओटी	मार्च-2006	मार्च-2009	दिस.-2009	329.00	397.25
145.	सीतापुर-लखनऊ	24	75.00	0.00	बीओटी	जून-2006	जून-2009	जून-2010	322.00	140.00
		जोड़	1220.17	597.11					8211.19	6184.40
उत्तर प्रदेश [55]/बिहार [21]										
एनएचडीपी चरण 1										
146.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/4-ए)	2	76.00	75.10	विश्व बैंक	मार्च-2002	मार्च-2005	दिस.-2009	467.93	444.17
		जोड़	76.00	75.10					467.93	444.17
पश्चिम बंगाल										
रारा-34										
147.	डलखोला बाइपास	34	5.50	0.00	एनएचएआई	सित.-2005	अग.-2008	जुलाई-2009	67.00	23.48
एनएचडीपी चरण 1										
148.	पुल खंड (प.बं.-3)	6	1.73	0.48	एनएचएआई	समाप्त			81.00	80.20
एनएचडीपी चरण 2										
149.	असम/पबं सीमा से गैरकट्टा (प.बं.-1)	31सी	32.00	0.75	एनएचएआई	जून-2006	नव.-2008	जून-2010	221.82	105.36
150.	सिलिगुड़ी से इसलमामपुर (प.बं.-7)	31	26.00	14.17	एनएचएआई	जन.-2006	जुलाई-2008	जून-2010	225.00	117.44
		जोड़	65.23	15.40					594.82	326.48

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का विस्तार

3225. श्री रामकिशुन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को विस्तारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त विस्तार पर अनुमानित कितनी लागत आने वाली है और अब तक कितनी निधियां खर्च की जा चुकी हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की कुल 1453 किमी लंबाई में से 1445 किमी लंबाई में पहले ही चार लेन बना दी गई हैं और शेष 8 किमी में कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन है जिसे दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी तक किया गया कुल व्यय 8042.26 करोड़ रुपए है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त, और प्रचालन विधि से छः लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि छः लेन बनाने की परियोजनाओं को अभी सौंपा जाना है इसलिए लागत और इसको पूरा करने की लक्ष्य तिथि के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	छः लेन बनाने के लिए खंड	लंबाई (किमी)	वर्तमान स्थिति/टिप्पणी
1.	दिल्ली-आगरा	180 किमी (उत्तर प्रदेश में 106 किमी और हरियाणा में 74 किमी)	दिनांक 24.12.2008 की देय तारीख के साथ निविदाएं आमंत्रित की गई। तथापि, निविदाओं की देय तारीखों को बार-बार बढ़ाए जाने के बावजूद कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए परियोजनाओं को पुनर्गठित किया गया और निविदा प्रक्रिया शीघ्र ही पुनः प्रारंभ की जाएगी।
2.	आगरा-इटावा बाइपास	उत्तर प्रदेश में 125 किमी	साध्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
3.	इटावा-चकेरी (कानपुर)	उत्तर प्रदेश में 157 किमी	साध्यता अध्ययन के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है।
4.	चाकेरी (कानपुर)-इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश में 150 किमी	साध्यता अध्ययन के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है।
5.	इलाहाबाद बाइपास-वाराणसी	उत्तर प्रदेश में 160 किमी	साध्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
6.	वाराणसी-औरंगाबाद	190 किमी (उत्तर प्रदेश में 55 किमी और बिहार में 135 किमी)	प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।
7.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा	220 किमी (बिहार में 71 किमी और झारखंड में 149 किमी)	साध्यता अध्ययन के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है
8.	बरवा अड्डा-पानागढ़	120 किमी (झारखंड में 41 किमी और पश्चिम बंगाल में 79 किमी)	साध्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
9.	पानागढ़-दनकुनी	पश्चिम बंगाल में 135 किमी	साध्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

मसालों का उत्पादन

3226. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दी और अदरक सहित विभिन्न मसालों का उड़ीसा सहित देश में काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित करने और इनके लिए विपणन सुविधाएं मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में और देश में मसालावार क्षेत्र और उत्पादन दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कालीकट में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान तथा अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं। इसके साथ-साथ अखिल भारतीय मसाला समन्वित अनुसंधान परियोजना भी है जिसके 34 अनुसंधान केन्द्र देश में फैले हुए हैं।

विवरण I

मसालावार क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में, उत्पादन 000 मी. टन में)

	2005-06		2006-07		2007-08	
	एरिया	प्रोडक्शन	एरिया	प्रोडक्शन	एरिया	प्रोडक्शन
1	2	3	4	5	6	7
काली मिर्च	257.24	50.00	236.18	50.00	196.31	50.00
इलायची (छोटी)	73.80	12.54	73.23	11.24	69.28	9.47
इलायची (बड़ी)	30.04	5.19	30.04	4.30	30.04	4.92
मिर्च	742.20	1023.13	809.44	1325.27	838.10	1362.95
अदरक	125.85	810.93	129.01	721.54	119.62	710.34
हल्दी	173.14	867.07	183.92	856.46	175.96	826.07
धनिया	357.04	257.07	361.77	287.65	436.93	291.60
जीरा	403.03	199.85	409.03	176.51	477.94	264.86
सौंफ	40.91	61.31	61.13	92.26	84.47	131.65
मेथी	33.39	38.99	44.98	55.78	54.97	67.65
लहसुन	162.50	624.79	169.61	833.16	207.23	1045.44
वनीला	5.82	0.19	5.13	0.23	4.73	0.18
लौंग	2.14	1.19	1.94	0.74	1.90	0.72
जायफल	11.27	2.91	13.71	11.56	15.00	11.23
दालचीनी	0.50	0.02	0.53	0.03	0.48	0.02
इमली	61.08	192.19	58.62	190.07	40.01	108.26

1	2	3	4	5	6	7
डिलसीड	9.35	5.66	11.08	9.68	11.39	16.62
अजवायन	24.30	8.33	31.66	15.85	19.59	11.20
केसर	2.99	0.01	2.93	0.00	3.00	0.01
सैलरी	1.15	1.49	1.80	2.35	3.16	4.24
तेजपात	6.14	15.96	6.14	15.96	6.65	17.28
स्वीटलेग	7.20	3.56	7.20	3.56	7.49	3.70
कुल मिलियन टन में	2531.09	4182.39	2649.08	4664.21	2804.24	4938.39
कुल		4.18		4.66		4.94

स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली/राज्य सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग

विवरण II

उड़ीसा में मसालों का क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में, उत्पादन 000 मी. टन में)

	2005-06		2006-07		2007-08	
	एरिया	प्रोडक्शन	एरिया	प्रोडक्शन	एरिया	प्रोडक्शन
मिर्च	75.12	63.29	75.12	63.93	75.14	63.92
अदरक	24.02	57.09	24.73	59.36	24.82	60.34
हल्दी	110.19	39.63	110.31	40.71	110.31	40.71
धनिया	11.04	35.42	11.04	35.50	11.05	35.52
सरसों	15.81	30.64	16.07	31.40	16.34	32.44
लहसुन	19.06	9.04	19.07	9.07	19.07	9.06
कुल	255.24	235.11	256.34	239.97	256.73	241.99

स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली/राज्य सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग।

दिल्ली दुग्ध योजना

3227. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.एम.एस. को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	कुल हानि (करोड़ रुपए में)
2004-05	17.78
2005-06	12.22
2006-07	28.28
2007-08	25.49

लागत मूल्यों में वृद्धि, क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप डीएमएस को घाटा उठाना पड़ रहा है, जैसा कि संयंत्र और मशीनरी पुराने तथा मानव शक्ति अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.पी.आर.डी. द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण का आकलन

3228. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.) ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का प्रभाव आकलन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने बी.पी.आर.डी. अध्ययन और इसकी रिपोर्टों के आलोक में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने वर्ष 2006 में पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना का प्रभाव आकलन अध्ययन किया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि पुलिस, आधुनिकीकरण का समग्र प्रभाव बेहतर संचार सुविधाओं, अपेक्षाकृत अधिक मोबिलिटी, बेहतर स्पष्टता और पुलिस की अपेक्षाकृत अधिक उपस्थिति; बेहतर आवास सुविधाओं; पुलिस के बेहतर भवन; आधुनिक प्रशिक्षण गजेट के साथ प्रशिक्षण की अधिक सुविधाओं; बेहतर नेटवर्किंग और पुलिस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, उग्रवाद का सामना करने के लिए बेहतर और उन्नत हथियारों की उपलब्धता; बेहतर परिचालनात्मक कुशलता और जांच-पड़ताल कौशल; समस्याओं के प्रति सुसमन्वित; सामयिक और प्रभावी प्रतिक्रिया; बेहतर सेवा प्रदान करने; और जनता में अधिक विश्वास और संतोष में परिलक्षित होता है।

(ग) से (ङ) राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाती है और उपाय करती है कि पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी से सज्जित किया जाए ताकि वे सुरक्षा से संबंधित किसी भी खतरे का सामना प्रभावी ढंग से कर सकें। राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत विगत तीन वर्षों 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान निम्नलिखित निधियां प्रदान की गई हैं:

वर्ष	एमपीएफ योजना के तहत जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)
2006-07	1065.22
2007-08	1248.70
2008-09	1157.64

[हिन्दी]

निषिद्ध वस्तुएं

3229. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और पंजाब में हेरोइन जैसी निषिद्ध वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान दोनों राज्यों में अलग-अलग राज्यवार कितनी मात्रा में हेरोइन जब्त की गयी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और निषिद्ध वस्तु के स्रोत क्या रहे;

(घ) दोषियों के विरुद्ध श्रेणीवार क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान मई, 2009 तक (अनंतिम) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली एवं पंजाब राज्य में जब्त की गई हेरोईन निम्नानुसार है:

राज्य	जब्त की गई हेरोईन
दिल्ली	92.03 किलो.
पंजाब	53.85 किलो.

(ग) और (घ) पंजाब एवं दिल्ली में जब्त की गयी हेरोईन राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के हेरोईन के स्वदेशी स्रोतों की बजाय अधिकांशत: दक्षिण पश्चिम एशिया की हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान मई, 2009 तक (अनंतिम) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली एवं पंजाब राज्य में की गयी गिरफ्तारियों की संख्या क्रमश: 15 और 102 हैं। लिंगवार जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नारकोटिक द्रव्यों की अवैध तस्करी को रोकने, पता लगाने तथा नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा सामान्यत: कई कदम उठाए गए हैं। इसके ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

(1) मादक द्रव्यों के ज्ञात मार्गों के साथ-साथ गहन निरोधी एवं निषेधी प्रयास।

(2) अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक आसूचना प्रकोष्ठ खोला गया है।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती का पता लगाने एवं नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं।

(4) निषेधादेश को बेहतर तरीके से लागू करने के क्रम में विभिन्न मादक द्रव्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उन्नत समन्वय।

(5) एसेटिक एनहाइड्राइड, जिसे अफीम में हेरोईन बनाने की अवैध प्रक्रिया में एक रसायन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, को स्पेशल कंट्रोल्स (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत डाल दिया गया है।

(6) मादक द्रव्यों के अवैध उत्पादन के लिए अगुवा रसायनों के विचलन को नियंत्रित करने हेतु शुरू किए गए आपरेशन तारसेट (कम्बाईन्ड आपरेशन आफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एण्ड यूएनओडीसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत एक सक्रिय सदस्य है।

(7) संचालनात्मक आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को सुदृढ़ करना।

(8) कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मादक द्रव्यों की तस्करी से निपटने में उनकी कुशलता को सुधारने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

(9) नारकोटिक्स द्रव्यों की जब्ती कराने वाली जानकारी देने वाले मुखबिरों एवं अधिकारियों के लिए नकद पुरस्कारों की एक योजना को कार्यान्वित करना।

(10) राज्य को अपनी नारकोटिक्स-रोधी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो और टी.वी. कवरेज

3230. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रेडियो और टेलीविजन का कवरेज बढ़ाने हेतु पहले कोई पैकेज स्वीकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के लिए एक नया पैकेज स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित नए लक्ष्यों और प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) वर्ष 1999 में अनुमोदित जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना चरण-1 के अंतर्गत दूरदर्शन (डीडी) ने जम्मू एवं कश्मीर में 92 ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं और इन ट्रांसमीटरों की स्थापना से राज्य की 95% आबादी को स्थलीय कवरेज उपलब्ध हो गयी है। साथ ही, देश के शेष भाग (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर के कवर न किए गए सभी क्षेत्रों को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के माध्यम से बहु-

चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करायी गयी है। छोटे आकार की डिश अभिग्रहण यूनिटों की मदद से डीटीएच सिगनल प्राप्त करना संभव है। सितंबर, 2007 में जम्मू एवं कश्मीर के लिए अनुमोदित जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना चरण-2 के भाग के रूप में दूरदर्शन ने कवर न किए गए क्षेत्रों हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार को टीवी सेटों सहित 10,000 डीटीएच सेट उपलब्ध कराए हैं।

जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना चरण-1 के अंतर्गत आकाशवाणी ने जम्मू एवं कश्मीर में 10 नए ट्रांसमीटरों को स्थापित किया है और 2 ट्रांसमीटरों का स्तरोन्नयन भी किया है। इसी प्रकार से, जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना चरण-2 के अंतर्गत आकाशवाणी के लिए 11 डीजी सेट तथा 7 यूपीएस अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) इस समय ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों द्वारा ज्यादती

3231. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध ज्यादती से संबंधित राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आरोपित पुलिस कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस के कार्यकरण में सुधार लाने तथा बैठकों/कार्यशालाओं के माध्यम से केन्द्रीय/राज्य पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और राज्य सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखे, अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे और ऐसे मामलों में गल्ती करने वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करे। इसलिए ऐसे ब्यौरे, केन्द्रीय आधार पर संकलित नहीं किए जा रहे हैं और इनका अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पुलिस, राज्य का विषय होने के कारण राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित पुलिस कार्यकरण में सुधार किए जाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, देश और विदेश में राज्य पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के प्रयासों में उनकी सहायता की जा रही है। कांस्टेबलों, उप-निरीक्षकों और उप-पुलिस अधीक्षकों के प्रवेश पाठ्यक्रमों में पाठ्य-विवरणों की समीक्षा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा की जाती है ताकि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपनाया जा सके/कार्यान्वित किया जा सके।

पुलिस कार्यकरण में सुधार किए जाने और केन्द्रीय/राज्य पुलिस पदाधिकारियों को सुग्राही बनाए जाने के संदर्भ में व्यावसायिकता, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी पर्याप्त जानकारी, प्रवेश पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरणों में शामिल की गई हैं। राज्य पुलिस बल और केन्द्रीय पुलिस बल भी "जांच-पड़ताल में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग" मानवाधिकारों का संरक्षण" "महिलाओं के प्रति अपराध", "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के प्रति अपराध" के संबंध में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बीपीआर एंड डी भी केन्द्रीय/राज्य पुलिस पदाधिकारियों को ऐसे मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाने के लिए वैज्ञानिक जांच पड़ताल छवि निर्माण, सु-शासन, नैतिकता संबंधी मुद्दों और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

[अनुवाद]

छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता

3232. श्री जोसेफ टोप्पोः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे एवं मझोले समाचारपत्रों को और वित्तीय सहायता प्रदान करना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर एवं सीमा क्षेत्रों से निकलने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल में दर्ज करने के मानदंडों में भी छूट देने और उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य-वार कितने नये आवेदन पत्र डी.ए.वी.पी. के पैनल में दर्ज करने हेतु प्राप्त हुए/मंजूर हुए/लंबित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति के अंतर्गत विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन जारी करने के संबंध में लघु समाचार-पत्रों के लिए (कम से कम) 15% तथा मध्यम समाचार-पत्रों के लिए कम से कम 35% का पहले से ही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 27.2.2009 को प्रिंट मीडिया (जिसमें लघु, मध्यम एवं बड़े समाचार पत्र शामिल है) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अंतर्गत गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर विशेष राहत के रूप में 15% एजेंसी कमीशन की छूट के साथ डीएवीपी विज्ञापन दरों को 10% बढ़ा दिया गया है। यह पैकेज प्रारंभ में दिनांक 30.06.2009 तक दिया गया था तथा बाद में इसे दिनांक 31.12.2009 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकारी नीति में पूर्वोत्तर राज्यों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित समाचार-पत्रों को पैनल में शामिल करने के लिए मानदंडों को शिथिल बनाया गया है। विज्ञापन नीति के खंड-8 के अनुसार, बोडो, गढ़वाली, डोगरी, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाओं तथा राज्य सरकार द्वारा यथा प्रमाणित जन-जातीय भाषाओं/बोलियों के समाचार-पत्रों अथवा जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित समाचार-पत्रों पर 6 माह के उनके नियमित एवं अबाधित प्रकाशन के उपरांत पैनल में शामिल करने हेतु विचार किया जा सकता है। तथापि, सभी क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं के लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों के लिए अर्हता अवधि 18 माह की होगी। इसके अतिरिक्त उक्त नीति के खंड 13 के अनुसार, किसी समाचार पत्र/पत्रिका को पैनल में शामिल करने हेतु विचार करने के लिए उसकी कम से कम 2000 प्रतियों का सशुल्क प्रसार होना चाहिए जबकि संपूर्ण देश में बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रमाणित जन-जातीय भाषाओं में और पिछड़े, समावर्ती, पहाड़ी क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं तथा जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रकाशनों के लिए प्रत्येक दिवस पर केवल 500 प्रतियों का न्यूनतम सशुल्क प्रसार अपेक्षित है। इस नीति का ब्यौरा पर www.davp.nic.in उपलब्ध है।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान पैनल में शामिल करने हेतु 827 नए आवेदन आन लाइन प्राप्त हुए जिन पर विचार किया जाना है। मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान पैनल में शामिल किए जाने के लिए आन लाइन प्राप्त हुआ आवेदनों और लंबित आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त हुए/लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	50
3.	असम	4
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	दादरा और नगर हवेली	2
7.	दिल्ली	99
8.	गुजरात	39
9.	हरियाणा	8
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू और कश्मीर	9
12.	झारखंड	9
13.	कर्नाटक	12
14.	केरल	12
15.	मध्य प्रदेश	50
16.	महाराष्ट्र	49
17.	मेघालय	1
18.	उड़ीसा	11
19.	पंजाब	5
20.	राजस्थान	73
21.	तमिलनाडु	10
22.	त्रिपुरा	4

1	2	3
23.	उत्तराखंड	112
24.	उत्तर प्रदेश	235
25.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	827

पुलिस नियमावली

3233. श्री महाबल मिश्रा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा पुलिस कर्मियों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से संबंधित प्रावधान से युक्त कोई पुलिस नियमावली बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की नियमावली किस तारीख को तैयार/जारी की गई;

(ग) क्या तेजी से बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर सरकार के पास पुलिस नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली में पंजाब पुलिस नियमावली अपनाई जाती है।

(ग) और (घ) 1 जनवरी से 30 जून 2009 के दौरान दर्ज किए गए जघन्य और आईपीसी के अंतर्गत आने वाले अपराधों में वर्ष 2008 की इसी अवधि की तुलना में 7.46% और 3.01% की कमी सूचित की गई है। पुलिस नियमावली में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206 के लिए निधियां

3234. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 206 के विकास के लिए कितनी निधियां आबंटित एवं मंजूर की गई तथा उपयोग में लाई गईं;

(ख) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास/निर्माण में विलंब हुआ है; और

(ग) विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 206 के विकास के लिए 158.75 करोड़ रुपए की धनराशि के 18 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक इन कार्यों पर 33.30 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्य स्तर पर और मंत्रालय में भी नियमित आधार पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

नकदी फसलों हेतु सांविधिक न्यूनतम मूल्य

3235. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गन्ने की तर्ज पर अन्य नकदी फसलों के सांविधिक न्यूनतम मूल्य वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) नहीं श्रीमान जी। सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल गन्ने के लिए निर्धारित किया जाता है। अन्य नकदी फसलों यथा कपास, पटसन आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। 2007-08 तथा 2008-09 के लिए कपास तथा पटसन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	किस्म	2007-08	2008-09
कपास	मध्यम रेशा	1800	2500
	लम्बा रेशा	2030	3000
पटसन		1055	1250

[हिन्दी]

फर्जी वीजा

3236. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फर्जी वीजा जारी करने/प्रयोग करने संबंधी मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसे पता चले मामलों, पकड़े गए/दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आब्रजन ब्यूरो द्वारा नियंत्रित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.09.2009 तक) के दौरान संसूचित फर्जी वीजा एवं यात्रा दस्तावेजों के मामलों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
1.	2006	1492
2.	2007	1251
3.	2008	865
4.	2009	473 (30.06.2009 तक)

फर्जी वीजा तथा यात्रा दस्तावेजों का पता लगते ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इन लोगों के खिलाफ विधि के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाती है। तथापि फर्जी वीजा जारी करने/प्रयोग करने से संबंधित मामलों में गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

फर्जी/जाली दस्तावेजों से यात्रा को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं:-

(1) यात्रा दस्तावेजों की मुख्य बातों की स्क्रूटिनी करने के लिए सभी आब्रजन चैक पोस्टों (आईसीपी) पर तुलना करने के लिए यात्रा दस्तावेजों की नमूना प्रतियों, अल्ट्रा वायलेट लैम्पों, मैग्नीफाइंग ग्लासों का प्रयोग करना।

(2) यात्रा दस्तावेजों में अत्याधुनिक जालसाजी का पता लगाने के लिए प्रमुख आईसीपी पर पासपोर्ट रीडिंग मशीनें, (पीआरएम) और प्रश्नगत दस्तावेजों का परीक्षण (क्यूडीएक्स) मशीनें लगाना।

(3) आब्रजन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) साफ्टवेअर लगाना जो छद्मरूपण को रोकने के लिए यात्रियों के पासपोर्ट ब्यौरों को सत्यापित करता है।

(4) आईसीपी के आब्रजन काउण्टरों पर काम कर रहे आब्रजन अधिकारियों को फर्जी/जाली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

कृषि भूमि का अन्य उद्देश्य हेतु प्रयोग

3237. श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि भूमि का व्यापक पैमाने पर गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) कर्नाटक सहित राज्य-वार, देश में धान के खेतों का गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार भूमि के प्रयोग में परिवर्तन से पैदा होने वाली परिस्थितिकी समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि राज्य सरकारों के क्षेत्र के अंतर्गत है और इसलिए यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि कृषि भूमि के प्रयोग को गैर कृषि उद्देश्यों से बचाने के लिए उचित कानून बनाये। धान के क्षेत्रों की गैर कृषि उद्देश्यों के परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि उपलब्ध अनुमान के अनुसार 2003-04 में कृषि भूमि की उपलब्धता में 183.07 मिलियन हैक्टेयर में आंशिक कमी होकर 2006-07 में 182.71 मिलियन हैक्टेयर हो गयी। उसी अवधि के दौरान गैर कृषि उद्देश्यों हेतु भूमि 24.68 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 25.19 मिलियन

हैक्टेयर तक हो गयी। कर्नाटक राज्य में भी कृषि भूमि की उपलब्धता में 2003-04 के 12.91 मिलियन हैक्टेयर में आंशिक कमी होकर 2006-07 में 12.89 मिलियन हैक्टेयर तक हो गयी और गैर कृषि प्रयोगों के अंतर्गत क्षेत्र में 2003-04 में 1.33 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2006-07 में 1.36 मिलियन हैक्टेयर हो गया। सम्पूर्ण देश में जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है, में कृषि भूमि और गैर कृषि प्रयोगों के अंतर्गत क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कृषि भूमि में यह कमी मुख्य रूप से जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के कारण तथा कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि उद्देश्यों के लिए जैसे शहरीकरण, सड़कें, उद्योगों इत्यादि के कारण हुई है।

भारत सरकार ने देश में अवक्रमित भूमियों के विकास के लिए विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग 50.83 मिलियन हैक्टेयर भूमियों का विकास कर लिया गया है। क्षेत्र की कृषि जलवायुवीय स्थिति की अनुकुलता पर विचार करते हुए ऐसी विकसित भूमियों के भागों को भी कृषि के अंतर्गत लाया गया है।

विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टे. में)

क्रसं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कृषि भूमि		गैर कृषि उद्देश्यों के अंतर्गत क्षेत्र	
		2003-04	2006-07	2003-04	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15789.00	15911.00	2692	2683
2.	अरुणाचल प्रदेश	415.00	422.0	22	23
3.	असम	3224.00	3224.00	1065	1065
4.	बिहार	6640.00	6638.00	1645	1647
5.	छत्तीसगढ़	5604.00	5581.00	696	683
6.	गोवा	197.00	197.00	37	37
7.	गुजरात	12412.00	12412.00	1145	1145
8.	हरियाणा	3771.00	3782.00	432	421
9.	हिमाचल प्रदेश	804.00	813.00	453	458
10.	जम्मू और कश्मीर	1050.00	1048.00	293	293
11.	झारखण्ड	4184.00	4184.00	792	792
12.	कर्नाटक	12908.00	12894.00	1336	1363
13.	केरल	2378.00	2329.00	396	449
14.	मध्य प्रदेश	17362.00	17312.00	1925	1992
15.	महाराष्ट्र	21180.00	21162.00	1390	1412
16.	मणिपुर	224.00	231.00	26	26
17.	मेघालय	1061.00	1057.00	87	91

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	352.00	213.00	125	125
19.	नागालैंड	645.00	657.00	75	75
20.	उड़ीसा	7473.00	7473.00	999	999
21.	पंजाब	4270.00	4270.00	429	429
22.	राजस्थान	25638.00	25600.00	1760	1835
23.	सिक्किम	153.00	155.00	143	143
24.	तमिलनाडु	8168.00	8148.00	2113	2160
25.	त्रिपुरा	310.00	310.00	131	131
26.	उत्तराखण्ड	1511.00	1504.00	152	154
27.	उत्तर प्रदेश	19307.00	19268.00	2594	2700
28.	पश्चिम बंगाल	5876.00	5751.00	1609	1733
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47.00	47.00	21	22
30.	चण्डीगढ़	2.00	2.0	5	5
31.	दादरा और नगर हवेली	24.00	24.00	4	4
32.	दमन और द्वीव	3.00	3.00	0	0
33.	दिल्ली	57.00	54.00	75	76
34.	लक्षद्वीप	3.00	3.00	0	0
35.	पुदुचेरी	31.00	31.00	17	18
	कुल योग	183073.00	182710.00	24684.00	25189.00

स्रोतः 1997-98 से 2006-07 तक एक नजर में भूमि उपयोग सांख्यिकी, ई एण्ड एस निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों की प्रगति

3238. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत निधियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कहां तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्य की प्रगति और निधि के उपयोग पर इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है और केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों के उपयोग की प्रगति पर तिमाही रूप से निगरानी रखी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सड़क निधि के

अंतर्गत निधियों का लगभग 100% उपयोग हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान 1671.64 करोड़ रुपए के मूल बजट प्रावधान की तुलना में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2122.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत पूरक अनुदान के माध्यम से वित्त मंत्रालय से 500.00 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की गई थी जिससे कुल प्रावधान बढ़कर 2171.64 करोड़ रुपए हो गया।

[अनुवाद]

हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित कानूनों का संशोधन

3239. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने अपने 113वें प्रतिवेदन में विचारण न्यायालय को पुलिसकर्मियों की अपनी अभिरक्षा में आरोपित को चोट पहुंचाने का आपराधिक मामले संबंधी अनुमति देने हेतु साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कानूनों में संशोधन करने का है जो हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है इसलिए विधि आयोग की सिफारिश, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए भेज दी गई है। चूंकि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डरों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करके कानून में संशोधन किया जाना है इसलिए कार्रवाई पूरी किए जाने के लिए समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में 2005 में संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उसके लापता हो जाने या किसी महिला के साथ बलात्कार होने के मामले में अनिवार्य रूप से न्यायिक जांच होगी और मृत्यु होने पर इसके 24 घंटों के अंदर शव की जांच की जाएगी। उक्त उपबंध में और संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पशुचिकित्सालयों में डाक्टरों/दवाओं की कमी

3240. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेषकर झारखण्ड एवं बिहार के प्रत्येक पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं दवाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, देश में राज्य पशु चिकित्सालयों को पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करने और दवाओं का वितरण करने हेतु कितनी निधियों का आबंटन किया गया तथा उनमें से कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(घ) देश में विशेषकर झारखण्ड एवं बिहार में पशुओं की कुल संख्या के मुकाबले पशु चिकित्सालयों एवं पशु चिकित्सकों का अनुपात क्या है;

(ङ) क्या इस समय देश में पशु चिकित्सालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। देश के प्रत्येक पशुचिकित्सा अस्पतालों में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है। तथापि, राज्यवार भिन्नता है। झारखंड तथा बिहार सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 424 तथा 882 पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों में पशुचिकित्सा डाक्टरों के 753 तथा 839 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 613 तथा 603 पद भरे हुए हैं। वर्ष 2008-09 में झारखंड तथा बिहार ने दवाइयों की खरीद के लिए क्रमश: 225.00 लाख रुपए तथा 289.93 लाख रुपए का प्रावधान किया था।

(ग) डाक्टरों की तैनाती सहित पशुचिकित्सा सेवाओं राज्य का विषय है। इसलिए राज्यों को पशुचिकित्सा डाक्टरों की तैनात तथा दवाइयों की आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। अत:, राज्य के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए,

(1) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी), (2) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई) तथा (3) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी) जैसी कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए टीकाकरण सहित पशु स्वास्थ्य को कवर करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को इन योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(घ) पशुधन संगणना, 2003 के अनुसार, भारत में 311 मिलियन गोपशु यूनिट (एक गोपशु यूनिट एक बड़े पशु अथवा पांच सूअर अथवा 10 भेड़ तथा बकरियां अथवा 100 कुक्कुट के बराबर है) तथा 52.757 पशुचिकित्सा संस्थान (पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय/सहायता केन्द्र) हैं। औसतन प्रत्येक पशुचिकित्सा संस्थान लगभग 5895 गोपशु यूनिटों की आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि झारखंड तथा बिहार राज्यों में, प्रत्येक संस्थान क्रमशः लगभग 23,000 तथा 7,900 गोपशु यूनिटों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च) देश में इस समय पशुचिकित्सा अस्पतालों की संख्या पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) की सिफारिशों के अनुसार, 2000 एडी तक प्रत्येक 5,000 गोपशु यूनिटों के लिए कम से कम एक पशुचिकित्सक होना चाहिए। इस समय, औसतन प्रत्येक पशुचिकित्सक 6158 गोपशु यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तथा एक पशुचिकित्सा संस्थान 12-13 गांवों को कवर करता है। राज्य सरकारें नियमित रूप से नए पशुचिकित्सा संस्थान खोल रहे हैं। झारखण्ड राज्य ने 2006-08 के दौरान पशुचिकित्सा अस्पताल स्थापित किए हैं।

विवरण I

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रसं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान जारी धनराशि	2007-08 के दौरान जारी धनराशि	2008-09 के दौरान जारी धनराशि	2009-10 के दौरान आज तक जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	500.00	532.00	750.00	500.00
2.	बिहार	0.00	100.00	400.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	450.00	330.00	0.00	0.00
4.	गोवा	30.22	25.00	0.00	26.00
5.	गुजरात	455.00	280.00	509.00	0.00
6.	हरियाणा	150.00	200.00	384.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	103.64	117.00	99.85	60.00
8.	जम्मू और कश्मीर	200.00	200.00	250.00	0.00
9.	झारखण्ड	0.00	0.00	150.00	0.00
10.	कर्नाटक	865.14	480.00	700.00	600.00
11.	केरल	197.23	0.00	100.00	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	195.00	362.00	450.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	1035.00	1172.00	1000.00	700.00
14.	उड़ीसा	270.00	450.00	650.00	300.00
15.	पंजाब	369.97	0.00	200.00	0.00
16.	राजस्थान	257.00	289.00	158.00	250.00
17.	तमिलनाडु	200.00	608.00	1271.87	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	732.00	750.00	0.00
19.	उत्तराखंड	157.80	100.00	31.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	547.00	1250.00	756.28	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	91.46	121.00	100.00	50.00
22.	असम	0.00	0.00	350.00	0.00
23.	मणिपुर	96.54	244.00	190.00	150.00
24.	मेघालय	97.31	75.00	149.00	0.00
25.	मिजोरम	251.10	275.00	203.00	0.00
26.	नागालैंड	310.32	310.00	273.00	0.00
27.	सिक्किम	57.27	75.00	125.00	30.00
28.	त्रिपुरा	142.08	0.00	330.00	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	55.20	60.00	23.00	0.00
30.	पुदुचेरी	18.80	0.00	25.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.00	12.20	25.00	0.00
32.	चंडीगढ़	5.60	7.00	6.50	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	11.40	7.00	7.00	0.00
34.	दमन और दीव	1.00	2.80	1.50	0.00
35.	लक्षद्वीप	16.00	8.00	5.00	0.00
	कुल	7153.08	8424.00	10423.00	2666.00

विवरण II

राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई) के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रसं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान जारी धनराशि	2007-08 के दौरान जारी धनराशि	2008-09 के दौरान जारी धनराशि	2009-10 के दौरान आज तक जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	35.00	0.00	20.00	20.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	15.00	0.00	10.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	5.00	5.00
5.	गुजरात	15.00	25.00	30.00	0.00
6.	हरियाणा	20.00	17.95	20.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	20.00	4.82	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	5.00	10.00	15.00	0.00
9.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	49.00	0.00	20.00	0.00
11.	केरल	25.00	18.00	23.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	25.00	32.00	20.00	10.00
13.	महाराष्ट्र	34.94	20.00	8.00	5.00
14.	उड़ीसा	20.00	5.00	20.00	10.00
15.	पंजाब	30.00	0.00	20.00	0.00
16.	राजस्थान	15.00	20.00	8.00	0.00
17.	तमिलनाडु	25.00	0.00	10.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	25.00	29.05	19.18	0.00
19.	उत्तराखंड	0.00	10.00	10.00	5.00
20.	पश्चिम बंगाल	45.00	25.00	20.00	20.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	5.00	20.00	15.00
22.	असम	10.00	10.00	10.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	मणिपुर	10.00	0.00	20.00	0.00
24.	मेघालय	5.00	10.00	15.00	10.00
25.	मिजोरम	20.00	15.00	5.00	0.00
26.	नागालैंड	15.00	20.00	15.00	0.00
27.	सिक्किम	15.00	10.00	10.00	0.00
28.	त्रिपुरा	0.00	15.00	0.00	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8.00	8.00	4.00	0.00
30.	पुदुचेरी	2.00	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	1.00	5.00	5.00
32.	चंडीगढ़	1.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	1.00	1.00	0.00	0.00
	कुल	522.4	327.00	387.00	105.00

विवरण III

खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी) के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्रसं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान जारी धनराशि	2007-08 के दौरान जारी धनराशि	2008-09 के दौरान जारी धनराशि	2009-10 के दौरान आज तक जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	100.00	35.00	0.00
2.	गुजरात	0.00	15.00	35.00	0.00
3.	हरियाणा	0.00	50.00	50.00	0.00
4.	केरल	0.00	44.00	25.00	0.00
5.	महाराष्ट्र	123.00	65.00	70.00	25.00
6.	पंजाब	100.00	15.00	30.00	25.00

1	2	3	4	5	6
7.	तमिलनाडु	12.00	10.00	5.00	0.00
8.	उत्तर प्रदेश	100.00	90.40	150.00	50.00
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4.00	3.00	2.00	0.00
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	1.00	2.00	0.00
11.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	लक्षद्वीप	2.00	1.00	1.00	0.00
	कुल	403.00	394.40	405.00	100.00

राष्ट्रीय राजमार्ग-80

3241. श्री मधु कोड़ाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के कुछ खंड एक लेन के हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खंडों की लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त खंडों का विकास शामिल नहीं क्या गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस राजमार्ग पर कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-80 की कुल 296.26 किमी. लम्बाई में से लगभग 96 किमी. लम्बाई में एक लेन है। इस 96 किमी. में 20 किमी. बिहार में, 63 किमी. झारखंड में और 13 किमी. पश्चिम बंगाल में है।

(ग) से (ङ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की 70 किमी. लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 में शामिल है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की शेष लंबाई का विकास कार्य बजटीय संसाधनों के माध्यम से यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धन राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के सुधार के लिए 79.90 करोड़ रुपए की लागत के 12 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। झारखंड में चौड़ीकरण/सड़क गुणता सुधार के लिए 19.83 करोड़ रुपए की लागत के 4 कार्यों को वर्ष 2008-09 में संस्वीकृत प्रदान की गई है जो प्रगति/निविदा चरण पर है। 34.00 करोड़ रुपये की लागत से कुल 28 किमी. लंबाई में 2 लेन बनाने और सुदृढ़ीकरण के 2 कार्य वार्षिक योजना 2009-10 में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड में रारा 80 के किमी 210.50 से 213.00 में चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और 42 किमी. के लिए ज्यामितीय सुधार सहित चौड़ा करके 2 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी प्रावधान वार्षिक योजना 2009-10 में किए गए है। पश्चिम बंगाल में रारा-80 के विकास के लिए साध्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण

3242. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणीः
श्री मधु गौड यास्खीः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-पाक सीमा के निकटवर्ती गांवों के ऊपर बम एवं राकेट दागे जाने से जान एवं माल के नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ज्ञात मामलों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, दो घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई यथा, (1) 9 मई, 2009 को 120 मिलीमीटर का एक बम नियंत्रण रेखा के पार से छोड़ा गया जो जम्मू व कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मकरी गांव के काफी निकट आकर गिरा। इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना को ध्वज बैठक के माध्यम से उपयुक्त स्तर पर पाकिस्तान मिलिट्री के प्राधिकारियों की जानकारी में लाया गया था और डीजीएमओ स्तर की वार्ता के दौरान भी उठाया गया था। (2) 4/5 जुलाई, 2009 की मध्य रात्रि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास से तीन प्रक्षेपक दागे गए थे जो पंजाब के अमृतसर जिले में दांडी, बेहरवाल और कोंकी नामक भारतीय गांवं के पास गिरे थे। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। घटना के तुरन्त बाद सीमा सुरक्षा बल के कमाण्डर द्वारा पाक रेंजर के अपने प्रतिपक्ष के समक्ष कड़ा प्रतिरोध प्रकट किया गया था जिसमें बताया गया कि ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता का बहुत ही गहरा उल्लंघन है। इसके बाद, दोनों पक्षों की कमाण्डर/विंग कमाण्डर स्तरीय ध्वज बैठकें 4-5 जुलाई 2009 की मध्य रात्रि में, 5 जुलाई 2009 को संध्याकाल में और 13 जुलाई 2009 को हुई थीं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु परियोजनाएं

3243. श्री अनंत कुमार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग-वार, चौड़ीकरण, लेन की संख्या बढ़ाने, 'इलीवेटेड' राजमार्ग बनाने आदि की चल रही परियोजनाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति क्या है; और

(ग) विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) बंगलौर के आसपास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेन बनाने की 6 परियोजनाएं और कर्नाटक राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 4/6 लेन बनाने की एक परियोजना प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, संविदागत मुकदमे, रेलवे से अनुमति मिलने में देरी और ठेकेदारों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण 4 परियोजनाओं में कुछ विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार तथा ठेकेदारों के साथ मामले के समन्वय के द्वारा सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक में बंगलौर में और उसके आस-पास कार्यान्वियन के अधीन परियोजनाओं का ब्योरा

क्र.सं.	खंड	निष्पादन एजेंसी	लंबाई	परियोजना की लागत (करोड़ रु.)	पूरा होने की संभावित तिथि	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रारा 7 पर सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रोनिक सिटी तक उत्थापित राजमार्ग परियोजना	एनएचएआई	9.985	450	सित., 2009	भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं और धार्मिक संरचनाओं के स्थानांतरण में विलंब, मुकदमों और ठेकेदार की वित्तीय समस्या के कारण विलंब।
2.	रारा-7 के बंगलौर-होसुर खंड पर किमी 18/750 से किमी 33/130 तक विद्यमान चार लेन के कैरिजवे को 6 लेन का बनाना और सुदृढ़ीकरण	एनएचएआई	14.380	105.96	सित., 2009	भूमि अधिग्रहण, रेलवे से स्वीकृति प्राप्त करने और ठेकेदार की वित्तीय समस्या के कारण विलंब।

1	2	3	4	5	6	7
3.	रारा-4 के बंगलौर-नीलमंगला खंड पर किमी 10/00 से किमी 29/50 तक पहुंच नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण	एनएचएआई	19.5	445	नव., 2009	कोई विलंब नहीं
4.	रारा-4 के किमी 237/0 से किमी 318/0 तक बंगलौर-कोलार-मुलबगल खंड को 4/6 लेन का बनाना	एनएचएआई	79.724	565	जुलाई, 2010	कोई विलंब नहीं
5.	रारा-48 के किमी 28/200 से किमी 110/000 तक नीलमंगला-देवनाहल्ली खंड को 4 लेन का बनाना	एनएचएआई	80.273	441	जुलाई, 2010	कोई विलंब नहीं
6.	रारा-7 के हैदराबाद-बंगलौर खंड पर किमी 463 से किमी 542 में 4 लेन बनाना	एनएचएआई	81.48	402.8	अक्तू., 2009	भूमि अधिग्रहण में विलंब
7.	रारा-4 के किमी 317.90 से 319.68 और किमी 322.20 से किमी 324.25 में 4/6 लेन बनाना	राज्य लोनिवि	3.83	9.33	नव., 2009	ठेकेदार की समस्या और ठेका संबंधी मुकदमे के कारण।

कृषि सहकारिताएं

3244. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि सहकारिताओं को वित्तीय अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान का उचित रूप से प्रयोग हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा कृषि सहकारिताओं को डाउनस्ट्रीम उद्योग हेतु अनुदान दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इन निधियों की निगरानी प्रतिनिधियों को नियुक्त करके करती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) जी, हां। वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया है। पुनरुद्धार पैकेज में एसटीसीसीएस के पुनः पूंजीकरण के लिये 13,597 करोड़ रुपये के परिव्यय पर विचार किया गया है।

10 राज्यों में 37,599 पीएसीएस के पुनः पूंजीकरण के लिये भारत सरकार की अंश पूंजी के रूप में 6072.71 करोड़ रुपये की राशि नाबार्ड द्वारा जारी कर दी गयी है, जबकि राज्य सरकार ने अपने अंशदान के रूप में 608.13 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी थी।

देश में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिये केन्द्र क्षेत्रीय सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत भारतीय

राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) को सहायता दी गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 216.17 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 149.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

भारत सरकार अपने सहकारी विकास कार्यक्रमों का भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वयन करती है। एनसीडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रम/स्कीमें हैं (1) चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (2) सहकारी रूप से अल्पविकसित/कम विकसित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और भण्डारण इत्यादि के लिये सहायता और (3) और उत्पादकों/बुनकरों की सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी भागीदारी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 143.15 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 320.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राज्य सहकारी संघ (एनएफएससीओबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ (एनसीएआरडीबीएफ) को भी अनुदान प्रदान करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संघों को 1.20 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक 71.60 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

संगठन के मुख्य कार्यकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर इन संगठनों को अनुदान जारी कर दिये गये हैं और सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इन राशियों का उस उद्देश्य के लिए जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी गई थी, का उपयोग कर लिया गया है।

(च) और (छ) एसटीसीसीएस के लिए पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत सहकारी संस्थानों के लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर तथा दक्ष कार्य प्रणाली के लिये वैधानिक और संस्थानिक सुधारों के विषयाधीन राज्यों को वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है। एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 48 में ऐसे बहुराज्य सहकारी समिति बोर्ड में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नामांकन के लिये प्रावधान है, जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से, जैसी भी स्थिति हो, से शेयरहोल्डिंग अथवा अनुदान प्राप्त करती है।

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

3245. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश में सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी निधियां मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत निधियां जारी कर दी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने उक्त परियोजनाओं हेतु केन्द्र सरकार को आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त परियोजनाओं हेतु शेष निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राजस्थान में चार परियोजनाओं सहित कुल 489.84 करोड़ रुपए की लागत से सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के तहत विभिन्न राज्यों में लगभग 86 परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इस परियोजना के तहत 23.7.2009 तक विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को 379.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी थी। चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) परियोजनावार निधि के उपयोग को दर्शाने वाले ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शेष बची निधि का जारी किया जाना राज्य सरकारों से निधि उपयोग प्रमाण-पत्र, संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित व्यय विवरण को प्रस्तुत करने के अधीन है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों 2006-07 से 2008-09 तथा चालू वर्ष 2009-10 से 23.7.2009 तक के दौरान सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के तहत जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्ष के दौरान जारी निधियां (लाख रुपए में) 2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 23.7.2009 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	11.34	0.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	288.45	298.33	334.53	100.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	–
4.	असम	0.00	0.00	0.00	–
5.	बिहार	237.55	0.00	119.39	–
6.	झारखंड	20.00	107.64	0.00	–
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	–
8.	हरियाणा	657.35	200.00	400.00	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	39.00	340.05	0.00	–
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	–
11.	केरल	240.00	465.25	524.76	–
12.	कर्नाटक	72.00	0.00	0.00	–
13.	मध्य प्रदेश	100.59	285.00	132.00	–
14.	छत्तीसगढ़	50.00	100.00	40.00	–
15.	महाराष्ट्र	72.00	200.00	0.00	–
16.	मणिपुर	160.00	200.00	24.61	–
17.	मेघालय	30.00	0.00	0.00	–
18.	मिजोरम	90.00	139.70	50.00	–
19.	नागालैंड	162.70	35.00	0.00	–
20.	उड़ीसा	104.61	302.56	345.17	–
21.	राजस्थान	0.00	310.00	284.52	–
22.	सिक्किम	140.21	75.30	274.89	–

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	356.47	125.00	273.59	275.00
24.	त्रिपुरा	40.00	90.00	120.44	–
25.	उत्तर प्रदेश	19.00	100.00	95.00	–
26.	उत्तराखंड	467.98	0.00	128.96	–
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	70.83	0.00	–
	कुल	3347.91	3456.00	3147.86	575.00

विवरण II

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम नामक योजना के तहत 23.7.2009 तक अनुमोदन, अनुमोदित परिव्यय, कुल जारी निधि, कुल उपयोग की गई निधि तथा खर्च न की गई शेष राशि के परियोजनावार वर्ष

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	23.7.2009 तक कुल जारी	23.7.2009 तक कुल उपयोग की गई निधि	23.7.2009 तक कुल खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1995-96	239.41	221.91	221.91	0.00
2.	आंध्र-1	1995-96	447.32	447.32	447.32	0.00
	आंध्र-2	2000-01	934.28	812.64	778.11	34.53
	आंध्र-3	2006-07	557.96	469.16	469.16	0.00
	आंध्र (आत्महत्या संभावित)	2006-07		216.00	216.00	0.00
3.	अरुणाचल	1993-94	458.50	472.70	472.70	0.00
4.	असम-1	1994-95	1260.76	909.51	890.23	19.28
	असम-2	2004-05	588.35	185.87	0.00	185.87
5.	बिहार-1	1994-95	158.61	158.61	158.61	0.00
	बिहार-2	1995-96	364.50	344.50	344.50	0.00
	बिहार-3 (कैमूर)	1997-98	67.25	67.25	59.48	7.77
	बिहार-4 (मधुबनी)	1997-98	66.30	66.30	66.30	0.00
	बिहार-5 (नालंदा)	2000-01	447.73	333.33	267.50	56.83
	बिहार-6	2001-02	279.78	228.67	153.18	75.49

1	2	3	4	5	6	7
6.	झारखंड	1995-96	364.50	364.50	337.79	26.71
	झारखंड-2	2005-06	294.29	274.53	274.53	0.00
7.	गुजरात	1993-94	679.95	600.00	600.00	0.00
8.	हरियाणा	1995-96	203.75	203.75	203.75	0.00
	हरियाणा-2	2005-06	1453.83	957.67	957.67	0.00
	हरियाणा-3	2006-07	823.22	548.14	548.14	0.00
	हरियाणा-4	2006-07	287.38	105.37	101.85	3.52
9.	हिमाचल प्रदेश-1	1997-98	805.95	805.95	805.95	0.00
	हिमाचल प्रदेश-2	2004-05	899.12	539.22	443.65	95.57
10.	जम्मू और कश्मीर-जम्मू	1995-96	635.12	414.69	398.23	16.46
	जम्मू और कश्मीर-कश्मीर	1995-96	608.17	355.57	355.04	0.53
11.	केरल	2004-05	288.15	288.15	288.15	0.00
	केरल-2	2005-06	287.07	248.83	248.83	0.00
	केरल-3	2005-06	1390.48	1040.10	1014.38	25.72
	केरल (आत्महत्या संभावित)	2006-07		40.00	40.00	0.00
12.	कर्नाटक (आत्महत्या संभावित)	2006-07		72.00	72.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश 1 एवं 2	1993-94	494.06	494.06	494.06	0.00
	मध्य प्रदेश 4	1995-96	599.85	475.26	475.26	0.00
	मध्य प्रदेश 5	2005-06	228.89	192.44	143.06	49.38
	मध्य प्रदेश 6	2005-06	420.58	361.77	333.75	28.02
	मध्य प्रदेश 7	2006-07	1422.09	332.59	183.15	149.44
14.	छत्तीसगढ़-1	1993-94	287.00	287.00	287.00	0.00
	छत्तीसगढ़-2	2001-02	700.63	264.20	244.20	20.00
	छत्तीसगढ़-3	2001-02	849.16	305.00	285.00	20.00
15.	महाराष्ट्र-1	1995-96	1985.24	1985.24	1985.24	0.00
	महाराष्ट्र-2	1997-98	1941.55	1941.55	1941.55	0.00
	महाराष्ट्र-3	2005-06	1000.30	579.30	460.19	119.11
	महाराष्ट्र (आत्महत्या संभावित)	2006-07		72.00	72.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	1993-94	224.10	224.10	224.10	0.00
	मणिपुर-2	2006-07	1023.23	384.61	384.61	0.00
17.	मेघालय-1	1994-95	141.29	141.29	141.29	0.00
	मेघालय-2	2000-01	472.52	438.92	438.92	0.00
18.	मिजोरम-1	1993-94	367.99	367.99	367.99	0.00
	मिजोरम-2	1995-96	349.19	349.19	349.19	0.00
	मिजोरम-3	2001-02	199.41	199.41	199.41	0.00
	मिजोरम-4	2004-05	254.98	254.98	254.98	0.00
	मिजोरम-5	2006-07	264.34	160.00	160.00	0.00
19.	नागालैंड-1	1993-94	668.22	668.22	668.22	0.00
	नागालैंड-2	1998-99	347.49	347.49	347.49	0.00
	नागालैंड-3	2004-05	597.30	526.50	526.50	0.00
20.	उड़ीसा-1	1993-94	631.00	631.00	631.00	0.00
	उड़ीसा-2	1994-95	443.21	443.21	443.21	0.00
	उड़ीसा-3	1998-99	621.84	621.84	621.84	0.00
	उड़ीसा-4	2000-01	784.53	784.53	784.53	0.00
	उड़ीसा-5	2005-06	556.16	493.94	475.80	18.14
	उड़ीसा-6	2005-06	563.97	436.53	370.78	65.75
	उड़ीसा-7	2008-09	702.13	204.83	119.56	85.27
21.	राजस्थान	2004-05	590.50	428.10	428.10	0.00
	राजस्थान-2	2005-06	290.00	112.02	112.02	0.00
	राजस्थान-3	2005-06	864.10	194.41	150.00	44.41
	राजस्थान-4	2007-08	862.74	300.64	100.00	200.64
22.	सिक्किम-1 एवं 2	1993-94	678.47	678.47	678.47	0.00
	सिक्किम-3	2000-01	368.16	368.16	368.16	0.00
	सिक्किम-4	2003-04	1007.43	1007.43	799.93	207.50
	सिक्किम-5	2008-09	274.45	67.56	67.56	0.00

1	2	3	4	5	6	7
23.	तमिलनाडु-1	1995-96	336.63	336.63	336.63	0.00
	तमिलनाडु-2	2004-05	312.15	231.18	157.59	73.59
	तमिलनाडु-3	2006.07	554.06	404.50	350.35	54.15
	तमिलनाडु-4	2006-07	291.77	124.83	124.83	0.00
	तमिलनाडु-5	2007-08	867.62	325.00	325.00	0.00
24.	त्रिपुरा-1	1993-94	304.90	304.90	304.90	0.00
	त्रिपुरा-2	1994-95	319.51	319.51	319.51	0.00
	त्रिपुरा-3	2006-07	295.14	250.44	160.36	90.08
25.	उत्तर प्रदेश-1, 2 एवं 3	1993-94	1242.89	1242.89	1224.29	18.60
	उत्तर प्रदेश-4	2000-01	758.44	601.66	569.61	32.05
	उत्तर प्रदेश-5	2001-02	1231.32	665.35	662.36	2.99
	उत्तर प्रदेश-6	2003-04	290.54	207.10	168.71	38.39
26.	उत्तराखंड-1	2002-03	1911.18	1911.18	1911.18	0.00
	उत्तराखंड-2	2004-05	532.75	432.49	416.99	15.50
27.	पश्चिम बंगाल-1	1994-95	498.88	498.88	498.88	0.00
	पश्चिम बंगाल-2	1998-99	140.83	140.83	124.01	16.82
	पश्चिम बंगाल-3	2004-05	126.04	42.01	42.01	0.00
	कुल		48984.48	37957.40	36059.29	1898.11

[हिन्दी]

लौह अयस्क और मैग्नीज का खनन

3246. श्री यशवंत लागुरी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सहित देश में लौह अयस्क एवं मैग्नीज के खनन की मंजूरी प्राप्त निजी कंपनियों का राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में कंपनियो द्वारा लौह अयस्क के निर्यात सहित उन्हें जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों का पता है; और

(ग) यदि हां, तो ये उल्लंघन किस प्रकार के हैं और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) खनन पट्टा सहित खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए जाते हैं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम सूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, लौह अयस्क तथा मैग्नीज अयस्क सहित, खनिजों के संबंध में ही राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायत मंजूर करने से पहले केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है। खान मंत्रालय द्वारा दिए गए पूर्व अनुमोदनों के ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

3247. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा पता चला है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित विद्यालयों में अनेक विद्यार्थी टेबल एवं कुर्सी जैसे फर्नीचर से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विद्यालयों में उपयुक्त बैठने की व्यवस्था करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 9.50 लाख छात्रों में से लगभग 8 लाख दो सीटों वाले डैस्कों का प्रयोग कर रहे हैं और शेष छात्रों को बैठने के लिए दरियां और टाट-पट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं। छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में सुधार करना एक अनवरत् प्रक्रिया है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने दो सीटों वाले 70,000 डैस्क क्रय करने के लिए कदम उठाए हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए परिव्यय

3248. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है;

(ख) क्या स्वीकृत/निर्धारित परिव्यय के अंदर सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए अब वर्तमान अनुमान 9865 करोड़ रु. है।

(ख) जी, नहीं। कुछ परियोजनाओं की लागत प्रारंभिक अनुमोदित अनुमान से अधिक हो गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। यद्यपि कुछ परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, शेष परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमान के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

पी.सी.आर. वैन द्वारा वाहनों का चालान

3249. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस की पी.सी.आर. वैन अपराधों को रोकने की बजाय यातायात के नियमों के उल्लंघन के लिए कार तथा मोटर साइकिलों का चालान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पी.सी.आर. वैनों द्वारा कितनी कार/मोटर साइकिलों का चालान किया गया तथा अपराधों का पता लगाया गया/रोका गया;

(ग) क्या सरकार का पी.सी.आर. वैनों के निष्पादन की लेखा परीक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) अपराध गश्त का निवारण करने और चूक करने वाले ड्राइवरों का प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक चालान करने के लिए वर्ष 2007 में बहुकार्य वाली 50 पीसीआर वैन तैनात की गई थीं। उन पीसीआर वैनों द्वारा वर्ष 2007, 2008 और 30 जून, 2009 तक चालान की गई कार/जीप/टैक्सी/स्कूटर/मोटर साइकिल की संख्या क्रमश: 23965, 210602 और 116341 है। उन पीसीआर वैनों द्वारा वर्ष 2006, 2007, 2008 और 30 जून, 2009 के दौरान रिपोर्टिंग/अपराध संसूचना के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों/शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत जब्त अग्नेयास्त्रों/तेज धारदार हथियारों/शस्त्रास्त्रों और शराब जब्त की बोतलों (अद्धा, पौवा, आदि) की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्ति	जब्त वाहन	की गई वसूली	जब्त शराब
2006	1966	156	66	20959
2007	1812	142	85	14986
2008	1291	104	54	21300
2009	936	23	47	284

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस की, पीसीआर यूनिटों सहित, विभिन्न यूनिटों के निष्पादन की अपराध प्रवृत्ति/विधि और आदेश रिपोर्टों, मानवशक्ति/वाहनों/उपकरणों आदि के संबंध में प्रस्तावों के परीक्षण की मानीटीरिंग करके, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

राज्य एकता परिषद

3250. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद (एन.आई.सी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में राज्य एकता परिषद (एस.आई.सी.) का गठन करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उक्त परिषद गठित किए हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में राज्य एकता परिषद के गठन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एकता परिषद का अंतिम बार गठन अक्तूबर, 2008 में किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद में 146 सदस्य हैं जिनमें केन्द्रीय मंत्री, सभी राज्यों/विधान मंडल युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, मीडिया कर्मी, विख्यात हस्तियां और व्यवसाय, श्रम और महिला प्रतिनिधि शामिल है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता परिषद की तर्ज पर राज्य एकता समितियां गठित किए जाने की आवश्यकता को दोहराया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य एकता समितियां गठित की जा चुी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकना

3251. प्रो. रामशंकरः
श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्री यशवंत लागुरीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा इन्हें रोकने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चलाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रचलित प्रक्रिया क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी अनुमति प्रदान की गई;

(ङ) क्या इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या सड़क यातायात प्रणाली में अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार के मामले सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या के कारणों में शामिल हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक/निवारक कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्य सतत् आधार पर राज्य सरकारों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। यह मंत्रालय, सड़क सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न अनुसंधान योजनाओं को भी प्रायोजित करता है जैसे कि (1) दुर्घटना बहुल स्थलों के अभिनिर्धारण और सुधार की प्रणाली की स्थापना (2) सड़क दुर्घटना लागतों का मूल्यांकन करना और (3) सरड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़े रिकार्ड करने की विधि का विकास करना। साथ ही मंत्रालय ने सड़क डिजाइन में सुरक्षा के लिए मैन्युअल भी प्रकाशित किया है।

(ग) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया, मंत्रालय के दिशानिर्देशों अर्थात् (1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन केंद्रों, सर्विस स्टेशनों, विश्राम स्थलों के लिए

पहुंच हेतु मानदंड शीर्षक से 17.10.2003 के दिशानिर्देश संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33023/19/99-डीओ-3 (2) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल, डीजल, गैस-खुदरा बिक्री केन्द्र और सर्विस स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ निजी संपत्तियों तक पहुंच के लिए पद्धति में सुधार नामक 31.08.2008 के दिशानिर्देश संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33023/19/99-डीओ-3 के द्वारा प्रकाशित की गई है। संक्षेप में, मंत्रालय की कार्यपालक एजेंसियों की क्षेत्रीय इकाइयां, प्रस्ताव की जांच करती हैं और मंत्रालय से अनुमोदन हेतु उसे अग्रेषित करती हैं। मंत्रालय में अनुज्ञप्ति विलेक पर हस्ताक्षर हो जाने पर कार्यपालक एजेंसियों की क्षेत्रीय इकाईयां अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों तक पेट्रोल पंपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहुंच के लिए दी गई अनुमतियों की संख्या इस प्रकार है:-

2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अद्यतन)
518	402	259	111

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी वाहन के माध्यम से अथवा पांच अथवा उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा पैदल प्रवेश का प्रश्न है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत दी गई अनुमतियों की संख्या का विवरण मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। यह जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासनों द्वारा रखी जाती है।

(ङ) ऐसी अनुमति देने की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी, नहीं। सड़क दुर्घटनाएं मुख्यत: अनेक घटकों के कारण होती हैं जैसे चालक की गलती, वाहनों में यांत्रिक दोष, पदयात्रियों की गलती, खराब सड़क, खराब मौसम, पशु, गिरे हुए पेड़ आदि। जिन अन्य कारकों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वे हैं- वाहनों की संख्या, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, अलग-अलग प्रकार का यातायात, उच्च गति के आधुनिक वाहन और सड़क विस्तार में वृद्धि आदि। यह कहना संभव नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर के लिए सड़क परिवहन प्रणाली में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के अन्य मामले जिम्मेदार हैं।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध बोर्ड

3252. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने-अपने राज्य में इस प्रकार के बोर्ड का गठन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में सार्वजनिक यातायात प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) सचिवों की समिति और व्यय वित्त समिति ने सुंदर समिति द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड को सृजन को पहले ही सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में, मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। चूंकि संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन की प्रक्रिया काफी लंबी है और यह, केन्द्रीय मंत्रिमंडल एवं संसद आदि जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों की समुक्ति/निर्णय पर निर्भर करती है इसलिए इस बोर्ड के सृजन की समय-सीमा के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सुंदर समिति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक में राज्यों के लिए भी इसी प्रकार के राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्डों का प्रावधान है। यह रिपोर्ट, अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दी गई थी और विभिन्न बैठकों में राज्यों के साथ इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया था। राज्य सरकारों ने सुंदर समिति की इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति दे दी है। इस प्रकार, राज्यों से अपने यहां इसी प्रकार के बोर्डों के सृजन के लिए अलग से अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्यों में कुशल एवं बेहतर रूप से समन्वित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, राज्य के स्वामित्व वाले सड़क परिवहन उपक्रमों जैसी विभिन्न सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं की डांवाडोल

वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में निधियां आबंटित की हैं। योजना आयोग ने इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना के प्रारूप को सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी तथा जमाखोरी

3253. श्री सज्जन वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों, खाद्य वस्तुओं, तेल, दूध, घी तथा मसालों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी के संबंध में सख्त कानून होने के बावजूद देश में इनकी जमाखोरी तथा कालाबाजारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई योजना/कार्य योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी प्रकोष्ठों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी रोधी प्रचालन शुरू करने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों को दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, चावल, धान और चीनी के संबंध में 15.2.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को आस्थगित रखकर स्टाक होल्डिंग सीमाएं जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, चीनी के संबंध में भारत सरकार ने निम्नलिखित स्टाकहोल्डिंग/टर्न ओवर सीमाएं भी तय की हैं:

स्टाकहोल्डिंग: (1) कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र में-

(क) मान्यताप्राप्त व्यौहारी जो पश्चिम बंगाल के बाहर से आयात करते हैं-10,000 क्विंटल

(ख) अन्य मान्यताप्राप्त व्यौहारी - 2000 क्विंटल

(2) अन्य स्थानों में - 2000 क्विंटल

टर्न-ओवर: कोई भी व्यौहारी चीनी के स्टॉक को उसके द्वारा ऐसे स्टाक को प्राप्त किए जाने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रख सकेगा।

भारत सरकार ऊपर उल्लिखित दो अधिनियमों के तहत की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार से रिपोर्टें प्राप्त करती है। वर्ष 2008 में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 162 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 790 व्यक्तियों को दोष सिद्ध पाया गया।

दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर कार्य

3254. श्री सतपाल महाराज: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने संबंधी कार्य शुरू करने की तिथि क्या है तथा इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा अभी तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या ठेकेदारों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-58 का दिल्ली से मेरठ खंड पहले ही चार लेन का है। बीओटी आधार पर कार्यान्वयनाधीन मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच चार लेन बनाने की परियोजना में कुछ विलंब हुआ है। यह परियोजना जो मार्च, 2006 में शुरू हुई थी और जिसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2009 थी, में भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति और सुविधा सेवाओं के स्थानांतरण में देरी के कारण मुख्यत: विलंब हुआ है और अब इस कार्य को पूरा करने की संभावित तारीख दिसंबर, 2009 है। चूंकि यह बीओटी परियोजना है, इसका वित्त पोषण रियायतग्राही द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार खंड का और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के हरिद्वार से देहरादून खंडों का अभिनिर्धारण चार लेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 में किया गया है। मुजफ्फरनगर से देहरादून खंड के लिए दो बार बोलियां आमंत्रित की गई थीं परंतु बोलीदाताओं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार खंड के लिए बीओटी (पथकर) आधार पर और राष्ट्रीय राजमार्ग-58 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के हरिद्वार से देहरादून खंडों के लिए बीओटी (वार्षिकी) आधार पर पुन: बोलियां आमंत्रित कर रही है।

(ङ) और (च) मेरठ और मुजफ्फरनगर खंड के रियायतग्राही के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: रियायतग्राही के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(छ) बाधाएं दूर करने और वन अनुमतियां प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सभी स्तरों पर नियमित आधार पर परियोजनाओं की प्रगति की कड़ाई से निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

साइबर अपराध

3255. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान आईटी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं से संबंधित साइबर-अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध आद्यतन सूचना, वर्ष 2007 की है। वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान आईटी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं इसलिए राज्य सरकारें, अपराध का निवारण करने, उसका पता लगाने, दर्ज करने और जांच-पड़ताल करने तथा अपनी-अपनी कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए भी मुख्यत: जिम्मेदार हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में इंटरनेट धोखाधड़ियों सहित साइबर अपराधों को रोकने के कानूनी ढांचे और फिशिंग, स्पैमिंग, आन लाइन धोखाधड़ी, साइबर आतंकवाद, आइडेंटिटी थेफ्ट और डाटा प्रोटेक्शन जैसे कंप्यूटर अपराधों को हल करने के उपबंध हैं।

सरकार, न्यायिक अधिकारियों और कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के लिए साइबर कानूनों और साइबर अपराधों के संबंध में कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), भारत में साइबर घटनाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक और पूर्व क्रियाशीलता के लिए सहायता प्रदान करती है। यह पूरे संसार में इसी प्रकार की एजेंसियों और सरकार, पब्लिक या प्राइवेट सहित देश में साइबर स्पेस प्रयोक्ताओं के साथ संपर्क भी स्थापित करती है और चेतावनियां सलाह और सुभेद्यता नोट भी जारी करती है। ये सलाह सीईआरटी-इन की वेब साइट (http#/www.cert.in.org.in) पर भी प्रकाशित होती हैं। सीईआरटी-इन इन घटनाओं को कम करने के लिए देश में साइबर प्रयोक्ताओं के साथ बात-चीत भी करती है।

विवरण I

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान आईटी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत साइबर अपराध में दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2005		2006		2007	
		आईटी अधिनियम	आईपीसी	आईटी अधिनियम	आईपीसी	आईटी अधिनियम	आईपीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14	68	14	102	16	53
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	1	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	18	28	0	30	5	52
6.	गोवा	0	0	0	0	3	1
7.	गुजरात	2	153	5	1	1	2
8.	हरियाणा	8	1	1	1	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	38	0	27	0	40	1
13.	केरल	3	0	12	0	38	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	5	126	6	158
15.	महाराष्ट्र	26	1	35	4	49	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	2	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	6	0	0	0	0	2
21.	पंजाब	7	43	12	26	14	35
22.	राजस्थान	18	0	4	0	16	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	22	0	8	0	10	5

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	0	0	0	5	0
27.	उत्तराखंड	0	0	3	0	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	6	3	2	2
	कुल (राज्य)	167	294	135	293	206	313
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	11	0	11
30.	चंडीगढ़	2	0	2	0	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	10	8	5	7	10	15
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	12	8	7	18	11	26
	कुल (अखिल भारत)	179	302	142	311	217	339

स्रोत: (भारत में अपराध)

विवरण II

वर्ष 2005 से 2007 के दौरान आईटी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत साइबर अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2005		2006		2007	
		आईटी अधिनियम	आईपीसी	आईटी अधिनियम	आईपीसी	आईटी अधिनियम	आईपीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15	110	9	171	13	83
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	24	51	0	37	4	82
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	3	159	6	0	1	7
8.	हरियाणा	5	1	1	2	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	3	0	17	0	16	0
13.	केरल	0	0	6	0	15	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	8	152	16	166
15.	महाराष्ट्र	50	1	66	6	46	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	1	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	4	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	7	51	16	30	14	69
22.	राजस्थान	21	0	0	0	13	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	21	0	7	0	8	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	25	0	0	0	1	0
27.	उत्तराखंड	0	0	7	0	5	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	2	2	0	0
	कुल (राज्य)	178	373	146	400	152	409
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	4	0	16
	चंडीगढ़	2	0	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	12	4	7	7	1	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	14	4	8	11	2	20
	कुल (अखिल भारत)	192	377	154	411	154	429

स्रोत: (भारत में अपराध)

कृषि उपकरणों तथा उर्वरकों की लागत

3256. श्री पूर्णमासी राम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान उर्वरकों, कृषि उपकरणों, बीज तथा अन्य इन्पुट्स की लागत में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत के अनुपात में उत्पाद के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। विगत 3 वर्षो के दौरान कृषि आदानों के लिये थोक मूल्यों के सूचकांक उर्वरक, फार्म उपकरण, बीज आदि सहित विभिन्न आदानों की लागत में कई गुना वृद्धि नहीं दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर, अन्य कारकों के साथ-साथ, ध्यान देते हुये विभिन्न कृषि जिंसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री

3257. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश भर में मारे गए छापों से यह पता चला है कि बाजार में कई नकली/देखने में समान/मिलावटी खाद्य वस्तुएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने देश में ऐसे मिलावटी उत्पादों को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से आईएसआई मुहरांकित खाद्य मदों के बाजार में बेचे जाने के लिए रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं। बाजार में मिलावटी दूध और घी के बारे में मीडिया रिपोर्टें भी हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकबंद पेयजल, पशुचारा, आयोडीनयुक्त नमक आदि जैसी खाद्य मदों के संबंध में 57 छापे मारे। दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो के पास आईएसआई मुहरांकित उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक चालू प्रवर्तन तंत्र है जिसके अंतर्गत लाइसेंसधारक के परिसर में छापे मारे जाते हैं और प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए फैक्टरी तथा बाजार से नमूने लिए जाते हैं, ताकि उत्पादों की निर्धारित भारतीय मानकों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। नकली/मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत दाण्डिक कार्रवाई भी की जाती है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। उनको उत्पाद की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है।

कीटनाशकों का प्रतिकूल प्रभाव

3258. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे हानिकारक रसायनों/कीटनाशकों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कीटनाशी अधिनियम, 1968 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) कीटनाशक मूल रूप से विषाक्त होते हैं तथा इनको कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। इनका पंजीकरण इनकी क्षमता तथा सुरक्षा का मूल्यांकन करने के पश्चात किया जाता है। तथापि, इनका औचित्यपूर्ण या अंधाधुंध उपयोग खतरनाक हो सकता है। कीटनाशकों के विनियमन के लिए एक अधिक प्रभावी ढांचे का अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा कीटनाशक प्रबंधन बिल, 2008 प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना

3259. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का जोर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पर्याप्त खेल अवसंरचना का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए उक्त योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में राज्य खेल अकादमी स्थापित की गई है;

(घ) क्या ग्राम स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पहली बार, देश के सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना और खेल प्रतिस्पर्धाओं के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई इस स्कीम के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 1500 करोड़ रु. है। स्कीम में 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 10% वार्षिक कवरेज की दर से 2.50 लाख गांव पंचायती और 6,400 ब्लाक पंचायतों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत खेल मैदान के विकास के लिए स्कूल प्रमुख है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा उनके द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान 24 राज्यों के लिए 22,854 गांवों तथा 601 ब्लाक पंचायतों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 250.77 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता को संस्वीकृति प्रदान की गई। इस स्कीम के लिए 2008-09 के बजट में 92.00 करोड़ रु. के आबंटन में से, 92.00 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए गए थे। 2009-10 में बजट आबंटन 160.00 करोड़ रु. है जिसमें से अभी तक 19.92 करोड़ रु. राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। पायका स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जैसा उपर (क) और (ख) में है।

विवरण

2008-09 तथा 2009-10 (10 जुलाई, 2009 तक) के दौरान स्वीकृत/जारी की गई निधि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की सं.	अनुमोदित ब्लाक पंचायतों की सं.	कुल स्वीकृत निधि	2008-09 जारी की गई निधि	2009-10 (10.7.2009 तक)	
						जारी निधि	स्वीकृत निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	25.98	12.99	–	–
2.	असम	333	22	4.81			
3.	बिहार	847	53	10.44	5.22		
4.	छत्तीसगढ़	982	14	10.11			5.06
5.	गोवा	19	4	0.35			
6.	गुजरात	1369	22	14.20		5.55	1.55
7.	हरियाणा	619	12	6.51	3.25		
8.	हिमाचल प्रदेश	324	8	4.02	2.01		
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	5.32	2.66		
10.	केरल	100	15	1.60	0.80		
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	23.65	11.82		
12.	महाराष्ट्र	2689	35	27.55	8.91	1.83	3.03
13.	मणिपुर	79	4	1.08	0.87		
14.	मिजोरम	82	3	1.07	0.85		
15.	नागालैंड	110	5	1.48	1.18		
16.	उड़ीसा	623	31	7.34	3.67		
17.	पंजाब	1233	14	12.55	6.27		
18.	राजस्थान	869	24	9.43	3.71		1.01
19.	सिक्किम	16	10	0.67	0.54		
20.	तमिलनाडु	1261	38	13.82	5.00		1.91
21.	त्रिपुरा	104	4	1.36	1.09		

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	उत्तर प्रदेश	5203	82	53.90	10.00	11.05	5.90
23.	उत्तराखंड	750	10	8.89	3.00	0.60	0.85
24.	पश्चिम बंगाल	335	33	4.63			
	उप योग	22,854	601	250.77	83.85	19.02	19.92
	भाखेप्रा नेसरखेस, पटियाला के माध्यम से वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए जारी की गई निधि				8.15		
				कुल योग	92.00		

खेल औषधि एवं अनुसंधान संस्थान

3260. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय तथा ग्रामीण एथलीटों के लाभार्थ आंध्र प्रदेश में खेल औषधि एवं अनुसंधान संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं। भारत सरकार का आंध्र प्रदेश में किसी खेल औषधि एवं अनुसंधान संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा केन्द्र खोलने के लिए ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है।

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

3261. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गेहूं के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजना के अंतर्गत ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(च) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने उक्त योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में फील्ड डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए हैं;

(छ) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान आई.सी.ए.आर. द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए; और

(ज) विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि के दौरान ऐसे डेमोंस्ट्रेशन से कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) जी, हां। विशिष्ट फसल आधारित प्रणालियों के तहत अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार देश के गेहूं वाले जिलों में गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि में बृहत प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को कृषक क्षेत्र स्कूलों में प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय प्रदर्शनों के जरिए प्रौद्योगिकी

अंतरण के साथ-साथ बीज मिनीकिटों के वितरण, प्रभावित बीजों के वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जिप्सम के लिए सहायता दी जाती है।

कृषि में बृहत प्रबंध के तहत राज्यों को विभिन्न स्कीमों के लिए एकमुस्त, प्रत्येक स्कीम के लिए अलग-अलग नहीं, धनराशि आबंटित की जाती है। विगत 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि में बृहत प्रबंध के तहत विभिन्न राज्यों को आबंटित कोष का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर प्रोत्साहन निर्धारित किए जाते हैं-

(1) सकल फसलन क्षेत्र को 50% वेटेज और

(2) राज्य में लघु एवं सीमांत जोतों के अधीन क्षेत्र को 50% वेटेज।

(च) से (ज) देश के विभिन्न भागों में भा.कृ.अ.प. द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित अग्रणी प्रदर्शनों तथा लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जहां तक वर्ष 2009-10 का संबंध हैं, आगामी गेहूं के मौसम के दौरान देश में गेहूं की खेती करने वाले विभिन्न राज्यों में अग्रणी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भा.कृ.अप. को 850 हैक्टे. के प्रदर्शन आबंटित किए गए है।

विवरण I

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक तथा 2009-2010 के दौरान कृषि वृहत प्रबंध के तहत कोष का आबंटन तथा निर्मुक्ति

(वित्तीय रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 16.7.09 को	
		आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	421.00	2541.54	5200.00	4643.82	6535.00	3428.72	7261.11	3267.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2200.00	2200.00	2650.00	2650.00	2050.00	2050.00	2050.00	0.00
3.	असम	2000.00	1000.00	2050.00	1594.64	1625.00	812.50	1625.00	0.00
4.	बिहार	2170.00	1564.37	2400.00	3042.14	3900.00	4593.03	4333.33	1950.00
5.	छत्तीसगढ़	2300.00	1129.76	2350.00	2455.48	2170.00	2170.00	2411.11	1085.00
6.	गोवा	260.00	385.77	300.00	432.63	100.00	140.00	111.11	50.00
7.	गुजरात	2810.00	2330.84	4350.00	5771.65	3645.00	5045.00	4050.00	0.00
8.	हरियाणा	2040.00	2700.00	2250.00	2250.00	1690.00	2300.00	1877.78	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2040.00	2770.59	2300.00	2214.88	2000.00	2585.09	2222.22	1000.00
10.	जम्मू और कश्मीर	4000.00	3351.50	4240.00	2554.04	3660.00	3026.35	4066.67	0.00
11.	झारखंड	1660.00	830.00	1700.00	850.00	1065.00	532.50	1183.33	532.50
12.	कर्नाटक	5990.00	5214.24	7010.00	7346.88	5025.00	4885.43	5583.33	2512.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	3060.00	1350.00	3450.00	1725.00	1275.00	907.50	1416.67	637.50
14.	मध्य प्रदेश	4980.00	3963.00	6500.00	4789.92	6285.00	5834.64	6983.33	3142.50
15.	महाराष्ट्र	8730.00	11751.30	12450.00	12034.63	9275.00	10313.09	10305.56	4637.50
16.	मणिपुर	2200.00	2200.00	2650.00	3309.25	2050.00	2050.00	2050.00	1025.00
17.	मिजोरम	2500.00	2300.00	3000.00	3000.00	2325.00	2716.28	1425.00	0.00
18.	मेघालय	1800.00	900.00	1850.00	925.00	1425.00	1425.00	2325.00	1162.50
19.	नागालैंड	2500.00	2221.04	3000.00	2384.00	2325.00	2325.00	2325.00	0.00
20.	उड़ीसा	2550.00	3550.00	3300.00	3736.11	3280.00	4360.00	3644.44	1640.00
21.	पंजाब	0.00	426.00	1300.00	650.00	1750.00	1750.00	1944.44	0.00
22.	राजस्थान	7390.00	8212.55	8600.00	7835.42	5750.00	3775.00	6388.89	2875.00
23.	सिक्किम	1900.00	2000.00	2400.00	2335.46	1850.00	1850.00	1850.00	0.00
24.	तमिलनाडु	4590.00	6337.70	5450.00	6662.51	3460.00	4270.00	3844.44	1730.00
25.	त्रिपुरा	2000.00	2000.00	2400.00	1444.80	1850.00	1850.00	1850.00	925.00
26.	उत्तर प्रदेश	7400.00	5668.14	81.00	7153.27	11375.00	10893.24	12566.67	5655.00
27.	उत्तराखंड	2170.00	3144.37	2650.00	2353.87	2300.00	2300.00	2555.56	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	3190.00	3190.00	3500.00	3364.21	4425.00	3811.30	4916.67	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	50.00				40.00	0.00
30.	पुदुचेरी	0.00	0.00	50.00	25.00	35.00	17.50	40.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	25.00	40.00	20.00	8.00	8.00	8.00	4.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	10.00	5.00	30.00	10.00	6.00	6.00	6.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	25.00	12.50	30.00	15.00	6.00	6.00	6.00	0.00
35.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	कुल	88700.00	85275.21	107600.00	99579.61	94520.00	92037.17	103266.67	33831.50

विवरण II

वर्ष 2008-09 के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या तथा गेहूं पर आयोजित किए गए अग्रणी प्रदर्शनों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित अग्रणी प्रदर्शन (सं.)	आयोजित अग्रणी प्रदर्शन (सं.)	लाभान्वित किसान (सं.)
1.	असम	10	10	27
2.	बिहार	51	51	95
3.	छत्तीसगढ़	19	19	25
4.	गुजरात	28	28	32
5.	हरियाणा	56	56	85
6.	हिमाचल प्रदेश	20	20	73
7.	जम्मू और कश्मीर	11	9	25
8.	झारखंड	31	31	148
9.	कर्नाटक	20	20	20
10.	मध्य प्रदेश	29	29	184
11.	महाराष्ट्र	30	29	37
12.	पंजाब	38	38	49
13.	राजस्थान	36	36	90
14.	तमिलनाडु	20	20	20
15.	उत्तर प्रदेश	70	64	121
16.	उत्तराखंड	16	16	145
17.	पश्चिम बंगाल	4	0	0
18.	दिल्ली	11	11	20
	कुल	500	487	1196

पान के पत्तों की खेती करने वाले किसान

3262. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पान के पत्तों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पान के पत्तों की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या पान के पत्तों को कृषि का दर्जा प्रदान करने तथा पान के पत्तों की खेती के लिए बीमा कवर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पान के पत्तों की खेती करने वालों की मदद के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। पान के पत्तों के निर्यात का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। यद्यपि पान के पत्तों की खेती करने वाले लघु भूमि जोतों के धारक हैं, फिर भी उनको पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

(घ) से (च) पान का पत्ता कृषि फसलों में शामिल है। भारत सरकार उत्पादन तथा फसलोपरांत प्रबंधन को कवर करते हुए एक आद्योपान्त प्रणाली विधिवत सुनिश्चित करके पान के पत्ते सहित बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा- सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) तथा शेष राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन करती रही है।

विवरण

पान के पत्तों का देशवार निर्यात

देश	2007-08		2008-09 (अप्रैल-दिसंबर)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (रु. लाख में)	मात्रा (टन)	मूल्य (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
पाकिस्तान	692.74	616.80	275.39	217.81
यमन गणराज्य	40.15	21.30	63.67	33.16

1	2	3	4	5
कनाडा	28.00	8.97	45.46	10.71
यूके	19.86	17.54	14.84	16.13
नेपाल	18.23	3.94	3.57	2.27
श्रीलंका	15.92	16.36	0	0
केन्या	10.75	7.35	22.95	11.02
विनिर्दिष्ट नहीं	10.21	8.10	0.50	0.42
जर्मनी	5.47	5.88	2.86	1.89
नार्वे	2.69	2.39	0	0
अन्य	2.08	1.50	15.02	4.47
कुल	846.10	710.13	444.26	297.88

[हिन्दी]

ट्रक ड्राइवरों के लिए एन.एच.ए.आई. की योजना

3263. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवरों में एड्स जागरूकता के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रारा-28 पर लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस चालू कार्यक्रम के स्टेक होल्डरों में ट्रक ड्राइवर भी हैं। इस कार्यक्रम को एलएमएनएचपी विश्व बैंक ऋण सं. 4764-आईएन के ऋण घटक से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने चार गैर-सरकारी संगठनों अर्थात् मै. लोकार्पित; मै. ग्रामीण महिला कल्याण संस्थान; मै. एडवांटेज इंडिया और मै. एशिया सोसाइटी फार एंटरप्रिन्योरशिप एंड डेवलपमेंट को नियुक्ति किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत अन्य खंडों पर ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से भी सहायता मांग रहा है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी एडवेंचर योजना

3264. श्री तथागत सत्पथी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी एडवेंचर योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त योजना में कितने छात्रों के भाग लेने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना में भागीदारी के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। छात्र युवाओं के बीच साहसिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए राजीव गांधी साहस स्कीम, 26 जून, 2009 को आरंभ की गई। उत्तर में हिमालय क्षेत्र से दक्षिण में कन्नूर तथा थेहकाडी तथा वार्षिक आधार पर देश भर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक साहसिक शिविर 10 दिन का होगा। इन शिविरों में चलायी जाने वाली साहसिक गतिविधियों में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, वाटर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग और बेसिक स्कीइंग शामिल है। इस स्कीम के लिए 1.66 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत 50% छात्रा स्वयंसेवकों सहित 2000 एन.एस.एस. स्वयंसेवकों को कवर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) एन.एस.एस. स्वयंसेवकों हेतु अपेक्षित शारीरिक स्तर यह है कि वे, 18-35 वर्ष के आयु समूह में होने चाहिए, 3-4 घण्टों के लिए शारीरिक कार्य/चलना/चढ़ाई/स्की/पैडल बोट में सक्षम हों तथा उनके पास चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए। स्वयंसेवकों का चयन इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

लघु उद्योगों के लिए नीति में परिवर्तन

3265. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसंरचना, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नियंत्रण से संबंधित नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योगों के लिए सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की आधारभूत संरचना, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नियंत्रण संबंधी नीति की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण निम्नोक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया है:-

श्रेणी/वर्ग	विनिर्माण	सेवा
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रु. तक का निवेश	10 लाख रु. तक का निवेश
लघु उद्यम	25 लाख से अधिक और 5 करोड़ रु. तक का निवेश	10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रु. तक का निवेश
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. तक का निवेश	2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. तक का निवेश

सीमा को बढ़ाकर दस करोड़ रु. तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3266. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कौशल विकास हेतु चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे सहित उक्त प्रशिक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(ख) सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) मंत्रालय के अधीनस्थ टूल रूमों, एमएसएमई विकास संस्थानों तथा अन्य संगठनों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। जहां टूल रूम विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित तकनीकी श्रम शक्ति संबंधी व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वही एमएसएमई के विकास संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रीकल, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि व्यवसायों से संबंधित विशिष्ट कौशल सहित उद्यमिता कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाता है, जो प्रशिक्षुओं को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाते हैं। इसके अलावा, खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॅयर बोर्ड कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को बुनियादी कौशलों में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और पाठ्यक्रमों को और अधिक सुसंगत बनाने के लिए उनका नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय के तहत अभिकरणों ने 2.6 लाख प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कौशल विकास के लिए अन्य सरकारी विभागों और निजी अभिकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

3267. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक सहित देश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एचपीटी), कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एलपीटी) और अत्यंत कभ शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (वीएलपीटी) की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों के ठीक से काम न करने के संबंध में बार-बार शिकायतें मिलती रही हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन ट्रांसमीटरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) इस समय, दूरदर्शन नेटवर्क में 1416 ट्रांसमीटर हैं। उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों, अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) दूरदर्शन नेटवर्क में टीवी ट्रांसमीटरों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है, हालांकि, कुछ ट्रांसमीटरों के ठीक ढंग से कार्य न करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। इस संबंध में कोई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। दूरदर्शन द्वारा शिकायतों का तत्काल निदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	81	11	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	3	40	45
3.	असम	6	21	2	29
4.	बिहार	6	34	2	42
5.	छत्तीसगढ़	4	16	8	28
6.	गोवा	2	0	0	2
7.	गुजरात	11	54	3	68
8.	हरियाणा	3	20	0	23

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	5	8	41	54
10.	जम्मू और कश्मीर	19	18	88	125
11.	झारखंड	5	19	3	27
12.	कर्नाटक	12	49	7	68
13.	केरल	7	22	4	33
14.	मध्य प्रदेश	12	60	6	78
15.	महाराष्ट्र	14	89	20	123
16.	मणिपुर	3	1	4	8
17.	मेघालय	4	3	3	10
18.	मिजोरम	3	2	3	8
19.	नागालैंड	3	3	8	14
20.	उड़ीसा	7	69	19	95
21.	पंजाब	7	5	1	13
22.	राजस्थान	11	69	19	99
23.	सिक्किम	2	0	6	8
24.	तमिलनाडु	10	53	8	71
25.	त्रिपुरा	2	6	2	10
26.	उत्तर प्रदेश	18	62	4	84
27.	उत्तराखंड	2	17	35	54
28.	पश्चिम बंगाल	14	21	1	36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	24	28
30.	चंडीगढ़	0	1	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	1
32.	दमन और दीव	0	2	0	2
33.	दिल्ली	3	0	0	3
34.	लक्षद्वीप	0	1	15	16
35.	पुदुचेरी	1	2	2	5
	कुल	213	814	389	1416

गेहूं का उपभोग और उत्पादन

3268. डॉ. के.एस. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गेहूं के उपभोग और उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं के उत्पादन के लिए वर्ष-वार सिंचित क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तरी राज्यों में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, माईक्रोन्यूट्रिशिएंट तत्व युक्त बेहतर उर्वरक प्रदान करने के साथ-साथ एक व्यापक नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं के अनुमानित उत्पादन में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित गेहूं के वार्षिक अनुमानित उपभोग में वृद्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मिलियन टन)

वर्ष	उपभोग में वृद्धि	उत्पादन में वृद्धि
2005-06	1.13	0.71
2006-07	(-)3.63	6.46
2007-08	0.94	2.76

(ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान गेहूं के अधीन सिंचित क्षेत्रों के नवीनतम उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अन्य आदानों यथा उर्वरकों, मशीनरी, कीटनाशकों आदि के साथ-साथ गेहूं के प्रमाणित/गुणवत्तायुक्त बीजों की आवश्यकता तथा उपलब्धता का निर्धारण क्षेत्रीय आदानों सम्मेलनों में किया जाता है जो प्रतिवर्ष सामान्यतया अगस्त/सितम्बर के महीने में आयोजित किए जाते हैं। तथापि विभिन्न राज्यों जिनमें उत्तरी राज्य शामिल हैं जो देश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान करते हैं में गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों की अपेक्षित मात्रा विशिष्ट सूक्ष्मपोषक तत्वयुक्त बेहतर उर्वरक एवं उचित नीतिगत उपाय प्रदान करना कृषि मंत्रालय का प्रयास होता है।

विवरण

गेहूं का राज्य-वार सिंचित क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7.7	8.6	8.5
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
असम	2.4	1.8	2.2
बिहार	1835.0	1826.3	1870.0
छत्तीसगढ़*	62.6	61.1	60.8
गोवा	-	-	-
गुजरात	636.1	801.1	1050.3
हरियाणा	2295.5	2280.3	2356.2

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	71.0	69.2	69.9
जम्मू और कश्मीर	71.4	70.6	74.0
झारखंड*	54.2	49.9	72.5
कर्नाटक	120.0	130.5	145.4
केरल	–	–	–
मध्य प्रदेश	3303.9	2955.6	3494.0
महाराष्ट्र	606.9	707.2	933.0
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	0.3	0.3	0.3
मिजोरम	–	–	–
नागालैंड	8.2	12.0	15.0
उड़ीसा	16.4	16.4	16.4
पंजाब	3410.5	3397.7	3396.7
राजस्थान	1983.2	2103.5	2522.4
सिक्किम*	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	0.0
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0
उत्तराखंड*	202.4	199.9	206.1
उत्तर प्रदेश	9135.7	8931.5	8964.3
पश्चिम बंगाल	296.0	271.3	259.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
चंडीगढ़*	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	1.0	1.0	1.0
दमन और दीव*	–	–	–
दिल्ली	18.7	18.2	17.8
लक्षद्वीप	–	–	–
पुदुचेरी	–	–	–
अखिल भारत	24139.6	23914.4	25536.8

टिप्पणी: '0' का संबंध 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र से है।

(अनन्तिम)

नेहरू युवा केन्द्र

3269. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों और क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल सहित विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों द्वारा कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर केन्द्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार के पास नेहरू युवा केन्द्रों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेसं), दो श्रेणियों का कार्यक्रम अर्थात् नियमित कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। नियमित कार्यक्रमों की योजना केंद्रीय तौर पर तैयार की जाती है और उन्हें देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, युवा नेतृत्व और विकास कार्यक्रम, युवा क्लब विकास, जागरूकता निर्माण कार्यक्रम, कार्य शिविर, सेमिनार और कार्यशालाएं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह/मनाना शामिल है। विशेष कार्यक्रमों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नेयुकसं को आबंटित कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) केरल सहित विभिन्न राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों (नेयुकें) और इन केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेसं) को उसके 501 जिला केंद्रों के जरिए नियमित और विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक ब्लाक अनुदान दिए जाते हैं। केरल में 14 केंद्रों सहित इन केन्द्रों के लिए वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 55.02 करोड़, 99.85 करोड़ और 101.76 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे।

(घ) से (च) नेयुकेसं वर्तमान में 501 जिलों में अपने केन्द्रों के जरिए कार्य करता है। देश के सभी जिलों को पूरा करने की दृष्टि से सरकार का शेष 122 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र (नेयुकें) की गतिविधियों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्रों के राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	ने.के. केन्द्रों द्वारा कवर किये गये जिलों के नाम	नेहरू युवा केन्द्रों की कुल सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, विजयवाड़ा, चित्तूर, कुड्डापेह, गुंटूर, काकीनादा (पूर्व गोदावरी), करीम नगर, खम्मम, कुर्नूल, महबूब नगर, निजामाबाद, मेडक (सिद्धिपेट), श्रीकाकुलम, विशाखापटनम, अदीलाबाद, विजयनगरम, नेल्लोर, वारंगल, हैदराबाद, नल्लगोंडा, पश्चिम गोदावरी (इलुरू) प्रकाशम (ओन्गोले), रंगारेड्डी	23
2.	असम	डीब्रूगढ़, दीफू (कार्बी अंगलांग), धुबरी, कामरूप (मालीगांव), नार्थ लखीमपुर, नौगांव, कछार (सिलचर), तेजपुर (सोनीतपुर), हैफलांग (एनसी हिल्स), करीमगंज, बारपेटा, कोकराझार, जोरहाट, शिवसागर, नलबारी, गोलपारा, धीमाजी, दारंग (मंगलदोई), हैयलकंडी, गोलघाट, मारीगांव, बोंगिया गांव, तिनसुकिया	23

1	2	3	4
3.	बिहार	अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण (मोतीहारी), गावा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पुर्णिया, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर), पश्चिम चंपारण (बेतिया)	34
4.	गुजरात	भरूच, नादियाद (खेड़ा), कच्छ (भुज), गोधरा, साबरकंठ (हिम्मत नगर), जूनागढ़, मेहसाणा, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, भावनगर, वल्साड, सूरत, गांधी नगर, अहमदाबाद, बड़ौदा (छोटा उदयपुर), डांग्स, अमरेली, पालनपुर, राजकोट	19
5.	हरियाणा	अंबाला, भिवानी, गुडगांव, करनाल, सिरसा, कुरूक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत, जिंद, हिसार, महेन्द्रगढ़ (नारनौल), रेवाड़ी, यमुना नगर, कैथल, पानीपत	16
6.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला (कांगरा), हरीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, क्यालोंग (लाहौल स्पीती), मंडी, नाहन (सिरमौर), सोलन, शिमला, उना	12
7.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू कुपवाड़ा, कारगिर, लेह (लद्दाख), पुलवामा, पूंछ, राजौरी, श्री नगर, उधमपुर	14
8.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगांव, बीदर, चिकमगलूर, गुलबर्गा, हासन कंवर, कोडागु (मादीकेरी), कोलार, मंगलौर, मांडया, मैसूर, रायचूर, तुमकूर, धारवाड़, चित्रदूर्गा (देवनगरी), बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर (ग्रामीण), बंगलौर (शहरी)	20
9.	केरल	एलेप्पी, कन्नूर, थादूपूजहा (इड्डुकी), कोजीकोड, मालापुरम, पालघाट, पठानमथिटा, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, अरनाकुलम, कोट्टयम, कासरगोड, वायनाड, क्यूलोन	14
10.	मध्य प्रदेश	बालघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खंडवा, खरगांव, मांडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़ (बजौरा), रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सियोनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धी, टीकमगढ़, उज्जैन, वीदिशा	40
11.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, आलीबाग (राजगढ़), बांद्रा, कोल्हापुर, शोलापुर, थाने, जलगांव, नान्देर, यवतमल, अमरावती, गढचिरौली, जालना, बुल्डाना, नागपुर, मुम्बई (काल), सतारा, अंबेडकर नगर, नासिक, परभनी, उस्मानाबाद, धुले, रत्नागिरी, लातूर, पुणे, सिन्धूदुर्ग, अकोला, चंदरपुर, वर्धा, बीड, सांगली	30
12.	मणिपुर	चुराचंद्रपुर, इम्फाल, सेनापति (कोंगपोम्पई), तमेंगलांग, उखरूल, चंदेल, बिशनपुर, सेनापति 2	09
13.	मेघालय	जैन्तिया हिल्स (जोवई), वेस्ट गारो हिल्स (तुरा), ईस्ट काशी हिल्स (शिलांग) ईस्ट गारो हिल्स (विलियम नगर), वेस्ट खासी हिल्स (नांगस्टोइन)	05
14.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग, जोनहेबेटो, त्वेनसांग, मोन, ओखा, फेक	07

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	बालासोर, बालनगिरी, मयूरभंज (बारीपड़ा), बेहरामपुर (गंजम), कालाहांडी (भवानी पटना), धेनकनाल, क्योंझर, कोरापुट, फुलबनी, पुरी, संभलपुर, सुन्दरगढ़, कटकग, नौपाड़ा, खुर्द, भुवनेश्वर, केन्द्रपाड़ा	16
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरूर, मंसा, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारण	15
17.	राजस्थान	अजमेर, बांसवाड़ा, बारमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बुंदी, चित्तौरगढ़, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुन्झुनू, झालावाड़, श्रीगंगानगर, रायसमंद, बारन, दौसा	30
18.	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम (गंगटोक), नार्थ सिक्किम (मंगन), वेस्ट सिक्किम (ग्याजिंग), साउथ सिक्किम (नामची)	04
19.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, कुड्डालोर (साउथ आरकोट), धर्मपुरी, मदुरई, पुडुकोट्टई, सलेम, शिवगंगा, तिरूचिरापल्ली, तंजावूर, तिरूनवेल्ली, निलगिरी (उदगमनदलम), उटी, वेल्लोर, कामराजार (विरदु नगर), कन्याकुमारी (नागरक्वायल), चेंगलपेट (एम.जी.आर.), इरोड (पेरियार), डिन्डीगुल (अन्ना), रामानन्तपुरम, चिदम्बमार (तूतीकोरिन), चेन्नई (ग्रामीण), नागपटनम, थिरूवननमाली, विल्लूपुरम, तिरूवल्लूर, थेनी, तिरूवरूर, नमक्कल, करूर, पेरूम्बुलुर	29
20.	त्रिपुरा	अगरतला (वेस्ट त्रिपुरा), धरम नगर (नार्थ त्रिपुरा), उदयपुर (साउथ त्रिपुरा)	03
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबांकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, अमेठी, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरुपर, हरदोई, जालौन (उरई), जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खिरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्रा, उन्नाव, वाराणसी	55
22.	पश्चिम बंगाल	बरसात (नार्थ 24 परगना), बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, बरूईपुर (साउथ 24 परगना), जलपाईगुरी, मिदनापुर, पुरलिया, कलकत्ता, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा, बीरभूम, हुगली, नदिया, हावड़ा, माल्दा, दुर्गापुर (बर्दवान 2), डायमंड हार्बर (24 साउथ परगना), तामलुक मिदनापुर-2, कोलकाता (साउथ), (पुरलिया)	22
23.	अरुणाचल प्रदेश	सियांग (अलांग), लोअर सुबानगिरी (जीरो), अपर सुवानसिरी (दापोरीजो), लोहित (तेजू)	4
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार, पोर्टब्लेयर, कामोत्रा, केम्पबेल बे, मायाबंदर (रंगत), दीगलीपुर	6
25.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1

1	2	3	4
26.	दिल्ली	अलीपुर, महरौली, नांगलोई	3
27.	गोवा	नार्थ गोवा, पणजी, साउत गोवा (मरगांव)	3
28.	लक्षद्वीप	कवरती	1
29.	पुदुचेरी	कराईकल, पुडुचेरी, माहे, यनम	4
30.	मिजोरम	आइजवाल, लुंगेली, गहिमुतीपुरी (सैहा)	3
31.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	1
32.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, चंपा, दुर्ग, कांकेर (बस्तर), रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा	8
33.	झारखंड	बोकारो, चतरा, देवघर, धनवाद, दुमका, पूर्व सिंहभूम (जमशेदपुर), गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा गुमला, हजारीबाग, लोहरदग्गा, पलामू (डाल्टनगंज), रांची, साहेबगंज, पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा)	16
34.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी	9
34.	दमन और दीव	दमन	2
		कुल नेहरू युवा केन्द्र	501

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण

3270. श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है/किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निरीक्षण कितने अंतराल पर किए गए और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निरीक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों का अधिकतर भाग विशेषकर राजमार्ग संख्या 181 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और इसे चौड़ा बनाने/इसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजमार्गों की मरम्मत/उन्हें चौड़ा बनाने के कार्य को समयबद्ध तरीके से नहीं करने के क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य शीघ्र शुरू करने/पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(ख) निरीक्षण के लिए कोई आवर्तिता निर्धारित नहीं है। विकास और अनुरक्षण कार्यों की आवश्यकता के आधार पर इस मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य सरकार, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी कार्य-निष्पादन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का बहुधा निरीक्षण किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक मामले में इन निरीक्षणों का विवरण नहीं रखा जाता है, इन निरीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपेक्षित सुधार कार्य किए जाते हैं।

(ग) से (ज) सरकार ने किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 181 के रूप में घोषित नहीं किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों

को सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यक सर्वेक्षणों, जांचों और निरीक्षणों के पश्चात् निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वायदा व्यापार संबंधी समिति

3271. श्री पी. बलराम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजिर मूल्य और वायदा व्यापार के बीच के संबंधों के अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इससे उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) अभिजीत सेन समिति रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अभिजीत सेन समिति की सिफारिशों में व्यापक तौर पर कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में विनियामक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उसको गहन बनाने की बात कही गई है। वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार के लिए हैजरों की भागीदारी, सुपुर्दगी प्रणाली, मूल्य प्रसार आदि जैसी विभिन्न नीतियां और पद्धतियां तैयार करते समय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। कुछ अन्य सिफारिशों में बाजार के कुशल कार्यकरण के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में संशोधन की आवश्यकता बताई गई है।

(घ) भावी सौदा व्यापार बाजार में दक्षता लाकर मूल्यों में उतार-चढ़ाव को कम करता है। उत्पादक के मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच का अंतर भी आगे चलकर कम हो जाता है जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होता है। भावी सौदा व्यापार से होने वाले मूल्य खोज और जोखिम प्रबंधन के लाभों से वस्तुओं के उपयोगकर्ता/उपभोक्ता को बाजार में मोल भाव करने में सहायता मिलती है।

विवरण

अभिजीत सेन समिति के प्रमुख निष्कर्ष

समिति ने मूल्यों (स्पाट मूल्य) के उतार-चढ़ाव के संबंध में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया। विशेषज्ञ समिति ने किए गए विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

> "साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों की तुलना में दैनिक आंकड़ों के विरोधाभासी परिणामों को देखते हुए इस संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या भावी सौदा व्यापार शुरू करने से स्पाट मूल्यों के उतार-चढ़ाव में गिरावट अथवा वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा है?"

(1) विशेषज्ञ समिति ने भावी सौदा व्यापार से पूर्व की अवधि और उसके बाद की अवधि में संवेदनशील वस्तुओं (खाद्यान्न और चीनी) के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि दर का भी विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि भावी सौदा व्यापार शुरू होने के बाद उन वस्तुओं के मूल्यों में स्पष्ट तौर पर वृद्धि हुई है जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मान अधिक है, फिर भी यह सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि भावी सौदा व्यापार के साथ हुई;

(2) हैजर्स को आकर्षित करने के लिए भावी सौदा संविदाओं में हाई बेसिस रिस्क पर ध्यान दिया जाए;

(3) नेशनल एक्सचेंजों में सुपुर्दगी प्रणाली को व्यापक आधार वाली बनाने की आवश्यकता है और एक्सचेंज प्लेटफार्म पर सुपुर्दगी प्रभारों को कम किया जाना चाहिए ताकि सुपुर्दगियों को बढ़ावा दिया जा सके;

(4) भावी सौदा बाजार में नये उत्पादों को सूचीबद्ध करने से पहले यह पता लगाने के लिए भलीभांति जांच करना आवश्यक है कि क्या उनसे जनता और पणधारियों को लाभ होने जा रहा है;

(5) इन नेशनल स्पाट एक्सचेंजों की स्थापना और कार्यकरण में विधायी और विनियामक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए;

(6) कमोडिटी अर्थव्यवस्था में किसानों और अन्य पणधारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संचार, परिवहन, बैंकिंग सुविधाओं, भण्डारण और एसेइंग जैसे आधार ढांचे संबंधी जिन खाइयों को पाटे जाने की आवश्यकता है, का पता लगाकर आधार ढांचे का विकास करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं;

(7) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भाण्डागार और वस्तु वित्त के आधार ढांचे को उपयुक्त बनाया जाना चाहिए;

(8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर मूल्य खोज के लाभ किसानों तक पहुंचे, एक ऐसा ढांचा सृजित करना महत्वपूर्ण है जो देश के दूरस्थ कोनों तक मूल्यों का प्रसार कर सके;

(9) वायदा बाजार आयोग और एक्सचेंज दोनों में एक परामर्शी दल होना चाहिए जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिनको कमोडिटी के क्षेत्र का प्रामाणिक विषयगत ज्ञान हो;

(10) शीर्ष स्तर पर पूंजी बाजार में एचएलसीसी के अनुरूप वस्तुबाजार संबंधी एक समिति का गठन किया जाए जिसका अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष अथवा उसके नामिति के रूप में योजना आयोग का कोई एक सदस्य हो। वायदा बाजार आयोग का अध्यक्ष समिति का संयोजक होना चाहिए। सचिव (कृषि), सचिव (उपभोक्ता मामले), सचिव (खाद्य), सचिव (वाणिज्य), भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा किसानों, सहकारी समितियों और व्यापारिक निकायों (जैसे फिक्की, सीआईआई आदि) का एक-एक प्रतिनिधि समिति का सदस्य होना चाहिए। समिति कमोडिटी मार्केट के विकास और विनियमन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और उपयुक्त कदम उठाने के लिए वायदा बाजार आयोग का मार्गदर्शन करे;

(11) विनियम को अपग्रेड करने और विनियामक की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक को जोरदार ढंग से परस्यू करने की आवश्यकता है;

(12) किसानों के समूहों, सहकारी संस्थाओं, आरआरबी, सीसीबी, गैर-सरकारी संगठन, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भाण्डागार निगम, कमोडिटी डेवलपमेंट बोर्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उनके साथ निकट संबंध रखते हैं और जिन पर किसानों को विश्वास होता है, को संकलनकर्ताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए;

(13) कृषि-जन्य वस्तुओं के मामलों में केवल कुछ समय के लिए तब तक सामान्य 'विकल्प' की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक बाजार प्रचालनों और विनियमों की परिपक्वता प्राप्त न कर लें और किसान बाजारों की उपयुक्त समझदारी तथा उनके उपयोग की तकनीकों की जानकारी प्राप्त न कर लें;

(14) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जिनको इस समय कमोडिटी मार्केट्स में व्यापार की अनुमति नहीं है, को बैंकिंग विनियामक द्वारा अनुमोदन की शर्त पर उस सीमा तक व्यापार करने की अनुमति दी जाए जो छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों के लिए उपयुक्त कस्टोमाइज्ड ओटीसी उत्पाद तैयार करने के प्रयोजन हेतु अपेक्षित हों;

(15) कृषि-जन्य वस्तुओं में 'काल' और 'पुट' विकल्पों के लेखक के रूप में कार्य कर रहे भारतीय खाद्य निगम सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने वाली एजेंसियों की संभावना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

दुग्ध चूर्ण का मूल्य

3272. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध चूर्ण का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए सस्ते मूल्य पर दुग्ध-चूर्ण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सहित देश में डेयरी उत्पादों की राज्यवार मांग और आपूर्ति कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाने वाली तुलनात्मक तालिका इस प्रकार है:-

(रुपए/किलोग्राम)

माह एवं वर्ष	ओसेनिया	पश्चिमी यूरोप	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
मार्च, 2008	160	138	116	134
अक्तूबर, 2008	134	127	116	132
अप्रैल, 2009	97	106	90	115
मई, 2009	94	108	91	120
जून, 2009	95	110	87	120
जुलाई, 2009	97	114	97	140

ओसेनिया, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में दुग्ध पाउडर का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वहां दूध के उत्पादन के चालू मूल्य पर निर्भर करता है तथा संबंधित राज्य सरकार निर्यात संबंधी राजसहायता प्रदान करती है। भारत में अकसर गर्मी के मौसम के दौरान दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप के दुष्प्रभाव के कारण दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन तथा खरीद में कमी आ जाती है। कम उत्पादन तथा खरीद से उत्पादन लागत तथा दुग्ध पाउडर का बिक्री मूल्य भी प्रभावित हो जाता है।

(ग) दुग्ध पाउडर के मूल्य में वृद्धि एक मौसमी घटनाक्रम मात्र है। दूध पाउडर के किसी अत्यधिक कमी के मामले में, दुग्ध पाउडर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 5% आयात शुल्क पर टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 10,000 मी. टन की कुल मात्रा तक दूध पाउडर आयात करने की अनुमति है। आगामी सप्ताहों में, यदि आवश्यकता हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को टीआरक्यू के तहत एसएमपी के आयात के लिए आकस्मिक योजना बनाने की सलाह दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन घरेलू दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है। आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार दुग्ध उत्पादन तथा उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता का राज्यवार आकलन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	दुग्ध उत्पादन (000 मी. टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8925	299
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	114
3.	असम	752	69
4.	बिहार*	5783	170
5.	छत्तीसगढ़	866	101
6.	गोवा	58	100
7.	गुजरात	7911	387
8.	हरियाणा	5422	632
9.	हिमाचल प्रदेश	874	367
10.	जम्मू और कश्मीर	1498	337
11.	झारखंड	1442	133
12.	कर्नाटक	4244	201
13.	केरल	2253	181
14.	मध्य प्रदेश	6572	262
15.	महाराष्ट्र	7210	186
16.	मणिपुर	78	82
17.	मेघालय	77	883
18.	मिजोरम	17	47
19.	नागालैंड	45	57
20.	उड़ीसा	1625	112
21.	पंजाब	9282	962
22.	राजस्थान	9536	408
23.	सिक्किम	49	225
24.	तमिलनाडु	5586	231
25.	त्रिपुरा	91	72
26.	उत्तर प्रदेश	18861	273
27.	उत्तराखंड	1221	355
28.	पश्चिम बंगाल	4087	128
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	159
30.	चंडीगढ़	47	121
31.	दादरा और नगर हवेली	5	53

1	2	3	4
32.	दमन और दीव	1	15
33.	दिल्ली	282	46
34.	लक्षद्वीप	2	86
35.	पुदुचेरी	46	119
	अखिल भारत	104840	252

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के विभिन्न अंक।

[हिन्दी]

मत्स्यपालन हेतु धनराशि

3273. श्री चंदूलाल साहू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मात्स्यिकी कल्याण बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उक्त धनराशि किन शीर्षों के अंतर्गत जारी की गई है और इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है/किया जा रहा है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा मत्स्यपालन के लिए राज्यवार जारी की गई धनराशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) धनराशि मुख्य शीर्ष 2405 (राज्यों के लिए) और 2552 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

धनराशि का उपयोग तालाबों और पोखरों में सघन जलकृषि, जलाशय मात्स्यिकी और तटवर्ती जलकृषि के लिए किया जा रहा है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधि			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	77.06	17.52	1653.22	
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		2.04		
3.	अरुणाचल प्रदेश		61.94	223.43	3.65
4.	असम		1.59	14.39	
5.	बिहार		73.64		
6.	छत्तीसगढ़			198.82	
7.	नई दिल्ली	37.50	101.20	206.93	1.74
8.	गुजरात		2.79		
9.	हरियाणा		33.68	10.29	
10.	हिमाचल प्रदेश				162.68
11.	झारखंड		104.29	67.40	
12.	जम्मू और कश्मीर		314.20		

1	2	3	4	5	6
13.	कर्नाटक	7.78	257.90	752.40	
14.	केरल		105.11	348.88	
15.	मध्य प्रदेश		50.89		
16.	महाराष्ट्र	63.27	160.60	207.78	35.38
17.	मणिपुर		40.40	11.59	3.43
18.	मिजोरम		205.59	454.46	
19.	नागालैंड	6.14	21.32	13.59	
20.	उड़ीसा	1.27	62.11	966.05	14.00
21.	पुदुचेरी		2.99	1.05	
22.	पंजाब		5.38	40.37	
23.	राजस्थान		10.86	1.38	
24.	सिक्किम		12.48	4.94	
25.	तमिलनाडु	1.24	14.12	503.43	32.30
26.	त्रिपुरा		58.83	84.33	
27.	उत्तर प्रदेश	63.72	75.31	10.47	
28.	उत्तराखंड		0.82	1.60	
29.	पश्चिम बंगाल	1.15	383.65	227.29	
	कुल	259.12	2181.23	6004.06	253.48

पूरे भारत में वैधता वाले हथियार लाइसेंस

3274. श्री अशोक अर्गलः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों से हथियारों के लाइसेंसों को पूरे भारत में वैध बनाने के लिए कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने हथियारों के लाइसेंसों को पूरे भारत में वैध किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सिफारिश किए जाने के बावजूद उक्त हथियारों के लाइसेंसों की वैधता का विस्तार करने से इंकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) 1995 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के क्षेत्र की वैधता को बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार, जिला/राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य स्थानीय कारकों की प्रमाणिकता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की सिफारिशों पर आधारित योग्यताओं के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में, सम्पूर्ण भारत हेतु क्षेत्र की वैधता को बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार, राज्य सरकारों तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से योग्यताओं के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निषिद्ध बोर शस्त्रों के

लाइसेंसों की वैधता संपूर्ण भारत में बढ़ाए जाने के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006 से 2009 (आज तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों से संघ सरकार को 91 सिफारिशें प्राप्त हुई थीं।

(ख) निषिद्ध बोर के हथियारों के संबंध में विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006 से 2009 (आज तक) के दौरान 62 शस्त्रों के लाइसेंसों की वैधता संपूर्ण भारत में की गई थी।

(ग) और (घ) संघ सरकार को विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006 से 2009 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 30 सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिनमें निषिद्ध बोर के हथियारों के संबंध में ग्यारह शस्त्रों के लाइसेंसों की वैधता भारत के लिए की गई थी।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में आउटर रिंग रोड का निर्माण

3275. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा मेरठ में आउटर रिंग रोड को बनाने/निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के चारों ओर रिंग रोड/बाइपास को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-7 के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) मेरठ शहर के लिए रिंग रोड/बाइपास का साध्यता अध्ययन कार्य जून, 2009 से किया जा रहा है और इसे 8 माह के समय में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) इस परियोजना को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) आधार पर कार्यान्वित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। साध्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् यह प्रस्ताव, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् रियायतग्राही के चयन के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस प्रकार, पूरा किए जाने की कोई भी समयावधि बता पाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

भूमि अधिग्रहण और मूल्य वृद्धि के बीच संबंध

3276. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भूमि अधिग्रहण और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के बीच संबंधों का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अध्ययन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बड़ौदा से मुंबई के बीच एक्सप्रेस हाइवे

3277. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006-07 के बजट में बड़ौदा से मुंबई के बीच रूपांकन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन (डीबीएफओ) प्रणाली के साथ एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2006-

07 के बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पैटर्न का अनुसरण करते हुए निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण आधार पर नए संरेखण पर 1000 किलोमीटर के पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस-वे के विकास का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 16,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। बड़ौदा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के संरेखण को उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है। परामर्शदाता ने फरवरी, 2009 में साध्यता अध्ययन का कार्य शुरू किया है जिसके एक वर्ष के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों और पर्यवेक्षण परामर्शदाता द्वारा कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कार्य स्थल पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मुख्यालय) में आवधिक आधार पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों की विनिर्दिष्ट चौड़ाई

3278. श्री जगदम्बिका पालः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण विनिर्दिष्ट चौड़ाई के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सघन आबादी वाले क्षेत्रों को उक्त मानदंडों से छूट प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और बाइपासों की चौड़ाई को कम करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, भारतीय सड़क कांग्रेस मानक आईआरसी: 73-1980 में यथा उल्लिखित चौड़ाई के आधार पर किया जाता है। इस मंत्रालय की नीति के अनुसार, सघन आबादी वाले क्षेत्रों को इन निर्धारित दिशा-निर्देशों से छूट प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा न्यूनतम 60 मीटर के मार्गाधिकार का प्रस्ताव किया जाता है; बाद में, केरल को 60 मीटर के मार्गाधिकार से छूट दी गई थी और राज्य सरकार के अनुरोध से (कार्यस्थल की स्थितियों और परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर) न्यूनतम 45 मीटर का मार्गाधिकार स्वीकृत किया जाता है।

बीजों की गुणवत्ता

3279. श्री चन्द्रकांत खैरेः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल 20 प्रतिशत भारतीय किसान संकर बीज खरीदते हैं और उनमें से अधिकांश अपनी खेती से बचाए गए बीजों पर ही निर्भर रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों में जागरूकता पैदा करने और देश में बीज बाजार के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) यद्यपि फार्म पर बचाए गए बीज का प्रयोग किया जाता है, फिर भी संकर बीज सहित बीजों की खरीद में वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:- (1) प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन में 2005-06 में 140.50 लाख क्विंटल से 2008-09 में 250.35 लाख क्विंटल तक की वृद्धि हुई है। वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है-

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)	% परिवर्तन
2005-06	140.50	6.22
2006-07	148.18	5.47
2007-08	194.31	31.13
2008-09	250.35	28.84

(2) बीज की समग्र उपलब्धता इसकी आवश्यकता से अधिक है। देश में रबी 2008-09 के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज

की समग्र उपलब्धता 144.80 लाख क्विंटल है जबकि आवश्यकता 111.24 लाख क्विंटल की है तथा खरीफ 2009 के लिए उपलब्धता 126.51 लाक क्विंटल है जबकि आवश्यकता 110.97 लाख क्विंटल की है।

(ग) भा.कृ.अ.प. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय अग्रणी प्रदर्शन तथा किसान मेले आयोजित करते हैं। राज्य कृषि विभाग विभिन्न फसलों की उच्च उपज देने वाली नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए बीज मिनीकिट वितरण, कृषक क्षेत्रीय स्कूल, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन तथा क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करते हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत बीज क्षेत्र को सहायता दी जाती है-

(1) कृषि में बृहत प्रबंध।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।

(3) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम।

(4) कपास प्रौद्योगिकी मिशन।

(5) जूट एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन।

(6) गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण।

(7) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

अफीम की अवैध खेती

3280. श्री अशोक कुमार रावतः
श्री मिलिन्द देवराः
श्री रूद्रमाधव रायः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से अफीम की अवैध खेती और उक्त अफीम की बिक्री से प्राप्त धनराशि से माओवादी उग्रवाद के वित्तपोषण की घटनाओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता लगे ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अफीम की अवैध खेती को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नष्ट किया गया है। तथापि, उनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से माओवादी उग्रवात का वित्तपोषण किए जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है और संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है कि उनके नोटिस में यदि ऐसा कोई दृष्टांत आता है तो उसके संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराएं।

(ग) सरकार ने देश में अफीम पोस्त के अवैध उत्पादन को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. अफीम पोस्त की अवैध खेती का वास्तविक सर्वेक्षण करना।
2. अफीम पोस्त की अवैध खेती का पता लगाने के लिए एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआईएन), सिकन्दराबाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सेटेलाइट सर्वेक्षण किया जाना।
3. अफीम पोस्त की अवैध खेती का नष्ट किया जाना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना।
4. राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संवर्धित समन्वय और साथ ही नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करना और राज्यों का दौरा करना।
5. विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए, उनके कौशल को उन्नत करने हेतु, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
6. अफीम की अवैध खेती के लिए कठोर दंड के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
7. अफीम की खेती के संबंध में जानकारी देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार की एक स्कीम कार्यान्वित करना जिससे उसे नष्ट किया जा सके।
8. राज्यों को अपनी नारकोटिक यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
9. राज्यों में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स सृजित किया जाना।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन

3281. श्री संजय तकामः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा इसके केंद्रों से क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है उक्त बुलेटिन किस भाषा में प्रसारित किए जाते हैं;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश सहित अनेक राज्य सरकारों ने हिन्दी और अंग्रेजी में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू नहीं हो सका है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों को प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। किसी अन्य राज्य सरकार ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है।

(ङ) और (च) आकाशवाणी, ईटानगर से हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रारंभ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। अनियत समाचार वाचक-सह-अनुवादक (एन.आर.टीज) का पैनल बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बुलेटिनों को अगस्त, 2009 में प्रारंभ कर दिया जाएगा।

विवरण

क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (क्षे.स.ई.)-की घरेलू सेवा में क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन

क्र.सं.	केन्द्र	बुलेटिन की सं.	समय (घंटे)	भाषा/बोली
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	हैदराबाद	3	1310-1320	तेलुगू
			1750-1800	उर्दू
			1815-1825	तेलुगू
2.	विजयवाड़ा	2	0645-0655	तेलुगू
			1320-1330	तेलुगू
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
3.	पोर्टब्लेयर	2	0705-0715	हिन्दी
			1900-1905	हिन्दी
	अरुणाचल प्रदेश			
4.	ईटानगर	11	0620-0625	तागिन
			0640-0645	आपातनी
			0715-0720	गालो
			1545-1550	मीजु मिशमी

1	2	3	4	5
			1605-1610	खाम्पती
			1625-1630	वांगचु
			1700-1705	इदु
			1720-1725	तांगसा
			1740-1745	नोक्ते
			1830-1835	आदि
			1900-1905	निशी
	असम			
5.	डिब्रूगढ़	1	1800-1805	असमी
6.	गुवाहाटी	6	0850-0900	असमी
			1845-1855	असमी
			2125-2130	असमी
			1640-1650	बोडो
			1545-1555	कार्बी
			1515-1525	नेपाली (सप्ताह में दो बार)
7.	सिल्चर	4	0735-0740	बंगाली
			1730-1735	मणिपुरी
			1800-1805	दिमासा
			1950-2000	बंगाली
	बिहार			
8.	पटना	5	0830-0840	हिन्दी
			1510-1515	हिन्दी
			1515-1520	उर्दू
			1815-1820	मैथिली
			1930-1940	हिन्दी
	छत्तीसगढ़			
9.	रायपुर	2	1800-1805	छत्तीसगढ़ी
			1911-1921	हिन्दी

1	2	3	4	5
	गोवा			
10.	पणजी	2	0725-07030	कोंकणी
			1920-1930	कोंकणी
	गुजरात			
11.	अहमदाबाद	3	0705-0715	गुजराती
			1425-1430	गुजराती
			1910-1920	गुजराती
12.	भुज	2	0650-0655	गुजराती
			1825-1830	गुजराती
	हरियाणा एवं पंजाब			
13.	चंडीगढ़	4	1305-1310	हिन्दी
			1310-1315	पंजाबी
			1810-1820	हिन्दी
			1820-1830	पंजाबी
	हिमाचल प्रदेश			
14.	शिमला	3	0915-0920	हिन्दी
			1800-1805	हिन्दी
			1950-2000	हिन्दी
	जम्मू एवं कश्मीर			
15.	जम्मू	4	0920-0930	डोगरी
			1230-1235	डोगरी
			1700-1710	गोजरी
			1815-1825	डोगरी
16.	करगिल	2	1725-1730	पुर्गी
			1930-1935	पुर्गी
17.	लेह	2	0905-0910	लद्दाखी
			1915-1925	लद्दाखी
18.	श्रीनगर	9	0920-0925	कश्मीरी
			0925-0930	उर्दू

1	2	3	4	5
			1230-1235	उर्दू
			1235-1240	कश्मीरी
			1750-1800	गोजरी
			1920-1930	बाल्ती
			1930-1940	कश्मीरी
			1940-1955	उर्दू
			2305-2310	उर्दू
	झारखंड			
19.	रांची	7	0830-0840	हिन्दी
			1900-1910	हिन्दी
			1920-1925	नागपुरी (साप्ताहिक)
			1925-1930	कुरूख (साप्ताहिक)
			1930-1935	मंदारी (साप्ताहिक)
			1935-1940	हो (साप्ताहिक)
			1940-1945	संथाली (साप्ताहिक)
	कर्नाटक			
20	बैंगलोर	2	1430-1435	कन्नड़
			1840-1850	कन्नड़
21.	धारवाड़	1	0705-0715	कन्नड़
	केरल			
22.	कोजिकोड	2	0645-0655	मलयालम
			1230-1240	मलयालम
23.	तिरूवनंतपुरम	2	1230-1240	मलयालम
			1820-1830	मलयालम
	मध्य प्रदेश			
24.	भोपाल	2	1420-1425	हिन्दी
			1910-1920	हिन्दी
25.	इंदौर	1	0705-0715	हिन्दी
	महाराष्ट्र			
26.	औरंगाबाद	2	0650-0700	मराठी
			0840-0845	उर्दू

1	2	3	4	5
27.	मुंबई	5	1345-1350	मराठी
			1900-1910	मराठी
			1035-1040	मराठी
			1815-1818	मराठी
			1945-1948	मराठी
28.	नागपुर	1	1850-1900	मराठी
29.	पुणे	1	0710-0720	मराठी
	मणिपुर			
30.	इम्फाल	9	0730-0740	मणिपुरी
			1200-1205	मणिपुरी
			1600-1606	मार
			1620-1626	पाइटे
			1640-1646	कबुई
			1700-1707	थादौ
			1730-1736	माओ
			1750-1757	तांखुल
			1930-1945	मणिपुरी
	मेघालय			
31.	शिलांग	5	0745-0755	खासी
			0830-0835	अंग्रेजी
			1805-1815	गारो
			1840-1850	जयंतिया
			1950-2000	खासी
	मिजोरम			
32.	आइजोल	2	0730-0740	मिजो
			1830-1840	मिजो
	नागालैंड			
33.	कोहिमा	17	0550-0600	सांताम
			0620-0630	चिमचुंडरू
			0650-0700	कोनयाक

1	2	3	4	5
			0720-0725	नगमी
			0835-0845	खियामनिउनडान
			0905-0915	फोम
			0935-0945	चा
			1005-1015	जेलियां
			1500-1510	कुकी
			1530-1540	रेमा
			1600-1610	सेमा
			1630-1640	लोथा
			1700-1710	छाखेसां
			1730-1740	आऊ
			1800-1810	आंगामी
			1910-1920	नगमी
			1920-1930	अंग्रेजी
	उड़ीसा			
34.	कटक	3	0750-0710	उड़िया
			1432-1442	उड़िया
			1845-1855	उड़िया
	पुदुचेरी			
35.	पुदुचेरी	1	1810-1820	तमिल
	राजस्थान			
36.	जयपुर	4	0900-0905	हिन्दी
			1230-1235	हिन्दी
			1830-1840	हिन्दी
			1950-1900	राजस्थानी
	सिक्किम			
37.	गंगटोक	3	1840-1845	नेपाली
			1845-1850	लेप्चा
			1850-1855	भूटिया

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
38.	चेन्नई	2	0645-0655	तमिल
			1830-1840	तमिल
39.	त्रिचिरापल्ली	1	1345-1355	तमिल
	त्रिपुरा			
40.	अगरतला	4	0735-0740	बंगाली
			0740-0745	कोकबोरोक
			1945-1955	कोकबोरोक
			1955-2005	बंगाली
	उत्तराखंड			
41.	देहरादून	1	1830-1840	हिन्दी
	उत्तर प्रदेश			
42.	गोरखपुर	3	0720-0730	हिन्दी
			1725-1730	भोजपुरी
			1800-1805	हिन्दी
43.	लखनऊ	2	1310-1315	उर्दू
			1920-1930	हिन्दी
	पश्चिम बंगाल			
44.	कोलकाता	12	0620-0630	बंगाली
			0735-0745	बंगाली
			0915-0925	बंगाली
			1010-1015	बंगाली
			1230-1235	बंगाली
			1340-1345	बंगाली
			1625-1630	बंगाली
			1810-1820	संथाली

1	2	3	4	5
			1835-1838	बंगाली
			1950-2000	बंगाली
			2010-2015	बंगाली
			2200-2210	बंगाली
45.	कर्सियांग	1	1850-1900	नेपाली

राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता

3282. श्री नरहरि महतो: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधार, मरम्मत, अनुरक्षण और इन्हें चौड़ा बनाने के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदत्त धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अनुदानों का उपयोग किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) संबंधित परियोजना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक, राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत विभिन्न पैकेजों के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक आफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन (जेबीआईसी) ने सहायता उपलब्ध कराई है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि और उसके व्यय का विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के व्यय का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्त का स्रोत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 जून, 2009 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिकंदरा-भौंती (टीएनएचपी-1) पैकेज II-ए	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	14.71	7.39	1.47	0.05
2.	उत्तर प्रदेश में रारा 2 पर फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी-2) पैकेज 2-सी, किमी. 38-155	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	37.38	42.96	52.06	4.23
3.	खागा-कोखराज (टीएनएचपी-3) पैकेज 3-ए (उत्तर प्रदेश)	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	3.30	2.04	0.74	0.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी-4) पैकेज 3-सी	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	26.78	13.38	4.24	1.92
5.	बिहार में मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी-5) पैकेज 4-बी	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	9.88	0.02	0.00	0.10
6.	डेहरी-ओन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी)-6) पैकेज 4-डी	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	0.30	1.82	0.51	0.00
7.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-7) पैकेज 5-ए [औरंगाबाद-बाराचट्टी]	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	37.82	25.91	4.91	0.00
8.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-8) [गोरहर-बरवा अड्डा] पैकेज 5-सी (किमी. 320-398.75)	ईएपी-डब्ल्यूबी-III-4559-आईएन	5.50	35.25	37.77	3.90
	जोड़		135.66	128.77	101.70	10.20
9.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी-1) पैकेज 1-ए (किमी. 199.66-250.50)	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	37.76	16.92	12.74	2.43
10.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी-2) पैकेज 1-बी (किमी. 250.50-307.50)	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	105.68	83.33	25.07	2.09
11.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी-3) पैकेज 1-सी (किमी. 321.10-393)	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	77.33	47.36	9.53	0.01
12.	भौंती-फतेहपुर (जीटीआरआईपी-4) पैकेज 2-बी	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	83.55	56.95	21.20	0.00
13.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी-5) पैकेज 4-ए	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	2.14	1.21	9.68	9.59
14.	सासाराम-डेहरी-ओन-सोन (जीटीआरआईपी-6) पैकेज 4-सी	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	26.58	28.86	32.80	5.09
15.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-7) (5-बी) [बाराचट्टी-गोरहर]	ईएपी-डब्ल्यूबी-IV-4622-आईएन	69.47	19.36	12.34	0.04
	जोड़		402.51	253.99	123.36	19.26
16.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज एबीपी-1) (रारा 2 पर किमी. 163.28-164.30) (गंगा पुल)	ईएपी-डब्ल्यू-V-4719-आईएन	36.98	19.97	21.23	0.29
17.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज एबीपी-2) (रारा 2 पर किमी. 158-198)	ईएपी-डब्ल्यू-V-4719-आईएन	115.71	122.03	95.61	17.18

1	2	3	4	5	6	7
18.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज एबीपी-3) (रारा 2 पर किमी. 198-242.708)	ईएपी-डब्ल्यू-V-4719-आईएन	121.67	153.92	102.83	29.92
	जोड़		274.36	295.92	219.67	47.39
19.	जगतपुर-चंडीखोल (आईडीपी-100)	ईएपी-जेबीआईसी	0.00	1.73	0.00	0.00
20.	नैनी के समीप यमुना नदी पर केबल आधारित पुल (नैनी पुल, इलाहाबाद)	ईएपी-जेबीआईसी	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	गाजियाबाद-हापुड़ व हापुड़ बाइपास	ईएपी-जेबीआईसी	0.00	0.00	9.56	0.00
	जोड़		0.10	1.73	9.56	0.00
22.	गुड़गांव कोटपुतली (एडीबी पैकेज-I)	ईएपी-एडीबी-III-1274-इंडिया	0.00	0.43	0.00	0.00
23.	विजयवाड़ा-इलूरू (एडीबी, पैकेज-V) (किमी. 3.4 से 75)	ईएपी-एडीबी-III-1274-इंडिया	0.02	2.82	0.00	0.00
24.	बरवा अड्डा-बाराकड (एडीबी पैकेज-III)	ईएपी-एडीबी-III-1274-इंडिया	0.89	0.00	0.00	0.00
25.	नंदीगांव/इब्राहिमपट्टनम-विजयवाड़ा (एडीबी, पैकेज-IV) 217-252	ईएपी-एडीबी-III-1274-इंडिया	0.02	0.00	2.35	0.22
	जोड़		0.93	3.25	2.35	0.22
26.	सूरत-मनोर पैकेज-II	ईएपी-एडीबी-IV-1747-इंडिया	1.08	0.00	0.00	0.00
27.	सूरत-मनोर पैकेज-III	ईएपी-एडीबी-IV-1747-इंडिया	0.38	0.00	0.00	0.00
	जोड़		1.46	0.00	0.00	0.00
28.	तुमकुर-हावेरी (तुमकुर-सीरा) पैकेज-I	ईएपी-एडीबी-V-1839-इंडिया	0.38	0.13	0.35	0.04
29.	तुमकुर-हावेरी (सीरा-चित्रदुर्ग) पैकेज-II	ईएपी-एडीबी-V-1839-इंडिया	31.54	61.24	0.00	0.00
30.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग खंड) पैकेज-III	ईएपी-एडीबी-V-1839-इंडिया	1.00	18.61	37.91	5.76
31.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग-हरिहर) पैकेज-IV	ईएपी-एडीबी-V-1839-इंडिया	24.98	4.54	23.67	4.64
32.	तुमकुर-हावेरी (दावेनगेरे-हावेरी) पैकेज-V	ईएपी-एडीबी-V-1839-इंडिया	19.57	2.09	21.52	3.25
	जोड़		77.47	86.61	83.45	13.69

1	2	3	4	5	6	7
33.	रारा-8बी के भिलाडी से पोरबंदर (किमी. 52.5-2), पैकेज-I	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	90.78	45.66	3.64	0.00
34.	रारा-8बी का जैतपुर से भिलाडी (किमी. 117-52.5), पैकेज-II	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	76.93	193.28	90.69	0.60
35.	रारा-8ए का गारामोर-बामनबोर (किमी. 254-182.60), पैकेज-III	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	63.94	74.23	85.79	3.58
36.	गारामोर-गागोधर (रारा-8ए का किमी. 254-308) व (रारा-15 का किमी. 281.30-245), पैकेज-IV	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	62.35	91.17	79.76	10.43
37.	राधनपुर से गागोधर, (रारा 15 का किमी. 138.80-245), पैकेज-V	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	99.88	130.30	33.37	3.25
38.	राधनपुर-दीसा (रारा 14 का किमी. 458-372.60), पैकेज-VI	ईएपी-एडीबी-VI-1944-इंडिया	102.22	145.13	56.19	3.37
	जोड़		496.11	679.77	349.44	21.22
39.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आरजे-6)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	91.52	111.58	147.75	3.06
40.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आरजे-7)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	90.64	179.05	154.79	0.00
41.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आरजे-8)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	75.72	161.63	199.58	0.00
42.	राज./एमपी सीमा-कोटा (आरजे-9) किमी. 406 से किमी. 449	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	72.41	64.03	143.16	0.00
43.	राज./एमपी सीमा-कोटा (आरजे-10) किमी. 449 से किमी. 509	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	142.48	80.02	129.84	0.00
44.	राज./एमपी सीमा-कोटा (आरजे-11) किमी. 509 से किमी. 579	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	111.49	104.51	77.17	0.00
45.	शिवपुरी बाइपास-एमपी/राज. सीमा (एमपी-1)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	101.40	88.55	47.86	0.00
46.	झांसी-शिवपुरी (एमपी-2)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	40.68	71.32	38.43	0.00
47.	झांसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	32.89	47.67	40.36	13.86
48.	झांसी-बाइपास (यूपी-3) (90-106)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	26.72	31.05	42.36	10.79

1	2	3	4	5	6	7
49.	उरई-झांसी (यूपी-4)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	101.93	79.58	79.59	38.89
50.	उरई-झांसी (यूपी-5)	ईएपी-एडीबी सेक्टर-I-2029-इंडिया	33.52	27.49	72.20	33.14
	जोड़ एडीबी सेक्टर-I		921.40	1046.48	1173.08	99.74
51.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रारा 26 का किमी. 94-132)/ एडीबी सी-II ए/3	ईएपी-[एडीबी]	10.35	20.93	34.93	0.00
52.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रारा 26 का किमी. 132-187)/ एडीबी सी-II ए/4	ईएपी-[एडीबी]	41.64	36.58	45.31	0.00
53.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रारा 26 का किमी. 187-211)/ एडीबी सी-II ए/5	ईएपी-[एडीबी]	26.86	10.54	46.38	0.00
54.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (रारा-26 का किमी. 211-255)/एडीबी सी-II ए/6	ईएपी-[एडीबी]	27.77	10.68	22.90	0.00
55.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (रारा-26 का किमी. 255-297)/एडीबी सी-II ए/7	ईएपी-[एडीबी]	16.05	35.74	0.00	0.00
56.	मध्य प्रदेश में राजमार्ग चौराहा-लखनादून (रारा-26 का किमी. 297-351)/एडीबी सी-II ए/8	ईएपी-[एडीबी]	11.00	10.15	10.98	0.00
57.	मध्य प्रदेश में राजमार्ग चौराहा-लखनादून (रारा-26 का किमी. 351-405.70)/एडीबी सी-II ए/9	ईएपी-[एडीबी]	10.21	0.00	18.97	0.00
58.	कुरनूल-अनंतपुर (एपी-10) एडीबी किमी. 211.000-251.000-एडीबी क्षेत्र-II/सी-10	ईएपी-[एडीबी]	10.35	28.37	65.57	14.07
59.	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक सीमा (एपी-11) एडीबी किमी. 251.000-293.40-एडीबी क्षेत्र-II/सी-11	ईएपी-[एडीबी]	14.73	32.19	73.87	10.20
60.	कुरनूल-अनंतपुर-(रारा 7) किमी. 293.40-336.000-एडीबी क्षेत्र-II/सी-12	ईएपी-[एडीबी]	4.22	22.99	73.43	23.16

1	2	3	4	5	6	7
61.	आंध्र प्रदेश में अनंतपुर-एपी/कर्नाटक-(रारा-7) किमी. 336.000-376.000-एडीबी क्षेत्र-II/सी-13	ईएपी-[एडीबी]	1.60	18.54	69.57	27.00
62.	आंध्र प्रदेश में अनंतपुर-एपी/कर्नाटक-(रारा-7) किमी. 376.000-418.000-एडीबी क्षेत्र-II/सी-14	ईएपी-[एडीबी]	10.77	36.23	74.88	11.34
63.	अनंतपुर-एपी/कर्नाटक (रारा-7) किमी. 418.000-463.640-एडीबी क्षेत्र-II/सी-15	ईएपी-[एडीबी]	12.75	38.60	103.95	18.99
	जोड़ एडीबी-सेक्टर-II		198.29	301.54	640.74	104.76
64.	लखनऊ-अयोध्या (उत्तर प्रदेश में रारा 28 पर किमी. 8.25 से 45) पैकेज-I	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	42.81	71.86	84.71	2.09
65.	लखनऊ-अयोध्या (उत्तर प्रदेश में रारा 28 पर किमी. 45 से 93) पैकेज-II	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	44.89	80.18	97.50	3.36
66.	लखनऊ-अयोध्या (उत्तर प्रदेश में रारा-28 पर किमी. 93 से 135) पैकेज-III	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	38.24	80.04	98.30	0.00
67.	अयोध्या-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश में रारा-28 पर किमी. 135 से 164) पैकेज-IV	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	53.29	63.07	60.63	5.40
68.	उ.प्र. में अयोध्या-गोरखपुर (रारा-28 किमी. 164 से 208) पैकेज-V	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	42.21	21.94	61.99	13.30
69.	अयोध्या-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश में रारा-28 पर किमी. 208-251.70) पैकेज-VI	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	43.10	77.41	83.14	6.62
70.	गोरखपुर-कसिया (उ.प्र. में रारा-28 पर किमी. 279.80-319.80) पैकेज-VII	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	47.93	86.93	51.90	42.03
71.	कसिया-बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा (उत्तर प्रदेश में रारा 28 पर किमी. 319.80 से 360.91) पैकेज-VIII	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	30.98	58.74	101.71	4.39
72.	यूपी/बिहार सीमा-देवापुर (बिहार में रारा-28 पर किमी. 360.91 से 402) पैकेज-IX	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	41.57	63.57	11.98	0.00
73.	देवापुर-कोटवा (बिहार में रारा 28 पर किमी. 402 से 440) पैकेज-X	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	27.80	16.43	31.88	0.00
74.	कोटवा-मेहसी (बिहार में रारा 28 पर किमी. 440 से 480) पैकेज-XI	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	35.15	9.65	46.00	0.00
75.	मेहसी-मुजफ्फरपुर (बिहार में रारा 28 पर किमी. 480-520) पैकेज-XII	ईएपी-एलएमएनएचपी-4764-इंडिया	32.19	18.80	63.18	0.00
	जोड़		480.15	648.62	792.92	77.20
	ईएपी परियोजनाओं पर कुल व्यय		2988.44	3446.68	3496.27	393.67

एफएम रेडियो स्टेशन

3283. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश में एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफएम रेडियो प्रसारकों ने सरकार से एफएम रेडियो पर समाचारों के प्रसारण का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना के अंतर्गत 10वीं योजना के भाग के रूप में 100 वाट के 145 आकाशवाणी (एआईआर) एफएम ट्रांसमीटरों सहित 193 नए आकाशवाणी एफएम स्टेशनों को अनुमोदित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक निजी एफएम का संबंध है, कर्नाटक सहित देश के अन्य भागों में निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो की सेवाओं के विस्तार के लिए एफएम चरण-III हेतु नीति विचाराधीन है। ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो विस्तार के चरण-III के बारे में अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और ये सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

11वीं योजना में जारी 10वीं योजना के नए स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	3
4.	गुजरात	1
5.	झारखंड	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	2
8.	मणिपुर	3
9.	मेघालय	1
10.	मिजोरम	3
11.	नागालैंड	3
12.	उड़ीसा	1
13.	पंजाब	2
14.	राजस्थान	1
15.	त्रिपुरा	3
16.	उत्तर प्रदेश	4
17.	उत्तराखंड	6
18.	पश्चिम बंगाल	4
19.		145 एफएम ट्रांसमीटर (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 और शेष देश में 45)* श्रृंगेरी (कर्नाटक) में 100 वाट का एक एफ.एम. ट्रांसमीटर।
	कुल	193

*पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 वाट के 49 एफएम स्टेशन और शेष देश में 100 वाट के 45 एफएम ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार हैं।

नोट: चूड़ाचांदपुर, रायरंगपुर और ओरस तकनीकी रूप से तैयार हैं।

पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को मुआवजा

3284. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजा तथा अन्य लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबित दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) आतंकवाद से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कार्मिकों के आश्रित निर्धारित प्रक्रिया और प्रचलित नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति एवं वे लाभ प्राप्त करते हैं जिनके वे हकदार हैं। उनके हक की क्षतिपूर्ति एवं लाभ उन आश्रितों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिनके मामलों को प्रक्रियात्मक रूप से पूरा कर लिया गया है। बकाया बचे 62 मामलों के संबंध में मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित दस्तावेज एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। इन मामलों का त्वरित निस्तारण करने के लिए सभी संबंधितों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

3285. श्री भक्त चरण दास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) में और अधिक सुधार करने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कुछ और फसलों को लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। स्कीम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के समय उड़ीसा राज्य सहित क्रियान्वयन करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने समय-समय पर इस स्कीम को किसानों के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाने हेतु बीमा के एकल क्षेत्र, प्रतिभूति उपज के परिकलन, दावों के शीघ्र निपटान, बागवानी फसलों के कवरेज आदि के संबंध में सुझाव दिए हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मौजूदा फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा एक संयुक्त समूह गठित किया गया। इस समूह ने राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम की समीक्षा की है तथा महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख फसलों के लिए बीमा के एकल क्षेत्र में कटौती, थ्रेशहोल्ड उपज के परिकलंन की उन्नत विधि, उच्चतर क्षतिपूर्ति का स्तर, अतिरिक्त जोखिमों का कवरेज आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों के आधार पर संशोधित एनएआईएस से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में इस समय सभी खाद्यान्न फसलें (अनाज, कदन्न तथा दालें), तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं। स्कीम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारें फसलों के उपरोक्त विस्तृत वर्गों से किसी भी संख्या में फसलों को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जो पर्याप्त वर्षों के लिए उपज से संबंधित विगत आंकड़ों की उपलब्धता तथा उपज का आकलन करने के लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने के लिए राज्य की क्षमता के अधीन है।

ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग परियोजना में प्रगति

3286. श्री राजनाथ सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग पर कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना को कितनी समयावधि के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। नेचिपू से तवांग तक ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग को दो लेन के स्तर का बनाने के निर्माण/सुधार कार्य को रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऐसे खंडों को छोड़कर जहां सैन्य इकाईयां अपनी महत्वपूर्ण संस्थापनाओं/भंडारण को खाली कर रही हैं, इस खंड को पूरा किए जाने के लिए लक्ष्य तारीख मार्च, 2012 है।

शेष खंडों में कार्य-निष्पादन एजेंसियों द्वारा साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य शुरू किए गए हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, 1412 किमी. की संपूर्ण लंबाई को पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2015 है।

आतंकवाद से निपटने के लिए अर्ध-सैनिक बलों को धनराशि

3287. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा प्रदान करने तथा आतंकवाद से लड़ने के लिए अर्ध-सैनिक बलों (पीएमएफ) को आवंटित तथा स्वीकृत धनराशि पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बल-वार कितनी धनराशि आवंटित, स्वीकृत तथा प्रयुक्त की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में धनराशि बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हों, तो कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस कदम से राज्यों को कितना लाभ होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। सुरक्षा प्रदान करने एवं आतंकवाद से निपटने के लिए अर्ध-सैनिक बलों को आबंटित एवं स्वीकृत की गयी निधि पर्याप्त है।

(ख) हथियार एवं असला, मशीनरी एवं उपकरण, कपड़े के टेंट सामग्री एवं भंडार, मोटर वाहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के 5 रशद शीर्षों पर तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बल-वार प्रयुक्त की गयी निधि को बल-वार नीचे दिया गया है:-

(समस्त आंकड़े करोड़ रुपए में)

बल का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
असम राईफल्स	234.19	228.24	186.50
सीमा सुरक्षा बल	456.63	573.94	517.54
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	47.12	61.11	89.46
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	401.66	397.13	299.09
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	78.99	217.87	243.76
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	10.54	26.67	15.96
सशस्त्र सीमा बल	214.17	192.59	142.07
कुल	1443.30	1697.55	1494.47

(ग) सुरक्षा प्रदान करने एवं आतंकवाद से निपटने के लिए अर्ध-सैनिक बलों को निधियों का आबंटन एक अनवरत प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 5 रसद शीर्षों के अंतर्गत समस्त 7 अर्ध-सैनिक बलों के लिए बजट अनुमान में 2040 करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन किया गया है।

(घ) चूंकि प्रश्न का भाग (क) से (ग) अर्ध-सैनिक बलों से संबंधित है इसलिए राज्य के निधि आबंटन को नहीं शामिल किया/दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

बक्सर-आरा पटना राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना

3288. श्री जगदानंद सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में बक्सर-आरा-पटना राजमार्ग को चार लेन में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त राजमार्ग को कब तक चार लेन वाला बना दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और 84 के बक्सर-आरा-पटना खंड को बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। बीओटी (पथकर) आधार पर निविदाएं दो बार आमंत्रित की गई थीं परन्तु कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इस परियोजना को अब बीओटी (वार्षिकी) आधार पर चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। निविदाएं शीघ्र ही आमंत्रित किए जाने की संभावना है। कार्य शुरू किए जाने की तिथि से परियोजना को पूरा किए जाने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

[अनुवाद]

खनिजों हेतु हवाई सर्वेक्षण

3289. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से खनिज अन्वेषण हेतु हवाई सर्वेक्षण करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सर्वेक्षणों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां हवाई सर्वेक्षण कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन सर्वेक्षणों हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से टोही परमिट मंजूर करने के लिए, जिसमें अन्य के साथ-साथ खान और खजिन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के संबंध में खनिज के प्रारम्भिक पूर्वेक्षण हेतु हवाई सर्वेक्षण शामिल है, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में टोही परमिटों की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित राज्य सभी सांविधिक आवश्यकताओं/स्वीकृतियों को पूरा करने के बाद टोही परमिट मंजूर करता है।

(ङ) एमसीआर, 1960 के नियम 7 (2) के अनुसार टोही परमिट धारकों को, परमिट धारक द्वारा न्यूनतम व्यय की प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन करना होता है। राज्य सरकारें परमिट धारक द्वारा किए गए टोही प्रचालन के लिए किसी प्रकार का व्यय नहीं करती है।

खाद्य पदार्थों का उपभोग

3290. श्री पी.टी. थॉमसः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कैलोरी और प्रोटीन के संदर्भ में खाद्य पदार्थों के प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैलोरी के संदर्भ में खाद्य पदार्थों के उपभोग में शहरी लोगों तथा ग्रामीण लोगों में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना/योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट संख्या 509 में निहित विभिन्न वस्तुओं की पारिवारिक खपत से संबंधित विवरण के अनुसार यह देखा गया है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच अनाजों और दालों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। 30 दिन में प्रति व्यक्ति किलोग्राम में उपभोग की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	अनाज	दाल	अनाज	दाल
1993-94	13.4	0.76	10.6	0.86
2004-05	12.12	0.71	9.94	0.82

जैसाकि इन सर्वेक्षणों से देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत अधिक है जबकि शहरी क्षेत्रों में दालों की खपत अधिक है।

कुपोषण की समस्या बहुआयामी और सभी पीढ़ियों से संबंधित है जिसे खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेय जल, पोषाहार, परिवार कल्याण और गरीबी उपशमन के क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समन्वित हस्तक्षेप के जरिए हल करने की जरूरत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित पोषाहार संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना में राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और प्राइवेट क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक व्यवस्थित सहयोग की बात प्रमुखता से कही गई है। पोषाहार संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना पोषाहार के किसी भी रूप का शमन करने के लिए और अपने लोगों के लिए पोषाहार की ईष्टतम स्थिति हासिल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है।

विद्यालय पूर्व के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें अनुपूरक पोषाहार एक घटक है। इस स्कीम को सर्व-सुलभ बनाया जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक रिहाइसों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और अनुपूरक पोषाहार के मानदंड संशोधित किए जा रहे हैं। किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम में भी उन्हें खाद्यान्न देकर उनके लिए पोषाहार अनुपूरक प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अलावा उक्त मंत्रालय द्वारा पोषाहार शिक्षा, जागरूकता और काउंसिलिंग का काम भी किया जा रहा है।

सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन भी करती है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इन खाद्यान्नों की आपूर्ति केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर की जाती है जो अत्यधिक राजसहायता प्राप्त और खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं।

उपर्युक्त के अलावा सरकार विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करती है, जिनमें अन्नपूर्णा योजना, मध्याह्न भोजन योजना और ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम शामिल हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना पोषाहार स्तर बढ़ा सकें।

चीनी का आयात

3291. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया तथा इसका लैंडिंग मूल्य कितना था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के खाते में चीनी का कोई आयात नहीं किया गया है। तथापि, 2004-05 के लिए चीनी के स्टॉक में वृद्धि करने और सरकार को देश की तीन माह की खपत की नियामक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कच्ची चीनी का आयात करने हेतु अग्रिम लाइसेंस स्कीम को उदार बनाया गया था ताकि अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयात की गई कच्ची चीनी को संसाधित कर श्वेत चीनी बनाई जा सके और घरेलू बाजार में बेची जा सके और ऐसे आयातकों को 24 माह के भीतर अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथानुमत विस्तारित अवधि के भीतर देश में विनिर्मित श्वेत चीनी का निर्यात करके निर्यात दायित्व पूरा करने की अनुमति दी गई। यह नीति 21.9.2004 से 15.4.2008 तक प्रचलन में रही।

वर्तमान चीनी मौसम 2008-09 में चीनी का उत्पादन अनंतिम रूप से 150-155 लाख टन की रेंज में होने का अनुमान है जबकि खपत 225 लाख टन होने का अनुमान है और केन्द्रीय सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से चीनी मिलों को अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन 30.9.2009 तक और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन 1.8.2009 तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी का आयात करने और राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम/पीईसी और नैफेड द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन शून्य सीमा शुल्क पर 1 मिलियन टन तक श्वेत/परिष्कृत चीनी का आयात करने की अनुमति दी है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान चीनी का आयात निम्नानुसार था:-

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	लागत बीमा भाड़ा मूल्य (करोड़ रुपये में)
2005-06	5.59	651.80
2006-07	0.01	3.48
2007-08	0.005	2.29

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

वाणिज्य विभाग से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम और पीईसी द्वारा कुल 115563 मीटरी टन श्वेत/परिष्कृत चीनी के अनुबंध किए गए हैं। व्यापार हलकों के अनुसार भारतीय चीनी फैक्ट्रियों द्वारा लगभग 25 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करने के अनुबंध किए गए हैं जिसमें से 18.20 लाख टन मात्रा पहुंच चुकी है या जुलाई, 2009 के अंत तक शीघ्र ही पहुंच जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं के आवंटन में अनियमितताएं

3292. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं के आवंटन में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया को सुधारने तथा उसे सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा राज्यों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसमें जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी होती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में सरकार को जब कभी व्यक्तियों अथवा संगठनों और प्रैस रिपोर्टों के जरिए शिकायतें प्राप्त होती हैं इन्हें जांच और उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

(ग) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियां बनाए रखने और उनकी उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जिसमें आदेश है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्रवाई करेंगे। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथा विहित खण्ड 8 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग और पाए गए कदाचारों के लिए खण्ड 8 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग और पाए गए कदाचारों के लिए खण्ड 9 के अधीन की गई दंडात्मक कार्रवाई पर राज्य सरकारों से रिपोर्टें ली जाती हैं। खाद्यान्नों के वितरण और राशन कार्डों की स्थिति पर प्रपत्र-ग में रिपोर्टें ली जाती हैं। राज्य सरकारों से उन्हें आबंटित खाद्यान्नों के लिए नियमित रूप से उपयोग प्रमाण-पत्र लिए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में राज्य सरकारों के खाद्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें होती हैं। इस विभाग के क्षेत्राधिकारी भी राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए 9 सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित करने हेतु जुलाई, 2006 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से निम्नलिखित उपाय करके इसे सुप्रवाही बनाने के लिए अनुरोध करती रही है:-

(1) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना;

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चिता करना;

(3) विभिन्न स्तरों पर निगरानी तथा सतर्कता में सुधार करना; और

(4) विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने, आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करना।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता

3293. श्री निशिकांत दुबे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रम निजी चैनलों के कार्यक्रम के समान ही लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी टेलीविजन चैनलों से स्पर्धा करने के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि टेलीविजन दर्शक मापन (टीएएम) रेटिंग के अनुसार, भारत (कुल बाजार) के सभी दर्शकों के बीच दूरदर्शन एवं निजी चैनलों के 30 शीर्षस्थ कार्यक्रमों के औसत टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) से पता चलता है कि दूरदर्शन कार्यक्रम उतने ही लोकप्रिय हैं जितने निजी चैनलों के कार्यक्रम।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) यद्यपि, दूरदर्शन के लोक सेवा प्रसारक होने के कारण इसकी निजी टीवी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, तथापि, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्व वित्तपोषित कमीशनिंग (एसएफसी) स्कीम के जरिए विभिन्न व्यावसायिक सॉफ्टवेयर घरानों/निर्माताओं से स्तरीय सॉफ्टवेयर अधिग्रहीत करके; डीडी 1 पर प्रसारण हेतु विभिन्न विषय-वस्तुओं पर अच्छी फीचर फिल्मों की आउटसोर्सिंग करके; कार्यक्रमों के इन-हाउस निर्माण के लिए बेहतर प्रतिभा की आउटसोर्सिंग करके तथा स्टुडियों उपस्कर व ट्रांसमिशन के डिजिटलीकरण से ट्रांसमिशन की गुणवत्ता को सुधार करके दूरदर्शन अपनी निर्माण संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आठ लेन वाले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रैस राजमार्ग

3294. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठ लेन वाले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रैस राजमार्ग आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन स्थानों पर राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार एक्सप्रैस-वे प्रस्तावित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की भीड़-भाड़ से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डीबीएफओ) पद्धति पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत 1000 किमी. के 4/6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार, नए संरेखण पर एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के लिए चार परियोजनाओं का चयन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	खंड
1.	गुजरात और महाराष्ट्र	वड़ोदरा से मुंबई
2.	दिल्ली और उत्तर प्रदेश	दिल्ली से मेरठ
3.	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	बंगलौर से चेन्नै
4.	पश्चिम बंगाल और झारखंड	कोलकाता से धनबाद

चावल की खरीद

3295. श्री वैजयंत पांडा:
श्री पी. बलराम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को, मिल मालिकों से पर्याप्त मात्रा में चावल खरीदने में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य एजेंसियों की विफलता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारण मिल मालिकों के पास चावल का विशाल भंडार जमा हो रहा है;

(घ) क्या मिल मालिकों ने चालू मौसम के दौरान किसानों से और चावल खरीदने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि उनके गोदामों में चावल का भंडार मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में

चावल की रिकार्ड खरीदारी हुई है। 23.7.2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा 287.86 लाख टन चावल स्वीकार किया गया जबकि खरीफ विपणन मौसम 2007-08 की तदनुरूपी अवधि में 242.85 लाख टन चावल स्वीकार किया गया था।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण स्थान की कमी के कारण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से मिल मालिकों की भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चावल स्वीकार करने में विलंब किए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

भारतीय खाद्य निगम को आवश्यक प्रबंध करने और लेवी दायित्व के अनुसार चावल स्वीकार करने के निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गोदामों को किराए पर लेना

3296. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कितने निजी गोदाम राज्य-वार किराए पर लिए गए तथा उनकी भंडारण क्षमता कितनी है और उनके लिए कितने किराए का भुगतान किया गया;

(ख) क्या इन गोदामों को किराए पर लेते समय किराया कम करने के लिए कोई कार्रवाई की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2009-10 के दौरान कितनी भंडारण क्षमता को किराए पर लिए जाने की संभावना है तथा इसके लिए कितने किराये का भुगतान किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) महाप्रबंधक (क्षेत्र) को गोदामों को किराए पर लेते समय सस्ती लागत सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने हेतु पूरी शक्तियां दी गई हैं।

(ङ) इस अवस्था में 2009-10 के दौरान किराए पर ली जाने वाली संभावित भंडारण क्षमता तथा उसके लिए दिए जाने वाले किराए का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि गोदामों को किराए पर लेना खरीदारी तथा उठान के रुझान पर निर्भर करता है।

ग्रामीण युवाओं को खेलों में प्रशिक्षण

3297. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की स्थिति क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रशिक्षण हेतु प्रदत्त तथा प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) अ.जा./अ.जन./अ.पि.व. युवाओं के बीच खेल संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है। तथापि, विशेष क्षेत्र खेल के अंतर्गत, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जनजातीय, तटीय तथा पर्वतीय क्षेत्र में खेल प्रतिभा का पता लगाया जाता है तथा पोषण किया जाता है। इसी तरह से पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान के अंतर्गत जनसंख्या के सभी घटकों को कवर किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत बुनियादी खेल अवसंरचना के संवर्धन तथा ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2008-09 के दौरान 22,854 गांवों तथा 601 ब्लाक पंचायतों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 24 राज्यों को 250.77 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान आबंटित निधि तथा जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटित निधि	जारी की गई निधि
2008-09	92.00	92.00
2009-10 (10.7.09)	160.00	19.02

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान

3298. श्री जगदीश शर्मा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में किसान अब भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) योजना आयोग ने आकलन लगाया है कि अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे की है जो समान संदर्भ अवधि पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर (जुलाई 2004-जून 2005) के आंकड़ों पर आधारित है। उनके अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के संबंध में कोई आधिकारिक आकलन नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी स्थिति (2004-05) पर रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में 35.9% परिवार अखिल भारतीय स्तर पर कृषि में स्वरोजगार में लगे हुए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने एक स्थिति निर्धारण सर्वेक्षण संचालित किया जो भारतीय किसानों का एक व्यापक सामाजिक आर्थिक अध्ययन है जिसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 59वें दौर के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी-दिसम्बर, 2003 के दौरान उनके शैक्षिक स्तर, निर्वाह स्तर, कृषि पद्धतियां, उत्पादक सम्पत्तियों का स्वामित्व, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता तथा पहुंच, संसाधन उपलब्धता, ऋणग्रस्तता तथा अन्य संबंधित विषयों के समूह को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के परिणाम के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

* 27% अनुमानित किसान कृषि में रुचि नहीं रखते थे क्योंकि यह लाभकारी नहीं है। इन सब में, 40% महसूस करते थे कि यदि उन्हें अन्य विकल्प दिया जाए तब वे कुछ अन्य व्यवसाय अपनाएंगे।
* लगभग 18% किसान परिवार जानते थे कि जैव उर्वरक क्या होता है तथा 29% समझते थे कि न्यूनत समर्थन मूल्य का आश्रय क्या है। मात्र 8% ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में सुन रखा था।
* मात्र 4% किसान परिवारों ने अपनी फसल का कभी बीमा कराया था तथा 57% नहीं जानते थे कि फसलों का बीमा किया जा सकता है।
* खरीफ मौसम के दौरान 46% तथा रबी मौसम के दौरान 34% किसान परिवारों द्वारा उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया है।
* 40% किसान परिवारों ने खेती हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच बनाई।
* किसान परिवारों हेतु औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय सभी ग्रामीण परिवारों हेतु 554.15 रुपए की तुलना में 502.83 रुपए (9.3% तक कम) थी।
* 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6%) ऋणग्रस्त बताए गए।
* 50% से अधिक ऋणी किसान परिवारों ने कृषि व्यवसाय में पूंजी अथवा चालू व्यय के उद्देश्य के लिए ऋण लिया था। अदत्त ऋण राशि के प्रतिशत के संदर्भ में ऋण का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत बैंक (36%) था, इसके पश्चात् साहूकार (26%) थे।

(च) भारत सरकार राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 का क्रियान्वयन कर रही है जिसका लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के अलावा खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के जरिये किसानों की आय में वृद्धि करना है। नीतिगत प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा भूमि, जल, पशुधन, मत्यस्यिकी तथा जैव-संसाधनों के संबंध में सम्पदा सुधार; सहायता सेवाएं तथा आदान यथा फ्रन्टियर प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग प्रदान करना; कृषि जैव-सुरक्षा प्रणाली; अच्छी गुणवत्ता के बीजों का रोगमुक्त पौध सामग्री की आपूर्ति; किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक का निर्गमन तथा एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालो; क्षेत्र तथा फसल विशेष उपकरण तथा मशीनरी;

महिलाओं हेतु सहायता सेवाएं यथा शिशुशालाएं (क्रेचिज), बाल देखभाल केन्द्र, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण; उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सामयिक, पर्याप्त तथा आसान पहुंच एवं किसान हितैषी बीमा योजनाएं; कृषि विस्तार को सशक्त बनाने हेतु सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा कृषि विद्यालयों की स्थापना; एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों का सम्मिलन; देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना; कृषि बाजार ढांचे का विकास तथा कृषि हेतु टर्मिनल बाजार का विकास; कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम सुधार; कृषि की विशेष श्रेणियां यथा कार्बनिक कृषि तथा संविदा कृषि; कृषि परिवारों हेतु ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पहल; तथा ग्रामीण ऊर्जा के लिए एकीकृत प्रस्ताव शामिल हैं। भिन्न-भिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बहुत सी योजनाएं/कार्यक्रम राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 के प्रावधानों के अनुसार हैं। क्रियान्वित की जा रही प्रमुख नियोजन योजनाएं/कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, एकीकृत पोषक प्रबंधन तथा एकीकृत कीट प्रबंधन एवं कृषि के वृहत्त प्रबंधन के अंतर्गत शामिल योजनाएं हैं।

किसानों को सुविधाएं

3299. श्री रामकिशुन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि क्रियाकलापों के लिए किसानों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आरकेवीवाई दिशा-निर्देशों के तहत परिकल्पित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 4% वृद्धि हासिल करने के लिए किसानों के लिए सुविधाओं का सृजन करने हेतु संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि निर्मुक्त की जाती है। स्कीम के तहत राज्यों को कोष 100% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्यों को स्कीमों के चयन, नियोजन, अनुमोदन तथा निष्पादन की प्रक्रिया में पूर्ण स्वायत्तता होती है। राज्यों को कोष का आबंटन 2 स्ट्रीमों यथा- स्ट्रीम-1 तथा स्ट्रीम-2 के तहत आबंटित किया जाता है और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से जो इस स्कीम के लिए नोडल विभाग है, कोष उपलब्ध कराया जाता है। स्ट्रीम-1 के तहत आरकेवीवाई कोष का कम से कम 75% हिस्सां राज्य तथा जिला योजनाओं के भाग के रूप में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। स्ट्रीम-2 के तहत कुल आरकेवीवाई कोष का 25% तक का हिस्सा राज्य क्षेत्र की मौजूदा स्कीमों को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी राज्य को उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) आरकेवीवाई अगस्त, 2009 में शुरू किया गया था। आबंटित, निर्मुक्त तथा व्यय किए गए कोष का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरकेवीवाई को 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 25000 करोड़ रु. के परिव्यय से अनुमोदित किया गया है।

विवरण

30.6.2009 की स्थिति के अनुसार राज्यों को आबंटन तथा निर्मुक्ति तथा व्यय का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र का नाम	2007-08		2008-09		कुल निर्मुक्ति (2007-08 व 2008-09) (4+6)	व्यय (2007-08 व 2008-09)	अप्रयुक्त शेष राशि (7-8)	2009-10		
		आबंटन	कुल निर्मुक्ति	आबंटन	कुल निर्मुक्ति				कुल आबंटन	स्ट्रीम-1 के तहत	स्ट्रीम-2 में निर्मुक्ति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**आंध्र प्रदेश**	93.13	61.08	316.57	297.17	358.25	351.92	6.33	315.33	118.25	39.42
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	2.85	1.90	6.88	0.00	1.90	1.90	0.00	14.39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	23.77	0	142.62	144.12	144.12	72.81	71.31	47.53		5.94
4.	बिहार	64.02	57.77	148.54	148.54	206.31	84.47	121.84	70.50		8.81
5.	छत्तीसगढ़	60.54	52.96	116.48	117.45	170.41	103.71	66.70	289.39		37.3
6.	गोवा	2.29	1.70	6.91	0.00	1.70	0.00	1.70	4.32		
7.	गुजरात	53.71	49.81	243.39	243.39	293.20	252.07	41.13	294.48		36.81
8.	हरियाणा	23.12	21.52	74.00	39.50	61.02	60.23	0.79	96.91		12.11
9.	हिमाचल प्रदेश	17.39	16.17	15.11	15.11	31.28	30.94	0.34	24.45		3.06
10.	जम्मू और कश्मीर	6.85	0	16.17	1.20	1.20	0.00	1.20	33.38		4.17
11.	झारखंड	61.66	55.68	58.62	29.31	84.99	32.30	52.69	97.14		12.14
12.	कर्नाटक	171.97	154.30	316.57	314.14	468.44	380.15	88.29	243.62		30.45
13.	केरल	61.41	55.40	60.11	30.06	85.46	40.77	44.69	99.48		12.44
14.	मध्य प्रदेश	110.01	101.62	146.05	146.05	247.67	136.39	111.28	202.39		25.3
15.	महाराष्ट्र	142.20	128.20	269.63	261.77	389.97	186.84	203.13	302.70		37.84
16.	मणिपुर	1.35	0	4.14	0.90	0.90	0.00	0.90	4.83		0.6
17.	मेघालय	7.00	6.37	13.53	6.77	13.14	4.93	8.21	19.91		2.49
18.	मिजोरम	1.05	0	4.29	0.80	0.80	0.00	0.80	3.27		
19.	नागालैंड	9.45	3.19	13.89	6.95	10.14	9.04	1.10	18.54		
20.	उड़ीसा	46.59	39.30	115.44	115.44	154.74	84.54	70.20	96.74		12.09
21.	पंजाब	39.85	36.05	87.52	87.52	123.57	35.86	87.71	65.29		8.16
22.	राजस्थान	71.68	55.76	233.75	233.76	289.52	175.77	113.75	145.72		18.22
23.	सिक्किम	2.77	2.77	11.37	5.68	8.45	7.10	1.35	12.33		1.54
24.	तमिलनाडु	188.21	153.6	140.38	140.38	293.98	269.84	24.14	87.57		10.95
25.	त्रिपुरा	4.69	4.16	34.02	16.08	20.24	14.00	6.24	24.66		3.08
26.	उत्तराखंड	30.54	28.25	20.6	10.30	38.55	11.72	26.83	58.58		7.32
27.	उत्तर प्रदेश	116.15	103.90	316.57	316.57	420.47	296.28	124.19	315.33		39.42
28.	पश्चिम बंगाल	60.87	54.93	147.38	147.38	202.31	196.78	5.53	121.55		15.19
	कुल राज्य	1475.12	1246.39	3080.53	2876.34	4122.73	2840.36	1282.37	3119.31		384.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.52		6.43	2.26	2.26	0.01	2.25	10.24		1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	चंडीगढ़	0.22		2.20	0.14	0.14		0.14	3.37		0.42
31.	दादरा और नगर हवेली	0.25		0.61	0.00	0.00		0.00	0.25		
32.	दमन और दीव			1.42	0.26	0.26		0.26	0.26		
33.	दिल्ली	0.56	0.10	1.83	0.00	0.10		0.10	1.95		0.24
34.	लक्षद्वीप	0.92		12.08	6.14	6.14	6.04	0.10	8.69		1.09
35.	पुदुचेरी	3.13	0.40	6.67	0.00	0.40		0.40	0.56		
	कुल संघ शा. क्षेत्र	14.58	0.50	31.24	8.80	9.30	6.05	3.25	25.33		3.03
	जिला कृषि योजना			53.90					8.90		
	एनआईआरडी, आईएसईसी, आईईजी, आईआईएमसीएमए				1.25	1.25		1.25			
	प्रशासनिक आकस्मिकता				0.41	0.41		0.41			
	कुल योग	1489.70	1246.89	3165.67	2886.80	4133.69	2846.41	1287.28	3153.85	118.25	387.88

सीमावार्ती गांवों का विकास

3300. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के दस किलोमीटर तक के दायरे में स्थित गांवों के विकास हेतु सीमावर्ती राज्यों को कोई संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना से भारत में आतंकवाद पर काबू पाने में कितनी सहायता मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार उन 17 राज्य सरकारों के जरिए जिनकी भारत के पड़ोसी देशों के साथ भू-सीमा है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। बीएडीपी का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा के निकट स्थित दूरदराज के एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष जरूरतों को पूरा करना और केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय योजनाओं को मिलाकर तथा सहभागी नीति के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत जरूरी अवस्थापना का सृजन करना है।

बीएडीपी के दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके फरवरी, 2009 में परिवर्तन किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें सीमावर्ती ब्लाकों के केवल उन गांवों में बीएडीपी निधियों का उपयोग करने की व्यवस्था करेंगी जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. की दूरी पर अवस्थित हैं। उन गांवों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीकतर स्थित हैं। इन गांवों में मूल-भूत अवस्थापना का विकास करने के पश्चात् 0-15 किमी. तथा 0-20 किमी. की दूरी के अंतर्राष्ट्रीय अवस्थित गांवों के अगले सेट पर कार्य किया जाएगा। यदि किसी ब्लाक का पहला गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सुदूर स्थित है तो उस ब्लाक में प्राथमिकता सूची बनाने के लिए ब्लाक के प्रथम गांव/पुरवा को 0 किमी. दूरी पर माना जा सकता है।

बीएडीपी के संशोधित दिशानिर्देश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के लिए वित्त वर्ष 2009-10 से प्रभावी हो गए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का मुख्य जोर सामान्यत: कम-विकसित सीमावर्ती क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना होता है। सीमा क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया से सीमावर्ती आबादी में विश्वास तथा उससे जुड़े होने की भावना का सृजन हुआ है। बीएडीपी का राज्य/केन्द्रीय सरकार की अन्य योजनागत स्कीमों से समाभिरूपता ने विकास की प्रक्रिया को क्रियाशीलता प्रदान की है।

[हिन्दी]

ऑनलाइन शिकायतें

3301. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सहायता हेतु आनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों को सहायता मुहैय्या कराने के लिए दिल्ली पुलिस का महिला हेल्प लाइन नम्बर 1091 चौबीसों घण्टे काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की दो वेबसाइटें www.155355.nic.in और www.155345.nic.in है तथा एक ई-मेल acp-sit-dl@nic.in हैं जिन पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बलों को हेलीकॉप्टर सुविधा

3302. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आपातकालीन स्थिति के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों को जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु भारतीय/विदेश निर्मित हेलीकॉप्टरों को शामिल किए जाने की उपयोगिता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु किसी आदेश को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विनिर्माताओं द्वारा ऐसे हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों हेतु मै. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 8 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति (21.10.2008 को) प्रदान कर दी है। हेलीकॉप्टरों को प्राप्त करने संबंधी करार तथा इन हेलीकॉप्टरों के संचालन एवं रखरखाव संबंधी करार पर 25.03.2009 को गृह मंत्रालय एवं मै. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। करार के अनुसार, 4 हेलीकॉप्टरों के प्रथम खेप की सुपुर्दगी 2009-10 के दौरान किया जाना निर्धारित है और 4 हेलीकॉप्टरों के दूसरे खेप की सुपुर्दगी 2010-11 के दौरान किया जाना निर्धारित है।

मकई का मूल्य

3303. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मकई की कीमतों में वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। मकई के मूल्य सामान्य तौर पर स्थिर रहे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीपीएल सूची में अंतर

3304. श्री एल. राजगोपाल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आकलित संख्या और राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई तथा जारी राशन कार्डों की संख्या में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस मुद्दे के समाधान हेतु कोई उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या अनेक राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संशोधित सूची के अभाव में उन्हें आवंटित कोटा उठाने में असमर्थ थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस विसंगति को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उनकी पहचान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन यथा-विहित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार किए जाने होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 को भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का उपयोग करता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के 2.43 करोड़ परिवार शामिल हैं।

तथापि, जून 2009 तक की सूचना के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 10.86 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी कर रखे हैं जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों की राज्यवार अनुमानित संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की अगली जनगणना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2008 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। उक्त मंत्रालय द्वारा नई विधि को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) से (छ) अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन ऐसे परिवारों की समस्त 6.52 करोड़ संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आवंटन किए जाते हैं। उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आवंटित खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों के लिए आवंटित खाद्यान्नों का उठान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को जारी राशनकार्डों की राज्यवार कुल संख्या

30.06.2009 की रिपोर्ट के अनुसार
(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के गरीबी अनुमानों के आधार पर 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार ग.रे.नी. के परिवारों की अनुमानित संख्या	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी राशनकार्ड		
			ग.रे.नी.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	175.54	15.58	191.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.61	0.38	0.99

1	2	3	4	5	6
3.	असम	18.36	12.02	7.04	19.06
4.	बिहार	65.23	39.94	24.29	64.23
5.	छत्तीसगढ़	18.75	11.56	7.19	18.75
6.	दिल्ली	4.09	2.88	1.5	4.38
7.	गोवा	0.48	0.13	0.14	0.27
8.	गुजरात	21.20	25.75	8.1	33.85
9.	हरियाणा	7.89	9.05	2.92	11.97
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	3.17	1.97	5.14
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	4.80	2.56	7.36
12.	झारखंड	23.94	14.76	9.18	23.94
13.	कर्नाटक	31.29	76.77	12	88.77
14.	केरल	15.54	14.82	5.96	20.78
15.	मध्य प्रदेश	41.25	52.65	15.82	68.47
16.	महाराष्ट्र	65.34	45.13	24.64	69.77
17.	मणिपुर	1.66	1.02	0.64	1.66
18.	मेघालय	1.83	1.13	0.7	1.83
19.	मिजोरम	0.68	0.42	0.26	0.68
20.	नागालैंड	1.24	0.77	0.47	1.24
21.	उड़ीसा	32.98	37.63	12.65	50.28
22.	पंजाब	4.68	2.89	1.79	4.68
23.	राजस्थान	24.31	16.53	9.32	25.85
24.	सिक्किम	0.43	0.27	0.16	0.43
25.	तमिलनाडु*	48.63	181.91	18.65	200.56
26.	त्रिपुरा	2.95	1.82	1.13	2.95
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	65.84	40.95	106.79
28.	उत्तराखंड	4.98	3.46	1.51	4.97
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	37.98	14.8	52.78
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.13	0.04	0.17

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	0.23	0.09	0.02	0.11
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.12	0.05	0.17
33.	दमन और दीव	0.04	0.03	0.01	0.04
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.02	0.012	0.03
35.	पुडुचेरी	0.84	1.14	0.32	1.46
	कुल	652.03	842.78	242.75	1085.53

*तमिलनाडु सरकार द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों के बीच कोई अंतर नहीं है।

नए टी.वी. चैनल

3305. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 22 नए टी.वी. चैनलों को स्वीकृत दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) चैनलों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, 23 टीवी चैनलों को जून, 2009 के माह के दौरान अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत से अपलिंक करने/भारत में डाउनलिंक करने का अनुमोदन दे दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	चैनलों का नाम	श्रेणी	कंपनियों का नाम	अनुमोदन की तिथि	अनुमति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	कनक संवाद	समाचार	ईस्टर्न मीडिया लि.	19.6.2009	23.6.2009
2.	कलैगनार एशिया	समाचार	कलैगनार टीवी प्रा.लि.	26.6.2009	30.6.2009
3.	एबीएन-आंध्र ज्योति	समाचार	आमोदा ब्रॉडकास्टिंग कं.लि.	26.6.2009	30.6.2009
4.	अपना न्यूज	समाचार	प्रियम्दा मीडिया प्रा.लि.	26.6.2009	8.7.2009
5.	ई-लाइव	गैर-समाचार	प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	26.6.2009	9.7.2009
6.	नैट जियो म्यूजिक	गैर-समाचार	फॉक्स चैनल (इंडिया) प्रा.लि.	26.6.2009	2.7.2009
7.	नैट जियो वाइल्ड	गैर-समाचार	फॉक्स चैनल (इंडिया) प्रा.लि.	26.6.2009	2.7.2009
8.	नैशनल जियोग्राफिक एचडी	गैर-समाचार	फॉक्स चैनल (इंडिया) प्रा.लि.	26.6.2009	2.7.2009
9.	नेट जियो एडवेंचर	गैर-समाचार	फॉक्स चैनल (इंडिया) प्रा.लि.	26.6.2009	2.7.2009
10.	फ्रैश टीवी	गैर-समाचार	रामा एसोसिएट्स लि.	26.6.2009	6.7.2009

1	2	3	4	5	6
11.	कृष्णा टीवी	गैर-समाचार	कृष्णा स्वामी एसोसिएट्स मीडिया रेनेसैन्स	26.6.2009	23.7.2009
12.	रिदम	गैर-समाचार	विजयंती टेलीवेंचर्स प्रा.लि.	26.6.2009	23.7.2009
13.	वैदिक	गैर-समाचार	बैदिक ब्रॉडकास्टिंग लि.	26.6.2009	23.7.2009
14.	सीएनबीसी-टीवी 18 साउथ	समाचार	टीवी 18 इंडिया लि.	26.6.2009	दिनांक 23.07.2009 तक अपेक्षित शुल्क जमा नहीं हुआ है।
15.	सीएनबीसी-टीवी 18 गुजरात	समाचार	टीवी 18 इंडिया लि.	26.6.2009	-तथैव-
16.	सीएनबीसी-टीवी 18 चैनल-3	समाचार	टीवी 18 इंडिया लि.	26.6.2009	-तथैव-
17.	सिटी पल्स	गैर-समाचार	अनोली होल्डिंग्स प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
18.	आवाम	समाचार	इन्फॉरमेशन टीवी प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
19.	समाज	समाचार	इन्फॉरमेशन टीवी प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
20.	मुंबई न्यूज	समाचार	इन्फॉरमेशन टीवी प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
21.	दिल्ली न्यूज	समाचार	इन्फॉरमेशन टीवी प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
22.	पवित्र	समाचार	पवित्र एंटरटेनमेंट प्रा.लि.	26.6.2009	-तथैव-
23.	राज टीवी एशिया	समाचार	राज टेलीविजन नेटवर्क लि.	26.6.2009	कंपनी ने विभिन्न उपग्रहों का प्रस्ताव किया है तथा इसलिए नए सिरे से डीओएस की टिप्पणियां/ अनुमति मांगी जा रही है।

[हिन्दी]

उचित दर दुकानों में भ्रष्टाचार

3306. श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का संचालन खाद्यान्नों की चोरी, उचित दर दुकानों में भ्रष्टाचार और उचित दर दुकानों के लाइसेंस धारियों को बार-बार बदलते रहने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दर्ज किए गए मामलों तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही सहित इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में संगत कानूनों में संशोधन करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या विपथन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु कुछ राज्यों में आरंभ की गयी खाद्य कूपन तथा स्मार्ट कार्ड प्रणाली को अन्य राज्यों में भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जिसमें जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी होती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आबंटन करती है। राज्य/संघ क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के बारे में सरकार को जब कभी व्यक्तियों अथवा संगठनों और प्रैस रिपोर्टों के जरिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें जांच और उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में आदेश है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उचित दर दुकानों के उचित लाइसेंस सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय है।

गत तीन वर्षों (2006, 2007 और 2008) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाए गए विभिन्न कदाचारों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के तहत 15,553 व्यक्तियों की गिरफ्तारी/अभियोजित किए जाने की सूचना दी है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 442 मामलों में निवारक आदेश जारी किए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर सवतंत्र फीड बैक के लिए सरकार स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए इसका आकलन करवाती है। ऐसे पूर्व के आकलनों के आधार पर जुलाई, 2006 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक 9 सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कार्यकरण में और सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय करने के लिए नियमित रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है:-

(1) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना;

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(3) विभिन्न स्तरों पर निगरानी तथा सतर्कता में सुधार करना; और

(4) विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने, आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों/व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कुशल सेवाएं देने और इस प्रयोजनार्थ स्मार्ट कार्ड के उपयोग की पुनरावृत्ति का आकलन करने के लिए सरकार ने दिसम्बर, 2008 में चण्डीगढ़ और हरियाणा में स्मार्ट कार्ड आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पायलट स्कीम के क्रियान्वयन की मंजूरी दी है। इसके अधीन गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों को मौजूदा राशनकार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्यों की बायोमिट्रिक विशेषताएं होंगी, जिनके आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सही होने का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद ही उचित दर दुकानों से उन्हें आवश्यक वस्तुएं जारी की जाएंगी।

यह एक पायलट परियोजना है और इसके क्रियान्वयन की सफलता के आधार पर अन्य राज्यों में इसे लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

खनन क्षेत्र में सुधार

3307. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 ने अगले चरण की खनिज रियायत का सुनिश्चित अधिकार, खनिज रियायतों की अतरणीयता और रियायतों के आबंटन में पारदर्शिता जैसे नीतिगत उपायों की घोषणा की है ताकि ऐसे विलम्बों को कम किया जा सके जिन्हें भारत में खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह में बाधाओं के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

'कम्युनिटी पुलिसिंग' को बढ़ावा

3308. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुलिस और जनसंख्या का अनुपात काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 'कम्युनिटी पुलिसिंग' को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) 'कम्युनिटी पुलिसिंग' को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार भारत में प्रति लाख आबादी पर वास्तविक पुलिस 117.09 है। राज्यवार पुलिस-आबादी अनुपात को दर्शाने वाला विवरण 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार संलग्न है।

(ग) से (ङ) गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिनियम 1861 को प्रतिस्थापित करके एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसने अक्तूबर, 2006 में प्रतिदर्ष पुलिस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, मैट्रोपोलिटन शहरों में पुलिस व्यवस्था में समुदाय भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव गार्डों, गांव रक्षा दल और समुदाय कल्याण ग्रुपों का प्रावधान है। मसौदा प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम विचारार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया है।

(च) हालांकि राज्यों को प्रोत्साहन दिए जाने की कोई विशेष स्कीम नहीं है फिर भी समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श एवं चर्चा के दौरान 'कम्युनिटी पुलिसिंग' को संलिप्त करने की जरूरत एवं महत्ता पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में प्रयास जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

1.1.2007 की स्थिति के अनुसार पुलिस-जनसंख्या अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति लाख आबादी पर कुल पुलिस	
		अनुमोदित	वास्तविक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	113.79	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	510.43	444.36
3.	असम	191.12	158.97
4.	बिहार	80.90	56.78
5.	छत्तीसगढ़	160.19	110.06
6.	गोवा	290.65	267.48
7.	गुजरात	131.55	96.69
8.	हरियाणा	224.07	217.25
9.	हिमाचल प्रदेश	227.82	186.21
10.	जम्मू और कश्मीर	567.45	एनआर

1	2	3	4
11.	झारखंड	173.63	138.22
12.	कर्नाटक	136.26	101.77
13.	केरल	127.69	115.58
14.	मध्य प्रदेश	113.09	एनआर
15.	महाराष्ट्र	173.65	एनआर
16.	मणिपुर	650.04	517.02
17.	मेघालय	375.23	343.24
18.	मिजोरम	818.50	751.87
19.	नागालैंड	1461.47	1456.72
20.	उड़ीसा	114.89	98.60
21.	पंजाब	274.72	243.30
22.	राजस्थान	113.61	80.93
23.	सिक्किम	609.26	489.54
24.	तमिलनाडु*	150.44	एनआर
25.	त्रिपुरा	739.89	561.85
26.	उत्तर प्रदेश	89.36	80.76
27.	उत्तराखंड	224.74	156.93
28.	पश्चिम बंगाल	95.60	76.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	727.07	689.22
30.	चंडीगढ़	450.63	427.95
31.	दादरा और नगर हवेली	82.54	73.41
32.	दमन और दीव	135.16	एनआर
33.	दिल्ली	381.68	405.25
34.	लक्षद्वीप	520.90	450.75
35.	पुदुचेरी*	308.85	एनआर
	अखिल भारत	145.25	117.09

*1.1.2006 की स्थिति के अनुसार

एनआर: आंकड़े प्राप्त नहीं।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को जब्त किया जाना

3309. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि दिल्ली यातायात पुलिस दिल्ली मोटर यान नियम, 1989 में यथा उपबंधित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना वाहन जब्त कर लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) ऐसी सूचना है "कि फार्म भरे बिना पुलिस द्वारा वाहनों को जब्त करना" नामक शीर्षक से एक खबर 10.7.2009 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी। इससे पहले, पुलिस दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 (2004-05 में संसोधित) के अंतर्गत यथापेक्षित यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन के मालिक या उस व्यक्ति को, जिससे वाहन जब्त किया गया है या वाहन को अपने पास रखा गया है, अपराध जब्ती स्लिप (ओएसएस) प्रपत्र जारी करने की अपेक्षा का अनुसरण नहीं करती थी। तथापि, दिल्ली यातायात पुलिस ने 23 फरवरी, 2009 को सभी यातायात पुलिस अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करके एक सुधारात्मक कार्रवाई की है कि वे दिल्ली मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए वाहन के मालिक अथवा मोटर वाहन के प्रभारी को ओएसएस प्रपत्र अवश्य जारी करें। इस संबंध में चूंकि किसी भी पुलिस अधिकारी ने कदाशयतापूर्ण इरादे से कोई कार्रवाई नहीं की अत: किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का कार्य निष्पादन

3310. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है और सड़कों के निर्माण की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सड़कों के निर्माण से संबंधित कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा गुणवत्तापरक सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानान्तरण, वन/पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने में देरी, कुछ ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन, कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं आदि के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है। परियोजनाओं को सौंपने की प्रक्रिया में कमी, डेवलपरों द्वारा आर्थिक मंदी के कारण आवश्यक धनराशि जुटाने में असमर्थता के कारण आई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विलंब के कारण होने वाले मूल्य-वृद्धियों का भुगतान, ठेका प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यदि परियोजना को पूरा करने में विलंब ठेकेदार के कारण होता है तो परिसमापन क्षति ठेकेदार पर लगाई जाती है और किसी मूल्य-वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। केवल उन्हीं मामलों में मूल्य वृद्धियों का भुगतान किया जाता है जहां विलंब ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है। समग्र मूल्य-वृद्धि और समय आधिक्य के बारे में अनुमान, परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(च) कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए चालू परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा पर्यवेक्षण/स्वतंत्र परामर्शदाताओं की सहायता से की जाती है। प्रगति की समीक्षा के लिए कार्य स्थल पर तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मुख्यालय) दोनों में आवधिक बैठकें की गई हैं और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। व्यवहार्यता में सुधार करने की दृष्टि से परियोजनाओं की पुनर्संरचना की जा रही है।

आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का प्रभाव

3311. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर/आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) संकरों/आनुवंशिक रूप से सुधरे हुए बीजों का भूमि की उर्वरता एवं सजीव वस्तुओं के स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) समस्त फसलों/बीजों के व्यवसायीकरण की अनुमति से पहले जैव सुरक्षा के लिए गहन जांच की जाती है। जैव-सुरक्षा मूल्यांकन में पर्यावरण सुरक्षा मूल्यांकन के साथ-साथ खाद्य एवं आहार सुरक्षा शामिल है।

पर्यावरणीय सुरक्षा मूल्यांकन में पोलन एस्केप आउट-क्रासिंग, आक्रामकता एवं वीडिनैस क्षमता, गैर-लक्षित आर्गेनिज्म पर जीन का प्रभाव, मृदा में प्रोटीन की उपलब्धता तथा मृदा सूक्ष्म वनस्पति पर उसका प्रभाव, टर्मीनेटर जीन की अनुपस्थिति की पुष्टि करना शामिल है। खाद्य एवं आहार सुरक्षा मूल्यांकन अध्ययन में संयोजन विश्लेषण, एलर्जीनीसिटी तथा विषाक्ता अध्ययन और मछली, चिकन, गाय तथा भैंस पर आहार संबंधी अध्ययन शामिल है।

अभी तक सिर्फ बीटी कपास को पर्यावरण के लिए जारी करने का अनुमोदन किया गया तथा पिछले 7 वर्ष से इसकी खेती की जा रही है। बीटी कपास बीजों का भूमि के उपजाऊपन एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के उपभोग से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की खेती 25 देशों में की जा रही है और कई वर्षों से इनका उपयोग अनेक देशों (विकसित देशों जैसे जापान, ईयू, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं) में किया जा रहा है और ऐसा कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध होता है कि बीटी प्रोटीन मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए विषाक्त है।

भूमि के उपजाऊपन तथा मृदा माईक्रो-आर्गेनिज्म पर जीएम कपास के प्रभाव आकलन के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर में अध्ययन किया गया इससे पता लगा कि बीटी कपास उगाने से भूमि के उपाजऊपन पर वहां कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा जहां संतुलित ऊर्वरीकरण तथा समेकित पोषम प्रबंधन क्रियाओं का अनुसरण किया गया है।

सफल जैसे स्टालों का विस्तार

3312. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सफल जैसे फल और सब्जी स्टॉल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सफल बिक्री केन्द्र, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कम्पनी है, मदर डेयरी फल एवं सब्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा, जयपुर में प्रायोगिक तौर पर कुछ बिक्री केन्द्र खोले गए हैं। सरकार का ऐसे किसी वाणिज्यिक उद्यम में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है।

भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अंतर्गत वस्तुएं

3313. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत नई वस्तुओं को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सूची में शामिल नयी वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या नकली आईएसआई मार्क की अनेक वस्तुएं बाजार में खुले आम बिक रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में दण्डात्मक कार्यवाही सहित क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) छः इस्पात उत्पाद मदों और दो डेक्टाइल आयरन पाइप एंड फिटिंग्स को क्रमशः 9 सितम्बर, 2008 और 1 जुलाई, 2009 से अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया था जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	लागू भारतीय मानक	उत्पाद का नाम
1.	1785 (भाग-1)	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रेन स्ट्रील वायर; कोल्ड-ड्रान स्ट्रेस रिलीव्ड वायर
2.	1785 (भाग-2)	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रेन स्ट्रील वायर; ड्रान वायर के रूप में
3.	6003	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इन्डेटेड वायर
4.	6006	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन अनकोटेड स्ट्रेस रिलीव्ड स्ट्राण्ड
5.	13620	फ्यूजन बाण्डेड इपोक्सी कोटेड रिइनफोर्सिंग बार्स
6.	4268	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटेड स्ट्रेस रिलीव्ड लो रिलेशन सेवन प्लाई स्ट्राण्ड
7.	8329	पानी, गैस और जलमल के लिए केंद्रापसारीय रूप से कास्ट (स्पन) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स
8.	9523	पानी, गैस और जलमल के लिए प्रेशर पाइप्स हेतु डक्टाइल आयरन फिटिंग्स

(ग) और (घ) जी, हां। पैकबंद पेयजल, आयोडीनयुक्त नमक, पशुचारा, जीएलएस लैम्प्स, डीजल इंजन, प्लाइवुड उत्पाद, पीवीसी केबल्स, स्विचेज, शाकेट्स, विद्युत उपकरण, सबमर्सिबल पम्प, सीमेंट आदि जैसी अवैध रूप से आईएसआई मुहरांकित विभिन्न मदों को बाजार में बेचा जाता हुआ पाया गया।

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो के पास आईएसआई मुहरांकित उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक चालू प्रवर्तन तंत्र हैं जिसके अंतर्गत लाइसेंसधारक के परिसर में छापे मारे जाते हैं और प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए फैक्टरी तथा बाजार से नमूने लिए जाते हैं, ताकि उत्पादों की निर्धारित भारतीय मानकों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, विनिर्माताओं के नाम और नकली उत्पादों के ब्राण्ड नाम प्रकाशित किए जाते हैं।

लोक सेवा संबंधी विज्ञापन

3314. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सेवा संबंधी विज्ञापनों को देने के लिए कोई मानक प्रक्रिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विज्ञापनों को देने के लिए नयी नीति अपनाने तथा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी, हां। लोक सेवा विज्ञापन देने के बारे में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) संबंधी नीतियों में निर्धारित मानक प्रक्रिया विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) आवश्यकतानुसार समय-समय पर नीतियों में संशोधन किए जाते हैं।

कृषि उत्पादन हेतु लक्ष्य

3315. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फसल-वार तथा राज्य-वार कृषि उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) फसलों यथा चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालों, तिलहनों, गन्ना, कपास तथा जूट/मेस्ता के मामले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के लिए प्रमुख राज्यों के मामले में फसल उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धि का विवरण-I, II तथा III में संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए फसल विकास की बहुत सी स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय) यथा आरकेवीवाई, एनएफएसएम, आइसोपाम, एसयूबीएसीएस, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, जूट प्रौद्योगिकी मिशन तथा वृहद प्रबंध स्कीमें और सूक्ष्म सिंचाई संबंधी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन तथा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर वित्त पोषण के जरिए नियोजन एवं वित्तपोषण की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है ताकि विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

विवरण I

2006-07 के दौरान प्रमुख राज्यों के मामले में विभिन्न फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		तिलहन		गन्ना		कपास*		जूट/मेस्ता**	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	108.25	118.72	0.05	0.09	30.11	30.01	7.7	13.47	30.33	13.62	165	216.92	20	21.81	6.95	5.44
असम	39.00	29.16	0.69	0.67	0.23	0.18	0	0.59	0	1.34	10	10.55	0	0	7.31	5.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	52.40	49.89	38.64	39.11	19.02	17.60	6.8	4.38	1.86	1.47	75	59.56	0	0	13.9	13.90
छत्तीसगढ़	55.00	50.41	0.82	0.92	1.26	1.78	4.65	4.94	1.72	1.61	0	0.19	0	0	0	0.03
गुजरात	12.00	13.90	19.89	30.00	23.45	15.16	6.20	5.93	40.92	25.69	100.00	156.30	71.00	87.87	0.00	0.00
हरियाणा	28.00	33.71	98.96	100.55	11.21	11.97	5.20	1.40	8.65	8.35	65.00	95.80	16.00	18.14	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1.25	1.24	7.51	5.02	8.95	7.28	7.50	0.29	0.00	0.07	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	5.00	5.54	4.76	4.92	6.53	5.12	0.00	0.14	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	22.85	29.68	1.50	1.29	1.60	3.32	0.00	2.58	0.00	0.50	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.06
कर्नाटक	35.00	34.46	1.88	2.05	61.08	50.55	7.50	8.93	20.20	11.25	225.00	286.70	8.00	6.10	0.00	0.01
केरल	7.10	6.31	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	18.15	13.68	82.25	73.26	27.12	18.50	32.00	32.03	67.70	58.14	20.00	28.06	6.00	8.29	0.00	0.02
महाराष्ट्र	25.70	25.69	18.53	16.31	60.66	61.41	21.50	23.04	31.72	37.21	305.00	785.68	30.60	46.18	0.00	0.33
उड़ीसा	72.10	68.25	0.06	0.06	2.54	1.62	6.70	3.52	1.87	1.75	16.00	12.74	1.50	1.08	2.62	1.32
पंजाब	100.00	101.38	159.75	145.96	6.02	5.52	1.10	0.27	1.40	0.78	55.00	60.20	20.00	26.78	0.00	0.00
राजस्थान	1.50	1.70	62.55	70.56	48.71	55.02	20.30	14.81	41.76	51.67	0.00	6.30	8.00	7.47	0.00	0.00
तमिलनाडु	58.00	66.11	0.01	0.00	8.65	13.62	3.70	2.91	18.84	10.84	230.00	411.24	3.00	2.21	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	110.00	111.24	239.85	250.31	39.46	30.84	26.45	19.75	15.71	10.33	1330.00	1339.49	0.05	0.07	0.04	0.00
उत्तराखंड	6.00	5.56	8.04	8.01	3.55	3.44	0.00	0.34	0.00	0.21	60.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	150.70	147.46	8.43	8.00	1.32	2.75	1.70	1.54	6.59	6.45	10.00	12.67	0.03	0.15	80.20	85.06
अखिल भारत	928.00	933.55	755.30	758.07	365.20	339.23	151.50	141.98	293.99	242.89	2700.00	3555.20	185.00	226.32	112.80	112.73

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें

**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठें

विवरण II

2007-08 के दौरान प्रमुख राज्यों के मामले में विभिन्न फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		तिलहन		गन्ना		कपास*		जूट/मेस्ता**	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	113.00	133.24	0.05	0.08	34.80	42.74	13.20	16.97	30.66	33.90	190.00	202.96	20.00	34.91	5.50	5.01
असम	39.40	33.19	0.69	0.71	0.23	0.17		0.63		1.39	15.00	9.80	0.00	0.00	0.30	6.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	47.00	44.18	38.64	44.50	18.49	14.99	6.00	4.97	1.93	1.38	100.00	38.55	0.00	0.00	14.00	14.65
छत्तीसगढ़	51.00	54.27	0.52	0.99	1.37	2.30	5.80	5.37	1.87	1.93	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.03
गुजरात	12.50	14.74	19.89	38.38	18.51	21.51	5.40	7.43	41.99	47.25	120.00	151.90	85.00	82.76	0.00	0.00
हरियाणा	31.00	36.13	98.96	102.36	12.74	13.57	2.20	1.02	8.92	6.43	80.00	38.60	20.00	18.85	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1.20	1.22	7.51	5.04	8.91	8.96	0.00	0.36	0.00	0.07	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	5.50	5.61	4.76	4.96	6.66	5.00	0.00	0.15	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	18.50	33.36	1.50	1.40	3.08	3.86	0.00	3.02	0.00	0.69	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.06
कर्नाटक	40.85	37.17	1.89	2.61	56.04	69.43	10.50	12.65	20.26	15.49	250.00	262.40	8.00	7.78	0.00	0.01
केरल	7.30	5.29	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00	2.18	0.00	0.02	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	17.00	14.62	82.25	60.33	25.35	21.23	36.85	24.54	68.61	63.52	25.00	31.80	6.00	8.65	0.00	0.02
महाराष्ट्र	27.20	29.96	18.53	20.79	63.05	70.93	21.25	30.24	32.74	48.74	390.00	884.37	40.00	70.15	0.00	0.33
उड़ीसा	70.20	75.41	0.06	0.09	2.03	2.10	3.80	3.84	2.01	1.97	20.00	10.96	1.50	1.25	2.40	1.51
पंजाब	100.00	104.89	159.75	157.20	5.96	5.83	0.70	0.23	1.55	0.77	70.00	66.90	27.00	23.55	0.00	0.00
राजस्थान	1.40	2.60	62.55	71.25	62.27	71.21	14.30	15.53	42.81	41.98	0.00	5.94	8.50	8.62	0.00	0.00
तमिलनाडु	57.50	50.40	0.01	0.00	8.25	13.57	4.20	1.85	19.07	11.47	250.00	380.71	3.00	2.01	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	110.10	117.80	239.85	256.79	39.02	30.59	24.20	15.77	16.07	11.47	1440.00	1246.65	0.05	0.07	0.35	0.00
उत्तराखंड	6.40	5.93	8.04	8.14	3.56	3.39	0.00	0.50	0.00	0.29	90.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	153.52	147.20	8.43	9.17	1.33	2.66	2.10	1.48	6.66	7.05	10.00	12.72	0.04	0.13	83.80	82.94
अखिल भारत	930.00	966.93	755.00	785.70	375.00	407.50	155.00	147.62	300.00	297.55	3100.00	3481.88	220.00	258.84	115.00	112.11

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें

**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठें

विवरण III

2008-09 के दौरान प्रमुख राज्यों के मामले में विभिन्न फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल		गेहूं		मोटे अनाज		दालें		तिलहन		गन्ना		कपास*		जूट/मेस्ता**	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	126.50	142.07	0.05	0.10	38.54	44.73	14.20	14.54	31.50	22.24	220.00	153.22	32.00	35.72	5.25	2.94
असम	33.40	37.75	0.65	0.75	0.19	0.18	0.66	0.82	0.00	1.63	5.00	8.97	0.00	0.01	7.27	6.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	42.50	56.69	40.00	43.96	17.75	16.24	6.00	4.76	1.90	1.37	120.00	47.83	0.00	0.00	11.54	12.40
छत्तीसगढ़	53.00	43.92	0.52	0.93	2.08	1.84	5.80	5.06	2.23	1.69	5.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
गुजरात	15.20	12.90	38.00	28.97	15.70	18.52	6.05	6.68	47.32	40.12	185.00	152.80	90.00	76.16	0.00	0.00
हरियाणा	40.00	32.98	103.00	105.93	14.65	12.78	1.70	1.93	8.03	10.52	100.00	56.63	20.00	18.58	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1.20	1.19	6.10	6.05	7.80	7.20	0.20	0.37	0.00	0.08	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	5.50	5.63	4.80	4.80	5.26	5.56	0.30	0.14	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	31.00	33.05	1.30	1.41	4.23	3.48	1.65	2.84	0.00	0.71	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.06
कर्नाटक	36.00	36.90	2.40	2.41	62.30	61.82	10.70	9.66	20.55	12.23	270.00	231.57	5.00	9.12	0.00	0.01
केरल	6.15	5.89	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.04	0.00	0.02	0.00	2.56	0.00	0.02	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	13.50	15.60	67.00	65.22	21.37	21.37	34.20	36.77	69.97	69.77	35.00	2.98	9.25	8.56	0.00	0.01
महाराष्ट्र	29.50	23.11	21.00	14.71	72.78	59.67	22.00	17.10	36.60	34.42	610.00	508.13	62.00	49.43	0.00	0.33
उड़ीसा	69.00	67.62	0.10	0.08	2.27	1.92	3.45	3.81	2.21	1.78	10.00	6.46	1.50	1.47	2.25	0.98
पंजाब	105.00	110.00	157.00	157.53	6.05	5.82	0.70	0.34	1.51	0.76	70.00	46.70	27.00	22.85	0.00	0.00
राजस्थान	1.80	2.41	71.00	69.99	84.60	72.23	15.10	17.14	47.26	54.15	0.00	4.14	9.00	7.26	0.00	0.00
तमिलनाडु	63.00	52.01	0.00	0.00	21.80	20.88	4.70	2.04	19.18	12.03	410.00	322.20	3.00	2.05	0.00	0.06
उत्तर प्रदेश	125.00	130.74	255.00	285.54	31.10	30.41	24.00	19.38	16.99	8.82	1260.00	1090.48	0.00	0.01	0.00	0.00
उत्तराखंड	6.25	5.80	8.00	8.56	3.80	3.46	0.32	0.39	0.00	0.26	75.00	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	156.00	155.54	8.30	7.98	3.45	3.20	2.10	1.75	7.16	7.34	10.00	14.05	0.00	0.24	80.98	79.66
अखिल भारत	970.00	991.54	785.00	805.83	420.00	394.79	155.00	146.63	317.50	281.57	3400.00	2712.54	260.00	231.56	110.00	104.07

*प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें

**प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठें

जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

3316. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ) आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) एनपीओएफ के लिए वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्यों तथा किसानों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ; और

(ङ) उक्त परियोजना से देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग को किस सीमा तक कम किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना (एनपीओएफ) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अक्तूबर, 2004 में आरम्भ की गई थी:-

(1) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(2) जैव उर्वरकों के उत्पादन, कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों आदि में लगी उत्पादन इकाइयों को वित्तीय समर्थन।

(3) प्रमाणीकरण और निरीक्षण, उत्पादन प्रौद्योगिकी आदि पर प्रशिक्षणों के माध्यम से मानव संसाधन विकास।

(4) जैव खेती संबंधी फील्ड प्रदर्शन।

(5) जैव उत्पादक हेतु विपणन विकास।

(ग) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान एनपीओएफ के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की घटकवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) मार्च, 2009 तक एनपीओएफ के अंतर्गत जैव प्रबंधन के अंतर्गत 177308 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है।

विवरण I

2008 के दौरान राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां लाख रु. में		
		राज्य सरकारों को	कार्यान्वयन एजेंसियों को	निर्मुक्त कुल धनराशि
1	2	3	4	5
क.	उत्तर पूर्वी राज्य			
3.	मणिपुर	0	9.325	9.325
2.	मेघालय	11.02	0	11.02
5.	मिजोरम	25.76	0	25.76
6.	त्रिपुरा	100.08	0	100.08
ख.	अन्य राज्य	0	0	0
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	14.1435	24.1435
2.	बिहार	0	1.65	1.65
4.	दिल्ली	0	17.9725	17.9725
5.	हरियाणा	0	1.63365	1.63365
6.	हिमाचल प्रदेश	38.05	9.425	47.475
7.	झारखंड	0	0.8625	0.8625
8.	कर्नाटक	0	22.835	22.835
9.	केरल	0	13.18543	13.18543
10.	मध्य प्रदेश	0	55.06315	55.06315

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	51.57	134.92011	186.49011
12.	उड़ीसा	0	6.5625	6.5625
13.	पुदुचेरी	7.92	0	7.92
14.	राजस्थान	0	38.74	38.74
15.	तमिलनाडु	133.65	21.10	154.75
16.	उत्तर प्रदेश	0	13.72967	13.72967
17.	उत्तराखंड	0	1.40	1.40
18.	पश्चिम बंगाल	0	5.28003	5.28003
ग.	केन्द्रीय एजेंसी	0	0	0
i.	मैनेज, हैदराबाद	0	7.50	7.5
ii.	नाबार्ड, मुम्बई	0	118.33	118.33
iii.	एनपीसी, दिल्ली	0	9.00	9.00
	कुल	378.05	502.55804	880.70804

नोट 1 : एनपीओएफ के अंतर्गत किसानों को राज्य सरकारों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है न कि सीधे।

नोट 2 : वर्ष 2009-10 के दौरान निधि जारी की जानी है।

विवरण II

राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत लाभभोगियों के संबंध में ब्यौरा

क्र.सं.	घटक	लाभभोगियों की संख्या
1.	सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण जैव परिवर्तन और जैव प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत लाए गए किसानों की संख्या (आरम्भ से)	2,79,699
2.	जैव खेती संबंधी किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित किसानों की संख्या (2008-09)	12,160
3.	प्रदर्शनों और फील्ड दिवसों के माध्यम से लाभान्वित किसानों की संख्या (2008-09)	44,350

दिल्ली में चोरी के मामले

3317. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कतिपय रिहायशी क्षेत्रों में गत एक माह के दौरान चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीड़ित व्यक्तियों की ओर से चोरी की शिकायतों को चोरी के बजाय गुम वस्तुओं के मामलों के रूप में दर्ज किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में चोरी के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रिहायशी इलाकों में मई और जून, 2009 के दौरान घरों में हुई चोरी, मोटर वाहनों की चोरी और सेंधमारी के रिपोर्ट किए गए मामलों विवरण निम्नलिखित है:

	मई, 2009	जून, 2009
घरों में हुई चोरी	136	173
मोटर वाहन चोरी	964	1070
सेंधमारी	173	164
कुल	1273	1407

(ग) और (घ) जून, 2009 माह के दौरान दिल्ली पुलिस की जानकारी में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में शामिल है ग्रास रूट स्तर पर आसूचना संग्रहण में सुधार करने के लिए 'आइज एण्ड ईयर्स' स्कीम शुरू करना, अपराध प्रवृत्तियों के नियमित विश्लेषण के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, नियमित डिवीजन एवं बीट पैट्रोलिंग करना, मोटर साइकिल एवं पीसीआर द्वारा पैट्रोलिंग करना, प्रत्येक जिले के अंतर्गत हर पुलिस थाने को निदेश देना कि वे समुचित चौकसी के लिए चोटी के 10 अपराधियों की पहचान करें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर नियमित नजर रखना, किसी अपराधी के हमले को रोकने के लिए रात्रि के दौरान विशेष पैट्रोलिंग करना, दिल्ली में कार्यरत नौकरों एवं किराएदारों का अनिवार्य सत्यापन, अपराधियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सचल पिकेट तैनात करना, अपराधी आसूचना संग्रहण पर जोर देना, बीट प्रणाली को सुदृढ़ करना आदि।

बीज विकास कार्यक्रम

3318. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी कृषि फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित, स्वीकृत और उपयोग में लायी गयी निधियों का गुजरात सहित देश में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ग) हानि उठाने वाले कृषि फार्मों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) अधिक उपज देने वाली किस्मों; उच्चतर मात्रा के उत्पादन; वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों के प्रदर्शन; अवसंरचनात्मक विकास; फसलन कार्यक्रमों; शुष्क क्षेत्रों में बायो-ईंधन/वन रोपण; सिंचाई सुविधाओं के सुधार; फार्मों के यंत्रीकरण; वर्मी कम्पोस्ट और फार्म यार्ड खाद के उपयोग तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों सहित कई उपाय किए गए हैं।

विवरण

राजकीय कृषि फार्म में बीज विकास कार्यक्रम के लिए निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सरकार कृषि फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोगित निधियां	वर्ष 2009-10 के दौरान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित की जाने वाली वित्तीय सहायता	ऐसे कृषि फार्मों की संख्या, जिनको हानि हो रही है
1	2	3	4	5
1.	केरल	शून्य	शून्य	55
2.	तमिलनाडु	2006-07 - शून्य 2007-08 - शून्य 2008-09 - 420 लाख	शून्य	43 जिनमें से 12 फार्मों को वर्ष 2007-08 के दौरान हानि हुई

1	2	3	4	5
3.	पंजाब	2006-07 - 94.50 लाख रुपये 2007-08 - शून्य 2008-09 - 500 लाख	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	2006-07 - 10 लाख रुपये 2007-08 - 10 लाख रुपये 2008-09 - 9.16 लाख	शून्य	07 परीक्षण सह प्रदर्शन फार्म जिन्हें हानि हो रही है
5.	पुडुचेरी	2006-07 - 36.00 लाख रुपये 2007-08 - शून्य 2008-09 - 17.00 लाख रुपये	253.00 लाख रुपये	03
6.	मध्य प्रदेश	2006-07 - शून्य 2007-08 - 707.17 लाख रुपये 2008-09 - 290.00 लाख	250.00 लाख रुपये	18 फार्म
7.	अंडमान और निकोबार	2006-07 - 1.00 लाख रुपये 2007-08 - 1.00 लाख रुपये 2008-09 - 6.00 लाख रुपये	177.77 लाख	02
8.	मणिपुर	शून्य	शून्य	04
9.	उत्तराखंड	शून्य	100 लाख रुपये	07
10.	कर्नाटक	2006-07 - 305.74 लाख (आवंटित) 218.21 लाख (उपयोग) 2007-08 - 381.58 लाख (आवंटित) 246.81 लाख (उपयोग) 2008-09 - 479.69 लाख (आवंटित) 273.13 लाख (उपयोग)	294.06 लाख रुपये	34
11.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
12.	भारतीय राज्य फार्म निगम	2006-07 - 24.72 लाख रुपये 2007-08 - 139.50 लाख रुपये 2008-09 - 100.00 लाख रुपये	शून्य	02
13.	हिमाचल प्रदेश	2006-07 - 51.470 लाख रुपये 2007-08 - 115.957 लाख रुपये 2008-09 - 59.02 लाख रुपये	शून्य	29
14.	उत्तर प्रदेश	2006-07 आवंटित - 2658.39 लाख रुपये स्वीकृत - 2658.39 लाख रुपये उपयोग - 2527.59 लाख रुपये	2060.67 लाख रुपये	35

1	2	3	4	5
		2007-08 आवंटित - 2204.33 लाख रुपये स्वीकृत - 2167.49 लाख रुपये उपयोग - 2110.52 लाख रुपये 2008-09 आवंटित - 3135.58 लाख रुपये स्वीकृत - 3133.44 लाख रुपये उपयोग - 3055.25 लाख रुपये		
15.	उड़ीसा	2006-07 - 220.68 लाख रुपये स्वीकृत - 214.51 लाख रुपये 2007-08 - 289.67 ख्रड्ड्रख्रद्ध स्वीकृत - 287.99 लाख रुपये 2008-09 - 252.40 लाख रुपये स्वीकृत - 248.13 लाख रुपये	241.30 लाख रुपये	41
16.	बिहार	2006-07 आवंटित - 336.00 लाख रुपये स्वीकृत - 336.00 लाख रुपये उपयोग - 100.00 लाख रुपये 2007-08 आवंटित - 1322.00 लाख रुपये स्वीकृत - 1322.00 लाख रुपये उपयोग - 1181.00 लाख रुपये 2008-09 आवंटित - 1808.00 लाख रुपये स्वीकृत - 1808.00 लाख रुपये उपयोग - 745.00 लाख रुपये	884.00 लाख रुपये	अधिकांश फार्म मुख्य मंत्री टिबरा बीज विस्तार कार्यक्रम एवं बीज ग्राम कार्यक्रम के लिए आधारी बीज का उत्पादन कर रहे हैं। राज्य में बीज उत्पादन आरंभिक चरण में है। अभी तक लाभ तथा हानि का कोई लेखा नहीं तैयार किया गया है।
17.	झारखंड	2006-07 - शून्य 2007-08 - 41.925 लाख रुपये 2008-09 - शून्य	1590.25 लाख रुपये	36
18.	असम	2006-07 - शून्य 2007-08 - शून्य 2008-09 - शून्य	शून्य	शून्य
19.	सिक्किम	2006-07 आवंटित - 4.01 लाख रुपये स्वीकृत - 4.01 लाख रुपये 2007-08 आवंटित - 3.00 लाख रुपये स्वीकृत - 3.00 लाख रुपये 2008-09 आवंटित - 3.00 लाख रुपये स्वीकृत - 3.00 लाख रुपये	3.00 लाख रुपये	शून्य

1	2	3	4	5
20.	मिजोरम	2006-07 - 15.00 लाख रुपये 2007-08 - 11.00 लाख रुपये 2008-09 - 10.00 लाख रुपये	21.90 लाख रुपये	शून्य
21.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
23.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य
25.	छत्तीसगढ़	2007-08 आवंटित - 240.50 लाख रुपये स्वीकृत - 240.03 लाख रुपये उपयोग - 240.03 लाख रुपये 2008-09 आवंटित - 270.35 लाख रुपये स्वीकृत - 266.16 लाख रुपये उपयोग - 120.60 लाख रुपये	शून्य	03
26.	पश्चिम बंगाल	शून्य	30.00 लाख रुपये	50
27.	जम्मू और कश्मीर	2006-07 आवंटित - 263.65 लाख रुपये व्यय - 263.65 लाख रुपये 2007-08 आवंटित - 213.036 लाख रुपये व्यय - 213.036 लाख रुपये 2008-09 आवंटित - 220.879 लाख रुपये व्यय - 220.879 लाख रुपये	70.00 लाख रुपये	अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण चाकरोई स्थित तथा कुछ अन्य बीज बहुलीकरण फार्म घाटे में चल रहे हैं।
28.	अरुणाचल प्रदेश	2006-07 - 47.00 लाख रुपये 2007-08 - 11.60 लाख रुपये 2008-09 - 48.60 लाख रुपये	शून्य	शून्य
29.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
30.	महाराष्ट्र	2006-07 - 200.00 लाख रुपये (स्वीकृत) 98.78 लाख रुपये (उपयोग) 2007-08 - 300.00 लाख रुपये (स्वीकृत) 295.14 लाख रुपये (उपयोग) 2008-09 - 200.00 लाख रुपये (स्वीकृत) 197.23 लाख रुपये (उपयोग)	200.00 लाख रुपये	27

[हिन्दी]

विशेष कृषि क्षेत्र

3319. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तर्ज पर विशेष कृषि क्षेत्रों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना के लिए निधियां आबंटित की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

मैंग्नीज भण्डार

3320. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारी मात्रा में मैंग्नीज अयस्क भण्डार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अयस्क से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है; और

(घ) मैंग्नीज अयस्क के खनन अधिकार प्रदान करने का मानदण्ड क्या है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) मैंगनीज अयस्क के भण्डारों/संसाधनों की राज्य-वार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका में दी जाती है जिसकी प्रति नियमित आधार पर संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

(ग) राज्य सरकारें खनिजों के स्वामी के रूप में रायल्टी का संग्रहण करती हैं। इस वजह से, मैंगनीज अयस्क से अर्जित कुल राजस्व की सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) राज्य सरकार खनिजों के स्वामी के रूप में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमावली, 1960 में दिए गए मानदण्डों के अनुसार खनिज मैंगनीज अयस्क के लिए खनन पट्टे प्रदान करती है। चूंकि मैंगनीज खनिज एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल है और इसलिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

दूरदर्शन स्टूडियो का डिजिटलीकरण

3321. श्री तथागत सत्पथी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्य कर रहे डिजिटल स्टूडियो सहित दूरदर्शन (डीडी) स्टूडियो की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान और अधिक स्टूडियो का डिजिटलीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन प्लेटफार्म पर निजी चैनल लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) इस समय, देश में 66 दूरदर्शन स्टुडियो केंद्र हैं। इनमें से, 21 स्टूडियो केंद्र पूर्णतया डिजिटल हैं और 31 स्टूडियो केंद्र आंशिक रूप से डिजिटल हैं। उपर्युक्त स्टूडियो केंद्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चालू वर्ष के दौरान किसी दूरदर्शन स्टूडियो केंद्र को डिजिटलीकृत नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस समय, दूरदर्शन की स्थलीय वितरण प्रणाली पर निजी टीवी चैनलों को प्रसारित करने की कोई स्कीम नहीं है।

विवरण

दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो केंद्र)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विद्यमान स्टूडियो सेंटरों की कुल संख्या	पूर्णत: डिजीटल स्टूडियो सेंटरों की संख्या (कालम 2 में से)	अंशत: डिजीटल स्टूडियों सेंटरों की संख्या (कालम 2 में से)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3	1	1
अरुणाचल प्रदेश	1		1
असम	4	1	3
बिहार	2	1	1
छत्तीसगढ़	2		1
गोवा	1		1
गुजरात	2	1	1
हरियाणा	1	1	
हिमाचल प्रदेश	1		1
जम्मू और कश्मीर	4	2	1
झारखंड	2		2
कर्नाटक	2	1	1
केरल	3	1	
मध्य प्रदेश	3	1	1
महाराष्ट्र	3	1	1
मणिपुर	1		1
मेघालय	2		2
मिजोरम	[illegible]		1
नागालैंड	1		1
उड़ीसा	3	1	1
पंजाब	2	1	
राजस्थान	1	1	
सिक्किम	1		1
तमिलनाडु	3	2	
त्रिपुरा	1		1
उत्तर प्रदेश	7	2	3
उत्तराखंड	1		
पश्चिम बंगाल	3	1	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1		1
चंडीगढ़	1		1
दिल्ली	2	2	
पुदुचेरी	1		1

केरल में सीमा सुरक्षा बल यूनिट

3322. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) यूनिट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में सीमा सुरक्षा बल कैम्प स्थापित करने के लिए किसी स्थान की पहचान कर ली है और इस संबंध में कुल कितनी भूमि की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने केरल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक रिजर्व बटालियन की स्थापना करने का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने बीएसएफ की रिजर्व बटालियन की स्थापना के लिए अभी जगह का चुनाव नहीं किया है।

किसानों द्वारा किए गए उत्पादन पर शुल्क

3323. **श्री पी. बलराम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियां शुल्क के रूप में किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का एक निश्चित भाग खरीदती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषकों से शुल्क के रूप में एकत्रित की गयी विभिन्न फसलों की मात्रा और प्रतिशत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं। केवल चावल मिल-मालिकों तथा व्यापारियों पर लेवी लगाई जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम कीमतों पर खाद्यान्नों की बिक्री

3324. श्री अशोक अर्गल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की रिपोर्ट मिली है कि अधिकारियों की सांठ-गांठ से खाद्यान्न के स्टाक कम कीमतों पर खुले बाजार में बेचे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जीन बैंक

3325. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जीन बैंक का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस बैंक से लाभान्वित होने वाले कृषकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार की जीन बैंक स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों और फसलों की देशी नस्ल की जीन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली में वर्ष 1983 के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया था। वर्तमान में इनके 18 भंडारण मोड्यूल्स हैं जिनकी भंडारण क्षमता 1 मिलियन प्रविष्टी है और इसमें 1300 से ज्यादा फसल/पादप प्रजातियों की 3.80 लाख से ज्यादा प्रविष्टियों को रखा गया है। राष्ट्रीय जीन बैंक के तीन घटक हैं, बीज जीन बैंक (धारण 3, 72, 573 प्रविष्टियां), क्रायो बैंक (धारण 8,000 प्रविष्टियां) तथा एक स्वपात्र (इन-विट्रो) भण्डार (धारण लगभग 1900 प्रविष्टियां)।

(ग) जीन बैंक में रखी हुई सामग्री किसानों के लिए तुरंत उपलब्ध है किंतु प्रजनकों तथा फसल सुधार के अन्य अनुसंधानकर्ताओं तथा मूल अनुसंधान-कर्ताओं द्वारा प्रारंभिक रूप से इसका इस्तेमाल प्रारंभिक सामग्री (रॉ मैटेरियल) के रूप में किया जाता है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को औसतन 15,000-20,000 प्रविष्टियों की आपूर्ति की जाती है।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में एनबीपीजीआर के 10 क्षेत्रीय केंद्र हैं और इनमें से ज्यादातर में मध्यम अवधि की भंडारण सुविधाएं हैं। क्षेत्रीय भंडारण सुविधाएं (क्षेत्रीय जीन बैंक) एनबीपीजीआर के त्रिशूर (केरल), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), अकोला (महाराष्ट्र), जोधपुर (राजस्थान), भवाली (उत्तराखंड), शिमला (हिमाचल प्रदेश) तथा शिलांग (मेघालय) केन्द्रों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार की कुछ सुविधाएं विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय नैटवर्क में भी उपलब्ध हैं।

एनबीपीजीआर के मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक में देश की समस्त कृषि-फसलों के आनुवंशिक संसाधनों को दीर्घावधि के लिए संरक्षित किया जाता है।

[हिन्दी]

ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों का उत्पादन

3326. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सहित देश में ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) वर्ष 2009-10 हेतु कितने उत्पादन का अनुमान है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) ट्रैक्टर और कृषि उपकरण कई किस्म एवं आकार के होते हैं तथा पूरे देश में स्थित संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विनिर्माता इनके विनिर्माण में लगे हैं। इससे ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों की वार्षिक उत्पादन मात्रा पर राज्य-वार आंकड़े एकत्र करने और उन्हें संकलित करने तथा राष्ट्रीय स्तर प्रक्षेपण तैयार करने में कठिनाई होती है। तथापि, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान कर्नाटक राज्य सहित देश में ट्रैक्टर विनिर्माता संघ के सदस्यों द्वारा विनिर्मित ट्रैक्टरों का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 352835, 345762, 339510 था।

[हिन्दी]

झुग्गी बस्तियों में आग

3327. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में आग लगना एक आम बात है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में झुग्गी बस्तियों में आग लगने की कुल कितनी घटनां हुई हैं और उनमें जान-माल की कितनी क्षति हुई है;

(ग) आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आग लगने की प्रत्येक घटना की जांच करायी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि झुग्गी बस्तियों में आग लगने की घटनाओं का प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रिपोर्ट की गई आग लगने की घटनाओं की कुल संख्या 2% से भी कम है।

(ग) झुग्गियों में आग लगने की घटनाओं के मुख्य कारण हैं बिजली का शार्ट सर्किट, झुग्गीवासियों द्वारा लापरवाही, खाना बनाने के लिए खुली आग का उपयोग आदि।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली द्वारा अग्नि पीड़ितों को दी गई क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राहत निम्नलिखित है:-

मृत्यु (व्यस्क): प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये।

मृत्यु (अव्यस्क): प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपया।

चोट (गंभीर): प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपया।

चोट (हल्की-फुल्की): प्रत्येक मामले में 1000/- रुपया।

झुग्गी को क्षति: प्रत्येक मामले में 2000/- रुपया।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि दिल्ली अग्निशमन सेवा, व्याख्यान/प्रदर्शन, अग्नि सुरक्षा पर्चों का वितरण करके और मुद्रित एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए लोक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराता है।

नैफेड द्वारा खरीद

3328. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा खरीदी गई मदों का मात्रा-वार ब्यौरा क्या है और इनकी खरीद दर क्या है;

(ख) इन मदों को किस मूल्य पर बेचा गया और तत्संबंधी मद-वार माात्रा कितनी है;

(ग) क्या नैफेड कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री के अलावा कोई अन्य कार्यकलाप कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य कार्यकलाप करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में नैफेड द्वारा पीएसएस के अधीन केन्द्रीय एजेंसी के रूप में की गई अधिप्राप्ति और दूसरे नैफेड द्वारा अपने वाणिज्यिक खाते में की गई अधिप्राप्ति का ब्यौरा दर्शाने वाले दो विवरण क्रमशः 1 और 2 संलग्न हैं। बिक्री दर के ब्यौरे के संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि बिक्री की मात्रा

को अधिकतम करने के लिए अधिप्राप्त की गई वस्तुओं को नैफेड चल रही बाजार दरों पर बेचता है। इस प्रकार, विभिन्न जिन्सों की बिक्री दरें एक तिथि से दूसरी तिथि पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) नैफेड ने सूचित किया है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान; गैर-कृषि वस्तुओं का कोई कारोबार नैफेड द्वारा नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

2006-07 से 2009-10 तक पीएसएस के अंतर्गत नैफेड द्वारा तिलहनों, दलहनों और कपास की खरीद

(15.7.2009 की स्थिति)

क्र.सं.	वर्ष	जिन्स	फसल मौसम	एसएसपी (रु. प्रति क्विंटल)	अधिप्राप्त मात्रा (एमटी में)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2006-07	सूरजमुखी	रबी-2006	1500	4999	817.47
2.	2006-07	मूंगफली	रबी-2006	1520	116	19.37
3.	2006-07	कोपरा मिलिंग	मौसम-2006	3590	8850	3435.13
4.	2006-07	सरसों बीज	रबी-2006	1715	2205,000	421400.00
5.	2006-07	सूरजमुखी	रबी-2006	1565	50673	8499.73
6.	2006-07	तिल	खरीफ-2006	1550	377	64.66
7.	2006-07	सोयाबीन	खरीफ-2006	1020	7	0.78
8.	2007-08	बाल कोपरा	मौसम-2007	3870	19,156	8039.77
9.	2007-08	मिलिंग कोपरा	मौसम-2007	3620	12,009	4666.20
10.	2007-08	मिलिंग कोपरा (एपी कोपरा)	मौसम-2007	3550 निम्न ग्रड एफएक्यू	15,649	5524.15
11.	2007-08	सरसों बीज	रबी-2007	1715	21,905	4020.07
12.	2007-08	सूरजमुखी बीज	रबी-2007	1565	121	20.87
13.	2007-08	तिल	रबी-2007	1560	91	15.62
14.	2008-09	बाल कोपरा	मौसम-2008	3910	179	73.78
15.	2008-09	मिलिंग कोपरा	मौसम-2008	3660	489	214.60
16.	2008-09	कपास	खरीफ-2008	2500 और 3000	18,08,461	620649
17.	2008-09	सूरजमुखी बीज	खरीफ-2008	2215	12,800	119.36

1	2	3	4	5	6	7
18.	2008-09	मूंगफली बीज	खरीफ-2008	2100	40	9.46
19.	2008-09	उड़द	खरीफ-2008	2520	481	121.36
20.	2009-10	मिलिंग कोपरा	मौसम-2009	4450	9465	4582.95
21.	2009-10	बाल कोपरा	मौसम--2009	4700	1040	531.13

विवरण II

वाणिज्यिक खाते/कार्यकलाप के तहत 2006-07 से 2009-10 के दौरान नैफेड द्वारा कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति

(मात्रा एम.टी. में)
(मूल्य लाख रु.)

जिन्स	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तिलहन	63,306	8754.15	95,808	17784.47	690	214.48	13,880	3071.80
दालें	38,418	7702.05	51,289	11990.34	24,417	5948.34	5,551	1156.88
खाद्यान्न	5,34,552	40645.19	9,44,015	88286.21	1,77,445	18263.97	4,828	406.36
कपास	1,749	408.86	3,010	856.61	-	-	-	-
बागवानी सामग्री	16,525	1228.72	11,761	1354.92	17,978	1247.96	1,538	135.65
मसाले	7,109	5317.77	5,632	6990.37	4,515	5770.20	2,111	2554.18
विविध जिंस	4,370	4150.85	5,893	5404.30	947	683.45	24	18.99
जनजातीय उत्पाद	-	-	56	68.77	75	14.28	-	-

[अनुवाद]

परंपरागत और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा

3329. श्री निशिकांत दुबे: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में परंपरागत और स्वदेशी खेलों का संरक्षण करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है/क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पहचाने गए इस प्रकार के खेलों के नाम क्या हैं;

(ग) गांवों में खेल अवसंरचना के विकास हेतु आवंटित और प्रयोग में लायी गयी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परंपरागत और स्वदेशी खेलों का संरक्षण करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की वर्तमान स्कीमों में पारंपरिक तथा देशी खेलों के संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत तीरंदाजी,

शतरंज, खो-खो, रस्साकशी, कबड्डी, कुश्ती जैसे देशी/पारंपरिक खेलों को देखने वाले खेल परिसंघों को सरकारी मान्यता प्रदान की गई है तथा अपनी संबंधित खेल-विधाओं में संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत देशी/पारंपरिक खेलों को देखने वाले खेल परिसंघों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:-

(लाख रु.)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
1.	भारतीय तीरंदाजी संघ	94.68	81.67	96.10
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	112.46	239.94	221.40
3.	भारतीय अत्या-पत्या परिसंघ	15.50	8.50	16.50
4.	भारतीय खो-खो परिसंघ	2.00	0.00	0.00
5.	भारतीय हॉकी (पुरुष) परिसंघ	92.09	125.18	156.99
6.	भारतीय हॉकी (महिला) परिसंघ	111.64	191.65	74.51
7.	भारतीय अमेच्योर कबड्डी परिसंघ	13.95	25.68	32.08
8.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	20.75	3.50	6.00
9.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	32.58	6.15	200.42

वर्ष 2008-09 में देश के सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना और खेल प्रतिस्पर्धाओं के संवर्धन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई इस स्कीम के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 1500 करोड़ रु. है। इस स्कीम में 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 10% वार्षिक कवरेज की दर से 2.50 लाख ग्राम पंचायतों और 6,400 ब्लाक पंचायतों को (उनकी समतुल्य इकाईयों सहित) पूरा करने की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम से न केवल खेलों में वृहत पैमाने पर प्रतिभागिता को बढ़ावा मिलेगा वहन प्रतिभा के आधार में विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन हो सकेगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 24 राज्यों के लिए 22,854 गांवों तथा 601 ब्लाक पंचायतों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 250.77 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता को संस्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, आवंटित की गई निधियों व जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित निधि	जारी की गई निधि
2008-09	92.00	92.00
2009-10 (10.7.09)	160.00	19.02

उपर्युक्त के अलावा, भा.खे.प्रा. द्वारा पारंपरिक/देशी खेलों के संवर्धन और विकास के लिए विशिष्ट स्कीमें भी संचालित की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा स्कीम के अंतर्गत, भा.खे.प्रा. द्वारा स्कूलों को अंगीकृत करके प्रतिस्पर्धाओं में प्रशिक्षण व प्रतिभागिता के अनुसार पहचाने गए एथलीटों को वृहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भा.खे.प्रा. विशेष क्षेत्र खेल स्कीम भी संचालित करता है जिनका विशिष्ट लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है।

[हिन्दी]

जनजातियों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन

3330. श्री रामसिंह राठवा:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में गुजरात सहित देश की जनजातियों हेतु आवंटित खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातियों को 2 रुपए प्रति किलो की दर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है;

(घ) इससे कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) खाद्यान्न कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संयुक्त रूप से चलाई जाती है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी की जाती है। योजना आयोग के अनुसार पात्र गरीबी रेखा से नीचे और आदिवासी परिवारों सहित अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित खाद्यान्नों का वितरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासानों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आवंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 6.52 करोड़ परिवारों की सम्पूर्ण स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। इनमें से 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजान के परिवार हैं, जिन्हें 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर गेहूं का वितरण किया जाता है।

चूंकि पात्र आदिवासी परिवार पहले ही गरीबी रेखा से नीचे के अधीन कवर होते हैं इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में अलग से खाद्यान्न देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-2010 में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3900.596	3884.823	3577.682	3562.182
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.644	103.548	101.556	10.556
3.	असम	1714.746	1345.527	1406.256	1406.256
4.	बिहार	3988.344	2768.031	2958.122	3382.512
5.	छत्तीसगढ़	1600.328	825.416	937.698	1091.952
6.	दिल्ली	836.456	748.181	592.548	592.548
7.	गोवा	102.758	32.182	36.355	44.208
8.	गुजरात	2295.882	1130.035	1042.04	1686.888
9.	हरियाणा	830.085	451.917	603.493	766.972
10.	हिमाचल प्रदेश	443.037	477.496	463.176	475.176
11.	जम्मू और कश्मीर	791.804	823.595	776.804	756.804
12.	झारखंड	1195.472	1057.736	1065.93	1240.932

1	2	3	4	5	6
13.	कर्नाटक	2853.688	2647.031	2033.342	2086.036
14.	केरल	2257.068	1184.607	1164.604	1226.604
15.	मध्य प्रदेश	2756.644	1807.026	2085.683	2612.336
16.	महाराष्ट्र	5015.204	2880.683	3165.785	4087.464
17.	मणिपुर	111.06	107.657	106.416	107.916
18.	मेघालय	121.804	140.417	144.276	147.276
19.	मिजोरम	72.222	85.047	82.908	82.908
20.	नागालैंड	129.084	130.887	126.876	126.876
21.	उड़ीसा	2535.682	1900.067	1866.783	2115.852
22.	पंजाब	868.946	280.025	662.92	940.220
23.	राजस्थान	2358.91	1274.968	1364.624	1793.340
24.	सिक्किम	44.687	45.792	44.22	44.220
25.	तमिलनाडु	5805.936	4847.881	3682.832	3767.832
26.	त्रिपुरा	300.758	263.211	275.004	302.004
27.	उत्तर प्रदेश	8329.377	4550.69	4925.854	6473.740
28.	उत्तराखंड	496.942	341.541	362.252	414.252
29.	पश्चिम बंगाल	5617.51	3023.204	3031.942	3296.544
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.91	29.244	29.341	31.272
31.	चंडीगढ़	35.206	4.128	5.628	25.428
32.	दादरा और नगर हवेली	13.37	11.812	8.154	8.880
33.	दमन और दीव	10.58	2.7	2.37	4.320
34.	लक्षद्वीप	4.154	4.837	4.608	4.608
35.	पुदुचेरी	85.162	65.802	38.349	51.912
	जोड़	57,656.056	39,277.744	38,776.431	44859.826

[अनुवाद]

लापता बच्चे

3331. श्री वैजयंत पांडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चे लापता होने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित इस प्रकार के राज्य-वार कुल कितने मामलों की रिपोर्ट की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के कितने बच्चों का पता लगाया गया है;

(घ) शेष सभी लापता बच्चों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दी है कि चालू वर्ष के दौरान 800 से भी ज्यादा बच्चे लापता होने की एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना बनायी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार वर्ष 2006, 2007 और 2008 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए ''लापता'' के रूप में सूचित बच्चों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, 2006, 2007 एवं 2008 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पता लगाए गए बच्चों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, तब दिल्ली पुलिस ने फिर से ''अब तक पता लगाए जाने वाले बच्चों'' की समीक्षा की और 30 जून, 2009 तक 1260 मामले दर्ज किए जिसमें 2007 के 264 मामले और 2008 के 384 मामले शामिल हैं।

(घ) और (छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य का विषय हैं और इसी कारणवश अपराध के निवारण, पहिचान, पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों की है। हालांकि, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों को अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने सीमा क्षेत्र के अंदर बच्चों के लापता होने की रोकथाम एवं नियंत्रण पर और अधिक ध्यान दें। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उनके द्वारा उठाए गए कदमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की सूचना देने के लिए 24×7 हेल्पलाईन नम्बर, अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्राथमिकी का पंजीकरण, वेब-आधारित कम्प्यूटर आवेदन जिपनेट, जिसमें लापता बच्चों की जानकारी है, शामिल हैं। संशोधित स्थायी आदेश सं. 258/09 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि 18 वर्ष या उससे कम आयु के पता न चले बालिकाओं, 12 वर्ष या उससे कम आयु के पता न चले बालकों की प्रत्येक घटना में प्राथमिकी दर्ज की जाए और आयु को नजरअंदाज करते हुए किसी भी संदिग्ध/अशिष्ट व्यवहार के मामले में ऐसी समस्त लापता रिपोर्टों की प्राथमिकी दर्ज करें। बीट एवं डिवीजन स्टाफ के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा दरवाजे-दरवाजे सर्वेक्षण किया जाता है।

विवरण

2006-2008 के दौरान लापता एवं पता लगाए गए बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2006		2007		2008	
		लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	22	35	35	56	53
2.	आंध्र प्रदेश	2312	1876	774	535	एनआर	एनआर
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	7	7	12	10
4.	असम	889	311	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	बिहार	524	360	476	346	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	104	95	172	139	118	110

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	छत्तीसगढ़	2613	2165	2140	1687	एनआर	एनआर
8.	दादरा और नगर हवेली	17	16	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
9.	दमन और दीव	15	15	11	8	एनआर	एनआर
10.	दिल्ली*	7025	5780	231	128	एनआर	एनआर
11.	गोवा	225	181	272	219	257	271
12.	गुजरात	1996	1904	2382	1990	2644	2662
13.	हरियाणा	461	294	754	400	845	388
14.	हिमाचल प्रदेश	197	144	279	162	362	265
15.	जम्मू और कश्मीर	456	321	445	319	एनआर	एनआर
16.	झारखंड	328	138	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	3495	2912	3630	3022	2955	3006
18.	केरल	1047	925	968	829	1206	1312
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	एनआर	एनआर
20.	मध्य प्रदेश	8079	7416	8852	7825	एनआर	एनआर
21.	महाराष्ट्र	13403	10834	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
22.	मणिपुर	7	2	39	25	45	24
23.	मेघालय	17	1	36	12	एनआर	एनआर
24.	मिजोरम	0	0	0	0	एनआर	एनआर
25.	नागालैंड	1	1	0	0	एनआर	एनआर
26.	उड़ीसा	1398	685	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
27.	पुदुचेरी	44	44	68	68	एनआर	एनआर
28.	पंजाब	404	244	564	792	एनआर	एनआर
29.	राजस्थान	2155	2073	2425	2157	2477	1975
30.	सिक्किम	193	124	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	तमिलनाडु	1394	1310	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32.	त्रिपुरा	201	201	193	189	292	427
33.	उत्तर प्रदेश	3974	3401	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	458	368	356	252	एनआर	एनआर
35.	पश्चिम बंगाल	3467	एनआर	11697	5725	11092	9545
	कुल (राज्य)	56923	44165	36806	26871	22361	20048

टिप्पणी: 1. एनआर का तात्पर्य आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से है।
2. *वर्ष 2007 हेतु जानकारी मात्र मार्च तक है।

[हिन्दी]

बोतलबंद पानी की बिक्री

3332. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बोतलबंद पानी/मिनरल वाटर बनाने और बेचने के काम में लगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसी नियामक निकाय की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को संदूषित पानी बेचे जाने संबंधी कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) पैकबंद पेयजल और पैकबंद नेचुरल मिनरल वाटर बनाने में लगी कंपनियों (भारतीय मानक ब्यूरो की लाइसेंसधारक) की संख्या क्रमशः 2146 और 11 है।

(ख) और (ग) पैकबंद पेयजल और पैकबंद नेचुरल मिनरल वाटर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के तहत जारी की गई राजपत्र अधिसूचना क्रमशः सा.का.नि. 760(अ) तथा सा.का.नि. 759(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के अधीन लाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो एक सुपरिभाषित प्रमाणन स्कीम के जरिए इसके लाइसेंसधारकों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जिसमें लाइसेंसधारकों के परिसरों पर दौरे किए जाते हैं और संबंधित भारतीय मानकों से उत्पाद की अनुरूपता की जांच करने के लिए फैक्टरी और बाजार से नमूने लिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे और उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे और उनकी मौजूदा स्थिति

1. पैकबंद पेयजल (आईएसः 14543:2004)
2006-07 के दौरान प्राप्त शिकायतें

राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों पर की गई कार्रवाई	
		जांच और प्रतितोष के बाद बंद किए गए शिकायतों की संख्या	जांचाधीन शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
महाराष्ट्र	01	01	–
दिल्ली	06	06	–
मध्य प्रदेश	02	02	–
छत्तीसगढ़	02	02	–
पंजाब	01	01	–
तमिलनाडु	02	02	–
असम	01	01	–
गुजरात	01	01	–
केरल	01	01	–
आंध्र प्रदेश	03	03	–
पश्चिम बंगाल	01	01	–
2007-08 के दौरान प्राप्त शिकायतें			
महाराष्ट्र	02	02	–
कर्नाटक	02	02	–
गुजरात	01	01	–
तमिलनाडु	02	02	–
उत्तर प्रदेश	01	01	–
आंध्र प्रदेश	01	01	–
दिल्ली	02	02	–

1	2	3	4
2008-09 के दौरान प्राप्त शिकायतें			
मध्य प्रदेश	01	01	-
आंध्र प्रदेश	01	01	-
कर्नाटक	02	02	-
तमिलनाडु	01	01	-
उत्तर प्रदेश	01	01	-
दिल्ली	02	02	01
महाराष्ट्र	01	01	-
पश्चिम बंगाल	01	01	-
2009-10 के दौरान प्राप्त शिकायतें			
महाराष्ट्र	01	-	01
उत्तर प्रदेश	01	-	01

2. पैकबंद नेचुरल मिनरल वाटर (आईएस: 13428:2005) 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-2010 के दौरान प्राप्त शिकायतें

वर्ष	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों पर की गई कार्रवाई	
			जांच और प्रतितोष के बाद बंद किए गए शिकायतों की संख्या	जांचाधीन शिकायतों की संख्या
2006-07			शून्य	
2007-08			शून्य	
2008-09	उत्तर प्रदेश	01	-	01
2009-10			शून्य	

[अनुवाद]

आईटीबीपी द्वारा सीमा की चौकसी

3333. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में भारत-तिब्बत सीमा पर चौकसी करने वाला भारत तिब्बत पुलिस (आईटीपीबी) बल आतंकवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी में अन्य बल भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सीमा क्षेत्र की चौकसी करने वाले बल को सशक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर (लद्दाख), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा की चौकसी करने के लिए आईटीबीपी को तैनात किया गया है। आईटीबीपी, सीमा-पार से आतंकवाद के किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। (1) भारत-चीन की 3488 कि.मी. लम्बी संपूर्ण सीमा के साथ-साथ सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि सीमा चौकसी सुनिश्चित की जा सके। (2) आईटीबीपी, नियमित रूप से सीमा पर गश्त लगाती है और दिन में निगरानी चौकियां और रात में लिसनिंग पोस्ट स्थापित करके सीमा पर करने वाले केन्द्रों/दर्रा पर निरंतर रूप से निगरानी रखती है। (3) कार्मिकों को परंपरागत और गैर-परंपरागत लड़ाई और आतंक-रोधी और विद्रोह-रोधी अभियानों में प्रशिक्षित किया जाता है। (4) आईटीबीपी, जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भारत-चीन सीमा के साथ अग्रणी आसूचना एजेंसी (एलआईए) है।

(ग) तिब्बत के साथ भारत-चीन सीमा की चौकसी करने के लिए किसी अन्य केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की भी तैनाती की जाती है।

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों की चौकसी करने वाले बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) सीमा के साथ खतरे की आशंका और सुरक्षा विश्लेषण की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(2) हाल में सरकार ने जम्मू आरै कश्मीर (लद्दाख), उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीमा के साथ छ: वर्तमान बीओपी का उन्नयन करने और एक नए बीओपी का सृजन किए जाने का अनुमोदन किया है।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान बीओपी का संवर्धन और एक नए बीओपी का सृजन करना एक सतत प्रक्रिया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र का अवसंरचना विकास

3334. श्री प्रदीप माझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अवसंरचना विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अवसंरचना कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों संबंधी विशेष अवसंरचना संबंधी स्कीम एवं एक सड़क संपर्क योजना को स्वीकृति प्रदान की है। सड़क सम्पर्क योजना के अंतर्गत 7300 करोड़ रुपए और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों संबंधी विशेष अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं जिससे अतिमहत्वपूर्ण ढांचे की उन कमियों को पूरा किया जा सके जिन्हें किसी अन्य वर्तमान स्कीम/स्कीमों के अंतर्गत किसी भी रूप में शामिल नहीं किया गया है।

सूखा प्रतिरोधी बीज

3335. श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री मोहन जेना:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर तथा अन्य एजेंसियों ने फसलों/बीजों की कई ऐसी किस्मों को विकसित किया है जो सूखा प्रतिरोधी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की किस्मों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भा.कृ.अ.प. ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनेक अगेती परिपक्व फसल किस्मों को विकसित किया है जिन्होंने नमी दबाव/सूखा स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ किस्में/संकर किस्में हैं: गेहूं (पीबीडब्ल्यू 527, एचडी 2888, एचआई 1531, एचआई 1500, एचडी 8627); जौ (एचबील 276, आरडी 2660, के 603); चावल (वन्दना, अंजली, दातेस्वरी, पीएनआर-519, वीएल धान 208); मक्का (पूसा हाईब्रिड मक्का-1, 2 तथा 5, विवेक 21, विवेक 23, एचएम 4); ज्वार (सीएसएच 15 आर, सीएसएच 19 आर, सीएसवी-18); बाजरा (एचएचबी 67 अन्नत, जीएचबी-757, जीएचबी-538); चना (आरएसजी 888, आरएसजी 963); लैथाइरस (बायोएल 212); मोठ (सीएजैडआरआई मोठ 3); चना (हौर्स ग्राम) (एके 21); ग्वार (आरजीसी 936); मूंगफली (जेजीएन-3, के 134, कादिरी 6); सरसों (पूसा बहार, जेडी-6, शिवानी); सोयाबीन (एनआरसी 7, जेएस 71-05)। इस प्रकार की किस्में अन्य फसलों में भी उपलब्ध है।

(ग) भा.कृ.अ.प. तथा राज्य सरकारों द्वारा किस्मों/संकर किस्मों के साथ-साथ अगेती सूखा वहनीय किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन किसानों के इस्तेमाल के लिए आगामी फाउंडेशन तथा प्रमाणिक बीज तैयार करने के लिए किया गया। भा.कृ.अ.प. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने इन किस्मों/संकर किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी अधिक संख्या में अग्रपंक्ति प्रदर्शन भी आयोजित किए हैं। अनेक संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किस्मों तथा संकर किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसान मेलों, किसान संगोष्ठियों, रेडियो वार्ता आदि का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने मुख्य अनाज (चावल और गेहूं) तथा दलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी आरंभ किया है।

राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हाइब्रिड माडल्स

3336. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल में बनाओ चलाओ अंतरित करो आधार पर राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 'एन्युइटि'' और 'हाइब्रिड'' मॉडल्स के संबंध में विभिन्न शेयरधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजमार्गों के विकास में शामिल विभिन्न पक्षों की राय क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 'विशुद्ध' वार्षिकी मॉडल में यह प्रावधान किया गया है कि रियायतग्राही को उन खंडों से पथकर वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके लिए अलग-अलग ठेके सौंपे गए हैं। हाईब्रिड मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी के भुगतान के अतिरिक्त,

रियायतग्राही पथकर भी वसूल करता है। जबकि दोनों मॉडलों के समर्थन में सुझाव प्राप्त हुए हैं, सचिवों की समिति ने दोनों मॉडलों के गुणों व अवगुणों पर विचार करने के बाद विशुद्ध निर्माण प्रचालन और हस्तान्तरण (वार्षिकी) मॉडल की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

पशुपालन का विकास

3337. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पशुपालन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश सहित देश में पशुपालन के विकास के लिए कोई विशेष परियोजना तैयार की गई है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ये योजनाएं/परियोजनाएं कितनी सफल रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अद्यतन सर्वेक्षण (जुलाई, 2004-जून, 2005 रा.न.स. 61वां चक्र) के अनुसार, पशुपालन क्षेत्र में मूल स्थिति में 11.44 मिलियन रोजगार का अनुमान है।

(ग) से (च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में अब तक जारी राज्यवार निधियों के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित पशुपालन क्षेत्र के लिए योजनाओं का ब्यौरा

पशुपालन क्षेत्र से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास और त्वरित वृद्धि को प्राप्त करने में राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरक करने के लिए विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. **राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी):** बोवाईन संख्या की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार 100% अनुदान-व-सहायता आधार पर क्रमशः 402 करोड़ रुपए और 775.87 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, पांच वर्षों के अंतराल के दो चरणों में दस वर्षों की अवधि के लिए अक्तूबर, 2000 से केंद्रीय प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना'' को क्रियान्वित कर रही है। परियोजना में वरीयता आधार पर बोवाईन संख्या की आनुवांशिक उन्नयन की व्यवस्था है।

2. **केंद्रीय गोपशु विकास संगठन:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इन संगठनों में आनुवांशिक रूप से बेहतर नस्ल के सांड, बछड़ों, अच्छी गुणवत्ता के हिमित वीर्य का उत्पादन और देश में सांड और हिमित वीर्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सात केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और चार केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण यूनिट शामिल है।

3. **केंद्रीय चारा विकास संगठन:** इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तीन घटक है। चारा खेती पर आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार और पशुधन मालिकों द्वारा इसकी उपयोगिता के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता चारा बीज उत्पादन, कृषकों के खेत में उच्च पैदावार वाले चारा किस्मों पर चारा प्रदर्शन, प्रशिक्षण कायक्रम और कृषक मेले आयोजित किए गए है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजनाः** इस केंद्रीय प्रायोजित योजना में आहार एवं चारा विकास में राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 2005-06 से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके चार निम्नलिखित घटक है:-

   (क) चार ब्लाक बनाने वाले यूनिटों को सहायता।

   (ख) घास रिजर्व सहित चारागाह विकास।

   (ग) चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम।

   (घ) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना।

5. **कुक्कुट विकास:** इस केंद्रीय प्रायोजित योजना को हाल ही में 150 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तीन घटक हैं नामतः राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास और कुक्कुट संपदा।

6. **केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सीपीडीओ):** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कृषकों को आवश्यक तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और घरेलू कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त पक्षियों का स्टॉक बनाए रखने के लिए सीपीडीओ चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुम्बई और हैस्सरघट्टा में स्थित है। गुडगांव में स्थित एक केंद्रीय कुक्कुट कार्य निष्पादन परीक्षण केंद्र (सीपीपीटीसी) लेयर और ब्रायलर किस्मों के कार्य निष्पादन का परीक्षण करता है।

7. **संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण:** इस केंद्रीय प्रायोजित योजना को दसवीं योजना के दौरान आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है उन संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण करना और बचाना जिनकी संख्या 10,000 से कम है। इस योजना को 11वीं योजना में भी जारी रखा जा रहा है।

8. **छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास:** यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। जिसे 134.83 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 11वीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने के लिए अप्रैल, 2009 में अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 2009-10 के लिए बजट प्रावधान 18.33 करोड़ रुपए है। इस योजना में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास और संस्थागत पुनःरचना के जरिए पूंजीगत उद्यम के साथ 54 सघन छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के विकास समूहों स्थापित करने की व्यवस्था है।

9. **केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्मः** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस फार्म को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों को वितरित किए जाने के लिए अनुकूल विदेशी भेड़ों का उत्पादन और मशीनीकृत भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। समय के साथ और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को बीटल बकरी के साथ-साथ वर्ण-संकरित भेड़ों (नल्ली 10 रेम्बुलेट और सोनाड 10 कॉरीडेल) के उत्पादन के लिए बदल दिया गया था।

10. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण:** यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके चार घटक है नामतः पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी), राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई), खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी) और व्यवसायिक दक्षता का विकास (पीईडी)।

एएससीएडी में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों से लड़ने के लिए पशुधन और कुक्कुट के टीकाकरण, राज्य पशु चिकित्सा जैविकीय उत्पादन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, होने वाले पशुरोगों पर आंकड़े एकत्र, समेकन तथा प्रचार करना और तकनीकी ज्ञान के उन्नयन के लिए पशुचिकित्सकों तथा पैरा पशुचिकित्सकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

एनपीआरई घटक का उद्देश्य पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पशु प्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाईन प्लूरोनिमोनिया (सीबीपीपी) का उन्मूलन करना और आफिस इंटरनेशनल डेज एपिजूटिस (ओआईई) द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए पशुप्लेग तथा सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति करना जिसके बाद मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए भौतिक निगरानी बनाए रखना। भारत को 26 मई, 2009 और 26 मई, 2007 में ओआईई द्वारा पशुप्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाईन प्लूरोनिमोनिया (सीबीपीपी) संक्रमण मुक्त देश घोषित किया गया था।

पीईडी घटक का उद्देश्य है भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार पशुचिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना और पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों का रजिस्टर बनाए रखना।

एफएमडी-सीपी घटक को 100% वित्त पोषण के साथ, जिसमें टीके तथा सहायक व्यय की लागत शामिल है, खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने के लिए देश के 54 विनिर्दिष्ट जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य तथा संघ शासित सरकार मानव शक्ति, बुनियादी सुविधाएं तथा विशेषज्ञ सहायता प्रदान करते है।

11. **पशुस्वास्थ्य निदेशालय:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तीन घटक है नामतः पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविकीय उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र और केंद्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं।

12. **एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण तथा निराकरण:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2007-08 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और निराकरण करना। इसमें मुख्य रूप से कुक्कुट तथा प्रवासी पक्षियों पर निगरानी, निदान, सूचना, शिक्षा तथा दूरसंचार अभियान के लिए प्रयोगशाला आसूचना में वृद्धि तथा उन्नयन और प्रकोप के निराकरण योजना में सहयोग प्रदान करना शामिल है।

13. **पशुधन संगणना:** पांच वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''पशुधन संगणना'' के आधार पर विभिन्न प्रजातियों की पशुधन संख्या का पता लगाया जाता है। पशुधन की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए यह एक मात्र स्रोत है। यह कुक्कुट, पशु द्वारा प्रचालित कृषि औजारों तथा मशीनरी और मात्स्यिकी सांख्यिकी पर अलग-अलग सूचना भी प्रदान करता है। 18वीं पशुधन संगणना को 15 अक्तूबर, 2007 की संदर्भ तारीख से आयोजित किया गया था।

14. **पशुधन बीमा:** इस केंद्रीय प्रायोजित योजना को गोवा के अलावा सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका दोहरा उद्देश्य है: कृषकों तथा गोपशु पालकों को मृत्यु के कारण उनके पशुओं की क्षति से हुई हानि से बचाने के लिए संरक्षण तंत्र प्रदान कना, लोगों में पशुधन के बीमा के लाभों के बारे में प्रदर्शन करना और पशुधन तथा उनके उत्पादों में गुणवत्ता सुधार लाने के अंतिम उद्देश्य के साथ इसे लोकप्रिय बनाना।

15. **एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) नामत: दूध, अंडा, मीट और ऊन के अनुमानित उत्पादन का पता लगाने के लिए विभाग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से एकीकृत नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है।

उक्त सभी योजनाएं विभिन्न उपायों के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हैं।

विवरण II

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित पशुपालन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष (अब तक) के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (आज तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1874.37	2242.52	2838.05	529.00	7483.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.22	478.40	426.52	106.00	1411.14
3.	असम	483.80	1060.39	1333.35	1.00	2878.54
4.	बिहार	632.83	481.10	1942.43	5.00	3061.36
5.	छत्तीसगढ़	870.06	1347.41	450.60	12.00	2680.07
6.	गोवा	46.13	105.75	25.27	33.00	210.15
7.	गुजरात	1029.48	1169.65	1512.82	10.00	3721.95
8.	हरियाणा	633.95	847.94	1528.92	511.00	3521.81
9.	हिमाचल प्रदेश	292.29	712.02	344.94	389.19	1738.44

1	2	3	4	5	6	7
10.	झारखंड	268.58	288.77	956.52	2.00	1515.87
11.	जम्मू और कश्मीर	433.40	761.14	732.81	0.00	1927.35
12.	कर्नाटक	1236.57	1573.13	1457.86	973.20	5240.76
13.	केरल	928.82	1187.02	1590.92	137.75	3844.51
14.	मध्य प्रदेश	1507.29	1146.94	2090.03	18.00	4762.26
15.	महाराष्ट्र	2258.82	2159.54	2358.36	901.40	7678.12
16.	मणिपुर	190.54	411.81	372.66	167.00	1142.01
17.	मेघालय	296.15	421.53	274.18	20.00	1011.86
18.	मिजोरम	629.20	618.30	478.38	20.00	1745.88
19.	नागालैंड	833.97	771.41	480.31	3.00	2088.69
20.	उड़ीसा	1660.60	1799.54	2234.09	315.00	6009.23
21.	पंजाब	1157.07	444.29	1390.17	471.81	3463.34
22.	राजस्थान	697.00	852.73	1563.26	455.0	3567.99
23.	सिक्किम	331.01	412.92	398.03	33.00	1174.96
24.	तमिलनाडु	1317.02	1773.18	2854.26	939.00	6883.46
25.	त्रिपुरा	279.71	509.66	814.57	2.00	1605.94
26.	उत्तर प्रदेश	884.29	1525.50	2903.70	58.00	5371.49
27.	उत्तराखंड	545.80	735.09	491.33	17.00	1789.22
28.	पश्चिम बंगाल	1520.93	3058.21	2164.05	445.00	7188.19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	92.00	54.40	47.36	14.00	207.76
30.	चंडीगढ़	19.60	37.06	21.54	5.00	83.20
31.	दादरा और नगर हवेली	15.40	16.72	9.03	0.50	41.65
32.	दमन और दीव	5.00	17.17	5.11	0.50	27.78
33.	दिल्ली	89.70	172.12	326.08	1.00	588.90
34.	लक्षद्वीप	50.00	25.54	16.25	4.00	95.79
35.	पुदुचेरी	28.30	70.68	50.04	8.00	157.02
	अन्य	133.51	53.22	22.68	0.00	209.41
	कुल	23673.41	29342.80	36506.48	6607.35	96130.04

विदेशी महिला पर्यटकों को सुरक्षा

3338. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार विदेशी महिला पर्यटकों की संरक्षा और सुरक्षा की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समीक्षा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) दर्शकों विशेष रूप से महिला पर्यटकों को संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय हैं और इस कारण अपराध का निवारण, संसूचन, पंजीयन, जांच-पड़ताल और अभियोजन करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, संघ सरकार पर्यटकों की सुरक्षा, पर्यटन पर इसके विपरीत प्रभाव के बारे में बहुत अधिक चिन्तित है और अत: राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी करती रहती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के निवारण पर विशेष जोर देते हुए, उनके निवारण और नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित करें। तथापि, पर्यटकों की सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को मिलाकर एक पर्यटक सुरक्षा संगठन बनाने के लिए दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किए हैं।

[हिन्दी]

युवा नीति

3339. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाई गई है/बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का 11वीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मृदा जांच प्रयोगशालाएं

3340. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों से नई मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरक प्रबंधन परियोजना" नामक स्कीम के तहत नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत एसटीएल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गुजरात राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के लिए राज्य सरकारों से नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत एसटीएल का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2008-09	
		स्थिर एसटीएल	मोबाईल एसटीएल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	3
2.	कर्नाटक	7	1
3.	केरल	3	7

1	2	3	4
4.	राजस्थान	14	12
5.	उत्तर प्रदेश	-	-
6.	मध्य प्रदेश	3	3
7.	पंजाब	-	-
8.	पश्चिम बंगाल	1	7
9.	उत्तराखंड	-	-
10.	नागालैंड	-	-
11.	उड़ीसा	6	5
12.	अरुणाचल प्रदेश	2	3
13.	महाराष्ट्र	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-
15.	मिजोरम	1	3
16.	गोवा	-	-
	कुल	42	44

जाली राशन कार्ड

3341. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बहुत सारे जाली राशन कार्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्डों का इस्तेमाल पीडीएस खाद्यान्न की कालाबाजारी और इसकी पड़ोसी देशों में तस्करी करने में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्नों की खरीदारी, भंडारण, ढुलाई और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को उनका बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन यथा विहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए जाने होते हैं। खाद्यान्नों की आपूर्तियां बनाए रखने और उनकी उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में कहा गया है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केवल आवेदकों का राशन कार्ड जारी करेंगे।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 को भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का उपयोग करता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है।

तथापि, जून, 2009 तक की सूचना के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 10.86 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड (2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना कार्डों सहित) जारी कर रखे हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए जुलाई, 2006 से एक 9 सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्ययोजना के भाग के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिए गए हैं कि वे जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की निरन्तर समीक्षा करें। 14 राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जुलाई, 2006 से 23.7.2009 तक 148.45 लाख अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।

इसके अलावा सरकार ने 2008 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने में संलिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों और ऐसे जाली राशन कार्ड रखने वाले परिवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें।

दूरदर्शन उपकरण

3342. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केंद्रों में अधिष्ठापित उपकरण पुराने हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके स्थान पर आधुनिक उपकरण लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन केंद्रों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर इस संबंध में स्कीमें तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं।

10वीं योजना के अंतर्गत देश के कुल 66 दूरदर्शन केंद्रों में से, 21 दूरदर्शन केंद्रों को पूर्ण रूप से तथा 31 दूरदर्शन केंद्रों को आंशिक रूप से डिजिटलीकृत कर दिया गया है।

एनआईएएम और यूएसएआईडी के बीच एक्सचेंज कार्यक्रम

3343. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) ने कृषि विपणन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता के लिए युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट के विशेषज्ञों के एक दल के द्वारा समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत की यात्रा किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनआईएएम और यूएसएआईडी के बीच एक्सचेंज कार्यक्रमों से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के बीच कृषि विपणन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 11 जुलाई, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का समग्र उद्देश्य कृषि विपणन से संबंधित आपसी लाभ और हित के क्षेत्रों में आगे और सहभागिता, सहयोग तथा तकनीकी सहायता करना है। इस समझौता ज्ञापन के लक्ष्य एनआईएएम तथा यूएसएआईडी के बीच सहयोग स्थापित करना भी था ताकि प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा शिक्षा में मानव शक्ति का विकास करने और क्षमता निर्माण करने की दृष्टि से एनआईएएम को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए संगत संयुक्त राज्य सरकार की एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और संबंधित सस्थाओं तक पहुंच बन सके।

विशेषज्ञों के चार दलों ने वर्ष 2005 से 2009 के दौरान और इससे पूर्व कई बार भारत का दौरा किया। इन दलों ने श्रेणियों और मानकों, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, मण्डी सूचना, विपणन विस्तार और टर्मिनल मण्डियों के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण दिए हैं।

इस परियोजना से परियोजना राज्यों तथा एनआईएएम की कृषि विपणन प्रणाली के पणधारियों को लाभान्वित किया गया है। दो जिन्सों सेव व टमाटर के संबंध में अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) में परियोजना के अधीन हिमाचल प्रदेश के लगभग 7640 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। कर्नाटक राज्य ने 140 किसानों जिन्हें आम व अंगूर जैसी दो जिन्सों के संबंध में जीएपी में प्रशिक्षित किया गया था, पर ध्यान केन्द्रित करके गहन फोकस की रणनीति अपनाई। एनआईएएम के संकायों ने कृषि विपणन के मुख्य घटकों के संबंध में सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों का प्रदर्शन किया।

एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण

3344. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार एक पृथक एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य-प्रणाली क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) वर्तमान में राज्य-वार निर्माण किए जा रहे एक्सप्रेस-वे की लंबाई कितनी है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्माण किए गए एक्सप्रेस-वे की लंबाई कितनी है; और

(च) उपरोक्त एक्सप्रेस-वे के कार्य को शीघ्र शुरू करने/पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-6 के अंतर्गत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाने के साथ-साथ उच्च घनत्व महामार्गों के लिए 15600 किमी. पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस-वे के लिए मास्टर योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करने की सिफारिश की गई है। ताकि बाधारहित, उच्चगति और सुरक्षित यातायात का संचलन हो सके। तथापि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने निम्नलिखित चार परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण आधार पर अनुमोदित किया है जिनके संरेखण को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिए गए हैं:-

परियोजना	राज्य
वड़ोदरा से मुंबई	गुजरात और महाराष्ट्र
दिल्ली से मेरठ	दिल्ली और उत्तर प्रदेश
बंगलौर से चेन्नै	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
कोलकाता से धनबाद	पश्चिम बंगाल और झारखंड

(च) व्यवहार्यता अध्ययन के पूरे होने के बाद, संरेखण पर विस्तृत भूमि योजना अनुसूचियों को तैयार करने का काम शुरू किया जाता है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा होने की तारीख से लगभग एक साल पहले निविदा प्रक्रिया शुरू की जाती है। ताकि संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण के साथ-साथ ही परियोजना की वित्तीय व्यवस्था और रियायत सौंपने का कार्य एक साथ पूरा हो सके।

समाचार पत्रों का पंजीकरण

3345. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार भारत के समाचार पत्र पंजीयक (आरएनआई) के पास पंजीकृत समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के विज्ञापन प्राप्त कर रहे समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरएनआई के पास कुछ समाचार पत्रों के पंजीकरण संबंधी अनुरोध अभी भी लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समाचार पत्रों को कब तक पंजीकृत किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) दिनांक 15.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) में 74,409 समाचार-पत्र पंजीकृत हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आज की तारीख तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में शामिल और इससे विज्ञापन प्राप्त कर रहे समाचार-पत्रों/आवधिकियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) समाचारों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए सभी तरह से पूर्ण आवेदनों का समय से निपटान किया जाता है।

विवरण I

दिनांक 15.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) में पंजीकृत समाचार-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	15.07.2009 तक पंजीकृत शीर्षकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71
2.	आंध्र प्रदेश	3965

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	565
5.	बिहार	1647
6.	चंडीगढ़	459
7.	छत्तीसगढ़	648
8.	दादरा और नगर हवेली	9
9.	दमन और दीव	9
10.	दिल्ली	10066
11.	गोवा	111
12.	गुजरात	3383
13.	हरियाणा	1330
14.	हिमाचल प्रदेश	243
15.	जम्मू और कश्मीर	618
16.	झारखंड	277
17.	कर्नाटक	3837
18.	केरल	2454
19.	लक्षद्वीप	5
20.	मध्य प्रदेश	5169
21.	महाराष्ट्र	9127
22.	मणिपुर	160
23.	मेघालय	79
24.	मिजोरम	142
25.	नागालैंड	20
26.	उड़ीसा	1409
27.	पुदुचेरी	104
28.	पंजाब	1482
29.	राजस्थान	4558
30.	सिक्किम	89
31.	तमिलनाडु	4293
32.	त्रिपुरा	123
33.	उत्तराखंड	1634
34.	उत्तर प्रदेश	11789
35.	पश्चिम बंगाल	4518
	कुल	74,409

विवरण II

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में शामिल और इससे विज्ञापन प्राप्त कर रहे समाचार पत्रों/आवधिकियों का राज्य-वार ब्यौरा

(15.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	समाचार पत्रों की संख्या		
		दैनिक	साप्ताहिक और अन्य	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	3
2.	आंध्र प्रदेश	177	13	190
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	3

1	2	3	4	5
4.	असम	35	11	46
5.	बिहार	50	7	57
6.	चंडीगढ़	19	3	22
7.	छत्तीसगढ़	62	5	67
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन और दीव	2	0	2
10.	दिल्ली	166	371	537
11.	गोवा	8	0	8
12.	गुजरात	108	82	190
13.	हरियाणा	33	13	46
14.	हिमाचल प्रदेश	10	10	20
15.	जम्मू और कश्मीर	47	12	59
16.	झारखंड	31	2	33
17.	कर्नाटक	53	2	55
18.	केरल	62	10	72
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	206	126	332
21.	महाराष्ट्र	169	22	191
22.	मणिपुर	9	0	9
23.	मेघालय	6	1	7
24.	मिजोरम	5	0	5
25.	नागालैंड	5	0	5
26.	उड़ीसा	66	37	103
27.	पुदुचेरी	5	0	5
28.	पंजाब	36	20	56
29.	राजस्थान	122	244	366
30.	सिक्किम	4	1	5

1	2	3	4	5
31.	तमिलनाडु	81	2	83
32.	त्रिपुरा	14	2	16
33.	उत्तराखंड	43	163	206
34.	उत्तर प्रदेश	335	960	1295
35.	पश्चिम बंगाल	59	30	89
	कुल	2034	2149	4183

विवरण III

दिनांक 15.07.2009 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) में पंजीकरण हेतु लंबित समाचार-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीयन हेतु मामलों की संख्या (15.7.09 तक)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6
2.	आंध्र प्रदेश	92
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	2
5.	बिहार	3
6.	चंडीगढ़	–
7.	छत्तीसगढ़	33
8.	दादरा और नगर हवेली	–
9.	दमन और दीव	–
10.	दिल्ली	93
11.	गोवा	4
12.	गुजरात	82
13.	हरियाणा	23
14.	हिमाचल प्रदेश	–
15.	जम्मू और कश्मीर	27
16.	झारखंड	–
17.	कर्नाटक	98
18.	केरल	42
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	132
21.	महाराष्ट्र	353
22.	मणिपुर	2
23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	2
26.	उड़ीसा	20
27.	पुदुचेरी	1
28.	पंजाब	5
29.	राजस्थान	15
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	36
32.	त्रिपुरा	2

1	2	3
33.	उत्तराखंड	13
34.	उत्तर प्रदेश	80
35.	पश्चिम बंगाल	35
	कुल	1,209

[हिन्दी]

किसान टीवी और रेडियो

3346. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करने हेतु किसान टेलीविजन चैनल और किसान रेडियो स्टेशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने 24 घंटे कृषि टीवी चैनल प्रारंभ करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एजेंसी को नियुक्त किया है। इसकी रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

इस समय, पृथक किसान रेडियो केंद्र प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आकाशवाणी के 96 अभिनिर्धारित केंद्रों का किसानों के लिए सप्ताह में 6 दिन 30 मिनट के किसान वाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सभी आकाशवाणी केंद्र अपने स्वयं के कृषि कार्यक्रम प्रसारित करते हैं तथा कृषि मंत्रालय दूरदर्शन और आकाशवाणी के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए ''मास मीडिया सपोर्ट टु एग्रीकल्चर एक्सटेंशन'' स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

[अनुवाद]

भू-पत्तन प्राधिकरण स्थापित करना

3347. श्री तथागत सत्पथीः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार यात्री और माल की सीमा पार आवाजाही को सुकर बनाने हेतु भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक नया विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भू-सीमाओं पर व्यापार और यातायात के कितना बढ़ने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। यात्रियों और माल की सीमा पर आवाजाही को सुकर बनाने के लिए सरकार ने भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) गठित किए जाने का प्रस्ताव किया है। सीमा व्यापार के लिए एलपीएआई, एक प्रशासनिक प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य करेगी जिसमें भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) एक नवोन्मेषी संस्थागत व्यवस्था है जिसका उद्देश्य हमारी सीमाओं पर आईसीपी के माध्यम से सीमा पार करने वाले नामित केन्द्रों/भू-पत्तनों पर बेहतर प्रशासनिक और संगत प्रबंधन प्रदान करना है। प्रत्येक आईसीपी, वन-स्टाप लोकेशन वाला होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की संप्रभु और संप्रभु से इतर सेवायें प्राप्त करने के लिए आधुनिक सुविधायें और आधारभूत संरचनायें मौजूद होंगी।

(ग) और (घ) एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का निर्माण और प्रबंधन करने तथा उससे जुड़े या उससे प्रासांगिक मामलों के लिए भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण स्थापित किए जाने हेतु एक विधेयक अर्थात् 'भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2008' लोक सभा में दिनांक 18.12.2008 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर 14वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान विचार नहीं किया जा सका और यह पारित नहीं हो सका और 14वीं लोक सभा भंग होने के साथ ही एलपीएआई विधेयक भी व्यपगत हो गया। सरकार का भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009 को नवगठित 15वीं लोक सभा में पुनः प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जब एलपीएआई और आईसीपी काम करना शुरू कर देंगे तो हमारी सीमाओं पर सीमा पार करने वाले ऐसे नामित केन्द्रों पर व्यापार और वाणिज्य तथा यात्रियों की आवाजाही की मात्रा

बढ़ने की संभावना है। तथापि, यह वृद्धि प्रत्येक सीमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रवेश/निकाशी केंद्रों, व्यापार संधियों/करारों, विद्यमान द्विपक्षीय संधियों आदि पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

3348. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान और वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन सड़कों/पुलों की मरम्मत के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां मांगने वाले राज्य कौन से हैं और मांगी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए इस मंत्रालय की कोई पृथक नीति नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाढ़/वर्षा आदि के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों पर छोटी-छोटी विकृतियों से लेकर सड़कों पर कटानों जैसी बड़ी क्षतियां होती रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली क्षतियां सामान्यत: छोटे गड्ढे, ऐलीगेटर क्रेक्स, स्ट्रिपिंग, रैवलिंग, डिप्रेशन, अन्ड्यूलेशन, सरफेस डैमेज, सबग्रेड फेलियर, सड़क की कटान, तटबंधों और मिट्टी के पुस्तों का कटाव और अपरदन, आर-पार जल निकास कार्यों और उनके पहुंच मार्गों को क्षति, भूस्खलन आदि हैं। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में और चालू वर्ष के दौरान इन क्षतियों की मरम्मत के लिए स्वीकृत प्राक्कलनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों, यातायात घनत्व और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। तूफान, वर्षा आदि के कारण विभिन्न राज्यों में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए इन खंडों की मरम्मत के लिए तदनुसार समय-समय पर कार्रवाई की गई।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित निधि के हिस्से के प्रकाशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन आबंटित निधि का संपूर्ण हिस्सा वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विकास और अनुरक्षण के लिए जुटाया जा रहा है। किसी भी राज्य ने क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से निधि नहीं मांगी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षतियों की मरम्मत के लिए संस्वीकृत प्राक्कलनों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान संस्वीकृत प्राक्कलनों की कुल लागत			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8.67	6.09	5.22	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.09	4.81	3.12	

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3.90	21.88	2.82	3.63
4.	बिहार	2.30	18.37	25.50	
5.	छत्तीसगढ़	5.02	2.91	3.26	
6.	गोवा	0.15	2.44	–	
7.	गुजरात	7.90	9.00	6.03	
8.	हरियाणा	0.75	1.50	2.41	
9.	हिमाचल प्रदेश	1.50	3.77	8.63	
10.	जम्मू और कश्मीर	0.70	–	2.20	
11.	झारखंड	1.88	3.75	3.38	
12.	कर्नाटक	5.26	20.54	7.87	
13.	केरल	4.50	6.01	6.38	
14.	मध्य प्रदेश	8.18	3.01	4.08	
15.	महाराष्ट्र	14.99	15.63	25.13	
16.	मणिपुर	0.74	7.71	3.58	2.41
17.	मेघालय	1.30	8.23	1.98	3.75
18.	मिजोरम	0.81	10.28	2.50	1.51
19.	नागालैंड	0.97	6.81	4.57	3.08
20.	उड़ीसा	10.50	14.25	18.00	
21.	पुदुचेरी	0.09	–	–	0.37
22.	पंजाब	0.23	0.60	1.34	
23.	राजस्थान	11.92	7.15	3.75	
24.	तमिलनाडु	9.09	5.17	13.17	
25.	त्रिपुरा	0.44	2.23	4.15	0.45
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	9.80	16.45	
27.	उत्तराखण्ड	2.34	4.03	5.40	
28.	पश्चिम बंगाल	4.19	17.30	16.06	

[अनुवाद]

नकली उर्वरकों का उपयोग

3349. श्री निशिकांत दुबे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अपमिश्रित और नकली उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशियों की बिक्री और उपयोग के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और कृषि उत्पाद पर ऐसे उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में लाए गए अपमिश्रित और नकली उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशियों की बिक्री के राज्य-वार मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के संदर्भ में, अवमानक पाए गए उर्वरकों के नमूनों की संख्या और प्रतिशत निम्नानुसार है:-

वर्ष	संख्या	प्रतिशत
2005-06	6728	6.0
2006-07	6956	6.0
2007-08	5933	6.2

गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के संदर्भ में गलत लेबल लगे पाए गए कीटनाशक नमूनों की संख्या और प्रतिशत नीचे दी गई है:-

वर्ष	संख्या	प्रतिशत
2006-07	1574	3.28
2007-08	1330	3.16
2008-09	528	2.47

(घ) उर्वरकों की गुणवत्ता उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत अधिशासित है जो ऐसे उर्वरकों की बिक्री को निषेध करता है जो इस आदेश में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार द्वारा 71 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 1.31 लाख नमूना है।

इसी प्रकार, कीटनाशकों और कृमिनाशकों की गुणवत्ता और बिक्री कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत विनियमित की जाती है। 21 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में 52,940 नमूनों की वार्षिक नमूना विश्लेषण क्षमता के साथ 55 कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें प्रवर्तन एजेंसियां हैं और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत वे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से अधिकार प्राप्त हैं।

गुजरात में राजमार्ग परियोजनाएं

3350. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात तथा दीव और दमन में कार्यान्वयनाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इनमें कितनी प्रगति हुई है तथा कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं का निर्माण और रख-रखाव कार्य विलंबित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में 4747.89 करोड़ रु. की धनराशि के 94 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 52 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 42 कार्य प्रगति पर हैं। अभी तक इन कार्यों पर 1379.35 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 और 8ए पर गागोधर-गड़ामोड़ खंड में निर्माण कार्य में सूरजबाड़ी नदी पर पुल

के निर्माण में देरी होने के कारण विलंब हुआ है और इस कार्य को नवंबर, 2009 तक पूरा किए जाने की संभावना है। तापी नदी पर पुल के निर्माण में विलंब के परिणामस्वरूप रारा-8 के भरूच-सूरत खंड में निर्माण कार्य पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है जिसे अगस्त, 2009 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

पुलिस बलों के आधुनिकीकण के लिए उड़ीसा को निधियां

3351. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना में उग्रवादियों से अत्यधिक प्रभावित राज्य के कुछ जिलों को शामिल करने और पुलिस बटालियनों को एनएसजी पैटर्न पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के तहत, उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2009-10 हेतु 57.95 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्रवाई योजना गृह मंत्रालय को अग्रेषित की है। कार्रवाई योजना में हथियारों से संबंधित घटक, रिहाइशी/गैर-रिहाइशी इमारतों का निर्माण, आवाजाही, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण का उन्नयन, संचार उपकरण इत्यादि शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उड़ीसा की 2009-10 की एमपीएफ वार्षिक योजना को कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया था कि देवगढ़, जाजपुर, कंधमाल, धेनकनाल और नयागढ़ जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना में शामिल किया जाए। इन जिलों को शामिल कर लिया गया है और इस संबंध में 23.06.2009 को आदेश जारी कर दिए गए है।

उड़ीसा राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में एनएसजी द्वारा पुलिस कमांडों कोर्स में एक कम्पनी के प्रशिक्षण हेतु अनुरोध किया था। तदनुसार, 6 जुलाई से 25 सितम्बर, 2009 तक 50 सीटे उड़ीसा पुलिस को सौंप दी गई हैं। उड़ीसा पुलिस के सभी 50 कार्मिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हो गए हैं तथा वर्तमान में वे प्रशिक्षण ले रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि

3352. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि योग्य तथा गैर कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल कितना है;

(ख) कितने हैक्टेयर क्षेत्र में राज्य-वार अलग-अलग एक और कई फसलें उगाई जाती है;

(ग) गैर कृषि योग्य भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) देश में कृषि योग्य भूमि जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र, परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि तथा विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि निहित है, 2006-07 में 182708 हजार हैक्टेयर थी। गैर-कृषि योग्य भूमि जिसकी गणना कुल बतलाए गए क्षेत्र से कृषि योग्य भूमि को घटाकर की गयी है, 2006-07 में 122799 हजार हैक्टेयर थी। 2006-07 में राज्यवार कृषि योग्य भूमि तथा गैर कृषि योग्य भूमि संबंधी विवरण (अनन्तिम) संलग्न है।

(ख) 2006-07 में राज्यवार शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा कुल फसलयुक्त क्षेत्र (अनन्तिम) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) संघ सरकार ने एक परामर्शी, नीति निर्धारण करने तथा निगरानी निकाय के रूप मे एक राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की है ताकि देश की शुष्क भूमि तथा वर्षा सिंचित कृषि के क्रमबद्ध उन्नयन एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी आदानों को प्रदान किया जा सके। भूमि एवं जल नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से वर्षा सिंचित एवं निम्नकोटि की भूमि जिसमें सूखी एवं बंजर भूमि शामिल है, के विकास के लिए जल संभरण की उपलब्धता सिंचित पहुंच पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसिंचित विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ग्रस्त नदी के श्रवण में निम्नकोटि की भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भू-संरक्षण, कृषि क्षेत्रों के स्थानान्तरण करने में जल संभरण विकास परियोजना, क्षारीय एवं अम्लीय भूमि के सुधार एवं विकास तथा अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भूमि संसाधन विभाग तीन केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है नामत: सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा जल सिंचित आधार पर एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् भूमि, जल एवं वनस्पति कवर का संरक्षण एवं विकास करना है। विगत पांच वर्षों के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत 2.92 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 5487 परियोजनाओं, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 0.196 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 392 परियोजनाओं तथा 2.26 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 452 परियोजनाओं को एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी प्रदान की गयी है।

विवरण

कृषि वर्ष 2006-07 (अनन्तिम) हेतु राज्यवार कृषि योग्य भूमि, गैर-कृषि योग्य भूमि तथा कुल फसलयुक्त क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कृषि योग्य भूमि	गैर-कृषि योग्य भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल फसल हेतु क्षेत्र
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	15911	11594	10147	12811
अरुणाचल प्रदेश	422	5237	209	275
असम	3224	4626	2753	3553
बिहार	6638	2722	5556	7582
छत्तीसगढ़	5581	8209	4722	5732
गोवा	197	164	137	172
गुजरात	12412	6457	9852	12202
हरियाणा	3782	590	3556	6394
हिमाचल प्रदेश	813	3732	543	947
जम्मू और कश्मीर	1048	2733	742	1126
झारखंड	4184	3786	1769	2643
कर्नाटक	12894	6156	10105	12438
केरल	2329	1557	2101	2918
मध्य प्रदेश	17312	13444	14735	20113
महाराष्ट्र	21162	9596	17475	22571
मणिपुर	231	1720	224	224
मेघालय	1057	1170	213	265
मिजोरम	213	1733	92	92
नागालैंड	657	938	322	406

1	2	3	4	5
उड़ीसा	7473	8098	5739	8677
पंजाब	4270	763	4243	7983
राजस्थान	25600	8665	16764	21534
सिक्किम	155	573	112	123
तमिलनाडु	8148	4879	5126	5843
त्रिपुरा	310	739	280	294
उत्तराखंड	1504	4162	768	1241
उत्तर प्रदेश	19268	4933	16633	25800
पश्चिम बंगाल	5751	2933	5296	9635
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47	748	13	14
चंडीगढ़	2	5	1	2
दादरा और नगर हवेली	24	25	22	28
दमन और दीव	3	0	3	3
दिल्ली	54	93	23	43
लक्षद्वीप	3	0	3	3
पुदुचेरी	31	18	20	36
अखिल भारत	182708	122799	140298	193723

खाद्य तेल आयात के लिए राजसहायता

3353 श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों का आयात करने वाली कंपनियों को हुई हानि की पूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) खाद्य तेलों का आयात करने वाली निजी कमपनियों को होने वाली हानियों को कवर करने के लिए राजसहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता

3354. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश में राज्य-वार और क्षेत्र-वार चीनी मिलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी उत्पादन क्षमता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार, केरल सहित देश में चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(30.6.2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4	5
पंजाब		7	16	23
हरियाणा		3	12	15
राजस्थान	1	1	1	3
उत्तर प्रदेश	33	94	28	155
उत्तराखंड	2	4	4	10
मध्य प्रदेश	2	5	5	12
छत्तीसगढ़			1	1
गुजरात		1	22	23
महाराष्ट्र		30	165	195
बिहार	15	13		28
असम		1	2	3
उड़ीसा		4	4	8
पश्चिम बंगाल	1	1		2
आंध्र प्रदेश	1	27	15	43
कर्नाटक	3	32	23	58
तमिलनाडु	3	22	16	41
पुदुचेरी		1	1	2
केरल		1	1	2
गोवा			1	1
नागालैंड	1			1
कुल	62	247	317	626

कृषि अनुसंधान में निवेश

3355. श्री प्रदीप माझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित निवेश तथा कृषि अनुसंधान एवं वास्तव में कितना निवेश किया गया;

(ग) सरकार द्वारा 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान कृषि अनुसंधान हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए इसका पुनरुद्धार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी, हां। देश में कृषि अनुसंधान परिषद ने 11वीं योजना के दौरान 12023 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं जो 10वीं योजना के 5368 करोड़ रुपये परिव्यय तथा नौवीं योजना के 3376.95 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है।

वर्षवार योजना निधि का आबंटन तथा वास्तविक व्यय की स्थिति के अनुसार है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	वास्तविक व्यय
2007-08	1620.00	1284.26
2008-09	1760.00	1653.81
2009-10	1760.00	संकलित किया जाना है।

(घ) से (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एमएसएमई उत्पादों का संवर्धन

3356. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादों की बिक्री के संवर्धन हेतु नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बाजार विकास सहायता योजना, वेन्डर विकास कार्यक्रम, क्रेता-एवं-विक्रेता बैठकों, निर्यात हेतु पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि जैसी अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त मौजूदा नीति के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विशेषरूप से खरीद हेतु 358 मदें आरक्षित हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एकल हिन्दु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यथा नि:शुल्क निविदा सेट, बयाना जमा करने से छूट आदि। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत यथा-परिकल्पित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए एक प्रापण नीति के विनिर्धारण हेतु भी कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3357. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री अर्जुन चरण सेठी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार की है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विपत्ति से घिरे उत्कृष्ट खेल विभूतियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशिष्ट खेल पदक विजेताओं को वित्तीय लाभ देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें क्या अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) दरिद्र अवस्था में रहने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता की दरें 01.07.2008 से संशोधित कर दी गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) दरिद्र अवस्था में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पात्रता सीमा 36,000 रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(2) खिलाड़ियों को घातक चोट के लिए सहायता 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 5.00 लाख रु. कर दी गई है।

(3) घातक चोट से भिन्न गंभीर चोट के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गई है।

(4) स्थायी रूप से असमर्थ उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए पेंशन 2500 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रु. प्रतिमाह कर दी गई है (अनुग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है)।

(5) अन्य मामलों में पेंशन 2,000 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,000 रु. प्रतिमाह कर दी गयी है (अनुग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है)।

(6) दरिद्र अवस्था में रह रहे परिवारों के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(7) चिकित्सा उपचार के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(8) प्रसिद्ध कोचों, रैफरियों तथा अम्पायरों के लिए सहायता 20,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दी गयी है।

चूंकि हाल ही में 01.07.2008 से वित्तीय सहायता की राशि पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है, अत: फिलहाल विपत्ति में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) जिन खिलाड़ियों/कोचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन्हें नीचे दर्शाई गई दरों के आधार पर पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है:-

पुरस्कार का नाम	विद्यमान पुरस्कार राशि	2009 से संशोधित पुरस्कार राशि
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	5.00	7.50
द्रोणाचार्य पुरस्कार	3.00	5.00
ध्यानचंद पुरस्कार	3.00	5.00
अर्जन पुरस्कार	3.00	5.00

इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, ओलंपिक पदक विजेताओं, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रथम श्रेणी/द्वितीय एसी के मानार्थ कार्ड पास प्रदान करता है।

किसानों को क्रेडिट कार्ड

3358. श्री राजनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किसानों को कुल कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए गए;

(ख) उक्त क्रेडिट कार्डों के बारे में कुल कितने किसानों ने चूक की; और

(ग) ऋण माफी योजना के तहत राज्य-वार कुल कितने किसानों को लाभ पहुंचा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान किसानों को जारी किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का ब्यौरा इस प्रकार है:

(सं. लाख में)

वर्ष	जारी किए गए केसीसी की संख्या
2006-07	85.11
2007-08	84.70
2008-09	67.96

(ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि मार्च, 2009 तक 828.70 लाख केसीसी जारी किए गए हैं जिनमें से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने 476.16 लाख केसीसी जारी किए हैं। मार्च, 2009 तक सहकारी बैंकों तथा आरआरबी द्वारा जारी किए गए कुल 476.16 लाख केसीसी में से 238.39 लाख केसीसी क्रियाशील खाते हैं। जारी किए गए शेष केसीसी या तो अतिदेयों के पुनर्भुगतान में चूक अथवा केसीसी का नवीकरण कराने में किसानों की अनिच्छा के कारण क्रियाशील नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के पास क्रियाशील केसीसी खातों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	ऋण माफी स्कीम के तहत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या		
	छोटे किसान/सीमांत किसान	अन्य किसान	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6646198	1109029	7755227
असम	319546	18146	337692
अरुणाचल प्रदेश	10775	1241	12016
बिहार	1662971	94548	1757519
छत्तीसगढ़	493828	201119	694947

1	2	3	4
दिल्ली	1324	388	1712
गुजरात	576137	410605	986742
गोवा	1592	768	2360
हरियाणा	527490	357612	885102
हिमाचल प्रदेश	114997	4794	119791
जम्मू और कश्मीर	47449	3081	50530
झारखंड	639187	27239	666426
कर्नाटक	1171983	555360	1727343
केरल	1390546	40192	1430738
मध्य प्रदेश	1715624	659202	2374826
महाराष्ट्र	3023000	1225000	4248000
मेघालय	40885	2129	43014
मिजोरम	18699	1641	20340
मणिपुर	56670	1393	58063
नागालैंड	12623	2290	14913
उड़ीसा	2377022	135935	2512957
पंजाब	227416	193862	421278
राजस्थान	1111821	732765	1844586
सिक्किम	7140	651	7791
तमिलनाडु	1427280	328206	1755486
त्रिपुरा	60502	1101	61603
उत्तर प्रदेश	4794348	621693	5416041
उत्तराखंड	154962	18733	173695
पश्चिम बंगाल	1445743	16590	1462333
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1537	958	2495
चंडीगढ़	148	79	227
दादरा और नगर हवेली	351	137	488
दमन और दीव	65	38	103
लक्षद्वीप	130	2	132
पुदुचेरी	26247	5055	31302
कुल	30106236	6771582	36877818

[अनुवाद]

उग्रवाद के पीड़ितों को सहायता

3359. श्री आनंदराव अडसुलः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों, उग्रवादियों, घुसपैठियों तथा नक्सलवादियों द्वारा की गई हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए कोई योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार ने आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए एक स्कीम पहले ही अर्थात् 01.04.2008 से प्रारंभ की हुई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर http://mha.nic.in 'सर्कुलर फार पब्लिक' शीर्षक से उपलब्ध हैं।

खाद्यान्नों का आयात

3360. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्यान्नों का आयात किस दर पर किया गया तथा तत्संबंधी उत्पादन, मांग तथा उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों की मांग से अधिक उत्पादन होने के बावजूद ऊंची कीमत पर उनका आयात कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लौह अयस्क भंडार

3361. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लौह अयस्क भंडारों का कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों को खनन पट्टा दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 01.04.2005 की स्थिति के अनुसार देश में लौह अयस्क का कुल भंडार 7.06 बिलियन टन है. और लौह अयस्क का कुल संसाधन 25.25 बिलियन टन आका गया है। लौह अयस्क के भंडार/संसाधन पर राज्यवार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयर बुक में दी जाती है

(ग) भंडार संसाधनों के विस्तृत गवेषण का प्रकार्य है और गतिक स्वरूप के होते हैं। संसाधनों की संगणना के प्रयोजनार्थ लिए गए इस्पात उत्पादन का स्तर तथा लौह अयस्क का ग्रेड यह विनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि लौह अयस्क डिपाजिट कितने वर्षों तक चलेगा। अनुमानित आंकड़ा 150 से 200 वर्षों के बीच हो सकता है जो लगाए गए अनुमान पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है, अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) में यथा परिभाषित कंपनी को खनन पट्टा मंजूर किया जा सकता है। इस प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केदारनाथ रोड की स्थिति

3362. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केदारनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रोड की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बद्रीनाथ मंदिर के समान सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 109 के रुद्रप्रयाग से गौरी कुंड के मध्य 75.3 किमी. लंबी सड़क अच्छी यातायात योग्य स्थिति में है और इस सड़क को एकल लेन से दो लेन का बनाने के सुधार कार्य प्रगति पर है। गौरी कुंड से आगे केदारनाथ तक (14 किमी.) का खंड, पैदल/खच्चर मार्ग है और राज्य सरकार द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है/यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा नहीं है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर स्वतंत्रता सेनानियों पर धारावाहिक

3363. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनवृत्त पर धारावाहिकों तथा कार्यक्रमों का निर्माण/प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा किन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनवृत्तों पर दूरदर्शन-वार धारावाहिक तथा कार्यक्रम प्रसारित/निर्मित किए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रमुख स्वतंत्रता-सेनानियों की जीवनियों पर आधारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों का प्रसारण भारत सरकार द्वारा जारी समारोह/वार्षिकोत्सव कैलेण्डर के अनुसार किया जाता है।

प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया है:

(1) भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पर 5 कड़ियों की श्रृंखला

(2) ''स्वराजनामा'' पर 13 कड़ियों की श्रृंखला

(3) ''भारत एक खोज'' पर 53 कड़ियों की श्रृंखला

(4) ''स्वराज'' पर 34 कड़ियों की श्रृंखला

(5) ''कलर्स ऑफ फ्रीडम''

(6) ''भारतीयान''

(ग) कार्यक्रम की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दूरदर्शन केंद्रों/चैनलों द्वारा विख्यात स्वतंत्रता सैनानियों के जीवन पर प्रसारित कार्यक्रम

क्र.सं.	दूरदर्शन केंद्रों	कार्यक्रम
1	2	3
1.	जालंधर	करतार सिंह सारभ पर एक म्यान में दो तलवारें, सतगुरु राम सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह
2.	कोलकाता	खुदीराम बोस पर हसी-हसी परबो फसी, श्री अरविंदो पर विप्लावर पंचती बछार, विपिन चंद्र पाल पर अग्नि तुगेर, विस्मृत नायक, बिरसा मुंडा पर माहम वीर
3.	मुंबई	स्वतंत्रयाचा उदघोष, रघुनाथ मोरे, गुराजी एवं भगत सिंह फाटक पर कार्यक्रम-हेलो मान्यवर इतिहास स्वतंत्रयाचा उदघोष-लोकमान्य तिलक पर वृत्तचित्र
4.	हैदराबाद	प्रकान्याकुटु प्रकासम सरदार जमालपुरम केसव राव दुर्बाबाई देशमुख, ववीलाला गोपालकृष्णैहा पिंगाली वेंकैया, सुरावरम् प्रताप रेड्डी, रघुपति वेंकटरत्नम् नायडु, कोमारम्, भीम, कन्नगति हनुमंतु, अल्लुरी सीताराम राजू, मुत्नूरी कृष्णा राव, च. पीवी मुर्ति राजू कासू ब्रह्मानंद रेड्डी

1	2	3
5.	चेन्नै	मीना कृष्णा स्वामी, अंसारी, दुरैस्वामी सुंदरलिंगम् सुबरामन, पूली दवान पी.एस. कुमारस्वामी राजा, पी.एस. सुंदरम् काल्की कृष्णामूर्ति, वीरू पची गोपालस्वामी नैकर शिवामुत्तु कृपा पिल्लै, के.आर. जमदग्नि, परमाशिवम कैप्टन लक्ष्मी, वी.वी.एस. अय्यर मदरै मौलाना साहिब, वेदांत अय्यर, ऐनी बेसंट अम्मैयार, टीके षणमुगम्, लक्ष्मण अय्यर, गणेश अय्यर मुनुस्वामी, के.टी. कोसारीराम, जी.एस. रामकृष्णन कल्याण रमैया, मुतु कुमारपा रेड्डियार अरुणाचलम् ऐरापोनम राजगोपाल, रतीनवेलू अमरसिम्मन, अहमद शाह, वेल्लुस्वामी देवार अविनाशीलिंग चेटियार, कोवई सुब्रमण्यम राममृतम् अम्माल, कुमारस्वामी गौंडेर आदिकेशवेलु नयाकर, कुमारस्वामी राजा उलागंधन सुबला पिल्लै, सुब्रमण्य शास्त्रीगल वीराभागु पिल्लै, गोमती संकर, दिक्षिता उदय पेरुमल गोंडेर, कैप्टन जानकी देवार ए.एन. शिवारमण, सुवाना गोंडेर पताबुई रामा अय्यर, अलुपट्टी सुब्रमण्यम अय्यर सी. सुब्रमण्यम, सेनगलियाप्पन, इरातईमालिया श्रीनिवासन सर्वपल्ली राधाकृष्णन
6.	रांची	बिरसा मुंडा
7.	देहरादून	स्वतंत्रता संग्राम के नायक, स्वतंत्रता संग्राम की जयंती पर विचार गोष्ठी, एक मुलाकात
8.	रायपुर	पंडित सुंदर लाल शर्मा, भारतायन गंगाधर
9.	अहमदाबाद	श्री महाजोत मोटा पर वृत्तचित्र सूयकांत पारेख तथा श्रीमती गीता पारेख़ श्री चुन्नी भाई वैद्य, जीव राज मेहता पर वृत्तचित्र ब्रह्म कुमार भट्ट एवं श्री नवीन चंद्र रवानी नारायण भाई देसाई एवं गांधीयन
10.	जयपुर	कन्हैया लाल सेतिया, गोविंद गुरु, माणिक लाल वर्मा, मोती लाल तेजावत, बाबा हरीश चंद्र, गोकमभाई भट्ट, हरिदेव जोशी गौरीशंकर उपाध्याय, भोगी लाल पांड्या जमना लाल बजाज, पंडित अभिन्नहरि, हीरा लाल शास्त्री हरि भाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक मोहन लाल सुखाडिया, शिव चरण माथुर केसरी सिंह, मास्टर बलवंत सिंह मेहता बाबा पन्ना दास, तांत्या टोपे, दुर्गा दास राठौर सूर्यमल मिश्रा

1	2	3
11.	राजकोट	राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गांधी विचार गोष्ठी
12.	सिल्चर	फिरे एशो अगेन, शहीद खुदीराम बोस, चाचा नेहरू, नान-वायलेंस, देबोश्री दत्ता, बिनय, बादल, दिनेश, नेताजी लाहा प्रणाम
13.	डिब्रुगढ़	श्री टंकेश्वर चेतिया रमेश चंद्र बोरा, शिशुराम दत्ता, श्री हरेंद्र नाथ मेक
14.	पटना	आज के मेहमान-श्री देवलाल सिन्हा
15.	हिसार	श्री रणवीर सिंह हुड्डा पर टीवी रिपोर्ट श्री रणवीर सिंह हुड्डा पर वृत्तचित्र लाला देशबंधु गुप्ता पर वृत्तचित्र
16.	पणजी	श्री बोनफसिओ डायस, श्री विनायक घड़ी
17.	भुवनेश्वर	शहीद लक्ष्मण नायक, शहीद रघु दिवाकर, वीर सुरेन्द्र साल, शहीद बाघा जतिन

डीडी इंडिया चैनल

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
1	2
1.	महात्मा गांधी का जीवन और दर्शन
2.	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3.	चाच नेहरू
4.	भारत रत्न डॉ. जाकिर हुसैन
5.	सरोजिनी नायडु पर विशेष कार्यक्रन "भारत कोकिला"
6.	बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर विशेष कार्यक्रम
7.	अरुणा आसफ अली
8.	आजाद की याद-शहीद चंद्रशेखर आजाद पर कार्यक्रम
9.	"एक व्यक्ति एक देश"-स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पर विशेष कार्यक्रम
10.	"पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत" के जीवन और युग के क्षण
11.	अशफाक उल्ला खां
12.	"पंडित नेहरू"-स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू पर वृत्तचित्र
13.	स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम-"इंदिरा एन इंडियन फर्स्ट"
14.	"इंदिरा प्रियदर्शिनी"-स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर विशेष कार्यक्रम
15.	"द सुप्रीम लीडर" नेताजी सुभाषचंद्र बोस की वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम
16.	महात्मा द ग्रेड सोल
17.	महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर एक टीवी रिपोर्ट
18.	"ए लाइन सेक्रेड बियोंड वर्ड्स"-शहीद भगत सिंह की जन्मशती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम
19.	"धरती का लाल"-भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पर विशेष कार्यक्रम
20.	"लगेंगे हर बरस मेले"-शहीद भगत सिंह पर विशेष कार्यक्रम
21.	युगदृष्टा गांधीजी
22.	महात्मा गांधी की 139वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण
23.	"धरती का लाल" भारत रत्न श्री लालबहादुर शास्त्री (टी.एफ.)

1	2
24.	इंदिरा गांधी-एक महिला एक मां
25.	अकबर रोड से श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत संबंधी कार्यक्रम की सीधी कवरेज
26.	बाल दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम-नेहरू ए पिक्टोरियल बायोग्राफी
27.	"मिरर टु एन एज"-पंडित जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा
28.	महात्मा-महात्मा गांधी पर वृत्त चित्र
29.	महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम-"इंदिरा प्रियदर्शिनी"
30.	राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक सीरीज-"बापूजी"
31.	आजादी की राह पर-सुभाष चंद्र बोस
32.	"एक उत्तंग व्यक्तित्व"-डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर पर कार्यक्रम

डीडी भारती चैनल

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
1	2
1.	एक व्यक्ति एक देश-लाल बहादुर शास्त्री पर
2.	आजाद की याद-महान शहीद चंद्र शेखर आजाद पर
3.	गांधी-मानवता के लिए उनका योगदान
4.	खादी दर्शन-महात्मा गांधी पर
5.	गांधी एक विचार
6.	महात्मा-महात्मा गांधी पर एक सिरीज
7.	महामानव की याद-महात्मा गांधी पर
8.	फखरुद्दीन अली अहमद
9.	सरोजिनी नायडू
10.	बा तुम आत्म दर्शन हो-कस्तूरबा गांधी पर वृत्तचित्र
11.	एक विचार की खोज में-डा. राम मनोहर लोहिया
12.	बाबूजी-बाबू जगजीवन राम पर आधारित कार्यक्रम
13.	मानवता के पुजारी-डा. भीमराव अम्बेडकर पर
14.	अरुणा आसफ अली
15.	जय जगत-विनोबा भावे
16.	बहादुर शाह जफर
17.	लोक मान्य तिलक-उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर
18.	रमा देवी-एक महान समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सैनानी पर वृत्तचित्र
19.	बाबा पृथ्वी सिंह आजाद
20.	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कार्यक्रम
21.	द सर्च फार टुथ-एनी बेसंट पर कार्यक्रम
22.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस
23.	"स्नेहमयी" कमला नेहरू पर
24.	स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय कविता-रविन्द्र नाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती तथा काजी नसरूल इस्लाम जैसे राष्ट्रीय कवियों एवं अन्य क्षेत्रीय कवियों का योगदान
25.	इंकलाब-एक विचार की यात्रा-शहीद भगत सिंह पर

[अनुवाद]

एनएफएसएम के तहत आवंटन

3364. श्री वैजयंत पांडा:
श्री रामकिशुन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राज्यों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टें दर्शाती हैं कि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों (2007-08 एवं 2008-09) के दौरान चावल एवं गेहूं पर 2.35 लाख प्रदर्शन आयोजित किए गए जिनमें लगभग एक लाख है. क्षेत्र कवर किया गया है। इसके अलावा, लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च पैदावार वाली किस्मों के चावल बीज और 13 हजार क्विंटल संकर चावल बीजों का वितरण किया गया। गेहूं के मामले में 34.5 लाख क्विंटल उच्च पैदावार वाले बीजों का वितरण किया गया। इसके अलावा किसानों को विभिन्न दलहनों के 5.7 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त, जिप्सम/लाइम/सूक्ष्म पोषक तत्वों से खराब मृदाओं का उपचार किया गया। किसानों के क्षमता निर्माण के तहत 14,535 कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का आयोजन एनएफएसएम के तहत किया गया।

एनएफएसएम के तहत संकेन्द्रित एवं लक्ष्योन्मुखी प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों ने चावल, गेहूं, दलहनों के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। चावल उत्पादन में 2006-07 में 93.35 मिलियन टन के मुकाबले 2007-08 के दौरान 96.69 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया गया। 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 99.15 मिलियन टन चावल उत्पादन का अनुमान है जो 2006-07 की तुलना में 5.8 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन 2006-07 में 75.81 मिलियन टन के मुकाबले 2007-08 के दौरान 78.57 मिलियन टन दर्ज किया गया। 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 80.58 मिलियन टन चावल के उत्पादन का अनुमान है जो 2006-07 की अपेक्षा 4.77 मिलियन टन ज्यादा है। 2007-08 के दौरान 14.76 मिलियन टन दलहन उत्पादन दर्ज किया गया जो 2006-07 की अपेक्षा 0.56 मिलियन टन ज्यादा है। 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 14.66 मिलियन टन दलहन उत्पादन का अनुमान है जो 2007-08 में हुए उत्पादन के बराबर ही है।

(ख) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित कोषों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीम का नाम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 23.7.2009 तक (करोड़ रु. में)

राज्य	2007-08					2008-09					2009-10				
	चावल	गेहूं	दलहन	प्रचार	कुल	चावल	गेहूं	दलहन	प्रचार	कुल	चावल	गेहूं	दलहन	प्रचार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ांध्र प्रदेश	15.95	0.00	28.11	0.76	44.82	36.69	0.00	68.34	1.00	106.03	38.32	0.00	84.02	2.71	125.05
ासम	11.51	0.00	0.00	0.16	11.67	32.43	0.00	0.00	0.20	32.63	26.22	0.00	0.00	1.06	27.28
हार	2.63	28.92	3.38	1.38	36.31	39.28	40.87	29.46	0.00	109.61	10.89	36.42	32.89	1.69	81.88
ीसगढ़	4.41	0.00	9.63	0.51	14.55	35.30	0.00	52.22	0.00	87.52	34.40	0.00	15.52	0.91	50.83
त	0.00	4.80	2.26	0.31	7.37	4.45	9.48	7.21	0.41	21.55	0.56	3.28	10.41	0.85	15.11
णा	0.00	18.74	2.15	0.62	21.51	0.00	25.53	1.68	0.00	27.21	0.00	20.05	8.68	0.67	29.41
खंड					0.00	12.77	0.00	0.00	0.30	13.07	10.94	0.00	0.00	0.99	11.93
टक	2.42	0.00	5.11	0.34	7.87	19.39	0.00	15.92	0.50	35.81	13.65	0.00	33.59	1.49	48.73
ल	0.00	0.00		0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
ध्य प्रदेश	0.00	26.47	16.94	3.06	46.47	20.89	42.85	50.83	0.00	114.58	6.42	36.56	40.65	0.72	84.35
ाराष्ट्र	0.87	3.97	8.58	0.72	14.14	15.06	19.51	42.78	1.53	78.88	15.71	8.40	46.92	1.53	72.56
उड़ीसा	6.46	0.00	4.57	0.31	11.34	40.02	0.00	28.43	0.81	69.26	27.77	0.00	13.31	2.03	43.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पंजाब	0.00	31.08	0.66	1.14	32.88	0.00	41.09	4.10	0.00	45.19	0.00	42.18	6.27	0.15	48.59
राजस्थान	0.00	15.04	8.53	1.05	24.62	0.00	25.59	14.63	1.48	41.70	0.00	24.31	15.88	1.97	42.16
तमिलनाडु	9.17	0.00	4.44	0.25	13.86	41.18	0.00	6.14	0.50	47.82	17.79	0.00	12.28	2.31	32.38
उत्तर प्रदेश	0.00	70.79	8.41	4.59	83.79	33.74	120.07	38.43	0.00	192.24	43.08	142.69	67.11	0.16	253.03
पश्चिम बंगाल	6.09	7.27	1.86	0.78	16.00	49.02	5.69	15.69	0.00	70.39	54.68	4.78	12.34	0.49	72.29
कुल	59.51	207.08	104.63	15.98	387.20	382.11	330.68	375.87	6.73	1095.38	303.90	318.67	399.86	19.73	1042.16

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रिहाइशी व्यवस्था

3365. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन स्थानों की पहचान कर ली गई है जहां राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खिलाड़ियों तथा इसके भाग लेने वालों को ठहराया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोजन में कितने खिलाड़ियों के आगमन के पूर्वानुमान है तथा उनके ठहरने की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रंमडल खेल, 2010 के लिए लगभग 8000 खिलाड़ियों के आने की संभावना है तथा उन्हें खेल गांव में ठहराया जाएगा जिसे एनएच 24 के बगल में अक्षर धाम मंदिर के समीप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस गांव में राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की आवश्यकताओं के अनुसार खिलाड़ियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

[अनुवाद]

लघु उद्यमों का मूल्यांकन करने के लिए समिति

3366. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संसद के दोनों सदनों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों, विभिन्न क्षेत्रों और व्यापार संघों से सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में से प्रतिनिधियों को शामिल कर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की स्थापना की है। एनबीएमएसएमई अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों की जांच करता है तथा ऐसे उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है। सरकार ने एक सलाहकार समिति भी स्थापित की है जो अन्यों के साथ ही एनबीएमएसएमई द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच भी करता है और इसके विचारार्थ समुचित उपायों की अनुशंसा भी करता है।

राष्ट्रमंडल खेलों का प्रसारण

3367. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रमंडल खेलों का टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण हेतु की गई तैयारी का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती अपने घटकों-दूरदर्शन और आकाशवाणी- के माध्यम से टेलीविजन और रेडियो पर राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 की प्रसारण संबंधी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

टेलीविजन पर प्रसारण संबंधी योजना की विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार है:

1. उद्घाटन और समापन समारोहों का डीडी नेशनल, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी इंडिया चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। डीडी न्यूज अपने समाचार बुलेटिनों में इन समारोहों का सीधा प्रसारण करेगा।
2. डीडी स्पोर्ट्स, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की अवधि के दौरान सभी आयोजनों का सीधा प्रसारण और चौबीसों घंटों विलंबित सीधा प्रसारण करेगा। यह चैनल, खेलों के आयोजन की अवधि के दौरान राष्ट्रमंडल खेल चैनल बन जाएगा।
3. राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान डीडी नेशनल पर रोजाना एक घंटे मुख्य अंश प्रसारित किए जाएंगे।

रेडियो पर प्रसारण संबंधी योजना की विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार है:

1. उद्घाटन और समापन समारोहों के आंखों देखे हाल का सीधा प्रसारण करने के अलावा, खेल आयोजनों के दौरान रोजाना 7 घंटे 30 मिनट के लिए कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
2. दिन भर के खेल आयोजनों के बारे में जानकारी देने वाले एक कार्यक्रम का हर रात प्रसारण किया जाएगा।
3. हिंदीतर भाषाई राजधानियों के स्टेशनों द्वारा क्षेत्रीय कैप्सूलों का प्रसारण किया जाएगा। एफ.एम. रेडियो चैनलों पर हर घंटे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जाएगी। विदेश सेवा प्रभाग द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू में कैप्सूलों का प्रसारण किया जाएगा।
4. आकाशवाणी ने खेलों से पूर्व के कार्यक्रम के रूप में क्वींस बैटन रिले को पर्याप्त कवरेज उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है।

(ग) आकाशवाणी, राष्ट्रमंडल खेलों के सीधे प्रसारण/रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त कार्यक्रम एवं तकनीकी अधिकारियों, टीकाकारों को प्रतिनियुक्ति करेगा। खेलों के प्रसारण के संबंध में उन्हें सुग्राही बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण किया जाएगा और वे कार्यशालाओं में भी भाग लेंगे।

मेजबान प्रसारक द्वारा हाई डेफिनिशन टेलीविजन (एचडीटीवी) में मूल प्रसारण विषय-वस्तु (वैश्विक प्रसारण विषय-वस्तु) निर्मित की जाएगी। मेजबान प्रसारक, खेलों पर कार्यक्रम-निर्माण और इनके कवरेज के लिए एक कंपनी के चयन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी कर दिया गया है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन सहित भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल प्रसारण विषय-वस्तु को युक्ति-संगत बनाएंगे।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास भारतीय क्षेत्र के लिए टीवी और रेडियो हेतु अनन्य प्रसारण अधिकार हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क पर युक्ति-संगत विषय-वस्तु का सीधा/विलंबित प्रसारण किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन में एक अंतराष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने हेतु पक्षकारों की चयनित सूची तैयार करने के लिए रुचि-अभिव्यक्ति जारी कर दी गई है।

अनार के रोग

3368. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में 'मार' और 'तेल्या रोगों' के कारण अनार के उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/कृषि वैज्ञानिक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इन उत्पादकों को कोई सहायता दे रहे है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अनार उत्पादकों को सहायता देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। ज्ञात रोगों में, मार (मुरझान)

के साथ-साथ तेल्या (बैक्टीरियल ब्लाइट) मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अनार उत्पादक कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोग का फैलाव उचित फलोद्यान प्रबंधन पद्धतियों की कमी और पूर्व-निपटान पर्यावरणीय स्थितियों के बने रहने से जुड़ा हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकार ने अच्छी प्रबंधन पद्धतियों (जीएमपी) संबंधी एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत तीन राज्यों में बैक्टीरियल ब्लाइट प्रभावित अनार क्षेत्रों के लिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमश: 4434.12 लाख रुपए और 5549.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। इसके अलावा, किसानों के खेतों के प्रदर्शन के जरिए निगरानी, प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा जागरूकता लाने के घटकों के साथ एक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी है।

(च) (1) इन रोगों को न्यूनतम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "फलोद्यान स्वास्थ्य प्रबंध अनुसूची" मुहैया कराई है।

(2) 25 सितम्बर 2005 को सोलापुर में स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने "तेल्या" और अन्य दूसरे रोगों के प्रबंधन के लिए पहले ही एक व्यापक प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है जिसका प्रदर्शन देश में मुख्य अनार उत्पादक क्षेत्रों में किया जाता है।

(3) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ने "तेल्या" रोग के विरुद्ध प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण और प्रदर्शन में मदद की है।

[हिन्दी]

8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषायें

3369. योगी आदित्यनाथ:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या संघ सरकार को आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों द्वारा किन भाषाओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया है तथा भोजपुरी भाषा के बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) संविधान की आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने के संबंध में भारत के संविधान में कोई मानदंड निर्धारित नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी, भूटिया, मिजो और राजस्थानी भाषाओं को शामिल किए जाने के अनुरोध क्रमश: बिहार, सिक्किम, मिजोरम और राजस्थान की राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की लंबित मांग पर कोई भी निर्णय सीताकांत महापात्र समिति की सिफारिशों और उन सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के मद्देनजर लिया जाएगा। आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगों पर विचार किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

कृषि की वार्षिक वृद्धि दर

3370. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
श्री उदय सिंह:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री एस.एस. रामासुब्बु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही;

(ख) क्या वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से कम रही;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी इस कमी का मुख्य कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर (1999-2000 के मूल्यों पर) वर्ष 2008-09 के दौरान 1.6% थी।

(ख) और (ग) कृषि का वृद्धि लक्ष्य 11वीं योजना (2007-12) हेतु 4% निर्धारित किया गया है। 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 4.9% तथा 1.6% रही। 2007-08 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि केवल 5.0% रही।

(घ) और (ङ) कृषि वृद्धि पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का कोई संकेत नहीं है। कृषि क्षेत्र में निवेश गत वर्षों के दौरान 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.1% से बढ़कर 2007-08 में 13.3% हो गया है।

(च) कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई राज्य नियोजन योजना यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4% की कृषि वृद्धि प्राप्त करने के लिए 2007-08 के दौरान प्रारंभ की गई है। 4% की कृषि वृद्धि प्राप्त करने की रणनीति निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर देगी:

* दालों तथा तिलहन क्षेत्र पर जोर देते हुए प्रादेशिक विशिष्टता आधार पर प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में तेजी लाना।
* कृषि, जीवन निर्वाह प्रणाली तथा बेहतर वाटर शेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षासिंचित तथा शुष्क भूमि क्षेत्रों का विकास।
* निचले स्तर (ग्रास रूट) पर सुपुर्दगी तंत्र में सुधार करने के लिए विस्तार प्रणाली को बेहतर बनाना।
* जोखिम कम करने, ग्रामीण संकट में कमी तथा बेहतर सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करना।
* पंचायत राज संस्थानों की और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका।
* बाजारों को आधुनिक बनाना।
* निवेश क्षमता में सुधार तथा सब्सिडी को न्यायसंगत बनाना।

पुनः, एक केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक खाद्यान्नों का 20 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन जिसमें चावल का 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन शामिल है, को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ रबी 2007-08 से राज्यों के 312 चिन्हित जिलों में प्रारम्भ की गई है।

किसानों के लिए विपणन सुविधाएं

3371. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को अपने उत्पादों के विपणन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे उन्हें खुले बाजार में घाटे पर कतिपय विनिर्दिष्ट एजेंसियों को बेचने के लिए मजबूर है;

(ख) यदि हां, तो किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विपणन अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि विपणन में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कृषि जिन्सों की खरीद-फरोख्त मुख्य रूप से देश भर में फैले मण्डी और उपयोर्डों (प्राथमिक और द्वितीयक थोक मण्डियों) और ग्रामीण आवधिक मण्डियों में होती है। कृषि जिन्स खेत से उपभोक्ता तक कई मण्डी चैनलों के माध्यम से पहुंचते हैं जिन्स-दर-जिन्स भिन्न-भिन्न है और किसान अपने उत्पाद की बिक्री के लिए किसी भी चैनल जहां कीमतें उनके अनुकूल हो, को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, उन्हें अपने उत्पादों को खुले बाजार में कुछ नामित एजेंसियों को घाटे पर बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।

(ख) किसानों को उनके कृषि उत्पादों के विपणन के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:-

(1) विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क: स्कीम का उद्देश्य देश भर में फैले महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद मण्डियों, राज्य

कृषि विपणन बोर्डों और निदेशालयों को इलेक्ट्रानिक सम्पर्कता प्राप्त करके एक राष्ट्र व्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करना है। स्कीम मूल्यों और मण्डी संबंधित सूचनाओं के संग्रहण और प्रसार के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता अपनी बिक्री और खरीद से अधिकतम लाभ लेने के लिए इसका सक्षम और समय पर उपयोग कर सकें और वर्तमान विपणन सूचना पद्धति में प्रभावी सुधार करके विपणन की क्षमता को बढ़ा सकें।

(2) ग्रामीण गोदामों का निर्माण: यह केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, जो अप्रैल, 2001 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि आदानों आदि के भंडारण के लिए किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन और रहने ऋण और विपणनऋण की सुविधा प्रदान करके मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकना है। स्कीम की शुरूआत से 30 जून, 2009 तक स्कीमों के तहत 553.80 करोड़ रु. की पात्र राजसहायता की निर्मुक्ति से 240.87 लाख एमटी की क्षमता वाले 20689 ग्रामीण गोदाम स्वीकृत किए गए हैं।

(3) कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण: 20.4.2004 से शुरू यह सुधार से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कृषि जिन्सों हेतु सामान्य या जिन्स विशिष्ट विपणन अवसंरचना और जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान कृषि मण्डियों नामत: थोक, ग्रामीण अथवा आवधिक के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी लागत पर ऋण संबद्ध निवेश राजसहायता प्रदान करती है। 20.10.2004 से स्कीम की शुरूआत से 31.3.2009 तक नाबार्ड, एनसीडीसी और राज्य एजेंसियों द्वारा 4338 मण्डी अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई है और 234.50 करोड़ रुपये की राजसहायता निर्मुक्त की गई है।

(4) लघु कृषक के कृषि व्यापार परिसंघ (एसएफएसी) के जरिए कृषि व्यापार विकास स्कीम: कृषि व्यापार विकास के लिए उद्यम पूंजी सहायता संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम, जिसे 19 जुलाई, 2005 को अनुमोदित किया गया था, एएफएसी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। एसएफएसी ने 31.3.2009 तक 57.30 करोड़ रु. की उद्यम पूंजी सहायता को शामिल करके 227 कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। परियोजनाओं में 549.30 करोड़ रुपये के निजी निवेश को लाने की आशा है।

(5) टर्मिनल मण्डी कम्पलेक्स (टीएमसी) की स्थापना: विभाग ने अपने बनाओ और चलाओ के आधार पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करके देश के महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में फलों, सब्जियों और अन्य नाशवान वस्तुओं के लिए आधुनिक टर्मिनल मण्डी कम्पलेक्स की स्थापना हेतु पहल की है। विभाग ने चल रही टर्मिनल मण्डी कम्पलेक्स स्कीम में संशोधन किया है जिसके तहत अब परियोजना लागत के 40% से अनधिक राजसहायता प्रदान की जायेगी और जो 50.00 करोड़ रुपये प्रति टीएमसी से अधिक नहीं होगी। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्पादक संघों के लिए एक विकल्प का प्रावधान बनाया गया है कि वे परियोजना की साम्यता में अधिकतम 26% की भागीदारी ले सकते हैं।

(6) कृषि विपणन में सुधार: विपणन अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से 2003 के दौरान कृषि विपणन में सुधारों पर एक माडल अधिनियम तैयार किया था और इसे अपनाने के लिए उन्हें परिचालित कर दिया था। माडल विधान में देश में कृषि मण्डियों के प्रबंधन व विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सीधी बिक्री के लिए निजी मण्डियों/यार्डों, सीधे खरीद केन्द्रों, उपभोक्ता/कृषक मण्डियों की स्थापना का प्रावधान है। विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाये गये सुधारों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(7) न्यूनतम समर्थन मूल्य: सरकार मुख्य कृषि जिन्सों के लिए प्रत्येक मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी घोषित करती है और सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रचालन आयोजित करती है। नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियां खरीद प्रचालन चलाने के लिए मण्डी में हस्तक्षेप करती है। जिसका उद्देश्य यह है कि मण्डी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित एमएमपी से नीचे न गिरे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिपारिशों, राज्य सरकारों व केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा साथ ही समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्यों पर निर्णय लेती है।

(8) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम: आमतौर पर शीघ्र खराब होने वाली और मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन कवर नहीं की गई बागवानी व कृषि जिन्सों की खरीद के लिए कृषि मंत्रालय मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) भी

कार्यान्वित कर रहा है ताकि इन जिन्सों के उत्पादकों की रक्षा की जा सके। मूल्यों के आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे आ जाने की स्थिति में और सर्वाधिक आवक अवधि के दौरान भारी फसल होने पर मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बचने के लिए एमआईएस को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना आयोग द्वारा गठित कृषि विपणन अवसंरचना संबंधी कार्य दल और 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए अपेक्षित नीति 11वीं योजनावधि के दौरान विपणन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण व विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु 43000 करोड़ रुपये के अलावा 64312 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रक्षेपित किया है। इस निवेश का बड़ा भाग निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है जिसके लिए समुचित विनियामक और नीतिगत व्यवस्था जरूरी है।

(ङ) कृषि विपणन के लिए और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। ब्यौरा प्रश्न के भाग क के उत्तर में दिया गया है।

विवरण

30.06.2009 की स्थिति के अनुसार कृषि मंडियों (एपीएमसी अधिनियम) में सुधारों की प्रगति

क्र.सं.	सुधारों के स्तर	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम
1.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां सीधे विपणन, संविदा कृषि और निजी/सहकारी क्षेत्रों में मंडियों के लिए एपीएमसी अधिनियम में सुधार कर लिए हैं।	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा
2.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां एपीएमसी अधिनियम में आंशिक रूप से सुधार कर लिया गया है।	(क) सीधा विपणन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (ख) संविदा कृषि हरियाणा (ग) निजी मण्डियां पंजाब और चण्डीगढ़
3.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां कोई एपीएमसी अधिनियम में नहीं है अतः सुधारों की जरूरत नहीं है।	बिहार*, केरल, मणिपुर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप
4.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां एपीएमसी अधिनियम में पहले ही सुधार के प्रावधान हैं।	तमिलनाडु
5.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां सुधारों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।	मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश

*1.9.2006 से एपीएमसी अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

30.06.2009 की स्थिति के अनुसार एपीएमसी नियमों की स्थिति

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, (एक से ज्यादा मण्डी के लिए केवल विशेष लाइसेंस के लिए) और हरियाणा (केवल संविदा कृषि कृषि के लिए) राज्यों ने अभी तक ऐसे संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

3372. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) को कृषि मंत्रालय से हटाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में एनआरएए की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरआरए) कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है

और पनधारा विकास कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अन्तर मंत्रालयी एजेंसी के रूप में तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है।

प्राधिकरण ने अत्याधुनिक पनधारा के कार्यक्रमों के लिए एक नये खाके के साथ पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश प्रकाशित किये हैं। प्राधिकरण ने एक दृष्टिकोण दस्तावेज ''वर्षासिंचित क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाना'' भी तैयार किया है। दृष्टिकोण दस्तावेज वर्षासिंचित क्षेत्रों के समग्र एवं संतत विकास के लिए नवाचारी नीतियों, ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और अवसरों को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा प्रदान करेगा। प्राधिकरण ने राज्यों में वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए भावी योजना तैयार करने में राज्यों को सुविधा देने के लिए विस्तृत प्रारूप विकसित किया है। प्राधिकरण ने सामान्य दिशानिर्देश अपनाने के लिए राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की हैं और भावी योजनाएं तैयार करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी शुरू किया है। एनआरआरए विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से योजना आयोग के साथ देश के सभी राज्यों में पशुपालन और डेयरी की स्कीमों की समीक्षा में संबद्ध है। प्राधिकरण ने कृषि और पर्यावरण मंत्रालयों को जलवायु परिवर्तन मिशन में तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया है। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए प्रशमन रणनीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है। उपरोक्त के अलावा, एनआरआरए ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं:

(1) वर्षा सिंचित आजीविका: प्रगतिशील प्रतिमान

(2) वर्षा सिंचित क्षेत्रों की आजीविका सुधारने हेतु सोयाबीन आधारित कृषि पद्धति।

(3) हिवारे बाजार-समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में एक अनुभव।

(4) भारत की बंजर भूमियों/अपरदित भूमियों के आंकड़े संबंधी सैटों का संगतीकरण।

(5) भारत में खाद्य सुरक्षा, जल एवं ऊर्जा का संबंध।

(6) विविधीकृत आजीविका और वृद्धित उत्पादकता के लिए किसान और उद्योग सहभागिता-एक आईटीसी विषय अध्ययन।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सड़क निर्माताओं के लिए नई व्यवस्था

3373. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के सड़क निर्माताओं के लिए सड़क निर्माण को लाभप्रद बनाने के लिए किसी नई आर्थिक प्रणाली की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उन निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण परियोजनाओं को निविदादाताओं को आकर्षित नहीं कर पाई थीं, की पुनर्संरचना शुरू की है ताकि उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

नकली शराब

3374. श्री सज्जन वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर नकली शराब के उत्पादन/वितरण/उपभोग की सूचनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष नकली शराब को पीने से मृत ऐसे व्यक्तियों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किन राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध प्रभावी है; और

(ङ) देश में नकली शराब की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संग्रहित जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 से 2007 के तीन वर्षों के दौरान नकली शराब पीने के कारण हुए मामलों चोट खाए व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण-I संलग्न है। वर्ष 2005 से 2007 के दौरान निषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों, चार्ज शीट किए गए एवं दोष सिद्ध मामले, गिरफ्तार व्यक्तियों, चार्ज शीट किए गए और दोषसिद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

उन्मत करने वाली शराब को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-8 द्वारा विशेष रूप से कवर किया जाता है और राज्यों के पास उनका उत्पादन,

विनिर्माण, धारणाधिकार, आवागमन, क्रय एवं विक्रय को नियमित करने की अनन्य शक्ति है। हालांकि राज्य सरकारें ऐसे अपराधों का निवारण, संसूचन, पंजीयन करने और उनकी जांच करने और अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के जरिए अपराधियों का अभियोजन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, तथापि संघ सरकार अपराध निवारण को सर्वाधिक महत्व देती है और अत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर परामर्श देती रहती है कि वे दण्ड न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर अधिक ध्यान दें तथा अपराध एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करें।

विवरण I

वर्ष 2005-2007 के दौरान नकली/जहरीली शराब से हुई दुर्घटनात्मक मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2005						
			जख्मी व्यक्ति			मृत व्यक्ति		
		मामले	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य:							
1.	आंध्र प्रदेश	35	0	0	0	28	10	38
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	1
3.	असम	1	86	0	86	17	0	17
4.	बिहार	76	11	2	13	36	41	77
5.	छत्तीसगढ़	8	0	0	0	5	3	8
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	40	0	0	0	35	5	40
8.	हरियाणा	62	0	0	0	56	6	62
9.	हिमाचल प्रदेश	14	0	0	0	13	1	14
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	18	0	0	0	7	3	10
12.	कर्नाटक	78	0	0	0	55	24	79
13.	केरल	2	0	0	0	1	1	2
14.	मध्य प्रदेश	15	2	0	2	12	1	13
15.	महाराष्ट्र	1	0	0	0	4	2	6
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	212	0	0	0	150	62	212
22.	राजस्थान	30	47	0	47	32	0	32
23.	सिक्किम	1	0	0	0	1	0	1
24.	तमिलनाडु	52	0	0	0	35	18	53
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	45	10	2	12	42	4	46
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	11	2	0	2	6	3	9
	कुल (राज्य)	702	158	4	162	536	184	720
	संघ शासित राज्यः							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	0	1	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	3	0	0	0	1	2	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	4	0	0	0	2	2	4
	कुल (अखिल भारत)	706	158	4	162	538	186	724

वर्ष 2005-2007 के दौरान नकली/जहरीली शराब से हुई दुर्घटनात्मक मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2006						
			जख्मी व्यक्ति			मृत व्यक्ति		
		मामले	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्यः							
1.	आंध्र प्रदेश	99	0	0	0	85	19	104
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	51	5	2	7	29	23	52
5.	छत्तीसगढ़	38	0	0	0	24	14	38
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	55	0	0	0	35	20	55
8.	हरियाणा	9	0	0	0	8	1	9
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	21	1	0	1	17	4	21
12.	कर्नाटक	10	0	0	0	13	5	18
13.	केरल	2	0	0	0	1	1	2
14.	मध्य प्रदेश	42	0	0	0	29	13	42
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	0	0	0	1	0	1
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	14	0	0	0	13	1	14
21.	पंजाब	103	0	0	0	66	37	103
22.	राजस्थान	3	0	0	0	3	0	3
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	116	35	17	52	100	25	125
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	99	17	3	20	78	13	91
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	2	0	2	3	1	4
	कुल (राज्य)	677	60	22	82	506	177	683

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	संघ शासित राज्य:							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	2	0	0	0	1	1	2
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	2	0	0	0	1	1	2
	कुल (अखिल भारत)	679	60	22	82	507	178	685

वर्ष 2005-2007 के दौरान नकली/जहरीली शराब से हुई दुर्घटनात्मक मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2007						
			जख्मी व्यक्ति			मृत व्यक्ति		
		मामले	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य:							
1.	आंध्र प्रदेश	84	0	0	0	63	22	85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	0	1	1	4	0	4
4.	बिहार	62	7	0	7	41	27	68
5.	छत्तीसगढ़	39	0	0	0	22	17	39
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	84	0	0	0	70	14	84
8.	हरियाणा	57	0	0	0	44	13	57
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	6	1	3	4	1	1	2
11.	झारखंड	30	2	1	3	27	4	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	142	0	0	0	81	61	142
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	14	0	0	0	14	0	14
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	16	0	0	0	18	4	22
21.	पंजाब	175	0	0	0	127	48	175
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	101	29	19	48	107	28	135
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	55	14	1	15	47	3	50
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	388	62	25	87	182	143	325
	कुल (राज्य)	1255	115	50	165	848	385	1233
	संघ शासित राज्यः							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	18	0	0	0	12	6	18
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	18	0	0	0	12	6	18
	कुल (अखिल भारत)	1273	115	50	165	860	391	1251

विवरण II

2005-2007 के दौरान निषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र दायर किए गए मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2005						2006						2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1084	1243	1068	1618	1796	1214	886	689	457	999	928	529	1530	1477	619	1531	1493	708
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	1	16	3	1	13	7	0	8	5	0	8	9
4.	बिहार	0	3	0	0	4	0	22	2	0	27	4	0	4	22	4	6	27	4
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	126356	126792	13054	133589	134708	13877	137022	131853	114764	141119	137809	117971	158444	156612	89018	167460	165553	89857
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	7068	7018	3364	10965	10757	5804	4826	5779	3854	8935	9774	6947	6460	6875	3620	12504	13320	7843
14.	मध्य प्रदेश	2092	2092	755	2084	2084	756	1955	1955	1372	5322	5322	6650	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	93959	99738	3345	98813	106337	3559	81364	80779	1246	84247	85524	1304	75904	75500	1276	79780	79638	1347
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	262	262	60	300	272	160	221	221	377	252	267	259	169	169	181	190	190	187
19.	नागालैंड	35	32	27	73	84	37	28	31	28	55	53	59	27	21	15	44	25	18
20.	उड़ीसा	5	3	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	10	7	2	18	15	4	8	4	6	14	7	2	2	1	0	3	1	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	95270	75542	56551	92869	82862	57861	89447	61667	41724	88201	62477	41884	101746	73579	49360	99809	84920	54091
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	15	13	0	16	16	0	15	12	0	21	17	0	10	9	0	9	9	0
	कुल (राज्य)	326156	78226	89226	340355	338945	83272	315797	283010	163831	329197	302200	175612	344297	314273	144098	361336	345184	154064
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30	20	1	79	61	5	77	49	2	206	115	5	59	61	4	192	181	9
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	4	1	0	3	1	0	9	5	3	5	4	1	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	संघ शासित राज्य	34	21	1	82.0	62	5	86	54	5	211.0	119	6	59	61	4	192.0	181	9
	कुल अखिल भारत	326190	312766	78227	340437	339007	83277	315883	283064	163836	329408	302319	175618	344356	314334	144102	361528	345365	154073

राज्यों में सड़कों का विकास

3375. श्री राधामोहन सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित विभिन्न राज्यों में सड़कों के विकास की गति को तेज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 'उन्नयन समिति' का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजमार्गों के निर्माण में सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए से 3जे के प्रावधानों तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के कानूनी ढांचों के अंतर्गत अधिगृहीत की जाती है। जब कभी कमियां अथवा समस्याएं आती हैं, तब आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

युक्लिप्टस बागान पर प्रतिबंध

3376. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युक्लिप्टस के वृक्षों की हानियों की सूचनाएं हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप भूजल का स्तर गिरता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में युक्लिप्टस वृक्षों के लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)

द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, युक्लिप्टस रोपणों से भूगत जल स्तर और अधिक नहीं गिरता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अध्ययन आयोजित किए हैं और सूचित किया है कि भारत में युक्लिप्टस की कई प्रजातियां रोपण हेतु उपलब्ध हैं और पानी की आवश्यकता के संबंध में वे एक दूसरे से भिन्न हैं तथा अधिकतर के बारे में भूगत जल से अधिक पानी खींचने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। सूचित किया गया है कि युक्लिप्टस प्रजातियों में से कुछ किस्में शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और कुछ प्रजातियां जैसे ई. कैमलडुनेन्सिस और ई. टेरेटिसिरनिस कुछ स्थानों पर विशेषकर जल प्लावित क्षेत्रों में भूगत जल से अधिक पानी खीचती हैं।

देश में युक्लिप्टस वृक्षों के रोपण पर रोक लगाने का सरकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों का कल्याण

3377. श्री भक्त चरण दास:
श्री राजनाथ सिंह:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों तथा उनके परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे तथा सीमांत किसानों सहित किसानों को लाभकर मूल्य सुनिश्चित करने तथा निम्न ब्याज दर पर सहज रूप से बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) सरकार ने किसानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है- योजना परिव्यय में वृद्धि, सकल निवेश में वृद्धि करने के प्रयास, हाल के वर्षा के दौरान स्कीमों/कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करना जैसे- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), संशोधित वृहद कृषि प्रबंधन (एमएमए) आदि। आरकेवीवाई कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई राज्य योजना स्कीम है। आरकेवीवाई का मूल उद्देश्य कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। संशोधित एमएमए का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में चौतरफा विकास लाना है। जल का कुशल प्रयोग सुनिश्चित करने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई संबंधी स्कीम शुरू की गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान उच्च पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन में भारी उछाल आया है।

पिछले वर्ष के संदर्श आंकड़े की तुलना में 2008-09 के वार्षिक संशोधित आकलन के लिए कृषि हेतु कुल वित्तीय परिव्यय (राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित) में वृद्धि 34.5% थी। इसे 2008-09 के संशोधित आकलन की तुलना में 2009-10 में 13.4% बढ़ाकर 11915.22 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है।

कृषि जिन्स संबंधी सरकार की मूल्य नीति में उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। गत 5 वर्षों के दौरान प्रमुख अनाजों में 49% से 78% तक की रेंज में और दलहनों एवं तिलहनों में 83% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में काफी वृद्धि की गई है। परिणामत: किसानों ने बड़े क्षेत्र को कवर किया और ज्यादा उत्पादन किया।

सरकार ने किसानों को ब्याज के वहनीय निम्न दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। ऋण के प्रवाह में सुधार लाने और किसानों के विपदाजनक स्थिति का शमन करने के उद्देश्य से विशेष फार्म ऋण पैकेज भारी ऋण प्रवाह के साथ मौजूद है। 3 लाख रु. तक का फसल ऋण 7% पर प्रदान किया जाना है। भारत सरकार 7% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को स्वयं उनकी संलग्नता के लिए ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। समय से भुगतान के लिए इस वर्ष से 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जायेगा। किसानों के समय से और श्रम मुक्त ऋण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 1998-99 से पूरे देश भर में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रही है। बैंकों ने 31 मार्च, 2009 तक 812.9 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। कुल ऋण प्रवाह में 2003-04 में 86981 करोड़ रुपये से 2008-09 में 2,87,149 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है और 2009-10 में इसे आगे 325000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

सरकार द्वारा उठाये गये कई कदमों और उन पर किसानों की उत्साह वर्द्धक प्रतिक्रिया के कारण 2007-08 के दौरान 230.77 मिलियन टन का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हो सका। यही सकारात्मक रूख गत वर्ष के दौरान जारी रहा। चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008-09 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 233.87 मिलियन टन होने की संभावना है। गत 4 वर्षों के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में औसत विकास दर 4% से ज्यादा रही है।

विशिष्ट व्यक्तियों को सी.आई.एस.एफ. की सुरक्षा देना

3378. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा संबंधी खतरों के मद्देनजर प्रधान मंत्री सहित विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विचार निजी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के नए दायित्व को लेने के मद्देनजर अपनी जनशक्ति में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सुरक्षा संबंधी खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से मिली सूचना के अनुसार, इस समय अपनी बल क्षमता को बढ़ाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नक्सलियों द्वारा अत्याधुनिक हथियार खरीदना

3379. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नक्सलियों द्वारा रॉकेट लांचरों सहित अत्याधुनिक हथियार हासिल करने के बारे में रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नई चुनौती से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, माओवादियों के पास रॉकेट लाउन्चर सहित अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। नक्सलवादी मुख्यत: लूटपाट के माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में अपने हथियार प्राप्त करते हैं। वे इसे अवैध हथियार बनाने वाली इकाइयों से भी प्राप्त करते हैं। कानून एवं व्यवस्था चूंकि राज्य का विषय हैं, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, जो नक्सलवादियों के छुपने के ठिकानों एवं अवैध हथियार बनाने वाली इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखते हैं तथा आसूचना-आधारित कार्रवाईयां करते हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न तरीकों से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इनमें राज्य पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; आसूचना का आदान-प्रदान; अंतर्राष्ट्रीय समनव्य की सुविधा; और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की शृंखलाबद्ध योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में भारत-इजरायल सहयोग

3380. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा इजरायल ने आंध्र प्रदेश सहित देश में कृषि तथा डेयरी क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इजरायल के सहयोग से कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारत और इजरायल के बीच कृषि और संबद्ध कार्यकलापों, जिनमें डेयरी क्षेत्र शामिल है, में सहयोग के लिए एक समझौता है। इस सहयोग में सहयोगी अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन, कृषि विपणन, आदान मुहैया कराना और विस्तार तथा डेयरी क्षेत्र शामिल हैं।

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने इजरायली कम्पनी के साथ एक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि मुहैया कराने पर सहमति दी है।

(ग) इजरायल को कृषि के लिए जल के कुशल उपयोग, उच्च मूल्य कृषि, फसलोपरान्त प्रबंधन तथा कृषि मशीनरी में अग्रणी माना जाता है। इन क्षेत्रों में इजरायली विशेषज्ञता का लाभ लिया जा रहा है।

पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

3381. श्री तथागत सत्पथी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मामले विभाग 17 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगारनी करता है। जबसे पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है तब से 9 आवश्यक वस्तुओं (अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चीना, दूध, सरसों का तेल, वनस्पति, नमक और आलू) के मूल्य स्थिर रहे हैं। तथापि, दालों (चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल) के मूल्यों में वृद्धि हुई है। किन्तु इस वृद्धि का कारण पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि होना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि यह वृद्धि मांग और आपूर्ति में अंतर तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने के कारण हुई है। चाय और प्याज जैसी अन्य मदों के मूल्य वस्तुतः कम हुए हैं।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में घुसपैठ

3382. श्री वैजयंत पांडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्व क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए इस क्षेत्र सहित देश में नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की स्थिति क्या है;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र तथा उड़ीसा में अवैध घुसपैठ की स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने में सरकार के कितना सफल होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन 12 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में किया गया था। 28.62 लाख व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 12.88 लाख व्यक्तियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी किए गए हैं और शेष को राष्ट्रीय पहचान संख्यांक दिया गया है। प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य 31.03.2009 को समाप्त हो चुका है।

प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर सरकार ने 2011 की जनगणना के साथ देश में प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं के ब्यौरे एकत्र कर एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। बाद में इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के फोटो और अंगुली की छाप जोड़ी जाएगी। तथापि, 26/11 की घटना के पश्चात् तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य 2009-10 के दौरान किया जाएगा। यह योजना प्रथम चरण में कवर किए जाने वाले 3331 तटीय गांवों के संबंध में अनुमोदित की गई है। नगरों/शहरों सहित शेष तटीय क्षेत्रों को 2011 की जनगणना के साथ कवर किया जाएगा।

तटीय गांवों की योजना के अंतर्गत पहले चरण में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान पत्र दिए जाने हैं। तथापि, देश के शेष हिस्सों में सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार को देश के विभिन्न भागों में अवैध आप्रवासन/घुसपैठ की जानकारी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ गुप्त रूप से होती रहती है। इस अवैध घुसपैठ की मात्रा के कोई विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें निर्वासित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से देश में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के संबंध में अनुरोध करते हुए समय-समय पर प्रशासनिक अनुरोध जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में अवैध घुसपैठ की बाढ़ को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना और उन्हें आधुनिक और जटिल उपकरण/गजट उपलब्ध कराना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, गश्त बढ़ाना, सीमा पर सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने, आदि के कार्य में तेजी लाना शामिल है।

विभिन्न मंचों पर बंग्लादेश सरकार के साथ नियमित रूप से अवैध आप्रवासन/प्रत्यावर्तन के मामलों को उठाया जाता है। जिसमें गृह सचिव स्तर की वार्ताएं भी शामिल हैं।

यूरेनियम पर रायल्टी दर

3383. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरेनियम के खनन हेतु राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी की दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को यूरेनियम खनन पर रायल्टी का भुगतान यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त मुआवजे के बराबर तथा मूल्य आधार पर किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यूरेनियम की खोज तथा खनन को सुचारू बनाने के लिए पहल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यूरेनियम से संबंधित दरों में संशोधन करने से संबंधित मुद्दों को एक अध्ययन समूह की सिफारिश के आधार पर उठाया गया था; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) से (ज) सरकार ने अधिसूचना सं. जीएसआर 95 (ई) दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा यूरेनियम की रॉयल्टी दरें संशोधित की है। वर्तमान में, यूरेनियम की रॉयल्टी दर, यूरेनियम खनिज के लिए मै. यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति राशि का दो प्रतिशत है और रॉयल्टी की सकल राशि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच विभाजित कर दी जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के भूवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल, सम्पूर्ण खनिज-धारक क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए क्रमबद्ध रूप से क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण किया जाए। गवेषण और अनुसंधान संबंधी परमाणु खनिज निदेशालय यूरेनियम खनिजीकरण के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहा है। रॉयल्टी दर संशोधित करने का निर्णय खान मंत्रालय में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएगे।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 538/15/09]

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 539/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री विलासराव देशमुख की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक पीए 27)-चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 540/15/09]

खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 541/15/09]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 542/15/09]

(3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 988(अ), जो 21 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 543/15/09]

(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2009-10 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 544/15/09]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): महोदया, मैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 545/15/09]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल): महोदया, मेरे सहयोगी श्री प्रतीक प्रकाशबापू पाटील की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 546/15/09]

(3) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 547/15/09]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 548/15/09]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1582(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-फैजाबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1584(अ) से 1587(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1537(अ) जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-महुआ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1573(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1574(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1624(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1517(अ) जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 786(अ) जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 में शिवनाथ नदी के ऊपर नंदघाट में हाई लेवल परमानेंट ब्रिज के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1539(अ) जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1540(अ) जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1589(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 1623(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 810(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 1662(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 196(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1663(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1583(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 340(अ) जो 27 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 551(अ) जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 911(अ) और का.आ. 912(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 607(अ) जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 861(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धोलपुर-मुरैना खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 959(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 200 (चंडीखोल-दुबुरी-तालचेर खंड) और 203 (भुवनेश्वर-पुरी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 1347(अ) और का.आ. 1348(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पनीकोइली-रिमुली खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेइस) का.आ. 864(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (लालाबाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 865(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैरवी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 915(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 916(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का.आ. 920(अ) और का.आ. 921(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरप्पुकोट्टई तुतुक्कुडी खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाइस) का.आ. 1144(अ) और का.आ. 1145(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंडुरपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1229(अ) से का.आ. 1232(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1236(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1247(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1581(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 219(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 1588(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1568(अ) जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1630(अ) और का.आ. 1631(अ) जो 6 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-पंचकुला-कालका खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1592(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के टॉल प्लाजा पर संग्रहीत की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1693(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कोथाकोटा बाईपास-कुरनुल खंड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1559(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (अमोला गांव से झांसी बाईपास खंड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 395(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलोर-नीलमंगला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 860(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नीलमंगला-हसन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1140(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (अंकोला-गूटी खंड) के ''वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासिफायर'' के संस्थापन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1199(अ) जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हुबली-धारवाड बाईपास) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1264(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में समस्त क्रॉस-ड्रेनेज कार्य के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडूनगल्लूर बाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 978(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (उनतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 549/15/09]

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 977(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 9 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 550/15/09]

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनएच-11014/2/2006-पीएंडएम, जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 30.6.2007 से प्रिजाइडिंग आफीसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पद का कार्यभार त्याग किए जाने के बारे में, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 551/15/09]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मुझे यह सूचित करना है कि राज्य सभा से वहां के महासचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है:

(एक) मुझे निदेशानुसार लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009 को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:-

"यह सभा संकल्प जारी करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में सम्मिलित हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

(1) श्री प्रवीण राष्ट्रपाल

(2) श्री मुकुट मिथी

(3) सुश्री सुशीला तिरिया

(4) श्री डी. राजा

(5) श्री थॉमस संगमा

(6) श्री लालमिंग लिआना

(7) श्री बृजभूषण तिवारी

(8) श्री वीर सिंह

(9) सुश्री अनुसुइया उइके

(10) श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि

(दो) मुझे निदेशानुसार लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009 को अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:-

"यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश पर सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहबद्ध किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों का नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

(1) डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी

(2) सुश्री नैबल रिबैलो

(3) श्री विजय कुमार रूपाणी

(4) श्री अमर सिंह

(5) श्री तपन कुमार सेन

(6) श्री भारतकुमार राऊत

(7) श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य

(तीन) मुझे निदेशानुसार लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009 को अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है:-

"यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश पर सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहबद्ध किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति में, जैसा सभापति निर्देश दें, सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

(तीन) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में विधिवत निर्वाषित किया गया है:-

(1) प्रो. सैफुद्दीन सोज

(2) श्री अश्विनी कुमार

(3) श्री प्रशांत चटर्जी

(4) डा. के. मलयसामी

(5) श्री शरद अनंतराव जोशी

(6) श्री शान्ता कुमार

(7) श्री एन.के. सिंह

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 186 उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसार, में निदेशानुसार विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 जिस रूप में उसे लोक सभा ने अपनी 23 जुलाई, 2009 की बैठक में पारित किया है, को लौटाता हूं, और यह विधेयक राज्य सभा की सिफारिशों हेतु प्रेषित किया गया और मुझे यह भी सूचित करना है कि उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को इस सभा द्वारा कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण स्थल पर 12.7.2009 को हुई दुर्घटना की जांच करने वाली उच्चं स्तरीय समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदया, जैसा कि मैंने दिनांक 13.7.2009 को सभा को सूचित कर दिया है कि दिनांक 12.7.2009 को प्रात: 5.00 बजे दक्षिणी दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश के समीप जमरुदपुर में एक लांचिंग गर्डर तथा मैट्रो पुल का एक हिस्सा गिर गया था। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। बाद में डीएमआरसी के मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) को दिनांक 21 जुलाई, 2009 को समिति से हटा लिया गया और शेष विशेषज्ञों ने अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दुर्घटना के कारणों के बारे में समिति के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

(1) कैन्टिलीवर आर्म के डिजाइन में भारी त्रुटि; तथा

(2) कंक्रीट में सम्भवत: कंक्रीट की पर्याप्त तराई न होने के कारण समुचित मजबूती का ना होना।

डीएमआरसी ने निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है:-

1. डिजाइन कंसल्टेंट, मैसर्स आर्क कंसल्टेंसी सर्विसेज को पांच वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दि स्ट्रक्चर कंसल्टेण्ट मै. टंडन कंसल्टेण्ट्स जिन्होंने डीएमआरसी को सही सलाह नहीं दी को दो वर्षों के लिये विवार्जित किया जा रहा है।

2. श्री वी.पी. श्रीवास्तव और श्री मुकेश ठाकुर, दो उप मुख्य इंजीनियर, जो डिजाइनों और साइट के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, उन्हें निलंबित किया गया है।

3. श्री राजन कटारिया, मुख्य इंजीनियर (डिजाइन), डीएमआरसी को बड़ी शास्ति के लिए आरोप पत्र दिया जायेगा।

4. श्री सी. मल्लोंगा, जनरल कंसल्टेंट के कंसल्टेंट, जिनकी कार्य की क्वालिटी सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी थी, को तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा।

5. ठेकेदार मैसर्स गैमन इंडिया को 2 वर्ष के लिए ब्लैक-लिस्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

6. श्री विजय आनन्द, डीएमआरसी के निदेशक, जिनके कार्यक्षेत्र में लान्चिग गार्डर गिरने की पूर्व दुर्घटना के साथ-साथ यह दुर्घटना हुई है, को रेलवे में वापस भेज दिया गया है।

7. डीएमआरसी ने अब तक निर्मित सभी कैन्टीलीवर पायर्स की जांच करने का विशेष अभियान शुरू किया है तथा अब उनके डिजाइन की दोबारा जांच सुप्रसिद्ध डिजाइन कंसल्टेंट मैसर्स शिरीश पटेल एंड एसोसिएट्स द्वारा की जा रही है। उनके परामर्श पर ही सभी कैन्टीलीवर पायर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

8. डीएमआरसी ने सभी डिजाइनों की जांच जनरल कंसल्टेंट्स अथवा किसी बाहरी कंसल्टेंट से करवाने का नर्णय भी किया है। साथ ही, डीएमआरसी के डिजाइन विंग को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

9. सुरक्षा तथा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनरल कंसल्टेंट को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

10. डीएमआरसी ने शिफ्ट शुरू करने से पहले टूल बाक्स सेफ्टी ड्रिल को दुरुस्त करने के भी उपाय शुरू किए हैं। डीएमआरसी ने निर्माण स्थल पर कार्यरत प्रत्येक मजदूर के लिए सुरक्षा नियमों एवं विनियमों में तीन दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। 15 दिन की अवधि में सभी मजदूरों को प्रशिक्षित कर दिया जायेगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 552/15/09]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदया: जी, हां।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह मामला मैंने उठाया था। मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से सुना है। इस घटना के बाद और कई घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि आज भी समाचार है कि अनेक स्तम्भों में दरारें आ गई हैं। इस घटना के बाद ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जानें तक गई हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस वक्तव्य पर चर्चा हो और आप इसके लिए उचित तारीख तय करें, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य सूचना दे सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: संक्षिप्त प्रश्नों का अभी या बाद में जवाब देने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मैं अपने अभिन्न मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त से अनुरोध करता हूं कि हर चीज को सनसनीखेज बना देने की प्रवृत्ति का शिकार न हों।

अपराह्न 12.10 बजे

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्द शर्मा: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे 18 खंभों में दिखाई देने वाली दरारों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अब 'शून्य काल' में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेगी।

श्री अशोक अर्गल - उपस्थित नहीं।

राजकुमारी रत्ना सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड-2, दिनांक 28.7.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मैट्रो, जिसके बारे में अभी मंत्री जी ने यहां पर जिक्र किया है, सवाल उठाना चाहता हूं। यह सही है कि सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि वह यह कार्रवाई कर रही है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो आज मैट्रो का पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, भारत में एक अच्छा प्रोजैक्ट, एक सफल प्रोजैक्ट यहां चल रहा है। अखबारों से सूचना मिली है कि केन्द्रीय सचिवालय के 8 खम्भों में दरार है, गुड़गांव कोरीडोर के 8 खम्भों में दरार है, नोएडा कोरीडोर के दो खम्भों में दरार है। मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें बड़ी तादाद में मजदूर भी मर रहे हैं। खासकर जो मैट्रो के लोग हैं, वे न्यूज चैनल्स को वे रिपोर्ट्स, अखबारों की कटिंग और फोटो भेज रहे हैं कि और जगह भी इस तरह का काम होता है तो लोग मरते हैं। इससे इन लोगों के, मजदूरों के मरने को वे जस्टीफाई कर रहे हैं।

मेरा इसमें आपसे अनुरोध है कि बड़ी तादाद में बिहार के लोग, मजदूर उसमें काम करते हैं। पिछली बार जो मजदूर मरे थे, उनमें 6 लोग मरे थे। उनमें से तीन हमारी कांस्टीट्वेंसी भागलपुर के थे। वहां एक लतीपुर गांव है, उस गांव के तीन लोग मरे थे। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस विषय को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते, हम यह चाहते हैं कि मैट्रो का काम अच्छा हो। उसके सी.एम.डी. अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ...*(व्यवधान)* गुरुदास दासगुप्त जी ने मैट्रो का इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया और उन्होंने जाकर मंत्री जी को बिजी कर दिया। मैं वही विषय उठा रहा हूं, जिसका जीरो ऑवर में मैंने नोटिस दिया है तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको ध्यान से सुनें।

हम इस विषय को सेंसेशनलाइज तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आज ठेकेदारों को 500 करोड़ रुपये महीने का भुगतान हो रहा है तो इसका क्या कारण है? अभी मैट्रो चलनी शुरू नहीं हुई है, कल यह प्रोजैक्ट कम्पलीट हो जायेगा। बिना मैट्रो चले हुए दरारें दिखने लगी हैं और ये दरारें 1-2 नहीं हैं, कई खम्भों में दरारें आई हैं। इतने बड़े ड्रीम प्रोजैक्ट को हिन्दुस्तान के लोग बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं, तो मेरा आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकार गम्भीरता से इस विषय को ले। कल ऐसा न हो कि कोई और बड़ी घटना हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें डी.एम.आर.सी. के चेयरमैन ने यह माना है कि बड़े ठेकेदार, अकुशल मजदूर और करप्ट टैंडर सिस्टम के कारण मैट्रो कार्य का निर्माण प्रभावित हुआ है। आपने 2-4 अफसरों को सैक कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जो मजदूर इसको बना रहे हैं, वे भी इस देश के हैं। उनकी जान जा रही है और मेरी चिन्ता इसलिए है कि हमारे बिहार के ज्यादातर मजदूर उसमें काम कर रहे हैं और जो मर गये, उनको एक रुपया मुआवजा नहीं दिया। रेलवे में अगर कोई मर जाता है तो उसको नौकरी मिलती है। उनको मुआवजा मिलता है, लेकिन उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर रेस्पांड करें।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदया, आपकी अनुमति से क्या मैं उत्तर दे सकता हूं। चूंकि मुझे लगता है कि मेरे उत्तर दिए बिना ही सभी टिप्पणियां अन्यथा रिकार्ड में चली जाएंगी?

सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य और सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि निर्माण के समय हुई दुर्घटनाओं और प्रचालन के समय हुई दुर्घटनाओं के बीच सही भेद करें। कुछ क्षम्य गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएमआरसी के कार्यकरण के चरण-1 के विगत सात वर्षों में एक भी दुर्घटना नहीं घटी। इसलिए, निर्माण के समय हुई दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कभी-कभार अपरिहार्य भी रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व मानदण्डों के अनुसार कार्य करते हुए हम काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लंदन से थोड़े पीछे हैं और सिंगापुर से थोड़े आगे। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक उन स्तंभों का संबंध है जिनमें दरारें आई हैं, हमने अभी तक 18 स्तंभों में दरारें देखी है। जैसाकि मैंने वक्तव्य में कहा है हरेक कैंटीलीवर स्तंभ की बारीकी से जांच की जाएगी। सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। इन 18 स्तंभों की पहचान की गई है। हम पता लगाएंगे कि दरारें ऊपरी हैं या ढांचागत। अगर दरारें ढांचागत हैं तो स्तंभों को मजबूत बनाने के तरीके मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि घबराने की कोई जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री कौशलेन्द्र कुमार-उपस्थित नहीं।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): धन्यवाद, महोदया। मैं केरल में नारियल किसानों की दुर्दशा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सरकार ने कच्चे पामोलीन और पाम ऑयल पर सीमा शुल्क लगातार कम किया है और इससे भारी मात्रा में पाम ऑयल का आयात हुआ है। यह वर्ष 2006 में 70% था और अब कम होकर शून्य हो गया है। इसके कारण नारियल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसने केरल में नारियल किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार ने डिब्बाबंद नारियल के तेल पर भी इस बहाने उत्पाद शुल्क लगा दिया है कि इसका प्रयोग केश तेल के रूप में किया जाता है। साथ ही, सरकार ने धनी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तेलों जैसे जैतून के तेल पर कोई शुल्क नहीं लगाया है जो स्पष्टत: भेदपरक और अत्यधिक आपत्तिजनक है। प्रस्तावित आसियान मुक्त बाजार करार का भी नारियल किसानों समेत केरल के किसानों पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस एफटीए के अनुसार लगभग 4000 मदों पर सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा। इससे किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे।

मैं मांग करता हूं कि सरकार आसियान मुक्त व्यापार करार करने के लिए आगे न बढ़े और कच्चे पामोलीन तथा पाम ऑयल पर सीमा शुल्क बढ़ाए। मैं सरकार से यह आग्रह भी करना चाहूंगा कि वह डिब्बाबंद नारियल तेल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस ले।

अध्यक्ष महोदया: श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के साथ श्री पी. करुणाकरन और श्री पी.के. बीजू के नाम सहयोजित किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदया, जीरो आवर के लिए हमने भी नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं समझती हूं, हम इसे बाद में भी ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जीरो आवर में कुछ को सुबह लेते हैं, शेष को बाद में लिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे माना जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) आयकर अधिनियम की धारा 115खखग की समीक्षा और आशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): आयकर अधिनियम की धारा 115खखग में ऐसी पूर्णत: धर्मार्थ न्यास/संस्थाओं पर 30% जमा अधिभार की अधिकतम मार्जिनल दर पर कर का उदग्रहण करने का उपबंध है जिन्हें अन्यथा अनाम व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए दान पर अधिनियम की धारा 10 और 11 के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं। वर्तमान में इस उपबंध से पूर्णत: धर्मार्थ न्यासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिकांशत: ये न्यास धर्म निरपेक्ष संगठन है जो समाज के कमजोर और जरुरतमंद वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मिश्रित उद्देश्यों (धार्मिक और धर्मार्थ दोनों) वाले न्यासों के लिए ऐसी कोई कराधेयता नहीं है। इस उपबंध से पूर्णत: धर्मार्थ न्यासों को धार्मिक-सह-धर्मार्थ न्यास में बदल जाने या मिश्रित प्रयोजनों के लिए नए न्यासों का गठन करने के लिए और अपने धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मार्थ स्वरूप को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

इस उपबंध से वे न्यास/संस्थाएं भी प्रभावित होंगी, जो विकलांगजनों, विधवाओं, बच्चों, पशुघरों, निर्धनों आदि के लिए नि:शुल्क सुविधाओं के लिए कार्यरत हैं और जो प्राचीन भारतीय पाठों, योग, संस्कृत के परिरक्षण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी कार्यकलाप का कैपिटेशन फीस या शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने से कोई लेना-देना नहीं है। प्रभावित न्यासों और संस्थाओं ने माननीय वित्त मंत्री को अपने अभ्यावेदन दिए हैं।

महोदया, मैं इसलिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विसंगति को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 115खखग की समीक्षा और समुचित उपांतरण करें।

(दो) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत निर्माण के अंतर्गत जिन योजनाओं को पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था उनमें कमियां पाई गई हैं। उदाहरण के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत चार साल में यानी 2005-06 से 2008-09 तक एक करोड़ हेक्टेयर खेतों को सिंचित करने का जो लक्ष्य रखा गया था वह योजना का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। किसानों के अधिकतर खेत

पानी के लिए तरस रहे हैं। कोई भी राज्य सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसान सिंचाई के साधनों से वंचित हैं। अभी भी हर 15 दिनों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के समाचार आ रहे हैं।

यह स्थिति इंदिरा आवास योजना की भी है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में इस योजना पर अंगुली उठाई गई। कई राज्यों में यह स्थिति है कि इंदिरा आवास बनाने अथवा मकानों का विस्तार करने के लिए जिन लोगों को यह राशि दी गई उनके नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं है। यही स्थिति दूसरी योजनाओं की भी है।

अत: मेरा निवेदन यह है कि भारत निर्माण के अंतर्गत सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको पूरा करने के लिए कोई निगरानी कमेटी होनी चाहिए ताकि इस बात की जिम्मेदारी नियत की जा सके कि किन कारणों से इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है।

(तीन) उत्तराखंड के उन सभी किसानों, जो पात्रता का मानदंड पूरा करते हैं, को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): महोदया, आपके माध्यम से किसानों के ऋण माफी योजना के अंतर्गत लोक महत्व के अति गम्भीर विषय की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफी एवं एकमुश्त समझौता योजना के अनुसार किसानों के लघु अवधि उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण जो 31 मार्च, 2007 तक वितरित किए गए तथा जो 29 फरवरी, 2008 तक बकाया है, केन्द्र सरकार के इस दिशा निर्देश के अनुसार योजना के पात्र होंगे।

मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड की सहकारी समितियां केन्द्र सरकार के 31 मार्च, 2007 तक वितरित किए गए ऋण के दिशा निर्देश को नहीं मान रही है। कृषि ऋण माफी योजना में उन्हीं किसानों को शामिल किया गया है जिनको 28 फरवरी, 2007 तक ऋण वितरित किया है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड की सहकारी समितियों को निर्देश जारी किया जाये कि 31 मार्च, 2007 तक वितरित ऋण और 29 फरवरी, 2008 तक बकाए ऋण के दिशा निर्देश को किसानों के ऋण माफी और एकमुश्त समझौता योजना में शामिल किया जाये, जिससे उत्तराखंड के अधिक से अधिक गरीब किसानों को इस ऐतिहासिक योजना का लाभ मिल सके।

(चार) पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): महोदया, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पाटन, गुजरात आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से काफी पिछड़ा है। यहां पर केन्द्र सरकार का कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत आग्रह है कि क्षेत्र में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय की संस्तुति शीघ्र प्रदान करें।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भावना को ध्यान में रख शीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय की संस्तुति प्रदान करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जन भावना का आदर, सम्मान करेंगे।

(पांच) झालावाड़-उज्जैन और देवास-भोपाल सेक्टरों पर रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा (देवास): वर्ष 2009-2010 के प्रस्तुत रेल बजट की मूल भावना यह थी कि बिना लाभ हानि को आधार बनाए अब उन क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों का विस्तार किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। जहां लोगों को देश के सबसे सस्ते सुगम यातायात सुविधा का लाभ आज तक नहीं मिला। इस बजट से इन क्षेत्रों में विकास की गति देश के अन्य भागों की तुलना में आजादी के 60 वर्षों के बाद भी बहुत धीमी तथा न के बराबर है। ऐसे ही दो क्षेत्र 1. राजगंज मण्डी से झालावाड़ से सोयन से सुसनेर से आगर होते हुए उज्जैन, नई रेलवे लाइन डालने का सर्वे हो जाने के बाद भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। 2. देवास से सोनकच्छ होकर आब्टा से सिहोर होते हुए भोपाल नई रेलवे लाइन की मांग वर्षों से की जा रही है। इस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ, जो अत्यंत आवश्यक है।

(छह) छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के गांवों को विद्युतीकरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरिया जिले के अंतर्गत भरतपुर ब्लॉक (जनकपुर) पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां के निवासी दूसरे राज्य (मध्य प्रदेश) से बिजली प्राप्त करने के कारण बिजली की अत्यधिक कमी से त्रस्त हैं।

[डॉ. चरण दास महन्त]

छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश में भरतपुर ब्लॉक के लिए बिजली की लाईन शहडोल जिले के जयनगर ब्लॉक से होकर गुजरती थी। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के साथ भरतपुर को बिजली सप्लाई करने का अनुबंध किया गया जब तक कि सी.एस.ई.बी. स्वयं अपनी लाईन भरतपुर तक न बिछा ले।

इस अनुबंध के कारण कोरिया जिले को बिजली की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ रहा है। जब भी मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती की जाती है, कोरिया जिला भी पूरी तरह प्रभावित होता है। दो-दो, तीन-तीन दिनों तक बिजली गायब रहने की समस्या आम है। जबकि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश बिना बिजली कटौती के लगातार बिजली से रोशन है, वहीं कोरिया जिले की जनता छत्तीसगढ़ सरकार के उदासीन रवैये के कारण बिजली कटौती सहने को मजबूर है। राज्य में संसाधनों की प्रचुरता एवं वित्तीय रूप से सक्षम होने के बावजूद भी कोरिया जिले की जनता भी राज्य सरकार के अनदेखी के चलते विकास से अछूती है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाये ताकि कोरबा संसदीय क्षेत्र की जनता भी आधारभूत विकास को प्राप्त कर सकें।

(सात) केरल के कोल्लम जिले के पट्टानापुरम तालुक में रबड़ पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): मैं कहना चाहता हूं कि पट्टानापुरम तालुक, कोल्लम जिला, केरल रबड़ उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सीमांत और बड़े किसान रबड़ का उत्पादन करते हैं। केरल सरकार के अंतर्गत रबड़ की सहकारी खेती भी होती है। रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन लिमिटेड भी जो भारत सरकार और केरल सरकार का एक संयुक्त सार्वजनिक उपक्रम है, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रबड़ का उत्पादन कर रहा है। पट्टानापुरम तालुक में हर वर्ष रबड़ का भारी मात्रा में उत्पादन होता है।

केरल के एर्णाकुलम जिले में इरापुरम तालुक में एक रबड़ पार्क कार्यशील है, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस पार्क में अनेक रबड़ उत्पादों का उत्पादन होता है। इस रबड़ पार्क के माध्यम से हजारों कामगारों को रोजगार मिल रहा है।

वर्तमान में, पट्टानापुरम तालुक में कोई भी रबड़ आधारित उद्योग नहीं है। पट्टानापुरम तालुक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक रबड़ पार्क की स्थापना की इस क्षेत्र के लोगों की मांग काफी समय से लंबित है। केवल तभी पट्टानापुरम में रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए ज्यादा लाभ मिलेगा।

अत:, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से केरल के कोल्लम जिले में पट्टानापुरम तालुक में एक रबड़ पार्क स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जबलपुर-नागपुर चार लेन वाली सड़क पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जबलपुर-नागपुर 4 लेन पथ का निर्माण कार्य शिवनी के आगे 20वें किलोमीटर में वन एवं पर्यावरण के रिपोर्ट के आधार पर बंद कर निरस्त कर दिया गया है। यह मार्ग किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों के लिए सुलभ एवं उपयोगी मार्ग है। इस पथ के निर्माण कार्य को बंद किए जाने से इलाके की जनता में आक्रोश है।

अतएव; सरकार से आग्रह है कि जनहित में जबलपुर-नागपुर 4 लेन पथ का निर्माण कार्य पुनः चालू करवाया जाये।

(नौ) मध्य प्रदेश में खजुराहो, पन्ना और सतना को जोड़ने हेतु रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): आजादी के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिला पन्ना में रेल सुविधा नहीं है। यहां कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। इसे हीरा नगरी एवं टाईगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल जी द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र को ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के रूप में वरदान में दिया गया था, जिसका कार्य वर्तमान में चल रहा है, लेकिन पन्ना टाईगर रिजर्व के कारण खजुराहो से पन्ना लाइन का कार्य न्यायालीय प्रक्रिया के कारण रूक गया है। इसी लाइन को पन्ना-सतना से जोड़ना है, जिसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। अत: इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाये, जिससे यहां रेल सुविधा मिल सके। साथ ही खजुराहो अजयगढ़ से पन्ना लाइन का सर्वे कराकर, इसे रेलवे लाइन से जोड़ने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे मध्य प्रदेश का इकलौता जिला रेल सुविधा से वंचित न रहे।

(दस) उत्तर प्रदेश के मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य एक अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं मेरठ-हापुड़ लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 में मेरठ को प्राथमिकता नगर (प्रियोरिटी टाऊन) चिन्हित किया गया था। एन.सी.आर. में होने के बावजूद कभी भी यहां सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास आज तक नहीं किये गये हैं। जो निजी अस्पताल यहां विगत कुछ वर्षों में अस्तित्व में भी आये हैं, वे भी महंगे इलाज के कारण आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज का समुचित प्रबंध न होने तथा सुविधाओं के अभाव में गरीब आमजन जटिल व गंभीर रोगों से मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। यदि कोई गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति यदा-कदा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के लिये चिकित्सकों द्वारा रैफर किये जाते हैं वे भी यहां प्रतीक्षा सूची लम्बी होने के कारण महीनों तक एम्स के कोरीडोर अथवा कैम्पस में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ-हापुड़ की शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या लगभग 35 लाख से अधिक होने के कारण मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सरीखे उच्चस्तरीय व अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल की स्थापना केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से प्रदत्त फन्ड से की जाय। सरकार के इस कदम से न केवल इस क्षेत्र के आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें सुलभ होगी वरन् एन.सी.आर. के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार से दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर भी रोगियों का दबाव कम होगा तथा यहां भी सभी को समुचित इलाज सुलभ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय से न केवल मेरठ बल्कि इससे सटे उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जिलों जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व मुरादाबाद की जनता भी स्वास्थ्य सुविधाओं से अत्यधिक लाभान्वित होगी।

(ग्यारह) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच जिले एवं नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, साथ ही साथ गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सही ढंग से लागू नहीं की जा रही है। 1500 आबादी के कई गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि रिजर्व फोरेस्ट कानून यह सड़कें बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ गांवों में जो सड़कें पहले बनायी गयीं थीं वे अब पूरी तरह से खराब हो गई हैं परन्तु रिकार्ड में सड़कें है इसलिए भी ऐसे गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें नहीं बनाई जाती हैं जबकि यह रिकार्ड कई दशक पुराना है एवं आज की तारीख में वहां पर उपयुक्त सड़के नहीं हैं। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे गांवों में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जायें। इन कमियों से मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना लक्ष्य के अनुरूप नहीं बन पा रही हैं।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इन कमियों को दूर करके मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के भरूच जिले एवं नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने के कार्य में तेजी लाये।

(बारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र हरदोई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यहां प्रतिवर्ष गंगा, रामगंगा, नीलम, कुंडा और गर्रा नदियों से आने वाली बाढ़ के कारण शाहबाद, सांडी और सवायपुर सहित कई क्षेत्र विकराल रूप से प्रभावित होते हैं। इस विषय पर पहले सदन में यह मामला व्यक्त किया जा चुका है फिर भी स्थिति यथावत है। नदियों से अधिक कटाव से धन, जान-माल का अधिक नुकसान होता है और पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर केवल 1000-1500 रुपये की मदद कर दी जाती है जो आवश्यकता से बहुत कम है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ आने से पहले नदियों के किनारे पत्थरों की मजबूत सीलिंग लगवाएं जिससे किनारे कटाव से बच सकें साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की राशि लगभग 10,000/- (दस हजार रुपये) तक बढ़ाई जाए और हरदोई के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए अधिक फंड दिया जाए।

सरकार द्वारा देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास और उन्हें क्षति से बचाने हेतु ''फ्लड मैनेजमेन्ट प्रोग्राम'' ग्यारहवां प्लान पीरीयड (2007-12) बनाया गया। जिससे उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2007-2010 के लिए केवल 5.25 करोड़ दिये गये। यह भी आवश्यकाता से बहुत कम है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए अनुदान की राशि बढ़ाई जाए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से होने वाले मृदा अपरदन को रोके जाने की आवश्यकता

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): पूरे देश में प्रतिवर्ष वर्षा एवं नदियों की बाढ़ से हजारों एकड़ जमीन नदियों की चपेट में आकर बर्बाद हो जाती है। गंगा नदी से उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही का अधिकांश भाग गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद एवं वाराणसी के मध्य से भदोही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हंडिया विधानसभा क्षेत्र व ज्ञानपुर तथा औराई विधानसभा क्षेत्र सैकड़ों एकड़ जमीन तथा फसलें प्रतिवर्ष गंगा के कटाव से प्रभावित होती हैं। कुछ गांव पूर्व में ही (कटाव से) गंगा में विलीन हो चुके हैं। दर्जनों गांव, सैदाबाद से डेरवां भवानीपुर तक जिसमें कोनियां क्षेत्र के छेछुवा, भुर्रा, भमौरी, कलातुलसी, इटहरा, वारीपुर, कलिंजरा, बेरवांपहाड़पुर, भवानीपुर डेरवां के कटाव को रोकने हेतु तटबन्धों का होना आवश्यक है।

(चौदह) बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेय जल प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के तारापुर प्रखण्ड के रमनाबाग पंचायत के रवैरा गांव में दलित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तीन हजार (3000) परिवारों की ओर दिलाना चाहता हूं। आजादी के बाद आज तक इस गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पूरे ग्राम को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता है जिससे विकलांग बच्चे पैदा होते है। गर्भवती महिलाओं का पानी पीने से समय से पूर्व गर्भपात हो जाता है। जवान नागरिक 30 वर्ष के आयु में ही विकलांग हो जाते है।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रवैरा गांव के निवासियों हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए जिससे कि समस्या का निदान हो सके एवं गांव की प्रगति हो।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिलों में लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): धर्मापुरी जिले में पेयजल के स्रोतों में स्थानिक फ्लोराइड की उच्च मात्रा है और यह मात्रा तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक है। धर्मापुरी और समीप के कृष्णागिरि में लगभग 30 प्रतिशत जल फ्लोराइड से संदूषित पाया गया जबकि राज्य का औसत 6.9 प्रतिशत है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, डेंटल फ्लोरिसिक का मुख्य कारण भ्रूणावस्था से 12 वर्षों तक फ्लोराइड का भारी मात्रा में अंतर्ग्रहण है। जब गर्भवती महिलाएं फ्लोराइड से संक्रमित जल पीती हैं, तो भ्रूण भी प्रभावित हो जाता है। इस ज्वलंत मुद्दे का समाधान करने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने हेगेनक्कल व्यापक जल आपूर्ति योजना शुरू की है जो आरम्भिक दशा में है। इसी बीच, एक तत्काल अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह आवश्यक है कि इस स्थानिक समस्या का समाधान करने हेतु धर्मापुरी जिले के लिए एक वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना तैयार की जाए, जहां न केवल पेयजल की कमी है, बल्कि इसका भूमिगत जल स्तर भी कम हुआ है और वर्तमान जल स्तर भी फ्लोराइड की उच्च मात्रा से संदूषित हुआ है जिसके कारण विभिन्न रोग उत्पन्न हुए हैं। सभी गांवों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। परंतु धर्मापुरी और कृष्णागिरि के कई भागों में लोग फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले भूमिगत जल पर अभी भी निर्भर हैं। अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाए ताकि समग्र तमिलनाडु के सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(सोलह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): पश्चिम बंगाल का झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं। उनके लिए गांव, सड़क संपर्क, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, रेल सम्पर्क, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन योजना, शिक्षा आदि की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झाड़ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए अपना भरसक प्रयास किया है और उनका प्रयास आम जनता विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निरंतर जारी है। परंतु केवल राज्य सरकार द्वारा अपनी सीमित वित्तीय क्षमता के साथ ऐसा किया जाना संभव नहीं है। यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आगे आएगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर अनुकूल रूप से विचार करे।

(सत्रह) न्यायालयों में लंबित अत्यधिक मामलों के निपटान के लिए न्यायाधीशों की रिक्तियां भरे जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट): 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में लगभग 50,613

मामले, उच्च न्यायालयों में 38,74,090 मामले और जिला एवं सत्र न्यायालयों में 2.64 करोड़ मामले लंबित हैं। लगभग 30% लंबित मामले आपराधिक प्रकृति के हैं जिनका शीघ्र निपटारा किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, मामले औसतन 15 वर्षों से लंबित हैं।

अत्यधिक लंबित मामलों के मुख्य कारणों में से एक न्यायाधीशों की कमी और विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियों का न भरा जाना है जिसके कारण मामलों के निपटारे में पर्याप्त विलम्ब हुआ है। यह कहा जाता है कि न्याय में विलम्ब न्याय न मिलने के समान है। अत:, लोगों को सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से सरकार को न्यायालयों में नयायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा चल न्यायालयों सहित न्यायालयों में दो शिफ्ट की व्यवस्था किए जाने पर विचार करना चाहिए, इस संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं ली जाएं ताकि बकाया मामलों का निपटारा किया जा सके।

(अठारह) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र नागपाल (अमरोहा): मैं आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री, भारत सरकार का ध्यान दिल्ली से मुरादाबाद रेलमार्ग पर विद्युत लाइन न होने व अन्य रेल संबंधी समस्या पर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र अमरोहा से होकर जाने वाले दिल्ली-लखनऊ रेल मार्ग के दिल्ली से मुरादाबाद रेल मार्ग पर विद्युत लाइन नहीं है जो कि देश की राजधानी को उत्तर प्रदेश की राजधानी से जोड़ता है व मेरे ही लोक सभा क्षेत्र स्थित गजरौला-बिजनौर मार्ग, गढ़मुक्तेश्वर चौपला-मेरठ मार्ग व अमरोहा-अतरासी रेलवे क्रासिंग पर फ्लाइओवर न होने के कारण रोजमर्रा का जनजीवन चिकित्सा, पर्यटन व गढ़गंगाधाम में पवित्र स्नान इत्यादि में बाधक है। वर्तमान रेलवे बजट में माननीया रेल मंत्री द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नई रेलवे लाइन स्वीकृत नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त समस्या जो कि रेल संबंधी उन्नति में बाधक है का समाधान तत्काल प्रभाव से करने की कृपा करें।

(उन्नीस) भारत निर्माण परियोजनाआं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): भारत सरकार की नीति के अनुसार, भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित निवास-स्थलों (34183) जिनमें सीएपी-99 (2300) के अनुसार शेष एनसी निवास-स्थल और पिछड़ गए निवास-स्थल (17159) शामिल हैं, को वर्ष 2005-2009 की अवधि के दौरान शामिल किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सभी निवास-स्थल जो संसाधनों की उपलब्धता में कमी के कारण पूर्ण/आंशिक/कोई कवरेज नहीं की स्थिति से पिछड़ गए हैं, की ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत निर्माण की समयावधि पूरी करने में मुख्यत: तीन समस्याएं हैं। प्रथमत: राज्य के अंश और केन्द्र के अंश के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, समग्र समस्याग्रस्त निवास-स्थलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करना संभव प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, गुणवत्ता और मात्रा की सीमाओं के कारण भूमिगत जल स्रोतों पर अब अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अत:, भावी प्रवृत्ति समान सतह जल स्रोत से अनेक गांवों को कवर करने के संबंध में होगी। ये योजनाएं महंगी होंगी और इनके घटक पाइपलाईन, जलाशय आदि होंगे। ऐसी परियोजनाओं की संकल्पना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निविदा दस्तावेज तैयार करने, निधि प्रक्रिया और वास्तविक कार्यनिष्पादन के लिए कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लगने की संभावना है। तीसरा, यदि वर्तमान वित्तीय आमेलन क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित उपाय शीघ्र किए भी जाते हैं, फिर भी इसके वर्षानुवर्ष बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, यदि अपेक्षित पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, तो भी वास्तविक और वित्तीय आमेलन क्षमता की सीमाओं को देखते हुए मार्च, 2009 तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। यह अनुमान है कि अगले पांच वर्षों के भीतर निधि आमेलन क्षमता को बढ़ाकर वर्तमान क्षमता का अधिक से अधिक पांच गुना किया जा सकता है। मार्च, 2013 ऐसी सर्वाधिक तर्कसंगत अवधि है जिस अवधि तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को इसके अंतर्गत लाए जाने की संभावना है।

प्रमुख परियोजनाओं के लिए अत्यधिक निधियों की आवश्यकता और क्रियान्वयन के समय, सभी समस्याग्रस्त निवास-स्थलों में स्वच्छ और सतत जल आपूर्ति करने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की समयावधि पर विचार करते हुए, भारत निर्माण के अंतर्गत योजना को मार्च, 2013 तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 12.20 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा में अब नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): अध्यक्ष महोदया, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस की शुरुआत करने का अवसर मुझे दिया है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह मुद्दा मुख्यत: मानवता के साथ जुड़ा हुआ मानवीय मुद्दा है।

यह ऐसा मानवीय मुद्दा है कि इस देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या कोई और समस्या हो, हमारे देश की अधिकांश आबादी इससे प्रभावित होती है। इस देश की नियति है कि प्रति वर्ष हम बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा करते हैं। कभी बाढ़ पर चर्चा करते हैं, कभी सुखाड़ पर चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं, बहस होती है, सरकार का जवाब भी होता है, सरकार कई तरह की लुभावनी घोषणाएं भी करती है, मेज थपथपाई जाती है और उसके बाद हम अगले वर्ष फिर उसी बहस पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह सारी व्यवस्था ढाक के तीन पात वाली स्थिति है कि हम बहस करते रहें, हमारी समस्याएं प्रति वर्ष मुंह बाय हमारे साथ खड़ी रहें और हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं कर पाएं, जबकि हमारा देश पूरे तौर पर कृषि पर आधारित है। चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, इन दोनों परिस्थितियों में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वह कृषि पर पड़ता है और कृषि हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर हमारी पैदावार सही नहीं होगी तो हम लाख प्रयास करें, औद्योगिक उत्पादन, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हर चीज करें, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई कार्यवाही करें। हमें चाहिए कि पहले हम अपने संसाधनों को विकसित करें। हम विकास की हर बार कल्पना करते हैं। हम विकास की चर्चा हर साल करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अगले 15-20 वर्षों में विकसित राष्ट्र का दर्जा पा लेंगे। लेकिन हम संसाधन कहां जुटा पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है, उसके लिए जो संसाधन हैं, उन्हें हम एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, संगठित नहीं कर पा रहे हैं। आज इतने दिनों बाद भी सबसे दुखद स्थिति यह है कि बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होकर हमारे देश के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात शायद हम लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संसाधन विकसित करें और उसके बाद विकास की चर्चा करें। आज हम संसाधन विकसित नहीं कर पा रहे हैं और विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहां हर साल प्राकृतिक आपदा आती है।

आज खाद्य सुरक्षा का सवाल है और हम उसके लिए चिंतित हैं, पूरा विश्व भी चिंतित है। लेकिन हमें खाद्य सुरक्षा को कानून बनाकर गारंटी करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसी अवस्था क्यों आ रही है? ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है कि हम कानून बनाकर उस पर निर्भर हो रहे हैं। हमें आज खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि सिंचाई और वर्षा से सिंचित भूमि की उपज दर में भारी अंतर है। चावल सिंचित भूमि में 1,880 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर पैदा होता है जबकि वर्षा सिंचित भूमि में 1,220 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर पैदा होती है। यह अंतर है। इसी प्रकार गेहूं 2,068 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर सिंचित भूमि से और वर्षा सिंचित भूमि से 1,100 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हम पैदा कर पा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं?

जल प्रबंधन का सवाल है। हम बाढ़ और सुखाड़ से तब तक निजात नहीं पा सकते जब तक उचित जल प्रबंधन की ओर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जल की कमी है। आज एक तरफ कई राज्यों में सुखाड़ और अगर आप दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

हमारे यहां प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, लेकिन आज उस जल का उचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अगर जल का उचित प्रबंधन करते, तो एक तरफ हम बाढ़ से निजात पा सकते थे, तो दूसरी तरफ हम सुखाड़ से भी निजात पा सकते थे। वर्षा ऋतु के दौरान यानी जून से लेकर सितम्बर तक 79 परसेंट जल संग्रह होता है, जबकि बाकी साल 30 परसेंट जल संग्रह होता है। आज हम उस जल को संगृहित नहीं कर पा रहे हैं, संचित नहीं कर पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत जल संचय करने की है।

अध्यक्ष महोदया, नेपाल से जो नदियां हमारे देश में आती हैं, उनका क्या हाल है? देश में हमारे यहां जल की जो स्थिति है, उस बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं। देश की 19 नदियों के बेसिन में वार्षिक प्राप्त होने वाला जल औसतन 1,869 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि इसमें से कुल भंडारण, जिसे हम जमा कर पाते हैं, मात्र 225 बिलियन क्यूबिक मीटर ही कर पाते हैं। गंगा नदी बेसिन में 525 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रवाह होता है, जबकि इसमें भंडारण क्षमता केवल 42 बिलियन क्यूबिक मीटर ही है। इसमें इतना बड़ा अंतर है। कहां 525 बिलियन क्यूबिक मीटर और कहां 42 बिलियन क्यूबिक मीटर? अगर हम उसके जल प्रबंधन और भंडारण की व्यवस्था करें, तो आज हम सुखाड़ से निजात पा सकते हैं। इससे एक तरफ हमें सुखाड़ से मुक्ति मिल सकती है, तो दूसरी तरफ हमें बाढ़ से भी मुक्ति मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदया, नेपाल से आने वाली नदियां, जो विशेष तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में आती हैं, उनमें 200 बिलियन

क्यूबिक मीटर जल आता है। हर वर्ष चर्चा होती है कि नेपाल से वार्ता करके यदि वहां हाई डैम बना दिया जाये, तो उसके माध्यम से हम पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश की बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। उससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हाईडल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बिजली में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम सुखाड़ से भी निजात पा सकते हैं।

वर्ष 2000 में भारत और नेपाल के साथ वार्ता करने के लिए एक कमेटी बनी। आज वर्ष 2009 चल रहा है, यानी इन नौ वर्षों में उस कमेटी की मात्र तीन बैठकें हुई हैं। अगर इन नौ वर्षों में तीन ही बैठकें हुई हैं, तो यह सरकार इस सवाल पर कितनी गंभीर है, यह आप खुद देख लीजिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं?

महोदया, मुझे याद है कि इसी सदन में माननीय चिदम्बरम साहब ने वर्ष 2004-2005 का वित्त बजट पेश किया था। उनके बजट भाषण के पैरा 37 को हम यहां कोट करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि "देश के जल निकायों की मरम्मत, उनके विस्तार और उनकी क्षमता को बनाये रखने के लिए नैशनल वाटर रिसोर्सेज डेवलपमैंट प्रोजेक्ट बनाया गया और इस पायलट योजना पर एक सौ करोड़ रुपये व्यय करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के लिए राशि आवंटित की गयी।" उन्होंने उस समय अपने बजट भाषण में यह भी कहा था कि देश के गांवों में जो छोटे-छोटे टूटे-फूटे तालाब हैं, उनमें जल संग्रह, जल भंडारण करने के लिए हम खुदाई करेंगे, तैयार करेंगे। वर्ष 2004 के बजट भाषण के बाद आज हम वर्ष 2009 में खड़े हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने इस पायलट प्रोजेक्ट, जिसके लिए मेजें थपथपाकर आपका स्वागत किया गया, देश में वाह-वाही लूटी और इस बात की चर्चा भी की कि हम जल भंडारण करना चाहते हैं, इन पांच सालों के बाद आपकी वह योजना कहां गयी? आपने उसकी कितनी उपलब्धि इस सरजमीं पर, धरती पर उतारने का काम किया?

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप जल भंडारण और जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप देश को बाढ़ और सुखाड़ से निजात नहीं दिला सकते।

महोदया, माननीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि आज सड़क, बिजली आदि को इंफ्रास्ट्रक्चर में माना जाता है। किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आज सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसे आधारभूत संरचना का भाग बनाया जाए ताकि उसके माध्यम से हम पूरे देश की सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित कर सकें, जल भण्डारण और जल प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। आज आवश्यकता है कि सिंचाई को इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करें।

नदियों को जोड़ने की बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। जब एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदियों को जोड़ने के बारे में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकी, उसके कार्यान्वयन की बात छोड़ दीजिए। सारी नदियों के पानी के बहाव को खुला छोड़ दिया गया है, इसके कारण जगह-जगह बाढ़ आती है, पूरे इलाके के इलाके बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और जहां वह पानी नहीं पहुंच पाता है, वह इलाका सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए आज नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश की सरकार ने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना को कार्यान्वित करें या नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश की नदियों को जोड़ने के लिए हमें अनुमति दीजिए और इसके लिए हमें साधन मुहैया कराइए। लगभग डेढ़-दो साल का समय हो गया, लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यह जल प्रबंधन की आपकी व्यवस्था है, यह जल प्रबंधन के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। नदियों को जोड़ने के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वर्ष 2009-2010 के बजट भाषण में भारत निर्माण जैसी सरकार की महत्वपूर्ण योजना के लिए 40,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे ग्रामीण सड़क, टेलीफोन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, आवास, विद्युतीकरण पर व्यय होना है। अगर इस राशि को इन सारे विभागों के बीच बांटा जाए, तो एक विभाग के हिस्से लगभग 6,000 करोड़ रुपए आता है, लेकिन जल मंत्रालय के वार्षिक व्यय की सूची के लिए वर्ष 2009-2010 के बजट में मात्र 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए से भारत निर्माण करेंगे और इसके लिए 40,000 रुपए का आवंटन किया है, लेकिन सिंचाई के लिए केवल 600 करोड़ रुपए दिए हैं। यह आवंटन देश की 75 प्रतिशत आबादी के प्रति आपकी गंभीरता को दर्शाता है।

पीने के पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देश में पीने के पानी की समस्या है। सिंचाई और कृषि की बात छोड़ दीजिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम गांव के 100 प्रतिशत लोगों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल योजना वर्ष 2005 में लागू हुई, उसके तहत आकलन किया गया कि 6,03,639 बस्तियों में से 3,31,604 बस्तियों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम पाई गयी। आज यह स्थिति है कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों को

[श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह]

शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसी 2,16,968 बस्तियों के जल में लवणता, लौह, नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे तत्व पाए जा रहे हैं जिनसे अनेक बीमारियां फैलती हैं।

महोदया, इससे आप भी अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में कई इलाकों के लोग आज भी कुओं का और चापाकल का पानी पीते हैं, जिसके कारण उन्हें बीमारियां भी हो जाती हैं। आजादी के इतने साल बाद भी देश के लोगों को अगर शुद्ध पीने का पानी न मिल पाए तो यह सरकार के लिए बहुत गम्भीर बात है।

महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूं यानि बिहार से, वहां सूखाड़ की वजह से कई जगहों पर भूजल स्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण आने वाले समय में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण करने वाली है। पहाड़ी इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या काफी होती है, क्योंकि वहां बोरिंग करना मुश्किल होता है। महोदया, आपको भी मालूम है कि आपके इलाके में भी कई जगह बोरिंग सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। हमें लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो हम नहीं कर पाए।

हम जिस प्रदेश से आते हैं, वहां सूखे की भीषण स्थिति है। इसी सदन में जब कृषि और खाद्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस हो रही थी, उस वक्त मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि बिहार भी देश के कई राज्यों के साथ सूखे की चपेट में है। इस पर उन्होंने मदद देने का आश्वासन भी दिया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार इस मामले में पहल करे। राज्य आपके पास मदद लेने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ी हो, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे बढ़ कर राज्य सरकारों की मदद करे। इसलिए केन्द्र सरकार को तुरंत राज्य सरकारों के साथ कोआर्डिनेशन करने की जरूरत है। वह उनके साथ बैठे और देखे कि उनके राज्य में क्या समस्या है। इस तरह की सोच रखने की आश्यकता है।

बिहार में अभी तक कई प्रमंडलों में, डिवीजनों में 50 प्रतिशत और कइयों में 60 प्रतिशत बारिश हुई है। औसतन 50 से 55 प्रतिशत बारिश वहां हुई है। उसका परिणाम यह है कि जहां 35 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की पैदावार होती थी, वहां मात्र 6 लाख हेक्टेयर पर ही धान की बुवाई हुई है। इसका मतलब यह है कि केवल 17 प्रतिशत ही बुवाई हुई है। अगर यह परिस्थिति बनी रही तो आगे चलकर काफी दिक्कत होगी। वैसे मानसून विभाग ने कहा है कि 25 जुलाई के बाद वर्षा होने की सम्भावना है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हम समझेंगे कि इंद्र भगवान की कृपा सरकार पर हुई। लेकिन हालात देखने से लगता नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए वर्षा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में भी यही स्थिति बनी रही तो वह और भयंकर साबित हो सकती है।

राज्यों में सिंचाई के लिए बिजली महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी प्रदेश सरकार ने सिंचाई में प्रयोग होने वाले पम्पिंग सेट्स के लिए डीजल और बिजली की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। हम कृषि मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जब इस सदन में कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस हो रही थी, तब बिहार सरकार ने डीजल पर सब्सिडी देने का जो फैसला किया था, तब मंत्री जी ने कहा था कि हमने समाचार पत्रों में इस खबर को पढ़ा है और हम उस धारा पर प्रदेश सरकार की मदद करें। अभी तक बिहार सरकार ने तीन फसलों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी है, सम्भव है कि आगे भी बारिश न हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है। शायद राज्य सरकार ने इस आशय का आपको पत्र भी लिखा है। हम चाहते हैं कि उस आधार पर आप हमारी मदद करें। हम तो यह मानकर चलते हैं कि इसमें स्वत: आप मदद करने के लिए आगे आएंगे। राज्य सरकार डीजल पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत वहां बिजली की है, जिससे पम्पिंग सेट्स चलाए जा सकें और सिंचाई हो सके। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हम ग्रामीण इलाकों में बिना बाधा के एक समय-सीमा निर्धारित करके सात घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिससे किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। लेकिन बिहार में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे प्रदेश के लोगों को बिजली के लिए सेन्ट्रल ग्रिड पर निर्भर करना पड़ता है इसलिए केन्द्र से जो अलाटमेंट होती है, उस पर निर्भर करते हैं। बिहार में लम्बे समय तक जिस दल का शासन रहा, उसने बिजली के उत्पादन को शून्य कर दिया था।

जब बिजली का उत्पादन प्रदेश में शून्य था, तो हम लोग क्या करते? हम लोगों को जो विरासत में मिला, उसके आधार पर, बरौनी और कांटी जो दो थर्मल थे, इन दोनों थर्मलों को हमने जीवित करने का काम किया और आज सवा सौ मेगावाट के करीब बिजली का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं। हमने ऊर्जा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान, ऊर्जा मंत्री से कहा था कि आप कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय कीजिए। हमारी कई योजनाएं कोल-लिंक्स के लिए, कोयला मंत्रालय में लम्बित हैं। आज हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सूखे से निपटने के लिए आप ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कीजिए। ऊर्जा के साथ, सिंचाई के साथ, एक स्थाई कोआर्डिनेशन प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर कीजिए, जिसकी आज बहुत जरूरत है।

बिहार में 1500 मेगावाट बिजली हमें आवंटित है लेकिन केवल 900-950 मेगावाट बिजली ही ड्रा करने दी जाती है। आप 1500 मेगावाट बिजली जो हमें आवंटित है, उसकी अनुमति दिलाइये, पूरी 1500 मेगावाट बिजली राज्य ड्रा करे और अपने किसानों को,

पंपिंग-सेट के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त भी अगर बिजली की जरूरत हो, तो उसे भी मुहैया कराने का प्रयास कीजिए, यह हम आपसे आग्रह करते हैं।

हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि आने वाले सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भी, जो राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि अगर पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा तो कृषि इनपुट के लिए भी 2000 करोड़ रुपया जीआर मद में दें। कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें कम से कम आठ से नौ हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता राज्य को सूखे से निपटने के लिए पड़ेगी, आप उसमें मदद के लिए तैयार रहिये। हालांकि हम लोग इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले समय में वर्षा हो जाए तो कम से कम वहां के लोगों को राहत मिल सके। अगर वह नहीं भी होती है तो हम माननीय कृषि मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में राज्य सरकार की मदद के लिए आप तैयार रहिये। आज अगर सूखे की स्थिति होती है तो सबसे ज्यादा किसानों को मदद करने की जरूरत है।

किसानों को मदद आप खाद के माध्यम से कर सकते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी, आपने उस दिन अपने जवाब में कहा कि हम किसानों को खाद में सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी को भी आपने कृषि बजट के अनुरूप शामिल कर लिया। माफ करियेगा कृषि मंत्री महोदय, आप एक किसान नेता रहे हैं, हम आपसे यह कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं लेकिन हम आपको सच्चाई जरूरत बताना चाहते हैं कि आज आप किसानों को खाद के माद्यम से जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही है, बल्कि खाद कंपनियों को वह सब्सिडी मिल रही है। ऐसा इसलिए कि जो खाद कंपनी सरकार को लिखकर देती है कि हमने इतनी खाद बेची, उसके आधार पर उसे सब्सिडी मिल जाती है। हमारे प्रदेश में बड़ा भारी घोटाला हुआ है, हमने कुछ दिन पहले अखबार में देखा कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सब्सिडी के लिए अगर सीबीआई जांच शुरू हो गयी तो आप समझ लीजिए कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वह कहां जा रही है, वह किसे मिल रही है? इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि खाद के कारखानों को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी को बंद करके, किसानों तक वह सब्सिडी सीधे कैसे पहुंचे, इसके लिए कोई रास्ता ढूंढने का काम कीजिए, ताकि उसका लाभ खाद कंपनियों को नहीं, बल्कि किसानों को मिले। आज किसानों को सस्ते दर पर खाद उपलब्ध कराने की जरूरत है, सस्ता बीज राज्य सरकारों तक पहुंचाने की जरूरत है। आप यह भी देखें कि उसकी दर ज्यादा न हो, ताकि किसान उसे खरीद सकें।

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका भाषण काफी लम्बा हो गया है।

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:** महोदया, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पटवन के बारे में कहा है। कृषि मंत्री जी, आज जरूरत है कि सारी व्यवस्था को छोड़ कर आप ऊर्जा मंत्रालय से बात कीजिए और बिजली की ज्यादा-से-ज्यादा उपलब्धता देश के ग्रामीण इलाकों को कराइए, ताकि पटवन की समस्या का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त गांव के जो किसान हैं, उन्हें आर्थिक पैकेज की भी जरूरत है। देश में मंदी आई और आपने बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। आज इस देश में जो बाढ़ और सूखे की स्थिति है, उसके कारण किसानों की हालत सबसे बदतर है। आप किसानों के लिए भी कुछ कीजिए, कुछ भंडार खोलिए, कुछ खजाना खोलिए और किसानों को भी आर्थिक पैकेज दीजिए।

पेयजल की समस्या से जूझने में जो कठिनाई आएगी, उससे जूझने के लिए आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? टास्क फोर्स गठित करके आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भोज के टाइम में कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। कोहड़ा पहले रोपा जाता है और भोज बाद में होता है। इसलिए जब भोज होने वाला हो, उस दिन इसकी तैयारी मत प्रारम्भ कीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आज ग्रामीण इलाकों में जानवरों के चारे की समस्या भी पैदा हो गई है। चारें की कमी से जो पशु मरेंगे, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? गांव में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रोजगार हो, क्योंकि खेती नहीं होगी और उनको रोजगार भी नहीं मिलेंगे, तो वे अपनी जीविका कैसे चला सकेंगे। आप फूड फार वर्क जैसा कोई कार्यक्रम गांवों में शुरू कीजिए, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को मजदूरी मिल सके और वे काम करके अपना गुजर-बसर कर सकें। सिंचाई, कृषि और ऊर्जा मंत्रालय के समन्वय स्थापित कीजिए, तभी आने वाले समय में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आप सक्षम हो सकते हैं। आपको इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी राष्ट्रीय स्तर पर करनी चाहिए। हम यही अनुरोध आपसे करना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र से मैं आता हूं। अभी हमारे विद्वान सदस्य बिहार राज्य के बारे में बोल रहे थे। आज अवर्षण के कारण सूखे को लेकर बड़ी ही भयावह दृष्टि उत्पन्न हो रही है कि आने वाला समय बहुत ही

[डॉ. विनय कुमार पाण्डेय]

चिंतनीय और दयनीय स्थिति में जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या बिहार का क्षेत्र हो, विशेष रूप से जो अधपिछड़ा है, जहां की प्रति व्यक्ति आय सामान्य से भी कम है, वहां की स्थिति की अगर हम कल्पना करे, तो बहुत ही गंभीर चित्रण उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से हमारे तमाम साथियों ने समय-समय पर सदन में सूखे को लेकर चिंता व्यक्त की है, वह आने वाली परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करने के लिए एक संदेश देता है। मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2007-08 में हमारी कृषि वृद्धि दर चार प्रतिशत से बढ़कर लगभग पांच प्रतिशत तक पहुंच गई थी। किन्हीं परिस्थितियों में वर्ष 2008-09 में 1.6 प्रतिशत तक घट गई। यद्यपि खाद्यान्न उत्पादनों में जो उत्पादन हुआ, उसमें बहुत ज्यादा अतंर नहीं आया, परन्तु वर्ष 2009-10 का सूखा हमें इशारा करता है कि हमें खाद्यान्न के विषय में, कृषि के विषय में, आने वाले समय के विषय में गंभीर चिंतन करना पड़ेगा।

महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सूखा राहत का जो पैकेज दिया जाता है, उसमें कुछ विसंगतियां और विषमताएं हैं। उत्तर प्रदेश जहां 1000 रु. में गरीब किसान जो आज सूखे की चपेट से भी संकटग्रस्त है, 1000 रु. में उसका एकाउंट खुलता है, और सूखे के राहत के रूप में जो उसे 100 रु. और 50 रु. का चैक मिलता है, वह उसमें जमा नहीं करता। तमाम छोटे किसान ऐसे हैं जो रोज अपने खेतों में जब काम करते हैं तो जब वे मजदूरी का वाजिब हिस्सा भी नहीं पाते हैं, तो वे कहां से अपना एकाउंट खोलेंगे और कैसे 100 रु. और 50 रु. का चैक उसमें जमा करके वे क्या पाएंगे? होता यह है कि उसकी कहीं न कहीं बंदरबांट हो जाती है। मैं सहमत हूं, अभी हमारे विद्वान साथी ने जो इस सदन में कहा। मैं इस बात से सहमत हूं कि कृषि मंत्रालय को आज यह चिंता करने की आवश्यकता है और माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि सब्सिडी ही नहीं जो बोनस गेहूं और धान की खरीद के लिए दिया जाता है और यही नहीं, जो भी सेन्टर से घोषणाएं करते हैं या जो भी हम योजनाएं बनाते हैं चाहे वे बीज की हों या जो भी सुविधाएं हम देते हैं, क्या वास्तव में वे किसानों तक पहुंचती हैं? निश्चित रूप से हम केन्द्र से योजनाएं बनाते हैं, हम केन्द्र से धन देते हैं लेकिन राज्य सरकारों का जो इम्पलीमेंटेशन का काम फैडरल सिस्टम में है और राज्य सरकारें जब विभिन्न विचारधाराओं की हैं तथा वैचारिक तालमेल जब केन्द्र से नहीं बैठ पाता है, तो कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है। इस विषय में भी गंभीरता से आज हम सब को विचार करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुए यहां कुछ ऐसी विसंगतियों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके बारे में बहुत ही गंभीर चिंतन करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हर सदस्य को आ गई है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब किसानों को जोत के आधार पर एक किसान स्मार्ट कार्ड बनाकर जिसमें उनका एकाउंट हो और खाद पर जो सब्सिडी दी जा रही हो, या उनके पैदावार पर या उनके उत्पादनों पर हम जो भी बोनस देते हों, या जो भी राहत का पैकेज देते हैं, वह हम सीधे उनके एकाउंट में उनके जोत के आधार पर क्यों न डाल दें जिससे सीधा लाभ हमारे गरीब किसानों को मिल सके। ...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): इसमें प्रदेश सरकार का कुछ शेयर होगा। ...*(व्यवधान)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: प्रदेश सरकार का तो शेयर उसमें रहता ही है। प्रदेश सरकार कितना शेयर देंगी, आप बगल ही में बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर संबोधित करके अपनी बात कहिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: जी। अभी माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बातें कहीं। लेकिन मैं प्रदेश सरकार के बारे में कुछ कहूं, उसके पहले मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। आज ऊर्जा को लेकर गंभीर चिंतन हुआ कि विद्युत की व्यवस्था सही नहीं है। निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विकसित देश और विकासशील देशों की जो लड़ाई आज कार्बन उत्सर्जन को लेकर चल रही है और कार्बन क्रैडिट को देखते हुए जहां भारत सबसे बड़ी मंडी है, वहां क्या हम कहीं कार्बन क्रैडिट को लेकर किसानों को मुफ्त सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं? क्या हम सरकार की योजनाओं में जो सब्सिडी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार देती है और कार्बन क्रैडिट का जो पैसा, उसके माध्यम से हम सिंचाई के संसाधन क्या अपने किसानों को पहुंचा सकते हैं? वे साधन जिनमें कम से कम ऊर्जा की खपत हो और जो परमानेंट व्यवस्था के रूप में लग सके जैसे पशुओं से चलने वाले तमाम नलकूप हैं, इनको फिर से इजाद करके मुहैया करा सकते हैं। नलकूप ही नहीं इसके अलावा और जो संसाधन हैं, उनका भी प्रबंधन इसके माध्यम से कर सकते हैं। किसानों तक पहुंचाने का काम योजना बनाकर किया जा सकता है। 21वीं सदी में पूरे विश्व में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की धूम मची है। क्या इसकी विशेषताओं से कृषि क्षेत्र को आच्छाजित कर सकते हैं? क्या इससे किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं? इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता आ गई है। सूखे की स्थिति को देखते हुए क्या निश्चित रूप से किसानों के कृषि ऋण और

देय को नियमानुसार सूखा घोषित करने के बाद स्थगित करने की योजना के अतिरिक्त सब्सिडी दे सकते हैं? इस पर भी विचार किया जाना परम आवश्यक है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बागवानी को भी बढ़ावा देना चाहिए।

महोदया, मैं इस सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इन्सेक्टिसाइड और पेस्टीसाइड का यूज धरा की उर्वरता को क्षीण बना रहा है, कमजोर कर रहा है। हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। चूंकि मैं भी किसान हूं और उनकी समस्याओं से मुझे रोज दो-चार होना पड़ता है। हमें पुनः आज इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमें एक बार फिर लौटकर आना पड़ेगा। गांव के लोगों की मानसिकता धीरे-धीरे इस ओर बन भी रही है। हमें इस तरफ विचार करते हुए तेजी से इस प्रक्रिया को लागू करना होगा जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स ही नहीं रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों पर किसानों की निर्भरता कम हो सके। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि निश्चित रूप से कृषि प्रबंधन और बाढ़ जैसी समस्याएं हैं। हम तो नेपाल के बॉर्डर पर हैं, तराई में बसे हुए हैं। जब हमारे यहां सूखा रहता है तो खेती चौपट हो जाती है लेकिन जब नेपाल में बारिश होती है या जब नेपाल में बांध खोले जाते हैं और उसके बाद जल प्लावन की जो स्थिति आती है, वह हमारे गांव के लिए बहुत दुःखदायी होती है, यह सर्वस्व समाप्त कर जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार भी इन झंझावातों को झेलता है। हमें आज कहीं न कहीं इसके प्रबंधन की योजना गंभीरता से बनानी पड़ेगी। नेपाल सरकार से बात करके हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयाः आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 20 सूखा जिले घोषित किए थे और फिर 47 जिलों को सूखा घोषित किया गया। मैं सर्वोच्च सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्नाव, कानपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोण्डा, बाराबंकी, महाराजगंज, कुशीनगर तमाम जनपद सूखे से दो-चार हो रहे हैं। पिछले दो महीने में उत्तर प्रदेश में 40 मिली मीटर से भी कम वर्षा रिकार्ड की गई। जहां 325-350 मिली मीटर वर्षा हो जानी चाहिए वहां मात्र 100-120 मिली लीटर वर्षा ही हो पाई है। ऐसी स्थिति में पूरी फसल चौपट हो गई है। वहां किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन जनपदों को सूखा घोषित नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से वहां की गंभीर चिंताजनक परिस्थिति का चित्रण करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि केवल इन जनपदों में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी गम्भीर है। इसलिए इसे सूखाग्रस्त घोषित करते हुए वहां के किसानों, मजदूरों, पशुओं और खेती के विशेष प्रबंधन की आवश्यकता आज आन पड़ी है। इसके अतिरिक्त भविष्य में धीरे-धीरे जो वर्षा कम हो रही है, हमारे इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक फील्ड में अब जो बदलाव आ रहा है, वह सिग्निफिकेन्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वर्षा कम रिकार्ड की जा रही है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अब समाप्त कीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः इसलिए आने वाले दिनों में अवर्षण की स्थिति और उत्पन्न हो सकती है। उसे देखते हुए वाटर शैड मैनेजमैन्ट, जल प्रबंधन की स्थिति हमें वहां परमानैन्ट करनी होगी।

महोदया, हमें बागवानी के माध्यम से और बॉयो-टैक्नोलोजी की तरफ जाते हुए कैमिकल फर्टिलाइजर और कैमिकल्स का कम से कम उपयोग करते हुए अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाते हुए जल संचयन करते हुए कृषि को विशेष महत्त्व देना होगा, क्योंकि कृषि में कहीं अगर कहीं कुछ लोचा आया तो उससे पूरे हिन्दुस्तान की रीढ़ निश्चित रूप से चरमरायेगी। इसलिए हमें अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए और हिन्दुस्तान की मजबूती और बहबूदी के लिए विशेष रूप से किसानों और कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने पूर्व वक्ता श्री राजीव रंजन सिंह जी ने जो कहा है, उनसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों को भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः क्योंकि स्थिति यह है माननीय कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन बार मांगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और उसने आज तक यहां प्रोजैक्ट नहीं भेजी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइये।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सूखे एवं बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, गत 62 साल से चाहे यह सदन हो या प्रदेश की विधानसभाओं के सदन हों, बाढ़ और सुखाड़ पर रूटीन में चर्चा होती रहती है। श्री शरद पवार पिछले छह साल से कृषि मंत्री हैं। वे किसान परिवार से आते हैं। सूखा और बाढ़ हमारे देश के किसानों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वर्ष 1900 से वर्ष 1952 के बीच में देश में केवल छह बार सूखा पड़ा, लेकिन वर्ष 1952 से वर्ष 2009 में अब तक, इन पचास सालों में देश में 12 बार से ज्यादा सूखा पड़ चुका है। इसका कारण जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, वृक्ष कटते जा रहे हैं। कार्बन डाईऑक्साइड गैस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसका सीधा असर हमारी जलवायु पर पड़ रहा है। उसी का कारण है कि इतनी जल्दी-जल्दी सूखा पड़ रहा है और यह हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज भी खेती 60 फीसदी लोगों को रोजगार देती है। इतना रोजगार देने पर भी हमारे जीडीपी में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले तीन सालों में 8 फीसदी और 9 फीसदी जीडीपी हमारे देश में रही है और इसमें खेती का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इस साल भी आपने जीडीपी में 4 प्रतिशत खेती का योगदान रखा है। मुझे ताज्जुब है कि आपने उसे बदला नहीं है। यह इस सदी का, अगर हम कहें कि उत्तर भारत में इससे बड़ा सूखा अभी तक नहीं पड़ा था। माननीय कृषि मंत्री जी ने इस सदन में और इस सदन के बाहर भी कहा था कि पानी करीब-करीब सामान्य स्तर तक जून और जुलाई में बरस जाएगा, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो आज तीन-चौथाई से ज्यादा जमीन पर, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं धान की रोपाई नहीं हो पाई है। जहां धान की रोपाई हो भी गयी है, वहां पौधे समाप्त हो गए हैं। मोटे अनाज जैसे, ज्वार और बाजरा आदि की भी बुआई नहीं हुई है, जहां लोगों ने बुआई कर दी थी, वह सब पौध सूख गए हैं।

महोदय, इस बार उत्पादन में इतना बड़ा शॉर्ट-फॉल होने वाला है कि आपने मजबूरी में जो खाद्यान्न यहां जमा करके रखा है, उसके बावजूद आपको आयात करना पड़ेगा। भारत जब बाजार में अनाज खरीदने जाता है तो चाहे अमेरिका हो या आस्ट्रेलिया हो या मेक्सिको हो या और कोई देश हो, सब जगह से उसे महंगे दाम पर अनाज मिलता है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने 62 सालों में ऐसी कोई दूरगामी और शॉट-टर्म योजना क्यों नहीं बनाई, जिससे इस समस्या का स्थायी निदान हो सके। जब बाढ़ और सूखा पड़ता है तो लोक सभा और विधान सभाओं में एक रूटीन चर्चा हो जाती है। समय बीतने के बाद उसे भुला दिया जाता है और फाइल बंद करके रख दी जाती है। आज तक इन दोनों समस्याओं का कोई भी निदान सरकार ने नहीं खोजा है। यह वास्तविकता है कि इन 62 वर्षों में से 45 या 46 साल तक एक लंबी अवधि तक देश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही है। इसके बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है।

हमें ताज्जुब तब होता है जब जून और जुलाई में पानी इतना कम बरसा, फिर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आज तक किसानों के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे सूखे में किसानों को कोई मदद मिल सके। हमने पिछले साल यहां जीरो आवर के माध्यम से यह सवाल उठाया था। तब मैंने बुंदेलखंड और इलाहाबाद की बात की थी। आपने स्वीकार किया था कि दोनों बुंदेलखंड में-मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, और इलाहाबाद के जमुना पार की चार तहसीलों-मेजा, करचना, बारा और सोरांव

में सूखा है, लेकिन आप असहाय थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। हमें ताज्जुब है कि अभी इतने दिन बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 22 जिले और बाकी मिलाकर कुल 47 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। पता नहीं उन्होंने आपको पत्र लिखा भी या नहीं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। जब वह आपको पत्र लिखेंगे तो यहां से आप टीम भेजेंगे। केन्द्रीय सरकार की टीम जाएगी और उसका असेसमेंट करेगी। फिर वह आपको रिपोर्ट देगी। मान्यवर, जुलाई बीत गया, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पशु भूखे मरने लगेंगे। जब तक आप यह व्यवस्था करने लगेंगे, तब तक इतना समय निकल जाएगा कि जो तमाम लोग आपके बीपीएल कार्ड पर आधारित हैं, उनको कहां से अन्न मिलेगा? कृषि मंत्री जी को मैंने उस दिन एक आंकड़ा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे करवाया एन.सी. सक्सेना, पूर्व कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 28 फीसदी के बजाय 50 फीसदी लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। कृपया उसमें सुधार भी करवा लीजिए और यह स्वीकार कर लीजिए कि 50 फीसदी लोग आज बीपीएल के अंतर्गत आ रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन नेचर एकाएक ऐसी क्यों हो गई? मैंने आपको बताया कि 1900 से लेकर 1952 तक केवल छह बार सूखा पड़ा और 1952 से लेकर आज तक 12 बार से ज्यादा सूखा पड़ चुका है और करीब-करीब एक रूटीन हो गया है कि हर चार साल के बाद हमारे देश में एक सूखा पड़ता है। ऐसा सूखा पड़ता है जिसका निदान हम नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है कि चिदम्बरम साहब ने पिछली बार सिंचाई के लिए बहुत पैसा देने की बात कही थी। लेकिन हकीकत में आप देखिये कि कितने तालाब खोदे गए? बहुत से ऐसे तालाब खोदे गए हैं, जो ऊंचाई पर तालाब खोद दिये गये हैं। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, अभी तो सात मिनट हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल के चार सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री रेवती रमन सिंह: अगर आप कह देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आप बोलिये।

श्री रेवती रमन सिंह: जो तथ्य हैं, वह तो रख दें। मान्यवर, इस बहस को देर तक चलाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सभी मैम्बर्स चाहे इधर के हों या उधर के हों, इस पर बोलना चाहते हैं। आज संयोग से कोई बजट भी नहीं है। इसलिए इसमें इतनी जल्जबादी न कीजिए कि दो-तीन मिनट बुलवा दीजिए।

मान्यवर, चीन में ह्वांग हो नदी और मिस्र में नील नदी से बाढ़ का प्रकोप होता था, लेकिन उन लोगों ने उन नदियों की सफाई करके, उसको बांधकर उसके पानी का जो सदुपयोग किया है, उससे आज चीन हमसे तीन गुना ज्यादा अन्न पैदा कर रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

कृषि के लिए खाद एवं अन्य चीजों से ज्यादा जरूरत पानी की होती है। पानी सबसे मूलभूत समस्या है। यदि आप पानी की व्यवस्था कर दें तो दो गुणा ज्यादा अन्न का उत्पादन हो सकता है। लेकिन आजादी के 62 साल बाद भी हम 38 प्रतिशत खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि 21वीं सदी खत्म होते-होते हम पूरी जमीन की सिंचाई कर पाएंगे।

महोदय, इस समय पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के सभी जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से इससे प्रभावित हैं। गुजरात और महाराष्ट्र बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी ही जीवन है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता है। सूखा केवल खेती को ही प्रभावित नहीं करती है, उससे पेयजल की भी समस्या हो जाती है। उत्तर भारत और खास तौर से बुंदेलखण्ड, इलाहाबाद के बारे में अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैंडपंप और ट्यूबवैल से भी पानी नहीं निकल रहा है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में दलहन और तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसके लिए आपको अलग से योजना बनानी होगी।

महोदय, किसानों ने हरित क्रान्ति के द्वारा अन्न का भण्डार पैदा किया है। पहले हम अमरीका से पीएल-480 के तहत खाद्यान्न मंगाते थे, वहां से लाल गेहूं मंगाया करते थे। लेकिन अब हमें नहीं मंगाना पड़ता है। अब हम स्वावलंबी हो गए हैं। अपने खाद्यान्न का भण्डारण कर लिया है। आपने इसी सदन में कहा है कि अन्न का उत्पादन इतना हुआ है कि सभी स्टोरेज भर गए हैं। लेकिन वह कितने दिन तक चलेगा? हमें दो तरह के इंतजाम करने चाहिए, एक, दीर्घकालिक और दूसरा, तात्कालिक। जिससे लोगों को काम मिल सके और भुखमरी से लोगों को निजात दिलायी जा सके।

महोदय, काम के बदले अनाज की योजना को लागू किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत नये तालाबों की खुदाई करवायी जानी चाहिए और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

[श्री रेवती रमन सिंह]

इससे गरीब और बेरोजगार काम पाएंगे और उस काम के बदले में उन्हें अनाज भी मिलेगा।

महोदय, यदि हम छोटी-छोटी नदियों और नालों पर चेकडैम बनाकर पानी को रोकें तो इससे जल स्तर ऊपर होगा और हम सिंचाई भी कर सकेंगे। इसी तरह वनों की कटाई को रोकने के लिए हमारे देश में बहुत से कानून हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं उतारा जाता है। नोएडा में लाखों पेड़ काट दिए गए। सरकार भी केवल लिखा-पढ़ी और पूछताछ कर रही है। इसका पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है और यह पानी न बरसने का बहुत बड़ा कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह जलस्तर नीचे जा रहा है, आने वाले दिनों में एक बड़ी गंभीर समस्या हमारे किसानों और पूरे देश को भुगतनी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई और बिजली ऐसी दो चीजें हैं, जो कि आपके इन्फ्रास्ट्रक्चर में सबसे जरूरी हैं। अगर आप बजट का 60 फीसदी पैसा सिंचाई और बिजली पर खर्च कर दें, बाकी परियोजनाओं में थोड़ा धन कम कर दें तो आने वाले पांच साल में देश की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी तरह पशुधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में दूध का उत्पादन बहुत होता है, अगर हम गेहूं, धान और गन्ना तीनों को जोड़ लें, ये जितना पैदा होता है, अकेले दूध हमें सबसे ज्यादा आमदनी देता है। आज पूरी अर्थव्यवस्था गांव और शहरों में भी दूध पर टिकी हुई है, लेकिन जब पशुओं को चारा ही नहीं मिलेगा तो वे हमें दूध कैसे ठीक देंगे। क्या यह संभव नहीं है कि आप इन योजनाओं को तत्काल ऐसे लागू करें कि किसानों को राहत मिल सके। आप यहां से पैकेज देंगे, लेकिन वह पैकेज वहां तक नहीं जाएगा। आप यहां से सब्सिडी के रूप में खाद पर पैसा देते हैं, लेकिन वह किसानों को नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल चिदम्बरम जी ने कहा था कि हम किसानों को सीधे सब्सिडी देने का काम करेंगे। इस साल फिर वित्त मंत्री जी ने कहा है, लेकिन किसान को कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल सूखे एवं बाढ़ के लिए ऐसी कार्य-योजना बनानी चाहिए जिससे इस समस्या का परमानेंट हल निकल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज देश में हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में आज चर्चा हो रही है। सारे देश में सूखाग्रस्त होने की संभावना हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस साल ऐसा अंदाज व्यक्त किया गया था कि इस साल सबसे अच्छा मानसून होगा, लेकिन वह अंदाजा गलत साबित हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मानसून ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर देश में मानसून अच्छा होगा तो गांव के आम आदमी, गरीब किसान और खेत मजदूर की जिन्दगी ठीक होगी। लेकिन इस साल मानसून की कमी होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संकट पैदा हुआ है। इस साल जून और जुलाई के महीने में ऑल इंडिया रेनफॉल 19 परसेंट एवरेज है। जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। केवल 19 परसेंट रेनफॉल हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आशा कर रहे हैं कि अगस्त में वर्षा अच्छी होगी और उसके आधार पर देश में मानसून की स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। देश में 64 परसेंट ऐसे जिले हैं, जहां 35 परसेंट से नीचे वर्षा हुई है। केवल 13 जिले ही ऐसे हैं, जहां वर्षा ज्यादा हुई है। 22 ऐसे जिले हैं, जहां वर्षा नहीं के बराबर हुई है। देश के लगभग 80 प्रतिशत जिले ऐसे हैं, जहां 50 परसेंट से भी नीचे वर्षा हुई है। मुझे सबसे ज्यादा संकट एवं समस्या पीने के पानी की लगती है। हमारे जितने भी डेम और नहरें हैं, वहां आज दस से बीस परसेंट पानी ही स्टॉक हुआ है, उससे ज्यादा वहां पानी नहीं है। इसलिए अगर सूखा हुआ, अगस्त में पानी नहीं बरसा तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 25 साल में इस देश ने इतने सूखे की स्थिति का अनुभव नहीं किया है जितना अब हो रहा है। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा देश होने के कारण कहीं किसी प्रदेश में अकाल होता है, तो किसी प्रदेश में बाढ़ आती है। इस प्रकार दोनों विचित्र परिस्थितियां हमें एक साथ जून और जुलाई महीने में देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले आए चक्रवात के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली। ज्यादा या कम बारिश हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान होता है। एक-दो प्रदेशों को छोड़कर, कम बारिश के कारण पूरे देश में सूखे की परिस्थिति उत्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में आज अकाल की स्थिति है। देश के उक्त प्रदेशों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आज सूखे की चपेट में हैं। यह प्राकृतिक आपदा है। इसका सामना सबको मिलकर करना होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें सरकार की गलती है। मैं मानता हूं कि यह प्राकृतिक और राष्ट्रीय आपदा है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारें अब राह देख रही हैं कि अगस्त महीने में बारिश अच्छी होगी और स्थिति सुधरेगी। ऐसा

नहीं सोचना चाहिए और जो सूखे की परिस्थिति देश के सामने है, उसका हमारी केन्द्र सरकार और प्रदेशों की सरकारों को मिलकर मुकाबला करना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में स्थिति यह है कि देश में किसी और दल की सरकार है, तो कई प्रदेशों में किन्हीं और दलों की सरकारें हैं। जिन दलों की सरकारें प्रदेशों में हैं, उनकी सरकार केन्द्र में नहीं है। जिस दल की सरकार केन्द्र में है, उसकी सभी राज्यों में सरकार नहीं है। इसलिए इसे राष्ट्रीय संकट मानकर और पार्टी से ऊपर उठकर मुकाबला करना चाहिए। यह सारे देश का संकट है। यह सारे समाज का संकट है। हमारे देश का कोई भी राज्य इतने बड़े अकाल का सामना, अपने स्वयं के संसाधनों से नहीं कर सकता है। माननीय शरद पवार साहब महाराष्ट्र से हैं, उन्हें मालूम है कि 1970 में देश में सबसे ज्यादा अकाल की स्थिति थी, उसमें भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की स्थिति खराब थी। जैसा उस समय था, वैसे ही सूखे का अनुभव हम इस बार कर रहे हैं। अगस्त में बारिश आएगी, यह सोचकर हम बैठे रहें, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को सभी मुख्य मंत्रियों और देश के सभी कृषि मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग करनी चाहिए और देश की सूखाग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए एक आपात् प्रबन्धन व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें केन्द्र को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकनौमी (सी.एम.आई.ई.) की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी बताया गया है कि 4.7 परसेंट कृषि उत्पादन में कमी होगी। जुलाई में बारिश नहीं हुई और अगर अगस्त में भी बारिश नहीं हो, तो कृषि उत्पादन कितना घट सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। जब सूखा और अकाल पड़ता है, तो उसके परिणाम भी होते हैं। इसका पहला परिणाम पीने के पानी के संकट के रूप में सामने आता है। इंडस्ट्री के लिए पानी लगता है और सभी चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर की इरीगेशन में भी पानी लगता है। मैं मांग करता हूं कि जितना भी पानी बांधों में उपलब्ध है, उसे पीने के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह हालत होने की संभावना है कि देश में एक ग्लास पानी 50 रुपए में बेचा जाएगा। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार के समय जो गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी, उसमें यह संकल्पना थी कि इंटरस्टेट, यानी एक देश की नदी दूसरे प्रदेश की नदी से जोड़ी जाए, ताकि जब बरसात के समय बाढ़ आए, तो उस पानी को सूखे एरिया की तरफ डायवर्ट किया जा सके। वह योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। अगर वह योजना कार्यान्वित होती, तो हम देश के 80 प्रतिशत किसानों को बाढ़ और सूखे के नुकसान से बचा सकते थे और उन्हें आश्वस्त कर सकते थे कि अब इनकी वजह से उन्हें उजड़ना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि उस योजना के ऊपर तो सरकार को काम करना ही चाहिए था। उस समय इस योजना को बनाने के लिए हमने कदम उठाया था और 10 हजार करोड़ रुपए की राशि भी रखी थी। आपने उस योजना को बाजू कर दिया। आज अकाल की स्थिति है। यदि आगे आने वाले समय में अकाल और सूखे की स्थिति का मुकाबला करना है, तो गंगा और कावेरी को जोड़ना ही होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उस योजना को एन.डी.ए. की योजना समझकर मत बंद कीजिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जैसे इंटरस्टेट नदियों की योजना है, वैसे ही विदइन स्टेट की भी योजना है। उन्हें भी जोड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए और सेंटर तथा स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

हिन्दुस्तान में खरीफ और रबी, ये दो सीजन होते हैं। आज बरसात गिरने से भी खरीफ की फसल को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर अभी बरसात होगी तो केवल रबी की फसल को लाभ होगा तो हमारा एक सीजन तो चला गया है और उसका इफेक्ट जो होगा तो वह किसानों को होगा। आज सूखाग्रस्त किसानों की जो स्थिति है, उसमें उनकी कमर टूट गई है। आज सारे सदन में सदस्य भी इसको जानते हैं कि किसान आज जानवरों को संभाल नहीं सकते, महंगा चारा नहीं खिला सकते। पशुधन हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इस साल अगर पशु के चारे पर सब्सिडी सरकार नहीं देगी तो उनके बचने की उम्मीद नहीं है। किसान उनको कत्लखाने में भेज रहा है, पहले इसको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकते हैं तो फिर एक और बड़ी समस्या का सामना हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा।

यह केवल किसान का सवाल नहीं है। गांवों में 50 परसेंट लोगों के पास खेती है, लेकिन जिनके पास नहीं है, वे लोग भी कृषि पर निर्भर हैं। उनका क्या होगा, इसके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा? नरेगा योजना अच्छी है, जो महाराष्ट्र में ई.डी.एस. है, जिसमें गरीब आदमियों को काम मिलता है और नरेगा में भी 80 से 100 रुपये उनको प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन यह योजना कुछ जिलों, 300-350 जिलों के लिए लागू की गई है। क्या इस योजना को आप एक्सेपशन मानकर सूखाग्रस्त होने के कारण सारे प्रदेशों में लागू नहीं कर सकते? इसे सभी जिलों में लागू करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं। काम के बदले अनाज और नरेगा का पैसा स्टेट्स को 4-4 महीने नहीं मिलता। मुझे लगता है कि आज जब उत्पादन का कोई साधन किसान के पास नहीं है, मजदूर के पास नहीं है तो इसका वीकली पेमेण्ट होना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में होना चाहिए। केन्द्र सरकार अगर 4-4 महीने पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार अपने पैसों से नरेगा का पेमेंट नहीं कर सकती।

[श्री गोपीनाथ मुंडे]

एम.पीज. से मैं कहना चाहूंगा कि आप बताइये कि 3-3, 4-4 महीने नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए उसको पैसे जल्दी देने के लिए भी आप निश्चित रूप से काम करिए।

हर गांव में आज रोजगार के लिए स्थानान्तरण हो रहा है और गरीब किसान और खेतिहर मजदूर गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहा है और यह जाएगा तो फिर वहीं बस्ती करता है और सारी समस्या शहरों के लिए बढ़ती है। अगर इस समस्या से भी बचना है और किसानों और गांवों में रोजगार देना है तो खेतिहर मजदूरों को तो हर गांव में काम शुरू करने की और वह काम अगले आने वाले जून तक उनको काम मिले, इसकी निश्चित रूप से जरूरत है। मैंने मांग भी की कि आप मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाइए और जिन जिलों में ऐसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए हर गांव में सड़क का काम हो सकता है, वाटर स्टोरेज का हो सकता है, इसलिए उसके बारे में भी आप सोचें। आज सबसे बड़ी समस्या है, सारा सदन जानता है और स्वयं कृषि मंत्री भी किसान हैं, वे जानते हैं कि गत साल ऋण माफी हो गई, लेकिन नया कर्ज नहीं मिला। इस साल नया कर्ज मिला, लेकिन उन्होंने जो बुवाई की थी, वह खत्म हो चुकी। नया बीज और नया फर्टीलाइजर उनको देना चाहिए और नया सीड लेने के लिए उनको सब्सीडाइज करना चाहिए, लेकिन जो कर्जा लेकर उन्होंने इस समय खरीफ की बुवाई की थी, वह खत्म हो चुकी है तो वह कर्जा वापस नहीं कर सकते, इसलिए इस सदन में मेरी मांग है कि एक तो इस साल का भी किसानों का कर्जा माफ करो और नहीं माफ कर सकते तो उसको स्टे दे दो। इस साल अगर बरसात नहीं होगी तो किसान कर्जा कैसे वापस कर सकेगा। उनको नया लोन भी देना चाहिए और पुराने लोन को स्टे दे देना चाहिए। मैं एक मांग करता हूं कि किसान को अगर सही राहत आप देना चाहते हैं और सूखाग्रस्त समय में उनकी मदद करना चाहते हैं तो आगे चलकर किसानों को आप 6 परसेंट ब्याज पर कर्ज दें। कई प्रदेशों में 13 परसेंट इंटरेस्ट पर लोन मिलता है तो मेरी यह मांग है कि नया टर्म लोन 2-3 साल के लिए दें और उसके लिए चार परसेंट इंटरेस्ट पर किसानों को लोन दें तो किसानों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

महोदय, इतनी गंभीर समस्या होते हुए भी राज्य सरकार उतनी गंभीर नहीं है और केन्द्र सरकार भी गंभीर नहीं है। चिदम्बरम जी, आपके पास अभी फाइनेंस विभाग नहीं है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है, आप गृह मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको प्रदेशों की मदद करनी चाहिए। अभी तक आपने किसी प्रदेश में टीम नहीं भेजी, जबकि प्रदेशों ने मदद मांगी है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में आपने मदद की, लेकिन वर्ष 2009-10 में किसी भी प्रदेश को केन्द्र सरकार ने अभी तक मदद नहीं की। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा अगर सूखे की परिस्थिति कहीं है, तो वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश आदि में तो 25 प्रतिशत से कम बारिश हुई है और वहां 78 प्रतिशत बुआई नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य है कि वहां आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार को उन्होंने कोई प्रपोजल भी नहीं भेजा है, कोई मदद भी नहीं मांगी है, न राज्य सरकार सूखाग्रस्त परिस्थिति से निपटने के लिए कोई प्रयास कर रही है, न कोई योजना ला रही है। चुनाव को देखकर पैकेज लाए जा रहे हैं। पवार साहब भी इसकी जानकारी लें, उन्होंने कोंकण में मीटिंग ली और कोंकण को 350 करोड़ रुपए की- पैकेज दिया। इसी सप्ताह नासिक में मीटिंग ली, वहां विभाग के लिए पैकेज दिया गया कि नई सड़क बनाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे, लेकिन आज किसान भूखा मर रहा है, अकाल की स्थिति का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि पैकेज उस चीज को देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज किया है। अकाल का सामना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

महोदय, इस महीने में दो मीटिंग्स हुई हैं, एक कोंकण में और दूसरी नासिक में। उस समय 80 प्रतिशत सूखाग्रस्त महाराष्ट्र होने पर भी राज्य सरकार ने इस परिस्थिति पर विचार भी नहीं किया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार प्रपोजल भेजे या न भेजे, लेकिन आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप महाराष्ट्र सरकार से यह मांग लें कि महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति क्या है? अगर आप यह करेंगे, तो मुझे लगता है कि राज्य के लिए निश्चित रूप से राहत होगी। राज्य की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, यह बात मैं इस सदन में दावे के साथ कहना चाहता हूं। अगर आपके पास प्रपोजल आता है, तो आप निश्चित रूप से जवाब देते समय इस बात को बताएं।

महोदय, सूखे का एक परिणाम होता है, जब मानसून कम होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति गंभीर होती है और महंगाई बढ़ती है। वह महंगाई कितनी बढ़े, इसमें दो चीजें होती हैं, एक महंगाई बढ़ती है और दूसरा अनाज की कमी है। आप कह रहे हैं कि अनाज के भंडार भरे हुए हैं। अगर वे भरे होंगे, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वे नहीं भरे हैं, तो क्या स्थिति होगी? हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब-जब अकाल होता है, हर चार साल के बाद अकाल होता है, तो तीन-चार प्रतिशत महंगाई बढ़ती है। अभी लगभग 4.6 प्रतिशत बजट में डेफिसिट है, अगर इस स्थिति से निपटने के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, तो हम और भी महंगाई को निमंत्रण देंगे। आज कितनी महंगाई है, क्या आप नहीं जानते हैं? आज 100 रुपए किलो दाल का भाव हो गया है। गांवों में किसान क्या खाता है, रोटी और दाल। उसके सिवाय और कुछ नहीं, उसके पास न चीनी है, न ऑयल है। इन

चीजों के दाम इतने बढ़ गए, 100 रुपए किलो दाल हो गयी, ऐसी स्थिति में किसान कैसे जिएगा? अकाल है और उसके पास उत्पादन नहीं है, तब वह कैसे जिएगा? क्या यह महंगाई नहीं है? हिन्दुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 रुपए किलो दाल हो गयी हो? 100 रुपए ऑयल का दाम, वह कैसे जिएगा? मैं नहीं जानता हूं कि गेहूं का कितना भंडार है, मैं नहीं जानता कि चावल का कितना भंडार है, मुझे मालूम नहीं उसमें किसकी गलती है, लेकिन गत वर्ष बासमती चावल छोड़कर सभी पर पाबंदी लगाई गई। इसी सरकार ने वर्ष 2007 में पाबंदी लगाई, वर्ष 2008 में भी पाबंदी लगाई और अप्रैल 2008 में ऐसा नोटिफिकेशन निकाला कि 11 सौ डालर प्रति टन रेट आएंगे, तो ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन मानवीय आधार पर इन्होंने बीस देशों को चावल एक्सपोर्ट किया। उसमें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जहां इस देश में अनाज नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, उस समय हमने 11 लाख मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया, 460 डालर के भाव से, यह फैसला क्यों बदला गया? इसका क्या कारण था? घाना में तो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हुए, क्योंकि जो चावल भेजा गया था, वह घाना गया ही नहीं, वह कहां गया? अगर हमारे देश में किसान भूखा मर रहा है, खेतिहर मजदूर को खाने के लिए नहीं है, तो एक्सपोर्ट में मानवीय आधार नहीं, बल्कि अपने देश के किसानों के लिए पहले मानवीय आधार दिखाएं, फिर विदेश के लोगों के बारे में आप सोचिए।

हमारे देश का किसान मर रहा है, आज वह सौ रुपये किलो की दाल खा रहा है और चावल भी महंगा हो गया है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो चावल महंगा होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस साल शक्कर, दाल और आयल सीड्स की शार्टेज है। शक्कर की शार्टेज तो दीवाली में होगी, क्योंकि 27 रुपये किलो तो वह अभी ही है। दाल सौ रुपये किलो हो गई है। आप इसका सामना कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि आपको एक बात सोचनी होगी कि हमारी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पालिसी का आधार क्या है, उसका केन्द्र बिन्दु क्या है। उस बारे में हम क्या सोचते हैं? जब हिन्दुस्तान के किसान की उपज के दाम बढ़ते हैं, तो हम इम्पोर्ट करते हैं और जब दाम गिरते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप इस नीति को बदलिए। अगर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट नीति सही होगी, तो किसान मारा नहीं जाएगा। इसलिए आप किसान विरोधी नीति मत अपनाइए। इसलिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नीति ऐसा होनी चाहिए, जिससे हमारे देश के किसानों को और आम आदमी को राहत मिले। आप हर तीन महीने में पालिसी बदलते हैं। अभी आपने फैसला किया था कि हम कोई भी चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप हर तीन महीने में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पालिसी बदलेंगे, तो कैसे चलेगा। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में एक लांग टर्म और एक शार्ट-टर्म पालिसी होनी चाहिए। इससे किसान भी बचेगा और कन्ज्यूमर्स को भी सामान महंगा नहीं लेना पड़ेगा। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज जो दाल सौ रुपये किलो है, वह कल सवा सौ रुपये किलो भी हो सकती है, क्योंकि जब देश में अकाल होगा तो दाल कहां से पैदा होगी। आप पांच लाख मीट्रिक टन मंगाइए, हम उसे आयात करेंगे। किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट में दाल देनी पड़ेगी। मेरी एक मांग है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वह कितनी सही है। हमारे यहां दाल और ऑयल सीड्स की हमेशा कमी रही है। हम किसानों को ऑयल सीड्स और दाल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? आप उनके लिए प्रोत्साहन की योजना क्यों नहीं लागू करते? हमारे कृषि विद्यापीठ क्या कर रहे हैं? हम सौ रुपये का भाव होने तक क्यों चुप बैठे हैं? मुझे लगता है कि हमें क्रॉप प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे यहां क्रॉप प्लानिंग नहीं है। हमारे यहां जिन चीजों की कमी है, उनका उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए और उन चीजों को सब्सिडाइज्ड करना चाहिए। इसके अलावा क्रॉप पैटर्न बदलना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम बदलता जा रहा है, सीजन बदलते जा रहे हैं। इसी कारण वर्षा भी अनिश्चित हो गई है। जिसके कारण सारे सीजन बदल गए हैं ...*(व्यवधान)* एक दिन में चार-चार इंच बारिश हो रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। अगर अगला मानसून भी ऐसा ही आने वाला है, तो हमारे मौसम विभाग और उपग्रहों का माडर्नाइजेशन करना चाहिए, नई जानकारी लेनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, जिससे कि हमें मानसून की एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो सके। मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार के क्रॉप भी लाने चाहिए, जिन्हें किसान ऐसे मानसून में भी पैदा कर सकें। हम पारंपरिक खेती पर आधारित हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसान को हर साल सूखे का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हमें क्रॉप पैटर्न को भी बदलना होगा।

हमारा एक सुझाव और है कि हम आर्टिफिशियल वर्षा, जिसे कृत्रिम पाउस कहते हैं, के बारे में भी सोचें। कृत्रिम पाउस मराठी शब्द है। मैंने जानबूझकर इस शब्द को यहां बोला है। इसका प्रयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक में हुआ। अगर अगस्त महीने में भी इतनी बारिश न आई, तो क्या सारे देश में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं? मुझे मालूम नहीं कि वह प्रयोग सफल होगा या नहीं, लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है। इसलिए आर्टिफिशियल बारिश के बारे में भी निश्चित रूप से सोचना चाहिए। हमारे देश में 120 करोड़ की पापुलेशन है, लेकिन 50 करोड़ कैटल्स भी हैं। उनके बारे में भी निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। आज एक समस्या और कि पैडी का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, वैसे सोयाबीन का उत्पादन भी बहुत कम हो रहा है। दाल, चावल, सोयाबीन

[श्री गोपीनाथ मुंडे]

और ऑयल सीड्स का काफी डेफीसिट होगा और डेफिसिट के लिए हमें निश्चित रूप से सोचना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अकाल है। वहां राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई उपाय नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार को वहां राहत देनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र की ओर से मांग करता हूं और आशा करता हूं कि कृषि मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे और इसी सप्ताह मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। पिछले 25 सालों में इतने बड़े सूखे का संकट नहीं आया था, उतने बड़े संकट का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सारा देश इसका मुकाबला करने के लिए इस संकट को अवसर मानकर मिल जुलकर प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर): उपाध्यक्ष महोदय, 'भारत में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति' नामक अति गंभीर विषय-वस्तु पर अपनी बात शुरू करने से पहले, मैं स्वयं को निम्न वर्ग के समुदाय, निम्न वर्ग के समाज, कृषक समुदाय के समाज, ऐसे खेतिहर समाज का एक सदस्य कहने में गौरवान्वित अनुभव करता हूं, जो जाति, नस्ल, धर्म, जन्म के स्थान आदि का भेदभाव किए बिना सभी के लिए खाद्य की व्यवस्था करता है।

बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है; जब कभी भी बाढ़ आती है, इसे विनियमित, नियंत्रित किया जा सकता है और उस स्थान की ओर मोड़ा जा सकता है जहां उचित वर्षा नहीं हुई है। उसी समय वर्षा करायी नहीं जा सकती। यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि बाढ़ का नियंत्रण उचित ढंग से किया गया है और जहां कहीं भी बाढ़ आती है, जहां कहीं भी जल की आवश्यकता नहीं है, इन सबको विनियमित करना होगा और ऐसे जल को उन स्थानों की ओर भेजना होगा। जहां जल की आवश्यकता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

वर्ष 1996 से उत्तरोत्तर सरकारें आईं और गईं, जिन्होंने नदियों को परस्पर जोड़ने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया।

विषय-वस्तु की ओर लौटते हुए, सहस्राब्दि वर्ष 2000 में नया सहस्राब्दि वर्ष विश्व भर में मनाया गया- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2002 में, डब्ल्यूएसएसडी की बैठक जोहानिसबर्ग में हुई। मुझे जोहानिसबर्ग में सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन, डब्ल्यूएसएसडी की बैठक में भारत सरकार के सदस्यों को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर मिला था। विश्व के देशों ने एमडीजी की ओर ध्यान दिया- उन्होंने कहा कि गरीबी का हर कीमत पर उन्मूलन किया जाना चाहिए। गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा? कृषि के विकास के अलावा गरीबी के उन्मूलन का कोई उपाय नहीं है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर डब्ल्यूएसएसडी में चर्चा हुई है और कृषि पर विशेष बल दिया गया है।

परंतु हमारे लिए यह निराशाजनक है कि वर्ष 1947 से किसानों की संख्या में गिरावट आई है। हमारा देश, जिसे हम गर्व से कृषक समुदाय का देश कहते हैं और हम यह कहते हैं कि हमारे देश में 70 प्रतिशत से भी अधिक किसान हैं; किसान सरकार के पक्ष में अपने वोट डालते हैं। चाहे जो भी सरकार आए और जाए। कृषक समुदाय के वोट बैंक के कारण एक के बाद एक सरकारें सत्ता में आ और जा रही हैं। परंतु क्या हम कृषि और कृषक समुदाय के विकास पर उचित ध्यान दे रहे हैं? निश्चित तौर पर, कुछ सीमा तक, यूपीए सरकार ने कृषक समुदाय को कम लागत पर ऋण, ऋण माफी आदि जैसी बहुत सी रियायतें दी हैं। मैं इन सभी को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं परंतु इसके साथ-साथ वर्ष 1947 से जीडीपी में अंशदान कम हो रहा है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1990 में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत था। वर्ष 2008 में, यह 17 प्रतिशत था। इसको नियंत्रित करना होगा। हमें एकजुट होकर इन सभी कठिनाईयों के बावजूद कृषि का विकास करने के उपाय ढूंढने होंगे।

कृषि क्षेत्र कुल कार्य बल के 58.2 प्रतिशत को रोजगार के अवसर दे रहा है। निर्यात में इसका अंश 12.2 प्रतिशत है। सरकार को यह समझना चाहिए कि यदि कृषि क्षेत्र के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह एक गलत संकेत है। उदाहरणार्थ, दिनांक 14.7.2009 को इसी सभा में हमारे मित्र श्री राजामोहन रेड्डी ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न यह था: 'देश में वर्षा का स्तर क्या है?' मंत्री का उत्तर था:

> ''दिनांक 8.7.2009 तक 235 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा के मुकाबले देश में मात्र 151 मिलीमीटर वर्षा हुई।''

इस प्रकार, कमी 36 प्रतिशत है। 36 मौसम विज्ञान स्टेशनों में से 27 में कम वर्षा और नौ में सामान्य वर्षा रिकार्ड की गई।

जहां तक विदर्भ सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात राज्यों का संबंध है, सभी नकदी फसलें जैसे कपास, सोयाबीन, मूंगफली और गन्ना को पहली वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इसमें 57 प्रतिशत कम वर्षा हुई। हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में ऋणात्मक 83 प्रतिशत वर्षा हुई, जो सामान्य से कम है। धान उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में अत्यल्प वर्षा

हुई है। पश्चिम बंगाल में 49 प्रतिशत; आंध्र प्रदेश में 55 प्रतिशत; पंजाब में 68 प्रतिशत; उड़ीसा में 15 प्रतिशत; तमिलनाडु में 28 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 93 प्रतिशत सामान्य से कम वर्षा हुई। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की विफलता के कारण है। परंतु चीजों को सही ढंग से नहीं लिया गया है। सरकार किसानों को उचित सांत्वना देने के लिए आगे आए।

सबसे बड़े जलाशयों का भण्डारण स्तर भी कम है। 81 जलाशयों, जो हमारे किसानों के लिए जल धारण कर रहे हैं, में जल स्तर बहुत कम हो चुका है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार, 11 जून को भण्डारण स्तर 16.5 बिलियन घन मीटर के मुकाबले मात्र 151.76 बिलियन घन मीटर था। परंतु मौसम विज्ञान स्टेशन द्वारा यह बताया जाता था कि वर्षा होगी, सामान्य वर्षा होगी और जब कभी मौसम विज्ञान विभाग ने यह भविष्यवाणी की कि सामान्य वर्षा होगी तो उस समय सामान्य वर्षा नहीं हुई।

वे अपनी भवष्यिवाणी में वर्ष 1991 में बुरी तरह असफल हुए। यह विभाग पुन: अपनी भविष्यवाणी में वर्ष 1999, 2002 और 2004 में असफल रहा। वर्ष 2002 में देश भर में सूखे जैसी स्थिति थी। खराब मौसम का प्रतिकूल प्रभाव जारी रहने दिया गया। यह भी टिप्पणी की गई कि दो से तीन वर्षों की अवधि में कुछ राज्यों के कुछ जिलों में अकाल जैसी स्थिति रहेगी। सरकार को इसके परिणाम के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसका परिणाम बहुत गंभीर है। यह किसी स्थान अथवा क्षेत्र विशेष का ही परिणाम नहीं होगा परंतु यह समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ेगा। खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। जल की भारी कमी होगी, न केवल सिंचाई हेतु परंतु पेयजल की भी। यह अच्छा है कि श्री पवार की अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के चलते प्रशासन के बेहतर प्रबंधन के कारण उनके पास गेहूं और चावल के बफर स्टाक प्रचुर मात्रा में है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। परंतु प्रश्न यह है कि वह कितने वर्षों तक अपने बफर स्टॉक की स्थिति बनाए रख पाएंगे? बफर स्टॉक अच्छे उत्पादन; अच्छी उपज और अच्छी वर्षा के कारण है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण माननीय मंत्री श्री पवार विगत दो वर्षों तक उचित बफर स्टॉक बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। मैं इसके लिए यूपीए सरकार की भी प्रशंसा करता हूं।

लेकिन जब कोई विश्व-परिदृश्य पर नजर डालता है तो पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने कहा है कि वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता 1781 मिलियन टन थी लेकिन वर्ष 2009-10 में मात्र 1715 मिलियन टन होने की आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अब समाप्त करें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, अभी-अभी समाप्त करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मुझे और दो से तीन मिनट का समय चाहिए।

विश्व-स्तर पर गेहूं के उत्पादन का परिदृश्य क्या है? वर्ष 2008-09 में विश्व-स्तर पर गेहूं का उत्पादन 1287 मीट्रिक टन था जबकि वर्ष 2009-10 में 652 मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है। इसलिए, विश्व-स्तर पर गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। मेरा मुद्दा यह है कि किसानों की समस्याओं का सही समय पर समाधान होना चाहिए।

अच्छा उत्पादन और अच्छी फसल कटाई के लिए क्या-क्या आदानों की आवश्यकता है। एक किसान को कम ब्याज दर पर ऋण, अच्छा उर्वरक, कीटनाशक, विद्युत और ऐसी ही चीजें चाहिए। तमिलनाडु में क्या हो रहा है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2006-07 में ऋण पर ब्याज दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। मेरे नेता कलैगनार करुणानिधि ने इस ब्याज दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। 2007-08 में इस दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि वर्ष 2008-09 में किसानों के ऋण पर ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारे नेता कलैगनार करुणानिधि के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है जो समय पर अपनी मासिक किस्तों का भुगतान कर देते हैं। यदि राज्य सरकारें ऋण 9 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दे सकती हैं और यहां तक की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर भी ऋण दे सकती हैं तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह किसानों को सब्सिडी तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए। केन्द्र सरकार कम से कम मैचिंग ग्रांट उपलब्ध करा सकती है।

महोदय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में विद्युत एकदम नि:शुल्क मुहैया कराई जाती है। इन राज्यों की समुचित मदद की जानी चाहिए। तमिलनाडु में क्या हो रहा है। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा समझा गया था कि 12 जून से मित्तूर जलाशय से पानी छोड़ा जाएगा जिससे तिरुचिरापल्ली, तंजाबूर, तिरुवूर, नागापट्टिनम और ऐसे ही स्थानों को लाभ मिला होगा। लेकिन पानी का स्तर नीचे होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। आज हमारे नेता कलैगनार करुणानिधि ने इसके जल स्तर को कम करने का खतरा लेते हुए भी इस बांध से पानी छोड़ने का आदेश दिया है।

अपराह्न 3.00 बजे

क्या नहीं हुआ है? डेल्टा क्षेत्र में जल की आपूर्ति न होने के कारण किसानों की पहली फसल, खरीफ फसल, जो 2.8 लाख

[श्री टी.आर. बालू]

एकड़ जमीन में थी खत्म हो गई है। इसका अर्थ यह है कि 2.8 लाख एकड़ भूमि में 8.4 लाख टन चावल का उत्पादन होता। इसका मतलब है कि किसानों को 840 करोड़ रुपये की हानि हुई है। उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? हरांगी, काबिनी, हेमावती आदि के निर्माण के समय ही केन्द्र सरकार इसमें दखल दे सकती थी। उसे समय पर दखल देना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज क्या हो रहा है। आंध्र प्रदेश पलार नदी से नहर निकाल रहा है। हमारे मित्र, श्री वाई.एस.आर. इसे बनवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहां क्या गलत हुआ है? यह पलार नदी से निकाली जा रही है। पलार एक अंतरराज्यीय नदी है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर बहती है। पलार नदी से, नदी के उपरि क्षेत्र का कोई राज्य, किसी संरचना की खुदाई या निर्माण करना चाहे तो नीचले राज्यों से इसके लिए अनुमोदन लेना होता है। लेकिन नदी के नीचले क्षेत्रों के राज्य से कोई परामर्श किए बगैर कावेरी नदी पर बांध बनाया गया और कावेरी का मुद्दा आज भी लटका हुआ है। नीचले राज्यों से परामर्श किए बिना पलार नदी पर भी संरचना बनाई जा रही है।

मुख्य मंत्री ने कुछ समय पूर्व लिखित रूप में कहा था, मैं इसे उद्धृत करता हूं: यह वास्तव में आश्चर्यजनक और दु:खद बात है कि एक ओर आंध्र प्रदेश कहता है कि वह समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरी ओर वह निर्माण कार्य जारी रखे हुए है।'' उन्होंने यह भी कहा और मैं उसे भी उद्धृत करता हूं: एक मूकदर्शक बने रहने के बजाए, हमारी समस्याओं को हल करने में केन्द्र को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से आगे आने तथा शांतिपूर्वक इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया है।

यह मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जल आयोग को दखल देने का निर्देश दिया है और आंध्र प्रदेश सरकार को तब तक कुछ भी न करने के लिए परामर्श देने के लिए कहा है। विशेषरूप से जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता है। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं।

अंत में, समाप्त करने से पूर्व, मैं केन्द्र सरकार से सिर्फ अनुरोध करता हूं कि वह नदियों को आपस में जोड़ने वाली योजना के वित्त पोषण पर ध्यान दें। आप नदियों को आपस में जोड़ने का ही काम नहीं कर रहे हैं। इससे संबंधित 30 कार्यक्रम हैं, जिसमें से 14 कार्यक्रम उन नदियों से संबंधित हैं जो हिमालय से निकलती हैं और 16 नदियां प्रायद्विपीय क्षेत्र की हैं। कागज में 30 कार्यक्रम हैं। उनका क्या हो रहा है? जब तक आप नदियों को आपस में नहीं जोड़ते हैं।

महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक की तरह ही इस मामले में भी विलंब हो रहा है।

हमारे नेता डा. कलैगनार ने तीन प्रस्ताव भेजे हैं ताकि उनको त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में समायोजित किया जा सके। पहला प्रस्ताव कावेरी नदी पर कट्टालाई बैराज बनाकर तथा अग्नियार, कोराईयार, पम्बन, वाइगाई और कुंडार को जोड़कर मात्र 189 करोड़ रुपये की लागत से कावेरी के बाढ़ के पानी के मार्ग को परिवर्तित करना है। दूसरा प्रस्ताव थम्बिराबरानी बेसिन के कन्नादियान नहर के अतिरिक्त पानी के करूमेनियार और नाम्बियार घाटी में लाये जाने से संबंधित है जिससे राधापुरम नानगूनेरी और सन्तानगुलम क्षेत्र में सूखा प्रवण क्षेत्रों में 369 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई की जा सके। तीसरा प्रस्ताव पेन्नाईयार के अतिरिक्त पानी का मार्ग परिवर्तन कर उसे चेय्यार और पलर नदियों में लाये जाने से संबंधित है ताकि उन सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ मिले और इस परियोजना की लागत 174 करोड़ रुपये है।

इसलिए, मेरा विचार यह है कि आप वर्षा की कमी से बच नहीं सकते हैं। यह संभव नहीं है। वह ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर भी आ जाए तब भी वर्षा नहीं हो सकती। लेकिन आप मार्ग परिवर्तन से जरूरतमंद क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी पहुंचा सकते है।

इसलिए यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी 30 योजनाएं जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, को शुरू किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए। नदियों को आपस में जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। परंतु इससे भी पहले नदियों को परस्पर जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है जिसकी मेरे राज्य द्वारा योजना बनाई गई है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एआईबीपी के अंतर्गत समुचित धनराशि दी जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के समय किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या कुछ समय के लिए है। जब पानी घटता है तो किसान खेती शुरू कर सकता है। परंतु सूखे के समय खाद्यान्नों पर इसका प्रभाव केवल चालू वर्ष में ही नहीं, सूखे के समय ही नहीं बल्कि अगले वर्ष भी महसूस किया जाता है। खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसका प्रभाव अगले वर्ष तक भी जारी रहता है।

यद्यपि जीडीपी में कृषि का अंशदान घट रहा है परंतु इसका यह क्षेत्र अब भी 17 प्रतिशत तक अंशदान कर रहा है। दस या आठ वर्षों पूर्व यह क्षेत्र जीडीपी में 25 प्रतिशत अंशदान कर रहा था। हमारे देश की साठ प्रतिशत जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। 22 करोड़ खेतिहर मजदूर कृषि पर निर्भर हैं। मानसून में देरी,

कम वर्षा होने से बीजारोपण, पुन:रोपण और खेती उचित पर आरंभ नहीं होती जिसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

विभिन्न राज्यों में बीजारोपण की क्या स्थिति है? आंध्र प्रदेश में यह 75 प्रतिशत है। अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश की स्थिति बेहतर है। मध्य प्रदेश में यह 30 प्रतिशत है और राजस्थान में यह 40 प्रतिशत है। अधिकांश राज्यों में बीजारोपण अब तक पचास प्रतिशत से कम है। एक या डेढ़ महीने का समय पहले ही बीत चुका है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले हैं। एक जिला सूखा प्रवण है। पहले के समय में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, डीपीएपी नाम से कार्यक्रम चलाया गया था। परंतु उस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने देखा है कि दस प्रतिशत से अधिक भूमि पर बीजारोपण नहीं होता है। कई राज्यों में ऐसी ही स्थिति है। पहले एक या दो राज्यों में अथवा राज्य के भीतर एक या दो जिलों में सूखा पड़ता था।

परंतु इस वर्ष, सूखा इतना अधिक है कि यह हमारे देश के पूर्वी भाग से शुरू हो जाता है। इस वर्ष उड़ीसा कुछ हद तक भाग्यशाली है कि यहां वर्षा हुई है परंतु कुछ जिलों में ही बाढ़ आई है। परंतु खाद्यान्नों के सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों के नाम से विख्यात पश्चिम बंगाल से पंजाब, पूर्व से पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा 50 प्रतिशत से कम हुई है। जब 30 प्रतिशत से कम वर्षा होती है तो उस स्थिति को सूखा कहा जाता है। इसका हमारी एकड़वार खेती पर भी प्रभाव पड़ा है।

महोदय, चूंकि 60 प्रतिशत खाद्यान्नों का उत्पादन मानसून के दौरान होता है और यदि मानसून में देरी होती है तो कम मानसून और कम वर्षा होती है तो इसका निश्चित रूप से न केवल धान बल्कि दाल, बाजरा और सोयाबीन आदि जैसे अन्य खाद्यान्नों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बाजरे की खेती का क्षेत्र पिछले वर्ष के 46.01 लाख हेक्टेयर की तुलना में 34.67 लाख हेक्टेयर है और यदि वर्षा कम होती है तो इसके उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब बीजारोपण और खेती में देरी होती है तो उत्पादन कम होगा। मक्का और बाजरे का क्षेत्र 46.48 लाख हेक्टेयर बताया गया है। केवल धान का क्षेत्र ही घटकर सिर्फ 50 प्रतिशत नहीं रह गया है, बल्कि दालों जैसे अन्य खाद्यान्नों का क्षेत्र भी घट गया है।

महोदय, हम हर वर्ष सूखे का सामना करते रहे हैं परंतु इस वर्ष यह अत्यंत भीषण और व्यापक सूखा है। परंतु केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा मिशन की घोषणा करके शुरूआत की गई थी। इस मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे? इस मिशन का लक्ष्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल के उत्पादन में 20 मिलियन टन तक वृद्धि करना था।

महोदय, वर्ष 2008-09 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चावल के मामले में थोड़ी सी वृद्धि को छोड़कर वर्ष 2008-09 के लक्ष्य की तुलना में उत्पादन सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है। उत्पादन में कमी होने पर चावल के मामले में थोड़ी वृद्धि होती है। परंतु अन्य खाद्यान्नों के मामले में कमी और सिर्फ कमी होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आरंभ किया गया था। परंतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

अब, हमारे यहां कई बड़े बांध हैं। कुछ बांधों का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था। आज, इनका जल स्तर अपनी क्षमता का केवल दस प्रतिशत है।

बांध के निर्माण के बाद, कई वर्षों अर्थात् 50 या 60 वर्षों तक भी गाद नहीं निकाली गई है। इनमें गाद जमा होती रही है क्योंकि बांध और जलाशय में गाद जमा होने से रोकने हेतु चेक डैम का निर्माण नहीं किया गया है। मैं दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत वर्ष 1950 में बनाए गए ऐसे तीन जलाशयों का उदाहरण दे सकता हूं। 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने के बाद यहां के चार या पांच जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने और बाढ़ नियंत्रण हेतु संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाया गया था। वर्ष 1950 में मेरे जिले में मैथन, पंचेट में इन जैसे बांधों और दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया था। निर्माण के बाद से गाद निकालने का कार्य नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जलाशयों की क्षमता में काफी कमी आई है। आज इन जलाशयों से बड़े पैमाने पर गाद निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए निवेश की आवश्यकता है।

महोदय, आपने इस वर्ष हेतु सिंचाई के लिए आबंटन देखा है। पहले कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में कमी आ रही थी। इसके परिणामस्वरूप, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गत पांच से छह वर्षों से सिंचाई क्षमता, सिंचित क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। आज, स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्षों बाद हमारे पास केवल 40 प्रतिशत सिंचित भूमि है और 60 प्रतिशत भूमि को वर्षा, मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। मुद्दा यह है कि हमारा 60 प्रतिशत खाद्य उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। अत:, कृषि में भारी निवेश की आवश्यकता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। 50 वर्षों पूर्व निर्मित बांधों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता है। इन जलाशयों से गाद निकालने की आवश्यकता है जिससे कि इनकी क्षमता जो कि निर्माण के समय थी और जो काफी हद तक घट गई थी-में वृद्धि की जा सकती है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

हम मूल्यों के संबंध में प्रश्न उठाते रहे हैं। हम लाभप्रद मूल्यों की मांग कर रहे हैं। दो समितियां-डा. स्वामीनाथन समिति और वाई.के. अलघ समितियों का गठन किया गया था और दोनों समितियों ने कतिपय सिफारिशें की थी। डा. स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का पारितोषिक मूल्य सी-2 जमा 50 प्रतिशत होना चाहिए। डा. वाई.के. अलघ समिति ने सीएसीवी को संविधि दर्जा देने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा इनमें से कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। इस स्थिति के समाधान के लिए अब दीर्घावधि के साथ-साथ अल्पावधि उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

अल्पावधि उपाय कृषकों को राहत प्रदान करने के लिए है। अधिकतर किसान छोटे और सीमांत कृषक हैं जो गरीब हैं और जो बीज बोए जाने हैं वह पहले ही खराब हो चुके हैं। इसलिए, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मुफ्त बीजों की आपूर्ति की जानी चाहिए।

समस्या की गंभीरता की पहचान करने के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को नुकसान जोकि लंबित मानसून के कारण हुआ है, का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय दल भेजने चाहिए, क्योंकि अनेक राज्यों में अभी तक बुवाई प्रारंभ नहीं हुई है।

इसके उपरांत, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि संबंधी उच्च स्तरीय समिति को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए सूखे की स्थिति में राहत के मामलों और कम वर्षा के कारण घटते कृषि क्षेत्र तथा उत्पादकता के मामलों से निपटने के लिए राज्यों के विशिष्ट छूट मानको हेतु अंतिम प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। आपने मुझे केवल पांच मिनट दिए हैं। मैं इतने विस्तृत विषय पर अपने भाषण को पांच मिनट में कैसे समाप्त कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप 15 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सरकार को ऐसे क्षेत्रों जहां कम वर्षा के कारण बुवाई कार्य नहीं हुआ है को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आगमों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को ऋण माफी योजना और ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करनी चाहिए।

सरकार को मुफ्त और अबाधित विद्युत आपूर्ति करनी चाहिए और राज्यों को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराकर राज्यों की सहायता करनी चाहिए, जोकि आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में डीजल का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि को हमारे देश के अधिकतर राज्यों में व्याप्त सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वापस ले लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल सरकार ने कल ही कृषि क्षेत्र के लिए प्रयोज्य विद्युत दर को कम करने का निर्णय लिया है क्योंकि 18 में से 15 जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र बांकुरा भी सूखे से प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया भी सूखा प्रवण राज्य है, जहां धान की बुवाई 10 प्रतिशत से कम है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय यह मेरी अंतिम बात है। सरकार को खरीफ मौसम के लिए शीघ्र न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दुर्गापुर बैराज, पंचेत, मैतन, कानसबती और तिलपाड़ा बांधों की भण्डारण क्षमता काफी हद तक कम कर दी गई है। इसलिए तत्काल निवेश किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को सभी जलाशयों से गाद निकालने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बांधों की भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके और वर्षा जल संचयन को बृहद स्तर पर अपनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, आज पूरा देश बाढ़ और सूखे से जूझ रहा है। माननीय मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। इनके बयान इनकी चिन्ता के गवाह हैं कि आज पूरा देश बाढ़ और सूखे की चपेट में है, खासकर उत्तर भारत जिस पर आज चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह काफी समय से सरकारों में शामिल रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं लेकिन क्या कारण है कि आजादी से लेकर आज तक जब-जब देश में समय-समय पर बाढ़ और सूखे का प्रकोप रहता है, उस समस्या का स्थायी हल ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिये था, मैं समझता हूं कि अब तक की सरकारों ने कभी कोई सार्थक पहल नहीं की है। माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार और विद्वान मंत्री हैं। उन्होंने दोनों सदनों में, खासकर उत्तर भारत के लिये चिन्ता जाहिर की है, इस विषय में इनको पहल करनी चाहिये क्योंकि इन्हें किसानों के हितैषी के रूप में देखा जाता है।

उपाध्यक्ष जी, उत्तर भारत में सूखे का प्रकोप है जिसमें उड़ीसा, बिहार और झारखंड भी हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं जो बाढ़ से काफी प्रभावित हैं। जब हम आज सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं तो उन लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पूरा प्रदेश आज सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले और सब से ज्यादा जिलों को सूखा पीड़ित घोषित किया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जहां 47 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। माननीय मंत्री जी ने दूसरे सदन में पूरे उत्तर भारत को सूखे की चपेट में होने का जिक्र किया। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चिन्तित रही है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते वहां किसानों और मजदूरों की संख्या भी ज्यादा है। इसलिये प्रदेश की मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी ली है और सब से ज्यादा चिन्ता भी जाहिर की है। इस वर्ष 25 जून को देश के प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की केन्द्र सरकार से बातचीत हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के कृषि सचिव द्वारा इस बात की चिन्ता जाहिर की गई थी कि देश में मानसून की स्थिति को देखते हुये, जहां कम बरसात होती है, वहां धान की रोपाई खत्म होने के कगार पर है, तो दलहन और तिलहन की खेती कर सकते हैं, ऐसी डिमांड की गई थी लेकिन केन्द्र सरकार ने इस ओर कोई पहल नहीं की। मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने माना है कि 60 प्रतिशत किसान इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं लेकिन अब तक की सरकारों ने किसानों की तरफ ध्यान न देकर बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स की तरफ देखा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकारें किसानों की समस्याओं की तरफ, उनकी बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए चिंतित होती तो आज जो राष्ट्रीय आपदा पूरे देश में हैं, उसकी नौबत नहीं आती।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के किसानों के लिए और देश के सभी हिस्सों में जो किसान सूखे से परेशान हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय आपदा नीति बननी चाहिए और आपने यह नीति बनायी भी है। उन किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, मैं समझता हूं कि आजादी के इतने दिन बाद भी किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने की बात पर बार-बार हाउस में चर्चा होती है, उस पर कोई चिंता जाहिर नहीं की गयी है। आज किसान के खेतों में 25 से 30 फीसदी ऐसे मजदूर काम करते हैं, जिनके घरों में किसानों के खेत में काम करने के बाद शाम को चूल्हा जलता है और उन्हें खाना मिलता है। अगर वे मजदूरी न करें तो शायद उन्हें पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिल सकती है। इसके लिए कृषि मंत्री जी ने कोई चिंता जाहिर नहीं की है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसकी चिंता होनी चाहिए। देश और प्रदेश की जो नीतियां बनती हैं, उनमें जिनके पास खेत-खलियान हैं, उनके नुकसान की भरपाई तो हम कर देते हैं, लेकिन वह मजदूर जो खेतों में काम करता है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, यह माननीय मंत्री जी को हाउस में जरूर बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 47 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसके पहले भी विभिन्न सरकारें प्रदेश में रही हैं और वे अपने को किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी बताती रही हैं, लेकिन कभी इतना पहले, कभी ऐसी स्थिति में, ऐसी दैवीय आपदा की स्थिति में प्रदेश की सरकारों ने पहल नहीं की। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह पहल की है।

महोदय, पहले सितम्बर महीने में नुकसान की भरपाई के लिए असैस्मेंट होता था और इसके बाद आपदा का काम शुरू होता था, लेकिन यहां 30 जून तक जो मानसून की स्थिति थी, उसे ध्यान में रखते हुए 47 जिलों को उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त घोषित करने का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम कर रही है। 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और भारत सरकार के सचिव स्तर की वार्ता हुई थी कि हम बरसात में कब दलहन की खेती कर सकते हैं, वह जो डिमांड आयी थी, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद 2 जुलाई 2009 को वहां के कृषि निदेशक ने जो बात रखी थी, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 22 जुलाई को वहां के किसानों के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सूखा राहत में किसानों को बीज का पैकेट दे सकते हैं, उस पर भारत सरकार के कृषि विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने 23 तारीख को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाएं और स्थानीय समाचार-पत्रों में उन्हें राहत देने के बारे में विज्ञापित कर दिया गया। वहां पर ऐसे किसान मजदूर हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था जो खेतों में काम करते हैं, लेकिन खेती में काम न मिलने के कारण आज बहुत परेशान हैं। आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट 'नरेगा' चलाया है, उसमें भी उन्हें काम देने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। उनके स्वास्थ्य के लिए, वहां हैंडपंप के लिए भी व्यवस्था की गयी है। वहां सूखे से बीमारी की जो संभावना है, उससे निपटने के लिए भी डॉक्टरों की टीम गठित की गयी है।

इसलिए माननीय मंत्री जी के ध्यान में मैं उत्तर प्रदेश की बात जरूर रखना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो

[श्री दारा सिंह चौहान]

नदियां सूख रही हैं, उसको रोकने के लिए आपने नदियों को जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की जिसकी बार-बार चर्चा हुई। सही जल-प्रबंधन की व्यवस्था होती तो आज बाढ़ से हम निपट सकते थे और लोगों को इरीगेशन के लिए पानी भी मिल सकता था। अगर नेपाल की सरकार से हमने जिम्मेदारी से बात की होती तो शायद हमें पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से ज्यादा बिजली भी मिलती। आज सूखे के कारण पनबिजली परियोजनाओं से कम बिजली का उत्पादन होने के कारण पूरे देश में बिजली का संकट है। उत्तर प्रदेश में जहां 1400 मैगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत है, वहां उसको 300 मैगावाट से कुछ ज्यादा जो बिजली देने का काम किया गया है। इसके लिए आप ऊर्जा विभाग से संवाद स्थापित करके उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का काम करें।

आज सूखे से पूरे देश में लोग परेशान हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो पीडीएस सिस्टम है, जिसमें आपने गेहूं और चावल देने की बात की है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पीडीएस में दलहन को भी शामिल करने का काम करें। क्योंकि जो किसान है, जो बीपीएल से नीचे है, वह बेचारा केवल गेहूं और चावल से कैसे पेट भर सकता है? उसे भी सब्जी और दाल चाहिए। इसलिए उस सिस्टम में हमें दलहन को भी शामिल करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का अभार प्रकट करते हुए कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो सूखे से जूझ रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा पर कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया।

महोदय, बाढ़ और सूखा इस देश या केन्द्र में सत्ता में किसी सरकार सहित विभिन्न राज्यों के लिए नए नहीं है। एक अनुमान के अनुसार देश की 40 प्रतिशत हेक्टेयर भूमि बाढ़-प्रवण है: इसी प्रकार देश की लगभग 60% भूमि सुखा-प्रवण है। यह हम सबको और सत्ता में सरकार को भी विदित है।

यह भी ज्ञात है कि बाढ़ समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता और केवल कुछ हद तक प्रबंधित ही किया जा सकता है। इसी प्रकार सूखा जिसने बहुत से क्षेत्रों के प्रभावित किया है, का भी प्रबंधन किया जा सकता है। लोग विशेषकर निम्न स्तर के लोग जिनके पास केवल दो एकड़ या दो एकड़ से भी कम भूमि है और भूमिहीन लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। सरकार समस्या का समाधान कैसे कर सकती है? हमारे सामने यही प्रश्न है।

यह भी सर्वविदित है कि जब तक केन्द्र राज्यों को धन उपलब्ध नहीं कराता है और राज्य केन्द्र के साथ समन्वय नहीं करते हैं तब तक उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं या स्कीमों को किसानों या बृहद स्तर पर लोगों की संतुष्टि अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है, देश के बाढ़-प्रवण क्षेत्र केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं है। यह भी कई वर्षों से विदित है कि देश के यह कुछ राज्य या क्षेत्र है जो बार-बार बाढ़ों से प्रभावित होते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा जोकि काफी विद्वान और सक्षम मंत्री हैं कि पर्याप्त धान उपलब्ध कराएं। केन्द्र और राज्यों के बीच उचित समन्वय भी होना चाहिए; निधियां प्रदान करने के लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए और इन निधियों को प्रयोग करने के लिए भी इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अन्यथा इससे कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। धन उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु विभिन्न राज्यों द्वारा जो भी परियोजना प्रस्ताव केन्द्र को भेजे जाते हैं केन्द्र सरकार द्वारा उनकी जांच समय पर नहीं की जाती। इस संबंध में कोई तंत्र निर्मित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं की बेहतर ढंग से देखरेख हो सके और यथासमय उचित ढ़ंग से लागू किया जा सके।

इसी प्रकार, महोदय मैं उड़ीसा राज्य से आता हूं, जो कि न केवल प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होता है बल्कि बाढ़ से भी प्रभावित होता है। सौभाग्यवश इस बार जुलाई माह में अच्छी वर्षा हुई थी। परन्तु इससे पूर्व, माननीय मंत्री जी मेरे राज्य उड़ीसा गए थे और राज्य की समस्याओं के बारे में स्वयं वास्तविक जानकारी प्राप्त की थी। दुर्भाग्यवश, उड़ीसा के लोग मानसून के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि सही समय पर वर्षा नहीं हुई। लेकिन अब, वर्षा हो चुकी है, जिससे और समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मेरे राज्य की यह समस्या है।

जैसा कि बताया जा चुका है, उड़ीसा में केवल जुलाई महीने में ही 100 प्रतिशत से ज्यादा वर्षा हो चुकी है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है। मुझे यह भी बताया गया है कि उन्होंने माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री को हमारे राज्य, विशेषत: 'केबीके' जिलों सहित उड़ीसा के पश्चिमी हिस्सों के बचाव के लिए आगे आने के लिए भी लिखा है। यह सर्वविदित है कि 'केबीके' इस देश के सबसे पिछड़े जिले हैं। 'केबीके' की समस्याओं के बारे में केवल यही सरकार नही जानती बल्कि सभी पूर्ववर्ती सरकारें भी जानती थी; वे विशेषत: सूखे से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। सौभाग्यवश, अब हमारे पास इन्द्रावती

परियोजना है जिससे कृषि के लिए पानी मिलता है। यह परियोजना विशेष पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरा निवेदन यह है कि कुछ परियोजनाएं हैं जिनके प्रस्ताव उड़ीसा सरकार ने भेज दिए हैं लेकिन वे अभी जल संसाधन मंत्रालय के पास लंबित हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे मंजूर और कार्यान्वित कराने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करें।

महोदय, मैं एक परियोजना का भी जिक्र करना चाहता हूं जो वर्षों से लंबित है। यह 1978 की सुवर्णरेखा परियोजना है। माननीय उपाध्यक्ष भी इस बारे में जानते हैं। यह सुवर्णरेखा परियोजना 1978 में मंजूर की गई थी और अब वर्ष 2009 आ गया है।

अभी यह परियोजना पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर, परियोजना की लागत इतनी बढ़ गयी है कि किसी भी सरकार के लिए इसको पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करना अत्यंत कठिन होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से पर्याप्त निधियां प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। सौभाग्य से हमारे गृह मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। यह नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अत:, इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिएं। यदि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जा सके तो इससे निश्चित रूप से केवल झारखंड राज्य का नहीं बल्कि निश्चित रूप से उड़ीसा और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का भी भला होगा।

इसी प्रकार, उड़ीसा राज्य सरकार ने महानदी डेल्टा क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना भेजी है। केन्द्र सरकार को 1200 करोड़ रुपए की योजना भेजी गई है और केन्द्रीय जल आयोग अभी इस परियोजना की जांच कर रहा है, यद्यपि यह योजना केन्द्रीय जल आयोग को दो वर्ष से भी पहले भेजी गई थी।

जब तक हम धन उपलब्ध नहीं कराएंगे अथवा ज्यादा क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत नहीं लाएंगे, तब तक सूखे की समस्या और लोगों की, विशेषत: वहां रहने वाले छोटे किसानों और उत्पीड़ित लोगों की कठिनाई दूर नहीं की जा सकती।

एक बात, जो मैं माननीय मंत्रियों से पुन: अनुरोध करता हूं- यहां दोनों मंत्री महोदय हैं-वह धनराशि के बारे में है। पिछली बार, जब हमारे गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटिल जी ने 2007-08 की बाढ़ के दौरान राज्य का दौरा किया तो वहां विशेषत: महानदी और सुवर्णरेखा में बाढ़ की समस्या की भीषणता और गंभीरता को महसूस करते हुए, उन्होंने 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी। बाद में एक केन्द्रीय दल ने दौरा किया। अंतत: उन्होंने 89.89 करोड़ रुपए की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्र सरकार से आश्वासन पाकर, राज्य सरकार ने विभिन्न सड़कों और विभिन्न सुविधाओं को बहाल करने के लिए व्यय किया। मुझे कहते हुए खेद है- मैं नहीं जानता यह कहना कहां तक उचित है- लेकिन, बाद में उन्होंने राज्य से धन लौटाने के लिए कहा। यदि यह सत्य नहीं है तो मैं भूल सुधार कर लूंगा।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): यह सही नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक तकनीकी गणना आवश्यकता है क्योंकि यह एक संचयी खाता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अग्रिम रूप से दिए गए धन की वापसी का प्रश्न ही नहीं है। यह एक तकनीकी गणना विवरण है जो भेज दिया गया है। वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कोई वसूली नहीं की गई है। वस्तुत:, संप्रग-1 के कार्यकाल के दौरान, तीन मामले ऐसे थे जहां हमने धन दिया और तकनीकी टिप्पण भेजा गया कि यह समायोजित/वसूल किया जाएगा। अंतत:, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि यह धन वसूल नहीं किया जाएगा। अत:, इन मामलों पर भी विचार किया जाएगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी: आपका धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आप सही उत्तर दे रहे हैं। लेकिन, इसके साथ ही, पत्र भी भेजा जा चुका है। यही समस्या है। यह पत्र न केवल उड़ीसा को बल्कि बिहार को भी भेजा गया है। उन्होंने यह मुद्दा उठाया है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह तकनीकी गणना पत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन चरण सेठी: ठीक है, माननीय मंत्री मैं आभारी हूं कि आपने स्थिति स्पष्ट कर दी।

लेकिन, इसके साथ ही, मैं सरकार से एक अनुरोध करता हूं। अनेक वरिष्ठ मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। जब एक माननीय मंत्री ने सहायता घोषित कर दी तो बाद में इसे शून्य कैसे किया जा सकता है? इसे शून्य कैसे किया जा सकता है? यह समस्या है। तत्कालीन गृह मंत्री ने 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की थी। बाद में खाता शून्य हो गया। यह विचलित करने वाली बात है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।

महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका

[श्री आनंदराव अडसुल]

दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। पूरे देश का अधिकांश हिस्सा आज सूखे की चपेट में है। इसीलिए इस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से आता हूं। देश और प्रदेशों में यदि किसान आत्महत्या करते हैं, तो कहां करते हैं, वे विदर्भ में करते हैं। अच्छी-अच्छी बातों के लिए बाकी इलाके प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे किसान भाई, हर रोज, दो या चार की संख्या में आत्महत्या करते हैं। यदि हम पेपर पढ़ें, तो हमें यही पढ़ने को मिलेगा कि आज फलां किसान ने आत्महत्या कर ली। इस बारे में हम फेमस हैं। इसका कारण यह है हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा की खेती पूरी तरह से मानसून के ऊपर निर्भर है। अगर मानसून सही समय पर आ जाता है, तो किसान को सही फसल मिलती है। चूंकि वहां की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, इसलिए किसानों को कर्जदार बनाती है। पूरे साल में एक ही फसल आती है। दिन प्रति दिन परिवार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए खेती के ऊपर वे अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। घर में बीमारी, बच्चों की शिक्षा या लड़कियों की शादी आदि में किसान को कर्जा लेना पड़ता है। हमारे यहां यह सिलसिला विगत 10 वर्षों से चल रहा है। महाराष्ट्र की यू.पी.ए. की गवर्नमेंट विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं रोकने में नाकाम साबित हो चुकी है।

महोदय, लगभग दो साल पहले, केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि किसान का जो भी कर्जा है वह माफ किया जाएगा। हमारी मांग भी किसानों के पूरे कर्जे माफ करने की थी, लेकिन सरकार ने केवल पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का निर्णय लिया। बजटरी प्रावधान केवल 10 हजार करोड़ रुपए का था। किसान बैंक में जाता है, तो उसे कहा जाता है कि जब गवर्नमेंट से पैसा आएगा तब आपको राहत मिलेगी। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या महाराष्ट्र के और इलाके हों, वहां के किसानों को हमेशा सूखे का सामना करना पड़ता है। एक तो वहां की खेती पूरी तरह से मानसून के ऊपर निर्भर होती है। मानसून सही समय पर नहीं आता है, तो उसे कर्जा लेना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रति एकड़ 3,200 रुपए क्रॉप लोन के रूप में कर्ज मिलता है। जब विदर्भ के पांच एकड़ भूमि रखने वाले किसानों के कर्जे माफ हुए, तब मुश्किल से उनके 15 या 16 हजार रुपए माफ हुए। खाली क्रॉप लोन से उनका काम नहीं चलता है। अन्य प्रकार से लोन भी उन्हें लेने पड़ते हैं। बाहर से, साहूकारों से भी कर्जा लेना पड़ता है। तभी अपना परिवार चलाने में वह कामयाब होता है, लेकिन यह सिलसिला सालों-साल से चल रहा है और इसलिए जो भी राहत कर्ज माफी के माध्यम से मिली, वह बहुत कम मिली। आज भी उसी तरीके से दिन में दो या चार किसान भाई आत्महत्या कर ही लेते हैं। मुझे याद है कि जुलाई, 2006 में हमने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से विनती की थी तो वे खुद वहां गये थे, उन्होंने वहां विजिट की थी, परिस्थिति देखी और 3750 करोड़ रुपये का एक पैकेज 6 जिलों (अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाना, वासिम और वर्धा) के लिए डिक्लेयर किया, जहां आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। लेकिन उसका अमल जिस तरीके से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। हम उसके साक्षी हैं, हम उस इलाके से आते हैं। उस इलाके के लोक-प्रतिनिधि होने के नाते जब हम देखते हैं तो उसमें वहां बहुत सा गैर-व्यवहार हुआ है। जो बैकलॉग सिंचन के लिए 2177 करोड़ रुपये दिये गये थे, उशका अमल भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। सरकार जुलाई, 2006 में एक पैकेज डिक्लेयर कर चुकी थी, प्रधानमंत्री जी ने वह किया था, लेकिन उस पर जो अमल होना चाहिए था, दुर्भाग्य से गये महीने में हर तहसील के लिए एक हजार कुंए खोदने के लिए एलान किया और फर्स्ट इंस्टालमेंट 10 हजार रुपये का कब दिया, जून के पहले हफ्ते में। जब इस सरकार को पता है कि जून में बारिश शुरू होती है, अगर दस हजार रुपये हम उनको दे देंगे तो वह कुंआ नहीं खोदेगा। अगर खोदेगा तो बारिश में वह फिर बुझ जाएगा और फिर दूसरा इंस्टालमेंट मांगेगा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि पहला दस हजार उसके काम में नहीं आया है। अगर वह बैंक में रखेगा और बारिश के बाद कुंआ खोदने का विचार करेगा तो क्या होगा, घर में तो हर दिन जरूरत होती है तो बैंक से वह पैसा निकालेगा, खर्च करेगा, फिर सरकार बोलेगी कि आपने खर्चा नहीं किया है, पहले वह खर्चा करो, फिर दूसरी इंस्टालमेंट मिलेगी।

अगर मैं ऐसा बोलूं कि यह सरकार आने वाले असेम्बली के चुनाव सामने रखकर हमारे किसान भाईयों के साथ खिलवाड़ कर रही है तो गलत नहीं होगा। आपने दो साल तक पैसा क्यों नहीं दिया, प्रधानमंत्री पैकेज से मिला था तो यह जो कुंआ खोदने के लिए हर साल पैसा देना चाहिए था तो दो साल तक क्यों नहीं दिया? अभी एकदम दिया, इसलिए कि असेम्बली के अक्तूबर में चुनाव आने वाले हैं। किसान भाईयों को लगना भी चाहिए कि हमें 10 हजार रुपये सरकार ने दिये, बाकी पैसा भी मिलेगा। यह चुनाव के टाइम में बता भी देंगे कि हमने आपको दस हजार रुपये दिये हैं, बाकी अगर 90 हजार चाहिए तो हमें चुनकर भेज दो।

लोड शेडिंग की बात भी है। इसके कारण अगर किसी के खेत में कुंआ भी है तो वह बिजली नहीं होने के कारण खेती को पानी नहीं दे सकता है, फसल नहीं ले सकता है। यानि हर तरीके से मुसीबत है और इस साल तो डेढ़ महीने मानसून का पीरियड हो चुका था, बाद में थोड़ी बारिश आई तो आज किसान भाईयों ने अपने खेत में बोया तो है, फसल थोड़ी-थोड़ी आई भी है, लेकिन फिर कोई संभावना बारिश की नहीं लग रही है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। इसलिए विदर्भ का प्रतिनिधि होने

के नाते मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि कृषि मंत्री जी हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट सतारा के हैं। हम पांच लोग सतारा के हैं। इस बारे में सतारा बहुत एग्रेसिव है, उसका नाम हिस्ट्री में आता है। मतलब यह है कि कोई विदर्भ की ओर अगर कृपा-दृष्टि रखे तो काम चल सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी ही कृपा-दृष्टि रख सकते हैं। विदर्भ के लिए और अभी अलग पैकेज की बात हो सकती है। जो पैकेज दिया था, उस पर भी अमल नहीं हुआ, उसमें भी संशोधन करना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

वे 3,750 करोड़ रुपए कहां गए? उनमें से 2,177 करोड़ रुपए जो सिंचन व्यवस्था के लिए दिए, उस पर इतनी देरी से अमल क्यों शुरू हुआ? अगर हमारे किसान भाइयों की आत्महत्या रोकनी है, तो उनको खेती के लिए 12 महीने पानी मिलना चाहिए। वहां छोटे-बड़े, जो भी डैम होने जरूरी हैं, वे बनने चाहिए। कुएं के लिए पैसे का केवल ऐलान किया गया है, वह पैसा उनको मिलना चाहिए। हर खेत में कुंआ खोदा जाएगा, तो खेती के ऊपर उसका जो पूरा परिवार निर्भर है, वह सुखी हो जाएगा। जो कर्ज हमेशा उसके ऊफर होता है, वह कम होने के कारण, आत्महत्या करने को प्रवृत्त नहीं होगा।

महोदय, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है और मुझे उम्मीद है कि हमारे कृषि मंत्री जरूर इस बारे में सोचेंगे और कोई नया पैकेज विदर्भ के लिए ऐलान करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. एम तम्बिदुरई (करूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं एआईएडीएमके की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 4.02 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

यह अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है क्योंकि यह हमारे देश के करोड़ों लोगों से संबंधित है। हम पाते हैं कि कुछ राज्य यथा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और उड़ीसा में बाढ़ आई हुई है और कुछ अन्य राज्य यथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कुछ उत्तरी राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं।

हम देखते हैं कि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही, कृषि मानसून पर निर्भर है और जब मानसून नहीं आता तो भारत में फसलें भी नहीं होती हैं। लगभग 70 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। इसलिए, जब मानसून नहीं आता तो समूची कृषि प्रभावित होती है। भारत के अधिकांश भागों, विशेषत: तमिलनाडु में किसान कृषि संबंधी गतिविधियां अच्छी चर्षा और मानसून की उम्मीद में आरंभ करते हैं। वे बुवाई और अन्य कृषि-गतिविधियों में काफी धन खर्च करते हैं; लेकिन अब क्या हो रहा है? भारत में मानसून नहीं आया और इसके परिणामस्वरूप किसानों को अनेक समस्याएं हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका पैसा डूब गया है।

माननीय कृषि मंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए स्वीकार किया था कि मानसून की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि यदि किसान समय पर ऋण का भुगतान करेंगे तो ब्याज की दर को घटाकर छह प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह काफी नहीं है। मानसून न आने की स्थिति में सरकार के पास एक सुविचारित योजना होनी चाहिए और सरकार को स्थिति गंभीर होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार को स्थिति और चुनौतियों का सामना करने के लिए आपातकालीन योजना बनानी चाहिए।

आज, किसान पूरी तरह हताश हैं और वे सरकार से किसी राहत का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को एक समरूप फसल बीमा नीति की आवश्यकता है। कुछ फसलों का एक प्रीमियम राशि पर बीमा किया जाता है और कुछ अन्य फसलों का किसी दूसरी प्रीमियम राशि पर बीमा किया जाता है। इससे किसान प्रभावित होंगे और वे इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए, किसान बीमा और सुरक्षा पैकेज देकर हमें किसानों का संरक्षण करना होगा। डा. पुरात्ची थलाईवी जे. जयललिता के नेतृत्व में तमिलनाडु में ए.आई.ए.डी.एम.के. की पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रकार के पैकेज वाली योजना क्रियान्वित की थी। जिसका नाम प्रभाकर पाथूकप्पू थित्तम था। इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनकी गुणवत्तायुक्त बीज नि:शुल्क उनके आवास के आस-पास उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनके बीच नि:शुल्क उर्वरकों का वितरण किया जाना चाहिए और उनको बचाने के लिए उन्हें तत्काल ब्याज रहित ऋ:ण देने की आवश्यकता है। जिससे कि वे हमें बचा सकें और इस देश को भी बचा सके।

तमिलनाडु में और देश के अन्य भागों में भी पेयजल की कमी बहुत ही गंभीर समस्या है। पेयजल की कमी केवल तमिलनाडु के गांवों में ही नहीं है बल्कि वहां के शहरी क्षेत्रों और शहरों में भी है। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में लोगों को 15 दिनों या 20 दिनों में सिर्फ एक बार पेयजल की आपूर्ति की जा रही है

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

और वह पानी भी स्वच्छ नहीं है। जो भी नदियां हैं वे सभी न केवल उद्योगों द्वारा बल्कि खराब जलनिकास प्रणाली के कारण प्रदूषित हो गई है। इसलिए हमारे पास न तो पीने का पानी है न ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। इस समस्या को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसे तत्काल हल किए जाने की आवश्यकता है।

आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि मौसम विभाग ने भारत के चावल उत्पादक सात राज्यों का सर्वेक्षण किया है और पाया कि उन राज्यों में बहुत कम वर्षा या अपर्याप्त वर्षा हुई है। इससे खरीफ के संभावित उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। उन सात राज्यों में देश के चावल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादित होता है। सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है। इसी कमी के कारण कीमतें बढ़ रही है।

कल, वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वे कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज देंगे। लेकिन खाद्यान्नों के उत्पादन के बिना कृषि क्षेत्र को पैसा देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

वर्षा जल में संचयन के लिए देश में पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। जल संरक्षण उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए बहुत कम प्रयास हुआ है। जब कभी अधिक वर्षा होती है तो इससे किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आ जाती है, पानी बहकर किसी नदी में चला जाता है और फिर समुद्र में चला जाता है। वर्षा जल संचयन और बाढ़ के पानी को समुचित रूप से इकट्ठा करके देश में जलस्तर को सुनिश्चित तथा पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। तमिलनाडु में अम्मा जयललिता द्वारा चलाई गई वर्षा जल संचयन परियोजना को अपार सफलता मिली और इस माडल को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए।

विगत तीन वर्षों के दौरान नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में एक अन्य मुद्दा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे हमारे देश में बार-बार आने वाली बाढ़ तथा सूखा पड़ने की समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी अंतर-राज्यीय नदियों तथा राज्यों के अंदर की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना होनी चाहिए। इस संबंध में मेरा कहना है कि नदियों को आपस में जोड़ने से पूर्व सभी नदियों, जल-निकायों की गाद निकालने तथा उन्हें गहरा करने का काम पहले शुरू किया जाना चाहिए। इससे जल निकायों में अधिकतम पानी इकट्ठा होगा और कृत्रिम बाढ़ से तबाही नहीं होगी।

मैंने पाया कि प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में कावेरी-वाईगाई लिंक परियोजना के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। मेरा अनुरोध है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए और शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि पूरे तमिलनाडु को इससे लाभ मिल सके।

नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित बहुत से विवाद चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये विवाद समझौते के माध्यम से और सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का क्रियान्वयन करके भी हल किये जा सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु के लोगों के कष्टों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां अधिकांश झीले और छोटे जलाशय सूख गए हैं। विद्युत की भारी किल्लत है और सिंचाई के लिए पानी तो दूर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

तमिलनाडु कावेरी नदी के जल पर निर्भर करता है। तथापि, कर्नाटक पानी तभी छोड़ता है जब उसके सारे जलाशय पूरी तरह भर जाते हैं और जब कर्नाटक के लोगों की जान-माल पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कर्नाटक सरकार को काबिनी और कृष्ण राजा सागर से नियमित रूप से पानी छोड़े जिससे तमिलनाडु के लोगों को लाभ हो।

पेयजल के संबंध में हमारे सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्नाटक सरकार के हस्तक्षेप के कारण हीगेनाम्कल परियोजना अभी भी लम्बित है और तमिलनाडु की राज्य सरकार इसे क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार को निर्देश दे कि वह होगेनाम्कल परियोजना के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप न करें क्योंकि इससे कृष्णागिरि, धर्मापुरी और वेल्लौर जैसे जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा।

आंध्र प्रदेश के संबंध में एक माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि वे पलार नदी पर एक बांध का निर्माण कर रहे हैं। इससे हमारे राज्य में पेयजल की समस्या होगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार को पलार नदी पर बांध न बनाने का निर्देश दे।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम खाद्य राहत और सूखा राहत पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो यदि हम उस पैसे को इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए कुछ पहले ही खर्च कर दें तो निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध हो जाएगा।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार की सूखे और बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए। इससे हमारा देश खुशहाल होगा।

*हमारी अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जरा भी विपरीत परिस्थिति होने पर हमारे लोगों की आजीविका पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के अभाव में हजारों एकड़ भूमि 'बंजर' बन जाती है। इसके साथ ही हमारी कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त भाग सिंचाई पर निर्भर है, जोकि नदी पर निर्भर है।

विशेषकर तमिलनाडु में अच्छी वर्षा और पर्याप्त मानसून की उम्मीद में किसानों ने बीज बोने इत्यादि जैसे कृषि कार्यों को प्रारंभ किया। परन्तु मानसून के असफल रहने के कारण किसानों को उनके निवेश पर भारी नुकसान हुआ। भविष्य की इसी अनिश्चितता के कारण ही किसान बड़ी संख्या में आत्महत्याएं करते हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या का कारण कृषि का अलाभकारी होना है। यदि किसानों के लिए फसल बीमा की दर समान हो, तो इससे उन्हें लाभ होगा। एक ओर इस वर्ष पहले ही अप्रत्याशित राजकोषीय घाटा है और दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर जाली मुद्रा चलाई जा रही है। हमारे देश में जाली मुद्रा की तस्करी की जा रही है और व्यापक स्तर पर इसका परिचालन हो रहा है। इससे घाटा और बढ़ेगा। इस समस्या पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम इलेक्ट्रोनिक युग में रह रहे हैं और हमारे पास पूर्वानुमान के लिए प्रौद्योगिकियां हैं। यद्यपि हम हर चीज का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते फिर भी हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कम से कम बाढ़ या सूखे के पूर्वानुमान के लिए कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए और हमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर वास्तविक समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भारत को जिला स्तर पर मानसून पूर्वानुमान हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। ताकि किसानों की मदद हो और वे लाभान्वित हो सकें।

यदि हम इस संबंध में कुछ ठोस उपाय करते हैं तो मुझे विश्वास है कि देश आगे बढ़ेगा और इसमें बाढ़ और सुखे की स्थायी समस्या नहीं रहेगी। ऐसा करने की प्रक्रिया में हम संभवत: सिंचाई संबंधी और ऊर्चा उत्पादन की नई संभावनाओं का उपयोग कर सकते हैं, जोकि वक्त की मांग है।

मुझे आशा है कि सरकार इन समस्याओं का समाधान पूर्ण गंभीरता से करेगी और इस स्थिति का समाधान करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाएगी।*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं झारखंड का सांसद होने के नाते सूखे के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो पूरे देश ने आदिवासी के नाम पर एकजुटता दिखाई और कहा कि झारखंड में विकास नहीं हो रहा है। यह बहुत अच्छा लगा कि कम से कम यह देश आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहा है। झारखंड के बंटवारे के बाद वहां सन् 2000 से 2009 तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए, वे सब आदिवासी थे। इसका मतलब यह था कि सारी पोलीटिकल पार्टीज में एक यूनिटी थी, एकजुटता थी कि यदि एक राज्य आदिवासी के नाम पर बना है तो मुख्य मंत्री भी आदिवासी ही बनना चाहिए और सारी पोलीटिकल पार्टीज ने उस बात को पूरा किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन् 2000 से 2009 तक, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वहां पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। पंचायत का चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि वह भी आदिवासी के नाम पर है कि रिजर्वेशन कितने प्रतिशत दिया जाए। उसमें जनरल सीट कितनी होगी, आदिवासी की सीट कितनी होगी। चूंकि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, तो यह भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। देश भर के जो सांसद चुनकर आए हैं, वे सब डीलिमिटेशन के कारण चुनकर आए हैं। सब जगह डीलिमिटेशन हो गया है, लेकिन झारखंड में डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। उसका कारण भी एक आदिवासी है, क्योंकि आदिवासियों की सीट कम हो रही थी, इसलिए पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, पूरे देश में डीलिमिटेशन हो गया, केवल झारखंड में डीलिमिटेशन नहीं हुआ। उसके साथ जम्मू कश्मीर और नार्थ ईस्ट के कुछ प्रदेश बचे हुए हैं।

महोदय, जब मैं बाहर बैठता था, तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव दलित की बस्ती में जाते थे। हमें यह देखकर अच्छा लगता था। नरेगा में वे मजदूरी करते हुए नजर आते थे, अच्छा लगता था। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): आप सब्जैक्ट पर बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: आप सुनिये। मैं सब्जैक्ट पर ही बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे पूछकर बात नहीं करूंगा। आप मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* गरीही हटाओ और आम आदमी का नारा कांग्रेस पार्टी का था। जब मैं सांसद बना, तो मेरे यहां ड्रिंकिंग वाटर का एक ही मुद्दा था। मैंने 2 जून को सबसे पहली चिट्ठी प्रधान मंत्री को लिखी। मैं संथाल परगना से जीतकर आता हूं। यदि मेरे यहां ...*(व्यवधान)* यह ड्राउट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ...*(व्यवधान)* यदि ड्रिंकिंग वाटर हमारे क्षेत्र में नहीं दिया गया, तो आगे आने वाले पांच साल में हमारे क्षेत्र के लोग, संथाल परगना और छोटा नागपुर के लोग पीने के पानी के बिना मर जायेंगे। मैंने यह चिट्ठी 2 जून को लिखी थी। प्रधान मंत्री का एक रटा-रटाया

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री निशिकांत दुबे]

जवाब आया कि आपका पत्र आया है। इसके बाद यह ड्राउट पड़ा है। जब मैंने 2 जून को मैंने यह चिट्ठी लिखी ती, तो उस वक्त यह मतलब नहीं था कि ड्राउट पड़ेगा, लेकिन आज ड्राउट पड़ा है। मेरे क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपके यहां मैंने एक प्रश्न पूछा, तो एक्सीलेरेटेड वाटर इरीगेशन प्रोजेक्ट में से उस पत्र का जवाब आया। कुछ मेजर्स प्रोजेक्ट झारखंड में भी चल रहे हैं। वे प्रोजेक्ट सुवर्ण रेखा, अजय बराज, पुनासी और बटेश्वर स्थान के हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुछ छोटे प्रोजेक्ट सुन्दर जलाशय, त्रिवेणी और त्रिगुट पहाड़ के हैं। ये सारे प्रोजेक्ट पिछले 25 साल से चल रहे हैं, जो आज तक पूरे नहीं हुए। मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात करता हूं, तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो वाटर मैनेजमैंट नहीं है। मेरे क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, इसका केवल एक बानगी मैं बता रहा हूं। मेरे पास सरकार की एक रिपोर्ट है। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन है। वह रिपोर्ट करती है कि पांच लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जो खेती होने वाली थी, वह इस बार केवल दस हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ही खेती हो सकती है। यह सरकारी रिपोर्ट है, जिसके पेपर्स मेरे पास है। वही रिपोर्ट आगे कह रही है कि बारिश न होने के कारण दैनिक तापमान उच्च हो रहा है, धूप अत्यंत प्रबल है। इस कारण न सिर्फ फसल, स्थानीय वनस्पति एवं आम जन-जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है।

उन्होंने तुलना की है कि चावल जो पहले 110 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, अब 1400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, गेहूं जो पहले 900 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, अब 1100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, अरहर की दाल पहले 5000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, अब 8000 रुपए प्रति क्विंटल पर मिल रही है, खेसाड़ी दाल जो पहले 1400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, अब 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर मिल रही है, आलू जो पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, अब 18 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है और गुड़ जो पहले 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, अब 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की क्या स्थिति होगी। जिसके पास पीने का पानी नहीं है, भोजन के लिए पैसे नहीं हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत आप समझ सकते हैं। यह सरकारी रिपोर्ट है, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह जिलाधिकारी ने, एग्रीकल्चर के डायरेक्टर ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है, उसको सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए, यह उनकी रिपोर्ट है। इसमें वह कह रहे हैं कि ऐसी भौगोलिक स्थिति होने के कारण, झारखण्ड की स्थिति यह है कि हमने नरेगा के तहत तालाब खुदवाए हैं, जलकुण्ड बनवाए हैं, लेकिन वर्षा एवं जल संचयन का उपयोग नहीं करने के कारण वहां कुएं, तालाब, जलकुण्ड एवं अन्य जल-स्रोतों के जलस्तर में तीव्र गिरावट आ रही है। इससे कृषि एवं दैनिक कार्यों के लिए जल की कमी के साथ-साथ पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी को यह पता था कि ड्राउट होने वाला है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक भी पैसा झारखण्ड को दिया जाएगा ऐसा नहीं कहा। झारखण्ड बहुत बुरी स्थिति में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 नवंबर, 1983 को, जब-जब वह वित्त मंत्री बनते हैं, पता नहीं क्या भाग्य में है उस साल सूखा पड़ता है, 1982 में भी सूखा पड़ा और 1983 में भी सूखा पड़ा, ड्राउट की ही चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, जिसे मैं यहां कोट कता हूं:

[अनुवाद]

> "सूखा केवल किसानों और कृषि वस्तुओं को ही प्रभावित नहीं करता है। जैसाकि मैंने पहले भी एक अवसर पर कहा है, मुख्य औद्योगिक राज्य पूर्णरूपेण बिजली के जल स्रोतों पर निर्भर हैं। पर्याप्त वर्षा न होने से केवल हमारा कृषि उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि विनिर्माण गतिविधियों के लिए भी समस्या उत्पन्न होती है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि ड्राउट केवल झारखण्ड के गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को ही नहीं खत्म कर रही है, यह इंडस्ट्री को खत्म कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। इसलिए जब तक सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित करती है, झारखण्ड का भला नहीं होने वाला है, इस देश का भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय सदस्या ने कहा सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में चले जाना चाहिए। हममें से दो-चार सांसद होंगे जो मैनेज कर लेंगे, गरीबों के बारे में देख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो सांसद यहां चुनकर आए हैं, वे गरीबों, पिछड़ों की बात करने आए हैं, उनकी पाकेट में इतना पैसा नहीं है कि वे गरीबों को पैसा दे सकें। यहां पैसे की आवश्यकता है, उनको खाना देना है, भूखे-नंगे लोगों को कपड़े देने का सवाल है, इसीलिए मेरा इतना ही कहना है कि यहां आदरणीय कृषि मंत्री जी है, आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हैं और भारत सरकार के अन्य मंत्रीगण बैठे हुए हैं, झारखण्ड में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, झारखण्ड में पैसा दीजिए। यदि आप गरीबों और आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं तो गरीबों और आदिवासियों के कल्याण की सचमुच बात कीजिए और सिंचाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स पच्चीस-पच्चीस साल से रूके पड़े हैं, उनको पूरा करने की बात कीजिए। खासकर मैंने जो पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की सुविधा नहीं है, गरीब मर रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं, उनके जनकल्याण के लिए प्रयास कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, इस देश में चाहे सूखा पड़े या अतिवृष्टि हो, मैं मानता हूं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका नुकसान सिर्फ किसान को उठाना पड़ता है। उसका परिणाम यह होता है कि किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उसकी व्यक्तिगत आय भी खत्म हो जाती है और उसे नुकसान होता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सूखे या अतिवृष्टि के बाद जितनी भी राहत योजनाएं आप बनाते हैं, समाज को, गांव को और क्षेत्र को देख कर बनाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत किसान को जो नुकसान होता है या किसानों की आय में जो कमी होती है, उसे सब्सिडाइज करने के लिए हम कोई योजना नहीं बना पाए हैं। इसलिए जहां भी सूखा हो या अतिवृष्टि हो, पानी ज्यादा बरसे तो किसान की व्यक्तिगत आय को भी ध्यान में रख कर योजना बनानी चाहिए, जिससे उसकी आय सुरक्षित हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

आज सूखे के आकलन के लिए दो-तीन व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। एक तो यह होता है कि लगातार खरीफ के मौसम में यह देखा जाता है कि अगर 50 प्रतिशत वर्षा नहीं हुई तो उस स्थान को सूखाग्रस्त मान लिया जाता है। जहां मेटिरियोलॉजीकल सब-डिवीजन है, वहां पर यदि 25 प्रतिशत वर्षा आंकी जाती है तो उस जगह को सूखाग्रस्त मान लिया जाता है, चाहे मशीन खराब हो या अच्छी हो। तीसरी व्यवस्था राजस्व विभाग की यह है कि जब फसल खेत में खड़ी हो जाती है, तो वहां आनावारी रिपोर्ट लेने के लिए पटवारी जाता है और खड़ी फसल को देखकर तय किया जाता है कि यहां सूखा पड़ा है या नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये व्यवस्थाएं बहुत पुरानी हो गई हैं, इनसे किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, कोई नई सोच मंत्री जी को अपनानी चाहिए।

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के असफल होने के कारण जहां-जहां भी धान की फसल होती है, वहां आज लगभग सूखे की स्थिति है। मैं अपने राज्य छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूं। हमारे यहां हजारों किस्म के धान बोए जाते हैं और उनके पकने का समय भी अलग-अलग है' किसी का 85 से 90 दिन है, किसी का 90 से 100 दिन है तो किसी का 100 से 115 दिन है। इन्हें लगातार हर हफ्ते पानी चाहिए। जिस हफ्ते पानी नहीं मिलता, तो इन्हें नुकसान होता है। आजकल फसलों के नुकसान का जो निर्धारण किया जाता है, वह जिले को या तहसील को केन्द्र मानकर किया जाता है, जिस वजह से किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है। फसल या सूखे का आकलन प्रत्येक पंचायतवार किया जाना चाहिए, तभी हम किसानों को लाभ दे पाएंगे, ऐसा मेरा कृषि मंत्री जी से सुझाव है।

हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़, कोरीया, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरबा, सरगुजा, सूखे से प्रभावित इलाके हैं और आज भी सूखे से ग्रसित हैं। कोरिया जिले में मात्र 15 प्रतिशत की बुवाई हुई है। अगर आज पानी बरस भी जाता है तो 20 प्रतिशत से ज्यादा बुवाई नहीं होगी। वहां पर भूजल स्तर नीचे जा रहा है और उसकी कमी भी हो रही है, जिस कारण हैंड पम्प भी पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि देश में ऐसे जितने भी जिले हैं, वहां प्रत्येक ब्लाक में तत्काल हैंड पम्प्स लगाने चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज पीडीएस में जो कालाबाजारी है, उसे रोकने और खाद्य की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए जाएं। केन्द्र सरकार द्वारा नरेगा योजना शुरू की गई है, यह एक प्रकार से गरीब लोगों के लिए जीवनदायिनी है। उसका पूरा उपयोग किसानों की जमीन को सिंचित करने की दिशा में भी होना चाहिए। चाहे आप एनीकट्स बनाएं या छोटे-छोटे तालाब इस योजना के तहत बनवा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे किसान वर्षा पर निर्भर न होकर आने वाले दिनों में इनसे अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। आज लगभग 80 प्रतिशत किसान मार्जिनल या छोटे वर्ग के हैं। अगर उन्हें हम उचित व्यवस्था नहीं देंगे तो उनका भला नहीं हो पाएगा। उनके साथ एक मजबूरी यह भी है कि वे कहीं बाहर कमाने के लिए भी नहीं जा सकते। वे लोग वहीं पर जीते हैं और वहीं पर मरते हैं। ऐसे किसानों के लिए आप कोई न कोई उचित व्यवस्था करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 9 राज्यों के सचिवों की बैठक की और 1200 करोड़ रुपये उन्हें कार्य आरम्भ करने के लिए सौंपे हैं। मेरा आग्रह है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए जो 8 हजार करोड़ रुपये दिये गये, उसका समुचित लाभ किसानों को मिले, ऐसा वह निर्देशित करें। मैं चाहूंगा कि देश के गरीब किसानों का उत्पादन बढ़े और उसे सम्मान से जीने का अवसर मिले। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके लिए आप और हम सभी देते हैं। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फसल तो नष्ट हो रही है लेकिन जो जमीन है, उसमें पौधे हैं, वहां जीने वाले पशु-पक्षी हैं, उनकी रक्षा हम किसी तरह से कर सकें, तो यह इस देश के लिए अच्छा कदम होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी काफी वक्ता हैं। मैं आपसे आपका भाषण पांच मिनट तक सीमित रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): हमारे लिए पांच मिनट्स ही बहुत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सत्र के आखिरी समय में हम सूखे पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा से देश के किसानों को कितना लाभ होगा, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गोस्वामी तुलसी दास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि ''समय चूक पुनि का पछताने, का बरखा जब कृषि सुखाने''। आज ठीक उसी परम्परा का हम भी निर्वाह कर रहे हैं। हमारे यहां आग लगने के बाद कुआं खोदने की परम्परा है। आज हम उसी परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। यही कारण है कि 62 वर्षों के बाद भी देश का 60 प्रतिशत किसान मानसून पर निर्भर है। हम आप पर आरोप लगाना नहीं चाहते हैं और न ही किसी और पर आरोप लगाना चाहते हैं। लेकिन इस विषय पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, यह सूखा नहीं है, यह प्रकृति की चेतावनी है, प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। नदियों को जोड़ने की योजना का क्या हुआ? हमारे यहां जल की कमी नहीं है, नदी-नालों से हमारा देश पटा हुआ है। हमारा यही कहना है कि जल-प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सा पानी बर्बाद होकर समुद्र में चला जाता है।

मान्यवर, यह जो प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, उससे जो हमारा पर्यावरण असंतुलित हुआ है, वह भी एक बड़ा कारण है। अभी पेड़ों की कटाई की बात हो रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून है कि अगर एक हैक्टेयर खेत के अंदर 50 पेड़ लगे हों, तो उसे वन-क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। मान्यवर, जो सरकारी जंगल है या वन-विभाग है, उसके अलावा बहुत से पेड़-पौधे ऐसे हैं जो किसानों के हैं। एक बहुत बड़ी भागीदारी किसानों की है। आज किसान का पेड़ लगाने से मोहभंग हो गया है, क्योंकि एक पेड़ अगर किसान कटाना चाहता है और उस पेड़ की कीमत अगर 10 हजार रुपये है तो 2 हजार रुपये ही किसान को मिलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, कमीशन के रूप में, 40 प्रतिशत पैसा पुलिस लेती है। किसान सोचता है कि हम पेड़ क्यों लगाएं? हमारी बेटी की शादी हो, हमें पलंग बनवाना है। हमें कुर्सी बनवानी है, हमें शादी में देने के लिए कुछ सामान बनवाना है, अगर किसान पेड़ कटवा लेता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है, इसलिए आज जो किसान व्यक्तिगत पेड़ लगाते थे, वे अब कहते हैं कि हमें पेड़ लगाकर जेल नहीं जाना है। एक किसान जब अपनी जरूरत के लिए पेड़ काटता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, लेकिन बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लखनऊ जैसे शहर में 10 हजार पेड़ कटवा देते हैं, नोएडा में छह हजार पेड़ कटवा देते हैं, तो उनके लिए क्या कानून है? देश में, राज्य में दो प्रकार का कानून नहीं चलना चाहिए। एक गरीब अपना पेड़ अपनी बेटी की शादी के लिए कटवाना चाहता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है और 6-6 हजार पेड़, 10-10 हजार पेड़, लाखों पेड़ जब कटवा दिए जाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसे रोकने के लिए भी कोई कानून होना चाहिए।

मैं एक विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी ने किसानों को सब्सिडी देने की बात कही है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी योजना बनाइए, जिससे कि उसका लाभ सीधे किसान को मिले। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खाद का जो तय भाव है, उससे दुगुने रेट से कम पर किसी किसान को खाद नहीं मिलती है। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी बैठे हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। नेपाल बार्डर से हम आते हैं। आप सब्सिडी हमें देते हैं, खाद हमें देते हैं, लेकिन वह खाद नेपाल चली जाती है। हमारे महाराज जी बैठे हैं। ये सीमा पर रहने वाले हैं। जिस खाद पर सब्सिडी देते हैं, वह नेपाल चली जाती है। इसी खाद की ब्लैक मार्केटिंग के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता श्री पाटनदीन सिंह ने आवाज उठाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी मार-मार कर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया और गुंडा एक्ट लगा दिया। आप अधिकारियों के भरोसे मत रहिए, किसी राज्य सरकार के भरोसे मत रहिए। अगर आप किसान को लाभ देना चाहते हैं, तो सीधे किसानों को दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो परियोजनाएं लम्बित हैं, उन्हें आप पूरा कीजिए।

श्री रमेश राठौर (आदिलाबाद): सभापति महोदय, मैं आंध्र प्रदेश से तेलगु देशम पार्टी की तरफ से इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सूखे पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय से संबंधित कृषि मंत्री श्री शरद पवार हैं। ये काश्तकार के बेटे हैं और स्वयं भी काश्तकार हैं। मैं आंध्र प्रदेश की स्थिति के बारे में उन्हें बताना चाहता हूं। भारतवर्ष में किसान को अन्नदाता कहते हैं और हमारे राज्य में किसान की मजदूर बनने की परिस्थिति हो रही है। हमारे राज्य में गोदावरी के ऊपर प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1968 में

एसआरएसपी प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया था। आज दुःख होता है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के समय में आंध्र में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बाबली की वजह से 14 प्रोजेक्ट्स का काम शुरू है। राष्ट्र में कांग्रेस सरकार है और हमारे राज्य में भी कांग्रेस सरकार है। बाबली प्रोजेक्ट में *...(व्यवधान)* आपको मालूम नहीं है, आप लोग पांच साल सो गए। केन्द्र की गुलामी में बात नहीं कहनी चाहिए। काश्तकारों की परिस्थिति रोड पर आने की हो गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबली में 14 सैक्टर बिठा दिये गये और सीडब्ल्यूसी क्लिअरेंस नहीं लेने के बाद केन्द्र सरकार ने आज तक उसे रोका नहीं है। हमने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में यहां पर प्रधान मंत्री जी के यहां, राष्ट्रपति जी के यहां आकर धरना दिया, हैदराबाद में धरना दिया, हर जगह धरना दिया, मुख्य मंत्री को बताया लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। हाल में परसों सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो वहां पर बाबली प्रोजेक्ट का जब काम हो गया, वैसे 14 प्रोजेक्ट का काम चालू है तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी राज्य सरकार ने 4 सैक्टर बताए तो तेलगु देशम के एडवोकेट वहां पर फोटो के साथ आए थे, उन्होंने पूरे 14 सैक्टर बताए। परसों नासिक में बड़ी बरसात होने के बाद वहां एसआरएसयू प्रोजेक्ट आने वाला था लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। अगर ऐसी ही वहां सूखाग्रस्त परिस्थिति रही तो वहां 20 लाख एकड़, 6 जिलों के काश्तकारों के पेट पर मार पड़ेगी और इसी तरह से कृष्णा नदी के ऊपर भी कर्नाटक में फिर प्रोजेक्ट का काम चालू है। इस तरह मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे आंध्र प्रदेश के किसानों को बचाओ और यह काम तुरंत बंद किया जाए और वहां के काश्तकार हमेशा सूखा न देखे, इसके लिए प्रबंध किया जाए। इसी के साथ इस वर्ष साधारण बारिश आपने देखी है, अभी तक 293 मिलीमीटर की बजाए 171 मिलीमीटर ही बरसात गिरी है। मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से अभी तक काश्तकारों को अपनी फसल का भाव भी नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा है कि गत वर्ष जो ग्राउंड नट की फसल आंध्र प्रदेश में 2008 में हुई, उसके 730 करोड़ के इंश्योरेंस का अभी तक पेमेंट नहीं आया है। इस बारे में मंत्री जी क्या निर्णय ले रहे हैं? गत वर्ष का अभी तक नहीं आया तो सूखाग्रस्त क्षेत्र का हाल क्या होगा? *...(व्यवधान)* उदाहरण के तौर पर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रमेश राठौर (आदिलाबाद): सभापति जी, एक मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा। मैं एक गिरिजन हूं। मैं आदिलाबाद जिले से आया हूं और आदिलाबाद जिले में गत वर्ष 2000 लोग मर चुके हैं, वर्ष 2007 में 2000 लोग मर चुके हैं और 2008 में 2000 लोग मरे और इस वर्ष 150 लोग पीने के पानी की वजह से मरे। स्वयं यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी 1998 में नारनौर गिरिजन प्रान्त में आकर देखा जब 3000 लोग मर चुके थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः बाद में कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रमेश राठौरः सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में गिरिजनों को जीने का अधिकार नहीं है? *...(व्यवधान)* 62 साल आजादी को हो गये, क्या गिरिजनों को पीने का पानी तक नहीं मिल सकता है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया आपस में बातें न करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री पी. लिंगम।

****श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): सभापति महोदय, इस समय सभा देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रही है। मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री पी. लिंगम]

ऐसे समय पर, जब हम दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए चिंतित है, इस सभा में यह चर्चा हो रही है। यद्यपि बाढ़ और सूखा एक-दूसरे के विपरीत हैं, वे बारी-बारी से, एक के बाद एक, हमें प्रभावित कर रहे हैं। हर बार हम बाढ़ अथवा सूखे के बारे में चर्चा करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने देश, जो मानसून पर निर्भर है, की सिंचाई समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं; दक्षिण-पश्चिम मानसून, यदि समय पर आ जाए तो एक रामबाण की भांति है जो हमारे उष्णकटिबंधीय देश को उपजाऊ भूमि में बदल देता है। इस वर्ष मानसून के आने में थोड़ा विलंब हुआ है। अतः, स्वाभाविक रूप से हम चिंतित है कि हम भली-भांति सिंचाई कर सकेंगे और सफलतापूर्वक खेती कर सकेंगे अथवा नहीं। स्वतंत्रता के 62 वर्ष पश्चात् भी, हम एक प्रभावी जल प्रबंधन नीति विकसित नहीं कर पाए हैं। हम इस मोर्चे पर विफल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हम देश में किसी नदी जल विवाद को सद्भावपूर्वक निपटा पाए हैं अथवा नहीं। नदी जल बंटवारे के जटिल मुद्दे काफी समय से लंबित हैं। अंतर-राज्य नदी जल विवादों की संख्या अब भी बढ़ रही है।

ऊपरी क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों तक नदी का जल उस स्वाभाविक रूप से नहीं बहकर आता जिस प्रकार आना चाहिए। केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि पेयजल जैसी मूल आवश्यकता के लिए भी प्राकृतिक जल बहाव के रास्त में अवरोधी बांध और नए सिंचाई क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता जैसी बाधाएं आती हैं। यही कारण है कि आज अकाल का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। तमिलनाडु में बहने वाली कोई भी नदी राज्य के अंदर से नहीं निकलती है। तमिलनाडु में लगभग सभी नदियां देश के दक्षिणी भाग की नदी प्रणाली का निचला हिस्सा है। लेकिन तमिलनाडु में भी नदियों का जल स्तर घट रहा है क्योंकि अन्य राज्यों से हमें हमारी मूल आवश्यकताओं के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे समय पर, जब हमें देश में गंभीर सूखे की आशंका है, कुछ राज्यों यथा केरल, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में काफी वर्षा हुई है। लेकिन अव तक तमिलनाडु को उसके कावेरी जल का हिस्सा नहीं मिला है। यही कारण है कि मेतूर बांध, जो 12 जून को खोला जाना था, अब तक नहीं खोला गया है। कावेरी डेल्टा में धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। अतीत में ऐसी स्थितियों में भारी बर्बादी हुई है जिससे धान की फसल और खाद्य उत्पादन में भारी कमी हो जाती है।

इसी प्रकार, मुल्लापेरियार बांध विवाद ने भी केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच गंभीर तनाव को जन्म दिया है। केन्द्र इस समस्या के समाधान के लिए उचित ढंग से हस्तक्षेप करने में विफल रहा है जो अब जटिल मुद्दा बन चुका है। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र की मंजूरी के बिना ही पालार नदी पर बांध बनाने के लिए आधारभूत कार्य आरंभ कर दिया है। तमिलनाडु के किसानों के मन में यह भी बहुत बड़ी चिंता है। चूंकि हम नदी जल बंटवारे के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाने में विफल रहे हैं, इसलिए देश में अक्सर सूखा पड़ता है। इसके साथ ही, सुनियोजित बराजों और अवरोधी बांधों के अभाव में, मानसून के दौरान बाढ़ से उफनती अनेक नदियों का जल व्यर्थ ही समुद्रों और महासागरों में बह जाता है। एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखे का यही कारण है। कम से कम, निकट भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मौसम के उतार-चढ़ाव और कृत्रिम कमी में न फंसे जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संकटों से भी बढ़कर मानव-निर्मित संकट उत्पन्न हो जाते हैं। पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताएं मूल और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। इन दिनों हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित किसान और आम गरीब लोग हुए हैं। इन लोगों को, जिन्हें अपने जीवन में कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधाजनक हल नहीं मिला है, वे प्राकृतिक संकटों यथा बाढ़ और सूखे से घिरे हुए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सेनबागावल्ली नदी के अवरोधी बांध को भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान से, यह पहले जैसी नहीं रही है। अनेक वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। उस अवरोधी बांध के पुनर्निर्माण से केरल और तमिलनाडु, दोनों राज्यों के किसानों और गरीब आदमियों को मदद मिलेगी। लेकिन इसे इस प्रकार बिना संभाले छोड़ दिया गया है मानों यह अंतर-राज्यीय मामला है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। यहां तक कि अवरोधी बांध की मरम्मत में भी हमारे सामने समस्या आती है। वर्ष 2007 में, चक्रवात के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक स्थानों, यथा राजापलयम, पुलियांगुडी और श्रीविल्लीपूतूर में काफी क्षति हुई। यह घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री राहत कोष से पुनर्वास उपाय किए जाएंगे लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बाढ़ से हुई इस क्षति से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले से ही प्रभावित लोग सरकार की उपेक्षा और धोखे के कारण पुनः समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में जरूरतमंद गरीब लोग न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बल्कि मानव-निर्मित आपदाओं से भी बचे रहें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)* *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाएं। मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, यह सॉवरेन सदन देश में सुखाड़ और बाढ़ से उत्पन्न समस्या पर विचार कर रहा है और मैं आपके माध्यम से बिहार की सुखाड़ की स्थिति पर विचार करना चाहता हूं। मैंने एक बार बचपन में बेगम अख्तर का एक गना सुना था- ''अब के आयेगी बरसात बरसेगी शराब, आई बरसात पर बरसात ने दिल तोड़ दिया।'' वर्षा ऋतु आई पर वर्षा नहीं हुई और इससे बिहार एक भयानक स्थिति में पहुंच गया है।

महोदय, बिहार विडम्बनाओं का राज्य है। मैं विडम्बना इसलिए कहता हूं कि बिहार में सैंकड़ों नदियां हैं, झीले हैं, चौर हैं और वे नदियां भी हैं जो हिमालय से निकलती हैं। परंतु बिहार में जो व्यवस्था होती रही, उस व्यवस्था ने नदियों को बांधा, लेकिन नदियों से नहरें नहीं निकाली। नदियों के पानी को कहा तू समन्दर में जाओ, खेतों में मत जाओ और बांध के बाहर का जो पानी था, उसे कहा तुम खेत में ही रहो, नदी में मत जाओ। बिहार विडम्बनाओं का राज्य है। पानी रहते हुए भी बिहार सिंचाई की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सका। यही कारण है कि हम पिछले वर्ष कुसहा बांध के टूट जाने के कारण कोसी और उसके आसपास के इलाकों के लगभग 35 लाख लोग आज भी बेपनाह हैं। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विपदा है। वहां की सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए, व्यवस्था के लिए, खेतों में जो बालू भरा है, उसे निकालने के लिए केन्द्र सरकार से 14 हजार करोड़ रुपये देने का आग्रह किया था और कहा कि बिहार को बचाइये। लेकिन आज तक बिहार के मामले में केन्द्र सरकार की संवेदना दिखाई नहीं पड़ती है। बिहार ने वर्ष 2005, 2007 और 2008 में बाढ़ का प्रकोप झेला और वर्ष 2002, 2004 में बिहार ने सुखाड़ का प्रकोप झेला। लेकिन 2009 में बिहार अप्रत्याशित सुखाड़ से तबाह है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की वर्तमान सरकार जिन परिस्थितियों से जूझ रही है, जिन समस्याओं का मुकाबला कर रही है और उसके सामने जो विपत्ति आई हुई है, उसे देखते हुए उस सरकार ने तब भी प्रयास किया है। वहां की सरकार ने तीन सिंचाई के लिए प्रत्येक दस लीटर पर 15 रुपये लीटर अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही उसने छः हजार नलकूप गाड़ने के लिए जो व्यवस्था करने का प्रयास किया, उसमें 45 प्रतिशत सरकारी अनुदान, 45 प्रतिशत बैंकों से ऋण और दस प्रतिशत किसानों को अपना खर्चा करना पड़ेगा।

बिहार सरकार ने कदम उठाया है। जो इस देश में कृषि मंत्री हैं, वह कृषि की कोख से आये हैं, उनके दर्द में छटपटाहट है और किसानों के लिये आंसू हैं। इसलिये मैं किसानों की पीड़ा उनके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बिहार में प्रति वर्ष खरीफ की फसल 50 लाख टन होती है जिसमें 35 लाख टन धान, 3 लाख टन मक्का और एक लाख 25 हजार टन दालों की फसल होती है। आज जो परिस्थितियां हैं, उनमें दस लाख टन खरीफ की फसल नहीं हो पायेगी, चावल की फसल नहीं हो पायेगी। पिछले साल जहां बिहार में 500 मि.मी. वर्षा हुई थी, आज वहां केवल 64 मि.मी. वर्षा हुई है। मैं बिहार के नवादा क्षेत्र से आता हूं। वह डांट प्रोन एरिया है जहां धरती सूखी और आत्मा प्यासी है। नदियां सूखी पड़ी हुई है। उन नदियों में बरसात का पानी जाता है लेकिन वह पानी समुद्र में चला जाता है *...(व्यवधान)* सभापति जी, आपने घंटी बजा दी है। मैं जानता हूं कि आप अनुशासनप्रिय हैं। मैं आसन की ओर देखकर डरने लगता हूं और सोचता हूं कि हे ईश्वर, आपने ऐसे आदमी को आसन पर बैठा रखा है जो तुरंत घंटी बजा देता है। मेरी उम्र 72 साल की है और मैं डरता हूं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे दो मिनट का समय और दीजिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपको घंटी से डरना चाहिए, उस आदमी से नहीं जो यहां बैठा हुआ है। अब कृपया बैठ जाएं। अब श्री पबन सिंह घाटोवार बोलेंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं आपको केवल एक मिनट दे रहा हूं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह: सभापति जी, मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह बिहार के मामले में नकारात्मक रवैया छोड़कर सकारात्मक उपाय करे। बिहार का बिजली का कोटा 1500 मेगावाट है, उसका आवंटन उसे दिया जाये। बिहार को 470 करोड़ रुपया डीजल के अनुदान के लिये मुहैया करें। बिहार सरकार ने सूखे से निजात पाने के लिये 9000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसे कृपया पूरा किया जाये। बैंकों द्वारा वसूली कार्य पर रोक लगायी जाये और बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, इस वर्ष देश में अकाल और बाढ़ की स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है और यह ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वे अकाल और बाढ़ की स्थिति से सीधे प्रभावित होते हैं।

इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने देश, विशेषकर अपने-अपने राज्यों की समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं अपने देश की उन समस्याओं का निवारण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का निश्चित रूप से उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि ये हमेशा बनी रहती हैं।

हमारे देश में कृषि मुख्यत: मानसून पर निर्भर है। मौसम विज्ञान विभाग प्रमुख विभागों में से एक है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंतिम चरण तक प्रतीक्षा करके आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में अभी कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। आपने देखा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट में देश के किसानों की सहायता हेतु कृषि ऋण प्रवाह को 2,87,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,25,000 करोड़ रुपये किया गया है।

उन्होंने उन किसानों की ब्याज दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है, जो नियमित रूप से अपने ऋण चुका रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस सरकार का एक प्रमुख अग्रणी कार्यक्रम है। एनआरईजीपी के अंतर्गत कार्यरत लगभग 99 प्रतिशत लोग गांवों और कृषि पृष्ठभूमि से हैं। मेरे विचार से एनआरईजीपी के अंतर्गत वर्षा जल संचयन हेतु अधिक योजनाएं होनी चाहिएं। चूंकि हमारे देश में पानी का अंधाधुंध दोहन हो रहा है इसलिए किसानों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और वह जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाई जानी चाहिए। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि एनआरईजीपी में इस योजना की दिशा में कार्रवाई की जाए।

सरकार ने हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया है। यह हमारे देश में खाद्य उत्पादन पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं संप्रग सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि इसने हमारे देश निभिन्न कृषि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकार्ड वृद्धि की घोषणा की है, जो इस देश में निश्चित रूप से किसानों को प्रोत्साहित करेगी।

सरकार ने देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई योजनाएं शुरू की हैं। इस प्रयोजन के लिए, सरकार ने काफी धनराशि प्रदान की है और वर्ष 2007 तथा 2012 के बीच की अवधि में सरकार ने 6 मिलियन हेक्टेयर और भूमि को लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मुझे मालूम नहीं कि इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार के पास क्या प्रणाली है तथा उसे राज्य सरकारों से किस प्रकार की सहायता मिल रही है।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान और गेहूं का उत्पादन कराने हेतु हमारे देश में 312 जिलों की पहचान की है। इस योजना को भी राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सफल कार्यान्वयन हेतु उनकी सक्रिय सहायता की बहुत आवश्यकता है। मेरे विचार से इन सभी योजनाओं की समुचित रूप से समीक्षा और कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। अत:, केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिएं कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर समुचित रूप से कार्यान्वित किया गया है।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आया हूं और मेरा संबंध असम राज्य से है। हर कोई सोचता है कि असम बाढ़ पीड़ित राज्य है, परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस वर्ष असम के लगभग 22 जिले सूखा पीड़ित हैं। अनेक जिलों में 10 से 50 प्रतिशत तक

कम वर्षा हुई है और सरकार ने असम के लगभग 25 जिलों को सूखा पीड़ित जिलों के रूप में घोषित किया है। तत्पश्चात् जून के मध्य में पड़ोसी देशों से असम में बहकर आ रही सभी नदियों के कारण बाढ़ आई। कुछ तिब्बत से आ रही हैं और कुछ भूटान से आ रही हैं। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण असम के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आई है।

तत्पश्चात् भू-क्षरण असम की एक प्रमुख समस्या है। विगत एक दशक में ही, भू-क्षरण के कारण एक लाख हेक्टेयर से भी अधिक कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का नुकसान हुआ है। भारत सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का सब कुछ छिन चुका है। उनकी कृषि योग्य भूमि छिन चुकी है, उनके घर छिन चुके हैं और उनकी सारी संपत्ति छिन चुकी है, परंतु उनकी मदद या उनके पुनर्वास हेतु कोई योजना नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में लाखों किसान भू-क्षरण और सूखे से प्रभावित हैं।

सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है और उसने सूखा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय मैनुअल तैयार किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री से उस सूखा प्रबंधन परियोजना की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा विचार है कि माननीय कृषि मंत्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे, ताकि इससे संबंधित कार्य में तेजी आ सके।

जहां तक राष्ट्रीय आपदा के लिए असम को धन आबंटन करने का संबंध है, यह बहुत कम है। केन्द्र सरकार ने केवल 150 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। यह धनराशि असम में सूखे और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असम सरकार की और अधिक सहायता करने के लिए आगे आए तथा बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित करे। इतनी कम धनराशि से असम में बाढ़ की समस्या को नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा।

इसके साथ ही वनों की कटाई, जलवायु संबंधी इन सभी परिवर्तनों का प्रमुख कारण है। वृहत वनीकरण कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। अन्यथा जलवायु परिवर्तन से वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा। चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा हुआ करती थी। अब, चेरापूंजी में बहुत कम वर्षा होती है, जो विश्व में कभी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए।

इस कार्य से संबंधित सभी मंत्रालयों को समन्वित प्रयास करना होगा। अकेले कृषि मंत्रालय इस समस्या को हल नहीं कर सकता। जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों को आपस में समन्वय करना होगा, ताकि बाढ़ और सूखे की समस्या का कारगर तरीके से निवारण किया जा सके। इस समस्या का निवारण करने हेतु अधिक धनराशि दिए जाने की भी आवश्यकता है क्योंकि हम कृषि पर निर्भर हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.02 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं बिहार से आता हूं। वहां के लोग हमेशा कभी बाढ़ से और कभी सूखाड़ से प्रभावित रहते हैं। कोसी, बागमती, करेह, कमला और बलान नदियों से बिहार घिरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सभी नदियां सूखी हुई हैं और किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वहां किसान फसल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बिचड़ा लगाया था, वह सूखा गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह प्राकृतिक आपदा निधि से जो पैसा प्रदेश की सरकार को देते हैं, उसको बढ़ाने का काम करेंगे।

महोदय, हमारे नेता आदरणीय नितीश कुमार जी सर्वगुण सम्पन्न हैं और वह बहुत अच्छे से बिहार को चला रहे हैं। बिहार में जो सूखा पड़ा है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं। उन्होंने डीजल पर 15 रुपये प्रति लीटर देने का काम किया है। पिछली बार जब बाढ़ आयी थी, उस समय एक-एक क्विंटल अनाज गरीबों के बीच वितरित करने का काम किया था। सभी के लिए खाने की व्यवस्था की थी। हालांकि वहां बाढ़ के कारण बहुत से लोग मरे भी थे।

महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि बिहार एक गरीब राज्य है, इसलिए वहां के लिए एक विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, जिससे बिहार राज्य अन्य राज्यों के समान स्थिति में खड़ा हो सके।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां की नदियों को जोड़ने का काम किया जाए ताकि वहां के किसानों को खेती करने में सुविधा हो सके। वहां के किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। भारत सरकार हमेशा कहती है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं भारत

[श्री महेश्वर हज़ारी]

सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां की नदियां सूख चुकी हैं, यहां तक मवेशियों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों को नलकूप के लिए सब्सिडी दी जाए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों के कृषि कर्ज को माफ करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नरेगा के माध्यम से जो कार्य चलते हैं, उसका 80 परसेंट कार्य ऊपर ही रह जाता है, केवल 20 परसेंट ही जमीन पर जा पाता है। नरेगा के कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। उसके नियम में बदलाव करना चाहिए, जिससे नरेगा का सारा पैसा जमीनी स्तर पर किया जा सके। नरेगा का जो 110 परसेंट बढ़ाया गया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने जो नरेगा के लिए पैसा बढ़ाया है। नरेगा का पैसा जमीन पर किस तरह उतरे, उसके लिए कानून एवं नियम में संशोधन करना चाहिए। वह पैसा डायरेक्ट जमीन पर जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को खाद के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, यह डायरेक्ट किसान के पास पहुंचे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसान को जो सब्सिडी दी जाती है उसे बड़े लोग और व्यवसायी वर्ग रास्ते में ही खा जाते हैं, वह किसानों को नहीं मिल पाती है। इसलिए किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बोलने के लिए निर्धारित पांच मिनट की समय-सीमा का सख्ती से पालन करें। क्योंकि अभी 35 सदस्यों को बोलना है और उसके बाद मंत्री जी को उत्तर देना है। इसलिए, आगे बोलने वाले अगले माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। यहां हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, देश के लिए फूड सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा कार्य है, यह इन्हीं की जिम्मेदारी है। इस साल सुखाड़ के चलते लगता है कि फूड सिक्योरिटी पर देश में खतरा होने वाला है। यद्यपि उन्हें भरोसा है कि पांच से छह करोड़ टन चावल और गेहूं उनके गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन जब सुखाड़ की स्थिति पैदा होगी, उत्पादन कम होगा तो मात्र इतने चावल और गेहूं से इस देश के सभी लोगों की आवश्यकता शायद पूरी नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अनाज के उत्पादन में सरप्लस वाला राज्य हुआ करता था। लोग कभी-कभी चर्चा करते हैं कि उस रिजीम की उपलब्धियां क्या हैं। राष्ट्र पर बोझ न बन कर बिहार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। उससे न केवल अपने उत्पादन से लोगों का पेट भरने का काम किया, बल्कि देश के अन्य राज्यों में वहां का कृषि उत्पादन निर्यात होने लगा। मैं देख रहा हूं कि इस साल उपलब्धि सुखाड़ के चलते खतरे में है। यह कुछ तो प्रकृति के चलते खतरे में है और उससे अधिक वहां की सरकार की उदासीनता के चलते है।

सभापति महोदय, बिहार में तीन बड़ी सिंचाई की योजनाएं हैं- कोसी, गंडक और सोन। सोन देश की प्राचीनतम नहर प्रणाली है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज उसकी उत्पादकता इस देश के किसी भी क्षेत्र से ऊपर है। हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर रखा है, धान की उत्पादकता का और उससे भी आगे जाकर वहां के किसान 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन अपने खेतों में कर रहा है। लेकिन सोन नहर प्रणाली को बाण सागर और रिहंद से पानी आना है, वह पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। उदासीनता के चलते सरकार अपने हिस्से का पानी वहां नहीं ले पा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं उसी इलाके से आता हूं, जहां मेरा पार्लियामेंट का क्षेत्र बक्सर, कैमूर और रोहतास जिला में है। वहां पानी की कोई कमी नहीं होती, यद्यपि बरसात की कमी है, लेकिन सुनिश्चित नहर की प्रणाली के चलते वहां पानी की कमी होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी। सोन के बाद कोसी नहर प्रणाली, पिछले सार पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वहां हमारा कोसी का तटबंध टूटा था और 35 लाख आबादी नदी के पेट में चली गई थी तथा सिंचाई प्रणाली ध्वस्त हो गई थी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह बाढ़ के बचाव का ढांचा नहीं था, वह हमारी सिंचाई योजना का हिस्सा था। उसका एफ्लैक्स बांध टूटा। एफ्लैक्स बांध हमेशा, बैराज और सिंचाई प्रणाली का हिस्सा होता है। इसका नतीजा हुआ कि जहां पहले हम 15 हजार क्यूसेक्स पानी का प्रयोग करते थे, वहां आज हमें केवल 3 हजार क्यूसेक्स पानी सिंचाई के लिए मिल रहा है।

पैरेनियल नदी में, हिमालयन क्षेत्र से आया पानी, जो बाढ़ का कारण बनता है और उसी से हमारे खेतों को 15 हजार क्युसेक्स पानी सिंचाई के लिए मिलता था, उसकी जगह हम केवल 15 सौ क्यूसेक्स पानी का प्रयोग कर पा रहे हैं।

महोदय, गंडक नहर प्रणाली, जिससे 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती, उसके लिए केन्द्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए पिछले चार सालों से दे रखे हैं, लेकिन हमारी नहर की प्रणाली नहीं सुधर रही है। इसका नतीजा है कि 15 हजार क्यूसेक्स की जगह हम केवल 3 हजार क्युसेक्स पानी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह प्राकृतिक आपदा है, क्या यह सुखाड़ प्रकृति की दी हुई आपदा है या मानव निर्मित है? गत चार वर्षों में कोसी, गंडक और सोन की नहर प्रणालियों को ध्वस्त करने का काम किया गया है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में पुराने 5 हजार नलकूप लगे थे। उसमें से 4500 नलकूप बन्द हैं। नाबार्ड के द्वारा 4 हजार नलकूप लगाए गए हैं, लेकिन पिछले चार सालों से एक भी नलकूप को चालू नहीं किया गया है। करोड़ों और अरबों रुपए की धनराशि खर्च करने के बाद भी और सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली होने के बाद भी, यदि हमारे खेत सूखे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार दोषी है। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप केवल कृषि मंत्रालय के द्वारा फूड सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। यदि आपका सामान्य ढंग से और लगातार विचार-विमर्श ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग से नहीं होता रहा, तो इस चुनौती को झेलने में शायद यह राष्ट्र सफल नहीं हो पाएगा।

महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो जल संसाधन विभाग और बिजली विभाग को संभालने वाले लोग हैं, उनसे विचार-विमर्श किया जाए और यदि हमारे किसानों को यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि उनके खेतों के लिए देश में उत्पादित 50 प्रतिशत बिजली मिलेगी, तो निश्चित रूप से किसान इतना उत्पादन कर के देगा कि एफ.सी.आई. के गोदाम फिर उसी तरीके से भर जाएंगे, जैसे आज भरे हुए हैं और देश की फूड सिक्योरिटी हो जाएगी अन्यथा यदि यह सुखाड़ की स्थिति बनी रही, तो 5-6 करोड़ टन अनाज देश की भूख की स्थिति को झेलने में कामयाब नहीं होगा।

महोदय, मैं केवल एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा धान की फसल को हर हालत में बचाया जाए, जो कम बारिश के बाद भी खेतों में लगाई जा चुकी है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वाटर रिसोर्सेस मंत्रालय के साथ बैठक हो और तीसरी तथा महत्वपूर्ण बात जो हमारे पनबिजली घर हैं, उनके केवल बिजली के उत्पादन को न देखा जाए, बल्कि सिंचाई से जुड़ा हुआ जो पानी है, उसे खेतों में जाने दिया जाए। इससे बिजली भी पैदा होगी, अनाज भी पैदा होगा और जो प्राकृतिक आपदा हमारे देश के सामने इस समय मौजूद है उसे देश झेल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, आज हम सब देश की सूखा और बाढ़ से संबंधित समस्या पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। कमोबेश प्रतिवर्ष ही सदन में इन विषयों पर चर्चा होती है। बड़ी अजीब विडम्बना है कि एक ही समय यह देश दोनों परिस्थितियों से जूझ रहा है। उत्तर भारत में फिर चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या हरियाणा आदि राज्य जहां सूखे की चपेट में हैं, वहीं असम और महाराष्ट्र आदि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां लोग बाढ़ की भीषण त्रासदी से जूझ रहे हैं। इन दोनों समस्याओं से निपटने में कहीं न कहीं व्यवस्था और नियोजन की कमी है। बाढ़ और सूखा ऐसी प्राकृतिक त्रासदी नहीं हैं जिनका सामना न किया जा सके या जिनका पूर्वानुमान न लगाया जा सके। यह भूकम्प जैसी त्रासदी नहीं है, यह कोई साइक्लोन नहीं है जिसका कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सके, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी, आज इन सब समस्याओं की जड़ है, जिसकी चपेट में अन्ततः आम नागरिक आता है।

जिसकी चपेट में अन्ततः आम नागरिक आता है। मैं इस देश के सबसे घनी आबादी के उस क्षेत्र से आता हूं, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल है और जिस क्षेत्र में नेपाल से आने वाली छोटी-बड़ी नदियों का एक बहुत बड़ा जाल सा फैला हुआ है। प्रतिवर्ष या तो वह क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी का शिकार होता है और अगर बरसात नहीं होती है तो फिर सूखे की चपेट में आता है।

बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व माननीय कृषि मंत्री का एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिले घोषित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। उसके अगले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दो दिन के बाद पुनः 27 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि गोरखपुर के पूर्व के जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए, गोरखपुर के दक्षिण के जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए, गोरखपुर के पश्चिमी जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए लेकिन गोरखपुर जनपद को, कुशीनगर जनपद को और महाराजगंज जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। यह राजनैतिक पूर्वाग्रह है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर विशेष ध्यान दें कि राजनैतिक विद्वेष और प्रताड़ना की भावना से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अन्ततः इसकी चपेट में आम जनमानस आएगा

[योगी आदित्यनाथ]

और इसलिए इस प्रकार के निर्णयों से किसानों को, गांवों को और आम नागरिकों को अलग रखा जाना चाहिए और एक समान निर्णय पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहां की जनता के व्यापक हित में लिए जाने चाहिए।

आजादी के तत्काल बाद नेपाल के साथ मिलकर जिन जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में नेपाल के साथ बातचीत प्रारम्भ हुई थी, अगर उन्हें अब तक पूरा किया गया होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से या जब बरसात नहीं होती है तो सूखे की चपेट में वहां का आम नागरिक नहीं आता। मैंने 1998 की बाढ़ देखी है और इसी सदन में हम लोगों ने तब 1998 में भी गुहार लगाई थी। 2001 में भी उस क्षेत्र में भयंकर प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तब भी हम लोगों ने इस सदन में आवाज उठाई थी कि इससे बचाया जाये, नेपाल के साथ वार्ता की जाये और अगर नेपाल के अन्दर से जाने वाली उन नदियों को, चाहे करनाली है, पंचेश्वर है, भालू है, चाहे नेपाल से आने वाली सरयू, राप्ती, नारायणी, गंडक आदि नदियों पर जिन परियोनजाओं को बनना था, मैं मानता हूं कि न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ की त्रासदी से हम बचा सकते थे, अपितु वहां पर पहली बरसात कल हुई है, लेकिन इस बरसात का कोई मतलब नहीं क्योंकि फसल का समय समाप्त हो चुका है। इस बरसात का किसानों के लिए कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब किसानों को पानी की आवश्यकता थी, उस समय पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां पर नहरों का जाल उस रूप में नहीं बिछाया गया था कि लोग उसका उपयोग कर सकते या फिर नदियों में पानी पर्याप्त नहीं था। अगर नेपाल के अन्दर इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया होता तो सम्भवत: सूखे के समय में उस जल का उपयोग सिंचाई के साधन के लिए भी किया जा सकता था। जो बात नलकूप लगाने के लिए यहां आ रही है, हम यह जानना चाहते हैं कि नलकूप बिजली से ही तो चलेंगे और जब बिजली ही नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों को जलाने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है तो किसानों को नलकूप चलाने के लिए कैसे मिल पाएगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब हम सूखे और बाढ़ की समस्या पर विचार कर रहे हैं तो सूखे और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए एन.डी.ए. सरकार के समय नदियों को जोड़ने की जो परियोजना प्रारम्भ हुई थी, कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय मिलकर अगर इस योजना को अमली जामा पहना सकें तो देश की बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए नेपाल के साथ बातचीत होनी चाहिए। जलकुंडी परियोजना को लागू किया जाना चाहिए। इससे उस क्षेत्र में न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, अपितु सूखे के समय में पर्याप्त जल सिंचाई के साधन के लिए मिल सकेगा।

इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाए। इस बारे में एक सार्थक पहल इस सदन के माध्यम से अवश्य हो, यही अनुरोध करने के लिए मैं आज यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार पुन: आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री अधीर चौधरी, मैं आपको भी केवल पांच मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, पूर्व में आप भी वक्ता थे।

सभापति महोदयः जी हां, मुझे पता है। मैं क्या करूं?

श्री अधीर चौधरीः महोदय, संसद में समयाभाव के कारण मजबूरन मुझे अपनी बात संक्षेप में करनी होगी।

सभापति महोदयाः अन्यथा, भाषणों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए, हमें संक्षेप में ही बोलना होगा।

श्री अधीर चौधरीः महोदय, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की सारी सम्पदाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी सूखा और बाढ़ की नियति से हम भलीभांति परिचित हैं, जो नियमित अंतराल पर अक्सर इस देश में आती रहती हैं। यह सत्य है कि इस वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में हम बड़ी उत्सुकता से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: सामान्य स्थिति में ला सके। लेकिन यह देखकर दु:ख होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र ने यह भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 में 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करने के बाद इस वर्ष फसल के उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की कमी होगी। सी.एम.आई.ई. ने उम्मीद की है कि कृषि और इससे संबद्ध कार्यकलापों के सकल घरेलू उत्पाद में 2008-09 में 16 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 2 प्रतिशत कमी आएगी।

इस देश में प्रतिवर्ष सूखे से 50 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन सूखे और बाढ़ से उत्पन्न विनाशकारी प्रभावों को समुचित महत्व नहीं दिया जाता है। मंत्री जी को यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिए कि सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान हम केवल अल्पकालिक तंत्र जैसे राहत, वसूली आदि का सहारा लेते हैं। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र की आवश्यकता है। राज्य सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि वह सूखे सहित किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा पर ध्यान दे।

इसलिए, आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय और संभारतंत्र संबंधी सहायता उपलब्ध कराती है। यदि आपदा राहत कोष पर्याप्त नहीं है, तो सरकार राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष से और धनराशि देकर मदद करती है।

[हिन्दी]

ललन जी ने बहुत सारे आरोप यूनियन सरकार के खिलाफ लगाए। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस कोसी नदी की बाढ़ से सारा बिहार पिछले साल तहस-नहस हो गया था, उसके बारे में मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों को चेतावनी के तौर पर बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

नेपाल में जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण ही जल निष्कासन स्तर जो शनिवार को घटकर 88,240 क्यूसेक रह गया था और विगत पूरे सप्ताह में लगभग इतना ही बना रहा, रविवार को अचानक बढ़कर यह 1,18,000 क्यूसेक हो गया। यह वृद्धि सोमवार को भी जारी रही और इसने सभी संबंधित को चौकन्ना कर दिया। बराह क्षेत्र, जहां से कोसी नदी निकलती है, में सोमवार को यह 1:89 क्यूसेक दर्ज किया गया। इसलिए, कोसी नदी के किनारे और अधिक भी जलमग्न हो सकते हैं।

सूखे को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है, दूसरा जल-विज्ञान संबंधी सूखा तथा तीसरा कृषि संबंधी सूखा होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण को पुनर्गठित करने का सुझाव देता हूं ताकि इस वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के निर्देशन में मौसम निगरानी केन्द्र स्थापित किए जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन संबंधी विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है। सच्चाई यह है कि यदि हम सूखे और अन्य आपदाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करने, उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाने और ऐसी सूचनाएं सृजित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम कम-से-कम सूखे और बाढ़ की विभिषिका को कम करके आम लोगों को मदद तो कर ही सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः जो सदस्य अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं। वे सभा पटल पर अपने भाषण रख सकते हैं। जो लिखित भाषण देने में दिलचस्पी रखते हैं, वे अपने-अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

अब श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार बोलेंगे।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए 62 वर्ष हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, देश प्रगति नहीं कर सकता। हम यह भी जानते हैं कि सूखा और बाढ़ कृषि के दो शत्रु हैं। मैं इस माननीय सभा का नया समस्या हूं और उत्तर बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न बार-बार उठता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दलगत राजनीति से उपर उठकर सूखे और बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो इसका कारण क्या है? इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तथा इस सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि सूखा और बाढ़ हमारी मुख्य बाधाएं हैं और जब कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो हम इन समस्याओं को कम करने तथा इनका स्थायी समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं करते।

दूसरे, मौसम और प्रकृति में बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। कभी-कभी तो मानसून देर से आता है, तो कभी वर्षा अपर्याप्त होती है, तो कभी-कभी हमारे यहां अत्यधिक वर्षा होती है। जहां एक ओर हम यह पाते हैं कि जल स्तर धीरे-धीरे गिरता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अत्यधिक वर्षा से हमारी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। हम देख सकते हैं कि देश के अधिकांश भागों में कड़ी धूप पड़ रही है और वर्षा कम-से-कम हो रही है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि भारत बहुत-सी नदियां, झीलें, नहरें और अन्य जल निकाय हैं। इसलिए जब लगातार वर्षा होती है, जब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हमें जल को संरक्षित करने, अतिरिक्त जल का प्रभावी रूप से भंडारण करने और नदियों तथा नहरों के माध्यम से उन्हें जलाशयों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो हम जल का समुचित उपयोग कर पाएंगे और इसे भविष्य के उपयोग के लिए बचा पाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पानी खरीदना पड़ेगा। एक लीटर दूध की कीमत 12 रुपये है, जब कि एक लीटर पानी की कीमत 14 रुपये है।

इसलिए आप पानी की कीमत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए, प्राकृतिक जल का उपयोग कृषि क्षेत्रों में होना चाहिए और इसे प्रभावी ढंग से खेती में उपयोग किया जा सकता है।

तीसरे सूखे पर नियंत्रण करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी होगी और ऐसा करने के लिए उर्वरकों और बीजों पर राजसहायता जारी रहनी चाहिए।

---

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

हम बीज बोते हैं, हम फसल उगाते हैं, लेकिन उत्पादकता अपेक्षित स्तर की नहीं होती है। आजकल बीज विदेशों से आयात किए जाते हैं। पहले धान, गेहूं या सरसों को देश में ही बीज तैयार करने के लिए धूप में सूखाते थे। आजकल बीजों का आयात किया जाता है और इनकी कोई गारंटी नहीं होती। बीजों की गुणवत्ता पर भी संदेह होता है। इसलिए हमें वर्षा जल संचयन का सहारा लेना चाहिए।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब सूखा पड़ता है, तो न सिर्फ एक फसल बर्बाद होती है, बल्कि दो वर्ष से ज्यादा तक फसल नहीं हो पाती है। जब अच्छी फसल होती है तब भी समस्या पैदा हो जाती है। मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल में जमीन धान की खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन यदि फसल अच्छी होती है तब समुचित भंडारण सुविधा अथवा गोदामों की कमी के कारण फसल के भंडारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है वे किसानों के लिए भंडारण सुविधा या गोदाम उपलब्ध कराएं, ताकि वे उसका भंडारण कर सकें और बदले में उत्पादों का विपणन कर सकें तथा सरकार से धान, गेहूं, गन्ने आदि का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। इससे दुःखी किसानों को काफी लाभ मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री राधा मोहन सिंह** (पूर्वी चम्पारण): बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदा नियति बन गयी है पिछले सात वर्षों में 2005, 2007-2008 में राज्य ने बाढ़ का प्रकोप झेला एवं 2002 और 2004 में सुखाड़ का सामना करना पड़ा इस वर्ष का सुखाड़ अप्रत्याशित दिखता है। बारिश कम होने से राज्य में भयावह स्थिति पैदा हो गई है, पहली जून से 20 जुलाई तक बिहार में सामान्य वर्षा से 60 प्रतिशत कम हुई है, खरीफ फसल का मौसम है। बिहार में खरीफ के फसल में धान, मक्का, अरहर की खेती होती है। बिहार में धान की रोपनी जुलाई माह तक समाप्त हो जाता है। बिहार में सुदुर इलाके से मिली सूचना के अनुसार धान के रोपनी बहुतायत गांवों में शुरू हो नहीं सकी है कुछ क्षेत्रों में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत धान की रोपनी शुरू हुई है कुछ जिले जैसे बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज जिले में 50 प्रतिशत धान की रोपनी हो पाई है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा एवं नेपाल के पानी के कारण राहत मिली है। इस सूखे के कारण धान का बिजड़ा खत्म होने लगा है। बिहार में 50 लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती होती है जिसमें धान 35 लाख हेक्टेयर, मक्का 3 लाख हेक्टेयर, दलहन 1 लाख 50 हजार हेक्टेयर एवं अन्य फसल होती है लेकिन अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसमें धान 6 लाख हेक्टेयर, मक्का 1.25 लाख हेक्टेयर, दलहन 45 हजार हेक्टेयर में हुई है जो धान की बुआई वर्तमान लक्ष्य की अपेक्षा 17 प्रतिशत है जो बहुत कम है। वह भी जिस खेत में बुआई हुई है उस फसल को बचाना मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि अगर वर्तमान में मौसम इसी स्थिति में रहा तो पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी जिसे पम्प से चलाकर सिंचाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमनिक काम है। जहां इस सूखे से प्रभावित रहने के कारण बिहार को खाद्यान्न संकट के साथ पशुओं के लिए चारे के संकट का भी सामना करना पड़ेगा। चावल का उत्पादन प्रतिवर्ष 45 लाख से 50 लाख टन होता है वहीं मक्का का उत्पादन 14 से 16 लाख टन के बीच होता है। इस सूखे के मौसम में धान का उत्पादन 10 लाख टन का भी उपज होना मुश्किल हो जाएगा। बिहार खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, बिहार को इस संकट से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना होगा लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा जिस तरह सोन नहर में पानी समय पर नहीं छोड़ने के कारण भी फसल की बर्बादी हुई है बाण सागर समझौते के अनुसार जून महीने में 10 हजार एकड़ फीट पानी प्रतिदिन बिहार को मिलना था जो नहीं मिला उस समय पानी 2 से 3 हजार एकड़ फीट पानी कुछ दिन छोड़ा गया जिसके कारण धान का बिजड़ा का नुक्सान हुआ और धान की रोपाई कम हुई। इस सूखे से किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर जो कृषि पर आधारित है उनपर भी असर पड़ने वाला है क्योंकि धान की रोपाई नहीं होगी तो इनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा होगी। इसके अलावा पशुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है।

हमारे यहां सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके अनुसार सिंचाई कर हम धान का उत्पादन उतना नहीं कर सकते है। हमारे यहां जितने भी तालाब एवं आहारनहर है जिसमें वर्षा का पानी जमा रहता था वह भी अब अतिक्रमित हो गया है वर्षों से बंद पड़े नलकूप जिसको चालू करने में सरकार को मुश्किल पैदा हो रही है, निजी नलकूप से सिंचाई कर फसल उत्पादन करना मुश्किल काम है, सिंचाई में बिजली और डीजल बड़ा कारण है क्योंकि डीजल से सिंचाई करना आज की परिस्थिति में मुश्किल काम है क्योंकि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध ही कम रहता है।

जहां राज्य सरकार के द्वारा भी कई घोषणाएं किसान हित में सूखे से निपटने के लिए किए गए हैं। जिसमें धान की सिंचाई के लिए प्रति सिंचाई 10 लीटर पर 15 रुपये लीटर अनुदान निजी क्षेत्र में 6.25 हजार नलकूप गाड़ने, जिसमें 45 प्रतिशत सरकारी अनुदान

45 प्रतिशत बैंकों द्वारा कर्ज एवं 10 प्रतिशत किसानों द्वारा स्वयं वहन करना। इसके अलावा कई अन्य योजना शामिल है। बिजली के अभाव में हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य विभाजन के बाद राज्य में अपना बिजली उत्पादन नगण्य है। हम पूरी तरह सेन्ट्रल सेक्टर पर निर्भर हैं राज्य में अभी 2500 मेगावाट बिजली चाहिए लेकिन केन्द्र द्वारा 1500 मेगावाट बिजली निर्धारित है लेकिन राज्य को बिजली 800 से 900 मेगावाट के आसपास मिलती है। केन्द्र सरकार को सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार को 1500 मेगावाट आवंटित बिजली की ही आपूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार को अपने नकारात्मक रवैये में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम को देखकर और बिहार के साथ भेद-भाव करेंगे तो इस संकट की घड़ी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिहार में अभी तक केन्द्र सरकार की कोई टीम नहीं आना, मदद की कोई पहल नहीं करना भारत केन्द्र सरकार को तात्कालिक 470 करोड़ रुपये डीजल अनुदान पीने के पानी एवं अन्य कार्य के लिए तत्काल देना चहिए अगर यही स्थिति बरकरार रही तो इस सूखे से निपटने के लिए 9000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसे केन्द्र सरकार को देना चाहिए इसके साथ-साथ बैंक के ऋण की वसूली पर रोक लगे और जरूरत पड़े तो इसको सूखा क्षेत्र घोषित करें ताकि बिहार को इस संकट की घड़ी से उबारा जा सके। वहीं राज्य सरकार को चाहिए कि कृषि वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के छात्र, कृषि सहकारिता, पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों को गांव में, बीज के साथ भेजने की जरूरत है ताकि किसानों को विषम परिस्थितियों में खेती करने के लिए सलाह दें जिससे राज्य सरकार को सुखाड का सामना करने में सहूलियत हो।

महोदय, केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि आवंटित 1500 मेगावाट बिजली के अलावा 300 मेगावाट बिजली दी जाए, केन्द्र द्वारा सुखा प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजी जाए, बैंक ऋण की वसूली पर रोक लगाई जाए एवं राज्य सरकार के द्वारा जो राशि मांगी गयी है उसे अबिलंब जारी करें।

***श्री हुक्मदेव नारायण यादव** (मधुबनी): बिहार में हर साल चार-पांच जिलों में आंशिक तौर पर सुखाड़ की छाया रहती है। चार-पांच जिलों में बाढ़ से परेशानी रहती है। उसी तरह देश के लगभग 200 जिलों में निरन्तर सुखाड़ रहता है। हर पांच साल पर छोटा दस साल पर मंझोला और बीस साल पर बड़ा अकाल आता है। अकालचक्र का इतिहास नहीं लिखा गया है। मौसम विज्ञानी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक मिलकर अकाल पर शोध करें और उसके कालचक्र का इतिहास तैयार करें। हर सौल साल पर भयंकर अकाल आता है। बिहार में और देश के अन्य हिस्से में 1914-15 में अकाल आया था। अब 2014-2015 में अकाल का भयंकर प्रकोप आने वाला है। 2009 में फसल मारी जाएगी इसका प्रभाव 2010 में पड़ेगा। जब अकाल का इतिहास बन जाएगा तब उसके कारण और निदान की खोज की जाएगी। कारण का पता लगाये बिना निदान नहीं खोजा जा सकता है। वैज्ञानिक अपने विज्ञान पर अहंकार करते हैं और अवैज्ञानिकता को विज्ञान मान लेते हैं। किसान अनपढ़ होता है परंतु उसके पास अनुभवगम्य ज्ञान होता है। उस अनुभव और जानकारी का लाभ उठाने का उपाय किया जाए। अन्ध आधुनिकता के कारण हमने प्राचीनता और प्रचलित व्यवहारिक अनुभवगम्य ज्ञान को अंधविश्वास मान लिया है। अंधविश्वास से अन्ध अविश्वास ज्यादा खतरनाक होता है। स्थायी निदान खोजा जाए। अलग-अलग क्षेत्र में भौगोलिक बनावट के अनुसार उपाय किये जाए। दीर्घकालीन योजनाएं बनायी जाए। अन्न का भंडारण विकेन्द्रित व्यवस्था से की जाए। प्रत्येक पंचायत में अन्न का भंडार बनाया जाए। ग्रामीण गोदाम बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। किसान भंडारण के अभाव के कारण फसल के समय अनाज बेच लेते है। एफ.सी.आई. का यातायात और परिवहन व्यय काफी होता है। उसमें छीजन भी होता है। वह भी बचेगा और किसान के भंडार में अनाज भी रहेगा।

सभी परंपरागत सिंचाई स्रोतों जैसे नहर, नाला, आहर, पैन, पोखरा, तालाब, जोहर और बड़े-बड़े जलाशयों की खुदाई करवायी जाए। अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। ग्रामीण रोजगार योजना एवं विधायक तथा सांसद कोष से इस काम को प्राथमिकता के तौर पर की जाए। इससे बाढ़ के समय पानी रूकेगा और बाढ़ में भयंकरता नहीं आयेगी। सभी बरसाती एवं छोटी-छोटी नदियों में सर्वेक्षण करवाकर पानी रोकने के लिए सुलीसगेट, पक्का बांध या पानी रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। बड़ी सिंचाई योजनाओं के बनिस्पत इससे ज्यादा लाभ होगा। मानव श्रम एवं छोटी मशीन के द्वारा बारह महीना सिंचाई के साधन उपलब्ध रहेंगे। मवेशी को नहलाने-धुलाने के लिए पानी मिलेगा। मछली मिलेगी। मनुष्य को नहाने के लिए पानी मिलेगा। जमीन के अंदर जलस्तर उफर आयेगा जिससे बोरिंग के द्वारा सिंचाई की जाएगी। सभी मृत नदियों की खुदाई की जाए और उसमें पांच-दस किलोमीटर पर पानी को रोककर रखने की व्यवस्था की जाए। अकाल को वरदान में बदलने का प्रयत्न किया जाए। तत्काल इससे रोजगार मिलेगा। मजदूरी में अनाज दिया जाय। सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जाए तथा बिजली सिंचाई के लिए हो ऐसी प्राथमिकता निर्धारित की जाए। किसानों के द्वारा किसानों के लिए और किसानों का ही कार्यक्रम बनाया जाए। सुखाड़ और अकाल के समय नौकरशाह लूटने में लग जाते हैं। व्यवस्था तंत्र पर ही साठ प्रतिशत खर्च हो जाता है। एक विशेष सत्र दस दिनों के लिए बुलाकर कृषि के समग्र विकास पर संसद में चर्चा की जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। आज अनेक माननीय सांसदों ने सूखे और बाढ़ पर चर्चा में भाग लिया है। मैं अपने दल की ओर से सूखे और बाढ़ से संबंधित इस चर्चा में भाग ले रहा हूं।

सूखा हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। जहां अधिकांश व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं और कृषि वर्षा पर निर्भर है। वहां पर फसल वर्ष में केवल एक बार उगाई जाती है। आज तक, वर्षा नहीं हुई है। अत:, किसान फूट-फूट कर रो रहे हैं। सामान्यत:, किसान मवेशियों, भैंस, बैलगाड़ियों को खरीदने और अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं। अत:, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। पानी के अभाव में बीज सूख चुके हैं। राज्य के कुछ भागों में किसानों ने कुछ बीज बोए हैं जो कि सूख चुके हैं। किसान बीज प्राप्त करने और पुन: उन्हें खेतों में बोने में असमर्थ है। वे यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि अब क्या करें।

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा न होने के कारण देश के विभिन्न भागों में लोग सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मौसम और जलवायु में परिवर्तन, कार्बन डाईआक्साइड की अधिकता और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण सूखा पड़ा है और वर्षा नहीं हुई है।

दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात आया तथा तीन या चार जिलों में बाढ़ आ गई थी जिसके कारण वहां सभी प्रकार की चल और अचल संपत्तियां-मकान और मवेशी नष्ट हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्षों और अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम देश में सूखे और बाढ़ को रोकने हेतु दीर्घकालीन कार्यनीति बनाने में सफल नहीं हुए हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि बाढ़ और सूखे को रोकने हेतु अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यनीतियां अपनाई जानी चाहिएं। यदि कृषि हेतु अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यनीतियां अथवा नीतियां अपनाई जाती हैं तो किसान ऐसी अवधि का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे और वे अपनी भूमि पर खेती कर पाएंगे और सूखे से निपट पाएंगे।

आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि बांधों का निर्माण करके वर्षा जल संचयन किया जाना चाहिए; सिंचाई परियोजनाएं होनी चाहिए और मास्टर-प्लान बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंचाई समुचित कृषि विकास आदि हेतु दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्षों के पश्चात् भी कार्य नहीं किया गया है। इसलिए, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इसे अपनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री दुष्यंत सिंह हैं। माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, 15वीं लोक सभा में मेरा यह पहला भाषण है। मुझे बोलने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए।

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको पांच मिनट से अधिक का समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री दुष्यंत सिंह: सभापति महोदय, भारत में सूखा और बाढ़ के संबंध में अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह वर्ष प्रतिवर्ष आने वाली आपदा है और इसी समय कुछ राज्यों में सुखा पड़ा है तो कुछ राज्यों में बाढ़ आई है।

भारत का 'आम आदमी' मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पार्टीवाइज कितने आदमियों को बुलवाएंगे? हमारे दल से एक माननीय सदस्य बोले हैं, हम तीन आदमी और हैं। क्या कोई सीमा है या नहीं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, ऐसा नहीं है। यह संभव नहीं है। समय समाप्त हो चुका है। मंत्री महोदय लगभग 10 मिनट में उत्तर देने वाले हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय लगभग 6.00 बजे उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अधिकांश दल अपना समय ले चुके हैं। इसलिए किसी भी दल के लिए समय नहीं है। लगभग सभी दल अपना समय ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: क्या आप और लोगों को इजाजत देंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस विषय पर आठ बजे तक चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि उत्पादन पर निर्भर है ...*(व्यवधान)*

हमारा जीडीपी वर्ष 2003-2004 के दौरान 21.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-2008 में घटकर 17.8 प्रतिशत हो गया। इस गिरावट के कारण रोजगार के अवसरों में भी कमी आई है। सूखे, वर्षा और बाढ़ के कारण कच्चे माल के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। औसत वृद्धि भी वर्ष 2005-2006 में 4.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2007-2008 में 4 प्रतिशत हो गई है।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्षा की कमी के कारण चावल के उत्पादन में कमी आई है। आज के एक्सप्रेस समाचार-पत्र में यह बताया गया है कि चावल के उत्पादन में गिरावट आई है और वे टॉप ड्रेसिंग राइस फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम उन्हें अधिक यूरिया और उर्वरक दें तो इससे चावल के उत्पादन में वृद्धि में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार गन्ने के उत्पादन में भी कमी आई है।

राजस्थान राज्य जहां से मैं आता हूं वहां पर हम सोयाबीन का उत्पादन करते हैं और सोयाबीन के उत्पादन में भी लगभग 35 प्रतिशत की कमी आई है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस में बताया गया है कि:

> ''....भारत में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के दौरान सबसे अधिक उगाए जाने वाले तिलहन सोयाबीन पर मानसून के कारण बुरा प्रभाव पड़ेगा।......''

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम भारत में मुख्यत: वर्षा और दक्षिण-पश्चिमी मानसून पर निर्भर है जो कि मई के महीने से सितंबर के महीने तक आता है।

हमें नदियों को परस्पर जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। हमें दूर-संवेदन की बेहतर कार्यनीतियों के बारे में विचार करना चाहिए। हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तथा जीआईएस प्रौद्योगिकी के बारे में विचार करना चाहिए। तदुपरांत, हमें अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इसे कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़ना चाहिए।

महोदय, हमारे सभी राज्य सिंचाई परियोजनाओं पर निर्भर हैं। मैं राजस्थान से हूं। हमारे राजस्थान राज्य में 10.4 प्रतिशत क्षेत्रफल में से केवल 1.16 प्रतिशत क्षेत्रफल में जल संसाधन हैं। मेरे राज्य राजस्थान में जलावर और बरन राजस्थान के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, हमारे यहां कालीसिंध परियोजना है। जिसे अभी शुरू नहीं किया गया है। हमारे यहां पर 1114 करोड़ की लागत वाली एक और प्रसिद्ध पर्वान लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। इस योजना के कार्यान्वयन से जलावर-बरन क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा।

मैं आपसे इन सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के बारे में पूछना चाहता हूं। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना लागू है और इन पंचवर्षीय योजनाएं के अंतर्गत परियोजनाओं को अगली पंचवर्षीय योजनाओं में अंतरित किया जाता है। मैंने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 22.7.2009 को प्रश्नों का दिए गए उत्तर अध्ययन किया और पाया कि केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत राजस्थान में अनेक परियोजनाएं हैं यथा पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हतियादेट सिंचाई परियोजना, परवान सिंचाई परियोजना, अंधेरी सिंचाई परियोजना, राजगढ़ सिंचाई परियोजना, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना। मैं सरकार से हमारे लोगों को समुचित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने का अनुरोध करता हूं और इससे खराब मानसून के दौरान विकास में सहायता मिलेगी और सोयाबीन और अन्य फसलों के उत्पादन में भी सहायता मिलेगी।

मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि पर्याप्त खाद्य आपूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। उचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए अन्यथा यह भारत के सभी राज्यों को प्रभावित करेगी। दूसरी बात, चूंकि इन राज्यों में विद्युत नहीं है, अत: किसानों को डीजल पर व्यय करना पड़ता है। चूंकि डीजल महंगा है, अत: यह आम आदमी के रोजमर्रा के खर्च को प्रभावित करेगा। यदि रोजमर्रा का खर्च बढ़ता है तो आम आदमी को रोजाना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। भारत की अन्न की टोकरी कहलाने वाले राज्यों की संख्या घट गई है। पंजाब और हरियाणा

[श्री दुष्यंत सिंह]

राज्यों में वर्षा कम हुई है और उसके कारण चावल और अन्य फसलों का उत्पादन कम हुआ है। प्रत्येक राज्य में विद्युत संकट मंडरा रहा है। सिंचाई परियोजनाएं कार्य नहीं कर रही हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि गत 30 वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों यथा नागालैंड में 67 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, असम में 34 प्रतिसत है; अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत; और चेरापूंजी में, 55 प्रतिशत कम वर्षा हुई है और ऐसा वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने राज्य निगरानी एजेंसियां गठित कर दी। मैं सरकार से उन उपायों को अपनाने का अनुरोध करता हूं जिनसे ये कार्य हो सकें।

महोदय, कम वर्षा के कारण, योजना आयोग का चार प्रतिशत का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, राष्ट्रीय खाद्य निगम प्रभावित होगा और खाद्यान्नों के आयात से हमारी विदेशी मुद्रा कम होगी। इसलिए, हमें छत पर वर्षा जल संचयन के बारे में सोचना चाहिए। हमें सीआरएफ नियमों और एनसीसीएफ नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। हमें राजस्थान में दस्तकार समुदाय के बारे में सोचना चाहिए और इस प्रकार राजस्व बढ़ाने में आम आदमी की मदद करनी चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर** (परभणी): महोदय, आपने मुझे संसद में अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सूखे के बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

किसानों की हालत सुधारने के लिए यह शासन गंभीर रूप से इच्छुक है। केन्द्र सरकार ने एनआरईजी एक्ट शुरू किया है। इसके बारे में मैं निम्नलिखित बातें आपके सामने रखना चाहता हूं:

1. नरेगा के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में खेती को आगे ले जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए।
2. मराठवाड़ा विभाग में कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं जैसे लोअर दुधना, जाकयवाड़ी का राइट बैंक कैनाल पूरा करना होगा।
3. भविष्य में सूखे का मुकाबला करने के लिए नदियों के पानी का उपयोग करना ही होगा।
4. किसान, कामगार और गांव में नरेगा से जुड़ी योजनाओं को पूरा करना होगा।
5. मराठवाड़ कृषि विश्वविद्यालय के लिए रकम मांगी है। उन्हें संसाधन करने के लिए, कम पानी (रेन फाल) से फसल लेने के लिए हिन्दुस्तान के कृषि विश्वविद्यालय को बढ़ाना चाहिए।
6. लैण्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार को हाथ में लेना होगा।
7. पीने का पानी, जानवर का चारा, लोगों के लिए खाना, दाल, चावल, रोटी, खेतों के लिए पानी, खाद, बीज मिलना चाहिए। खेती, किसान, कामगार और जमीन से मिलकर होती है। दाल, कॉटन, गन्ना, ज्वार, मेज आदि की ख़ेती के लिए परियोजना में पानी नहीं है।
8. लैब टू लैण्ड एक्सपेरिमेंट, कृषि विश्वविद्यालयों को सक्षम बनाना होगा। कृषि संस्थानों को सरकार को सक्षम करना होगा। एग्रो प्रसंस्करण उद्योगों का डेवलपमेंट करना होगा।
9. किसान रहेगा तो देश रहेगा। भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। प्रधान को काम करने के लिए सब सुविधाएं देनी चाहिए। जो देश के 110 करोड़ लोगों को अनाज देता है, उसका सम्मान करना होगा वरना कुछ नहीं रहेगा।
10. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर जैसे जमीन, पानी, बिजली, जरुरी रुपया, खाद सस्ता व समय पर देना होगा।
11. धान का मूल्य जो होता है और एक हेक्टेअर खेत में उत्पादन के लिए खर्चा लिखा जाता है। किसान के घर का पूरे साल भर का खर्चा, बच्चों की शिक्षा, लड़की की शादी जैसे खर्च होते हैं।

पार्टनर की पूरी पगार जमा होगी। 20 प्रतिशत मार्जिन एड (जमा) होना है। इस प्रकार से भाव किसान को मिलना जरूरी है।

इसके अलावा मैं कुछ अन्य बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं:

1. पीने का पानी, अनाज, जानवरों को चारा-पानी, कामगारों को काम, एग्रीकल्चर के लिए ड्राई लैण्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए।
2. बायो-टेक्नोलॉजी
3. एनआरईजीए (नरेगा) में सुधार करना होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

4. लोअर दुधना परियोजना को समय पर कार्यान्वित किया जाए।
5. कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए।
6. सभी किसानों को बीमा सुविधा दी जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं शुक्रिया करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देने के साथ-साथ उनकी सोच और समझ पर पूरा भरोसा जताना चाहती हूं, पूरा भरोसा जाहिर करना चाहती हूं। यहां पर बाढ़ और सूखे पर बहुत चर्चा हुई है और कोई भी सांसद ऐसा नहीं है जिसे हमारे देश के हालात के बारे में पता न हो। मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे का सरकार ने पूरा परिचय दिया, जब उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, हमारे किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। अभी जो स्थिति आई है, उस पर भी इनके निर्णय सही होंगे, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। अपनी उदारता का एक और परिचय इन्होंने दिया, जब स्वाइन-फ्लू का मसला आया था। स्वाइन-फ्लू का मसला जब आया तो हमारे देश में आने के पहले ही, सिर्फ पता लगने पर हमने इसे जिस तरह से कंटेन करके मैनेज किया, यह भी उनकी सजगता का एक उदाहरण है।

[अनुवाद]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): स्वाइन फ्लू महामारी बन चुका है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैडम स्वाइन-फ्लू के बारे में बता रही हैं।

श्रीमती अन्नू टण्डन: हम स्वाइन-फ्लू के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप शायद ...*(व्यवधान)* एनालॉजी का मतलब नहीं समझते जो उदाहरण के लिए दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** उन्होंने आज का समाचार-पत्र पढ़ा होगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन: नैचुरल डिजास्टर की बात हो रही थी और इससे पहले भी जब हम बोलने खड़े हुए थे तो हमारे कुछ सदस्य मेरी बात को समझ नहीं पाये। मैं उन्नाव की हूं और मैं भी गांव में रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं शहर से टपक कर यहां आ गयी हूं। उनके दिल और दर्द को समझती हूं। मैं चाहती थी कि मैं वहां जाऊं और पूरे देश में अगर इसे नेशनल कैलेमिटी घोषित करना है तो यहां सुझाव देने से पहले, मैं अपने घर के हालात को देखना चाहती थी। बस मैं उतना ही कहना चाह रही थी, उन्होंने उसका गलत मतलब लगाया कि मैं यहां चर्चा करना नहीं चाहती। बिना चर्चा, बिना बातचीत और समझ के, मेरे ख्याल से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए मुझे चुनकर यहां लाया गया है।

इस चीज को हम सब जानते हैं कि जून से सितम्बर के बीच में 75 प्रतिशत जो वर्षा होती है, वही मुख्य वर्षा होती है, मेन वर्षा होती है, जिसके ऊपर किसान की सिंचाई और फसल निर्भर करती है। एक बात और हम जानते हैं कि 16 प्रतिशत हमारे देश की जमीन सूखाग्रस्त रहती है, ड्रॉट-प्रोन रहती है। हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया था कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि 10 साल में कम से कम चार साल ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज सूखा पड़ता है। इस बात को हम सभी मानते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद मैं यहां पर संक्षेप में दो चीजें कहना चाहती हूं। एक होता है शॉर्ट-टर्म और एक होता है लांग-टर्म। शॉर्ट-टर्म पर हर व्यक्ति अपने देश से, प्रदेश से और सरकार से पैकेज मांगता है। मैं अपने क्षेत्र के किसानों के पास गयी थी और उन्नाव में जो उन्होंने कहा, उनके दु:ख-दर्द को मैं यहां माननीय कृषि मंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह मामला सिर्फ आपका नहीं है, यह मामला वाटर-रिसोर्सेज, एनवायरमेंट और रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्ट्रीज का भी है और इन सारी मिनिस्ट्रीज को मिलजुलकर, इसके बारे में सोचना होगा। यह सिर्फ एक कृषि मंत्रालय के हाथ की बात नहीं है। यह मामला प्राकृतिक है और भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। मेरे एक किसान भाई ने मुझसे कहा कि दीदी अगर दस से 12 अगस्त तक भी भगवान ने वर्षा दे दी तो हम इस प्रकोप से अपने को निकाल कर ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ...*(व्यवधान)* अगर 10 से 12 अगस्त तक वर्षा हो जाती है,

[श्रीमती अन्नू टण्डन]

...*(व्यवधान)* हालात तो खराब हैं लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। ...*(व्यवधान)* वह किसान जो मुझे आश्वासन दे रहा था, उसकी बात बता रही हूं। ...*(व्यवधान)* एक गरीब किसान के दर्द को सुनने की कोशिश कीजिए। वह भी जानता है कि उसे प्रदेश सरकार से कितना मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डनः उनका यह भी कहना है कि अगर आप कोई पैकेज देते हैं तो माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो मापदंड आपने ऋण-माफी में गरीब किसानों के लिए अपनाया था, जिनके शायद पांच एकड़ या तीन एकड़ से कम जमीन वाले जो लोग हैं, उनकी फसल अगर बर्बाद हो गयी है तो उनके लिए जितना उनका उत्पादन है, उसका कम से कम एक-तिहाई भाग उन्हें सब्सिडी में मिलना चाहिए। इससे वे भूखे नहीं रहेंगे।

जिनके पास जमीन नहीं है, अगर हो सके तो बिना किसी पैसे के अनाज वितरण हो, तो बहुत अच्छा होगा। जिन किसानों के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन्हें अगर कुछ नहीं दिया जाता है, तो कम सेकम किसान क्रेडिट सुविधा के तहत अधिक मात्रा में ऋण देने की सुविधा दीजिए, खास कर सबिस्डाइज्ड इंटरेस्ट पर इरिगेशन से रिलेटिड इम्प्लिमेंट्स होते हैं, अगले साल की तैयारी करने के लिए ऋण दिया जाए। किसान बीमा योजना पर जरूर नजर रखी जाए, क्योंकि इसकी राशि का कभी-कभी सही ढंग से वितरण नहीं हो पाता है। लांग टर्म बेसिस पर मैं सभी माननीय सदस्यों से आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि हमें कुछ सोचना है, तो वाटर कंजर्वेशन की बात, वाटर रिजर्व्स को डेवलप करने की बात, इन्हें हम सब समझते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। खास कर किसानों की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि चाहे केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हर चीज परोस कर नहीं दे सकती है। पकाने और खाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। किसानों को समझना, उनकी सहायता करना, उन्हें सब्सिडी देना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डनः अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि इतना सब भुगतने के बाद कृषि मंत्री जी हम लोगों की, किसानों की ऐसी मदद करें कि एक क्रांति ले कर आएं, जिससे कि अगर अगले साल मानसून न आए, तो हमें यह दुर्दशा न देखनी पड़े।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री रमाशंकर राजभर, आप अंतिम वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः केवल श्री रमाशंकर राजभर का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं तो इसे लिखित में दीजिए और सभा पटल पर रखिए। उन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बाढ़ और सूखे के बारे में पूरा देश चिंतित है और आजादी के 62 साल बाद भी चिंतित है। जो चीज धरती पर आ जाती है, उस पर मानव दिमाग ने, हमारी तकनीक ने काफी हद तक कब्जा कर लिया है। सरकारें बारिश तो नहीं करवा सकती हैं, लेकिन यदि बारिश हो गई और वह पानी हजारों किलोमीटर दूर गांवों को बहाकर समुद्र में मिल जाता है, तो इस पानी के संरक्षण का हमें प्रबंध करना चाहिए. आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम इस पवित्र सदन में बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा करते हैं, तो वह अमूल्य और अमृत पानी जो समुद्र में जा कर मिल जाता है, आज तक उस पानी का संरक्षण करने के लिए हमारी तकनीक कहां है, हमारा दिमाग कहां है, हमारे प्रयोग कहां है? एक क्षेत्र बाढ़ से डूब जाए और एक क्षेत्र में पानी न होने के कारण सूखा पड़ जाए, इस विडम्बना को दूर किया जाए, तो निश्चित रूप से एक साधे सब सधे, हमारी भोजपुरी में कहा जाता है। हम अपने पानी को बचाकर उसे रोककर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा दें, तो सूखे और बाढ़ से इस देश को निजात मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जहां थोड़ी बहुत नहरें हम बना पाए हैं, वहां निश्चित तौर पर सूखे का असर कम हुआ है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह जनपद देवरिया और बलिया को मिला कर बनता है। आपको जानकर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ताज्जुब होगा, बहुत भयंकर सूखा पड़ा कि 17 जुलाई तक जिलाधिकारी बलिया और देवरिया से हमारी बात होती है। 17 जुलाई तक वर्ष 2008 में बारिश 600 मिलिमीटर होती थी और 17 जुलाई को देवरिया में केवल 100 और बलिया में केवल 32 मिलिमीटर होती है। आप इस स्थिति से सूखे का आभास कर सकते हैं। हम किसान के प्रति बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में एशिया के चार बड़े पावर हाउसेस में से एक पावर हाउस स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी के गांव इब्राहिम पट्टी में लगा।

हजारों एकड़ फसल, हजारों एकड़ जमीन किसानों की लेकर लगाई गई और एक-एक कट्ठे में एक-एक पिलर लगे हुए हैं, वहां से पूरे देश को बिजली जा रही है। लेकिन बलिया के लोगों ने, जिन किसानों ने खेत दिया, कम से कम 1200 करोड़ की वह योजना है, उसकी तीन इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं जिनकी कल्पना भी मैंने अब तक के राजनीतिक जीवन में नहीं की थी। लेकिन उस पॉवर हाउस से बलिया का किसान भी बिजली नहीं पा सकता है।

मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी अखबारों में सूखा क्षेत्र घोषित हो, यह बात छपना शुरू होती, उसके पहले ही वहां की मुख्य मंत्री जी ने पहले 20 जनपद और फिर 27 जनपद को मिलाकर 47 जनपद को सूखाक्षेत्र घोषित कर दिया और केवल इतना ही नहीं, वहां पर जैसे-जैसे रिपोर्ट आती जा रही है, 500 करोड़ रुपये का पैकेज मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र से मांगा है और केन्द्र सरकार संवेदनशील होकर जो उस प्रदेश के लिए पैकेज की मांग की गई है, उसे देने का काम करेगी।

[अनुवाद]

मैं भी अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

*सबसे पहले आजादी के लिये आहुति देने वाले दीवानों को नमन करता हूं। आजाद भारत के उस महामानव डा. अम्बेडकर को नमन करता हूं जिन्होंने आजाद भारत के नर-नारी और गरीबों को वोट देने का अधिकार दिलवाया। जिससे व्यैक्तिक चुनाव लड़ने का अधिकार पाया। हमारे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर की जनता ने हमें चुनाव में जिताकर यहां भेजा।

सभापति जी, बाढ़ और सुखाड़ हमारे लिये चुनौती है। नदियां हजारों किलोमीटर तबाही मचाती हुई अमूल्य जल को समुद्र में गिराती हैं। पिछले 62 वर्षों से हम लोग इस जल को रोक कर सुखाड़ से लड़ने लायक नहीं बना सके। जहां पानी रोक कर नहरें निकाली, वहां निश्चित रूप से सूखे से लड़ा जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से प्रकृति से बारिश करने के लिये नहीं कहता लेकिन बारिश के पानी को रोक कर किसानों की कृषि को बचाया जा सकता है।

हमारे संसदीय क्षेत्र देवरिया में 17 जुलाई तक पिछले साल की 600 मि.मी. वर्षा की तुलना में 122 मि.मी. वर्षा हुई है। इसी तरह जनपद बलिया में पिछले वर्ष 450 मि.मी. वर्षा हुई लेकिन इस वर्ष केवल 32 मि.मी. वर्षा हुई है। इस कारण देवरिया और बलिया जिले में सूखा भयावर रूप से मान सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है और 47 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकार ने 10 घंटा बिजली मुफ्त, बीज, बीपीएल के साथ एपीएल को लाभान्वित कर अनाज देने, नि:शुल्क दवा शिविर, अशक्त लोगों के लिये सामूहिक रसोई, पशुचारा, पानी, इलाज, देय वसूली स्थापित करके जनवेदना को समझकर माननीया मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्यवाही की है।

प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 230 करोड़ रुपया का प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्वीकृत कर केन्द्र सरकार को भेजा है जो यहां लम्बित है। इन प्रस्तावों में ट्यूबवैलों के उर्जीकरण के लिये 100 करोड़ रुपये की योजना, नये ट्यूबवैलों के बोरिंग, चैक डैम के लिये 251 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। ये बातें अखबारों में छपी हैं। मेरी मांग है कि 502 करोड़ रुपये का पैकेज जो कृषि मंत्रालय का है, इसे अविलम्ब सरकार को भेजना चाहिए।*

[अनुवाद]

***श्रीमती जया प्रदा** (रामपुर): महोदय, मैं इस देश में सूखे और बाढ़ के विषय पर चर्चा में भाग ले रही हूं। इस वर्ष भी मानसून नहीं आया है और लगभग पूरे देश में सूखा पड़ा है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सूखा पड़ा है। सभी वर्ग के व्यक्ति विशेषकर किसान पहले से ही आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हैं। आवश्यक वस्तुओं अर्थात् फलों और सब्जियों, अनाज, दालों के मूल्य पहले से ही आसमान छू रहे हैं और मानसून के न आने से तो गरीब व्यक्ति बर्बाद हो जाएंगे। हमारे देश के लगभग सारे भाग कृषि संबंधी कार्यकलापों हेतु मानसून पर निर्भर करते हैं और मानसून के ना आने के कारण गरीब किसान इस बात को सोचर चिंतित होते हैं कि आगे क्या किया जाए। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश और अन्य भागों में कोई सहायता न मिलने के कारण किसान बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सूखे की गंभीर स्थिति के मद्देनजर मेरी मांग है कि पूरे उत्तर

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जया प्रदा]

प्रदेश को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया जाना चाहिए और किसानों के सभी ऋण तत्काल माफ किए जाने चाहिए। उन्हें सस्ती दरों पर उपभोग ऋण दिया जाए।

महोदय, हमारे देश के सभी राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान इस वर्ष सूखे से प्रभावित हैं। किसान गंभीर संकट में हैं और उन्हें प्रतिकूल जलवायु के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।

मैं आंध्र प्रदेश से हूं परंतु मेरी कर्मभूमि रामपुर अर्थात् उत्तर प्रदेश है जहां 25% से कम वर्षा हुई है। सारे बांध सूखे हुए हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए पानी नहीं है। बुंदेलखंड जल परियोजना अब तक लंबित है। इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। इसी कारण पानी के बिना जनता संकट में है। हमारे देश में 70 प्रतिशत हिस्से में कृषि होती है। रामपुर में गन्ना, गेहूं और चावल अधिक होता है। वे पूर्णत: वित्तीय संकट में हैं। उन्हें ऋण माफी का पूरा लाभ मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश के किसानों को विशेष पैकेज तथा बैंकों से अग्रिम वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को सूखे के समय में सतर्क होने की सूचना देनी चाहिए और जल संचयन की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। वन के वृक्षों का संरक्षण किया जाना चाहिए और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और हरियाणा तथा पंजाब जितनी राजसहायता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पूर्ण सूखा के राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। जहां तक बाढ़ का संबंध है तो देश में प्रमुख नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। इस संबंध में आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस उपाय से कुछ भागों को सूखे की स्थिति से राहत मिलेगी।

[हिन्दी]

***श्री मदन लाल शर्मा** (जम्मू): सभापति जी, मैं पांच मिनट के बजाए तीन मिनट में ही अपनी स्पीच समाप्त करूंगा लेकिन बीच में कोई इंटरप्ट न करे। महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ललन जी के द्वारा शुरू की गई बहस पर बोलने का मौका दिया जो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है और बहुत सारे मेम्बर्स इस पर अपने ख्यालात व्यक्त करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर सारे देश के ऊपर जो एक बहुत बड़ी आफत आई है और अपने-अपने स्टेट और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के मसलों पर अपने सुझाव देना चाहते हैं कि इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार को, रियासती सरकार को न सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ही लेकिन इसके साथ और भी जो दो-चार पांच मिनिस्ट्रीज हैं, उनको मिलाकर एमर्जेंसी मीटिंग करके कहां-कहां यह सूखे की मुसीबत आई है, रियासतें भी आइडेंटिफाई हुई, उन रियासतों के अंदर बहुत सारे जिलों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन मैं दो-तीन बातें कहूंगा, बदकिस्मती की बात यह है कि कहीं फ्लड आ रहा है और कहीं बारिश नहीं हो रही है। मैं कहूंगा कि इस सूखे को कुदरती आफत की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए क्योंकि यह हर साल देश के किसी न किसी कोने में आता है, किसी न किसी रियासत में होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह नहीं कि जब सारे देश में सूखा आए, उसी वक्त हमें चिंता करनी चाहिए और उसी वक्त ही हमें सारे इंतजामात करने चाहिए लेकिन इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। यह तो एक बात हुई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दूसरे, यहां फ्लड की बात की गई। मैं जम्मू-कश्मीर से आता हूं। वहां बहुत नदी-नाले हैं, बहुत बड़े दरिया हैं। हालांकि सूखा है लेकिन उसके बावजूद भी इस मौसम में अगर एक ही फ्लड कहीं आ जाएगा, एक दिन ही बारिश आ जाएगी तो सैकड़ों एकड़ जमीन बह जाती है। बहुत सारी इरीगेशन दरिया के दोनों किनारों पर होती है। बाढ़ आ जाती है तो उसके कारण एक तो हमारी जमीन गिरती है और दूसरे किसानों की परेशानी बढ़ती है और बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ती है।

अपराह्न 5.59 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन* हुए]

इसलिए मैं कहूंगा कि उसके लिए एक ऐसा अमलीजामा बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत हमारे दरिया को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और जो फ्लड से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनमें फ्लड से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उन दरिया को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि एक तो जमीन रेस्टोर हो और दूसरे लोगों को रोजगार भी मिले। तीसरी बात है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ रखे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इरीगेशन वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स माइनर इरीगेशन के सैंक्शन किए, उनके ऊपर काम भी चल रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पानी जो हमारे मुल्क से पाकिस्तान में जाता है, उसमें बाकायदा तौर पर जैसे मेरे क्षेत्र के अंदर पुंछ में है, राजौरी में है व दरिया चिनाब है, मनावर तवी है, उसके साथ जम्मू तवी है, वसन्तर है, उनके ऊपर डैम बनाये जा सकते हैं और जब कभी इस किस्म की यह खुश्कसाली आए तो उन डैम्स का पानी लिफ्ट करके किसानों को दिया जा सकता है।

सायं 6.00 बजे

इसके अनाज की पैदावार ज्यादा होगी और इस परेशानी, इस चुनौती से निपटा जा सकेगा। दूसरे चेयरमैन साहब आ गए हैं, अब मैं किसी दूसरे मेम्बर का समय नहीं लेना चाहता हूं। इस सदन में मेरे साथियों ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं अपने आपको उनके ख्यालातों के साथ जोड़ता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और मुझे अपने क्षेत्र और रियासत की नुमाइंदगी करने का मौका मिला।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मध्य प्रदेश का विषय नहीं आ पाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों मुझे एक घोषणा करनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः महोदय, मध्य प्रदेश की बात नहीं आ पाई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मुझे एक घोषणा करनी है। मैं सदस्यों, हमने इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया है। हम पांच घंटे से अधिक समय ले चुके हैं। अब, कई और सदस्यों को बोलना है परंतु मुझे खेद है कि अध्यक्षपीठ सभी सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए, सभा की सहमति से मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। मैं उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया एक समय में एक सदस्य ही बोले। कृपया मुझे माननीय सदस्य की बात सुनने दीजिए। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): हम सदन में आए हैं। हमें बोलने के लिए कम से कम दो मिनट तो मिलने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। माननीय सदस्यों, आप अध्यक्षपीठ की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेलः हम किसान हैं। आप किसान की जुबान बंद नहीं कर पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं बोल रहा हूं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेलः हम आपका संरक्षण चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल: मैं आज यहां से नहीं जाऊंगा, रात को भी यहीं रहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे है। आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग क्यों नहीं करते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: महोदय, हमारे सीनियर मैम्बर नरेन्द्र सिंह जी मध्य प्रदेश की तरफ से बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं और आप अन्य सदस्यों को भी परेशान कर रहे हैं। मैं कुछ माननीय सदस्यों की तीन-तीन मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

****श्री गणेश सिंह** (सतना)) देश में लगातार प्राकृतिक आपदा दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ रहती है, इसके अलावा भी भूकम्प, सुनामी, चक्रवात जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पिछले तीन वर्षों में एक लाख से अधिक लोग मारे गए। कई लाख पशु मारे गए, अरबों की फसलें नष्ट हो गई।

जिस देश की 65 प्रतिशत खेती मानसून पर आधारित हो उस देश में यदि मानसून अनुकूल नहीं होगा तो देश तबाही की ओर जाएगा ही। देश की कुल आबादी का 70 प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर है। 42 प्रतिशत किसान देश के मात्र 2 एकड़ में खेती करके परिवार पाल रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में तीन वर्षों में कई राज्य सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर, छत्तीसगढ़ सूखे से प्रभावित हैं।

मध्य प्रदेश में 2007-08 में 10 जिले, 2008-09 में 39 जिले और अब 41 जिलों के 152 तहसीलों में सूखा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सतना में अब तक 266.2 मिली लीटर बारिश हुई है। रीवा में 256.8 मि. लीटर। सीधी में 270 प्रतिशत मि. लीटर, जो औसत वर्षा से कम है। प्रदेश का रीवा, शहडोल, चम्बल, सागर एवं ग्वालियर संभाग में सूखे का व्यापक असर है।

60 प्रतिशत किसानों ने बोनी नहीं किया। 40 प्रतिशत किसानों ने बोनी तो की लेकिन अब फसल सूख रही है। प्रदेश विगत चार सालों से सूखे की मार झेल रहा है। केन्द्रीय अध्ययन दल अप्रैल मई में गया था। सूखे से निपटने के लिए मदद की सिफारिश भी की थी।

खरीफ की फसल की बुवाई हो नहीं पाई। साथ ही जो बुवाई हो भी गई है वह अब सूख रही है। राजस्थान में 22 जिले 2006-07, 12 जिले 2007-08 में तथा 2008 एवं 2009 में 12 जिले। उत्तराखंड में 2007-08 में 9 तथा 2008-09 में 11 जिले। उत्तर प्रदेश में 2007-08 में 9 जिले, 2009-10 में 47 जिले सूखे से प्रभावित हैं।

सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि समूचा उत्तर भारत सूखे की चपेट में है। सूखे के कारण बिजली उत्पादन कम, कृषि उत्पादन कम। भुखमरी है, पेयजल संकट है, पशुओं के लिए चारे और जल का संकट है।

विगत वर्ष देश में 28 प्रतिशत जिलों में औसत वर्षा अधिक थी। 48 प्रतिशत जिलों में सामान्य वर्षा से 23 प्रतिशत से भी कम वर्षा। देश में 81 बड़े जलाशय हैं, जिनमें 151-77 बिलियन घन मीटर बीसीएम भंडारण रहता है, परन्तु 141.62 बीसीएम का भंडारण हो पाया था। क्या इस विषय को सीएमसी जो जल बोर्ड आयोग है उसे गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन के कारण जो क्षति हुई। 26 राज्यों में वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक में लाखों लोग मारे गये। लाखों घर गिर गये, लाखों पशुओं की जान चली गई।

2005 में आपदा प्रबंधन बनाया गया जो राज्यों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने का काम दिया गया। लेकिन अभी तक कोई कारगार उपाय नहीं किये गये। इसके पहले 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ। 1972 में गंगा बाढ़

नियंत्रण आयोग बनाया गया जिसमें 23 नदियों को शामिल किया गया। बाढ़ प्रबंधन बोर्ड की स्थापना। लेकिन सार्थक परिणाम कुछ नहीं निकले।

2002 में राष्ट्रीय जल नीति का सरलीकरण किया गया। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2004 में एक कार्यदल का गठन किया गया।

2007 में केन्द्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का एक फंड बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए तैयार किया था कि नियंत्रण होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार इन तमाम कोशिशों का क्या हुआ। केन्द्र सरकार आज तक कोई ठोस एवं कारगर उपाय देश को नहीं बता पाई है।

एनडीए के शासन काल में नदियों को जोड़ने की जो बात कही गई थी, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी था उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, नहीं तो आज देश की स्थिति कुछ और होती।

पुरानी पद्धतियों को विकसित करना होगा जिससे प्रकृति को समझा जा सकता है। जो प्रकृति ने हमें दिया था, जिनके लक्षणों का पता लगाना होगा। सुनामी में अंडमान के अंदर एक जनजाति को पहले पता हो गया था। बाढ़ आने पर गाय का रंभाना, अनेकों पशु पक्षियों के माध्यम से प्रकृति इशारा करती है।

मेरी मांग है कि पुरानी पद्धतियों पर रिसर्च किया जाये तथा उसे विकसित करते हुए प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने हेतु कारगर उपाय किये जायें।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (मेहसाणा): अभी हाल ही में गुजरात में भारी बारिश की वजह से जो बाढ़ आई है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। 15 से 25 जुलाई तक मौसम की कुल बारिश की 51 प्रतिशत बारिश अब तक बरस चुकी है। यह बारिश खासकर के समुद्री तटवर्ती इलाके के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में ज्यादातर हुई। भारी बारिश की वजह से और टाइड के कारण गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सौराष्ट्र के सभी डैम ओवरफ्लो हो गये। इसी कारण डैमो में भारी मात्रा में पानी छोड़ने की नौबत आयी। इसके कारणवश जूनागढ़ जिले के वेरावल, मोंगरोल तालुके में और पोरबन्दर जिले के गांवों में पानी अंदर तक पहुंच गया था और असाधारण सी स्थिति पैदा हो गयी थी। सभी गांवों का सम्पर्क टूट गया था। गुजरात सरकार ने एन.डी.आर.एफ. और एस.आर.पी. की विशेष टीमें सहायता के लिए भेजी थी। सौराष्ट्र के प्रदेश में और खासकर के जूनागढ़, पोरबंदर और जामनगर जिले में और उगाई गई फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है।

राज्य के अन्य क्षेत्रों में रोड, रास्ते, जलाशय, नाले भर गए थे। बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर और मकानों में भी ज्यादातर नुकसान तकरीबन 300 करोड़ रुपयों का हुआ है।

जूनागढ़ जिले में 10 हजार लोगों को और पोरबन्दर में 15 सौ बस्तियों को स्थानांतरण करना पड़ा। सहायता राहत और बचाव कार्यवाही तंत्र ने अच्छी तरह निभायी थी। हेलीकॉप्टर से 63 हजार फूड पैकेज़ पोरबंदर जिले के 37 गांवों में भेजने का प्रबंध किया था। बाढ़ से प्रभावित इन इलाकों में पूर्ववत परिस्थिति की पुनः स्थापना के लिए कड़ी मेहनत की थी।

तारीख 25 जुलाई तक इस भारी बारिश के कारण 72 लोगों की मौत हो गई इसमें 55 लाख रुपयों की मृत्यु सहायता-धनराशि दे दी गई है। 450 जानवरों की मौत हुई है इसमें 233 केस में 7 लाख रुपयों की सहायता धनराशि दे दी गई है।

गुजरात के भिन्न-भिन्न जिलों में कुल 10 हजार मानवों का स्थानांतरण किया गया है इसमें से 6 हजार को 3 लाख रुपयों की कैसडोल की भरपाई कर दी गयी है। घर के सामान के रूप में गृहस्थ परिवारों में से 3 हजार परिवारों को कुल 32 लाख रुपयों की सहायता धनराशि का प्रावधान किया गया।

इस मानसून के बीच गुजरात राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में खासकर के दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की वजह से और भारी आंधी के कारण खेती की बुवाई में बड़ा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ा है। इन सभी का सहारा भी पानी में बह गया। दक्षिण गुजरात के भरूच, बड़ौदा जैसे जिलों में गन्ने की खेती करने वाले किसानों जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के किसान भी है, उन को करीबन 100 करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा है।

इसी बाढ़ में केन्द्र सरकार ने अपना कर्त्तव्य का निर्वहन करे और सहायता का प्रावधान करे जिस तरह वेस्ट बंगाल में केन्द्र सरकार ने जो धनराशि मुहैया करायी उसी तरह गुजरात में भी उचित सहायता धनराशि मुहैया करायी जाए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात की इस बाढ़ को देश की "राष्ट्रीय आपदा" घोषित की जाए और गुजरात सरकार को उचित धनराशि सहायता का प्रावधान किया जाय।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): राजस्थान में प्राय: पिछले 60 वर्षों में 40 बार से अधिक सुखा पड़ा है। इस सूखे के कारण सबसे अधिक प्रभावित पश्चिमी हिस्सा होता है, जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है।

मैं राजस्थान के संसदीय क्षेत्र बीकानेर से आता हूं, उसके आस-पास के 11 जिले मुख्यता सुखे से ज्यादा प्रभावित होते हैं। सुखे के निदान के लिए सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं होते है। अत: सुखे के स्थाई समाधान के लिए सेवण घास/पशुपालन जलकुण्ड आदि के बारे में सुझाव देना चाहता हूं।

बीकानेर सम्भाग के हनुमानगढ़ से बाड़मेर तक के क्षेत्र में सेवण घास, भूरट, डचाभ, गढिया, पाला एवं मोठ, बाजरा, तिल मूंग, ग्वार इत्यादि की खेती मुख्य रूप से की जाती है एवं यहां के लोगों का पशुपालन जीवन का अभिन्न अंग था और आज भी है। परन्तु स्थाई घास का पुरी तरह से पतन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पशुओं का भी सफाया होना शुरू हो गया है। सारी स्थिति का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् स्पष्ट हो चुका है कि संबंधित क्षेत्र में प्राकृतिक घास उगाकर पशुपालन करना ही सर्वेश्रेष्ठ रहेगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहर का पानी आने से खाने योग्य अनाज तो पैदा होने लगा है, लेकिन अभी भी किसानों के जीवन का आधार पशुपालन ही है। नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी करने वाले कास्तकार अधिक खेत पकाते है और पशुओं पर ध्यान नहीं देते शेष सभी किसान गाय, भैस, भेड़, बकरी, ऊंटगाड़ी इत्यादि से अपना भरण पोषण करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में पशुओं की संख्या कम है और इस क्षेत्र में कृषि पशुपालक भैंस रखने में ज्यादा रुचि रखता है तथा गाये भी काफी संख्या में है परन्तु द्वितीय चरण में पशुओं की संख्या ज्यादा है।

बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पुरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारम्परिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोजगार के नये स्रोत खुलेंगे, जिससे आम नागरिक को फायदा होगा।

उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जीवन-आधार पशुपालन एवं पारम्परिक खेती के साथ घास उत्पादन किया जाना था। स्वतंत्रता के पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घास, भूरट डचाभ गडिया, पाला इत्यादि को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है और पारम्परिक खेती नाममात्र की रह गयी है जो बरानी बरसात होने पर की जाती है। इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के लिए उत्तम घास सेवण, भूरट, पाला, डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारम्परिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किया जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढ़ोत्तरी होना निश्चित है। मुंगफली, गेहूं, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खर्चा आधे से कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा। इसके साथ ही पारम्परिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गायों का दुग्ध रोज 300 ली. उत्पादित होगा जिसका मुल्या 4500 रु. प्रतिदिन होगा साथ ही 450 किलों गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा, जिसकी 2250 रु. प्रतिदिन आय है। इसके अतिरिक्त भेड़ बकरियों की आय 100 रु. प्रतिदिन होगी। इन पशुओं के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जायेगा एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है मात्र चारा एवं रख-रखाव का पैसा ही व्यय होगा। पारम्परिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रु. प्रति बीघा निश्चित है। सेवण घास एवं पारम्परिक खेती के लिए सिंचाई पानी मात्र 2 क्युसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तम खेती प्राप्त की जा सकती है।

सेवण घास के लिए सिंचित एवं असिंचित का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सेवण, भूरट, डचाभ, फोग, पाला इत्यादि टिब्बों का शृंगार है और फव्वारा सिंचाई से केवल सीलन मात्र से ही उत्तम उत्पादन लिया जा सकता है।

उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लाखों हेक्टेयर भूमि को नकारा करार देकर छोड़ रखा है जो थोड़े से ही सोना उगलेगी और लगभग 2 करोड़ गाये एवं 20 करोड़ भेड़-बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। 2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रुपये प्रतिदिन होगी। साथ ही 3 लाख टन गोबर प्रतिदिन मिलेगा। जिसकी आय 300 करोड़ रुपये प्रतिदिन होगी। जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिंगणियों को मिलाकर अनुपात निकाला गया है। इसके अतिरिक्त इनकी बढ़ोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है। क्योंकि भेड़ बकरी साल में दो बार ब्याती है और इन पर खर्चा मात्र देखरेख एवं रखवाली का ही होता है।

इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी नहर एवं कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हो रहा है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमत: राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावें। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए। इस माप के टांके एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आंकलन के आधार पर लगभग 80,000/- का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

सेवण घास पर्याप्त मात्रा में होने से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मतीरा भी खूब उगाया जा सकता है एवं इसके साथ-साथ अति भयंकर खुशबू वाला फल काकडिया भी उगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मेडिस्नल वेल्यू के पौधे तूम्बा, फोग, आकड़ा इत्यादि भी खूब विकसित किये जा सकते है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के बीच आने वाले टिब्बों पर सेवण घास उगाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। चालू व्यवस्था में परिवर्तन किया जाकर जल वितरण मात्र घटाई जाकर बचत की जा सकती है क्योंकि अधिकांश पशुपालक कृषक संघ से जुड़कर पशुपालन एवं घास उगाने में अपनी रुचि दिखायेंगे जिससे स्वत: ही जल बचत संभव है।

पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को किसान की रुचि के अनुसार कम से कम पांच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल./बी.पी.एल. का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसनल प्लान्ट, होर्टिकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषि का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है। इससे सूखे व अकाल के बावजूद भी किसान अपनी जीने लायक आजीविका पैदा करने में सक्षम हो सकेगा एवं सूखे/अकाल की मार से बचाव भी कर सकेगा।

संसदीय क्षेत्र बीकानेर में सूखे व अकाल के कारण पैदा होने वाली गम्भीर समस्याओं पर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षण एवं सूखे एवं अकाल की स्थिति में भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के तहत जो राहत उपलब्ध कराने की घोषणा की जाती है। उन सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के वर्तमान के नियमों में संशोधन के सुझाव मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

शीत के कारण फसलों के नष्ट हो जाने पर मुआवजा

राजस्थान में अधिकांशत: गर्मी रहती है, लेकिन जब शीत ऋतु आती है तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कठिनाईयों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसमें फसल भी नष्ट हो सकती हैं। यदि पुरे क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है तो राज्य सरकार विशेष पैकेज के माध्यम से मुआवजा देती है। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में शीत के कारण फसल के नष्ट हो जाने पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

जंगली जानवर द्वारा पालतू जानवर को मार देने पर मुआवजा

राजस्थान में कृषि के साथ-साथ जानवरों को पालना भी आजीविका कमाने का प्रमुख साधन है। अधिकांश: परिवारों की आय का मुख्य स्रोत तो जानवरों को पालना ही है, ऐसी स्थिति में यदि उनके जानवरों को जंगली जानवर द्वारा मार दिया जाता है, तो उस परिवार के लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। पालतू जानवर को जंगली जानवर द्वारा मार दिये जाने पर किसी प्रकार के मुआवजे का प्रावधान नहीं है।

विद्युत करंट लगने से पालतू जानवर या इन्सान की मृत्यु होने पर मुआवजा

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज आंधी तुफान आते रहते है, जिससे बिजली के खम्बे व तार टूट कर गिर जाते है। भूलवश इन्सान द्वारा या जानवर द्वारा तारों के नजदीक जाने या छू जाने से इन्सान की मृत्यु होने पर मुआवजा विद्युत विभाग द्वारा बहुत ही कम दिया जाता है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए मुआवजा

राजस्थान में प्राकृतिक आपदा के कारण अधिकांशत: कच्चे मकान ढह जाते है और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

से ज्यादा कच्चे मिट्टी के मकान ही होते हैं। प्राकृतिक आपदा से आर्थिक नुकसान में केवल आंशिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए ड्रेनेज के टूट जाने पर

राजस्थान में वर्षा कम होती है, अत: वर्षा का पानी इकट्ठा रखना आवश्यक है। इस हेतु बनाए गए ड्रेनेज के ढह जाने पर आस-पास के क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा रहा तो वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए लोग अपने आस-पास के क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को चालू नहीं होने देंगे। अत: इस संबंध में मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।

***श्री विश्व मोहन कुमार** (सुपौल): महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने इतने ज्वलंत विषय पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आज पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां छ: -छ: ऋतु होती हैं, जो किसी भी देश में नहीं हैं। ऐसा मौसम कहीं नहीं है, ऐसा माना जाता है।

लेकिन विगत कुछ वर्षों से पर्यावरण का दोहन अधिक होने के चलते प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। समय पर प्रकृति धोखा दे जाती है, जिससे भारत में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहां का 70-75 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है और वही देश की आर्थिक सम्पन्नता का पैमाना है।

आज मानसून के विमुख हो जाने के कारण कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि की चपेट में हम लोग पड़ जाते हैं। प्रकृति का जितना दोहन होगा उतना पृथ्वी पर उल्टा असर पड़ेगा। जैसा कि अभी सूखे से पड़ रहा है। औसत से बहुत ही कम वर्षा इस बार हुई। बिहार में 246.5 वर्षा होनी चाहिए लेकिन अभी तक मात्र 118.21 वर्षा ही रिकार्ड की गयी है। मेरे यहां सुपौल में जहां पर 280.2 प्रतिशत वर्षा अनुमानित थी लेकिन मात्र 178.6 प्रतिशत ही वर्षा हुई है। इसमें 38.39 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। बारिश नहीं होने से जहां 36 लाख धान की खेती निर्धारित थी वह 25-30 लाख पर ही संभव हो सकता है। दलहन, मक्का का भी यही हाल है। इतना ही नहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव रबी की फसल पर भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। खेत में नमी की कमी रहने के कारण उसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे राज्य तथा देश की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा।

सूखे का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बिजली पर भी पड़ रहा है। हाइडल पॉवर जो पानी से चलते हैं, पानी नहीं रहने से बिजली उत्पादन पूर्ण नहीं हो पायेगा और किसानों को परवन के लिए बिजली नहीं मिलेगी। हमारे यहां बिहार में जबकि हाइडेल पॉवर प्रोजेक्ट नहीं है किसी तरह थर्मल पॉवर से किसानों को बिजली दी जाती है जो महंगा पड़ता है। डीजल जो पहले से कम रेट था यूपीए सरकार आते आते किसानों को दो रुपयों का इजाफा करके तोहफा दिया जो किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। परवरन से अगर धान रोपाई करता है तो वह बहुत महंगा पड़ता है। महोदय, किसान अगर सभी चीजों को जोड़कर देखें तो उसे खेती में कोई लाभ नहीं है। नो प्रोफिट नो लॉस पर काम करता है।

हम लोगों का इलाका भी सूखे से प्रभावित है। सुपौल, सहरसा, मधुपेरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी और भी जिले हैं। यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी, लेकिन पिछले वर्ष कुसहा तटबंध के टूटने से सारी नहर प्रणाली भी ध्वस्त हो गई, जिससे सिंचाई पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि 60 प्रतिशत खेती मानसून पर ही निर्भर रहती है लेकिन इस बार मानसून दगा दे गया। जमीन में पानी का स्तर भी घट गया जिससे वाटर लेबल भी नीचे चला गया। पीने के पानी एवं नलकूप जिससे सिंचाई व्यवस्था भी होती, दगा दे गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सभी जिलों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें तथा किसानों के लिए एक ऐसा पैकेज की व्यवस्था करें जिससे उन्हें खाद, बीज, पानी की व्यवस्था सरलता से मुहैया हो सके। माननीय मंत्री जी राज्य सरकार ने भी माना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार में स्थिति वाकई खराब है।

लेकिन दुख होता है परसों-तरसों कब सूखा क्षेत्र की लिस्ट जारी हुई थी उसमें बिहार का नाम नहीं था पता नहीं बिहार के साथ केन्द्र की सरकार क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है। कोसी में भयंकर बाढ़ के समय मदद करने से हाथ खींच लिया और सुखाड़ में भी बिहार के साथ वही व्यवहार है। देश के सभी राज्य एक समान हैं चाहे वह कांग्रेस हो अथवा नॉन कांग्रेसी।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (मुरैना): महोदय, मध्य प्रदेश में छह जिलों में 20 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है और बाकी जिले अवर्षा के शिकार हैं इस कारण वहां से पलायन हो रहा है। लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमें इस बात की शंका आज भी है क्योंकि पिछले वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 37 जिले और 157 तहसील सूखे से पीड़ित थे। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने बार-बार प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से आग्रह किया और मध्य प्रदेश में केन्द्र का अध्ययन दल आया। अध्ययन दल ने अपनी रिकमेंडेशन की और राज्य शासन ने 1548 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया लेकिन केन्द्र सरकार ने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर एक रुपया भी मध्य प्रदेश को नहीं दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि समय रहते मध्य प्रदेश का आकलन कराएं और सहायता उपलब्ध कराएं। अगर मध्य प्रदेश में अवर्षा के कारण, सूखे से पीड़ित होकर कोई घटना होगी तो इसके लिए केन्द्र सरकार जवाबदार होगी।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, कृपया हमारे सदस्यों को भी अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते हैं? मुझे यह बात कितनी बार कहनी पड़ेगी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): हम किसान हैं। हम अपनी बात कहेंगे। मुझे बोलने के लिए समय चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको टाइम देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आर.के. सिंह पटेल, मैं आपको समय दूंगा। इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान के माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पर पूर्णत: सूखे की स्थिति है। वे अपनी ओर से निवेदन करना चाहेंगे। अत:, कृपया उनमें से प्रत्येक सदस्य को दो मिनट का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं समझता हूं। चार माननीय सदस्य भी बोलेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल): सर, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तीन मिनट में बात नहीं कही जायेगी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, कृपया तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा: सभापति जी, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे कृषि मंत्री जी की सूखे और बाढ़ पर बहुत पैनी नजर लगी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गहराई से इस बात में जाना पड़ेगा कि सूखा और बाढ़ क्यों आते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ये सारी समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। मैं समझता हूं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसान खेती में कितनी मेहनत करता है, लेकिन कभी भी वह खुशहाल नहीं रहता, वह कभी भी चिंता मुक्त नहीं रहता है। आप देखें कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसकी पैदावार का भाव उसे नहीं मिलता है। आज मैं एक फसल लूंगा, खरीफ में बहुत सारी फसलें आती हैं जैसे-दालें, चावल, ज्वार, बाजरा, तिलहन और सूरजमुखी। लेकिन मैं पैडी के बारे में बताता हूं कि पैडी के लिए करीबन एक एकड़ में 15 से 18 हजार रुपये का खर्चा आता है। बिजाई से लेकर ढुलाई तक, यानी मार्केट जाने तक 15 से 18 हजार रुपये खर्चा आता है। लेकिन जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो किसान को क्या मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। मुआवजे के तौर पर कोई सरकार हजार रुपये और कोई सरकार पंद्रह सौ रुपये दे देती है लेकिन हमारी हरियाणा की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछली बार जब ओले पड़े थे तो मुआवजे के तौर पर तीन हजार से चार हजार रुपये प्रति एकड़ दिया था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें हमें कोई सॉलिड योजना रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः वह योजना फसल बीमा योजना है। हमें फसल बीमा योजना को बड़ी गहराई से देखना है, क्योंकि आज इसका कोई इफैक्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे देखें और इसके लिए कोई विजिलेन्स कमेटी लगाएं, कोई सांसदों की समिति बनाएं। मैं कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना जब तक इफेक्टिव नहीं होगी, तब तक काम चलने वाला नहीं है। फसल बीमा योजना कैसे इफेक्टिव होगी। अभी आपने इसे ब्लॉक लैवल पर रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य बीमा होते हैं, जैसे हेल्थ का बीमा होता है। ऐसे ही जब तक फसल का बीमा नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनने वाली है। फसल का बीमा करने के लिए सरकार इसमें योगदान दे, राज्य सरकारें योगदान दें और किसान को उसकी मेहनत का पैसा फसल बीमा योजना के तहत मिलना चाहिए। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जब तक फसल बीमा योजना ठीक ढंग से लागू नहीं होगी, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। फसल बीमा योजना से मेरा मतलब है कि किसान को कम से कम 20 से 25 हजार रुपये इस योजना के तहत पैडी, गेहूं या अन्य मेजर फसलों के लिए मिलने चाहिए। तब कहीं किसान खुशहाल होगा। आज किसान यदि अपने एक बेटे की शादी कर ले ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः लड़की की शादी कर ले, मकान बना ले, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दे तो किसान के पास क्या रह जाता है। वह दस साल तक कर्ज में ऐसा डूब जाता है कि उससे उबर नहीं पाता है। मेरी दर्खास्त है कि मंत्री जी फसल बीमा योजना को बहुत प्रभावी ढंग से लागू करें। इस मुद्दे पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस पर भी चर्चा कराई जाए कि फसल बीमा योजना में हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन है। ये क्या करते हैं कि करोड़ों रुपये के शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन पैसों को किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि उस पैसे का इस्तेमाल किसानों के लिए होगा तो आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही किसान कितना खुशहाल होगा। ये कोई छोटी-मोटी बातें नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें।

[अनुवाद]

मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

*मैं उन सभी सदस्यों एवं बुद्धिजीवियों का अति आभारी हूं जिन्होंने इस संसद सत्र के दौरान मानसून के देरी से आने के लिए और वर्षानुपात कम होने की वजह से देश के कई राज्यों में खरीफ की फसलों के प्रभावित होने से तथा किसानों की दयनीय दशा के साथ बिजली, पानी, ऊर्जा, खाद्य सामग्री एवं जीवनयापन की वस्तुओं पर होने वाले प्रभाव, कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति एवं कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर चिंता व्यक्त करके दोनों सदनों में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तथा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार के साथ हर प्रकार से देशहित में सहयोग देने के लिए मैं आपका पुनः आभारी हूं।

मैं, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का एवं यूपीए सरकार की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राज्य सरकारों के अनुरोध पर सूखे एवं बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों में केन्द्रीय टीम के सर्वेक्षण के बाद, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) की सिफारिशों के तहत, हाई लेवल कमेटी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड (एनसीसीपी) (राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निधि कोष) से सभी प्रभावित राज्यों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय एवं आर्थिक सहायता बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले वर्षों की तुलना

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

में इस साल वर्षानुपात में भारी कमी आई है और पूरे देश में वर्षा का अनुपात 151 एमएम, नार्मल रेनफाल 234.7 एमएम की अपेक्षा में रिकार्ड किया गया है जो कि 36 प्रतिशत वर्षानुपात को कम दिखा रहा है, जिसका ज्यादा असर नार्थ ईस्ट राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एवं अन्य उत्तरी भारत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों में सीधा दिखाई पड़ा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने पिछले जून माह में मानसून में होने वाली देरी एवं इससे प्रभावित सभी राज्यों में खरीफ की फसलों चावल, ज्वार, बाजरा, तिल-तिलहन, उड़द, मूंग एवं अन्य दालों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना तथा सभी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार के सभी कृषि सचिवों की बैठक बुलाकर किसानों को हर प्रकरा से सहायता एवं राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया है ताकि वे समय से पहले आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। भारत सरकार दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है तथा हरसंभव सहायता के लिए तैयार है।

केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

के माध्यम से सभी कारगर कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। ये सभी एजेंसियां समय-समय पर दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो एवं अन्य चैनलों के द्वारा किसानों को समय पर कृषि संबंधी जानकारियां देती रहेंगी। बीजों एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार किसानों के प्रति वचनबद्ध है। राज्यों को इस स्थिति से उबारने के लिए केन्द्र सरकार ने हर राज्य के लिए एक कैलेमिटी रिलीफ फंड की स्थापना की है जिसके अंदर भारत सरकार का 75 प्रतिशत तथा राज्यों सरकारों का 25 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। सन् 2005-06 से 2008-09 तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस निधि के तहत 16,729.02 करोड़ रुपये सृजित किया है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदाओं से प्रभावित सभी राज्यों के लिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) बनाई हुई है जो कि राज्यों की बाढ़, भूकम्प, ज्वारभाटा एवं अन्य विनाशकारी गतिविधियों से बचाने के लिए कार्य करती है ,वं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का 1976 में गठन किया था जो कि तुरंत प्रभाव से बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद करता है। समय-समय पर केन्द्र ने राज्यों को बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए

[अनुवाद]

वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

[हिन्दी]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलनीति 2002 तथा कृतिक बल, 2004 का गठन किया है।

[हिन्दी]

22 जुलाई, 2009 मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी भारत दिल्ली, चंडीगढ़ एवं हरियाणा, पंजाब को वर्षानुपात 163.5 एमएम नार्मल की अपेक्षा 58.1 एमएम हुआ है जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 65 प्रतिशत डेफिसिट (कम अनुपात है) जो अभी दो दिनों से उत्तरी भारत में 62 प्रतिशत के आसपास है जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं बिहार व झारखंड के राज्यों के किसान एवं खेतिहर मजदूर बहुत प्रभावित हुए हैं। तकरीबन इन राज्यों में खरीफ की फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

इसके साथ-साथ फसलों की बीमा योजनाओं के तहत हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है जिन्होंने अपना प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा प्रीमियम भर रखा हो तथा उन किसानों ने जिन्होंने या तो सहकारी बैंकों से लोन ले रखा है उन्हीं किसानों को इस योजना के तहत फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के तहत सभी फसलों के न होकर मुख्य-मुख्य फसलों का बीमा कराया जाता है तथा विलेज लेवल पर न होकर ब्लाक लेवल पर एवरेज के मुताबिक फसलों के नुकसान पर मुआवजा निर्धारित होता है। किसानों की मांग है कि यह विलेज लेवल/यूनिट पर निर्धारित होना चाहिए क्योंकि कई बार एक जिले के अंदर ब्लॉक लेवल पर केवल 5 से 7 गांवों में ओलावृष्टि होकर फसलों का नुकसान हो जाता है तो किसानों को कोई भी उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। अत: मेरी प्रार्थना है कि फसलों का बीमा विलेज

[डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा]

लेवल/यूनिट पर होना चाहिए ताकि सभी गांवों के किसानों को प्रति एकड़ उचित मुआवजा मिल सके और इसके साथ-साथ खेतिहर मजदूरों के लिए भी एक कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि किसान पर मार पड़ने के बाद उस पर खेती करने वाले मजदूरों को भी उचित मुआवजा मिल सके। मुख्य फसलों के साथ सभी फसलों को बीमा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार को सूखे एवं बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सस्ती दरों पर लोन, बीज, खाद एवं कृषि यंत्रों पर छूट देनी चाहिए तथा सिंचाई के लिए कम दर पर बिजली एवं ट्यूबवेल के लिए कम रेट पर पाइप तथा बिजली की मोटरें उपलब्ध करवानी चाहिए। फसलों की सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से वाटर पम्प प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए डैम और तालाब बनवाने चाहिए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर सभी नदियों, गहरें नालों एवं केनाल की वर्षा होने से पहले सफाई करवानी चाहिए तथा किश्तियों एवं नावों का विशेष प्रबंध करवाना चाहिए। भूमि कटाव को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी एवं गैर-सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण करवाना चाहिए।

हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है ज्यादातर किसान दो तीन एकड़ से लेकर 5-7 एकड़ तक ही सीमित रह गये हैं और इन छोटे किसानों के पास खेत जोतने के लिए न तो हल और न ही ट्रैक्टरों की सुविधा है। उन्हें एक एकड़ पर खेती करने पर भी आपका बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ता है तथा बिजाई करने और मण्डी में ढुलाई तक फसलों के नुकसान होने का जोखिम उठाना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश भारत वर्ष का पंजाब के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा चावल एवं गेहूं का उत्पादन करता है और राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। एक एकड़ में जोतने पर किसानों को बिजाई से पहले खेत को जोतना, पानी देना, बिजाई करना, नलाई एवं खुदाई करवाना, खाद डालना, पानी देना, कटाई, दवाई डलवाना, कढ़ाई करवाना तथा अंत में घर व मंडी तक फसल को बिना किसी जोखिम के ले जाने तक लगभग प्रति एकड़ 20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं और प्राकृकि आपदा के दौरान किसानों को 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक ही बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलता है और जिस किसान ने फसल बीमा न करवा रखा हो तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। न ही सरकार की कोई ऐसी स्कीम है, जिस पर खेतिहर मजदूरों, जो कि किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं, प्राकृतिक आपदा होने पर उनको कोई मुआवजा मिल सके।

कई बार देश में एक ही स्थान पर वर्षा हो जाती है और उसके साथ लगती दूसरी जगह पर वर्षा नहीं हो पाती है तो ऐसे में छोटे किसानों की मुआवजे के लिए बहुत ही कम सुनवाई होती है। किसानों द्वारा बढ़िया किस्म की खेती करने के लिए बहुत ही कम आपके साधन हैं क्योंकि वे बढ़िया किस्म के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, महंगी खाद एवं उर्वरक नहीं खरीद पाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम पैदावार हो पाती है। राज्यों द्वारा प्रत्येक किसान की भूमि का फसल बीमा आवश्यक होना चाहिए तथा यूनिट के आधार पर न होकर व्यक्तिगत के आधार पर फसल बीमा होना चाहिए चाहे किसी भी किसान की एक एकड़ भी भूमि क्यों न हो। राज्य सरकारों द्वारा हरियाणा सरकार की तरह किसी भी किसान को लोन न देने पर प्राकृतिक आपदा के दौरान, समय पर न भरने पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसानों को ऋण भरने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और समय की छूट देनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने किसानों के ऋण माफी, किसान क्रेडिट कार्ड सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करना तथा समय पर सब्सिडी प्रदान करना, किसानों के हित में एक सराहनीय कदम है। उनके लिए 33 साल तक भूमि मुआवजों के रूप में किश्त देना एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को कम दर पर बिजली पानी देना तथा सिंचाई के लिए फ्लेट रेट घोषित करना किसानों के लिए अति लाभकारी है। किसानों को एक एकड़ की रजिस्ट्री पर ट्रेक्टर लोन देना बहुत कारगार साबित हुआ है। हरियाणा सरकार को सेंट्रल पूल से बिजली की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा किया जाए।*

[अनुवाद]

***डा. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा, जिसे माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन और श्री महाबल मिश्रा द्वारा उठाया गया था, में भाग ले रहा हूं।

यह सुविदित तथ्य है कि आज कई राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जबकि कुछ राज्य बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में फसल बर्बाद हुई है जिससे देश में खाद्यान्न की कमी हो गयी है।

महोदय, हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम मानसून पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। हमें मानसून का अध्ययन और गंभीरता से करना होगा। मानसून की सतही जानकारी से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारी अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मानसून की गहन जानकारी अपरिहार्य है। मानसून चाहे देर से आए या जल्दी आए, चाहे कम वर्षा हो या ज्यादा वर्षा हो, हमें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है ताकि हम अपनी फसलों के बारे में योजना बना सके और उसके

*मूलतः मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुसार फसलों के बारे में तय कर सकें। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या फसल बदल-बदल कर उगाने से मदद मिलेगी। अनुसंधान और विकास के लिए यह गंभीर विषय है।

मानसून के बारे में गहरी जानकारी के लिए हमें प्रशांत महासागर में आने वाली एलनेनो की घटना की भी जानकारी रखनी होगी। महोदय, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मानसून के बारे में सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करे।

महोदय, बाढ़ और सूखे की चिरकालिक समस्या का निदान बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर किया जा सकता है। चीन ने अपने यहां दो बड़ी नदियों को आपस में जोड़ दिया है और इससे उनको काफी लाभ हुआ है। भारत में भी हमें इस दिशा में काम करने तथा बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की जरूरत है। हमने छोटी नदियों को परस्पर जोड़ने का काम शुरू किया है और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इजरायल में समुद्र के पानी का उपयोग कृषि और कृषि उद्योगों के लिए किया जाता है। हमें पता करना होगा कि क्या यह प्रौद्योगिकी किफायती है और अपने देश में अपनाई जा सकती है। इस संबंध में शीघ्र एक गहन अध्ययन किया जाए। इस संबंध में हम इजरायल सरकार से सहयोग भी मांग सकते हैं।

सौभाग्य से, पिछले कुछ दिनों में यहां कुछ बारिश हुई है। कल, वित्त विधेयक पारित किए जाने के तुरंत बाद भारी वर्षा हुई। संभवतः यह वित्त विधेयक पारित होने का इंतजार कर रही थी। श्री जसंवत सिंह की विहस्की की बोतल और माननीय वित्त मंत्री की पाइप पीने से परहेज की कहानी सुनकर इन्द्रदेव ने हमें वर्षा से सराबोर कर दिया। ऐसा लगता है कि यदि इस साल का बजट और वित्त विधेयक पहले ही पारित हो गए होते तो मानसून कुछ पहले ही आ गया होता। वर्षा सहित सभी क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति है क्योंकि यह सत्र बजट और मानसून सत्र का सम्मिलित रूप है। अब सूखे का समय लगभग समाप्त हो गया है और अब बाढ़ के संबंध में सोचने का समय आ गया है।

महोदय, सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को अवश्य महत्व देना चाहिए। महोदय, वर्षा जल संचयन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अपनी नदियों, झीलों, तालाबों आदि को गहरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों की गाद निकालना जरूरी है ताकि अधिक जल का संचय हो सके। उदाहरण के लिए मणिपुर की ताजे जल की झील लोकतक छिछली हो रही है और सिकुड़ रही हैं- इस झील को बचाने के लिए एक बेहतर निर्मित कार्यक्रम जरूरी है।

चूंकि हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, राज्यों के समक्ष कई समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर में, असम में सूखे जैसी स्थिति के बाद अब बाढ़ के हालात बन गए हैं। मणिपुर में अभी भी सूखा है। इस बार मणिपुर में बहुत कम वर्षा हुई है। मणिपुर में अभी भी लगभग सभी धान के खेत सूखे है। मौजूदा सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं। किसान वास्तव में चिंतित हैं। हाल की हल्की बारिश पर्याप्त नहीं है। इससे तो सिर्फ सड़के ही धुली हैं।

महोदय, मणिपुर सरकार ने राज्य में जून माह में ही सूखा घोषित कर दिया था। कुछ संकोच के साथ अब कृषि मंत्री यह मानते हैं कि मणिपुर के 11 जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मणिपुर में केवल 9 जिले हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर सरकार द्वारा मांगा गया सूखा राहत पैकेज समय पर दिया जाए। राजग के शासन काल में मणिपुर ने सूखा राहत की मांग की थी- यह राहत पैकेज मणिपुर तक पहुंचा था जब बाढ़ ने वहां तबाही मचाई थी। महोदय, मेरा यह कहना है कि सूखा हो या बाढ़ सहायता देने में विलंब नहीं होना चाहिए। मेरे राज्य मणिपुर में अक्सर ऐसा होता है कि सूखे की स्थिति में लोग कड़ी मेहनत से फसल उपजाते हैं। लेकिन यह फसल भी बाद में आने वाली बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। इसलिए, महोदय, मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र मेरे राज्य को सूखा राहत प्रदान करे।

अंत में, महोदय, मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय पर पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएं।

सभापति महोदयः श्री आर.के. सिंह पटेल, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपका बर्ताव अशोभनीय है। इसे बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक चेतावनी देता हूं। अब, आप बोल सकते है, लेकिन कृपया इस तरह का व्यवहार न करे। कृपया अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेलः माननीय सभापति जी, मैं किसान हूं और कल ही अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर चलाकर कर के आया हूं। सूखा सरकार की आपदा नहीं है, यह दैवी आपदा है। चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, यह आपदा आती रहती है। सूखा न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश में है। सूखे से निपटने के लिये सरकार को कोई कार्य योजना बनानी चाहिये। भारत के निचले हिस्से से एक कॉरिडोर बनाकर हम उत्तर भारत तक गैस पाईप

[श्री आर.के. सिंह पटेल]

लाइन, डीजल की पाईपलाइन ला सकते हैं, हम तमाम कॉरिडोर बना सकते हैं। लेकिन किसान जो भारत की रीढ़ है, उसके खेतों की सिंचाई के लिये क्या हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं? हमारे देश के तीन ओर समुद्र है जिसमें पानी है। उस पानी से सिंचाई के लिये वृहद कॉरिडोर बनाकर देश के विभिन्न कोनों पर पाईपलाइन के जरिये पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा सकती है। मेरी मांग है कि समुद्र से किसान के खेतों की सिंचाई के लिये कॉरिडोर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार नदियो को जोड़ने की बात कर रही है। अगर बरसात होगी, तभी नदियों में पानी आयेगा। आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी नदियों से पानी नीचे बहकर समुद्र में जा रहा है। उस पानी से एक कॉरिडोर बनाकर सिंचाई के लिये पानी लाया जा सकता है। आज किसान परेशान है क्योंकि उसे उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसके उत्पाद में समानुपातिक वृद्धि होनी चाहिये, यह मेरी मांग है। एक तरफ उद्योगपति छोटी सी चीज से बड़ी चीज हवाई जहाज तक बनाता है, उसके जो दाम आज से 15 साल पहले थे, उसमें आज 25 गुना की वृद्धि हुई है लेकिन जो माल किसान पैदा करता है, उसमें मात्र तीन गुना वृद्धि हो पायी है। सरकार को सोचना चाहिये कि किसान के उत्पाद का मूल्य 15 साल पहले एक रुपया था, उसे उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिये था। जिस माल की कीमत 15 साल पहले फैक्टरी में एक रुपया थी, वह आज 20-25-30 रुपये में मिलती है। इसी तरह जहां गेहूं की कीमत 15 साल पहले 250-300 रुपये क्विंटल थी, वह आज 1080 रुपये क्विंटल सरकार ने फिक्स की है। फैक्टरी का माल 30 रुपये में था, वह बढ़कर 50 रुपये हो गया है। जो साईकिल पहले 400 रुपये में थी, उसका दाम बढ़कर 3200 रुपये हो गया है, सीमेंट का दाम 30 रुपये से 250 रुपये हो गया है। किंतु आप चावल, दाल की महंगाई देखते हैं कहते हैं कि आसमान छू रही है। किंतु फैक्टरी में बनने वाले सामान की कीमत बीस गुना और किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का दाम केवल तीन गुना बढ़ा है। इसलिये, मेरी मांग है कि फैक्टरी के माल और किसान के उत्पाद में बराबर की महंगाई घटाई-बढ़ाई जाये, तभी किसान खुशहाल हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह अंतर घटाने पर ही किसान उन्नतशील हो सकता है।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पिछले 50-60 साल से सूखा और अकाल है। पानी का क्या महत्व है, वह शायद ही इस देश में कोई जानता होगा? राजस्थान के अंदर 60 प्रतिशत रेगिस्तान है। मेरा लोक सभा क्षेत्र बाड़मेर 58 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं यह आंकड़ा इसलिये दे रहा हूं ताकि उससे अंदाज लग सके कि मेरे क्षेत्र की पापुलेशन डेंसिटी कितनी कम है। हम लोगों का जीवन-यापन केवल कृषि और पशु-पालन से हो रहा है। सदन इस बात की कल्पना कर सकता है कि कृषि बिना पानी के कैसे हो सकती है? हमारे क्षेत्र में पशु-पालन की क्या स्थिति है, वह मैं बताना चाहता हूं। वर्ष 1961 में बाड़मेर जिले की जनसंख्या 6 लाख 77 हजार थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 19 लाख 38 हजार हो गई। पशुओं की संख्या 6 लाख 34 हजार थी।

दुर्भाग्य से पशु संख्या सिर्फ साढ़े तीन लाख थी। हम लोगों की क्या स्थिति हुई है? हम लोगों का जीवन-यापन सिर्फ पशुओं पर था। पशु हमसे नहीं पलते थे बल्कि हम पशुओं से पलते थे। दुर्भाग्य से पहले हजारों साल तक हम अपने पशुओं को हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के मालवा में जाकर पालते थे। पिछले काफी समय से यह चीज मुमकिन नहीं हो पायी है। आप हम लोगों की पीड़ा समझिए। हमारे यहां पीने के पानी के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई भी सरफेस सोर्स नहीं है। हम लोग ज्यादातर पीने के पानी के लिए टाका के रूप में अंदर, टाका एक तरह का पक्का पोंड है, जिसके अंदर करीब 30 हजार लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को हम पूरे एक साल तक पीने के लिए, दूसरे कामों के लिए, पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साल ही नहीं, हमारे यहां कई-कई साल तक बरसात नहीं होती है तो उसी पानी को हम दूसरे और तीसरे साल तक काम में लेते हैं। हम लोगों के यहां खेजड़ी के रूप में एक वृक्ष है, उसे हम पूजते हैं। उस वृक्ष की पत्तियों से हम पशुओं को पालते हैं और उसकी फलियों से हम खुद पलते हैं। उसकी छाल को हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं और उसकी लकड़ी से हम हल बनाते हैं। उस वृक्ष की महत्ता का अंदाज आप इससे लगा सकते हो कि ढाई सौ साल पहले उस वृक्ष को काटने के लिए जब राजा ने हुक्म दिया था तो खेजड़ी के उस वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोग शहीद हुए थे। उस वृक्ष की हम लोगों के यहां बहुत महत्ता है और उसका अनुसरण पूरे देश को करना चाहिए।

महोदय, हम लोगों के यहां जितना थोड़ा-बहुत अनाज होता है उसे हम एक कढ़ाई के अंदर, देसी तौर-तरीके से सिर्फ नीम और राख डालकर एअरटाइट करके 10-10 साल तक उपयोग में लेते हैं।

सभापति महोदयः आप समाप्त कीजिए।

श्री हरीश चौधरीः महोदय, हम चारे का किस प्रकार 10-10 साल तक इस्तेमाल करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो वर्ष 2002-03 में अकाल राहत का प्रबंधन राजस्थान सरकार ने, जिसके मुखिया अशोक गहलौत जी थे, ने किया उसे एक मॉडल के तौर पर पूरे हिन्दुस्तान के अंदर लागू करना चाहिए। आज के समय में

फैमिंग कोड बहुत पुराना हो चुका है और आज के समय में यह धरातल से बिल्कुल अलग है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सबसे प्रिय पशु बकरी हुआ करती थी। दुर्भाग्य से फैमिंग के अंदर उसे भी नहीं लिया जाता है। बकरी और भेड़ को उसके अंदर नहीं लिया जाता है।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। यह विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री हरीश चौधरी: महोदय, यह मेरे जीवन का पहला मौका है। मैं समाप्त करता हूं। सीआरएफ के अंदर बड़े पशुओं और छोटे पशुओं के मुआवजे के लिए दो पशु दिए हैं, लेकिन उसका पैमाना बढ़ाना चाहिए। लघु व सीमांत किसानों का एक पैमाना है। हमारे यहां हजारों बीघा जमीन में लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, पर उसमें कृषि होती ही नहीं है, उसमें पैदावार नहीं होती है। इसलिए आपको वह पैमाना भी बदलना चाहिए। फसल बीमा के अंदर पैमाना तहसील स्तर का रखा गया है। मेरे बाड़मेर जिले में शिव तहसील 15 हजार स्क्वायर किलोमीटर की है। उस तहसील के अंदर एक तरफ बारिश हो जाती है तो दूसरी तरफ ...*(व्यवधान)* फसल बीमा योजना की इकाई तहसील न होकर पटवार, सर्किल होना चाहिए क्योंकि हम लोगों के यहां तहसीलें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। नरेगा के अंदर जो टाके दिये जा रहे हैं, वाटर हारवेस्टिंग का अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीका हम लोगों के यहां है तो वह हम लोगों के टाके हैं। मेरा निवेदन है कि इस टाके के अंदर एपीएल के लोगों को लिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करना चाहिए।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): आज देश का अधिकांश राज्य सूखे की स्थिति से जल रहा है। देश में 40 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सूखे से निपटने के लिए सरकार द्वारा समितियां भी गठित की गई हैं। समितियां या राज्य सरकार जो सुझाव केन्द्र सरकार को देती है उस पर अमल नहीं होता। एक उदाहरण देना चाहेंगे। वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 1883 करोड़ रु. सहायता की मांग की, मिला 42 करोड़ रुपये इसी प्रकार 2006-07 में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक सरकार ने क्रमश: 823.23 करोड़ रु. और 1439.81 करोड़ रु. की मांग की, अनुमोदित सहायता क्रमश: 76.27 करोड़ रु. एवं 78.96 करोड़ रुपये थे। इस कार्य के लिए एनसीसीएफ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष एवं एचसीएल (हाई लेवल कमिटी) गठित है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे पास वास्तविक विजन नहीं है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जल प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, जल संचयन नदियों को जोड़ने की नीति में हम विफल हैं। आज देश कहीं सूखाड़ से ग्रसित है और कहीं हम बाढ़ से व्यथित हैं। इसका कारण सरकार की प्रबंधन नीति की विफलता है। अभी हम देखेंगे जल प्रबंधन एवं सिंचाई के लिए 2006-07 में झारखण्ड को कुल 382 करोड़ रु. एवं 2007-08 में 529 करोड़ रु. अनुमोदित परिव्यय निर्धारित किया गया जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि को 1000 करोड़ रु. से अधिक राशि संशोधित अनुमोदित परिव्यय रखा गया।

आज झारखण्ड के 4 जिला पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि झारखण्ड के अधिकांश जिले बोकारो, गिरिडीह एवं धनबाद सूखे से जल रहे हैं। यद्यपि, राज्य सरकार भी सूखे की स्थिति का सही जायजा देने में विवश है क्योंकि राज्य का पूरा बजट इससे खराब हो जाता है, लेकिन ऐसी स्तिति से मुंह मोड़ने के लिए सच्चाई से क्यों परहेज करेंगे?

आज हम लाख दावा करें कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ है लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो किसानों के लिए 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की योजना की शुरूआत हुई। यूपीए सरकार में 2007-08 के दौरान कुल 88,264 करोड़ की सीमा वाले 84.7 लाख केसीसी जारी किये गये। 2008-09 के दौरान यह सीमा घटकर कुल 26,828 करोड़ रुपये की सीमा वाले 47.26 लाख केसीसी जारी किये गये। ऐसा क्यों हम देश के हर किसान को केसीसी जारी करे। प्रत्येक मजदूर को 365 दिन काम उपलब्ध कराये। महंगाई को काबू में रखें। किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिले। लेकिन जब किसानों की फसल तैयार होती है तो उनके उत्पाद खरीदने के लिए सरकारी एजेंसी नहीं जाती।

बाजार कालाबाजारियों एवं व्यवसायियों के चंगुल में है। अभी हजारों टन मिलावटी दाल बरामद हुई हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी खतरनाक थे। आजादी के 62 वर्षों के बाद कृषि विकास दर 2 प्रतिशत से अधिक हासिल न किया गया है।

नदियों को जोड़ने का कार्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए शासन काल में शुरू हुई लेकिन आज तक यूपीए सरकार में इस दिशा में सार्थक परिणाम नहीं मिले।

वित्तीय समवेशन समिति की रिपोर्ट 2008 के अनुसार 73 प्रतिशत से अधिक किसान परिवारों को ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं है। कृषि मंच कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आम जनता महंगाई के ज्वाला में धधक रही। 31.3.2007 तक विभिन्न राज्यों में 14 विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी लेकिन ऐसी परियोजना से झारखण्ड अलग थी।

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

अत:, सरकार को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लक्ष्य को छोड़कर गरीबों, मजदूरों और देश के आम जनता के दर्द को समझना होगा। इसलिए पानी का बेहतर प्रबंध हो, सूखे के हिसाब से खेती की तैयारी, स्मार्ट सब्सिडी योजना के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के तंत्रों को कार्यशील होना पड़ेगा।

पर्यावरण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करना होगा। जल संचयन कार्यक्रम और लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए सरकारी तंत्र को ईमानदारी से प्रभावी बनाना होगा। कृषि विकास, दर को कैसे हासिल करें इसके लिए सरकार को एक चुनौती के रूप में सरकारी तंत्र को विकसित करना होगा और इसकी विफलता पर जिम्मेवारी तय करना होगा. बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों स्थितियों पर काबू पाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा तभी हम देश के किसानों, गरीबों और विकास की धारा से भटके देशवासियों के दर्द की दवा उपलब्ध कराने में कामयाब हो सकते हैं।

[अनुवाद]

***श्री बदरूद्दीन अजमल** (धुबरी): महोदय, मुझे बाढ़ और सूखे के मुद्दे पर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे राज्य असम के लिए ये दोनों मुद्दे एक जैसे ही हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह सम्मानीय सभा इस बात से सहमत होगी कि हमारी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को वर्षा/सर्वशक्तिमान की दया से जोड़ना लोक नीति की अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी है।

क्या यह विडम्बना नहीं है कि हर वर्ष भारतीय वर्षा के लिए और थोड़ी ज्यादा वर्षा होने पर आश्रय प्रार्थना करते हैं।

क्या हमारी किस्मत में बर्बादी ही लिखी है? ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ पूर्व-निर्धारित भाग्य ही है। ऐसा लगता है कि वस्तुत: हमने यह विश्वास करना छोड़ दिया है कि समाधान भी है। वापस अपने राज्य असम पर आते हुए, मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि यहां बाढ़ बार-बार आती है, जबकि सूखा भी हमारे लिए असामान्य बात नहीं है।

वर्ष 2009 भी इसका अपवाद नहीं है। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और इसके साथ ही असम सरकार ने 15 जुलाई की घोषणा में शामिल 14 जिलों को अपनी 22 जुलाई की घोषणा में बढ़ाकर सभी जिले कर दिया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ऐसी रिपोर्ट है कि 2009 के सूखे ने अब तक 18 लाख हेक्टेयर में फसल को प्रभावित किया है, जिससे 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं।

असम में बाढ़ अनियमित रूप से आती है और 1950 के दशक के भूकंप के बाद से बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। 1954, 1962, 1966, 1972, 1973, 1984, 2002, 2004 और 2007 में गंभीर बाढ़ आई, यद्यपि कम तीव्रता वाली बाढ़ तो हर वर्ष आती है और इस वर्ष भी आई है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की समस्या अन्य किसी भी बाढ़ प्रवण क्षेत्र से अधिक गंभीर है। असम में 1953 से बाढ़ से हुई क्षति के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रतिवर्ष राज्य की औसतन 4.75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, जबकि 2007 में लगभग 15.04 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़-आपदा से प्रभावित हुईं।

असम में बाढ़ का सर्वाधिक नुकसानदायक प्रभाव भू-कटाव है। नदी से प्रतिवर्ष औसतन 2500 हेक्टेयर भूमि कटाव होता है। 1954 से सरकार के कम करके लगाए गए अनुमानों के अनुसार 3.86 लाख हेक्टेयर अर्थात् असम के कुल क्षेत्र का 7% क्षरण हो चुका है। 2534 गांवों का क्षरण हो चुका है, जिससे 90700 परिवार प्रभावित हुए हैं।

विडंबना यह है कि राष्ट्रीय संपत्ति के इतने बड़े नुकसान के लिए राहत और पुनर्वास किसी भी मौजूदा राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति में शामिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सभा के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आपदा तैयारी योजना में मूलत: आपदा से पूर्व, उसके दौरान और उसके बाद किए जाने वाले उपाय शामिल होने चाहिएं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपदा से पूर्व और उसके बाद के लिए तो तैयारी अल्प है ही, आपदा के दौरान भी बाध्य होकर घोषणाएं की जाती हैं।

मैं सभा का ध्यान असम में हाल में आई बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं, जो अतिवृष्टि के कारण नहीं बल्कि तटबंध निर्माण में भ्रष्टाचार होने के कारण तटबंध टूटने के फलस्वरूप आई है।

1 जुलाई, 2009 को असम के लखीमपुर जिले में, एक मलेशियाई कंपनी 'एमासरिका' द्वारा 142 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रथम उच्च-प्रौद्योगिकी युक्त ''जियो-फैब्रिक'' और 'जियो-ट्यूब्स' तटबंध पहली बाढ़ भी नहीं झेल पाए और टूट गए। अब तक 300 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 2.50 लाख लोग विस्थापित अथवा प्रभावित हुए हैं। (यूएनआई न्यूज)।

इसके टूटने से ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित विरासत द्वीप का उत्तरी भाग भी खतरे में पड़ गया है।

मैं सभा का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि असम सरकार ने 13वें वित्त आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि:

* अब तक केवल अल्पावधिक उपाय किए गए हैं और वे भी आंशिक रूप से।
* गत 54 वर्ष से मध्यम आर दीर्घावधिक उपाय कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।
* राज्य के कुल 4500 किमी लंबे तटबंध में से 4176 किमी (95%) लंबे तटबंध लगभग 40 साल पुराने हैं और उनकी क्षमता और सामान्य मियाद समाप्त हो चुकी है। कम तीव्रता वाली बाढ़ में भी इन तटबंधों का टूटना सामान्य बात है।

गत तीन वर्षों के दौरान 33.47 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत किए 290 तटबंधों के टूटने का संभवत: मुख्य कारण यही है।

सूखे के बारे में, मैं इस सम्मानीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि:

* वर्तमान में, 35 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में से 18 लाख हेक्टेयर सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित है, जिससे 22 लाख कृषकों का जीवन प्रभावित हुआ है।
* विडंबना यह है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से 10% से भी कम में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार बीज और डीजल के रूप में राजसहायता प्रभावित लोगों में से केवल 10% तक पहुंचेगी और 90% लोग उस सर्वशक्तिमान की दया पर रहेंगे।

असम की स्थिति के बारे में मुझे असम सरकार के माननीय राजस्व मंत्री की टिप्पणी को उद्धृत करने की अनुमति दें:

"मुझे स्थिति का व्यक्तिगत तौर पर पता है। यह सूखा अभूतपूर्व है। इसके मात्र 10-15 दिन और चलने से ही राज्य के समृद्ध किसानों को भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन मैं सीधे तौर पर किसी की मदद नहीं कर सकता। केवल कृषि विभाग और उपायुक्त ही इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन पर मेरे विभाग को ध्यान देना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग की नौकरशाही-कूटनीति के कारण ही आज तक सीआरएफ निधि से निधियां जारी की जा सकी हैं।"

मुझे लगता है कि माननीय मंत्री की बात को गलत ढंग से रखा गया है। लेकिन यदि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य सही है तो इसे बाढ़ और सूखे से भी ज्यादा खतरनाक विपदा मानी जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान असम में बाढ़ और सूखे के परोक्ष रूप में पड़ने वाले तात्कालिक प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आवश्यक वस्तुओं की कीमत कई गुणा बढ़ गई है। इस बात की सूचना मिली है कि खाद्यान्न भंडार की अवैध जमाखोरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसी घटनाओं पर ध्यान दे और ऐसी अवैध गतिविधियों जिससे लोग गंभीर संकट में पड़ जाते हैं, पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए।

असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और इसकी गंभीरता पर विचार करते हुए मेरी पार्टी ए.यू.डी.एफ. की निम्नलिखित मांगे हैं:-

* असम में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करना।
* बाढ़ और सूखे से प्रभावित असम के लोगों के लिए तत्काल एक विशेष पैकेज की घोषणा करना।
* बाढ़ और सूखे से प्रभावित उन सभी परिवारों को एक साल तक के लिए राशन उपलब्ध कराना जैसा पात्र गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों को मिलता है क्योंकि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण पुन: फसल लगाए जाने की संभावना नहीं है और फसल लगाने का मौसम भी समाप्त हो चुका है।
* बाढ़ और सूखे से प्रभावित सभी परिवारों को ब्याज मुक्त अग्रिम ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि अगले मौसम में वे खेती कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे।
* हाल ही में मातमोरा बांध टूटने की घटना की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए क्योंकि तथाकथित विशेषज्ञों और उच्च अधिकारियों ने इस परियोजना के लिए अनुमति दे दी है और अब उच्च स्तरीय विभागीय जांच से कोई लाभ नहीं है जैसा कि असम सरकार ने आदेश दिया है।

[श्री बदरूद्दीन अजमल]

* उस आधार की समीक्षा करना जिसके आधार पर असम में आई बाढ़ को माननीय प्रधानमंत्री से बार-बार अपील किए जाने और उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी राष्ट्रीय आपदा नहीं माना गया।

* असम के उन निकटवर्ती राज्यों से वार्ता शुरू करना जहां से बांध से पानी छोड़े जाने पर बिना वर्षा के भी बाढ़ आने के कारण के रूप में पहचान की गई है।

* एक ऐसी रणनीति और मंच तैयार करना जिससे सूखे की आम धारणा और प्रबंधन के तरीके को बदलने में मदद मिले।

अंत में, मैं आपदा नियंत्रण पर हो रहे इस प्रकार की फिजूलखर्ची पर अपनी दुविधा व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आपदा नियंत्रण उपायों पर खर्च को रोक सकते हैं क्योंकि आपदा नियंत्रण पर खर्च में 10% की वृद्धि से, विशेष रूप से असम में, आपदा क्षति में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि हम असम में 10 बांधों की मरम्मत करते हैं तो हम पाते हैं कि 20 बांधों में दरारे पड़ जाती हैं। वास्तव में इस मामले में और शोध करने की आवश्यकता है।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपने देश में सूखा और बाढ़ के संबंध में हो रही बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे देश में न केवल संस्कृति और भाषा में ही विविधता पाई जाती है बल्कि यहां के जलवायु में भी भिन्नता है। यही कारण है कि हम इस सभा में बाढ़ और सूखे पर साथ-साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं बाढ़ की स्थिति पर विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस सभा में इस पर पहले ही बोल चुके हैं।

महोदय, मैं केरल राज्य का रहने वाला हूं, जो देश में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में से एक है। बाढ़ से कुल 648.32 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया गया है। मैं उस क्षति का ब्यौरा नहीं दूंगा। यह क्षति स्वास्थ्य क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में हुई है। इस महीने की 15 से 25 तारीख के बीच बाढ़ में लगभग 101 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 1,115 लोग घायल हुए हैं।

लेकिन सभा को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बार एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. ने राष्ट्रीय आपदा की सूची में भू-स्खलन को भी शामिल किया है। मेरे राज्य ने भू-स्खलन की 35 घटनाएं हुई हैं। माननीय गृह मंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया।

महोदय, मैं राहत कोष के आबंटन के लिए मानक और मानदंडों से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। महोदय, सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत कम आवंटन किया जाता है। मैं कृषि क्षेत्र के संबंध में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप केवल मुद्दों का उल्लेख करे, उदाहरण न दें। हमारे पास समय नहीं है।

श्री पी.के. बिजू: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।

फसल की क्षति के मामले में प्रति हेक्टेयर मात्र 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और बागान क्षति के मामले में प्रति हेक्टेयर मात्र 4000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह बहुत ही कम राशि है। इस प्रकार की स्थिति में किसी किसान के लिए जीवित रहना बहुत कठिन है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मछुआरो की स्थिति में नावों और जालों की मरम्मत के लिए मात्र 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। यह राशि अपर्याप्त है। मछली पकड़ने वाली एक नई नाव को खरीदने के लिए 7500 रुपये दिए जा रहे हैं जिसकी कीमत 45,000 रुपये से 65,000 रुपये है। इतनी राशि से तो आप तत्काल जरूरी लेखन सामग्री की दुकान से कुछ खरीद सकते हैं और इससे एक अच्छी नाव या जाल नहीं खरीदे जा सकते।

महोदय, एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. की सूची में एक अन्य बात का उल्लेख नहीं है। इसमें तड़ित या बज्रपात से हुई मृत्यु सम्मिलित नहीं है। इसे इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से इसे भी सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री से राहत के लिए कोष के आवंटन के नॉर्म्स को बदलने का विनम्र अनुरोध करता हूं तथा इस सहायता को केवल आपदा के आधार पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि इसे राज्य-वार संशोधित किया जाना चाहिए और वास्तविक रूप से प्रभावित व्यक्ति को समुचित रूप से दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपने भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखता हूं।

*मेरे चुनाव क्षेत्र, नेलियाम्पथी पंचायत जो केरल में एक पर्यटन स्थल है, भू-स्खलन के कारण सर्वाधिक निकटवर्ती शहर

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

से अलग-थलग हो गया था। मेरे राज्य में 916 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए और 16381 मकान आंशिक रूप से बर्बाद हो गए। पुल और सड़कें भी इस बाढ़ में प्रभावित हुई। केवल पुल और सड़कों की क्षति के संदर्भ में 8186.70 लाख रुपये की क्षति का आकलन किया गया।

कृषि क्षेत्र तथा पशुपालन क्षेत्र में हानि क्रमश: 281 करोड़ रुपये तथा 4.61 करोड़ रुपये थी। पेयजल आपूर्ति, विद्युत और स्वास्थ्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। मैं इस सभा में हर बात नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने भी वहां का दौरा किया था। महोदय, मैं प्रभावित लोगों से सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत मुआवजा देने से संबंधित मुद्दा उठा रहा हूं। सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. में राहत कोष की संशोधित राशि पर्याप्त नहीं है और इसके मानक से पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। 32/34/2007 एन.पी.एम-1, दिनांक 27 जून, 2007 में संशोधित मद तथा मानक पर्याप्त नहीं थे। मैं कृषि राहत कोष (1) के एक उदाहरण को उद्धृत करता हूं जो कृषि फसल, बागवानी फसलों और वृक्षारोपण फसलों के संबंध में है और जो क्रमश: 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बारहमासी फसलों के लिए 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर है जो पर्याप्त नहीं है और इससे देश के किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को मात्र 2000 रुपये और 2500 रुपये मिलते हैं। मछुआरों को भी क्षतिग्रस्त नावों और जालों की मरम्मत तथा उनको बदलने के लिए और खो गई नावों के लिए क्रमश: 2500 रुपये और 7000 रुपये मिलते हैं। इस राशि से कोई नाव कैसे खरीद सकता है? बाजार में नाव का मूल्य 35 से 45 लाख रुपये है और जाल की कीमत 50,000 रुपये से 75,000 रुपये है। महोदय, बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मात्र 25000 रुपये दिये जाते हैं और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मात्र 1500 रुपये दिये जाते हैं। यह क्या है? अनेक क्षेत्रों को सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. ने कवर नहीं किया है। बिजली गिरने से होने वाली मौत सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. की मदों और मानकों में सम्मिलित नहीं की गयी है। इसे भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारे देश की तटीय सीमा 77,000 किलोमीटर है जिसमें से उसका 1/7 भाग मेरे राज्य में पड़ता है। इसलिए, यहां प्रभावित लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। हजारो मछुआरे तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। इस बाढ़ में बहुत से मछुआरे जो उस समय समुद्र में गए थे, लापता बताए गए हैं। उनकी सम्पत्ति, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है और देशी नावें और मछली पकड़ने वाली नावें तथा जाल खो गए हैं। लेकिन, महोदय, इन हजारों पीड़ितों को सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के दायरे में नहीं लाया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों या पठारों या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच आपदा राहत कोष के अंतर्गत अंतर नहीं किया जाना चाहिए और इन गरीब लोगों को समान रूप से राहत दी जानी चाहिए। सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. की वर्तमान मदों और मानकों को बदला जाना चाहिए सभी पीड़ितों को सहायता देने के लिए मानक और मदों को शुरू करते हुए तथा उन्हें इसमें सम्मिलित करते हुए राहत राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।*

***डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): महोदय, उड़ीसा में बाढ़, चक्रवात आते हैं और सूखा पड़ता है। इस वर्ष इस राज्य में भयंकर बाढ़ आई। संविधान के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अनुदान का आवंटन करते समय समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछली बाढ़ के समय बिहार को 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई थी। लेकिन भयंकर बाढ़ के बावजूद मेरे राज्य को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस साल भी ऐसी ही बाढ़ आई है और अधिकांश उपजाऊ जमीन में पानी भर गया है साथ ही लगातार हो रही वर्षा ने आम लोगों की आजीविका समाप्त कर दी। वर्तमान में मेरा चुनाव क्षेत्र, जयदेव, भारी बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गया है। गरीब किसान भगवान के सहारे हैं क्योंकि सूखे की स्थिति के लिए भी पर्याप्त पोषण की जरूरत है। ऐसा हर साल होता है क्योंकि सिंचाई के कारण यहां की जमीन उपजाऊ है जहां धान की फसल तथा साग-सब्जियां काफी होती है और बांध टूट जाने के कारण यह पूरी तरह जलमग्न हो गया है तथा इस बाढ़ ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के आस-पास धान के खेतों को भी नुकसान पहुंचाया है।

क्या मैं केन्द्र सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि चिल्का एशिया की सबसे बड़ी झील है और इस झील के बिल्कुल आस-पास धान के खेत सदैव ही खारे पानी में डूबे रहते हैं। खुर्दा ब्लॉक, नारायणगढ़, सोराइगढ़, हरपदा के अंतर्गत धान के खेत सदैव ही पानी में डूबे होते हैं और गरीब किसानों के पास आजीविका अर्जन के लिए कोई उपाय नहीं होता। हरपदा होते हुए श्रद्धापुर से नारायणगढ़ तक के क्षेत्र को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन आवंटित करके स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए तथा तत्काल मजबूत बांध बनाया जाना चाहिए तथा खुर्दा के तांगी ब्लॉक को बचाया जाना चाहिए जहां मेरे चुनाव क्षेत्र में बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों की समस्या बनी हुई है। जब से उन्होंने वहां शरण ली और उन्हें स्थानीय नागरिक के रूप में मान्यता दे दी गई है और वे वहां कभी बाढ़ तो कभी पानी के अभाव से जुड़ी समस्याएं झेल रहे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

हैं। लगभग हजार एकड़ भूमि में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। वहां न तो कोई वनस्पति होती है न ही कोई फसल होती है। जो मछुआरे चिल्का झील पर निर्भर थे उनके परिवार भूखे मर रहे हैं और वे सदैव ही अपनी शिकायतें सरकार से करते आए है तथा भूषणपुर, बालीपपतुर, सुंदरपुर से तांगी तक भी भूमि बाढ़ के पानी तथा चिल्का झील के खारे पानी से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा धन आवंटित कर हजारो एकड़ परती भूमि को बचाना चाहिए ताकि बरसात में बाढ़ का पानी और नुकसान न पहुंचाए तथा अन्य मौसम में भी भूमि का समुचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ग्रीष्मकाल और अन्य मौसम में सूखे से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और लोगों को पानी तक नहीं मिल पाता और बाढ़ समाप्त होने के बाद हजारों एकड़ भूमि में बालू फैल जाता है। इससे बचने के लिए, सरकार को एक बड़ा पत्थर का बांध बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे चिल्का झील का पानी इसमें प्रवेश न करें तथा और बांध बनाया जाना चाहिए। राज्य में एक विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो भी आवंटन किया गया था वह पूरी तरह बेकार हो गया है और चिल्का झील के बालू में विलीन हो गया है। इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन कार्यों को उचित ढंग से तत्काल करे। यह आज की बात नहीं है, यह स्वतंत्रता के समय से ही होता आ रहा है, और मैं बोलागढ़ और बेगुनिया विधान सभा क्षेत्र के लिए और धन आवंटित करने का अनुरोध करता रहा हूं क्योंकि ये क्षेत्र सदैव सूखे से प्रभावित रहते हैं। मैं केन्द्र सरकार से वहां एक केन्द्रीय दल तैनात करने के लिए उसका ध्यान आकर्षित करता हूं जो तत्काल सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने-अपने क्षेत्रों में सूखे और कृषि क्षेत्र की विशेष रूप से समग्र स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है।

मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिति के बारे में सूचित करना चाहूंगा क्योंकि मानसून के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। सर्वप्रथम, दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2009 सामान्य तारीख से एक सप्ताह पूर्व 23 मई 2009 को केरल में आया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कई भागों में जून के पहले सप्ताह तक यह मानसून आया।

परंतु उसके बाद मानसून धीरे-धीरे कम होता गया जिसके कारण एक और तीन सप्ताह के बीच का विलंब हुआ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ था। इस देश में 10 जून की स्थिति के अनुसार वर्षा में -39 प्रतिशत की कमी दिनांक 24 जून 2009 को घटकर -54 प्रतिशत हो गई थी। पूर्वोत्तर और पश्चिम क्षेत्र में अधिकांश राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ राज्यों में दिनांक 24 जून की स्थिति के अनुसार छिटपुट वर्षा हुई। स्थिति बदल रही है और ये बदलाव बेहतरी के लिए ही होंगे। मध्य भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर राज्यों में दिनांक 24 जून के बाद स्थिति में सुधार हुआ। देश में वर्षा की पूरी स्थिति में सुधार हुआ और वर्षा की स्थिति दिनांक 24 जून, 2009 को 54 प्रतिशत दिनांक 1 जुलाई 2009 को-46 प्रतिशत रही। जुलाई के महीने में दक्षिणी प्रायद्वीप, मध्य भारत, गंगा क्षेत्र के पश्चिम बंगाल और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होती रही तथा इस स्थिति में और सुधार हुआ तथा यह दिनांक 8 जुलाई 2009 को-36 से दिनांक 15 जुलाई को-27 हो गई। दिनांक 22 जुलाई की स्थिति के अनुसार देश में वर्षा कुल मिलाकर-19 प्रतिशत थी। अतः, यह वास्तव में -65 से -19 हो गई है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जलाशयों की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। यह सच है कि आरंभिक चरण में जलाशयों की स्थिति काफी गंभीर थी। 81 प्रमुख जलाशयों की क्षमता दिनांक 4 जून 2009 को 12 प्रतिशत से घटकर 2 जुलाई, 2009 को समाप्त सप्ताह में 9 प्रतिशत रह गई। परंतु, इसके बाद 23 जुलाई, 2009 को यह बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। कुछ राज्यों ने पहल की है। उन्होंने स्थिति का आकलन किया है; उन्होंने जिला कलेक्टरों और अन्यों से सूचना एकत्रित की है तथा उन्होंने सूखे की घोषणा करने हेतु निर्णय लिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को किन्हीं राज्य विशेष में सूखे की घोषणा करने हेतु निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए। वास्तव में, राज्य में प्रत्येक खंड में स्थिति का आकलन करना तथा निर्णय पर पहुंचना राज्य सरकार की परंपरा और उत्तरदायित्व है। यदि वे सोचते हैं कि ऐसी स्थिति है कि उन्हें सूखे की घोषणा करनी चाहिए तो वे ऐसा करें और वे घोषणा के साथ राज्य तंत्र विशेषकर जिला तंत्र और खंड-स्तरीय तंत्र को अनुदेश दें। मणिपुर, झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूखे और सूखे जैसी स्थिति की घोषणा की है। मणिपुर में, मणिपुर के सभी नौ जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। झारखंड में, झारखंड सरकार ने चार जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया है। असम में, सभी 27 जिलों में सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 47 जिलों में सरकार ने सूखे की स्थिति की घोषणा की है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): बिहार में?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: उन्होंने अब तक घोषणा नहीं की है। उन्होंने एक दल भेजने हेतु हमें पत्र लिखा है।

[हिन्दी]

उन्होंने इसके साथ-साथ कुछ डिमांड की है, मगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। मैं उस पर भी आऊंगा। इन चार राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य ने सूखा घोषित करने का डिसीजन अभी तक नहीं लिया है लेकिन भारत सरकार को उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं।

[अनुवाद]

मैंने विभिन्न राज्यों में यह सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया कि खरीफ की फसल उगाने के संबंध में राज्यवार स्थिति क्या है।

[हिन्दी]

हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने देश में बड़े पैमाने पर खरीफ का उत्पादन होता है। इसके बाद रबी में भी होगा। इसके अलावा जहां पर फंड की स्थिति अच्छी है, वहां समर क्राप भी इस देश में लेते हैं। तीनों फसलों में यदि स्थिति खराब होती है तभी पूरे देश में सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है। आज हम खरीफ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सभी राज्य सरकारों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एग्रीकल्चर कमिश्नर से एनफोर्मेशन प्राप्त हुई है, उन्होंने जो भेजी है, उसके आधार पर मैं यह स्टेटमेंट दे रहा हूं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश ने गत वर्ष 13.34 लाख हेक्टेयर की तुलना में 13.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल खरीफ फसल की बुआई की रिपोर्ट दी है। व्यावहारिक रूप से आंकड़े एक समान हैं। यह राज्य में बुआई के मामले में सामान्य प्रगति को दर्शाता है।

जहां तक बिहार का संबंध है तो बिहार में सामान्य खरीफ की फसल 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है, चालू खरीफ मौसम में गत वर्ष में इसी दिन तक 23.95 लाख हैक्टेयर की तुलना में 11.89 लाख हेक्टेयर में पूरी हुई है। यह दर्शाता है कि प्रमुख कमी मुख्यत: चावल के मामले में है, यह गत वर्ष की तुलना में 11.26 लाख हेक्टेयर से कम क्षेत्र है।

जहां तक छत्तीसगढ़ का संबंध है तो गत वर्ष के 32.5 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 26.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। यहां भी, कवरेज का थोड़ा कम क्षेत्र है अर्थात् 5.46 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र है, ऐसा पुन: चावल के मामले में हुआ है।

गुजरात राज्य में 63.55 लाख हेक्टेयर की तुलना में 70.28 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र सम्मिलित करने की रिपोर्ट दी है।

[हिन्दी]

वहां स्थिति अच्छी है।

[अनुवाद]

हरियाणा राज्य ने गत वर्ष की 24089 लाख हेक्टेयर की तुलना में 22.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करने की रिपोर्ट दी है। इसका अर्थ है कि

[हिन्दी]

2 लाख 60 हजार तीसरे साल से कम है।

[अनुवाद]

जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है तो पिछले वर्ष के 3.93 लाख हेक्टेयर के आंकड़ों की तुलना में हिमाचल प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई 3.77 लाख हेक्टेयर है।

[हिन्दी]

सिर्फ 15-20 हजार का फर्क है।

[अनुवाद]

जहां तक झारखंड का संबंध है तो कुल खरीफ फसल क्षेत्र 19 लाख हेक्टेयर है; गत वर्ष इसी दिन के 10 लाख हेक्टेयर के आंकड़ों की तुलना में अब तक 4.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया है।

[हिन्दी]

यानी 6 लाख इस तारीख तक वहां धान की प्लांटिंग कम हुआ है।

[अनुवाद]

कर्नाटक राज्य ने गत वर्ष 28.26 लाख हेक्टेयर के आंकड़ों की तुलना में 43.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की रिपोर्ट दी है। बुआई क्षेत्र 28 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 43 लाख हेक्टेयर है।

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

वहां सुधार है और बारिश की स्थिति भी अच्छी थी।

[अनुवाद]

केरल और पुडुचेरी राज्यों ने खरीफ मौसम के दौरान क्षेत्र को सम्मिलित करने की सामान्य रिपोर्ट दी है। महाराष्ट्र राज्य ने गत वर्ष के 83.69 लाख हेक्टेयर के आंकड़ों की तुलना में 99.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने की रिपोर्ट दी है।

[हिन्दी]

यहां भी सुधार है।

[अनुवाद]

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है तो मध्य प्रदेश में सभी फसलों के मामले में सामान्य बुआई की रिपोर्ट दी गई है। इस वर्ष, सभी फसलों के मामले में क्षेत्र कवरेज गत वर्ष के 86.86 लाख हेक्टेयर के आंकड़ों की तुलना में 91 लाख हेक्टेयर है।

मध्य प्रदेश का कुल खरीफ क्षेत्र 1.2 लाख हेक्टेयर है। चावल, तूर, अरहर, उड़ग, मूंग और सोयाबीन के मामले में अधिक क्षेत्र को सम्मिलित करने की रिपोर्ट है। आशा है कि आकस्मिकता योजना के बिना पूरे क्षेत्र में रोपण किया जाएगा। अब तक, खरीफ फसल का 89 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ फसल बोई जा चुकी है।

उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में सभी फसलों की बुआई ठीक चल रही है। लगभग 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा किया जा चुका है जो कि गत वर्ष के 33.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के कवरेज से तुलनीय है। गत वर्ष की तुलना में 3.87 लाख हेक्टेयर का अंतर है।

पंजाब में इस वर्ष कुल फसल बुआई पिछले वर्ष के 34.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज की तुलना में 33.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है वह लगभग सामान्य है।

राजस्थान ने गत वर्ष के 108 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र कवरेज की तुलना में 90.15 लाख हेक्टेयर के खरीफ क्षेत्र कवरेज की रिपोर्ट दी है। अत: लगभग 18 लाख हेक्टेयर का अंतर है। राजस्थान इस वर्ष बाजरे की बुआई के मामले में पीछे है। दालों के अंतर्गत भी थोड़े कम क्षेत्र की रिपोर्ट है। राज्य में कुछ खरीफ क्षेत्र 139 लाख हेक्टेयर है। कल की स्थिति के अनुसार खरीफ फसल के 64 प्रतिशत क्षेत्र में पहले ही बुआई की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में खरीफ के अंतर्गत कुल क्षेत्र लगभग 92 लाख हेक्टेयर है। 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई की जा चुकी है। गत वर्ष की तुलना में यह इस दिन 80 लाख हेक्टेयर था। अत:, उत्तर प्रदेश में काफी कमी आई है। बाजरे को छोड़कर गत वर्ष की तुलना में सभी फसलों के मामले में कुछ कवरेज क्षेत्र कम है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक क्षेत्र की रिपोर्ट दी गई है। चावल की क्षेत्र कवरेज गत वर्ष के 55.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज की तुलना में इस वर्ष क्षेत्र कवरेज 29.80 लाख हेक्टेयर है। यहां काफी गिरावट है।

उत्तराखंड में खरीफ फसल क्षेत्र 5.6 लाख हेक्टेयर है और बुआई 4.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। यदि आप इसकी तुलना गत वर्ष से करें तो गत वर्ष इसी दिन यह 2.86 लाख हेक्टेयर थी। जो कि व्यवहारिक रूप से इस वर्ष से दो गुनी है।

पश्चिम बंगाल में चालू मौसम में कुल क्षेत्र कवरेज गत वर्ष के 30.66 लाख हेक्टेयर की क्षेत्र कवरेज की तुलना में 16.4 लाख हेक्टेयर है। यहां भी लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट है।

तमिलनाडु में कुल क्षेत्र कवरेज 4.77 लाख हेक्टेयर है जो कि गत वर्ष की क्षेत्र कवरेज 4.17 लाख हेक्टेयर की तुलना में बहुत अच्छी है। अत: गत वर्ष की तुलना में तमिलनाडु अधिक क्षेत्र कवरेज की रिपोर्ट है।

पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में असम में गत वर्ष के 10.1 लाख हेक्टेयर की कुल क्षेत्र कवरेज की तुलना में कुल 9.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई जो कि असम में सामान्य बुआई को दर्शाता है।

अब मैं अन्य राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में आंकड़े देता हूं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में बुआई सामान्य रही है। तथापि, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में सरकार ने खरीफ फसल के अंतर्गत कम क्षेत्र कवरेज की रिपोर्ट दी है।

जहां तक संपूर्ण प्रभाव की बात है तो मुख्य खरीफ फसल धान की है। खरीफ में मुख्यत: हम धान लेते हैं। अत:, धान के बारे में यह 216.49 लाख हेक्टेयर था और इसी दिन इसी वर्ष यह 155.67 लाख हेक्टेयर था। इसका अर्थ है कि इस वर्ष 60.82 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।

[हिन्दी]

60 लाख हैक्टेयर धान की फसल.......

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): 60 लाख हैक्टेयर बहुत ज्यादा है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, 60 लाख हैक्टेयर कम है। आज तक की सबसे सीरियस सिचुएशन यही है। जहां तक ज्वार की फसल का संबंध है, ज्वार पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 लाख 10 हजार हैक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में है। बाजरा पिछले साल 56 लाख हैक्टेयर में बोया गया था और इस साल 52 लाख हैक्टेयर में बोया गया है। मक्का पिछले साल 53 लाख हैक्टेयर में बोई गई थी। इस साल 55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोई गई है। टोटल कोर सीरियल पिछले साल 139 लाख हैक्टेयर में बोए गए थे। इस साल 136 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोए गए हैं। कॉटन पिछली साल 72 लाख हैक्टेयर और इस वर्ष 82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में है। पिछले वर्ष से इस वर्ष 10 लाख हैक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में बोई गई है। शुगर केन लास्ट ईयर 43.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था। इस साल 42.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। इस साल 1 लाख 29 हजार हैक्टेयर कम क्षेत्र में बोया गया है। जूट का जहां तक संबंध है, वह लास्ट ईयर 7.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोया गया और इस साल 6.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है, यानी 0.17 लाख हैक्टेयर कम क्षेत्र में बोया गया है। अभी तक देश की ओवर आल स्थिति देखने के बाद यह बात सामने आती है कि धान की फसल पर बुरा असर हुआ है। इस बारे में देखना होगा कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं।

महोदय, सदन के सामने बात लाई गई कि अल्टीमेटली इस वर्ष देश में अनाज की क्या स्थिति रहेगी। मैंने इससे पहले भी सदन में कहा था कि इस साल अभी तक के पिछले सालों के मुकाबले हम लोग सबसे ज्यादा प्रक्योरमेंट करने में कामयाब हुए हैं। इस साल गेहूं का, कल तक जो प्रक्योरमेंट किया गया, वह 252 लाख टन हुआ है। आजादी के बाद से आज तक पहली बार हम देश में इतना गेहूं प्रक्योर करने में कामयाब हुए हैं। अभी तक इतना प्रक्योरमेंट देश में नहीं हुआ था। यह पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों का इसमें योगदान ज्यादा है। जहां तक देश की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार यदि देखें तो हमारे पास 13 महीने आगे तक का स्टॉक भंडारों में उपलब्ध है।

महोदय, जहां तक चावल का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि इस साल का जो धान का प्रक्योरमेंट कल तक हुआ है, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस वर्ष 319 लाख टन धान का प्रक्योरमेंट हुआ है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो देश की 13 महीने आगे की जितनी जरूरत है, उसके मुताबिक हमारे पास भंडारों में चावल भरा है। इसलिए चावल और गेहूं के बारे में हम बिलकुल निश्चिन्त हैं और हमारा टोटल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। मगर इस वर्ष 60 लाख हैक्टेयर कम क्षेत्र में धान की फसल बोई गई है, इसका असर कुछ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि देश में जो बाकी धान की फसल ली गई है, समझो पंजाब या बिहार जैसे राज्यों में जहां पानी की कमी रही, उसके कारण इसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। क्षेत्र वाइज थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हर बार एक क्षेत्र में जो प्रति एकड़ या प्रति हैक्टेयर में जितनी पैदावार होती है, इस साल इसमें कमी आने की सम्भावना है। आज की स्थिति देखने के बाद यह बात कही जा सकती है।

महोदय, जहां तक मानसून का संबंध है, आई.एम.डी. ने हमें मानसून के बारे में जो टोटल ब्रीफिंग की थी, उसके मुताबिक साफ बताया गया था कि जुलाई महीने में 83 परसेंट मानसून आएगा, जिसमें 9 परसेंट की कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है, यानी कम आएगा, इसकी सूचना हमें दी गई थी। मगर अगस्त महीने के बारे में आई.एम.डी. ने जो अभी तक हमें अनुमान बताया है, उसके अनुसार हर साल जितना मानसून अगस्त महीने में आता है उससे 101 परसेंट अच्छा मानसून आएगा। इसमें प्लस और माइनस 4 परसेंट है। इस प्रकार की सलाह हमें दी गई है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मंत्री जी, जिनकी फसल चली गई, उनके लिए मानसून का कोई मतलब थोड़े ही है। उन्होंने जो फसल लगाई है और सूख गई है, उसमें इसका कोई मतलब नहीं है। लोग भूखों मरेंगे, आपके गोदाम में कितना अनाज है, इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं है। आज लोगों के सामने भूखों मरने की स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: एक बार अपने स्टाक की पोजीशन अच्छी होने के बाद एक जो समस्या है, यह थोड़ी बहुत कम करने के लिए यह स्टाक मदद करेगा। मगर मैं यह कहना चाहता था कि अगस्त महीने में अच्छी तरह से बारिश आएगी, यह जो सलाह मिली है ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: पहले भी शॉर्ट बताया और सब फेल हुआ। आप उस पर आश्रित मत रहिये।

श्री शरद पवार: उनका एक फेल हुआ, लेकिन चार में बाकी तीन बराबर आये। एक फेल हो गया, यह बात सच है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: वे जो बोलते हैं, समझिये कि उसका उल्टा होगा। अच्छा है कि अगस्त महीने में बारिश होगी तो रबी की फसल अच्छी होगी। अगली फसल अच्छी होगी, खरीफ की फसल तो चली गई। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: पूरी चली गई, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने जो आपके सामने फीगर्स दिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात् में स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों की अनुमति दूंगा। कृपया अब हस्तक्षेप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवारः मैंने जो फीगर्स आपके सामने, देश के सामने रखे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बाद में पूछिए।

[अनुवाद]

कृपया अपनी सीट पर बैठिए। इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः गोरखपुर के पूरब और पश्चिम के दोनों जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को घोषित ही नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपको समय दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछने के अपने अवसर में विलंब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया अब हस्तक्षेप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवारः मैंने शुरू में ही सदन के सामने यह बात कही कि सूखा घोषित करने का अधिकार और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वहां की लोकल स्थिति देखने के बाद राज्य सरकार इस नतीजे पर आती है कि कौन से ब्लाक या कौन से जिले में वहां सूखा एनाउंस करना है। उत्तर प्रदेश की बात जो यहां कही गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में जो एनाउंसमेंट की है, वह हमें इन्फोर्म की है, इसमें जिस जिले का यहां जिक्र किया गया, इस जिले का नाम इसमें नहीं है। आप जो कहते हैं, वह सच है। जो लिस्ट हमारे पास आई है, इसमें आपने जो कहा, गोरखपुर जिले का नाम नहीं है। यह डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां की स्थिति देखने के बाद इस तरह का संदेश हमें भेजा है। आप जो हमें कहते हैं, मैं जरूर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखूंगा कि ऐसी-ऐसी शिकायत हमारे पास इस जिले के बारे में सांसद के माध्यम से आई है, इस पर आप ध्यान दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः उसमें इनका नाम जरूर मेंशन करिये। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवारः इसमें कुछ कदम उठाने की आश्यकता थी। मैंने कहा कि हमने हर स्टेट के लिए कंटिंजेंसी प्लान बनाये थे। कंटिंजेंसी प्लान बनाने के बाद राज्य सरकार के साथ हम लोगों ने 25 जून को जो मीटिंग ली थी, उनको उसमें सलाह दी गई थी कि कंटिंजेंसी प्लान किस तरह से करना है और कंटिंजेंसी प्लान करने के साथ-साथ जैसे कल परिस्थिति अगर खराब हो जायेगी तो जिसकी खास तौर से आवश्यकता पड़ेगी, हमें दूसरी बार सोइंग करनी पड़ेगी तो ज्यादा सीड की आवश्यकता थी और इसलिए 15 लाख क्विंटल सीड पब्लिक सैक्टर के माध्यम से ऑल्टरनेटिव क्रॉप लेने के लिए एवेलेबल कराये गये। राज्य सरकार को यह बताया गया कि इतना-इतना सीड इनके लिए हमने नोर्मल सीड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद स्पेयर, इतना ज्यादा रखा है। समस्या कुछ राज्यों के सामने आ गई कि इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से हर राज्य को पैसा दिया गया था। इसमें फ्लैक्सीबिलिटी रखी गई। राज्य सरकार को अगर ज्यादा सीड की आवश्यकता हो तो इसके लिए पैसा जो उनको आबंटित किया है, इसमें से वे ले सकते हैं और यह जो नेशनल सीड कारपोरेशन और बाकी संगठन हैं, वहां दे सकते हैं। यह बात उनको इन्फोर्म की गई है और इसलिए यह समस्या नहीं आई। यह बात सच है कि यहां उत्तर प्रदेश के सदस्य ने सीड के बारे में केन्द्र सरकार को एक शिकायत की है।

उन्होंने शिकायत की कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो डिमांड थी, वह पूरी नहीं की गयी। इस तरह की उनकी शिकायत आयी

थी। ...*(व्यवधान)* यह बात सच है। यह बात दारा सिंह जी ने कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की डिमांड केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब देश में कहीं भी ऐसी समस्या आती है, तब हमारे मन में कभी यह बात नहीं आएगी कि वहां किसकी हुकूमत है। इस देश के किसान और इस देश के हिस्से की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि आज नहीं, पिछले पांच-छः साल का मेरा अनुभव है कि जब-जब स्टेट्स से, जिन राज्यों में यूपीए को छोड़कर दूसरी सरकार की हुकूमत है, उसकी समस्या आयी, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने हम लोगों को सलाह दी थी कि हमको पूरे देश को मद्देनजर रखते हुए अपना काम करना चाहिए और इसी रास्ते से आपको जाना चाहिए। वहां किसकी हुकूमत है, इस पर नहीं जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना): पिछले साल से लगातार यही हो रहा है, बात आयी, लेकिन एक पैसा भी मध्य प्रदेश को नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: डिमांड बराबर नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन वर्मा (देवास): जो धन दिया, वह खर्च नहीं कर पाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। आपको उनका भाषण समाप्त होने के बाद अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: उत्तर प्रदेश की यहां बात कही गयी है। मैंने उत्तर प्रदेश का सारा करेस्पोडेंस देखा। उत्तर प्रदेश के पास सीड की स्थिति कम हो, ऐसी बात नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वास्तव में भारत सरकार ने सभी राज्यों की तुलना में खरीफ 2009 की बीज की स्थिति का जायजा लिया था। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्ण बीज उपलब्धता के बारे में बताया गया था। उत्तर प्रदेश ने 8,45,100 क्विंटल बीजों की अपनी आवश्यकता के स्थान पर 9,42,146 क्विंटल बीज की पूर्ण उपलब्धता बताई।

इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के पास 97046 क्विंटल बीज फालतू पड़ा है। उन्होंने फसल-वार स्थिति के बारे में भी सूचना दी है। मक्का और ज्वार में क्रमशः 651 क्विंटल और 435 क्विंटल की थोड़ी गिरावट आई है। तिल में गिरावट 201 क्विंटल थी।

वास्तव में, हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने मांगपत्र देने चाहिए। उन्होंने अपनी मांग नहीं बताई है। वास्तव में उनके साथ इस विशेष विषय पर चर्चा की गई थी, परंतु उस समय, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम के सामने कोई मांग नहीं रखी थी।

[हिन्दी]

उन्होंने बाद में हमें एक खत लिखा। यह बात सच है। उस खत में उन्होंने लिखा कि हमें टुथफुल सीड चाहिए। सीड के दो प्रकार होते हैं। एक सर्टिफाइड सीड होता है, जिसके बारे में एक सर्टीफिकेशन होता है कि यह बिल्कुल ठीक या सही सीड है और टुथफुल सीड वह होता है, जिसमें कुछ व्यापारी या सीड बनाने वाले लोग, जो सर्टीफिकेट नहीं लेते हैं, इसमें लगाते हैं कि यह टुथफुल है, लेकिन इसको भारत सरकार इनकरेज नहीं करती है और कई राज्य सरकारें भी इनकरेज नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें रिक्वैस्ट की गयी कि हमें टुथफुल सीड खरीदने की इजाजत दीजिए। हम इसके पक्ष में नहीं थे। हम कहते थे कि आप सर्टीफाइड सीड खरीदिए। इसलिए उन्होंने शिकायत की कि भारत सरकार हमें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं किसी के खिलाफ कोई एलीगेशन नहीं करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम किशुन (चन्दौली): उन्होंने एक चीज और कही थी। हम केन्द्र सरकार से बिजली मांगते हैं। आप इसके बारे में बता दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम किशुन: ...*(व्यवधान)* लेकिन आपने कहा कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, इसे आप अपने उत्तर में स्पष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो मंत्री जी कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः आप जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवारः उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रूथफुल सीड्स की डिमांड की। अल्टीमेटली हम ट्रूथफुल सीड्स को सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं थे, नहीं हैं। मगर उत्तर प्रदेश ने यह डिमांड की, इसलिए ट्रूथफुल सीड्स खरीदने के लिए हमने उनको इजाजत दी कि आप चाहते हैं, तो यह लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना इस तरह बोलते जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं सभा के दोनों ओर के माननीय सदस्यों को यह बात कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया इस तरह मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप चुप क्यों नहीं रहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवारः मैं इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों और सरकार को आश्वास्त करना चाहता हूं कि उनकी लेजिटिमेटिव जितनी डिमांड्स हैं, क्योंकि मुझे वहां की स्थिति ठीक नहीं दिख रही, इसलिए जो लेजिटिमेटिव डिमांड्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा योगदान, सहयोग उनके पाले में रहेगा। इनफैक्ट सदन में जब इससे पहले यह बात आयी, तो मैंने कहा कि अभी तक मेरे पास उत्तर प्रदेश से कोई सुझाव नहीं आया है। मैं अपेक्षा करता था कि कोई लिखेगा।

[अनुवाद]

वास्तव में, मैंने यह विशेष वक्तव्य इस महीने की 24 तारीख को दिया गया और उसी दिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था।

[हिन्दी]

कि ऐसी-ऐसी स्थिति सदन के सामने हमारे कई सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के बारे में बताई है। इसमें हमें और कुछ करने की आवश्यकता है, तो आप हमें इसकी रिपोर्ट दीजिए। अभी तक मेरे पास कोई ऐक्नॉलेजमेंट नहीं आई है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इसकी पावती तक उनके पास नहीं आई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवारः मगर मैंने एक बात देखी कि मेरी स्टेटमेंट के बाद वहां के चीफ सैक्रेट्री ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा:

[अनुवाद]

"वह शरद पवार के वक्तव्य को कोरा झूठ करार दे रहे हैं।" ...*(व्यवधान)* मुख्य सचिव ऐसा कह रहे हैं कि: "यह कोरा झूठ है, नामत: केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा सभा में दिया गया वक्तव्य कोरा झूठ है।" ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: यह बड़ी शर्मनाक बात है। यह विशेषाधिकार का मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: उन्होंने यह भी कहा है कि: ''केन्द्र ट्रूथफुल सीड (सही किस्म के बीज) के आयात की अनुमति देने हेतु राज्य की मांग पर विचार करने में टालमटोल कर रहा है...'' वास्तव में, मुख्य सचिव ने कहा है कि हम टाल मटोल कर रहे थे और हमने उन्हें ट्रूथपुल सीड (सही किस्म का बीज) आयात करने की अनुमति नहीं दी है। मैं यही समझ सकता कि देश में प्रभावित बीज कब उपलब्ध होते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपको उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): महोदय, यह विशेषाधिकार का मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: मैं उस स्तर तक नहीं जाना चाहता। परंतु मैं सिर्फ यह बात इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी तरफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि किसी सरकार के की ओर से कोई समस्या नहीं थी। अब भी, हम सहायता करेंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में स्थिति जानते हैं कि गंभीर स्थिति है और हमें इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

यहां एक सवाल उठाया गया कि आज जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ड्राउट में मदद करने के लिए बहुत ज्यादा समय लेने वाली है। मैं एक बात सदन को कहना चाहता हूं कि जहां-जहां प्रदेश सरकारनों ने ड्राउट एनाउंस किया, उन्होंने हमें अभी तक मेमोरेंडम नहीं दिया है। एक मेमोरेंडम देने का सिस्टम होता है कि जब वहां टीम भेजनी हो, तो वहां टीम को जाकर क्या करना चाहिए, उन्हें कौन से जिले में जाना चाहिए, कौन से ब्लाक में जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए आदि? इसके लिए राज्य सरकार हमेशा एक मेमोरेंडम भेजती है। अभी मेरे हाथ में एक मेमोरेंडम है।

[अनुवाद]

यह ज्ञापन है जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा भेजा गया है। यह भारत सरकार को भेजा गया सूखे से संबंधित ज्ञापन है जिसमें कर्नाटक में सूखा राहत उपायों हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी गई है। उन्होंने विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है और उसे हमें भेजा है। यही पद्धति है और सभी राज्य सरकारें भी इसे भेज रही हैं।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

अभी तक मेरे पास बाकी राज्य सरकारों जिन्होंने सूखा एनाउंस किया है, उन्होंने मेमोरेंडम भेजा नहीं है, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेमोरेंडम जिस दिन आएगा, इस हफ्ते में हम टीम कांस्टीट्यूट करके भेजेंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करेगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद यहां उस पर अंतिम डिसीजन लेने की जो प्रोशेस है, उसके माध्यम से हम डिसीजन लेकर, जहां मदद करने की आवश्यकता है, वहां मदद करेंगे।

श्री लालू प्रसाद: मंत्री जी, बिहार से तो मेमोरेंडम आया है, उसकी चर्चा आपने नहीं की है, आप सिर्फ यूपी की ही चर्चा करते रह गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: आज तक, जैसा कि मैंने कहा, मुझे किसी राज्य से एक भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मुझे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से एक पत्र मिला है।

[हिन्दी]

बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब के लेटर में उन्होंने दो-तीन बातें कही हैं। एक, हम यहां पर पैडी की फसल को बचाने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी दी है। अभी तक इस पर उन्होंने कोई 29 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और शायद यह एमाउण्ट 230 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि इसमें भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। उन्होंने दूसरी बात यह लिखी है कि ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कुछ मदद करने की आवश्यकता है। इस तरह से दो-तीन आइटम उन्होंने लिखे हैं।

[अनुवाद]

यह नियमित ज्ञापन नहीं है।

[हिन्दी]

उन्होंने यह भी लिखा है कि आप टीम भेजिए। उनके पास से डिटेल्स आने के बाद जैसा मैंने पहले कहा है, मैं बिहार में भी टीम भेजूंगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद वहां के लिए जो कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी, वह कदम जल्दी से जल्दी लिया जाएगा। लेकिन तब तक आज की परिस्थिति का सामना करने के लिए हर राज्य को सीआरएफ से पैसे दिए गए हैं। इसकी

[श्री शरद पवार]

फर्स्ट इंस्टालमेंट दी गयी है। इनमें चार राज्य ऐसे थे जिनको पिछले साल सीआरएफ से पैसे दिए गए थे, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक एकाउण्ट्स नहीं दिए हैं। यहां पर प्रैक्टिस यह है कि जब तक पिछले साल के एकाउण्ट्स नहीं आते हैं, तब तक नई इंस्टालमेंट नहीं देते हैं। मगर वहां की आज की परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने, फाइनंस मिनिस्ट्री ने, जिन राज्यों का इंस्टालमेंट रहा था

[अनुवाद]

जिन्होंने कुछ विस्तृत सूचना न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

इनफार्मेशन नहीं मिली तो वह इनफार्मेशन कलेक्ट करेंगे और अभी उनके लिए पैसा रिलीज करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। असम के लिए 81 करोड़ रुपए, बिहार के लिए 62 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 2.34 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 124.77 करोड़ रुपए, कुल 271 करोड़ रुपए पहली इंस्टालमेंट के रूप में आज देने का बंदोबस्त किया गया है। उनको आज की परिस्थिति का सामना करने में अगर कुछ राशि की कमी महसूस होगी, तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एनसीसीएफ से जो मदद उनको चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव देने का उनको अधिकार है। इस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जो डिजीज की बात कही गयी थी, हमने इस बारे में थोड़ा संशोधन किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और भी कोई भी राज्य हो, उसकी तरफ से भी यह डिमांड आएगी, तो कम से कम फसल बचाने के लिए अगर राज्य सरकार कुछ कोशिश करती है तो हमने तय किया है कि राज्य सरकार ने 15 रुपए प्रति लीटर डीजल पर जो सब्सिडी दी है, उसका 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार पे करेगी। इस काम के लिए, इन चार-पांच राज्यों के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि लगेगी, वह राशि देने की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी और राज्य सरकार उसकी फसल बचाने की कोशिश में सहयोग देगा।

श्री शरद यादव: डीजल की तो बात ठीक है, लेकिन जो बिजली का मामला है, उसमें भी कोई सब्सिडी वगैरह देने का उपाय खोजना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: ऊर्जा के संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी सभा में कहा है, केन्द्रीय ग्रिड से 100 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा पंजाब और हरियाणा को आवंटित की गई है। परसों जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मुझे निवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

[हिन्दी]

इसमें उन्होंने भी बिजली की मांग की है। साथ-साथ उत्तर प्रदेश से भी बिजली की मांग आई है। इन दोनों राज्यों की जो मांग है, वह मैंने पावर मिनिस्टरी के पास भेज दी है। विद्युत मंत्री शिंदे जी इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राज्यों की बिजली कम करके, कैसे उन्हें दें, इस पर भी विचार हो रहा है। इन दोनों राज्यों की डिमांड पूरी करने के लिए हमारा सहयोग रहेगा।

श्री शरद यादव: पंजाब और हरियाणा में तो आपने इंतजाम कर दिया, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं किया।

श्री शरद पवार: पंजाब और हरियाणा की रिक्वेस्ट दस दिन पहले आई थी, वह पूरी कर दी है। बाकी इन दोनों राज्यों की रिक्वेस्ट तीन दिन पहले आई है, हम यहां भी सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे।

श्री गणेश सिंह: जिन राज्यों की पहले से ही बिजली काट ली है, उनका क्या होगा? मध्य प्रदेश की 350 मेगावाट बिजली काट ली गई है। ...*(व्यवधान)* मेरे पास रिकार्ड है कि वर्ष 2006-2007 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश को एनसीसीएफ से एक पैसा भी नहीं मिला।

श्री शरद पवार: एक सुझाव दिया गया था राजीव रंजन जी की तरफ से कि हमें देश में जल प्रबंधन के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यह बात सच है। इस पर ज्यादा ध्यान तो देना ही होगा। लेकिन एक बात जनरली कही गई कि देश में पानी बहुत है, यह बात सच नहीं है। इस देश में

[अनुवाद]

विश्व के उपलब्ध जल का 4.2 प्रतिशत उपलब्ध है। विश्व की भूमि का 2.3 प्रतिशत भारत में है; और विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में है। इसलिए विश्व जल के 4.2 प्रतिशत सीमित संसाधनों और विश्व की 2.3 प्रतिशत भूमि के साथ हमें विश्व जनसंख्या के 17 प्रतिशत लोगों के हितों की रक्षा करनी होती है। यह इतना आसान नहीं है। इसीलिए, मैं पूर्णत: सहमत हूं कि हमें जल संचयन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देना होगा। वस्तुत: भारत सरकार ने हाल ही में कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। अब नरेगा का ही मामला लीजिए। इस वर्ष नरेगा हेतु 39,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वस्तुत: नरेगा के अंतर्गत जल संचयन कार्यक्रम, वाटरशेड कार्यक्रम, छोटी, लघु, सिंचाई टैंकों और अंत: स्रवण टैंकों को महत्व दिया गया है। नरेगा के अंतर्गत नि:संदेह

इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं और इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है। यदि हमें जल का संचयन और अनुरक्षण ध्यानपूर्वक करना है, तो इसके कई अन्य पहलू भी है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा एआईबीपी सिंचाई परियोजनाओं इत्यादि के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। एआईबीपी को प्रारंभ करने के पीछे यही सोच है कि हम प्रत्येक राज्य की प्रत्येक परियोजना को सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

[हिन्दी]

मगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ी मदद करने के बाद जल्दी पूरा हो सकते हैं, वहां खेती के लिए पानी अवेलेबल हो सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में मदद करने के लिए एआईबीपी में दिया है और इस साल के बजट में इसके लिए 9,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ राज्य सरकारें भी इस पर ध्यान देती हैं।

[अनुवाद]

वस्तुतः सिंचाई कार्य अनिवार्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, फिर चाहे यह लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और मुख्य सिंचाई हो। मेरा मानना है कि अब वह समय आ गया है जब राज्य सरकार को जल संचयन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह केवल जल संचयन कार्यक्रम और बांधों का निर्माण करना ही नहीं है बल्कि जल का प्रयोग किस प्रकार किया जाए से संबंधित है। वस्तुतः मैं अपने स्वयं के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु एक ऐसा समय था, जब मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जहां औसत वर्षा आठ इंच है। यह सूखा प्रवण क्षेत्र है।

इस विशिष्ट क्षेत्र में 18 से अधिक चीनी मिले हैं। पर्याप्त क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, पर्याप्त क्षेत्र में अगूंर की खेती और अन्य अनेक बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। यह इसलिए है क्योंकि हमने पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने में सफलता प्राप्त की और इसी पानी को ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से फसलों को उपलब्ध करा रहे हैं।

[हिन्दी]

मेरी पर्सनल खेती है, मेरी खेती की हर फसल ड्रिप सिस्टम पर निर्भर करती है। ड्रिप सिस्टम का फायदा इतना ही होता है कि फ्लो-वाटर देने के बाद, एक एकड़ के लिए जितना फ्लो-वाटर, पैरीनियल क्रॉप के लिए लगेगा, इसी फ्लो-वाटर में तीन एकड़ दूसरी फसल ड्रिप सिस्टम हो सकती है। इतनी सैविंग आज ड्रिप-सिस्टम से हम कर सकते हैं। ऐसी सभी बातों पर हमें, राज्य सरकारों को और भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सच है कि अगर हम जल प्रबंधन के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई अनाज की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मुश्किल आयेगी। हमारी जो जमीन है, उसे हम नॉन-एग्रीकल्चर परपज के लिए इस्तेमाल किये जाने की स्थिति हम देश में देख रहे हैं। अर्बनाइजेशन एंड नम्बर ऑफ अदर इश्यूज के बारे में हम स्थिति देश में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई को बढ़ाएंगे, तभी देश की खेती में सुधार होगा और तभी हम फूड की समस्या को हल करने में कामयाम होंगे। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा ध्यान जल-प्रबंधन के क्षेत्र में दीजिए। भारत सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग देगी। नरेगा में खासतौर से ऐसी स्कीम है कि अगर राज्य सरकारों ने इस पर अमल किया, इस पर ज्यादा ध्यान दिया और इसकी सब प्रॉविजन वाटर-कंसरवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की, ऐसी परिस्थिति पैदा की, तो मुझे लगता है कि सूखे की समस्या से हमें कुछ न कुछ छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी।

कई सदस्यों ने यहां कहा कि पिछले 50 सालों से हम यहां सूखे पर डिस्कस करते हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस परिस्थिति में बदलाव लाना है तो हम सभी लोगों को राजनैतिक मतभेद छोड़कर एक होना पड़ेगा और इस काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यह मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं।

माननीय गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा कि चीफ-मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है। मैंने शुरू में भी कहा कि सूखे के बारे में इतनी जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं है। अगस्त तक हम सारी स्थिति को देखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री को कहकर चीफ-मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग बुलाने में मुझे कोई समस्या नहीं आयेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस पर हम जरूर ध्यान देने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि नरेगा का पैसा राज्य में जाने के लिए तीन-चार महीने लगते हैं। मैंने इस बारे में इंफोर्मेशन ली, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वास्तव में कई राज्यों में पिछले साल का नरेगा का पैसा बाकी है, वह लैप्स होता नहीं है। हम यह बात नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि फाइनेंस बिल कल ही यहां मंजूर हुआ है, आज शायद राज्य सभा में फाइनल हो जाएगा। राज्य सरकारों को और ज्यादा पैसा रिलीज करने की आवश्यकता है, उसे हम जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे इस तरह की शिकायत दुबारा सामने न आने पाए।

तीसरा सुझाव उन्होंने दिया कि जब सूखे की परिस्थिति पैदा होती है, तब राज्य सरकारों को बहुत कदम उठाने पड़ते हैं। एक कदम यह भी उठाना पड़ता है कि तरह-तरह के जो लोन्स

[श्री शरद पवार]

किसानों ने लिये हैं, उनकी रिकवरी सस्पेंड करना और इंट्रेस्ट में कुछ राहत दे सकते हैं तो राहत देना। यह तो राज्य सरकारें करती हैं, मगर इसमें बैंकों को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पूरी स्थिति जब देश के सामने आयेगी तो राज्य सरकारें इस बारे में जो सुझाव देंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए, इस पर जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, उन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें समय है और अगस्त महीने के खत्म होने के बाद इस बारे में हमें कोई समस्या नहीं आयेगी।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने ग्लोबल वार्मिंग के विषय में कहा है कि इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति गठित की है, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं तथा कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हैं और सबकमेटीज भी हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय की बात है, हमारे यहां इंडियन काउंसिल फार एग्रिकल्चर रिसर्च, जो रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाली संस्था है, जहां छह हजार से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। इन वैज्ञानिकों को संदेश दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पेक्ट हो रहा है, उसकी जबरदस्त कीमत हमारे देश के शायद कुछ राज्यों को देने की नौबत आएगी। उसका ध्यान रखते हुए हमारा टोटल रिसर्च बदलना चाहिए। जहां तक हमारे वैज्ञानिकों का असेसमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान में दो-तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार के कुछ हिस्से और हिमालय पर होगा। ये सारे हिस्से हमारे देश में अनाज का भंडार हैं, इस कारण गेहूं की फसल पर असर होगा, ऐसी रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने दी है। इसी कारण गेहूं की वेराइटी डवलप करने में रिसर्च का अप्रोच बदला है। हम इस तरह की वेराइटी डवलप करने में लगे हैं, जिसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिल्टअप होगी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो बुरा असर होगा, उसका सामना करने की ताकत उस फसल में होगी, ऐसी रेजिस्टेंस वेराइटी गेहूं की तैयार करने में हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। मुझे सदन के सामने कहने में खुशी हो रही है कि कम से कम आठ से नो वेराइटीज ढूंढने में हमारे वैज्ञानिक कामयाब हुए हैं। दो-तीन साल और अनुसंधान किया जाएगा तथा बाद में ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारे देश की फसल पर नहीं होगा। भारत सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से भी ग्लोबल वार्मिंग के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है, वे उठाए जा रहे हैं। इसके लिए स्पेशल सैक्शन खोलकर प्रधानमंत्री के दफ्तर के माध्यम से इस तरफ ध्यान देने का काम शुरू किया है। हम इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि इससे एक अच्छा रास्ता देश के सामने आएगा और इस समस्या को हल करने में हम कामयाब होंगे।

जहां तक सूखे की परिस्थिति का सवाल है, मैंने शुरू में कहा है कि एक महीने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हर राज्य के हर हफ्ते की सूचना प्राप्त करके हमारा ध्यान उस राज्य पर रहेगा। राज्य सरकार और किसानों की मदद करने की आवश्यकता है, उस पर हमारा ध्यान रहेगा और इस संकट से देश के किसानों तथा देशवासियों को उबारने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, पूरी ताकत से, लगन से करने का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से, यूपीए सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यही विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने सूखे से निपटने के लिए जो तैयारी की है, उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की है और साथ-साथ बिहार सरकार ने डीजल की सब्सिडी देने का जो फैसला लिया है, उसमें भी 50 प्रतिसत का वे योगदान देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं दो बातें जानना चाहता हूं। हमने मंत्री जी को एक सुझाव दिया था और मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया है कि आगे की कार्य योजना के लिए जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है और जल प्रबंधन के माध्यम से आप बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था कि आज सड़क, टेलीफोन, एनर्जी ये इनफ्रास्ट्रक्चर विभागों के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए फोकस्ड होते हैं।

सरकार सिंचाई को इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के रूप में क्यों नहीं केन्द्रित करना चाहती है ताकि उस पर ध्यान केन्द्रित हो सके? मेरा दूसरा क्लेरिफिकेशन है कि बिहार सरकार ने जो बिजली के बारे में आपको पत्र लिखा, आपने कहा कि आप एनर्जी मिनिस्ट्री से अतिरिक्त आबंटन के लिए ले रहे हैं, हम आपके ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं कि आज बिहार को सेन्ट्रल ग्रिड से 1500 मेगावाट का एलाटमेंट है, उसके अगेन्स्ट हमें सिर्फ 900, 950 मेगावाट ड्रॉ करने की छूट दी जाती है, हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि बिहार की जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए आप एनर्जी डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करके हमारा जितना पूरा एलॉटमेंट है, उसे ड्रॉ करने की भी अनुमति आप दिलाने की कृपा करें। हमारा आपसे यही आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, मैं राजस्थान राज्य से हूं। क्या राजस्थान के 33 जिलों में से राजस्थान सरकार ने किसी जिले को सूखा प्रवण घोषित किया है? क्या भारत सरकार को राजस्थान सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सभी

सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार, सुझाव और मांग इत्यादि सब यहां रखे हैं। इसमें जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में खासकर राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो जनपद चयनित किये जा रहे हैं, सूखा घोषित किये जा रहे हैं, पूरे पूर्वान्चल और खासकर बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति बहुत भयंकर है। योजना आयोग की सामरा समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्वान्चल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके हैं। यहां पर बारिश भी कम हुई है तो इसके लिए क्या आप केन्द्रीय दल भेजकर, अध्ययन करवाकर, वहां के लिए विशेष पैकेज दिलवाकर क्या वहां पर सूखा राहत के सभी कार्य पूरे कराएंगे- जैसे लगान माफ कराएं, तमाम तरह के पशु-पक्षियों को उनको चारा इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था क्या आप अपने माध्यम से करेंगे क्योंकि अभी मुलायम सिंह जी ने भी यह मुद्दा उठाया था कि इटावा को छोड़ दिया गया, अगल-बगल के जिले को लिया गया। हमारा जनपद कौशाम्बी प्रतापगढ़ है, उसे छोड़ दिया गया, अगल-बगल के जिले को लिया गया। इसलिए ऐसे जिलों को क्या आप सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान देंगे?

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि मेरे राज्य जम्मू-कश्मीर का माननीय मंत्री जी ने कहीं उसका जिक्र ही नहीं किया कि वहां फसल कितनी हुई है, घाटा कितना रहा। यहां तक कि कुछ भी नहीं कहा गया कि वहां सूखा है और उसके लिए क्या इंतजाम किये गये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन चीजों का क्या कारण है? मेरी मंत्री जी से विनती है कि जम्मू-कश्मीर के बारे में जो मैं जानता हूं कि मेरे वहां मेजोरिटी में मक्की लगती है और थोड़ा सा धान लगता है और मक्की आप जानते हैं कि हमारे राज्य से उसका सीजन ही खत्म हो गया। अब जो बाद में लगाई गई है, अभी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है, उसकी फसल बिल्कुल न होने के बराबर होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप उस किसान के लिए क्या करेंगे? उसकी मुश्किलें कैसे दूर करेंगे और साथ में जो फसल का बीमा है, जो इंडिविजुअल फसल बीमा है, क्या वह करवाने जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मेरा प्रश्न फसल बर्बाद हो जाने पर किसानों को दी जाने वाली राहत से संबंधित है। 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति राहत आपदा राहत कोष में से प्रदान की जाती है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वितरित की जाती है। आप प्रति हेक्टेयर आपदा राहत निधि (सीआरएफ) प्रदान कर रहे हैं।

यह सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रों हेतु प्रति हेक्टेयर लगभग 4000 रु. और गैर-सिंचित क्षेत्रों हेतु 2000 रु. प्रति हेक्टेयर है। श्री पीके बिजू हमारे माननीय साथी ने इस प्रश्न को पहले भी सभा में उठाया है। निसंदेह, उन्होंने केवल केरल का ही उल्लेख किया था, परंतु संपूर्ण देश के लिए इसमें समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि राशि बहुत कम है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आपदा सहायता कोष (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सहायता को बढ़ाने पर विचार कर रही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, माननीय मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के बारे में बोलते हुए एक बात कही थी कि वहां से जो रिपोर्ट आई है, इसे पिछले साल से कम्पेयर करें तो इसे नॉर्मल सिटी कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तेलंगाना जिले में पीने के लिए भी पानी नहीं है तो यह रिपोर्ट कैसे आई? इस बारे में टीम भेजकर तुरंत इंक्वायरी की जाए क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है और यहां यूपीए सरकार है, हो सकता है इस वजह से यह बात छिपाना चाहती है। हमारी मांग है कि तुरंत टीम भेजकर इंक्वायरी करनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट खम्माम में आज की तारीख में पीने का पानी नहीं है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यहां टीम भेजने का अनुरोध करता हूं।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रयास की सराहना करता हूं। बिहार में सोन इलाके के गांव में आठ महीने पहले गेहूं और धान की पैदावार हुई है जबकि यह आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। एफसीआई ने बार-बार कहने के बाद भी खरीदा नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि अन्न संकट होने वाला है, शार्टेज होने वाली है और दूसरी तरफ किसान के पास पैसे नहीं हैं। क्या सरकार समय-सीमा के अंदर गेहूं और धान को तत्काल खरीदकर रखना चाहती है?

महोदय, मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया था कि एफसीआई अधिकारियों और पदाधिकारियों में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसके कारण किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। आपको तुरंत अन्न खरीदकर अन्न भंडार को भरना चाहिए और किसानों की आमदनी बढ़ानी चाहिए। आप स्पष्ट बताइए कि इस बारे में क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, चूंकि पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में विध्वंसकारी चक्रवात-आइला आया था, इसलिए वहां एनसीसीएफ के अंतर्गत जो भी निधियां उपलब्ध थीं, उनका

[श्री बसुदेव आचार्य]

प्रयोग आइला प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास और निर्माण कार्यों के लिए किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र सूखे और मानसून में देरी के कारण प्रभावित हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि राज्य सरकार के पास उपलब्ध निधियां समाप्त हो चुकी हैं तो क्या केन्द्र सरकार सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए एनसीसीएफ के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को निधियां प्रदान करने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बताया गया है यह अच्छी बात है कि 13 महीने के लिए बहुत अनाज मौजूद है। लेकिन आप टीवी देखिए या अखबार उठाइए, आप देखेंगे कि हाहाकार मची हुई है, गरीब कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं। मीडियम क्लास के लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या सरकार इसे रोकने के लिए कुछ करेगी? लोगों में एक भय पैदा किया जा रहा है कि अनाज नहीं है। यह आम आदमी के लिए बहुत चिंता का विषय है।

मेरा दूसरा प्रश्न बहुत इम्पार्टेन्ट है। मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि असम में सी.आर.एफ. में 80 करोड़ रुपये उन्होंने भेजे, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरे पास गवर्नमैन्ट ऑफ असम की रिपोर्ट है-

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन विभाग में राजनयिक कूटनीति के कारण ही अब तक इसके लिए सीआरएफ से कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी खबर लेंगे? यही जानकारी मैं मंत्री जी से हासिल करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमलः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों ने इस साल लोन लेकर खेती की है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। क्या सरकार उन किसानों का लोन माफ करेगी?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो जिले सूखे घोषित हुए हैं, उसमें राजनीति से प्रेरित कुछ भी नहीं है। केन्द्र सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की हैं, उस आधार पर उत्तर प्रदेश में जिले सूखे घोषित किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तमाम सम्माननीय सदस्यों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। हमारे कृषि मंत्री जी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से मिलने का समय मांगा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री जे.एम. आरून रशीद, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहानः चूंकि आप संवेदनशील हैं, आप बड़े किसान भी रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश जो सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो बिजली की कमी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री दारा सिंह चौहान, कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहानः क्या माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करके संवाद करके वहां के विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा का जो पैकेज मांगा गया है, वह वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की बात करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, एक मिनट में केवल एक प्रश्न ही पूछें।

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): मंत्री जी, नरेगा में जो 60-40 एक्सपेंडीचर बुकिंग होता है, उसमें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप पहले ही सभा का समय ले चुके हैं। आप सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं? श्री गणेशराव नागारोव दूधगांवकर कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: नरेगा में 60-40 एक्सपेंडीचर बुकिंग होता है, उसी में मंत्री जी को रिलैक्सेशन देना होगा, तब कहीं ड्राउट का काम होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सभी प्रश्न नहीं पूछ सकते।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, जो हमारे वक्ता थे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रश्नों के लिए इतना अधिक समय दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे झारखंड में राष्ट्रपति शासन है। वहां भी सुखाड़ की स्थिति है। हमारा मंत्री महोदय से आग्रह है कि राज्यपाल महोदय को आग्रह करें कि झारखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 15 रुपये डीजल पर आधी सब्सिडी केन्द्र सरकार देगी। क्या यह बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए लागू होगा या सारे सूखा प्रभावित राज्यों में लागू होगा? उन्होंने यह क्लियर नहीं किया है। क्या महाराष्ट्र को भी वह राहत मिलेगी?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने मेमोरेंडम भेजा है? यदि मेमोरेंडम भेजा है तो उसमें उन्होंने कितनी राहत मांगी है?

तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि कुछ प्रदेशों में अगस्त में बारिश होने से फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ प्रदेशों में अगस्त में बारिश होने से कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे प्रदेशों में अकाल राहत देने की योजना लागू करने में क्या समस्या है? इसके लिए सरकार कब तक राह देखेगी? अगर 15 अगस्त तक बारिश नहीं आई तो क्या प्रधानमंत्री सब प्रदेशों की मीटिंग बुलायेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री महेश जोशी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब और प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाएंगे। श्री महेश जोशी, कृपया सीधे प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी (जयपुर): महोदय, राजस्थान अकाल से सबसे ज्यादा त्रस्त रहा है। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन उसके लिए भूमिका बतानी पड़ेगी। राजस्थान में साठ परसैन्ट रेगिस्तान है। वहां साठ सालों में अधिकांश समय अकाल रहा है। वहां पांच साल तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन उसने एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया। वहां पानी लगातार नीचे जा रहा है। वह राज्य डार्क जोन बनता जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया पूछें। अन्यथा अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह राजस्थान के किसानों को कोई विशेष आर्थिक सहायता या विशेष पैकेज देने की मंशा रखते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको अनुमति नहीं है। मैंने आपको नियम 193 के अंतर्गत प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी: क्या माननीय मंत्री महोदय राजस्थान के अकाल के लिए कोई विशेष सहायता देने जा रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद: माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों और विशेषकर इलायची उत्पादकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा 1,711 करोड़ रुपये का वर्तमान पैकेज उपलब्ध कराया गया था, परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इसके उपरांत मैं सरकार को उन किसानों जो अपने ऋणों की अदायगी समय से करते हैं, के लिए ब्याज ऋण दर 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को यह लाभ दे रहे हैं जबकि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अनुसूचित बैंक यह लाभ किसानों को नही दे रहे हैं। इसलिए क्या सरकार अनुसूचित बैंकों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है कि किसानों के लिए ब्याज दर को कम किया जाए?

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें।

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जैसा कि मैंने पहले कहा 20 जिले नामतः मैनपुरी, कानपुर, बरेली, फरुखाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली इत्यादि।

[हिन्दी]

इसमें क्राइटीरिया था कि जिस जिले में 40 फीसदी से कम वर्षा हुई और 75 फीसदी से कम बुवाई हुई, उस जिले को ले लिया गया। बाद में दूसरे क्राइटीरिया में 40 फीसदी से कम वर्षा और 50 फीसदी से कम बुवाई वाले ऐसे कुछ जिले उन्होंने लिये। इनमें बांदा, मथुरा, इलाहाबाद, औरैया, कानपुर नगर, वाराणसी, जालौन जिलों का क्राइटीरिया लगाकर जिलों का सिलैक्शन किया गया है। ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शरद पवार: महोदय, यह राज्य सरकार का मूल अधिकार है। निःसंदेह मैं राज्य सरकार को लिख सकता हूं।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)* यह मेरे अधिकार में नहीं है, यह राज्य सरकार का अधिकार है। कुछ जिलों के बारे में यहां खास बात कही गई कि गोरखपुर या दूसरे जिलों का या आसपास के जिन जिलों में सूखा है, मगर यहां नहीं है, इस तरह की बात कही गई। मैं लिखकर उनके ध्यान में लाऊंगा। इस मामले में अंतिम निर्णय उनका होगा।

चौधरी लाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है। जहां तक जम्मू कश्मीर में पैडी की बुवाई का ट्रांसप्लांटेशन का जो कार्यक्रम इस साल हुआ है, वह दो लाख 2 हजार हैक्टेयर में हुआ है जबकि पिछले साल यह तीन लाख 39 हजार हैक्टर में हुआ था। जहां तक मक्का का सवाल है, यह एक लाख 24 हजार हैक्टेयर इस साल हुआ है जबकि पिछले साल एक लाख 60 हजार हैक्टेयर में हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शरद पवार: श्री जे.एम. आरून रशीद ने प्रो. स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का उल्लेख किया। हम यहां सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रो. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसी अन्य विषय से संबंधित है। यह बिल्कुल अलग विषय है। मेरा विचार है कि हमें इस बारे में यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

जहां तक श्री लालू प्रसाद ने सवाल किया कि बिहार के क्षेत्रों में धान की खरीद आज भी नहीं हो रही है। यह शिकायत आयी थी और हमने इंस्ट्रक्शन्स लिखकर दी हैं मगर आज की स्थिति में जितना धान मिल सकता है, उतना लेना अच्छा रहेगा क्योंकि धान की कमी है। इसलिये हम इसी हफ्ते यहां से टीम भेज देंगे और वहां पर लोगों को बैठायेंगे। इस संबंध में एक शिकायत यह आई है कि राईस मिल वालों से लेना है, इस तरह की बात लोगों ने की है। हम वहां देखेंगे कि किसानों के पास पैसा जाता है और हमारे स्टॉक में इम्प्रूवमेंट होने में मदद मिलती है। हम इस संबंध में सहयोग देंगे और हमने इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन्स दी हैं।

[अनुवाद]

श्री महताब जी ने सीआरएफ के अंतर्गत धन जारी करने से संबंधित मानकों के बारे में पूछा था। लगभग दो वर्ष पूर्व इन मानकों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु ऐसा लगता है कि इस मामले में दुबारा विचार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः हम इस सत्र के तुरन्त बाद बैठक कर रहे हैं। अतः हम देखेंगे कि सीआरएफ मानकों में किस प्रकार सुधार किया जाए।

[हिन्दी]

मुंडे जी ने डीजल सब्सिडी की बात की है कि जहां फसल बचाने का काम राज्य सरकार ने हाथ में लिया है। जहां बारिश कम है, जो ऐसे जिले हैं, आज बिहार की बात सरकार की तरफ से आयी कि वहां पानी कम है और फसल बचाने के लिए वे डीजल की सब्सिडी देते हैं। वैसी ही बात हमारे सामने पंजाब और हरियाणा से भी आयी है। जिन भी राज्यों से यह बात आएगी, उन सभी राज्यों को हम यह एप्लीकेबल करेंगे। दूधगांवकर जी ने कहा कि नरेगा में 60-40 का रेश्यो बदलेगा, तो यह बदलने की बात आज तो हमारे सामने नहीं है, मगर जहां सूखे की स्थिति है वहां नरेगा का सौ दिन का जो कार्यक्रम है, उसे 50 दिन से और एक्सटेंड करने की बात हमारे सामने है और उस तरह का डिसीजन वहां जरूर लिया जाएगा। जहां तक बदरुद्दीन अजमल जी ने अनाज के प्राइसेस के बारे में कहा। यह बात सच है कि प्राइसेस के बारे में कल डिस्कशन है। मुझे खुशी है कि जब बासुदेव आचार्य जी ने अपने विचार सदन के सामने रखे, तब उन्होंने सी टू प्लस 50 पर्सेंट प्राइस किसानों को देने की अच्छी मांग की, मगर इससे अल्टीमेटली अनाज की कीमत भी बढ़ती है। मुझे लगता है कि जो डिमांड उन्होंने की है, हम उस रास्ते से जाने की तैयारी कर रहे हैं। अनाज की कीमत ज्यादा बढ़ रही है कल वे ऐसी शिकायत नहीं करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप उन्हें सब्सिडी दीजिए।

श्री शरद पवार: हम कहां से सब्सिडी दें, सब जगह सबको कैसे सब्सिडी दें? यह सिम्पल बात है ...*(व्यवधान)* पटेल जी ने यह कहा कि बाकी सब कीमतें ऊपर जाती हैं, मगर किसानों को उनकी उपज की कीमत ज्यादा देनी चाहिए और यहां इस पर बहुत बहस होती है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर इस देश की फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करनी है तो किसानों को अच्छी कीमत देनी पड़ेगी और वह अच्छी कीमत देशवासियों को स्वीकार करना पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया कोई व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: मैं यहां कीमत तय करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह तो अल्टीमेटली सीएसीबी तय करेगी। एक शिकायत की गयी कि आंध्र प्रदेश की कोई रिपोर्ट ठीक न हो, ऐसी बात नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार की छिपाने की कोई भावना नहीं है। वहां जो स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने इम्फार्म किया है और हमारे मन में कोई आशंका नहीं है। सीआरएफ के बारे में अजमल जी ने एक बात कही कि इस साल जिन किसानों ने लोन लिया है, उनका लोन माफ किया जाए। जब राज्य सरकार इस बारे में कोई कदम उठाती हैं, वह उठाने के बाद हम इसमें किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे और उनको मदद करने के लिए कहेंगे। एक बात यहां इरीगेशन के प्रोजेक्ट के बारे में कही गयी कि उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्राइटेरिया लगाना चाहिए। एक बात है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्राइटेरिया का फायदा इनवेस्टर को होता है। इस बजट में कोल्ड-चेन के बारे में, इससे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेट्स उन्हें दिया नहीं था, वह दिया गया है। इससे कोल्ड-चेन के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, यह बात सरकार ने सामने रखी थी। जहां तक इरीगेशन प्रोजेक्ट है, माइनर इरीगेसन प्रोजेक्ट है, मीडियम प्रोजेक्ट है, यहां प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। यहां 100 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की आती है। इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्टेट्स का बेनीफिट क्या होगा? मैं आपसे बात करूंगा और आपसे समझूंगा, अगर इससे लाभ होता है, इससे ज्यादा एरिया बढ़ने में मदद होती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करने के लिए मेरी तैयारी रहेगी। दुष्यंत सिंह जी ने पूछा कि

[अनुवाद]

क्या आपको राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और क्या उन्होंने कुछ डीपीएपी जिलों की घोषणा की है? वस्तुतः संपूर्ण देश में डीपीएपी जिलों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। ऐसे कुछ जिले हैं लेकिन मैं सही-सही नहीं बता पाऊंगा कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं। परन्तु अब तक हमें राजस्थान सरकार से किसी पर्यवेक्षक या किसी दल या अन्य को वहां भेजने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[श्री शरद पवार]

[हिन्दी]

महोदय, एक बात कही गयी कि सीआरएफ में पैसे नहीं है, अजमल जी ने असम की बात कही। सीआरएफ के पैसे की समस्या असम, बिहार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश इन चार राज्यों की थी। मैंने सदन के सामने यह बात कही कि आज ही इसके आर्डर निकालकर उन्हें पैसे रिलीज करने का काम किया गया है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** बिहार की बिजली के संबंध में कहा था कोआर्डिनेट करने के लिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: वह तो लिखना होगा।

[अनुवाद]

अंततः, जैसा कि मैंने कहा, हमें विद्युत मंत्री से इस संबंध में बात करनी होगी। विद्युत मंत्री से इस पर चर्चा करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: हमारे झारखंड में जहां प्रॉबलम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिये प्लीज।

...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अरे कैसे बैठ जाएं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप पहले ही अपना मुद्दा उठा चुके हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए। क्या आप उनका उत्तर नहीं सुनेंगे? कृपया उनका उत्तर सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: वास्तव में सभी पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है।

सभापति महोदय: अब हम अविलम्ब लोक महत्व के विषयों पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट शेष है और अविलम्ब लोक महत्व के 18 विषय है। कृपया प्रत्येक के लिए एक मिनट का समय लीजिए। इसे हमें 8 बजे तक पूरा करना है।

श्री अशोक अर्गल जी, जब आपका नाम पुकारा गया था, तब आप अनुपस्थित थे। कृपया इसे एक मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (भिंड): माननीय सभापति महोदय, संसद के पूर्व सदस्यों का सीजीएचएस कार्ड पहले 18,000 रुपये में बनता था। अब 18000 रुपये के स्थान पर उसकी कीमत 60,000 रुपये कर दी है। इससे कई पूर्व संसद सदस्य कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। आपको मालूम है कि कई पूर्व संसद सदस्यों की पैंशन ही 8000 रुपये है। 8000 रुपये में उनका खर्चा भी नहीं चल सकता। कई पूर्व संसद सदस्य पैंशन के लिए डिमांड भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए। पहले यह 18,000 रुपये में बनता था और अब 60,000 रुपये कर दिया है। एकदम से 42,000 रुपये बढ़ाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें इंटरफियर करे और इस राशि को कम करे।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कदाचित आप इससे सहमत होंगे। आज देश के सभी राज्यों में आम वादकारियों को, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कानून मंत्रालय के हिसाब से आज की तारीख में 26,16,246 मुकदमे देश के विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। 1 जून, 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में 50,659 मुकदमे लंबित हैं। लोअर कोर्ट्स में इसकी संख्या राज्यवार-महाराष्ट्र में 40 लाख, पश्चिम बंगाल में 24 लाख, बिहार में 14 लाख, राजस्थान में 12 लाख और दिल्ली में 11.5 लाख है। इसी तरह से हाई कोर्ट्स में यूपी में सर्वाधिक 9,11,858 मुकदमे लंबित हैं; तमिलनाडु में 4,51,496; महाराष्ट्र में 3,69,978 और पश्चिम बंगाल में 3,00,473 मुकदमे लंबित हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है? सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल: देर से प्राप्त न्याय, न्याय न मिलने के समान है।

[हिन्दी]

अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देर में न्याय नहीं मिलता है। आज हाई कोर्ट्स में भी जजेज के पद रिक्त हैं और इस नाते उन जजेज के पदों को भरा जाए, निश्चित तौर से नए पदों का सृजन किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएं, देश में न्यायालयों में

लंबित जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों की पैन्डैन्सी जो इतनी बड़ी तादाद में लागू है, इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और नहीं हो सकता।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, बिहार में कावर झील 25 हजार हैक्टेयर में है और वहां साइबेरियन बर्ड्ज और दुनिया भर की चिड़ियां आती हैं। वे शीतकाल में वहां बसेरा करती हैं, चहचहाती हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पिछले वर्षों में इसे पक्षी विहार बनाने के लिए दस करोड़ रुपये दिये। इसके लिए एक कार्य योजना भी बनी पर आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि उसे पक्षी विहार बनाना है, जिसकी घोषणा उन्होंने की है, तो जो निधि दी है, जो कार्य योजना बनी है, उसका कार्यान्वयन वे करा दें।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मड़ियाहू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

यह इलाहाबाद-जौनपुर पूर्वोत्तर रेल लाइन पर है। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन तहसील मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ मड़ियाहू एक व्यापारिक केन्द्र भी है। इसलिए यहां पर लोगों का बड़ी संख्या में आना-जाना होता है। यहां आरक्षण केन्द्र न होने के कारण लोगों को तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जाकर टिकट आरक्षित करवानी पड़ती है। अत: मेरी आपसे मांग है कि मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करें।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, मैं अति लोकमहत्व के विषय को उठा रहा हूं।

महोदय, बिहार प्रदेश में हाजीपुर नगर परिषद का एनजीओ के माध्यम से ड्रेनेज एवं सीवरेज का डीपीआर वर्ष 2008 में 90 करोड़ रुपये का बना था। इसे केन्द्र के शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में पारित कर दिया था। हाजीपुर शहर की हालत काफी दयनीय है। बरसात के दिनों में जलजमाव के कारण शहर झील में तब्दील हो जाता है। अत: जो राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है, इसे शीघ्र भेजा जाए ताकि शहरवासियों को जलजमाव से हो रही भीषण कठिनाइयों से निजात मिल सके।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मैं शून्य काल में राष्ट्रीय हित के मुद्दे को उठाते हुए 8 जुलाई को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पंजाब से नौ हजार टन गेहूं सहरसा, बिहार के एफसीआई गोदाम में स्टोरेज के लिए लाया गया था। लेकिन एफसीआई के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सारा गेहूं रैक पर ही सड़ गया। जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है। इस प्रकरण से संबंधित अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए तथा राष्ट्र की सम्पत्ति की आगे बरबादी न हो, इसके लिए गेहूं को रेल से लाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसे एफसीआई अथवा रेल के माध्यम से करवाने की भी कार्यवाही की जाए।

महोदय, धान की खरीदारी में एफसीआई अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते धान की खरीद बिहार में नहीं हो सकी है। खाली जूट का बोरा नहीं होने के कारण उन्होंने किसान के धान की खरीद नहीं की, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से अच्छी कमाई की। अत:, मैं मांग करता हूं कि इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री राधा मोहन सिंह (पूवी चम्पारण): महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में जो कमजोरी हो रही है, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, एनएचडीपी फेज-1 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को वर्ष 2007 में पूरा करना था, लेकिन सासाराम, बिहार की सोन नदी पर पुल अभी भी अधूरा है। एनएचडीपी फेज-2 पूर्वी-पश्चिमी कोरीडोर बिहार में 513 किलोमीटर है। 15 पैकेजों में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। पहला पैकेज वर्ष 2002 में पूरा करना था, अभी तक मात्र एक पैकेज यातायात के लिए खोला गया है। शेष पैकेजों में 25 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हुआ है। उसमें काम करने वाली एजेंसियों में से चार के बारे में बिहार सरकार ने लिखकर भी भेजा है, उन एजेंसियों से समाप्त करके उनसे काम लिया जाए, क्योंकि उनका काम बिलकुल नगण्य है।

महोदय, 26 जून 2004 को भारत सरकार के सम्माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री पटना गए थे, उन्होंने 890 किलोमीटर एनएच को एनएचडीपी के फेज-3 में चार लेन में चौड़ीकरण की घोषणा पटना में की थी और इसे लिया भी गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ,राधा मोहन सिंह: महोदय, यही तो मेरा विषय है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इतना लम्बा भाषण नहीं दे सकते। आपने अपनी बात रख दी है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: इन्होंने जो घोषणा की थी। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप एक वक्तव्य पढ़ रहे हैं। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। अन्यथा, आप एक वाक्य में बोल सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, उसकी घोषणा किए हुए साढ़े चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पटना-बख्तियारपुर, मोतीहारी-रक्सौल एवं पटना-गया डोभी के लिए अभी तक डीपीआर भी फाइनल नहीं हुआ है। एनएच की 1935 किलोमीटर सड़क के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार की सरकार चार सौ करोड़ रुपये अपने खजाने से निकालकर खर्च कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. के.एस. राव, आज नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के दौरान आपका मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

डॉ. के.एस. राव (एलूरू): जी हां, महोदय, मैं जानता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल मुख्य बिंदुओं पर ही बोलूंगा।

आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो कम मानसून के कारण प्रभावित हुए हैं। मुख्य कारण यह है कि आंध्र प्रदेश में फसल बुआई का मौसम जून से अगस्त का होता है और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में नवम्बर में चक्रवात आते हैं। आंध्र प्रदेश देश में चावल की प्रमुख रूप से खेती करने वाला राज्य होने के कारण खराब मानसून के कारण बुरी तरह प्रभावित होगा।

इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं सरकार से आंध्र प्रदेश को ए.आई.बी.पी. के माध्यम से ज्यादा धन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं, जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में पहले ही कहा था कि उन्होंने पूरे देश में 9,700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

महोदय, इसी प्रकार पामोलीन तेल की कीमत 6300 रुपये से घटकर 3800 रुपये हो गई है और पूरा कृषक समुदाय इसकी खेती में लगा और उन्होंने अपने आम के बगीचों को काट डाला और अब पामोलीन की खेती करके पछता रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल बाजार में हस्तक्षेप करें और पामोलीन की कीमत को बढ़ाकर कम से कम 4800 रुपये करने के लिए कदम उठाएं।

अंत में, आंध्र प्रदेश सरकार ने जलयागनम गतिविधि को बड़े पैमाने पर शुरू किया है और ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जा सकता है। पलावरम परियोजना उनमें से एक परियोजना है जिसके तहत गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ा जाना है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री ने नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान इसका उत्तर दे दिया है।

डॉ. के.एस. राव: इसलिए, मेरी प्रार्थना है कि पलावरम परियोजना को अवश्य ही एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में माना जाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैंने सी.आर.एफ. से संबंधित मुद्दा पहले ही उठाया है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर ने इसे भी पहले ही ले लिया गया है। इसलिए, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, महोदय, माननीय मंत्री ने उदारता दिखाई और उन्होंने कहा कि सत्र के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। मेरी मांग है कि सी.आर.एफ. राहत राशि जो सिंचित क्षेत्र के लिए 4000 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता के रूप में दी जा रही है, तथा असिंचित क्षेत्र के लिए यह 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जो बढ़ाकर सिंचित क्षेत्र के लिए 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर की जाए। यही मेरी मांग है। मैं समझता हूं कि जब सरकार इस पर

विचार करेगी तो यहां पर उपस्थित मंत्री महोदय इस मांग से संबंधित मंत्री को अवगत कराएंगे।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति महोदय, आज से ठीक तीन साल पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः केवल अपनी बात रखिए। कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। केवल विषय का उल्लेख करें और बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्माः सभापति महोदय, यह बड़ा इम्पोरटेंट प्रश्न है, गुरु और शिष्य के संबंध में के बारे में है। एक प्रोफेसर की हत्या तीन साल पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कर दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि नागपुर न्यायालय में जो निर्णय हुआ, न्यायाधीश ने निर्णय देते वक्त यह कहा कि मैं आरोपियों को बरी तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन दुखी है। इसलिए दुखी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप क्या पूछना चाहते हैं? आप अपनी बात रखिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्माः सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोरटेंट प्रश्न है। न्यायाधीश ने कहा कि इस निर्णय को देते हुए मेरा मन दुख रहा है। अभियोजन पक्ष और पुलिस ने ठीक ढंग से सबूत पेश नहीं किए, यह इसलिए हुआ कि...

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। श्री वर्मा, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं, इसे सभा में नहीं उठाया जा सकता। कृपया इस बात को समझे कि ऐसे विषय को सभा में नहीं उठाया जा सकता। कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः इसकी अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री वर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। अब, श्री गणेश सिंह जी, बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री वर्मा आप जो बोल रहे हैं उसकी अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठे।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री गणेश सिंह जी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री गणेश, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)**

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): वह इस मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं, आप इस पर विचार करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री गणेश सिंह जी आप कृपया बोलना शुरू करें। अन्यथा, आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री वर्मा जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदयः नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बार-बार आपको अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सतना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना सीमेंट उद्योग, पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देश में जितना सीमेंट उत्पादित होता है उसका एक-तिहाई सीमेंट मेरे लोक सभा क्षेत्र में उत्पादित होता है। बड़े-बड़े उद्योग वहां लगे हैं और अभी भी अनेक उद्योग लगने जा रहे हैं। इसी तरह चित्रकूट एवं मैहर में हर वर्ष लाखों यात्री एवं देशी-विदेशी पर्यटक आते-जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हवाई अड्डा बना था, वह प्रदेश सरकार के अधीन मौजूद है। मैंने लगातार मांग की है कि सतना को दिल्ली, भोपाल एवं मुम्बई की हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। आज मैं पुन: यह मांग कर रहा हूं। उस क्षेत्र में हवाई यात्रा करने वालों की कतई कमी नहीं है। अभी लोग खजुराहो, जबलपुर एवं भोपाल से हवाई यात्राएं कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है और जहां पर 40 हजार कर्मचारी काम करते हैं और आसपास की करीब 5 लाख आबादी इस पर निर्भर है, उसकी ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि राव घाट परियोजना, जो एन.डी.ए. की सरकार में बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन अब यू.पी.ए. सरकार के समय में यह योजना केवल भौतिक स्तर पर, कागजों में सिमट गई है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, उसके लौह अयस्क की जो खदानें हैं, वे समाप्ति की ओर हैं। अगर भविष्य में यह योजना पूरी नहीं हो पाई, तो उस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। चूंकि 12 वर्षों से यह योजना कागजों पर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, देश में, खासकर के झारखंड में कई ऐसी जातियां हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसी जातियों के सामाजिक स्तर की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और सरकार को इस पर चिन्तन करना चाहिए। महोदय, कुछ लोग तो सरकारी सहायता से ऊपर उठ जाते हैं, परन्तु अधिकांश जातियों को सरकारी रियायतों का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की नियमित समीक्षा नहीं हो पाती है। आज झारखंड में तेली, गोप और मैरा जाति के जो लोग हैं, उनका पलायन हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की नियमित समीक्षा हो और झारखंड में तेली, गोप और मैरा जाति को अत्यन्त पिछड़ी जाति में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री कौशलेन्द्र कुमार जी, आज सुबह आपका नाम पुकारा गया था। आप उपस्थित नहीं थे। कृपया शीघ्रता से अपनी बात कहिये।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्पूर्ण विश्व के ज्ञान की अलख जगाने वाला नालन्दा विश्वविद्यालय महज एक विश्वविद्यालय नहीं, अपितु शैक्षणिक संस्कृति और वैचारिक साधना का एक अनुपम केन्द्र था। पांचवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस शिक्षा केन्द्र का सानी समकालीन विश्व में कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था।

महोदय, उस विश्वविद्यालय में 10 हजार छात्र अध्ययन करते थे और 1 हजार शिक्षक थे। आप अन्दाज लगाएं कि वह कितना विशाल एवं भव्य रहा होगा। वैसे विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्स्थापित करने का फैसला बिहार के मुख्य मंत्री ने लिया है और इस दिशा में काम काफी आगे बढ़ चुका है। बिहार सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन की भी व्यवस्था कर ली गई है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि फिर से नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको अपना प्रश्न पूछने की अनुमति है। आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछें और बैठ जाएं।

[हिन्दी]

आपने जो नोटिस दिया है, उसमें एलीगेशन्स हैं। उन्हें आप नहीं बोलें।

[अनुवाद]

आप सिर्फ मुद्दा उठाएं और अपनी बात समाप्त करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे 'शून्य काल' में अपनी बात कहने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां लगभग 30 वर्ष पहले एक अरबन को-आपरेटिव बैंक स्थापित हुआ और हजारों लोगों ने यह मानकर कि वह आर.बी.आई. के लाइसेंस के अंतर्गत स्थापित हुआ बैंक है और नाबार्ड उसे फायनेंस करता है, अपना पैसा जमा कराया। मैं कहना चाहता हूं कि उनका पैसा उसमें जमा है, जिसकी रसीदें उनके पास हैं, लेकिन अरबन को-आपरेटिव बैंक के लोग यह कहते हैं कि बिहार में यह बैंक बंद हो रहा है। उन्हें उनका पैसा वापस नहीं दे रहा हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस अरबन को-आपरेटिव बैंक को उनके भरोसे मत छोड़ो। जिन नागरिकों ने उसमें बचत बैंक के माध्यम से अथवा एफ.डी.आर. के माध्यम से पैसे जमा कराए हैं, उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। यह ड्यूटी तो सरकार निभा ही सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा अन्याय नहीं हो और माननीय वित्त मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो और आप इसमें हस्तक्षेप करें। लोगों का पैसा जमा है, उनके पास रसीदें हैं। वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मेघवाल जी, आपका धन्यवाद।

मैं सभी माननीय सदस्यों का अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभा बुधवार, 29 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 जुलाई, 2009/7 श्रावण, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री संजय तकाम	341
2.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री चंद्रकांत खैरे	342
3.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती डॉ. मन्दा जगन्नाथ	343
4.	श्री नरहिर महतो	344
5.	श्री तथागत सत्पथी	345
6.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्री एन. चेलुवरया स्वामी	346
7.	श्रीमती जयाप्रदा	347
8.	श्री प्रबोध पांडा श्री एंटो एंटोनी	348
9.	श्री शैलेन्द्र कुमार श्री राजू शेट्टी	349
10.	श्री भक्त चरण दास श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	350
11.	श्री अशोक कुमार रावत श्री हंसराज गं. अहीर	351
12.	श्री संजय सिंह चौहान	352
13.	श्री राजनाथ सिंह	353
14.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	354
15.	डॉ. महेश जोशी	355
16.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	356
17.	श्री विलास मुत्तेमवार	357
18.	श्री जगदम्बिका पाल	358
19.	श्रीमती मेनका गांधी	359
20.	श्री हर्ष वर्धन श्री जी.एम. सिद्देश्वर	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	3369
2.	अडसूल, श्री आनंदराव	3239, 3308, 3338, 3359
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3204, 3296, 3332, 3352, 3365
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	3198, 3275
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3263, 3319, 3346, 3361
6.	अनंत कुमार, श्री	3243
7.	अर्गल, श्री अशोक	3190, 3274, 3324
8.	बालू, श्री टी.आर.	3209
9.	बाबर, श्री गजानन ध.	3252, 3306, 3311, 3344, 3380
10.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	3245
11.	बलराम, श्री पी.	3195, 3271, 3295, 3323
12.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	3183
13.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	3257, 3313, 3342
14.	बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	3224
15.	चौहान, श्री संजय सिंह	3317
16.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	3222, 3297, 3330
17.	चौधरी, श्री अधीर	3207, 3292
18.	दास, श्री भक्त चरण	3285, 3377
19.	देवरा, श्री मिलिंद	3280
20.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	3199
21.	धोत्रे, श्री संजय	3192
22.	दुबे, श्री निशिकांत	3216, 3218, 3292, 3329, 3349

1	2	3
23.	गद्गीगौदर, श्री पी.सी.	3283, 3376
24.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3250, 3312, 3340
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3214, 3242, 3247, 3289, 3309
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	3211
27.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3208
28.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	3203
29.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	3370
30.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3231
31.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	3193, 3328
32.	जेना, श्री मोहन	3335
33.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	3283
34.	जिगजिणगी, श्री रमेश	3202
35.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	3220, 3373
36.	कटील, श्री नलिन कुमार	3224
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3279, 3325, 3353, 3367
38.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	3214, 3242, 3247, 3289, 3309
39.	कोड़ा, श्री मधु	3224, 3241
40.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	3304
41.	लागुरी, श्री यशवंत	3246, 3251
42.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3179, 3266, 3318, 3345, 3360
43.	महाराज, श्री सतपाल	3254
44.	महतो, श्री नरहरि	3184, 3282
45.	माझी, श्री प्रदीप	3230, 3298, 3302, 3334, 3355
46.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3184, 3370
47.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	3217

1	2	3
48.	मिश्रा, श्री महाबल	3233
49.	मुंडा, श्री अर्जुन	3206
50.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3287
51.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	3368
52.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3290, 3371
53.	पाल, श्री जगदम्बिका	3278
54.	पांडा, श्री वैजयंत	3295, 3331, 3351, 3364, 3382
55.	पांडा, श्री प्रबोध	3284
56.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3240, 3304, 3306
57.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	3283
58.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	3242, 3362
59.	पटेल, श्री देवजी एम.	3245
60.	पटेल, श्री बाल कुमार	3216
61.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3230, 3261, 3298, 3302, 3316
62.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3192, 3194, 3270
63.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3197, 3297, 3380
64.	प्रधान, श्री नित्यानंद	3372
65.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	3237, 3306, 3339
66.	राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.	3234
67.	राजगोपाल, श्री एल.	3180, 3304
68.	राम, श्री पूर्णमासी	3256, 3304
69.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3214, 3370
70.	रामशंकर, प्रो.	3251
71.	रामकिशुन, श्री	3225, 3299, 3364
72.	राव, डॉ. के.एस.	3188, 3212, 3268
73.	राव, श्री नाना नागेश्वर	3221, 3294
74.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3235, 3305, 3336, 3356

1	2	3
75.	राठवा, श्री रामसिंह	3182, 3277, 3330, 3350
76.	रावत, श्री अशोक कुमार	3280, 3327, 3348, 3363
77.	राय, श्री रूद्रमाधव	3226, 3280
78.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	3260
79.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3357
80.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3236, 3377
81.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	3227
82.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3266, 3272, 3301, 3320
83.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	3184
84.	साहू, श्री चंदूलाल	3200, 3273
85.	सरोज, श्रीमती सुशीला	3259, 3262, 3315, 3343
86.	सत्पथी, श्री तथागत	3264, 3321, 3347, 3381
87.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	3201, 3303, 3335, 3357
88.	शर्मा, श्री जगदीश	3223, 3298, 3373
89.	शर्मा, श्री मदन लाल	3258, 3314
90.	शेट्टी, श्री राजू	3291
91.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3213, 3239, 3308, 3338
92.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	3224, 3255
93.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3187, 3265, 3267
94.	सिंह, श्री दुष्यंत	3248
95.	सिंह, श्री जगदानंद	3288
96.	सिंह, श्री राधा मोहन	3224, 3229, 3301, 3375, 3379
97.	सिंह, श्री राजनाथ	3216, 3286, 3358, 3377

1	2	3
98.	सिंह, श्री राकेश	3186
99.	सिंह, श्री सुशील कुमार	3249, 3310, 3341
100.	सिंह, श्री उदय	3228, 3370
101.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3236
102.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	3220, 3223, 3298, 3370
103.	सिंह, श्री उमाशंकर	3210
104.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	3244
105.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	3181, 3276
106.	शिवासामी, श्री सी.	3219
107.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	3300, 3333, 3378, 3383
108.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3189, 3269, 3322, 3354, 3366
109.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3237, 3265, 3326
110.	तकाम, श्री संजय	3281
111.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3205, 3337
112.	थॉमस, श्री पी.टी.	3215, 3290
113.	टोप्पो, श्री जोसेफ	3232
114.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3185, 3328
115.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	3191
116.	वर्मा, श्री सज्जन	3253, 3374
117.	वर्मा, श्री ऊषा	3196
118.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3222, 3238, 3307, 3337, 3357
119.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	3185, 3251
120.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	3369
121.	यादव, श्री मधुसूदन	3369
122.	यास्खी, श्री मधु गौड	3242, 3247, 3309.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	352, 359, 360
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	342, 344, 348, 349, 350
गृह	:	341, 343, 345, 357
सूचना और प्रसारण	:	351, 354
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	353, 358
खान	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	347, 355, 356
युवक कार्यक्रम और खेल	:	346.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3181, 3184, 3189, 3192, 3193, 3194, 3195, 3199, 3205, 3211, 3213, 3215, 3216, 3219, 3220, 3221, 3226, 3227, 3235, 3237, 3240, 3244, 3245, 3256, 3258, 3261, 3262, 3268, 3272, 3273, 3279, 3285, 3298, 3299, 3311, 3312, 3315, 3316, 3318, 3319, 3325, 3326, 3328, 3335, 3337, 3340, 3343, 3349, 3352, 3355, 3358, 3364, 3368, 3370, 3371, 3372, 3376, 3377, 3380
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3187, 3188, 3253, 3253, 3257, 3271, 3276, 3290, 3291, 3292, 3295, 3296, 3303, 3304, 3306, 3313, 3323, 3324, 3330, 3332, 3341, 3353, 3354, 3360, 3381
गृह	:	3179, 3180, 3185, 3186, 3202, 3204, 3207, 3209, 3210, 3214, 3222, 3228, 3229, 3231, 3233, 3236, 3239, 3242, 3247, 3249, 3250, 3255, 3274, 3280, 3284, 3287, 3300, 3301, 3302, 3308, 3309, 3317, 3322, 3327, 3331, 3333, 3334, 3338, 3347, 3351, 3359, 3369, 3374, 3378, 3379, 3382
सूचना और प्रसारण	:	3182, 3230, 3232, 3267, 3281, 3283, 3293, 3305, 3314, 3321, 3342, 3345, 3346, 3363, 3367
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3196, 3206, 3223, 3265, 3266, 3356, 3366
खान	:	3200, 3246, 3289, 3307, 3320, 3361, 3383
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3218
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	3183, 3190, 3197, 3198, 3203, 3208, 3212, 3217, 3224, 3225, 3234, 3238, 3241, 3243, 3251, 3252, 3254, 3263, 3270, 3275, 3276, 3278, 3282, 3286, 3288, 3294, 3310, 3336, 3344, 3348, 3350, 3362, 3373, 3375
युवक कार्यक्रम और खेल	:	3191, 3201, 3248, 3259, 3260, 3264, 3269, 3297, 3329, 3339, 3357, 3365.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/3/19/2009 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट्स प्रिन्टर, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।